र्दश माला, खंड 9, अंक 26

बुधवार, 27 अप्रैल, 2005
7 वैशाख, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 9 में अंक 21 से 30 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No ....58..........
Dated...... ..3/2/06

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 26, बुधवार, 27 अप्रैल, 2005/7 वैशाख, 1927 (शक)

विषय	**कॉलम**
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 443 से 446 और 448	1–38
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 441, 442, 447 और 449 से 460	39–62
अतारांकित प्रश्न संख्या 4745 और 4747 से 4974	62–574
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	575
सभा पटल पर रखे गए पत्र	575–579
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
आठवां प्रतिवेदन	579
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
चौथा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	579
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	580
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
चौथे से सातवां प्रतिवेदन	580
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ इकसठवां प्रतिवेदन	581
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति	
सातवें से नौवां प्रतिवेदन	581
समिति का निर्वाचन	
कयर बोर्ड	581–582

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले	592–593, 600–604
(एक) दिल्ली में पेयजल की समस्या हल करने के लिए उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री सज्जन कुमार	592–593
(दो) गुजरात के बनासकंठा जिले में दांता में एक टी.वी. रिले टावर स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री मधुसूदन मिस्त्री	600–601
(तीन) तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री ए.वी. बेल्लारमिन	601
(चार) पटना जिले को ''काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम'' के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम कृपाल यादव	601–602
(पांच) उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री मो. ताहिर	602
(छह) तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अवस्थित बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में कार्यरत ठेका मजदूरों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री ए. कृष्णास्वामी	602
(सात) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के रंगिया-मोर्कोंगचेलेक खण्ड पर आमान परिवर्तन शुरू किए जाने के साथ-साथ असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील में रेल-सह-सड़क पुल को समय से पूरा किए जाने के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
डा. अरुण कुमार शर्मा	603–604
सामान्य बजट-2005-2005-अनुदानों की मांगें	604–713
(एक) गृह मंत्रालय	604–687
श्री मधुसूदन मिस्त्री	605–613
श्री बाजू बन रियान	613–615
प्रो. राम गोपाल यादव	615–621
श्री विजय कृष्ण	621–625
श्री राजेश वर्मा	625–628
श्रीमती वी. राधिका सेल्वी	628–631
श्री पवन कुमार बंसल	631–637
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	637–641

विषय | कॉलम

श्रीमती मिनाती सेन 641–643

श्री निखिल कुमार 643–648

श्री शैलेन्द्र कुमार 648–651

श्री राम कृपाल यादव 651–656

सुश्री महबूबा मुफ्ती 658–661

श्री सुब्रत बोस 664–665

श्री सुरेश कुरूप 666

डा. रामेश्वर उरांव 667–669

श्री लालमणि प्रसाद 669–671

श्री मणि चारेनामै 671–672

श्री रामदास आठवले 672–673

श्री शिवराज वि. पाटील 673–687

(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 688–713

श्री अरुण कुमार वुन्डावली 689–692

डा. सुजान चक्रवर्ती 692–696

श्री शैलेन्द्र कुमार 696–697

श्री आलोक कुमार मेहता 697–700

श्री राजाराम पाल 700–701

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन 701–704

प्रो. एम. रामदास 704–708

श्री रामदास आठवले 708

श्री के.सी. सिंह "बाबा" 709–710

श्री कपिल सिब्बल 710–713

सभा की स्वीकृति के लिए बकाया मांगों का प्रस्तुतीकरण 713–725

विनियोग (संख्यांक-2) विधेयक, 2005 725–728

विधेयक पुरःस्थापित 725

विचार करने के लिए प्रस्ताव 726

श्री पी. चिदम्बरम 725–726

खंड 2 से 4 और 1 727

पारित करने के लिए प्रस्ताव 728

विषय	कॉलम
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	729
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	730-736
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	737-738
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	737-740

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

बुधवार, 27 अप्रैल, 2005/7 वैशाख, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे खेद है कि प्रतिपक्ष के सदस्य यहां मौजूद नहीं हैं। मैं उनसे यहां आने और इस चर्चा में भाग लेने के लिए अनुरोध करता हूं।

अब प्रश्न काल शुरू होता है।

प्रश्न संख्या 441, श्री हंसराज जी. अहीर—अनुपस्थित।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, अपोजिशन वाले कहां गए? अपोजिशन वाले आएं, नहीं तो हम उधर जाएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 442, श्रीमती अनुराधा चौधरी—अनुपस्थित।

मोहम्मद शाहिद—अनुपस्थित।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

असुरक्षित रक्त के कारण बीमारियां

\+
***443. श्री अधीर चौधरी:**
श्री उदय सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि रक्त बैंकों में उपलब्ध रक्त पूर्णत: सुरक्षित नहीं है क्योंकि इससे रक्तोपचार करा रहे मरीज कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं जैसा कि 3 अप्रैल, 2005 के 'द स्टेट्समैन' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या मरीजों में रक्ताधान हेतु कोई दिशा-निर्देश हैं;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार देश में नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्ता वाला रक्त मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के सभी लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंक (ब्लड बैंक) रोगी में रक्ताधान करने से पूर्व एचआईवी, एचबीएसएजी, एचसीवी, बीडीआरएल तथा मलेरिया पैरासाइट को ध्यान में रखते हुए दान में दिए गए रक्त के प्रत्येक यूनिट की अनिवार्य रूप से जांच करते हैं। इस प्रकार के कठोर उपाय अपनाए जाने के बावजूद अभी भी पेथोजेन्स (वायरस, बैक्टीरिया, पेरासाइट्स) उस समय रक्त में संचरित हो जाते हैं, जब संक्रमण के विन्डो पीरियड के दौरान रक्तदान से रक्त एकत्र किया जाता है।

रक्त बैंक में दान में दिए गए रक्त की प्रत्येक यूनिट के लिए एक बार जांच प्रक्रिया अपनाई जाती है। यदि उपरोक्त पांच कारणों (मार्कर) में से किसी एक में भी रक्तदान को क्रियाशील (रिएक्टीव) पाया जाता है तो रक्त दाता को पुष्टि तथा देखरेख के लिए आगे की जांच करने के वास्ते संबंधित विभागों में जाने की सलाह दी जाती है तथा भेजा जाता है।

रक्ताधान से एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी वायरस (एचबीवी) तथा हेपेटाइटिस-सी वायरस (एचसीवी) जैसे संक्रमणों के संचरण को रोकने के लिए सभी रक्त बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वस्थ एवं सुरक्षित रक्तदाताओं से ही रक्त लें जिसमें नियमित स्वैच्छिक रक्तदाता को वरीयता दें तथा संरचरणीय संक्रमण

रक्ताधान (ट्रांसफ्यूजन) के लिए दान किए गए रक्त की प्रत्येक यूनिट की जांच करें।

इसके अतिरिक्त, रक्त बैंक में मानदण्डों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए रक्त बैंकों में औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों में निर्धारित आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता का सत्यापन करने के पश्चात रक्तबैंकों को लाइसेंस जारी किए जाते हैं तथा उनका नवीनीकरण किया जाता है।

नाको द्वारा सभी राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को रक्त का उचित उपयोग करने के वास्ते रक्त बैंकों तथा क्लीनिकों में वितरण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं जिसमें रोगियों में रक्ताधान शामिल है।

समुचित ढंग से रक्त का उपयोग करने (रेशनल यूज आफ ब्लड) तथा रक्त का दुरूपयोग रोकने के बारे में क्लीनिसिनयनों को जानकारी देने के वास्ते प्रत्येक राज्य में नियमित रूप से कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, रक्त जीवन रक्षक है, बशर्ते कि वह सुरक्षित हो। यदि रक्त असुरक्षित हो तो यह जीवन को समाप्त कर देता है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या रक्त जीवित कोशिकाओं से बना हुआ एक अंग है? इसलिए माननीय मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दें कि क्या रक्त का संचारण होता है अथवा उसका प्रत्यारोपण होता है।

दूसरी बात यह है कि भारत पहले ही विश्व के दूसरे सबसे बड़े एच.आई.वी./एड्स रोगियों की जनसंख्या वाले देश के रूप में बदनाम हो चुका है। इसके अलावा इस विवरण में यह भी नहीं बताया गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आप एक अनुपूरक प्रश्न में इतने प्रश्न नहीं जोड़ सकते हैं।

श्री अधीर चौधरी: इस विवरण में मनुष्यों को संक्रमित करने वाली 'मैड काव' बीमारी के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है जिस पर भी प्रकाश डाले जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: यह एक तत्काल प्रेरणा है।

श्री अधीर चौधरी: रक्तदाता एवं रक्त ग्रहण करने वाले व्यक्ति के बीच परस्पर मिलान सुविधाओं का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही किए जाने हेतु एक सुझाव है। इसके बावजूद, मैं इसे माननीय मंत्री महोदय पर छोड़ता हूं।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, उनका वास्तविक प्रश्न क्या है?

अध्यक्ष महोदय: इनका पहला प्रश्न है यह कि क्या आप संक्रमण रहित रक्त उपलब्ध करा सकते हैं या नहीं।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मेरा प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है। आज, सदन में उपस्थिति कम है।

अध्यक्ष महोदय: इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता हूं केवल आप ही अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, वास्तव में तथ्य यह है कि दान किया हुआ रक्त ग्राही व्यक्ति के शरीर में जा कर सक्रिय हो जाता है। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभी अस्पतालों में रक्त की परस्पर मिलान की सुविधा पर्याप्त रूप से उपलब्ध है?

अध्यक्ष महोदय: क्या आप प्रश्न समझ गए हैं, वे परस्पर-मिलान के बारे में पूछ रहे हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, माननीय सदस्य ने कई प्रश्न पूछ लिए हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप पहले प्रश्न का उत्तर दें।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, वर्ष 2002 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय रक्त नीति बनाई थी। वास्तव में इसका निर्माण रक्त बैंकों में उस समय अपनाए जाने वाले असुरक्षित तौर-तरीकों पर माननीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद हुआ था। इसके पश्चात् अब वर्ष 2005 में हमारे पास रक्त सुरक्षा के लिए कार्य योजना है तथा रोगियों की सुरक्षा हेतु हमारे पास सुरक्षित रक्त संचारण प्रणालियां मौजूद हैं।

इसलिए, माननीय सदस्य ने रक्त संचरण तथा इसके परस्पर-मिलान के बारे में कुछ प्रश्न पूछे हैं।

श्री अधीर चौधरी: मैंने प्रत्यारोपण के बारे में भी पूछा है।

डा. अंबुमणि रामदास: नहीं, रक्त का केवल संचरण ही किया जा सकता है, इसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। अंगों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। रक्त तरल पदार्थ है इसका केवल संचारण ही किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: संभव है भविष्य में प्रौद्योगिकी इस पर अनुसंधान करे।

डा. अंबुमणि रामदासः यदि कोई रक्तदाता किसी ग्राही को रक्त देना चाहे तो यहां पहले से ही एक परस्पर-मिलान होता है।

एक विंडो पीरियड होता है तथा एक इंक्यूबेशन पीरीयड होता है, जिसकी अवधि लगभग दस दिन की होती है और कभी-कभी 20 या 30 दिन की भी होती है। मेरा विचार है कि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि यदि विंडो पीरीयड में रक्त का संरचण कर दिया जाए तो क्या रोगी प्रभावित होगा। हमारे देश में, दान किए गए रक्त में पांच बीमारियों तथा एचआईवी, एचबीएसएजी अथवा हैपेटाइटिस-बी, हैपेटाइटिस-सी पैरासाइट की जांच की जाती है।

अध्यक्ष महोदयः आपने यह मुख्य उत्तर में बता दिया है।

श्री अधीर चौधरीः मैड काउ बीमारी से जानवर ही नहीं इंसान भी प्रभावित होते हैं। आयातित रक्त नमूनों में मिलावट की सूचना मिली थी। इसलिए यह एक गंभीर मामला है। मैड काउ की बीमारी से सारे विश्व में कोहराम मच चुका है। इसलिए मैंने इस मामले के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की है।

दूसरे पूरक प्रश्न के विषय में माननीय मंत्री ने पहले ही अपने भाषण में कहा कि रक्त बैंक में जमा रक्त के समुचित उपयोग हेतु कई उपाय किए गए हैं। रक्त संघटकों का अलग-अलग ठीक ढंग से संचयन किया जाना रक्त के समुचित उपयोग हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसे एफिआरेसिस कहा जाता है अगर मैं गलत कह रहा हूं तो इसे ठीक कर लें। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि भारत में प्रतिदिन सरकारी रक्त बैंकों और गैर-सरकारी रक्त बैंक की दैनिक आवश्यकता कितनी है और उनके योगदान का अनुपात क्या है। प्रश्न का तीसरा भाग यह है कि क्या पूरे भारत के सभी रक्त बैंकों विशेषकर पश्चिमी बंगाल में रक्त संघटकों के पृथक्करण के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है।

अध्यक्ष महोदयः जी नहीं, यह प्रश्न संख्या चार है।

श्री अधीर चौधरीः मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि क्या सरकार सिंथेटिक रक्त के उत्पादन के लिए अनुसंधान और विकास दिशा में पहल कर रही है?

अध्यक्ष महोदयः आपका प्रश्न अच्छा है।

डा. अंबुमणि रामदासः माननीय सदस्य ने रक्त के पृथक्करण के विषय में ही प्रश्न पूछा है। देश में रक्त की समग्र औसत आवश्यकता लगभग सात मिलियन यूनिट प्रति वर्ष है। आज हमारे पास लगभग 6 मिलियन यूनिट रक्त प्रति वर्ष उपलब्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय विनियमों और विश्व स्वास्थ्य संगठन मानदण्डों के अनुसार नब्बे प्रतिशत रक्त का पृथक्करण किया जाा चाहिए और केवल दस प्रतिशत को ही रक्त के रूप में दिया जाना चाहिए परन्तु हमारे देश में रक्त बैंक में संचित 80% रक्त को होल ब्लड दिया जाता है और केवल 20% प्रतिशत का संघटकों के रूप में पृथक्करण किया जाता है। यदि संघटकों को इस तरीके से संचित किया जाएगा तो रक्त की आवश्यकता अपने आप कम हो जाएगी। आजकल यह आवश्यकता सात मिलियन यूनिट है। यदि संघटकों का पृथक्करण किया जाए तो यह आवश्यकता चार मिलियन या पांच मिलियन यूनिट तक सीमित हो जाएगी। सरकार रक्त संघटक के पृथक्करण के लिए प्रभावी उपाय कर रही है। एन ए सी ओ के माध्यम से हम सारे देश में सरकारी क्षेत्र और स्वैच्छिक रक्त बैंकों दोनों में 82 संघटक पृथक्करण इकाईयों का वित्तपोषण कर रहे है, हालांकि यह थोड़ा महंगा है। संघटक पृथक्करण के क्षेत्र में हमारा पूरे देश में ऐसी पृथक्करण यूनिटें वित्तपोषण करने का इरादा है।

रक्त के अधिकाधिक संगत उपयोग के प्रयोजन से डाक्टरों और चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने के लिए हमने पूरे देश में पांच कार्यशालाएं आयोजित की थीं ताकि रक्त का संगत उपयोग हो, और रोगी इसका अनावश्यक उपयोग न कर सकें।

सिंथेटिक रक्त के बारे में सरकार ने अभी तक कोई उपाय नहीं किए हैं। लेकिन हम इसके बारे में विचार करेंगे वास्तव में माननीय सदस्य कुछ देर पहले बता रहे थे कि जापान में सिंथेटिक रक्त तैयार किया जाता है। हम भी इस बारे में विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदयः यह तो अच्छी बात है।

डा. अंबुमणि रामदासः माननीय सदस्य ने मैड काउ बीमारी के विषय में भी प्रश्न पूछा है। यह बीमारी ब्रिटेन (यूके) में शुरू हुई थी। जब यह रोग गाय से मानव में संक्रमित होता है, तो इसे 'वेरियेंट क्रिउत्ज्फेल्ट जैकब डिजीज' कहा जाता है। जब यह रोग किसी गाय को होता है या एक गाय से दूसरी गाय में संक्रमित होता है तो इसे मैड काउ डिसीज कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति ऐसे पशु का मांस खाता है जो ठीस के पकाया भी नहीं गया है तो यह बीमारी सीधे मानवों में संक्रमित हो जाती है परन्तु यह बीमारी एक मानव से दूसरे मानव में संक्रमित नहीं होती है। अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जब यह रोग एक मानव से दूसरे में संक्रमित हुआ हो। यह बीमारी केवल रोगग्रस्त गायों से ही मानव में संक्रमित होती है। इसलिए हम इसके बारे में भी विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद।

डा. सेनथिल।

डा. आर. सेनथिल: महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वे रक्तदाताओं के रक्त में पांच रोगों हेतु जांच कर रहे हैं। सभी रोगों में से सबसे महत्वपूर्ण 'एड्स' है। इस समय रक्तदाता के रक्त में 'एड्स' का पता लगाने के लिए 'एलीजा' परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण के द्वारा संक्रमण होने के पहले 12 सप्ताह के अन्दर 'एड्स' का पता नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए सबसे उत्तम परीक्षण आर.टी.पी.सी.आर. है। इस परीक्षण का खर्च 3800 रुपये है जबकि 'एलीजा' हेतु 100 रुपये है। इसलिए आज तक 'एलीजा' का इस्तेमाल किया जाता है। यह भी संभव है कि हम 'एड्स' वायरस से संक्रमित रक्त चढ़ा रहे हों।

मेरे प्रश्न का भाग 'क' यह है क्या सरकार भारत के सभी रक्त बैंकों में चरणबद्ध तरीके से आर टी पी सी आर लागू करेगी? मेरे प्रश्न का भाग 'ख' यह है। पश्चिमी देशों में रक्तदाता का 'एलीजा' परीक्षण किया जाता है। उसके बाद रक्त लिया जाता है और उसका भंडारण किया जाता है। तीन महीने के बाद, रक्तदाता का दुबारा 'एलीजा' परीक्षण किया जाता है। यदि वह 'नैगेटिव' पाया जाता है तभी उसका रक्त चढ़ाया जाता है। इस पर माननीय मंत्री जी की क्या टिप्पणी है?

अध्यक्ष महोदय: यह एक डाक्टर और दूसरे डाक्टर के बीच का मामला है। हम इसके विषय में कुछ नहीं जानते, कम से कम मैं तो कुछ नहीं जानता।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है कि क्या सरकार इस 'आर.टी.पी.सी.आर.' परीक्षण पर और अधिक व्यय कर सकती है। इसे 'न्युक्लिक एडिस' परीक्षण और आर.टी.पी.सी.आर. परीक्षण भी कहा जाता है।

इस परीक्षण पर औसतन 1,500 से 2000 रुपये के लगभग खर्च होता है। मैं नहीं समझता कि सरकार इस समय रक्त की सात मिलियन इकाईयों की आर.टी.पी.सी.आर. परीक्षण हेतु जांच कर सकती है। इसलिए, हमारे पास एच.आई.वी. किट्स हैं और किट्स के द्वारा हम रक्त की जांच कर रहे हैं और जब इस आर.टी.पी.सी.आर. परीक्षण का खर्च कम हो जाएगा तब हम इस पर विचार कर सकते हैं।

उन्होंने 'विंडो पिरीयड' के विषय में एक प्रासंगिक प्रश्न भी पूछा है। कभी-कभी 'विंडो पिरीयड' के दौरान रक्त ग्रहिता को रोग का संक्रमण हो सकता है और वर्तमान जांच पद्धति के अनुसार हमें इसका पता नहीं चलेगा। चूंकि इसका खर्च बहुत अधिक है, हम भविष्य में इस पर विचार करने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा लगता है कि यह एक तकनीकी मामला है।

हमारे पास एक और डाक्टर है, डा. के.एस. मनोज जो प्रश्न पूछेंगे।

डा. के.एस. मनोज: माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि सरकार देश में नागरिकों को सुरक्षित और अच्छा रक्त उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। ऐसा करने के लिए देश में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रक्त बैंक होने चाहिए। अतः, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हमारे देश के कम से कम सभी जिलों में हमारे पास सुसज्जित रक्त बैंक हैं। यदि ऐसा नहीं है तो क्या मंत्री जी देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक सुसज्जित रक्त बैंक स्थापित करने पर विचार करेंगे।

डा. अंबुमणि रामदास: वर्तमान में, देश में लगभग 2,063 रक्त बैंक हैं, उसमें से 1,020 रक्त बैंकों को नाको (राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन) का समर्थन प्राप्त है। हमारे देश में लगभग 603 जिले हैं और आज तक लगभग 580 जिलों में उच्च गुणवत्ता वाले रक्त बैंक पूर्ण रूप से कार्यरत हैं। अतः, हमें केवल 20 और जिलों में उच्च गुणवत्ता वाले सरकारी रक्त बैंक स्थापित करने हैं। हम देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक अच्छा उच्च गुणवत्ता वाला रक्त बैंक स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि हम ज्यादातर शहर के अस्पतालों में, चाहे वे सरकारी हों या सीजीएचएस के अस्पताल हों, वहां तो सुविधाएं मुहैया करा देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, ब्लड के अभाव में जब किसी मरीज को एमरजेंसी में ब्लड की आवश्यकता होती है, तो उसे शहर ले जाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी या सीजीएचएस के अस्पताल हैं, क्या वहां भी ब्लड बैंक की सुविधा मुहैया कराने की व्यवस्था पर माननीय मंत्री महोदय विचार कर रहे हैं?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हमने ये पहले रैफरल इकाईयां स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। ये इकाईयां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में है और इन्हें तालुक अथवा ब्लाक अस्पताल कहा जाता है। हम इन अस्पतालों में रक्त भंडारण की सुविधाएं आरंभ करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। आरंभ में हम आपातकालीन चिकित्सा सेवा हेतु 2000 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में यह रक्त भंडारण की सुविधा आरंभ करने जा रहे हैं। ये रक्त दान केन्द्र नहीं होंगे अपितु इन केन्द्रों में रक्त का भंडारण किया

जाएगा। इसके लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकाल हेतु रक्त भंडारण सुविधाओं के लिए हमने औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में थोडा संशोधन किया है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, लोग बड़े पैमाने पर स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करते हैं और बहुत से स्थानों पर प्रोफैशनल डोनर्स के माध्यम से भी ब्लड डोनेट किया जाता है। प्रोफैशनल डोनर्स में देखा जाता है कि काफी बीमारियां होती है लेकिन ब्लड का अभाव होने के कारण मजबूरीवश प्रोफैशनल डोनर्स से ब्लड लिया जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे डोनर्स और जो लोग बड़े पैमाने पर इस व्यापार में लगे हुए हैं, उन्हें रोकने के लिए क्या सरकार खासतौर से कोई कार्यवाही करेगी?

मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि पटना के कैपिटल टाउन में सरकारी स्तर के दो-तीन महत्वपूर्ण अस्पताल हैं। वहां पर्याप्त मात्रा में खून नहीं मिलने की वजह से मरीज प्राण तक दे देते हैं। आप ग्रामीण इलाकों में व्यवस्था करेंगे, वह बाद की बात है, लेकिन शहरी इलाकों में भी जो बड़े अस्पताल हैं, वहां ब्लड सुनिश्चित करने के लिए आप कौन से कारगर उपाय करेंगे? मैं इन दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग के संबंध में मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि 1 जनवरी, 1998 से पेशेवर रक्तदान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आजकल किसी पेशेवर रक्तदान की अनुमति नहीं है और केवल रक्त के बदले रक्तदान अथवा स्वैच्छिक रक्तदान की अनुमति है। अत:, वर्तमान में किसी पेशेवर रक्तदान का दुरूपयोग नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में रक्तदाता की बहुत सूक्ष्मता से जांच की जाती है और उससे संबंधित पूरी जानकारी ली जाती है और उसे कड़ी जांच प्रक्रिया से गुजरना होता है। उसे एक प्रश्नावली दी जाती है जो कि बहुत कड़ी है। ऐसा नहीं है कि जो कोई भी रक्तदान करना चाहे उसका रक्त ले लिया जाता है। ऐसा नहीं होता है। वह जांच प्रक्रिया से गुजरता है। जांच प्रक्रिया के दौरान ही यदि उसे कोई समस्या आती है अथवा टाइफाइड अथवा कोई अन्य बीमारी हो जाती है तो उसे तत्काल अस्वीकार कर दिया जाता है। इस प्रकार रक्तदान के दुरूपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता।

पटना के संबंध में हम यह मानते हैं कि देश के अन्य भागों की तुलना में पूरे बिहार में रक्त बैंकों की संख्या बहुत कम है। हम बिहार में रक्त बैंकों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाएंगे।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि सभी लाइसेंसशुदा रक्त बैंक दान किए गए रक्त के प्रत्येक यूनिट की पांज परजीवियों के लिए जांच करते हैं तथा उन्होंने यह भी बताया कि ये परजीवी विंडो पीरियड के दौरान अब भी संग्रहित रक्त के माध्यम से फैल रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या ये सभी सरकारी ब्लड बैंक सभी रक्त दाताओं तथा ग्रहीताओं का लेखा-जोखा रखने के लिए एक रजिस्टर बनाने के इच्छुक हैं, जिसमें वे इन रक्तदाताओं को पहचान सकें, जिन्होंने इस प्रकार का रक्तदान किया है, जिसमें विशेषरूप से एच.आई.वी. वायरस हो ताकि उन्हें अलग किया जा सके तथा उनका बाद में उपचार किया जा सके। यह रक्तदाताओं तथा ग्रहाताओं दोनों पर लागू हो।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी उत्तर दिया है कि सभी बीमारियों के लिए एक 'विंडो पीरियड' होता है। 'विंडो पीरियड' के दौरान रक्त की जांच करना बहुत महंगा साबित होता है। सभी सत्तर लाख रक्त यूनिटों की जांच करने के लिए औसतन 2,000 रुपये प्रत्येक यूनिट का खर्च आता है। ब्लड बैंकों को रक्तदाताओं तथा रक्त ग्रहीताओं दोनों के लिए रजिस्टर बनाना चाहिए। यदि कभी रक्तदाता एच.आई.वी. से संक्रमित हों तो उसकी पहचान की जा सकती है। नियमों को हाल ही में संशोधित किया गया है, जिसमें रक्तदाताओं को सूचित किया जाना चाहिए कि वह एच.आई.वी. संक्रमित है तथा उसे स्वैच्छिक परामर्श तथा परीक्षण केन्द्र में जाना पड़ेगा। दो वर्ष पहले यह भी किया जा चुका है।

श्री अलकेश दास: महोदय, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सरकार रक्त ग्रहीताओं को सुरक्षित तथा गुणवत्ता युक्त रक्त उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। ब्लड बैंकों द्वारा पांच मानदण्डों रोगों की जांच न करने पर लाइसेंस देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन मैं अब भी यह कहता हूं कि देश में रक्त संचारण से होने वाले संक्रमणों की संख्या बढ़ती जा रही है। माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में यही कहा है। ब्लड बैंकों को संक्रमण हीन व्यक्तियों से ही रक्त प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है। माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया कि सभी राज्यों में नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यशालाओं का आयोजन कौन कर रहा है? इन्हें आयोजित किये जाने की पद्धति कार्यविधि क्या है? सरकार द्वारा चिन्हित निधियों में से इस उद्देश्य हेतु कितनी निधियां अलग रखी गई हैं? इस कार्यक्रम हेतु जागरूकता लाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, इन कार्यशालाओं का आयोजन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) द्वारा राज्य एड्स नियंत्रण प्रकोष्ठ अथवा सोसाईटियों के माध्यम से किया जाता है। आज तक, मुख्य रूप से चिकित्सकों के लिए पांच बड़ी क्षेत्रीय कार्यशालाओं

का आयोजन किया गया है। आजकल, यदि कोई रोगी चिकित्सक के पास उपचार हेतु आता है जिसकी कम रक्त हानि हुई हो तो, कुछ चिकित्सक तुरंत उसे एक यूनिट खून चढ़वाने को हिदायत देते हैं जो उस स्थिति में वास्तव में आवश्यक नहीं है। रक्त का औचित्यपूर्ण उपयोग होना चाहिए तथा इसका तभी उपयोग किया जाना चाहिए जब आवश्यक हो। 'नाको' की ओर से क्षेत्रों में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।

हम देश के सभी शल्यचिकित्सकों से आग्रह कर रहे हैं कि वे शल्य प्रक्रिया जिसे 'मिनिमल एक्सेस सर्जरी' कहते हैं अथवा दूरबीन शल्यक्रिया को अधिकाधिक अपनाएं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न इन कार्यशालाओं का आयोजन करने वाले प्राधिकारियों तथा स्थान जहां इसका आयोजन किया जा रहा है के बारे में जानकारी प्राप्त करने से संबंधित था।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, 'नाको' इसका आयोजन कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय: इसका आयोजन किए जाने की आवृत्ति क्या है? इसका आयोजन कहां किया जा रहा है?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं इन सभी मुद्दों पर माननीय सदस्य को विस्तृत उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: जनसाधारण को भी इसकी जानकारी दी जाए।

डा. अंबुमणि रामदास: जी, हां।

[हिन्दी]

पाकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

+
***444. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) क्या इस अवसर पर किसी द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन समझौते के परिणामस्वरूप भारत को क्या लाभ मिलने की सम्भावना है;

(ङ) क्या पाकिस्तान अपने भू-क्षेत्र में कार्यरत आतंकवादी शिविरों को समाप्त करने के लिए सहमत हो गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सियाचिन से पाकिस्तानी सेना हटाने हेतु अपने देश की पेशकश को पुनः दोहराया है;

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(झ) इसके क्या परिणाम निकले?

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (झ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) पाकिस्तान के राष्ट्रपति, जनरल परवेज मुशर्रफ ने 16 से 18 अप्रैल, 2005 तक भारत की यात्रा की। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति मुशर्रफ ने पाकिस्तान-भारत संबंधों की सकारात्मक रूप से समीक्षा की और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय लिए-

विभाजित परिवारों के लिए मिलने व्यापार, तीर्थ यात्राओं और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए परस्पर तय स्थान सहित नियंत्रण रेखा के आर-पार बात-चीत और सहयोग बढ़ाने के लिए उपायों को जारी रखना;

श्रीनगर-मुजफराबाद बस सेवा में वृद्धि और व्यापार संवर्द्धित करने के लिए ट्रकों को इस मार्ग के उपयोग की अनुमति;

पुंछ और रावलकोट सहित अन्य स्थानों के बीच अतिरिक्त मार्गों को खोलना;

अमृतसर और लाहौर के बीच और ननकाना साहिब जैसे धार्मिक स्थलों के लिए शीघ्र बस सेवा शुरू करना;

पहली जनवरी, 2006 से खोखरापार-मुन्नाबाओ के मार्ग को पुनः चालू करना;

वर्ष के समाप्त होने से पूर्व दोनों देशों के क्रमशः मुंबई और कराची में कोंसलावास खोलना;

वर्ष में बाद में होने वाली बैठकों पर निर्णय, इन बैठकों के माध्यम से किए जाने वाले करारों और कैदियों की समस्याओं को कम करने के उपायों का समर्थन करना;

सर क्रीक और सियाचिन के दोनों मामलों का आपसी रूप से सहमत हल निकालने के इरादे से वर्तमान संस्थागत तंत्रों के माध्यम से तत्काल विचार-विमर्श शुरू करना;

पाइपलाइनों के मामले सहित क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रियों की मई 2005 में बैठक;

दोनों देशों और क्षेत्र में अधिक समृद्धि के लिए आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाना;

संयुक्त आयोग को यथाशीघ्र पुनः बहाल करना;

संयुक्त व्यापार परिषद की शीघ्र बैठक।

(ङ) और (च) राष्ट्रपति मुशर्रफ की यात्रा पर 18 अप्रैल, 2005 को जारी की गई संयुक्त घोषणा के दौरान दोनों देशों ने 6 जनवरी, 2004 को की गई संयुक्त प्रैस घोषणा में की गई वचनबद्धताओं की पुनः पुष्टि की। 6 जनवरी, 2004 को इस्लामाबाद में जारी की गई संयुक्त घोषणा में पाकिस्तान ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा था कि वह पाकिस्तान के नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का उपयोग किसी भी प्रकार के आतंकवाद के समर्थन के लिए नहीं होने देगा।

(छ) जी नहीं।

(ज) और (झ) लागू नहीं होता।

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न संख्या 444, श्री एकनाथ महादेव गायकवाड। हमने इस मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री से संपूर्ण वक्तव्य ले लिया था।

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि भारत ने पाकिस्तान को व्यापारिक रूप से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है। अगर यह सच है, तो क्या पाकिस्तान ने भी भारत को व्यापारिक रूप से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्ज दिया है?

[अनुवाद]

श्री ई. अहमदः महोदय, पाकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान उनकी माननीय प्रधानमंत्री के साथ हुई चर्चा में कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी। इसमें दोनों देशों में व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई थी। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर दोनों देशों के मंत्रियों के बीच होने वाली वार्ता में अवश्य चर्चा की जाएगी। 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' (मित्र देश) (एम एफ एन) के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन व्यापार संबंधों के संदर्भ में आपसी संबंधों के सभी पहलुओं पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

पाकिस्तान भारत को एमएफएन का दर्जा नहीं देता है। इस मुद्दे को पाकिस्तान के साथ तत्परता से उठाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया है। इसलिए, भावी चर्चाओं में इस मुद्दे को भी उठाया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः अध्यक्ष महोदय, ईरान से पाक होकर भारत में गैस की पाइप लाइन आती है, इस पर अमेरिका ने एतराज जताया था। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस मामले में कुछ ठोस निर्णय लिये गये हैं?

[अनुवाद]

श्री ई. अहमदः महोदय, हम चर्चा करने सहमत हैं। हमने पाकिस्तान के माध्यम से 'एनर्जी कारीडोर' पर चर्चा करने का सुझाव दिया है तथा पाकिस्तान के रास्ते ईरान भारत गैस पाईप लाईन पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हालांकि, हमें पाईप लाईन की वास्तविक सुरक्षा तथा आपूर्ति सुनिश्चित करने के समग्र संदर्भ में इस मुद्दे की जांच करने की आवश्यकता है। मैं इस मुद्दे पर कुछ और नहीं कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदयः श्रीमती निवेदिता माने—अनुपस्थित।

श्री रेवती रमन सिंह।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें पाकिस्तान की जेलों में युद्धबंदियों, मछुआरों तथा अन्य भारतीय नागरिकों के बंद होने तथा उनके छोड़े जाने संबंधी कोई सूचना प्राप्त हुई है? अगर हुई है, तो उसका ब्यौरा क्या है? दूसरे, क्या सियाचिन में पाकिस्तानी फौजें हटाने के बारे में भी कोई समझौता हुआ है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यह नितांत भिन्न प्रश्न है। मंत्री महोदय, पहले प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

श्री ई. अहमदः महोदय, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे थे।

अध्यक्ष महोदयः पहला प्रश्न मछुआरों की मुक्ति से संबंधित है। प्रश्न सूची में इस पर एक अलग प्रश्न है। गुजरात सरकार, इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पाकिस्तानी हिरासत में भारतीय मछुआरों की अब तक कुल संख्या 305 है। इस संख्या में मार्च, 2005 में पाकिस्तान की हिरासत में 2 गहरे समुद्री जहाजों के चालक दल के 14 लोग और तमिलनाडु के नौ मछुआरे शामिल हैं, जो फरवरी, 2005 से कथित रूप से महाराष्ट्र के समुद्री तट से लापता हैं। इनमें से ज्यादातर मछुआरे जनवरी से 16 अप्रैल, 2005 के दौरान गिरफ्तार किए गए थे। पाकिस्तान ने 6 जनवरी, 2005 को 266 भारतीय मछुआरों को मुक्त किया। 22 मार्च, 2005 को 534 मछुआरों (528+6 केरल के मछुआरे ओमान से लौटे) और अक्तूबर, 2003 से फरवरी, 2005 के बीच गिरफ्तार मछुआरों को छोड़ा। मछुआरों की मुक्ति के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता और चर्चा का यह तंत्र बरकरार है, और पाकिस्तान द्वारा भारतीय उच्चायुक्त को कन्स्यूलेट सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। यह प्रक्रिया जारी है।

अध्यक्ष महोदयः माननीय प्रधानमंत्री ने सियाचीन मुद्दे पर पहले ही एक विस्तृत वक्तव्य दिया है। बताया गया है कि सियाचीन पर चर्चा शुरू होगी।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीमः अध्यक्ष महोदय, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो काम्प्रीहेंसिव डायलाग शुरू हुआ है, हम उसकी सराहना करते हैं, पूरा मुल्क उसकी सराहना करता है। जिस तरह से दोनों देशों के बीच ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए प्रेसीडेंट मुशर्रफ की विजिट और हमारे प्रधानमंत्री जी से उनका वार्तालाप और उसके बाद जिस तरह से पाजिटिव डायलाग पर दोनों मुल्क आए हैं, उससे लोगों की और ज्यादा उम्मीदें बढ़ी है। एतमात भी डायलाग प्रोसैस में बढ़े हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो रिश्ता बना है, वह कोई व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं है, पिछले कुछ सालों से ऐसे रिश्ते बनाने की कोशिश की गई है। मैं खुद पिछले साल यू.पी.ए. सरकार के आने के बाद पाकिस्तान गया था, सरकारी तौर पर नहीं, गैर-सरकारी तौर पर गया था। वहां मैंने देखा कि कसूरी साहब और नटवर सिंह जी की बैठक के पहले जो संदेह का वातावरण था कि पता नहीं हुकूमत बदलने से कहीं हालात तो नहीं बदल जाएंगे, लेकिन यू.पी.ए. सरकार ने जो कदम उठाए हैं कि यह मुल्क का कमिटमेंट है और हम इसे और आगे बढ़ाकर ले जाएंगे, लेकिन दोनों देशों के लोगों के अंदर एक चाहत है, या उनकी अपनी कोशिश थी, जिसमें वे काफी आगे हैं। अभी भी मैं मानता हूं कि दोनों मुल्कों की हुकूमतों की कोशिशें थोड़ा पीछे हैं और जनता थोड़ा आगे-आगे जा रही है। इसलिए दोनों मुल्कों के बीच सौहार्द की स्पीड बढ़ाने के लिए, जबकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह एक दिन में नहीं होगा, धीरे-धीरे होगा, लेकिन लोगों की चाहत है और इतने दिनों की जो परेशानी है, उसे हल करने के लिए हमने जो कोशिशें की हैं और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से वे रेसीप्रोकेट हुई हैं, दोनों मुल्कों के लोग ऊपर उठ चुके थे, जबकि टेंशन बिल्ड-अप हुई थी लेकिन दोनों मुल्कों के लोगों की मांग और चाहत को जिस तरह से ऊपर उठाकर ले गये थे, वास्तविकता में इस दिशा में और भी कोशिश और काम करने की जरूरत है। हिन्दुस्तान चूंकि एक बड़ा मुल्क है, हमें किसी दूसरे मुल्क से डर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को, हो सकता है कि हिन्दुस्तान से, उनकी एग्जिसटेंस के बारे में डर हो। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या आप इसे एक्सीलरेट करेंगे, थोड़ा स्पीड-अप करेंगे? दोनों मुल्कों की अवाम की जो चाहत है, उसे मद्देनजर रखते हुए, दोनों देशों के लोगों के बीच में आने-जाने के लिए, जो वीजा दिया जाता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जैसे आपका सिटी स्पेसिफिक वीजा है, पूरी दुनिया में जबकि कंट्री स्पेसिफिक वीजा है, क्या हम इसे शुरू कर सकते हैं कि सिटी स्पेसिफिक वीजा की बजाए, कंट्री स्पेसिफिक वीजा हो, ताकि लोग आएं और अमृतसर से दिल्ली के लिए अगर वीजा हो और चंडीगढ़ में उनकी बस खराब हो जाए तो नये-नये सेंटर खोलने, कम्युनिकेशन लाइन खोलने की जो हम बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आज जो स्थिति है, उसे और भी आसान आप किस तरह से करेंगे?

विदेश मंत्री (श्री के. नटवर सिंह): महोदय, माननीय सदस्य ने जो जज्बात जाहिर किए हैं मैं बिल्कुल उसके हक में हूं और पूरी कोशिश यही हो रही है कि पिछले 57-58 सालों से चला आ रहा तनाव खत्म हो। यह तनाव खत्म हो रहा है और मैं आपसे इस बात पर भी सहमत हूं कि दोनों देशों के आवाम किसी-किसी बात में शायद दोनों देशों की हुकूमतों से भी आगे हैं। बहुत अच्छा वातावरण बना है। हाल ही में बाण्डुंग कांफ्रेंस की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुशर्रफ साहब ने जकार्ता में जो तकरीर की, उससे भी इसका सबूत मिलता है। इस तकरीर में उन्होंने एक भी ऐसी बात नहीं कही जिसे हम आपत्तिजनक कह सकें। स्वयं प्रधानमंत्री ने उनकी सराहना की थी। अभी हाल ही में क्रिकेट मैच भी हुए हैं। अगर कहीं यह सूरतेहाल होती कि हम तीन साल पहले यहां होते तो आज माहौल कुछ और ही होता। आज माहौल बदल रहा है। आप जो कह रहे हैं, उसे प्राप्त करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन संबंधों को आगे बढ़ाया जाए और बढ़ाया जाएगा क्योंकि

हमें पूरी उम्मीद है कि यह सदन और देश की जनता हमारे साथ है। हमारी कोशिश यही है कि यह दोस्ती आगे बढ़े। प्रधानमंत्री जी की और हम सबकी यही कोशिश है। दूसरी तरफ से भी यही कोशिश हो रही है। जो लोग आ रहे हैं और जो माहौल बन रहा है, उससे यह लग रहा है कि पिछले इतने सालों से जो तनाव चला आ रहा है, वह खत्म होगा और हम चाहते हैं कि आपकी शुभकामनाएं भी हमारे साथ रहें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने उत्तर नहीं दिया है।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: महोदय, मंत्री जी कन्ट्री स्पेसिफिक वीजा के बारे में भी बताएं।

श्री के. नटवर सिंह: यह डिटेल्स का सवाल है, उसमें भी हमने काफी रिलेक्सेशन दिया है। जैसे अभी एक जनवरी से नयी रेलगाड़ी शुरू करने की बात है। अगर यह माहौल बना रहता है तो कोई वजह नहीं है कि आप जैसा कह रहे हैं, उसे पूरा न किया जा सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देश और दोनों देशों के लोग और करीब आयेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने का प्रयत्न हो रहा है, यह अच्छी बात है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, वह अपनी सीट पर नहीं बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, आप अपनी सीट पर बैठिए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, अभी तो विपक्ष भी यहां नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको मुझसे अनुमति लेनी चाहिए थी।

प्रो. राम गोपाल यादव।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: महोदय, इसमें दो राय नहीं हैं और जैसा मंत्री जी ने कहा है कि दोनों देशों की जनता एक दूसरे से मिलकर और प्रेम से रहना चाहती है, इस दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं, वे प्रशंसनीय हैं लेकिन जब मुशर्रफ साहब यहां आने वाले थे, उससे पहले पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों की ओर से लगातार ऐसे बयान आ रहे थे कि पाकिस्तान एलओसी को वास्तविक सीमारेखा मानने के लिए तैयार नहीं है और न ही मानेगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत की ओर से इस तरह का कोई प्रस्ताव किया गया था, जिसके जवाब में ऐसी बात कही जा रही थी?

श्री के. नटवर सिंह: महोदय, जब सन् 1972 में श्रीमती इन्दिरा गांधी और भुट्टो साहब की बात हुई, तो उस समय यह कहा गया कि हमारे बीच जितने भी मामले हैं, वे हल होंगे और एलओसी का सम्मान किया जाएगा। उस नीति में हमारी सरकार की ओर से कोई बदलाव नहीं आया है।

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती बढ़ रही है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे बीच दुश्मनी जिस विषय को लेकर उत्पन्न हुई थी, वह है जम्मू-कश्मीर। जब सन् 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उस समय जम्मू-कश्मीर राज्य न तो भारत में था और न ही पाकिस्तान में। बाद में जम्मू-कश्मीर की जनता ने तय किया कि हमें भारत के साथ रहना है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने आक्रमण करके जम्मू-कश्मीर के कुछ एरिया पर अपना कब्जा कर लिया। अब अगर दोनों देशों के बीच दोस्ती बढ़ रही है और उसमें जम्मू-कश्मीर एक प्रमुख समस्या है, मेरी मांग है कि पाकिस्तान के पास कश्मीर का जो इलाका है, उसमें से एक इंच जमीन भी पाकिस्तान को नहीं मिलनी चाहिए। अगर दोस्ती बढ़ानी है तो पूरे का पूरा जम्मू-कश्मीर का इलाका हमारे साथ रहना चाहिए। इस संबंध में भारत की क्या भूमिका है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, आपने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। मंत्री महोदय, क्या आप उत्तर देना चाहेंगे? श्री आठवले यह आपका सुझाव है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: आप बाद में मंत्री जी से जाकर पूछ लेना।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल: महोदय, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान एक महत्वपूर्ण निर्णय, संयुक्त आयोग और संयुक्त व्यापार परिषद को शीघ्रातिशीघ्र पुनः सक्रिय करना था। क्या मैं माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि वे कौन से मुद्दे हैं जिन पर अति तत्काल विचार किया जाना है? उदाहरण के लिए, डब्ल्यू टी ओ। 2006 तक, यह डब्ल्यू टी ओ राउन्ड पूरा हो जाएगा। उस स्तर पर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सामूहिक हित की दृष्टि से मिलकर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सरकार का इन पर शीघ्रातिशीघ्र किस प्रकार कार्य करने का विचार है?

दूसरी बात, सी आई आई, फिक्की और हमारे अन्य व्यापारिक घराने कुछ मांगें करते रहे हैं कि दोनों मिशनों का व्यापार स्तर इस महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ाया जाए कि जहां हम न केवल व्यापार की पारम्परिक मदें, बल्कि नए क्षेत्रों में भी शुरूआत कर सकें, जिनमें हमारे पाकिस्तानी काउंटरपार्ट भी इच्छुक हों।

श्री के. नटवर सिंह: महोदय, यदि मुझे ठीक-ठीक याद है तो भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त आयोग की स्थापना 1982 में हुई थी। उस समय में पाकिस्तान में भारत का राजदूत था— मैं शायद कुछ महीनों के लिए बाहर था। इसकी तीन बैठकें हुई थी। लेकिन 1989 से इसकी कोई बैठक नहीं हुई। भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच हाल में हुई बैठक के दौरान संयुक्त आयोग को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया और हम संयुक्त व्यापार परिषद और संयुक्त आयोग दोनों को ही शीघ्र शुरू करने वाले हैं क्योंकि कई चीजें लंबित हैं। मेरा ख्याल है कि इस माहौल में यदि संयुक्त आयोग की बैठक हो तो बहुत सारी समस्याएं जो अनसुलझी हैं उनका समाधान किया जाएगा।

[हिन्दी]

जनसंख्या नियंत्रण हेतु उच्चतम न्यायालय के सुझाव

+
***445. श्री रघुराज सिंह शाक्य:**
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार को जनसंख्या नियंत्रण हेतु एक कानून बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) जनसंख्या नियंत्रण/वृद्धि दर के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले राज्य कौन से हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में लक्ष्यों को प्राप्त न कर सकने वाले राज्यों की वित्तीय सहायता में कटौती करने अथवा रोकने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2001 की रिट याचिका सं. 302 में जावेद एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य के मामले में 30 जुलाई, 2003 के अपने निर्णय में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उन उपबंधों को सही ठहराया है जिनमें दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों के ग्राम पंचायत का सरपंच या पंच या पंचायत समिति या जिला परिषद का सदस्य बनने पर रोक लगाई गई है। माननीय न्यायालय ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि की दर भयावह है तथा इस खतरे को नियंत्रित किया जाना है तथा ऐसा कानून बनाने के लिए हरियाणा राज्य को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। दूसरे राज्यों द्वारा भी इसका अनुकरण किया जाना चाहिए।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने पहले ही वर्ष 1992 में संविधान (79वां संशोधन) विधेयक पेश किया था जिसका उद्देश्य दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन या राज्य विधान मंडल में चुनाव के लिए आयोग्य घोषित करना था। राजनीतिक दलों के बीच सर्वसम्मति बनाने के लिए यह विधेयक संसद में लंबित है।

(ग) सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में प्रजनन स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का लाभ उठाते समय लोगों को स्वैच्छिक एवं सोच समझकर विकल्प चुनने की छूट देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है। इस नीति का उद्देश्य गर्भनिरोधन, स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आधारभूत सुविधा एवं स्वास्थ्य कार्मिक की आपूरित आवश्यकताओं को पूरा करना और एकीकृत बुनियादी प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है ताकि सन् 2045 तक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने के लिए वर्ष 2010 तक कुल प्रजननता दर को प्रतिस्थापन स्तर तक लाया जा सके।

देश की आबादी को स्थिर करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इनमें राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाना, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष का पंजीकरण एवं जनांकिकीय रूप से कमजोर 8 राज्यों पर ध्यान केन्द्रित करने के वास्ते अधिकार प्राप्त कार्य दल का गठन शामिल है। सरकार ने लोगों को व्यापक प्रजनन, मातृ, बाल स्वास्थ्य एवं गर्भनिरोधक सेवाएं प्रदान करने हेतु वर्ष 1997 में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया।

सरकार ने व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में देश भर में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। इसके लिए 18 राज्यों अर्थात् असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखण्ड, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू व कश्मीर पर विशेष बल दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 का उद्देश्य वर्ष 2010 तक कुल प्रजननता दर 2.1 को प्राप्त करना है। नौ राज्यों/संघ क्षेत्रों अर्थात् तमिलनाडु, केरल, गोवा, नागालैंड, दिल्ली पांडिचेरी, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़ एवं मिजोरम ने पहले ही वांछित कुल प्रजननता दर 2.1 या इससे भी कम दर प्राप्त कर ली है। ग्यारह अन्य राज्यों एवं संघ क्षेत्रों अर्थात् कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव और सिक्किम ने 3 से कम की कुल प्रजननता दर हासिल कर ली है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। देश के विशेषकर अल्पसेवित क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास एवं परिवार कल्याण सेवाओं की उन्नत पहुंच के माध्यम से ही जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। वित्तीय सहायता को कुल प्रजननता दर की प्राप्ति से जोड़ना क्षेत्र स्तरों पर विभिन्न परिवार नियोजन प्रक्रियाओं के लिए बाध्यकारी एवं निरर्थक हो सकता है जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की भावना के विपरीत है। तथापि, राज्यों को केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए योजना आयोग द्वारा उपयोग में लाए जा रहे गाडगिल फार्मूले के तहत जन्म दर एवं शिशु मृत्यु दर के स्तर को प्राप्त करने से संबंधित कार्यनिष्पादन पर जोर दिया जाता है।

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या वृद्धि देश के लिए हकीकत में बहुत हानिकारक है। उसे नियंत्रण में करने के लिए सरकार कदम भी उठा रही है। सरकार के द्वारा जो इस संबंध में उपाय किए जा रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेलों के माध्यम से हो या अन्य तरीके से हों, वहां जो दवाएं दी जा रही हैं, वे उपयोगी नहीं हैं। यह निश्चित है कि जो पिछड़े राज्य हैं, जिनमें शिक्षा का अभाव है, वहां जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि हो रही है। जो विकासशील देश हैं, वहां शैक्षणिक संस्थाओं, कालेजेज में ही शिक्षा के द्वारा इस संबंध में जानकारी दी जाती है, इस कारण उन देशों में जनसंख्या वृद्धि दर काफी कम है। हिन्दुस्तान में भी जो राज्य शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं, वहां जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम है। मैं सरकार से और मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में सभी राज्यों में स्कूल्स और कालेजेज में शिक्षा के माध्यम से शुरू से ही इसकी जानकारी दी जाए, क्या ऐसा कोई प्रावधान लाने पर वह विचार कर रहे हैं, जिससे लोगों को जनसंख्या पर नियंत्रण के बारे में जानकारी दी जा सकी और जनसंख्या वृद्धि से होने वाली हानि के बारे में भी जानकारी दी जा सके? क्या सरकार इस बारे में कोई कानून लाने पर विचार कर रही है?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। देश में जनसंख्या विस्फोट सभी स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों का आधार है। भारत परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला विश्व का पहला राष्ट्र है। इसकी शुरूआत 1951 में हुई थी।

तब से, हमने काफी लंबा सफर तय किया है। वर्ष 2000 में हमने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई थी, जिसमें काफी सारे मानक थे कि हम आने वाले वर्षों में जनसंख्या को स्थिर कैसे कर सकते हैं। हमने कुल प्रजनन दर को वर्ष 2010 तक देश में औसतन 2.1 से नीचे लाने का और 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वर्तमान रुझान के अनुसार हमने बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तीन नव-निर्मित राज्यों को सशक्त कार्य समूह (एमपावर्ड एक्शन ग्रुप) के रूप में श्रेणीबद्ध किया है। जनसंख्या में वैसा स्थिरीकरण नहीं आया है। जैसा हमने चाहा था। इसलिए, सरकार अब इस मुद्दे को उठाने के लिए बेहद सक्रिय है। मैं व्यक्तिगत रूप से सभी ईएजी राज्यों में जा रहा हूं। राष्ट्रीय विचारगोष्ठियों और क्षेत्रीय विचारगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। पिछले सप्ताह, मैं भोपाल, मध्य प्रदेश में था। हमने ग्रामीणों के स्वास्थ्य और जनसंख्या स्थिरता पर एक क्षेत्रीय विचारगोष्ठी का आयोजन किया। पड़ोसी राज्यों में कुछ स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ प्रदेश के माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री ने इसमें भाग लिया। हम इसको बहुत गम्भीरतापूर्वक ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यूपीए सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सृजित करने में बहुत सक्रिय है क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण का सीधा संबंध साक्षरता दर से है। तमिलनाडु

और केरल जैसे बेहतर निष्पादन वाले राज्यों में साक्षरता दर अधिक है और जनसंख्या दर कम है। इसलिए, हमने तमिलनाडु और केरल सहित नौ राज्यों में *2.1 से नीचे कुल प्रजनन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। हम इस उदाहरण का पालन करने जा रहे हैं। हमारे उपाय पूर्णतः स्वैच्छिक होंगे। हम बहुत ध्यान से और बहुत सुसंगठित ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में, हम मुख्यतः जागरूकता पैदा करने और उसके बाद बुनियादी ढांचा बनाने के संबंध में कई कार्यक्रम बनायेंगे।

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य: माननीय अध्यक्ष जी, हमने पूछा था कि शिक्षा के माध्यम से, कालेजों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से छोटे-छोटे बच्चों को, उनके पाठ्यक्रमों में, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जानकारी देने की व्यवस्था या प्रावधान क्या सरकार करने जा रही है।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यह मुद्दा उठाने के लिए माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। लगभग दो माह पहले, हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ चर्चा की थी। उस बैठक में, हमने स्कूल स्तर पर स्वास्थ्य पाठ्यक्रम में कुछ प्रतिमान रखे थे जबकि पाठ्यक्रम में पर्यावरण, जन स्वास्थ्य मुद्दे, सफाई, स्वच्छता, शारीरिक स्वास्थ्य, एचआईवी मुद्दे और जनसंख्या मुद्दे को भी शामिल किया जाना चाहिए स्कूल स्तर पर ही हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ समन्वयन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हरियाणा जैसे राज्यों ने जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कदम उठाए हैं, जिन्हें शायद सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया कि दो से ज्यादा बच्चे जिनके हैं, वे इलेक्शन में खड़े न हों। यह देखा गया है कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य और आर्थिक स्थिति—ये दो चीजें बहुत हद तक इस बात को तय करती हैं कि कितने बच्चे किस परिवार में होते हैं। दूसरे, जो फैमिली प्लानिंग की अन्य नीड्स हैं, जरूरतें हैं उन्हें राज्य सरकारें और भारत सरकार पूरा नहीं कर पाते हैं। तीसरे, दक्षिण भारतीय राज्यों का अनुभव रहा है कि शिक्षा और अन्य तरह की दूसरी चीजें पापुलेशन को स्टेबिलाइज्ड करती हैं। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार इस बात को किस रूप में समझ रही है कि जिस तरह के कानून हरियाणा में लाये गये हैं, वे आगे न लाये जाएं, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा गरीब तबका लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अलग हो जाता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह काफी अच्छा प्रश्न है।

डा. अंबुमणि रामदास: राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000 में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि जनसंख्या नियंत्रण अथवा जनसंख्या स्थिरीकरण के मुद्दे पर कोई बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। यू.पी.ए. सरकार की नीति भी यही है। जनसंख्या स्थिरीकरण प्रक्रिया में किसी पर भी कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। इस संबंध में हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। देश के आठ राज्य पंचायत स्तर पर दो बच्चों के मानदण्ड को अपना रहे हैं।

परन्तु हमारी नीति पूर्णतः स्वैच्छिक नीति है। हम जनसंख्या को मुख्यतः माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में प्रारंभ किए गए ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि सहित, छोटे परिवार के अन्तराल के मानदण्डों और सही उम्र में शादी के बारे में व्यापक जागरूकता के माध्यम से, नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आगामी सात वर्षों में मूलभूत सुविधाओं में काफी वृद्धि करेंगे। इस वर्ष, हम मूलभूत सुविधाओं के गठन संबंधी परियोजनाओं की सभी प्रक्रियाओं हेतु आधारशिला रखने जा रहे हैं।

वर्तमान में, यदि कोई बन्ध्यीकरण कराना चाहता है तो ऐसी बहुत कम जगह है जहां जाकर वह बन्ध्यीकरण करा ले। अतः ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हम ऐसे स्थान उपलब्ध कराएंगे। जनसंख्या स्थिरीकरण प्रक्रियाओं के लिए हम पूरे देश में कंडोम की आपूर्ति करेंगे।

श्रीमती पी. सतीदेवी: महोदय, मैं सरकार की जनसंख्या नियंत्रण और दो बच्चों के मानदण्ड की नीति से सहमत हूं। परन्तु हाल ही के आंकड़े दर्शाते हैं कि हमारे देश में लड़कियों की जन्म दर में भारी कमी आई है। केरल जैसे उच्च साक्षर राज्यों में भी मादा लिंग अनुपात में काफी कमी आई है। केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारे प्री-नेटल डायगनोस्टिक सेन्टरों ने कार्य करना शुरू कर दिया है और मादा भ्रूण हत्या वहां बहुत आम हो गई हैं।

अतः मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या नियमों का उल्लंघन करने वाले इन डायगनोस्टिक केन्द्रों के खिलाफ कोई कड़ी कार्यवाही की गई है और क्या ऐसे केन्द्रों को लाइसेन्स देते समय कोई विशेष उपाय किए जाएंगे।

डा. अंबुमणि रामदासः महोदय, सरकार देश में घटते हुए लिंग अनुपात से काफी चिन्तित है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अच्छे विकास कार्य करने वाले राज्यों में से कुछ राज्यों में भी ऐसा हो रहा है। यह अत्यन्त दुख की बात है कि देश में लिंग अनुपात की घटती दर में पंजाब का स्थान सबसे ऊपर है और उसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली है। दिल्ली का चौथा स्थान है।

परन्तु महोदय, सरकार इस संबंध में काफी कदम उठा रही है। प्री-नेटल डाइगनोस्टिक टेस्ट एक्ट में एक पूर्व धारणा है कि केवल लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति ही इन प्रक्रियाओं को कर सकते हैं। हम बहुत सक्रियता से इस ओर प्रयास कर रहे हैं।

वास्तव में, गत तीन महीनों में हमने पी.एन.डी.टी. अधिनियम के शासी निकाय की दो बैठकें की थीं और हम इस दिशा में कई कदम उठा रहे हैं। अतः हम इस संबंध में काफी चिन्तित हैं। अब हम यह कोशिश कर रहे हैं कि सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी अग्रगामी परियोजना के रूप में स्थानीय राज्यों में इसकी निगरानी करें और इसे वहां सख्ती से लागू करें। परन्तु इस अधिनियम को लागू करने में कुछ व्यावहारिक समस्याएं हैं। हम लगातार निगरानी कर रहे हैं। मैं पूरे देश के विशेषज्ञों की भी सलाह ले रहा हूं।

अतः सरकार पूरी सक्रियता से लिंग अनुपात के इस अंतर को कम करने के लिए सभी कदम उठा रही है।

[हिन्दी]

डा. तुषार अमर सिंह चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हाल में गुजरात सरकार ने एक ऐसा बिल पारित किया है कि जिसके दो से अधिक बच्चे होंगे, वे कार्पोरेशन और पंचायत के चुनाव नहीं लड़ सकते। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार भी ऐसा कोई बिल लाने की सोच रही है और इस बारे में उसकी क्या प्रतिक्रिया है?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदासः महोदय, मैंने प्रारंभ में स्पष्ट रूप से यह बताया था कि सरकार की नीति स्वैच्छिक नीति है। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं की जाती है। हमारी यही नीति है।

अध्यक्ष महोदयः बहुत अच्छा।

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूदः अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि जो डेटाज आज दिए जा रहे हैं, जब मैं मंत्री था, उस समय भी ये डेटाज दिए गए थे। मेरा उस समय भी यही सुझाव था और यह बात रिकार्ड में है कि मैं इन ब्यूरोक्रेटिक डेटाज से एग्री नहीं करता हूं। अब संविधान में संशोधन होने के बाद विलेज पंचायत लैवल से लेकर पार्लियामैंट के मैम्बर्स तक सब कान्स्टीट्यूशनली इनवाल्व हो गए हैं। क्या मंत्री जी इलैक्टोरल ला में डिसक्वालिफिकेशन क्लाज को ऐड करेंगे, जिसके लिए ज्यादा संविधान में या कहीं और संशोधन करने की जरूरत नहीं है। आप इसे पालिटिशियन्स से शुरू करें ताकि ग्राम पंचायत से पार्लियामैंट के मैम्बर्स तक, जो लोग फैमिली प्लानिंग के नार्म्स को फुलफिल नहीं करते हैं, वे डिसक्वालिफाई हो जाएं। मैं समझता हूं कि आज जो सबसे बड़ी समस्या है, वह इससे साल्व हो जाएगी। क्या मंत्री जी इस मामले में गौर करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः वे पहले ही यह बता चुके हैं कि सरकार इससे सहमत नहीं है।

श्री रशीद मसूदः क्या सरकार इस पर विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदयः नहीं। उन्होंने बताया है कि सरकार इससे सहमत नहीं है। उन्होंने इसे पहले ही पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है। यदि इससे कोई संबद्धता होती तो मैं इससे सहमत हो जाता।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजनः महोदय, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी। पहले जो फैमिली प्लानिंग के डाक्टर गांव में जाकर आपरेशन करते थे, उनमें दो-तीन ऐसे केस हुए, जिनमें इन्फैक्शन के कारण किसी महिला या किसी पुरुष की मृत्यु हो गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और उसकी एक जजमेंट आई। उसमें ऐसे नियम बनाने के लिए कहा गया, जिसके अनुसार ऐसे आपरेशन के समय सीनियर सर्जन या एमडी उपस्थित होना चाहिए और पूरे इंस्ट्रुमेंट होने चाहिए। इसके साथ ही यह कहा गया कि अस्पताल आदि में जितने बैड होंगे, आप उतने ही आपरेशन कर सकते हैं। यह नियम तो सही है, लेकिन मैं कल ही अपने क्षेत्र से आई हूं, वहां मेरी बात तीन-चार डिस्ट्रिक्ट के डाक्टरों से हुई। उनका कहना है कि ऐसा रूल बनने से, गांव में, इन्टीरियर में जब नार्मल एमबीबीएस डाक्टर भी नहीं जा पाते हैं, कोई डाक्टर एमडी होने के कारण, ऐसे डाक्टर्स को वहां नहीं ले जा पा रहे हैं और इंस्ट्रुमेंट भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इस तरह जो रिक्वायरमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बताई है, वह फुलफिल नहीं हो पा रही है। इस कारण डाक्टर वहां जाने से डर रहे हैं जिससे वहां परिवार नियोजन के आपरेशन बंद हो गए हैं। उनके ग्राफ के हिसाब से, एक दिन में जो 15-15 तक आपरेशन

करते थे, लेकिन आज वहां एक भी डाक्टर आपरेशन करने जाने को तैयार नहीं हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, उसका क्या आल्टरनेट सोचा गया है, जबकि नार्मल डाक्टर इन्टीरियर में नहीं जाता है, परिवार नियोजन के आपरेशन के लिए जो नियम बने हैं, जो कुछ उसमें कहा गया है, आप उन्हें गांव में किस तरह से फुलफिल करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है।

डा. अंबुमणि रामदास: सर्वप्रथम, कोई भी डाक्टर किसी भी मरीज को स्वेच्छा से नुकसान या गंभीर चोट नहीं पहुंचायेगा।

अध्यक्ष महोदय: हम भी यही आशा करते हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: मैं देश के सभी डाक्टरों की ओर से आपको इसकी गारन्टी दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं इससे सहमत हूं।

डा. अंबुमणि रामदास: दूसरे, हाल में न्यायपालिका हमारे मंत्रालय के कार्यकरण में काफी दखलअंदाजी कर रही है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: इसका मुख्य कार्य शपथपत्र दायर करना है।

डा. अंबुमणि रामदास: हाल ही में उच्चतम न्यायलय ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि एक स्त्री रोग विशेषज्ञ जो पहले ही तीन वर्ष का प्रशिक्षण ले चुका है उसे बन्ध्यीकरण प्रक्रिया करने के लिए पुनः पांच वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा। मुझे नहीं लगता कि विश्व में कहीं भी इस प्रकार की स्थिति है क्योंकि एक स्त्री रोग विशेषज्ञ पहले ही प्रशिक्षित व्यक्ति होता है। वह एक स्नातकोत्तर डाक्टर होता है जो पहले ही तीन वर्ष का प्रशिक्षण ले चुका होता है और उस अवधि के दौरान उसने कई शल्यचिकित्सा, नसबंधी और बन्ध्यीकरण प्रक्रियाएं की होती हैं। एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए बन्ध्यीकरण प्रक्रिया सबसे आसान प्रक्रिया है। बन्ध्यीकरण प्रक्रिया के लिए पांच वर्ष का प्रशिक्षण लेना व्यावहारिक मत नहीं है। हम यह न्यायालय की जानकारी में लाएंगे और इस संबंध में विचार करेंगे क्योंकि हम इस विचार से सहमत नहीं हैं। हम इसे न्यायालय में उठाएंगे। स्त्री रोग विशेषज्ञ एक प्रशिक्षित व्यक्ति होता है।

अध्यक्ष महोदय: यह एक अच्छा उत्तर है।

डा. सुजान चक्रवर्ती: जनसंख्या का प्रश्न देश का काफी गंभीर प्रश्न है और सरकार स्पष्टतया इसे सही दिशा में ले जा रही है। मैं एक बात कहना चाहूंगा। इस संबंध में कई कदम उठाए गए हैं परन्तु यह केवल स्वास्थ्य मंत्रालय से ही संबंधित नहीं है क्योंकि इसमें स्कूलों और कालेजों में शिक्षा का प्रश्न, सामाजिक-आर्थिक आदि का प्रश्न भी शामिल है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। संभवतः गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जनसंख्या अधिक है। ये सभी मुद्दे एक सकारात्मक तरीके से उठाए जाने चाहिए। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या वह योजना आयोग या जो भी अन्य संस्था बनाई जाएगी से इस मुद्दे को जनसंख्या नियंत्रण हेतु न सिर्फ प्रोत्साहन के लिए बल्कि इन सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक लक्ष्य पद्धति (मिशन मोड) के रूप में लेने का प्रस्ताव करने जा रहे हैं? इस संबंध में सरकार क्या करने पर विचार कर रही है।

डा. अंबुमणि रामदास: हमारे प्रधानमंत्री देश में जनसंख्या के विस्फोट के बारे में काफी चिन्तित हैं। वे सारी प्रक्रिया के दौरान हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अतः हमारे पास जनसंख्या संबंधी एक राष्ट्रीय आयोग है जो 3-4 वर्ष पहले बनाया गया था। उस समय इस आयोग में कई लोग शामिल थे। हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद हमने इस आयोग का आकार घटाया है। पहले यह योजना आयोग के नियंत्रणाधीन था परन्तु अब यह हमारे पास है।

स्वास्थ्य मंत्रालय को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का कार्य सौंपा गया। इसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री हैं। हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय का सहयोग प्राप्त किया है। इसलिए ये सभी मंत्रालय इस बारे में कार्यरत हैं।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हम इस तरफ पूरी गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। हम इस चुनौती को एक मिशन के रूप में ले रहे हैं। यहां छोटे से आंकड़े के बारे में चर्चा करना संगत होगा। यदि जनसंख्या की वृद्धि की यही दर रही तो हम 2:1 का पूर्ण प्रजनन दर का लक्ष्य 2017 तक ही पूरा कर पायेंगे जबकि हमें यह लक्ष्य 2010 तक ही प्राप्त कर लेना चाहिए था। हमारा लक्ष्य है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर में 2045 तक स्थिरता लाने का प्रस्ताव है। जनसंख्या वृद्धि की दर यदि यही रही तो देश की जनसंख्या 2045 तक 180 करोड़ हो जाएगी, मेरे विचार से देश इतनी अधिक जनसंख्या का भार उठा नहीं सकेगा। इसलिए हम इस बारे में चिन्तित हैं। हम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से इस क्षेत्र में काम करने के साथ-साथ और भी कई उपाय कर रहे हैं।

श्री नवीन जिंदल: हम सब महसूस करते हैं कि देश की जनसंख्या में इतनी तेजी से वृद्धि भयानक समस्या है। सभी राजनीतिक दल भी यही अनुभव करते हैं कि इस बारे में और भी बहुत से

प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में जिन प्रयासों के बारे में बताया है उनकी हम सराहना करते हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से इतना ही जानना चाहता हूं कि इस विषय पर सभी राजनीतिक दलों को एकमत करने का क्या कोई तरीका है? जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है 2045 तक हमारे देश की जनसंख्या 180 करोड़ तक पहुंच जाएगी जिसका देश भार नहीं उठा सकता। इसलिए क्या सरकार सभी राजनीतिक दलों को एकमत करने का प्रयास कर रही है ताकि सब मिलकर जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता लाने के लिए मिलजुल कर प्रयास कर सकें।

डा. अंबुमणि रामदास: हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दलों को इस बारे में एकमत किया जाए। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री इस मामले पर देश का नेतृत्व करेंगे। यदि हम आम राय बना लेंगे तो सारे देश के सामने यह उदाहरण होगा कि हम सभी इस बारे में बहुत गंभीर हैं।

डेंगू और मलेरिया के मामले

***446. श्री सनत कुमार मंडल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और आज की तिथि तक देश में डेंगू और मलेरिया के राज्यवार कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) क्या गत दो वर्षों की तुलना में इन मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) डेंगू और मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए क्या निवारणात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार डेंगू और मलेरिया के रोगियों की राज्यवार संख्या अनुबंध-I व II में दी गई है।

पिछले दो वर्षों से मलेरिया की घटना-दर में कमी का रुझान दिखाई दे रहा है। वर्ष 2002 के दौरान सूचित किए गए पाजिटिव रोगियों की कुल संख्या 1.84 मिलियन थी जो वर्ष 2004 में कम होकर 1.74 मिलियन रोगी हो गई है।

पिछले 2 वर्षों के दौरान डेंगू की घटना-दर घटती-बढ़ती रही है। यद्यपि वर्ष 2002 के दौरान सूचित किए गए रोगियों की संख्या की तुलना में वर्ष 2003 में सूचित किए गए रोगियों की संख्या अधिक थी, तथापि वर्ष, 2003 में डेंगू के रोगियों की संख्या की तुलना में वर्ष 2004 में डेंगू के रोगियों की संख्या में कमी हुई है।

मलेरिया और डेंगू जैसे वैक्टर जन्य रोगों का घटना-बढ़ना पर्यावरणिक स्थितियों अर्थात् तापमान, वर्षा, स्थलाकृति और विकासात्मक कार्यकलापों पर निर्भर करता है क्योंकि इनसे मच्छर जनन की स्थितियां उत्पन्न होती हैं।

मलेरिया के नियंत्रण की कार्यनीतियों में सामुदायिक सहभागिता से सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण, सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण के अतिरिक्त रोगियों की निगरानी, उनका शुरू में ही निदान और शीघ्र उपचार, कीटनाशी, उपचारित मच्छरदानियों सहित घरों में अवशिष्ट छिड़काव सहित अनवरत वेक्टर नियंत्रण, लार्वाभक्षी मछली इत्यादि का प्रयोग शामिल है। मलेरिया की रोकथाम के लिए भारत सरकार अनुमोदित नीति के अनुसार औषधें, कीटनाशक और लार्वानाशक प्रदान करती है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारी इस कार्यक्रम को कार्यान्वित और मानीटर करते हैं और राज्य सरकारें प्रचालन लागतें वहन करती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को दिसम्बर, 1994 से प्रचालनात्मक लागत सहित कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जा रही है। सिक्किम राज्य को वर्ष 2003 से ऐसी सहायता के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के भाग के रूप में शामिल किया गया है। आठ राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के 100 जिलों, जिनमें सबसे अधिक आदिवासी रहते हैं, के 1045 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दिसम्बर, 1997 से विश्व बैंक की सहायता से उन्नत मलेरिया नियंत्रण परियोजना (ई एम सी पी) के अंतर्गत प्रचालनात्मक व्ययों सहित अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, मलेरिया-रोधी कार्यकलापों अर्थात शुरू में ही निदान और शीघ्र उपचार, कीटनाशी उपचारित मच्छरदानियों को बढ़ावा देने और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से आचरण परिवर्तन, सम्प्रेषण संबंधी कार्यकलापों को तेज करने के लिए एड्स, क्षय रोग और मलेरिया हेतु वैश्विक निधि (जी एफ ए टी एम) द्वारा वित्त-पोषित तीव्रीकृत मलेरिया नियंत्रण परियोजना (आई एम सी पी) के अंतर्गत सात पूर्वोत्तर राज्यों, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को शामिल कर लिया गया है।

डेंगू के नियंत्रण के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:-

* रोग और वैक्टर निगरानी।

* रोगी उपचार।

* रोगियों की शुरू में ही सूचना देना।

* सामुदायिक सहभागिता सहित मुख्यतया स्रोत कम करके वैक्टर नियंत्रण।

* सामुदायिक जागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण अभियान और स्रोत कम करने के कार्यकलापों में उनकी सक्रिय सहभागिता तथा वैयक्तिक सुरक्षा संबंधी उपाय।

अनुबंध I

डेंगू के रोगी और मौतें

क्र.सं.	राज्य	2002		2003		2004		2005	
		ग	घ	ग	घ	ग	घ	ग	घ
1.	आंध्र प्रदेश	61	3	95	5	230	1	0	0
2.	बिहार	1	0	0	0	0	0	0	0
3.	चंडीगढ़	15	0	0	0	0	0	0	0
4.	दिल्ली	45	2	2882	35	606	3	0	0
5.	गोवा	0	0	12	2	3	0	0	0
6.	गुजरात	40	0	249	9	117	4	0	0
7.	हरियाणा	3	0	95	4	25	0	0	0
8.	कर्नाटक	428	1	1226	7	291	2	14	0
9.	केरल	219	2	3546	68	686	8	73	1
10.	महाराष्ट्र	370	18	772	45	856	22	0	0
11.	सिक्किम	0	0	0	0	12	0	0	0
12.	पंजाब	27	2	848	13	52	0	0	0
13.	राजस्थान	325	5	685	11	207	5	0	0
14.	तमिलनाडु	392	0	1600	8	1027	0	0	0
15.	उत्तर प्रदेश	0	0	738	8	8	0	0	0
16.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	32	0	0	0
17.	पांडिचेरी	0	0	6	0	0	0	0	0
18.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	1	0	0	0
	कुल	1926	33	12754	215	4153	45	87	1

अनुबंध II

मलेरिया की स्थिति

राज्य/संघ क्षेत्र	2002		2003		2004*		2005*	
	पाजीटिव रोगी	पीएफ रोगी	पाजीटिव रोगी	पीएफ रोगी	पाजीटिव रोगी	पीएफ रोगी	पाजीटिव रोगी	पीएफ रोगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	38053	21416	35995	20684	33856	18104	3346	2032
अरुणाचल प्रदेश	46431	7080	34810	5870	5487	738	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
असम	89601	55825	76570	48668	43813	31168	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
बिहार	3683	1705	2652	1080	1720	304	8	3
छत्तीसगढ़	235434	170487	194419	144028	175579	134255	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
गोवा	16818	3655	11370	1638	7839	1387	555	69
गुजरात	82966	16244	130744	31697	220630	65688	4577	2127
हरियाणा	936	41	4374	500	10008	168	70	11
हिमाचल प्रदेश	176	0	133	7	126	7	1	0
जम्मू-कश्मीर	455	10	320	11	242	8	4	0
झारखंड	126589	52892	118902	37482	73893	36189	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
कर्नाटक	132584	29702	100220	23560	80643	20374	9229	2099
केरल	3360	375	2575	440	2985	375	–	–
मध्य प्रदेश	108818	31545	99708	31390	127123	49281	3943	2008
महाराष्ट्र	45568	14634	62947	30340	69992	30019	5619	3010
मणिपुर	1268	601	2589	1168	2539	731	99	24
मेघालय	17918	11095	18366	12338	16576	14220	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
मिजोरम	7859	3932	7293	4167	7830	4170	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
नागालैंड	3945	234	3370	277	2049	116	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
उड़ीसा	473223	393547	421323	350619	372960	312978	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
पंजाब	250	18	379	35	1630	21	10	2
राजस्थान	68627	5356	142738	16481	104218	7263	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
सिक्किम	53	7	278	41	160	33	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
तमिलनाडु	34523	2520	43604	3758	41686	2800	6085	389
त्रिपुरा	13319	10863	13807	10800	16600	12391	933	744
उत्तरांचल	1659	120	2350	265	1255	36	31	1
उत्तर प्रदेश	90199	2512	101411	2404	81142	1533	1265	50
पश्चिम बंगाल	194421	60726	233802	76864	220853	60262	6771	2448
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	865	158	753	148	679	119	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
चंडीगढ़	157	6	84	5	199	6	5	0
दादरा व नगर हवेली	493	100	468	106	787	202	61	2
दमन व दीव	173	32	141	21	118	18	5	0
दिल्ली	694	6	839	27	521	1	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
लक्षद्वीप	8	0	6	0	2	0	0	0
पांडिचेरी	103	2	63	2	43	1	4	0
अखिल भारत कुल	1841229	897446	1869403	257101	172583	804936	42621	15029

*अनन्तिम

@अब तक प्राप्त

श्री सनत कुमार मंडल: मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि 'ग्लोबल फण्डस' द्वारा तपेदिक, मलेरिया और मलेरिया-रोधी कार्यकलापों हेतु राज्यवार कितनी-कितनी निधि आबंटित हैं। मैं मलेरिया के कारण विगत तीन वर्षों में देश में हुई मौतों की संख्या भी जानना चाहूंगा।

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: वर्ष 2002 और 2004 में 18.5 लाख मामले दर्ज किए गए थे। जिनमें से 17.4 लाख मामले भारत में दर्ज किए गए थे। भारत में दर्ज मामलों की संख्या में कमी आ रही है। मैं इसके बारे में अन्य जानकारी इसके बारे में माननीय सदस्य को बाद में बताऊंगी।

श्री सनत कुमार मंडल: मैं जानना चाहता हूं कि क्या डेंगू ज्वर पर नियंत्रण पाने के लिए विश्व बैंक या किसी अन्य विदेशी संस्था से सहायता की मांग की गई है? यदि नहीं, इसका ब्यौरा क्या है?

अध्यक्ष महोदय: आप 'यदि नहीं' कह कर क्या पूछ रहे हैं? आपका प्रश्न क्या है? आप फिर से प्रश्न पूछिए।

श्री सनत कुमार मंडल: मैं जानना चाहता हूं कि क्या डेंगू को नियंत्रित करने के लिए विश्व बैंक अथवा किसी विदेशी संस्था से सहायता मांगी गई है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आपने डेंगू को नियंत्रित करने के लिए कोई सहायता प्राप्त की है?

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: मलेरिया पर नियंत्रण हेतु एक ग्लोबल विधि अवश्य है। किंतु यह पूरी तरह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है।

अध्यक्ष महोदय: क्या इससे डेंगू से बचाव हो पाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): यह पूरी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर संचालित रोगवाहक बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, जापानी इन्सेफलाइटिक और काला आजार बीमारियों की रोकथाम की जाती है यह विश्व बैंक परियोजना का एक भाग है और हमें उनसे इसके लिए निधियां प्राप्त होती हैं।

प्रश्न संख्या 447—श्री हरिन पाठक—उपस्थित नहीं है।

गेटवे पत्तनों की स्थापना

***448. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में भारत आने वाले कंटेनरों को भारत में पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में पड़ोसी पत्तनों से दूसरे जहाजों में लादना पड़ता है, जिससे विलम्ब होता है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लागतें बढ़ जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कंटेनर-ढुलाई की व्यवस्था करने हेतु गेटवे पत्तनों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) इस बारे में विवरण इस सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) यह अनुमान है कि भारत से जाने वाला अथवा भारत के गंतव्य स्थानों को आने वाला लगभग 40% कंटेनर जहाजी माल, भारत से बाहर स्थित पत्तनों, मुख्यत: कोलम्बो, सिंगापुर, दुबई और सलल्लाह पर यानांतरित किया जाता है, जिसमें भारतीय व्यापार के संबंध में संव्यवहार से संबंधित अतिरिक्त लागत लगती है। यह मुख्य रूप से कंटेनर जहाजी माल की अपर्याप्त मात्रा और अधिकांश भारतीय पत्तनों पर कंटेनरों को संभालने से संबंधित अत्याधुनिक सुविधाओं का उपलब्ध नहीं होना और पर्याप्त डुबाव की कमी के कारण है। फिर भी, पश्चिमी तट पर जवाहरलाल नेहरू पत्तन और पूर्वी तट पर चेन्नई पत्तन पर बड़े आकार के जलयानों का आना सुकर बनाने की दृष्टि से इन पत्तनों को गेटवे पत्तनों के रूप में विकसित करने का निर्णय किया गया है। मुख्य मार्गों के जलयानों ने इन पत्तनों पर आना पहले ही शुरू कर दिया है। इसके अलावा, कोचीन-पत्तन-न्यास ने, उपर्युक्त पत्तन पर अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर यानांतरण टर्मिनल विकसित करने और उसे संचालित करने के लिए, दुबई पोर्टस इंटरनेशनल, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात की एक सहायक कंपनी, इंडिया गेटवे टर्मिनल प्रा.लि. से एक लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इन उपायों से कंटेनर जहाजी माल के यानांतरण के संबंध में भारतीय व्यापार की भारत से बाहर के पत्तनों पर निर्भरता बहुत हद तक कम हो जाएगी।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: महोदय, उत्तर में कहा गया है कि सरकार ने पश्चिमी तट पर स्थित जवाहर लाल नेहरू पत्तन तथा पूर्वी तट पर स्थित चेन्नई पत्तन को गेटवे के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। क्या इस परियोजना को कार्यान्वित करने की गति में तेजी लाने के लिए कोई कार्य योजना है? यह परियोजना कब तक पूरी की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: संक्षेप में उत्तर दीजिए।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, जवाहर लाल नेहरू पत्तन मुम्बई में स्थित है। यह गेटवे पत्तनों में से एक पत्तन है। चेन्नई पत्तन भी ऐसा ही गेटवे पत्तन है। मुख्य मुद्दा बड़े जहाजों को पत्तन की बंदरगाह पर प्रवेश कराने का है और ऐसा करने के लिए पत्तन पर समुद्र की गहराई अधिक होनी आवश्यक है।

जहां तक भारतीय पत्तनों का संबंध है देश में 12 मुख्य पत्तन हैं और सभी पत्तनों में से केवल इन्हीं दो पत्तनों को गेटवे पत्तन के रूप में विकसित किया जाना है। इसलिए हम इन पत्तनों पर समुद्र को गहरा करने के लिए अनेक उपाय कर रहे हैं। इसी प्रयोजन से जहाज डुबाव स्तर में गहराई होनी चाहिए। यह गहराई 12 मीटर से अधिक होनी चाहिए। मैंने सभी पत्तन के चेयरमैनों को कहा है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए जोर-शोर से उपाय करें कि पत्तन क्षेत्रों को ही नहीं वरन् जलमार्ग को भी गहरा किया जाए।

इसलिए इस प्रयोजन के लिए मुझे सबको विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री के समर्थन की आवश्यकता है जिनका यातायात के सभी साधनों के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण है। उनका नागरिक विमानन और रेलवे के प्रति समान रूप से व्यावहारिक दृष्टिकोण है।

अध्यक्ष महोदय: नौवहन के लिए भी यही दृष्टिकोण होना चाहिए।

श्री टी.आर. बालू: मुझे इनके समर्थन की आवश्यकता है। मुझे न उनके समर्थन की बल्कि पूरे मंत्रिमंडल के समर्थन की भी आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जहां तक पत्तन न्यासों का संबंध है, उनके पास रखरखाव और तलकर्षण के लिए काफी बड़े पैमाने पर निधियां उपलब्ध रहती हैं। किन्तु यहां पूंजी निकर्षण किए जाने का प्रश्न है। यदि पत्तन न्यास को उपलब्ध निधि का इसके लिए प्रयोग किया जाएगा तो विस्तार परियोजनाओं हेतु कोई निधि उपलब्ध नहीं रह पायेगी। इसलिए मुझे सबसे, विशेषकर प्रधानमंत्री से समर्थन की आवश्यकता है। यह सही है कि हम नये राष्ट्रीय समुद्र विकास कार्यक्रम के लिए भी काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: हम केवल आपके निवेदन में ही शामिल हो सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

लैंडलाइन और मोबाइल फोन सेवा

***441. श्री हंसराज जी. अहीर:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जनजातीय और नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में तहसील स्तर पर लैंड लाइन और मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध कराने में किसी समस्या का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने उपरोक्त क्षेत्रों में लैंड लाइन और मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कम आय प्राप्ति वाले स्थानों में दूरभाष केन्द्र स्थापित नहीं किये जायेंगे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण, जनजातीय और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लैंड लाइन और मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध कराने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) से (ग) जी, हां। कुछ सर्किलों में नक्सलियों ने टेलीफोन एक्सचेंजों को जलाया/पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया है और उन्हें बहाल नहीं किया जा सका। तथापि, जहां कहीं भी कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक है, भारत संचार निगम लि. उन क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(च) जी, हां। इसके लिए समयबद्ध योजना बनायी गई है।

(छ) भारत संचार निगम लि. ने, चालू वित्त वर्ष के दौरान, लैंडलाइन/डब्ल्यूएलएल पर देश के ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में क्रमश: 14 लाख और 1.27 लाख टेलीफोन कनैक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। भारत संचार निगम लि. ने, वर्ष के अंत तक, लगभग 23 मिलियन तक की क्षमता प्राप्त करने के लिए 14 मिलियन लाइनों की अतिरिक्त क्षमता से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पूर्वोत्तर आदि जैसे जनजाति प्रबल राज्यों सहित पूरे देश में मोबाइल नेटवर्क का विस्तार करने की भी योजना बनायी है। इन योजनाओं में ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास भी शामिल है जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक है।

इसके अलावा, सार्वजनिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:-

(1) जनगणना 1991 के अनुसार अभिज्ञात गांवों में मौजूदा लगभग 525000 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) के प्रचालन तथा अनुरक्षण हेतु मै. बीएसएनएल और छ: निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।

(2) देश के शेष 66822 सुविधारहित गांवों में वीपीटी प्रदान करने के लिए बीएसएनएल को आर्थिक सहायता देना।

(3) पहले से मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) प्रौद्योगिकी पर कार्यरत और 1.4.2002 से पूर्व संस्थापित 1,86,642 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को बदलने के लिए बीएसएनएल को आर्थिक सहायता देना।

(4) 2000 से अधिक जनसंख्या वाले तथा वीपीटी के अलावा सार्वजनिक फोन सुविधा रहित गावों में 46,253 ग्रामीण सामुदायिक फोनों की व्यवस्था करने के लिए बीएसएनएल तथा रिलायंस इन्फोकाम लि. को आर्थिक सहायता प्रदान करना; बीएसएनएल तथा रिलायंस इन्फोकाम लि. को क्रमश: 24794 तथा 21459 ग्रामीण सामुदायिक फोनों की व्यवस्था करनी है।

(5) नियमानुसार 1.4.2002 से पहले देश में संस्थापित लगभग 90,00,000 ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों (आरडीईएल) के लिए यूएसओ निधि से आर्थिक सहायता दी गई है।

(6) पात्र 1685 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में 1.4.2005 के बाद संस्थापित वैयक्तिक ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज

लाइनों (आरडीईएल) की व्यवस्था करने के लिए मै. बीएसएनएल, मै. आरआईएल, मै. टीटीएल और मै. टीटीएल (एमएच) को आर्थिक सहायता।

(7) 1.4.2002 और 31.3.2005 की अवधि के दौरान, देश में पात्र 1685 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में संस्थापित ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

सुरक्षित मातृत्व के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या को बेहतर बनाना

***442. श्रीमती अनुराधा चौधरीः**
मोहम्मद शाहिदः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में परिचर्या प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ उचित योजनाएं बनाने में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय का अभाव है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई मूल्यांकन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (छ) भारत सरकार ने गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या के साथ-साथ रोग प्रतिरक्षण और सुरक्षित मातृत्व सेवाओं की उपलब्धता तथा पहुंच में सुधार लाने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आरम्भ किया है। इस मिशन के अंतर्गत देश भर के ग्रामीण लोगों को कारगर स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने की व्यवस्था है जिसमें कमजोर जन स्वास्थ्य सूचकों और/या कमजोर आधारभूत ढांचे वाले 18 राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये राज्य हैं:- अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, जंम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश। यह मिशन 2005 से लेकर 2012 तक सात वर्षों की अवधि तक कार्य करेगा।

मिशन के उद्देश्यों में शामिल हैं:— शिशु-मृत्यु दर और मातृ-मृत्यु दर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य और जनसंख्या नीति के लक्ष्यों के अनुसार कमी लाना, महिलाओं का स्वास्थ्य, बाल-स्वास्थ्य, पानी, सफाई और स्वच्छता, टीकाकरण और पोषण, संचारी और असंचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण जैसी जनस्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक पहुंच जिनमें स्थानीय रूप से होने वाले रोग भी शामिल हैं, एकीकृत गहन प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच, जनसंख्या स्थरीकरण, लिंग और जनांकिकी संतुलन, स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं को फिर से अपनाना और आयुष को मुख्य धारा में लाना तथा स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। इनके अतिरिक्त, मिशन में विकेन्द्रीकरण और जिला नियोजन तथा जनसंख्या कार्यक्रमों का प्रबन्धन, सामुदायिक सहभागिता और परिसम्पत्तियों के स्वामित्व पर बल दिया गया है।

इस मिशन की प्रमुख कार्यनीतियों में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के मौजूदा स्तर 0.9 प्रतिशत को बढ़ाकर 2-3 प्रतिशत करना, स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे में क्षेत्रीय असन्तुलनों को कम करना, संसाधनों को जुटाना, संगठनात्मक ढांचे का एकीकरण, स्वास्थ्य जनशक्ति का अधिकतम उपयोग, जिला स्वास्थ्य प्रणालियों में प्रबन्धन एवं वित्तीय कार्मिकों को शामिल करना तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा देश के प्रत्येक ब्लाक में अस्पतालों के रूप में कार्य करना शामिल है।

भारत सरकार का प्रजनन एवं शिशु-स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अंग है। प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य मातृ-मृत्यु में कमी लाना तथा सुरक्षित मातृत्व सेवाओं में सुधार लाना है। इस कार्यक्रम में प्रदान की जा रही सेवाओं में अनिवार्य प्रसूति परिचर्या, आपाती प्रसूति परिचर्या, संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देना, पंचायतों के माध्यम से रेफरल परिवहन की व्यवस्था, प्रथम रेफरल यूनिटों में औषधियों और उपकरणों की व्यवस्था, अतिरिक्त सहायक नर्स मिडवाइफ (ए एन एम), स्टाफ नर्स, डाक्टर और एनेस्थेटिस्टों जैसे संविदात्मक कर्मचारियों की नियुक्ति की व्यवस्था शामिल है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रजनन एवं शिशु-स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्रदान की जा रही सेवाओं को निम्नलिखित के माध्यम से सुदृढ़ किया जाएगा:—

* जननी सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन—इसके अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल में प्रसव कराने पर गर्भवती महिला को नकद प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

* 1000 की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव के लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा) की नियुक्ति—आशा लोगों तक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं पहुंचाने में सहायता करेगी और गर्भवती महिलाओं को प्रसव-पूर्व परिचर्या, संस्थाओं में प्रसव कराने और प्रसवोत्तर जांच कराने तथा बच्चों को टीके लगवाने के काम में उसका विशेष दायित्व होगा।

* आपाती प्रसूति और बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में 2000 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा चौबीसों घंटे प्रथम रेफरल यूनिटों के रूप में कार्य करना।

* अगले पांच वर्षों में 50 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चौबीसों घंटे प्रसव सेवाएं प्रदान करने योग्य बनाना।

* प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए भारतीय जनस्वास्थ्य मानकों को लागू करके सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक मिशन संचालन समूह गठित किया गया है। जिसमें योजना आयोग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, मानव संसाधन विकास मंत्रालयीन/सचिव स्तर के प्रतिनिधि तथा चार राज्यों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामित दस जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं। यह समूह दिशा-निर्देशन प्रदान करेगा और राष्ट्रीय स्तर पर प्रचालन पर नजर रखेगा।

राज्य स्तर पर राज्य मिशन की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे और स्वास्थ्य मंत्री इसके सह-अध्यक्ष होंगे तथा राज्य स्वास्थ्य सचिव इसके संयोजक और संबंधित विभागों, गैर-सरकारी संगठनों, प्राइवेट विशेषज्ञों आदि के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। जिला स्वास्थ्य मिशन भी स्थापित करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय राज्य और जिला स्तर पर मिशन संचालन समूहों की स्थापना से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन में तालमेल रखा जाना प्रस्तावित है।

संबंधित राज्यों द्वारा तैयार की गई राज्य कार्यान्वयन योजनाओं के अतिरिक्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाता है जो उनके विकास को सहभागी बनाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसमें प्रजनन एवं शिशु-स्वास्थ्य कार्यक्रम भी शामिल है, के कारगर कार्यान्वयन के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक प्रबन्ध सूचना प्रणाली भी विकसित करने का प्रस्ताव है जिससे सभी स्तरों पर बेहतर तालमेल बनाने में सहायता मिलेगी। सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण कार्यक्रम भी तैयार किए जा रहे हैं और उन्हें राज्य सरकारों की सहायता से लागू किया जाएगा।

इस प्रकार सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमों सहित विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय के लिए इस मिशन में स्वनिर्मित व्यवस्था है।

फर्जी डाक्टरों द्वारा लोगों को ठगना

***447. श्री हरिन पाठक:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फर्जी डाक्टर विभिन्न रोगों का शर्तिया इलाज करने का भ्रामक विज्ञान देकर लोगों को ठगते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे फर्जी डाक्टरों पर रोक लगाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) रोगियों का उपचार एलोपैथी, दंत चिकित्सा विज्ञापन, होम्योपैथी, आयुर्वेद इत्यादि जैसे चिकित्सा के विभिन्न विषयों में अर्हताप्राप्त चिकित्सकों के पंजीकरण के लिए संबद्ध कानूनों के अंतर्गत गठित देश की विभिन्न चिकित्सा परिषदों द्वारा पंजीकृत अर्हताप्राप्त तथा पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा ही अनुमत है। गैर-पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा आयुर्विज्ञान की प्रैक्टिस करना चिकित्सकों के पंजीकरण से संबंधित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत एक अपराध है और संबद्ध कानूनों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तथापि, औषध एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के अंतर्गत औषध एवं चमत्कारिक उपचारों के भ्रामक विज्ञापनों पर राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रण रखा जाता है, जिसके अंतर्गत कुछ रोगों तथा विकारों के उपचार के लिए औषधों अथवा चमत्कारिक उपचारों से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन में भाग लेने पर प्रतिषेध है।

औषध एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 में संशोधन करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसका उद्देश्य इस अधिनियम के विषय-क्षेत्र का विस्तार करना तथा दण्डों को अधिक सख्त बनाना है जिससे कि विभिन्न रोगों से संबंधित भ्रामक विज्ञापन देने वाले नीम हकीमों सहित दोषियों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई की जा सके।

डाकघरों में प्रशिक्षित कर्मियों की कमी

***449. श्री वी.के. ठुम्मर:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रशिक्षित कर्मियों की कमी के कारण देश में बड़ी संख्या में डाकघर सुचारू ढंग से काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) वर्तमान डाकघरों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) देश में समस्त डाकघरों में प्रशिक्षित कर्मिक तैनात हैं। डाकघरों के सुचारू रूप से संचालन के उत्तरदायी डाक कर्मियों को उनकी नियुक्ति से पूर्व प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाता है। कर्मियों की दक्षता को अद्यतन बनाना एक सतत् प्रक्रिया है, अतः विभिन्न प्रचालनात्मक क्षेत्रों अर्थात् डाक एवं बचत बैंक काउंटर प्रचालन, ग्राहक सुविधा, नए उत्पाद एवं सेवाओं और कम्प्यूटर प्रचालनों में सेवाकाल में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डाकघरों में आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी की शुरूआत हेतु 836.27 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 7700 डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण एवं नेटवर्किंग का लक्ष्य है जिसमें से 2372 डाकघरों में पहले ही कम्प्यूटरों की आपूर्ति की जा चुकी है।

[अनुवाद]

हिमालय के हिमनदों का पिघलना

***450. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमालय के भारतीय क्षेत्र में हिमनदों की संख्या लगभग कितनी है;

(ख) क्या हिमालय क्षेत्र के हिमनद धीरे-धीरे पिघल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) डा. अरूणाचलम समिति रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(च) ऐसे कार्यक्रम किस हद तक अपने लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त कर पाए हैं; और

(छ) सरकार द्वारा हिमनदों के तेजी से पिघलाव को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) भारतीय हिमालय क्षेत्र में लगभग नौ हजार हिमनद हैं।

(ख) जी, हां। हिमालय क्षेत्र में हिमनद धीरे-धीरे पिघल रहे हैं। किये गये अध्ययनों ने यह प्रदर्शित किया है कि हिमालय क्षेत्र के हिमनद प्रतिसार (रिसेसन) की अवस्था से गुजर रहे हैं। यह एक आम तथ्य है कि हिमनद विभिन्न प्राकृतिक कारणों से जिसमें उनकी अवस्थिति वाले क्षेत्र में सूक्ष्म जलवायु में परिवर्तन भी शामिल है, सामान्य रूप से घटते-बढ़ते रहते हैं। इस समय पृथ्वी के हिमनद एक अंतर्हिमनदी चरण से गुजर रहे हैं जिसके कारण विश्व के सभी हिम-पिण्ड पिघल रहे हैं। हिमनदों का प्रतिसार एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो जलवायु के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील है। संपूर्ण विश्व में हिमनदों के प्रतिसार को बढ़ाने वाले ज्ञात कारणों में बर्फ का सामान्य से कम गिरना, भू-मण्डलीय तापमान वृद्धि हल्की सर्दी का मौसम अथवा इन सभी का मिला-जुला रूप है जो विभिन्न प्राकृतिक और मानवजनित कारणों से उत्पन्न होता है। हिमनदों का प्रतिसार एक चक्रिय प्रक्रिया है और इस समय हम उनके प्रतिसार के अंतर्हिमनदी चरण में हैं।

(ग) और (घ) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा बीसवीं सदी के प्रारंभ से हिमालय क्षेत्र में किये गये अध्ययनों, जो अभी भी जारी हैं, से यह प्रदर्शित हुआ है कि हिमालय क्षेत्र के अधिकांश हिमनद प्रतिसार (रिसेसन) के चरण से गुजर रहे हैं जो एक विश्व-व्यापी घटना है। हिमालय के विभिन्न जलवायु जोनों में प्रतिसार की दर विभिन्न वर्षों में अलग-अलग पाई जाती है। इस वर्ष 1935, 1956, 1962, 1971, 1973 से 1977, 1990 और 1996 के दौरान गंगोत्री हिमनद में ''आइस केव रिट्रीट'' दर बड़ी बर्फ गुहाओं के मामले में 10.15 एम, छोटी बर्फ गुहाओं की तीन अलग-अलग श्रेणियों के लिये क्रमशः 27.22 एम., 30.84 एम. और 28.35 एम. रही है। परन्तु भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा किये गये अध्ययन में इन हिमनदों द्वारा खाली किये गये क्षेत्र ने प्रतिसार की औसत दर में बढ़ोत्तरी प्रदर्शित की है और 1935 से इन हिमदों का 0.57 वर्ग कि.मी. क्षेत्र खाली हो गया है। वाडिया ईंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जीओलाजी ने उत्तरांचल के उत्तरकाशी जिले में डोक्रियाणी बामक हिमनद के पिघले की मानिटरिंग के लिये अध्ययन किया है। इस अध्ययन के अनुसार डोक्रियाणी नामक हिमनद प्रतिवर्ष 17 मीटर की औसत दर से घट रहा है

और हिमनद के आकार (मात्रा) में 1962 से 1995 तक इस पिघलाव के कारण 20% की कमी आई है।

(ङ) और (च) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने डा. वी.एस. अरुणाचलम समिति की सिफारिशों के अनुसार हिमालयी हिमनद विज्ञान पर अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम शुरू किया था। यह कार्यक्रम 1986-87 से जारी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हिमनदों के व्यवहार को समझने और जलवायु एवं जल-वैज्ञानिक प्रणाली के साथ उनकी अंतर-क्रिया पर अध्ययन शामिल हैं। प्रारंभ में भूरूपविज्ञान, भू-समय विज्ञान, मास-बैलेंस, अवछादन भार और बर्फ पिघलाव पर विशिष्ट अध्ययनों के लिये बहु प्रकार के आंकड़े एकत्र करने हेतु विभिन्न हिमनदों की 10 अन्वेषण यात्रायें की गईं। पिछले दो दशकों के दौरान दो बड़े हिमनदों अर्थात् गंगोत्री हिमनद और डोक्रियाणी बामक हिमनद पर ऐसे अध्ययन किये गये हैं। किये गये अध्ययनों के मुख्य क्षेत्रों में दूर-संवेदन, माइक्रोवेव दूर संवेदन, आइसोटोपी और रासायनिक अध्ययन, पूरा जलवायु/जलवायु परिवर्तन, पिछले बर्फ की मानिटरिंग एवं माडलिंग, माइक्रोबायल जैव विविधता और पर्यावरणिक गुणवत्ता अध्ययन शामिल हैं। यह कार्यक्रम हिमनद वाले स्थलों पर उनकी मानिटरिंग के लिये बहुमूल्य आंकड़े जुटाने और आधार सुविधाओं के सृजन तथा युवा अनुसंधानकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने में काफी सफल रहा है।

(छ) मानवजनित कारणों से हिमनदों के प्रतिसार को कम करने के उपायों में वानिकीकरण, कूड़ा-कचरा हटाना, हिमनदों पर मानवीय हस्तक्षेप पर प्रतिबंध और निरंतर पारिस्थितिकी अनुकूल-पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल हैं।

[हिन्दी]

रोगों के उन्मूलन में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

***451. श्री हेमलाल मुर्मु:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 2005 तक देश से कुष्ठ रोग के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है लेकिन कुछ राज्य इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) कुष्ठ रोग, मलेरिया, कालाजार और अन्य रोगों के उन्मूलन के लिए काम करने और इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा देश में इस प्रयोजन हेतु गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष-वार कुल कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ङ) इस संबंध में सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) कुष्ठ रोग और कालाजार सहित अनेक रोगों के संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 द्वारा समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ के उन्मूलन का लक्ष्य दिसम्बर, 2005 निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर हासिल किए जाने की संभावना है। वास्तव में 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पहले ही उन्मूलन स्तर प्राप्त कर लिया है।

यह मंत्रालय कुष्ठ, क्षय रोग, दृष्टिहीनता, एच आई वी/एड्स और वैक्टर जनित रोगों (जिसमें मलेरिया, कालाजार, फाइलेरियासिस, डेंगू और जे ई शामिल हैं) के मामले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम क्रियान्वित करता है। कुष्ठ क्षय रोग, एच आई वी/एड्स जैसे अनेक रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में रोग भार स्थिति पर ध्यान देने में गैर-सरकारी संगठनों और सिविल समाज की अन्य संस्थाओं की वृद्धिगत सहभागिता रही है।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम:

राष्ट्र स्तरीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्यों को सहायता अनुदान, नकद सहायता और वस्तुगत सहायता के रूप में केन्द्रीय सहायता दी जाती है। गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता सर्वेक्षण, शिक्षा तथा उपचार स्कीम के अंतर्गत सहायता-अनुदान के रूप में दी जाती है। कुष्ठ के मामले में, देश के भीतर 10 अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन कार्यरत हैं और एस ई टी स्कीम के अंतर्गत 25 राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान एस ई टी स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों को जारी किए गए अनुदान की राशि इस प्रकार है:

वर्ष	जारी किया गया अनुदान (रुपए लाख में)
2002-03	99.40
2003-04	62.00
2004-05	127.75

उचित नियोजन, कार्यान्वयन, मानिटरिंग को सुकर बनाने और समयोचित सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए देश में राज्य स्तरीय

तथा जिला स्तरीय सोसाइटियों का गठन किया गया है। आउटरीच बढ़ाने के लिए ऊर्ध्वाधर ढांचे को सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है और व्यापक पैमाने पर सूचना शिक्षा और संप्रेषण कार्यकलाप चलाए गए हैं। प्रशिक्षण और प्रभावी मानिटरिंग भी इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनिवार्य घटक हैं। राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन मूलतः सर्वेक्षण, शिक्षित करने और पाजिटिव रोगियों का उपचार करने संबंधी सरकार के प्रयासों को पूरा कर रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण तथा रेफरल सेवाओं में और विरूपता के मामलों के लिए पुनर्संचनात्मक सेवाओं के आयोजन में सहायता प्रदान करते हैं।

वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम:

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार राज्यों को तकनीकी सहायता, कीटनाशी, लार्वानाशी, मच्छरदानियां इत्यादि प्रदान करती है। राज्य सरकार अवसंरचना, कार्यक्रम क्रियान्वयन, संभार तंत्र और मानिटरिंग के लिए उत्तरदायी है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में, भारत सरकार कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रचालनात्मक लागत भी प्रदान करती है। आई एम ए कार्यक्रम के अंतर्गत परामर्शी और प्रशिक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान आई एम ए को इन कार्यकलापों के लिए जारी की गई निधियां इस प्रकार हैं:

वर्ष	इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन को जारी (रुपए में)
2001-02	6,81,036
2002-03	19,85,286
2003-04	5,03,633

भारत सरकार ने इस कार्यक्रम में गैर-सरकारी संगठनों की औपचारिक सहभागिता में वृद्धि करने के लिए वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए दिशा-निर्देशों की समीक्षा की है।

मलेरिया की प्रभावी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्न शामिल हैं:-

(1) मलेरिया रोगियों का शीघ्र निदान और तुरन्त उपचार

(2) समेकित वैक्टर नियंत्रण

(3) मलेरिया स्थानिकमारी प्रकोपों की शीघ्र पहचान और रोकथाम

(4) वैयक्तिक रोकथाम और सामुदायिक भागीदारी की ओर अभिमुख सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आई ई सी)

(5) चिकित्सीय और पराचिकित्सीय कर्मियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

(6) मानिटरिंग और मूल्यांकन

(7) प्रभावी प्रबंधन सूचना प्रणाली।

कालाजार के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम इस प्रकार हैं:

* प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के माध्यम से शीघ्र निदान और पूर्ण उपचार और घर-घर जाकर आवधिक रोगी खोज।
* प्रभावित क्षेत्रों में डी डी टी इनजोर छिड़काव द्वारा वैक्टर नियंत्रण के माध्यम से संचरण को रोकना।
* स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम

*452. **श्री जुएल ओराम:**
श्री अनन्त नायक:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या सरकार का ऐसे कार्यक्रमों के वित्त-पोषण हेतु संसाधन जुटाने का भी प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ङ) सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विकास-कार्यक्रम तैयार करने का कार्य आरंभ कर दिया है, जिसमें अगले 10 वर्षों की अवधि में शुरू की जाने वाली विशिष्ट योजनाएं और परियोजनाएं शामिल होंगी। उपर्युक्त प्रस्तावित कार्यक्रम में

कुल 1,00,000 करोड़ रु. का निवेश होने का अनुमान है। उपर्युक्त कार्यक्रम, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र को साझेदारी से कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है। सरकारी निवेशों को प्राथमिक रूप से सामान्य प्रयोक्ता से संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाएं कायम किए जाने में प्रयुक्त करने की योजना है। गैर-सरकारी क्षेत्र के निवेश, उन क्षेत्रों में किए जाने की उम्मीद हैं, जिनमें प्राथमिक रूप से वाणिज्यिक प्रकृति का काम-काज संचालित किया जाता है।

निशक्त व्यक्तियों के लिए एमबीबीएस परीक्षा देने हेतु दिशा-निर्देश

***453. श्री सुग्रीव सिंहः**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूलः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के पास अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) द्वारा आयोजित एम.बी.बी.एस. परीक्षा देने के लिए निशक्त व्यक्तियों हेतु कोई पद्धति है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एमसीआई और 'एम्स' से देश में निशक्त व्यक्तियों के लाभार्थ कोई पद्धति/दिशा-निर्देश निर्धारित करने को कहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) आवश्यक दिशा-निर्देश कब तक जारी किये जाने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एम सी आई) ने अशक्त व्यक्तियों को चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए आरक्षण संबंधी विषय की जांच की थी और शारीरिक रूप से ऐसे विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है जिनके अधः अंगों में गतिक विकृति हो। ये दिशा-निर्देश सभी चिकित्सा कालेजों को परिचालित किए गए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को एम बी बी एस पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के लिए 3% आरक्षण की व्यवस्था कर रहा है। इसमें दृष्टिहीन और बधिर व्यक्तियों पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि मेडिकल के अध्ययन और प्रैक्टिस के लिए सही दृष्टि होना परमावश्यक है। इसी प्रकार बधिरता से चिकित्सा शिक्षा के दौरान अपेक्षित कठिन प्रशिक्षण में बाधा उत्पन्न होती है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने श्री सी एस पी एन्का टोप्पो, जिसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) द्वारा एम बी बी एस की डिग्री प्रदान की गई थी, हालांकि, वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में एम बी बी एस के लिए अपने अध्ययन-पाठ्यक्रम और इंटर्नशिप के दौरान दृष्टिहीन हो गया था, के मामले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के अनुभव के आलोक में दृष्टिहीन छात्रों की जांच करने के लिए तौर-तरीकों पर विचार करने और उन्हें तैयार करने की इच्छा व्यक्त की थी। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने एक उप-समिति गठित की जिसकी बैठक 24.1.2003 को हुई तथा जिसमें जांच, मूल्यांकन और एम बी बी एस, डिग्री प्रदान किए जाने वाले दृष्टिहीन व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। समिति का दृष्टिकोण यह था कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को मेडिकल प्रैक्टिस करने और औषध का नुस्खा लिखने की अनुमति देने से लोगों का बहुत नुकसान हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पहले दृष्टिहीन हो जाता है और पहली व्यावसायिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता तो उसे उस पाठ्यक्रम से हटा देना चाहिए। ऐसा अभ्यर्थी जो पहली/दूसरी व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है और अंतिम व्यावसायिक परीक्षा में दृष्टिहीन हो जाता है तो उसे तब भी उस पाठ्यक्रम से हटा देना चाहिए क्योंकि दृष्टिहीन व्यक्ति चिकित्सा पाठ्यक्रम जारी रखने और इंटर्नशीप पूरी करने की स्थिति में नहीं रहता है। दिनांक 12.10.2004 को हुई परिषद की बैठक में परिषद की आम सभा द्वारा विधिवत अनुमोदित उप समिति की इन सिफारिशों को दिनांक 17.1.2005 के एम सी आई पत्र के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सूचनार्थ भेजा गया। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की उप समिति ने ऐसे एम बी बी एस अभ्यर्थियों के रोजगार के अवसरों का भी विश्लेषण किया है .जो अपने अध्ययन को पूरा करने के बाद दृष्टिहीन हो जाते हैं और यह सिफारिश की है कि उन्हें अध्यापन, अनुसंधान और परामर्श में रोजगार दिया जा सकता है।

यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड

***454. श्री सुबोध मोहितेः** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार "यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड" को धनराशि जारी करने में विलंब कर रही है जिससे ग्रामीण दूरभाष सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान "यूएसओ फंड" को सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) वास्तविक मांग का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) से (ग) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओ फंड) को वर्ष 2002-03 से धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। गत दो वर्षों के दौरान इस निधि को निम्नलिखित धनराशि उपलब्ध कराई गई है:

वर्ष	आवंटित धनराशि (करोड़ रु. में)
2003-04	200.00
2004-05	1314.585

(घ) वित्त वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान किए गए 200 करोड़ रु. और 1314.585 करोड़ रु. का आवंटन, क्रमशः 200 करोड़ रु. और 2700 करोड़ रु. की मांग के प्रति था।

(ङ) भारतीय तार अधिनियम, 1885 में संशोधन करके सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को सांविधिक स्थिति प्रदान की गई है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि व्यपगत न होने वाली (नान-लैप्सेबल) निधि है और इसे 1.4.2002 से प्रभावी माना गया है। संसद के अनुमोदन से सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि में जमा की जाने वाली राशियों में, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से सार्वभौमिक सेवा दायित्व के प्रति प्राप्त धन राशियां और केन्द्र सरकार द्वारा दी गई कोई भी अनुदान राशियां और ऋण राशियां शामिल हैं।

स्वास्थ्य जनशक्ति आयोजना

***455. श्री तथागत सत्पथी:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्वास्थ्य सेवा आयोजना की तरह देश में स्वास्थ्य जनशक्ति आयोजना की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्वास्थ्य सूचकांक स्वास्थ्य उपचर्या संस्थानों और स्वास्थ्य जनशक्ति उपलब्धता में अत्यधिक अन्तर्राज्यीय विसंगतियां हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की स्वास्थ्य जनशक्ति में बहुत अन्तर है;

(च) यदि हां, तो राष्ट्रीय स्तर पर एवं विभिन्न राज्यों में रोगी-डाक्टर अनुपात राज्य-वार कितना है; और

(छ) केन्द्र सरकार ने रोगी-डाक्टर अनुपात को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (छ) कमी वाले क्षेत्रों में नई अवसंरचना की संस्थापना करके और मौजूदा संस्थाओं में अवसंरचना का उन्नयन करके विकेन्द्रीकृत जन स्वास्थ्य प्रणाली तक बढ़ी हुई पहुंच की आवश्यकता को मानते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2002 में स्वास्थ्य कार्मिक शक्ति विनियोजन चिकित्सा प्रेक्टिशनरों और परा-चिकित्सा, स्टाफ दोनों के संबंध में पर भी ज्यादा जोर दिया है। नीति में स्वास्थ्य परिचर्या व्यावसायिकों की शिक्षा, जन स्वास्थ्य और परिवार चिकित्सा में विशेषज्ञों की आवश्यकता और नर्सिंग कार्मिकों को बढ़ाने विशेषकर नर्सों की तुलना में डाक्टरों/पलंगों के अनुपात में सुधार पर विशेष जोर दिया गया है।

राज्य-वार विश्लेषण दर्शाता है कि स्वास्थ्य सूचकों के संबंध में राज्यों के बीच व्यापक भिन्नताएं हैं। राज्यों के बीच ये भिन्नताएं कई कारकों के कारण हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, स्वास्थ्य अवसंरचना, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, साक्षरता के स्तर आदि शामिल हैं। डाक्टर-रोगी अनुपात एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न है जो रोग की प्रकृति, विशिष्टता की प्रकृति, अपेक्षित रोगी परिचर्या की प्रकृति अर्थात् अंतरंग/बहिरंग/पर निर्भर करते हैं। डाक्टर-रोगी अनुपात के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में एलोपैथिक डाक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:1722 है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार, पूरे देश में रोगियों की देखभाल करने के लिए डाक्टरों की पर्याप्त संख्या है, कुछ राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में अंतराल मौजूद हैं। उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों में कमी है।

चिकित्सा प्रेक्टिशनरों और परा चिकित्सा स्टाफ सहित स्वास्थ्य अवसंरचना की उपलब्धता के संदर्भ में अंतराल को भरने के लिए कदम उठाए गए हैं। 30.07.04 की स्थिति के अनुसार 25,682 एम बी बी एस छात्रों की वार्षिक दाखिला क्षमता के साथ देश में 229 मेडिकल कालेज हैं जिनमें 120 मेडिकल कालेज, 5 यूनिवर्सिटी कालेज और 104 प्राइवेट कालेज हैं। इससे डाक्टर जनसंख्या अनुपात में और ज्यादा सुधार होगा। क्षेत्रीय असन्तुलनों को दूर

करने और तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता स्वास्थ्य परिचर्या शिक्षा की दृष्टि से, देश के अल्प सेवित क्षेत्रों में 6 एम्स जैसी संस्थाएं स्थापित की जा रही हैं। एम्स जैसी संस्थाएं स्थापित करने के लिए चयनित छह राज्यों में उड़ीसा भी शामिल है। राज्य में अन्य 7 संस्थाओं को एकबारगी अनुदान द्वारा उस स्तर तक उन्नयन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एक संस्थान को उन्नयन के लिए इस सहायता हेतु कवर किया जाना प्रस्तावित है।

भारतीय मछुआरों को बचाने के लिए कूटनीतिक तंत्र

***456. श्री ए.वी. वेल्लारमिन:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसे मछुआरों की सहायता के लिए कोई व्यवहारिक कूटनीतिक तंत्र बनाया है जो अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में चले जाते हैं और हमारे कुछ पड़ोसी देशों द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो हाल ही में कितने मछुआरों को रिहा किया गया है और देश-वार कितने मछुआरे विदेशी जेलों में बंद हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मछुआरों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने संबंधी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) सरकार गिरफ्तार भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई और उनकी स्वदेश वापसी के मामले को अपने राजनयिक माध्यमों और समय-समय पर होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के दौरान संबंधित सरकारों के साथ उठाती रहती हैं।

(ख) आज की स्थिति के अनुसार 2005 में पाकिस्तान द्वारा 800 भारतीय मछुआरों—06 जनवरी को 266 और 22 मार्च 2005 को 534 मछुआरों को रिहा किया गया। सुनामी आपदा के बाद श्रीलंका ने सभी भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। लगभग 300 भारतीय मछुआरे पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। लगभग 738 भारतीय बांग्लादेश की जेलों में बंद हैं जिनमें कुछ मछुआरे हो सकते हैं, इसके अलावा छह मछुआरों को जुलाई, 2004 में गिरफ्तार किया गया।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ पकड़े गए मछुआरों के मामले से निपटने के लिए भारत और पाकिस्तान सरकारों ने भारतीय तट रक्षकों और पाकिस्तान मैरीटाइम सुरक्षा एजेंसी के बीच सहयोग करने के लिए प्रस्तावों का आदान-प्रदान किया है।

27-28 जून, 2004 को नई दिल्ली में हुई विदेश सचिव स्तरीय वार्ता के दौरान एक-दूसरे की कैद में बंद सभी मछुआरों को रिहा करने और गलती से दूर समुद्र में घुसने वाले मछुआरों और उनकी नौकाओं को बिना पकड़े छोड़ने के लिए तंत्र बनाने पर सहमति बनी।

दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की 5-6 सितम्बर, 2004 को नई दिल्ली में हुई बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय तट रक्षकों और पाकिस्तान मैरीटाइम सुरक्षा एजेंसी के बीच एक बैठक करने, जिसमें उनके बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर विचार-विमर्श करने और पकड़े गए मछुआरों के मामले को प्रभावकारी और तत्परता से निपटाने पर सहमति बनी।

27-28 दिसम्बर, 2004 को इस्लामाबाद में विदेश सचिव स्तरीय वार्ता के दौरान पुन: यह सहमति बनी कि गिरफ्तार किए गए भारतीय/पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के विषय में विदेश मंत्रालयों के माध्यम से संबंधित उच्चायोगों को तत्काल अधिसूचना उपलब्ध कराई जाएगी, एक-दूसरे के देश में पकड़े गए सिविलियन कैदियों (मछुआरों सहित) को उनकी गिरफ्तारी की तारीख से तीन महीनों के भीतर कोंसली सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और उनकी सजा पूरी होने और राष्ट्रीयता जांच के तुरंत बाद उनको तत्काल वापिस भेजा जाएगा।

15-17 फरवरी, 2005 तक विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा के दौरान, सभी भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई और उनकी नौकाओं सहित उन्हें वापिस भेजने का मामला पुन: उठाया गया।

सरकार ने तटीय प्रदेशों/संघ शासित क्षेत्रों और मछली पकड़ने वाले विभिन्न संगठों को भारतीय जल सीमा में मछली पकड़ने के लिए अपने मछुआरे को समझाने के लिए कहा गया है, ताकि वे पाकिस्तानी जल सीमा में घुसने से बच सकें और प्राधिकारी उन्हें गिरफ्तार न कर सकें।

श्रीलंका के मामले में इस विषय को भारत सरकार द्वारा उनके उच्चतम स्तर तक उठाया गया है। नवंबर 2004 में श्रीलंका की राष्ट्रपति के अंतिम दौरे के बाद पकड़े गए मछुआरों के साथ मानवीय व्यवहार करने और उनकी शीघ्र रिहाई पर जारी समझ-बूझ को जारी रखने पर निर्णय किया गया। यात्रा के दौरान किए गए निर्णयों में भटके मछुआरों से संबंधित मामलों से निपटने, उनके विरुद्ध बल प्रयोग न करने के लिए व्यवस्था बनाने और जब्त नौकाओं को शीघ्र छोड़ने और लाइसेंसधारी मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए द्विपक्षीय व्यवस्था बनाने के लिए संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक भारत-श्रीलंका संयुक्त कार्यदल भी गठित किया गया। संयुक्त कार्यदल की प्रथम बैठक 21 अप्रैल, 2005 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई।

सरकार ने जुलाई, 2004 में गिरफ्तार भारतीय मछुआरों को शीघ्र कोंसली सहायता देने और उनकी रिहाई के मामले को बांगलादेश के साथ राजनयिक माध्यमों से उठाया है। बांग्लादेश ने आश्वासन दिया है कि वे मछुआरों को शीघ्र रिहा कर देंगे और इसके तौर-तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

भारतीय जड़ी-बूटियों के संबंध में अनुसंधान

***457. श्री ई. पोन्नुस्वामी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नीम, आमलकी, हल्दी, हरड़ इत्यादि सहित भारत की अन्य जड़ी-बूटियों के संबंध में अनुसंधान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ पश्चिमी देशों द्वारा बड़े पैमाने पर भारतीय जड़ी-बूटियों पर अनुसंधान किया जा रहा है और उनका पेटेन्ट कराया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने परंपरागत दवाइयों पर अनुसंधान और मूल्यांकन करने के प्रणाली विज्ञानों से जुड़े सामान्य दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश जो परंपरागत दवाइयों की सुरक्षा और प्रभावकारिता पर जोर देते हैं तथा प्रश्नों के उत्तर साक्ष्य के आधार पर दिलाने का प्रयास करते हैं, समस्त परंपरागत पद्धतियों पर समान रूप से लागू होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विशेष रूप से भारतीय जड़ी-बूटियों पर अनुसंधान करने के दिशा-निर्देश नहीं जारी किए हैं।

(ग) और (घ) जड़ी-बूटियों पर आधारित परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों तथा औषधियों की लोकप्रियता सारे विश्व में बढ़ती जा रही है। कुछ भारतीय औषधीय पादपों के कतिपय चिकित्सीय उपयोगों के लिए पाश्चात्य देशों में पेटेन्ट दिए गए हैं। तथापि, विनिर्दिष्ट सूचना नहीं है कि कुछेक पाश्चात्य देश भारतीय जड़ी-बूटियों पर बड़े पैमाने पर अनुसंधान करके उनका पेटेन्ट करा रहे हैं।

(ङ) भारतीय जड़ी-बूटियों के परंपरागत ज्ञान का दुर्विनियोजन न होने देने के उद्देश्य से सरकार परंपरागत ज्ञान अंकीय पुस्तकालय (टी.के.डी.एल.) नामक परियोजना चला रही है। इस योजना के तहत, प्राचीन साहित्य में यथा वर्णित औषधीय पादपों के परंपरागत ज्ञान को अंकीय प्रपत्र में पांच अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं नामतः अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी, स्पेनी में लिप्यंतरित किया जा रहा है ताकि अप्रकटन करार वाले परंपरागत ज्ञान तक पहुंचा जा सके तथा पेटेन्ट के आवेदनों की जांच और अस्वीकार करने के समय अंतर्राष्ट्रीय पेटेन्ट दफ्तरों द्वारा उसे सत्यापित किया जा सके।

बुनियादी ढांचे के संबंध में योजना आयोग के सुझाव

***458. श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने बुनियादी ढांचे में भारी अंतर को समाप्त करने हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर सामूहिक और संयुक्त रूप से प्रयास किए जाने की आवश्यकता की वकालत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना आयोग के सुझावों को दोनों केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किस सीमा तक स्वीकार कर लिया गया है; और

(घ) उनको लागू करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) जी, हां। योजना आयोग ने बुनियादी ढांचे में भारी अन्तर को समाप्त करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर सामूहिक और संयुक्त रूप से कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता की वकालत की है। समय-समय पर विभिन्न अवसंरचना विकास स्कीमों की शुरूआत की गई है, जैसे कि त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (ए पी डी आर पी), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी), राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर एस वी वाई), राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एन एच डी पी) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई)।

अधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए प्रयासों को तेज किया गया है और केन्द्र सरकार ने अब केन्द्रीय बजट (2005-06) में अनेक नई अवसंरचना विकास पहलों का प्रस्ताव किया है, जैसे कि भारत निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम), पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ) और राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (एन यू आर एम)। इन स्कीमों के अंतर्गत, निधियां केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित की जाएंगी और राज्यों को आवश्यक नीति और/अथवा

संस्थागत सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार ने अवसंचना से संबंधित सभी मुद्दों का व्यापक रूप से समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक ''अवसंरचना संबंधी समिति'' और दूसरी ''ग्रामीण अवसंरचना'' समिति का भी गठन किया है।

दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन

***459. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:**
श्री असादुद्दीन ओवेसी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और उत्तरदायी नौकरशाही प्रदान करने के लिए एक और प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो नई एआरसी की संरचना और इसके विचारार्थ विषय क्या होंगे;

(ग) क्या नया आयोग भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में सुधार तक सीमित रहेगा अथवा सरकार के सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र पर लागू होगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आयोग का पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय सरकारों की भूमिका की जांच करने का भी प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकारी विभागों की बाह्य लेखापरीक्षा की विधियों को संस्थागत बनाने का भी प्रस्ताव है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ञ) क्या आयोग द्वारा सरकारी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों और समुदायों को शामिल करने के मामले पर भी विचार किया जाएगा; और

(ट) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां। भारत सरकार ने लोक प्रशासन प्रणाली में सुधार करने के लिये एक विस्तृत खाका तैयार करने हेतु एक प्रशासनिक सुधार आयोग गठित करने का निर्णय लिया है।

(ख) से (ट) आयोग में एक अध्यक्ष, चार सदस्य और एक सदस्य-सचिव होंगे। आयोग से निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान देने का अनुरोध किया जाएगा:-

(1) भारत सरकार का संगठनात्मक ढांचा।

(2) शासन में आचार-संहिता।

(3) कार्मिक प्रशासन को नया रूप देना।

(4) वित्तीय प्रबन्धन प्रणालियों को सुदृढ़ करना।

(5) राज्य स्तर पर प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने संबंधी उपाय।

(6) प्रभावी जिला प्रशासन सुनिश्चित करने संबंधी उपाय।

(7) स्थानीय स्व-शासन/पंचायती राज संस्थान।

(8) सामाजिक धन, ट्रस्ट एवं सहभागितापूर्ण लोक सेवा प्रदान करना।

(9) नागरिक-केन्द्रित प्रशासन।

(10) ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना।

(11) संघीय राज्य व्यवस्था के मुद्दे।

(12) आपदा-प्रबन्धन।

(13) लोक व्यवस्था।

सरकार, तथापि, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो, आयोग को उसके विचारार्थ एवं रिपोर्ट के लिए कोई भी अन्य क्षेत्र/विषय सौंप सकती है।

आयोग के गठन से संबंधित अधिसूचना को, जिसमें इसके संघटन, विचारार्थ विषय, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा आदि का उल्लेख होगा, इसके जारी होने के बाद संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

एड्स नीति

***460. श्री जी.वी. हर्ष कुमार:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्ष 2007 तक एड्स का संक्रमण दर शून्य करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण नीति पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जोन का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय एड्स निवारण एवं नियंत्रण नीति में सामान्य लोगों में एच आई वी/एड्स के संक्रमण स्तरों के प्रभावी नियंत्रण की परिकल्पना की गई है जिससे कि वर्ष 2007 तक नए संक्रमणों का शून्य स्तर हासिल किया जा सके, जिसकी देश में अनुमानित एच आई वी संक्रमण की शून्य वृद्धि दर के रूप में व्याख्या की गई है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर बल देते हुए इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्यरत है:

* इस कार्यक्रम को स्वास्थ्य क्षेत्र के मुख्यतया एकल रोग कार्यक्रम से वस्तुत: बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम के रूप में नया रूप दिया जा रहा है। चल रहे प्रयास में एच आई वी/एड्स निवारण कार्यकलापों को समाकलित करने के लिए मंत्रालय के अन्य कार्यक्रमों के साथ मुख्य धारा में लाना। माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एड्स संबंधी राष्ट्रीय परिषद बनाई जा रही है।

* उच्च व्याप्तता वाले राज्यों के अतिरिक्त, अधिक आबादी वाले उन राज्यों को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है जिन्हें निम्न व्याप्तता वाले राज्यों के स्थान पर अब अत्यधिक सुभेद्य राज्यों के रूप में पुन: वर्गीकृत किया गया है।

* राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन देने के लिए सरकार के विभिन्न निकायों का पुनर्गठन।

* समयानुवर्ती संक्रमणों के उपचार के लिए प्रत्येक मेडिकल कालेज तथा जिला अस्पताल में प्रदत्त सुविधाएं।

* बहुमुखी कार्यनीति अपनाते हुए सभी उच्च जोखिम वाले समूहों को कवर करने के लिए निवारण कार्यकलाप चलाए जा रहे हैं।

* व्यापक जन जागरूकता कार्यकलाप शुरू किया गया है जिसके कि अगले छह माह के भीतर संपूर्ण देश को एच आई वी/एड्स के बारे में जानकारी हो सके।

* प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परिचर्या तथा क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के साथ सहक्रिया का विकास किया गया है।

* देश के प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक स्वैच्छिक परामर्श तथा जांच सुविधा केन्द्र, माता/पिता से बच्चे में संचरण निवारण संबंधी सुविधा केन्द्र, यौन संचारित रोग क्लिनिक तथा रक्त बैंक की व्यवस्था करने के लिए कार्यक्रम कार्यकलापों का विस्तार करना।

* कंडोम के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्साही कार्यक्रम को अपनाया जा रहा है।

* 25 केन्द्रों में नि:शुल्क ए आर टी सेवाओं की सुविधाएं प्रदान की गई हैं तथा 11 अतिरिक्त केन्द्रों को नि:शुल्क ए आर टी सेवाएं प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। 6 सामुदायिक परिचर्या केन्द्रों को स्वीकृति दी गई है।

* कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन का पता लगाने के लिए सुदृढ़ मानिटरिंग एवं मूल्यांकन प्रणाली शुरू की जा रही है।

यकृत कैंसर की रोकथाम

4745. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक प्याला काफी में यकृत कैंसर को रोकने की क्षमता है;

(ख) क्या सरकार को टोकियो स्थित नेशनल कैंसर सेंटर के मोनामी इनोव के नेतृत्व वाले अनुसंधान दल द्वारा प्राप्त तत्संबंधी निष्कर्षों की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो इन निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत में चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े लोगों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जापानी लोगों में काफी पीने तथा हेपेटो-सेल्लूलर कार्सीनोमा (एचसीसी) के बीच संबंध पर नेशनल कैंसर सेन्टर, टोकियो, जापान द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि काफी पीने की लत वाले लोगों को एचसीसी का कम जोखिम हो सकता है, तथापि इनका सूचित संबंध विभिन्न रूपों में अध्ययनों में पुन: दोहराया जाना है और इस संबंध में कोई निश्चित निर्णय लेने से पूर्व इसकी जैविक दृष्टि से व्यापक व्याख्या करने की आवश्यकता है।

लद्दाख में दूरसंचार सुविधाएं

4747. श्री छेवांग थुपस्तन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दूरसंचार सेवाएं मुहैय्या कराने हेतु लद्दाख के सुदूर क्षेत्रों में ईएनएमएआर सेटों की स्थापना करने के लिए लद्दाख आटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउन्सिल (एलएएचडीसी), लेह और कारगिल से कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) जी, हां। भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) को लद्दाख स्वायत्त पवर्तीय विकास परिषद (एलएएचडीसी), लेह और कारगिल से संलग्न विवरण में उल्लिखित ब्योरों के अनुसार टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह (इनमारसेट) लगाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है। बीएसएनएल ने, सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि के कार्यालय और बीएसएनएल के बीच हस्ताक्षरित करार की शर्तों के अनुसार, लद्दाख क्षेत्र के दूर-दराज के 92 गांवों सहित जम्मू और कश्मीर के दूर-दराज के 465 गांवों में डिजिटल उपग्रह फोन टर्मिनल (डीएसपीटी) प्रदान करने की योजना बनाई है।

विवरण

लेह जिले में इनमारसेट टर्मिनल लगाने के लिए एलएएचडीसी से प्राप्त गांवों की सूची

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	गांव का नाम
1	2	3
1.	न्योमा	खमक
2.		कर्जाक
3.		समद रकचेन
4.		सागा
5.		कुयूल
6.		अनले
7.		चुमूर
8.		रोंगों
9.	डुर्बक	टेग्ट्से
10.		साफो कराचाम
11.		शायक
12.		फोबरंग
13.		मान
14.	नोब्रा	टुटुक
15.		बोगडांग
16.		खिमी
17.		खुबोड
18.		लारग्याब योक्मा
19.		उद्मारू
20.		चरसा
21.		पनामिक
22.		टोंगसेट
23.		वारिस
24.	खल्स्ती	ढा
25.		हनुयक्मा
26.		डिप्लिंग
27.		फाटकसर
28.		कंजी
29.		मांग्यू
30.		न्येरक
31.		लामायूरू
32.	लेह	मार्खा
33.		सुम्दो चेन्यो

[हिन्दी]

दिल्ली और मुंबई में टावरों की स्थापना

4748. मो. मुकीम: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा दूरसंचार सुविधाएं मुहैय्या कराने और सेल्युलर सेवाएं सरल बनाने हेतु दिल्ली और मुम्बई में कितने टावर स्थापित किए गए हैं;

(ख) कितने अतिरिक्त टावरों को स्वीकृति दी गयी है और दोनों शहरों की कितनी जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा;

(ग) नई योजना के अंतर्गत उन स्थानों पर, जहां बुनियादी टेलीफोन के माध्यम से टेलीफोन सेवाएं नहीं प्रदान की जा सकती, एमसीपीसी के माध्यम से टेलीफोन सेवाएं कब तक मुहैय्या कराए जाने की संभावना है तथा दोनों शहरों की कितनी प्रतिशत जनता को दूरसंचार सुविधाओं के अंतर्गत लाया गया है;

(घ) क्या दिल्ली में डाल्फिन/ट्रम्प सिग्नल समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) एमटीएनएल, दिल्ली ने, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों यथा गाजियाबाद, नौएडा, फरीदाबाद तथा गुड़गांव को कवर करने हेतु अपनी सेल्युलर मोबाइल सेवाओं (डौलफिन तथा ट्रंप) के लिए 317 टावर संस्थापित किए हैं।

इसी प्रकार, एमटीएनएल, मुम्बई ने मुम्बई, ठाणे नगर निगम, नवी मुम्बई, पनवेल सिटी, कल्याण सिटी तथा डोम्बीवली सिटी को कवर करने हेतु अपनी मोबाइल सेवाओं के लिए 332 टावर संस्थापित किए हैं।

(ख) बेहतर कवरेज प्रदान करने के लिए एमटीएनएल दिल्ली यूनिट के अंतर्गत 154 तथा मुम्बई यूनिट के अंतर्गत 128 अतिरिक्त टावर प्रदान करने का प्रस्ताव है, जिससे कुल क्षमता में 8 लाख कनेक्शनों की वृद्धि होगी।

(ग) कम परियात वाले क्षेत्रों और पहाड़ी भू-भागों में उपग्रह आधारित एमसीपीसी प्रौद्योगिकी प्रदान की जाती है। एमटीएनएल की दोनों यूनिटों के अंतर्गत वायरलाइन तथा वायरलैस दोनों प्रकार की प्रौद्योगिकियों से दूरसंचार सुविधा प्रदान की जाती है। दिल्ली और मुम्बई का मौजूदा टेलीघनत्व क्रमशः 16.35 तथा 20.69 है।

(घ) और (ङ) कुछ पाकेटों में खराब सिग्नल की समस्या देखी गई है। नेटवर्क के विस्तार के अलावा, सेवाओं में सुधार लाने हेतु होटलों, स्टेशनों तथा अन्य भवनों में माइक्रो बीटीएस स्थापित किए गए हैं।

अंतर्राज्यीय जल परिवहन को प्रोत्साहन

4749. श्री बालेश्वर यादव: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में अंतर्राज्यीय जल परिवहन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) हाल ही में अंतर्राज्यीय जल परिवहन विकास परिषद की दिल्ली में हुई बैठक में क्या सहमति बनी है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) सरकार ने तीन राष्ट्रीय जलमार्ग अर्थात् (1) उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल-राज्यों से गुजरती हुई, इलाहाबाद से हल्दिया तथा गंगा-नदी, (2) असम-राज्य से गुजरती हुई और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकाल-मार्गों और सुन्दरबन से होकर पश्चिम बंगाल को जोड़ती हुई, धुबरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र-नदी, और (3) केरल-राज्य में पश्चिमी-तट नहर, पहले ही घोषित कर दिए हैं। इन राष्ट्रीय जलमार्गों पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण द्वारा बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाएं, अर्थात् नौगम्य जलमार्ग, नौचालन से संबंधित साधन और टर्मिनलों से संबंधित सुविधाएं, चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अलावा, निम्नलिखित दो अंतर-राज्य नदी/नहर-प्रणालियों को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

(1) आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु-राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्र-पांडिचेरी को जोड़ने वाली गोदावरी और कृष्णा-नदियों से समन्वित काकीनाडा-पांडिचेरी-नहरें, और (2) उड़ीसा और पश्चिम बंगाल-राज्यों को जोड़ने वाली ब्राह्मणी-नदी और महानदी डेल्टा से समन्वित पूर्वी तट-नहर।

सरकार, अंतर-राज्य जल-परिवहन के एक व्यावहारिक साधन के रूप में तटीय पोत-परिवहन को प्रोत्साहित करने के प्रति भी प्रतिबद्ध है। इस प्रयोजन से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) तटीय पोत, प्रकाश-शुल्क के भुगतान से मुक्त कर दिए गए हैं।

(2) तटीय जलयानों के संबंध में जलयानों से संबंधित शुल्क, अन्य जलयानों के संबंध में अनुरूपी शुल्कों के 60% से अधिक नहीं हों। इसी प्रकार, थर्मल कोयले, कच्चे तेल और लौह अयस्क तथा लौह गोलों सहित, पी ओ एल के सिवाय, अन्य समस्त तटीय जहाजी माल/कंटेनरों के संबंध में जहाजी माल/कंटेनर से संबंधित शुल्क, सामान्य हजाजी माल/कंटेनर से संबंधित शुल्कों के 60% से अधिक नहीं हों।

(ग) कुछ ही समय पहले ऐसी कोई भी बैठक नहीं हुई है।

मीटरों के साथ छेड़छाड़

4750. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि काफी संख्या में पीसीओ मालिक अपने मीटरों के पल्स रेट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं जिसके कारण उनके बूथों से टेलीफोन का प्रयोग करने वाले लोगों को घाटा उठाना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने हेतु सरकार के पास क्या तंत्र उपलब्ध है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) एमटीएनएल और बीएसएनएल में इस बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) मीटर पल्स के साथ छेड़छाड़ करने संबंधी समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था है:

* स्टाफ द्वारा आवधिक आकस्मिक जांच;
* फ्रैंचाइजी पीसीओ द्वारा दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए बंद किया जा सकता है;
* जनता के साथ धोखा धड़ी करने पर दोषी फ्रेन्चाइजियों के विरुद्ध कानून के तहत कानूनी कार्रवाइयां शुरू की जा सकती हैं;
* लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत निपटारे का अनुरोध कर सकते हैं।

असुरक्षित गर्भपात के कारण मौतें

4751. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री महेश कनोडीया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असुरक्षित गर्भपात के कारण देश में प्रतिवर्ष 20 हजार महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ती है तथा यह संख्या निरंतर बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे रोकने हेतु कोई ठोस कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ये उपाय कब तक किए जाएंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) वर्ष 1998 की भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन प्रणाली के अनुसार देश में मातृ-मृत्यु दर प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 407 है और देश में सभी मातृ मौतों की लगभग 8.9 प्रतिशत मातृ मौतों का कारण असुरक्षित गर्भपात हैं। असुरक्षित गर्भपातों की संख्या के बारे में विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, भारत के महापंजीयक के उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर प्रति 100 पर लगभग 12 मातृ मौतें (12:100) असुरक्षित गर्भपात के कारण होती हैं।

(ख) से (ङ) चल रहे प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसे वर्ष 1997 से सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है, के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर गर्भ के चिकित्सीय समापन से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने में राज्यों की सहायता करने के लिए गर्भ के चिकित्सीय समापन के उपकरण प्रदान करके और आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण शुरू करके सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यों को गर्भ के चिकित्सीय समापन की तकनीकों में प्रशिक्षित निजी डाक्टरों द्वारा समय-समय पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जाने के लिए उनकी सेवाओं को भाड़े पर लेने के वास्ते राज्यों को धन भी प्रदान किया जा रहा है। सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण तथा परामर्शी सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। ये प्रयास अप्रैल, 2005-2010 के दौरान प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दूसरे चरण में जारी रहेंगे।

गर्भ के चिकित्सीय समापन के निजी क्लीनिकों के अनुमोदन में होने वाली देरी को कम करने के लिए गर्भ के चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 को हाल ही में अर्थात् दिसम्बर, 2002 में संशोधित किया गया है जिसमें क्लीनिकों को अनुमोदित करने का प्राधिकार जिलों को विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर शुरू की गर्भाव्यवस्था के समापन के लिए एक सरल और सुरक्षित तकनीक मैनुअल वेक्यूम एस्पायरेशन (एम वी ए) को इस कार्यक्रम का एक अंग बनाया गया है। देश के शेष भागों में इस तकनीक का विस्तार करने के लिए व्यवहार्यता का अध्ययन करने के वास्ते 8 चयनित राज्यों के 16 जिलों में अब एम.वी.ए. तकनीक पर एक प्रायोगिक परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् की सिफारिश पर भारत के औषध महानियंत्रक ने इस व्यवस्था के साथ शुरू की गर्भावस्थाओं के समापन के लिए खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों के उपयोग की अनुमति दे दी है कि इन गोलियों को केवल एक विशेषज्ञ (स्त्री रोग विज्ञानी) के नुस्खे पर ही बेचा जाएगा तथा इन गोलियों का केवल उन अस्पतालों/संस्थाओं, जिनमें रक्ताधान और गर्भ के चिकित्सीय समापन की सेवाओं की सहायक सुविधाएं हैं, में ही उपयोग किया जाएगा।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में प्रजनन आयु वर्ग के लोगों को गर्भनिरोधक सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु मानदंड

4752. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों और उसके संपर्क मार्गों की घोषणा करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या देश के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में असंतुलन व्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में राजस्थान से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दी जाएगी; और

(ज) सरकार द्वारा राजस्थान हेतु किन राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिसूचित किया गया है तथा इस संबंध में सुपुर्दगी आदेश कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए मानदंड संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देश में इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार लंबाई के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) शीघ्र भूमि अधिग्रहण के लिए अलग नोडल अधिकारी की नियुक्ति, रेलवे से आर ओ बी/आर यू बी की स्वीकृति, रेलवे के साथ नियमित बैठक, ऐसे ठेकेदारों को हटाना जिनका कार्य निष्पादन खराब रहा है, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं के साथ नियमित समीक्षा बैठकें कुछ ऐसे उपाय हैं जो राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य लोक निर्माण विभागों के साथ तिमाही बैठकें की जाती हैं और कमियों/समस्याओं के समाधान के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। केन्द्र-राज्य मामलों और कार्य की प्रगति में बाधक अन्य समस्याओं के समाधान के लिए सचिवों की एक उच्चाधिकार समिति गठित की गई है।

(च) और (छ) मंत्रालय ने राजस्थान में 988 कि.मी. राज्यीय सड़कों सहित 7457 कि.मी. सड़कों को फरवरी, 2004 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया था। तदुपरांत राजस्थान सरकार ने 2715 कि.मी. लंबी 17 राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने के लिए 17 प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। फिलहाल वित्तीय और अन्य समस्याओं के कारण और अधिक सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बजाय विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर बल दिया जा रहा है। तदनुसार राजस्थान सरकार को सूचित कर दिया गया है।

(ज) फरवरी, 2004 में राजस्थान में कुल 6 राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की गई थी। रा.रा.-71बी के 5 कि.मी. को छोड़कर ये सभी राष्ट्रीय राजमार्ग दिनांक 29.10.2004 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा राजस्थान सरकार को सौंप दिए गए हैं।

विवरण I

राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए मानदंड

1. देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली सड़कें।
2. पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली सड़कें।
3. राष्ट्रीय राजधानी को राज्यों की राजधानियों से और राज्यों की राजधानियों को परस्पर जोड़ने वाली सड़कें।
4. महापत्तनों, विशाल औद्योगिक केंद्रों अथवा पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें।
5. अति महत्वपूर्ण सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सड़कें।
6. ऐसी सड़कें जिनसे यात्रा दूरी में पर्याप्त कमी होती हो और जिनसे पर्याप्त आर्थिक विकास में सहायता मिले।
7. ऐसी सड़कें जिनसे पिछड़े क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों को खोलने में सहायता मिले।
8. ऐसी सड़कें जिनसे 100 कि.मी. की राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड प्राप्त हो।
9. ऐसी सड़कें तकनीकी अपेक्षाओं और भूमि आवश्यकताओं दोनों के संदर्भ में राज्यीय राजमार्गों के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।
10. सड़क और मार्गाधिकार क्षेत्र किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त हो और राज्य सरकार की संपत्ति हो।
11. राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अपेक्षित मार्गाधिकार क्षेत्र (वरीयत: 45 मीटर, न्यूनतम 30 मीटर) अधिग्रहण के लिए उपलब्ध हो, अतिक्रमण से मुक्त हो और राज्य सरकार 6 महीने में अधिग्रहण की औपचारिकताएं पूरी करेगी।

विवरण II

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य वार लंबाई

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	कुल लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 16, 18, 43, 63, 202, 205, 214, 214ए, 219, 221 और 222	4472
2.	अरुणाचल प्रदेश	52, 52ए और 153	392
3.	असम	31, 31बी, 31सी, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62, 151, 152, 153 औरं 154	2836
4.	बिहार	2, 19 28, 28ए, 28बी, 30, 30ए, 31, 57, 57ए, 77, 80 81, 82 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 110	3537
5.	चंडीगढ़	21	24
6.	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 78, 111, 200, 202, 216, 217 और 221	2184
7.	दिल्ली	1, 2, 8, 10 और 24	72
8.	गोवा	4ए, 17, 17ए और 17बी	269
9.	गुजरात	6, 8, 8ए, 8बी, 8सी, 8डी, 8ई, 14, 15, 59, 113 और एन ई-1	2871
10.	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 21ए, 22, 64, 65, 71, 71ए, 71बी, 72, 73 और 73ए	1468

1	2	3	4
11.	हिमाचल प्रदेश	1ए, 20, 21, 21ए, 22, 70, 72, 73ए और 88	1208
12.	जम्मू-कश्मीर	1ए, 1बी और 1सी	823
13.	झारखंड	2, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99 और 100	1805
14.	कर्नाटक	4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 206, 207, 209, 212 और 218	3843
15.	केरल	17, 47, 47ए, 49, 208, 212, 213 और 220	1440
16.	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 26ए, 27, 59, 59ए, 69, 75, 76, 78, 79, 86, 86ए और 92	5200
17.	महाराष्ट्र	3, 4, 4बी, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 50, 69, 204, 211 और 222	4176
18.	मणिपुर	39, 53, 150 और 155	959
19.	मेघालय	40, 44, 51 और 62	810
20.	मिजोरम	44ए, 54, 54ए, 54बी, 150 और 154	927
21.	नागालैंड	36, 39, 61, 150 और 155	494
22.	उड़ीसा	5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 75, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217 और 224	3704
23.	पांडिचेरी	45ए और 66	53
24.	पंजाब	1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72 और 95	1557
25.	राजस्थान	3, 8, 11, 11ए, 11बी, 12, 14, 15, 65, 71बी, 76, 79, 79ए, 89, 90, 112, 113, 114 और 116	5585
26.	सिक्किम	31ए	62
27.	तमिलनाडु	4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 45सी, 46, 47, 47बी, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219 और 220	4183
28.	त्रिपुरा	44 और 44ए	400
29.	उत्तरांचल	58, 72, 72ए, 73, 74, 87, 94, 108, 109, 119, 121, 123 और 125	1991
30.	उत्तर प्रदेश	2, 2ए, 3, 7, 11, 12ए, 19, 24, 24ए, 25, 25ए, 26, 27, 28 28बी, 28सी, 29, 56, 56ए, 56बी, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 91ए, 92, 93, 96, 97 और 119	5599
31.	पश्चिम बंगाल	2, 6, 31, 31ए, 31सी, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 60ए, 80, 81 और 117	2325
32.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	223	300
		जोड़	65569

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र/पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं

4753. श्री रनेन बर्मन:
श्री गिरिधर गमांग:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के पूर्वोत्तर राज्यों, जनजातीय क्षेत्रों पर्वतीय क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में समुचित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) 12 अप्रैल, 2005 को प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, वैयक्तिक, घरेलू, सामुदायिक और स्वास्थ्य प्रणाली स्तरों पर अत्यधिक गंभीर मसलों पर विभिन्न कार्यनीतियों के माध्यम से प्रभावी स्वास्थ्य परिचर्या सुनिश्चित करने वाला एक राष्ट्रीय प्रयास है। इस मिशन का उद्देश्य खासकर गरीब, महिलाएं और बच्चों समेत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने में और उन लोगों की इन स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना है। यह मिशन पोषण सफाई, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल जैसे अच्छे स्वास्थ्य निर्धारकों को स्वास्थ्य के साथ जोड़कर एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाता है।

यह मिशन देश भर में समाज के गरीब, असुरक्षित और उपेक्षित वर्ग के व्यक्तियों को प्रभावी स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराना चाहता है जिसके तहत 18 अल्पसेवित राज्यों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना है जिनमें 8 पूर्वोत्तर राज्य अर्थात् असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भी शामिल हैं।

कार्रवाई योजना में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के मौजूदा 0.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 2-3 प्रतिशत करना, स्वास्थ्य ढांचे में क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करना, स्वास्थ्य जन शक्ति को अनुकूलतम बनाना, स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विकेन्द्रीकरण और जिला प्रबंधन, सामुदायिक सहभागिता और परिसम्पत्तियों का स्वामित्व, जिला स्वास्थ्य प्रणाली में प्रबंधकीय एवं वित्तीय कार्मिकों को शामिल करना, संगठनात्मक ढांचे का एकीकरण और संसाधनों की पूलिंग करना और देश में प्रत्येक प्रखंड में भारतीय जन-स्वास्थ्य मानकों को पूरा करने वाले कार्यकारी अस्पतालों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कार्यात्मक बनाना शामिल है।

दिल्ली का डिजिटल मानचित्र

4754. श्री फ्रान्सिस फैन्थम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली का विकास करने हेतु इसका एक डिजिटल मानचित्र तैयार करने का कार्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को सौंपा हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा किया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का मानचित्रण नोराड (नार्वेजियन विकास सहयोग एजेंसी) कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया था। एक अन्तर्राष्ट्रीय दल द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन किया गया था तथा दिल्ली शहर के जनोपयोगी मानचित्रण के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई थी। तत्पश्चात्, दिल्ली सरकार परियोजना में शामिल हो गई। दिल्ली में अधिकांश जनोपयोगी एजेसियां इस परियोजना में पणधारक हैं।

(ग) मानचित्रण कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है।

[हिन्दी]

एस.टी.डी. सहित टेलीफोन सुविधा

4755. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार में एसटीडी सहित टेलीफोन सुविधा वाले तालुकों और तहसीलों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक राज्य में कितने तालुकों के पास ये सुविधाएं नहीं हैं; और

(ग) ऐसे तालुका मुख्यालयों में एसटीडी सुविधा कब तक मुहैय्या कराए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) उड़ीसा और महाराष्ट्र के सभी तालुकों/तहसीलों में एसटीडी युक्त टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है। बिहार में तालुका/तहसील की कोई संकल्पना नहीं है। तथापि, सभी 101 उपमंडलों (जो जिला स्तर से नीचे हैं) में एसटीडी युक्त टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

असम में सामुदायिक सूचना केन्द्र

4756. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में सामुदायिक सूचना केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास असम में 'वीसैट' केन्द्रों की संख्या बढ़ाने हेतु योजनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने असम के ब्लाक मुख्यालयों में 219 सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसी) स्थापित किए हैं जिनमें वीसैट के जरिए सम्पर्क उपलब्ध कराया गया है।

(ख) से (घ) इस समय असम में वीसैट में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि परियोजना आरम्भ करने के समय विद्यमान सभी ब्लाक मुख्यालयों में सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित किए गए थे।

[हिन्दी]

दूरसंचार कार्यों का विकास/विस्तार

4757. श्री एम. अंजनकुमार यादव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विकास, विस्तार और उन्नयन हेतु शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त कार्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में अति धीमी गति से प्रगति हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, आंध्र प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विकास, विस्तार और उन्नयन के लिए शुरू किये गए कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, दूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के तेजी से विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में लैंडलाइन नेटवर्क की एवज में बड़े पैमाने पर वायरलैस इन-लोकल-लूप (डब्ल्यूएलएल) लगाना।

(2) लैंडलाइन कनैक्टिविटी के लिए 2.5 कि.मी. के पूर्व मानक की तुलना में उन स्थानों में 5 कि.मी. तक आउटडोर केबल के मानकों में छूट देना, जहां इस प्रकार की मांग हो।

(3) भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) अपने मोबाइल नेटवर्कों को सभी राजमार्गों, महत्वपूर्ण नगरों, तीर्थ-स्थलों और राज्य के राजमार्गों में इस तरह से प्राथमिकता देते हुए लगा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े भाग को प्रासंगिक कवरेज मिले।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान, आंध्र प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विकास, विस्तार और उन्नयन के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा

I. विकास

क्र.सं.	कार्य मद		वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05
1.	नए टेलीफोन एक्सचेंज	शहरी	13	11	12
		ग्रामीण	141	65	24
		जोड़	154	76	36
2.	ओएफसी (रूट कि.मी.)		3868	804	400
3.	उपलब्ध कराए गए वीपीटी	ग्रामीण	0	0	180
4.	ब्राडबैंड	शहरी	–	–	37 डीएसएलएएम संस्थापित
5.	डब्ल्यूएलएल (चालू किए गए बीटीएस की संख्या)		07	107	

II. विस्तार

क्र.सं.	मद		वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05
1.	लैंड लाइन स्विचों का विस्तार	शहरी	24,186	(-)137,973	21,248
		ग्रामीण	129,793	244,235	20,010
2.	डब्ल्यूएलएल क्षमता का विस्तार		3500	113,500	–

III. उन्नयन

क्र.सं.	मद	वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05
1.	एसबीएम का आरएसयू में परिवर्तन	121	180	202
2.	सी-256 का एएनआरएएक्स में परिवर्तन	0	308 बोर्ड	838 बोर्ड

टिप्पणी: ओएफसी-आप्टिकल फाइबर केबल

आरकेएमएस-रूट किलोमीटर

बीटीएस-बेस ट्रांसमिटिंग स्टेशन

एल/एल- लैंड लाइन

एसबीएम- सिंगल बेस मोड्यूल

आरएसयू-रिमोट स्विचिंग यूनिट

एएनआरएएक्स-एक्सेस नोड रूरल, आटोमेटिक एक्सचेंज

राज्यों के बीच मेडिकल शिक्षा में असन्तुलन

4758. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्यों के बीच मेडिकल शिक्षा विशेषकर मेडिकल कालेजों की संख्या के संबंध में गंभीर असंतुलन है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में देश में सरकारी और गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्यों के बीच उक्त असंतुलन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 यथासंशोधित एवं उसके अंतर्गत बने विनियमों के अनुसार राज्य सरकार यह निर्णय करती है कि उनको मेडिकल कालेज की आवश्यकता है या नहीं। केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिए गए अनिवार्यता प्रमाण-पत्र एवं आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर नए मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति दे रही है। तथापि, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत केन्द्रीय सरकार ने चिकित्सा संबंधी आधारभूत सुविधा की उपलब्धता में कमी, मृत्यु एवं रुग्णता की उच्च घटना, अति विशेषज्ञता वाली सेवाओं एवं चिकित्सा शिक्षा की अपर्याप्त सुविधाओं वाले क्षेत्रों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे 6 संस्थान खोलने का प्रस्ताव किया है।

विवरण

दिनांक 25.4.2005 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार मेडिकल कालेजों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	मेडिकल कालेजों की संख्या		कुल
		सरकारी	निजी	
1		2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	10	20	30
2.	असम	3	–	3
3.	बिहार	6	2	8
4.	चंडीगढ़	1	–	1
5.	छत्तीसगढ़	2	–	2
6.	दिल्ली	5	–	5
7.	गोवा	1	–	1
8.	गुजरात	8	5	13
9.	हरियाणा	1	2	3
10.	हिमाचल प्रदेश	2	–	2
11.	जम्मू-कश्मीर	3	1	4
12.	झारखण्ड	3	–	3
13.	कर्नाटक	4	27	31
14.	केरल	6	8	14
15.	मध्य प्रदेश	5	2	7
16.	महाराष्ट्र	19	19	38
17.	मणिपुर	1	–	1
18.	उड़ीसा	3	–	3
19.	पांडिचेरी	1	4	5
20.	पंजाब	3	3	6
21.	राजस्थान	6	2	8
22.	सिक्किम	1	–	1
23.	तमिलनाडु	13	8	21
24.	उत्तर प्रदेश	9	3	12
25.	उत्तरांचल	–	2	2
26.	पश्चिम बंगाल	9	–	9
	कुल	125	108	233

[अनुवाद]

संतानहीनता के इलाज हेतु कैंसर रोधी औषध

4759. श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संतानहीनता के इलाज हेतु कैंसर रोधी औषधि लेट्रोजोल पर प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संतानहीनता के इलाज हेतु प्रतिबंधित औषधि का खुलेआम उपयोग कौन-कौन से क्लीनिक कर रहे हैं और सरकार द्वारा ऐसे क्लिनिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) लेट्रोजोल औषध को खाई जाने वाली कैंसररोधी औषध के रूप में विपणन के लिए अनुमोदित किया गया है। तथापि, चिकित्सीय पत्रिकाओं में इस औषध का इस्तेमाल सन्ततिहीनता के इलाज के लिए किए जाने और स्त्रीरोग विज्ञानियों द्वारा इसका प्रयोग किए जाने की बात प्रकाशित हुई है। चिकित्सकों द्वारा इस औषध का प्रयोग ऐसे लक्षणों के लिए किया जाना, जो अधिकारिक रूप से अनुमोदित नहीं हैं, औषधों का गलत प्रयोग (आफ लेबल यूज) माना जाता है। चूंकि लेट्रोजोल सन्ततिहीनता के इलाज के लिए अनुमोदित नहीं है, इसलिए इस पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन अदालतें

4760. श्री बीर सिंह महतो: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले में किन-किन तिथियों को टेलीफोन अदालतें आयोजित की गई हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन अदालतों में वर्ष-वार कितने मामले प्राप्त हुए हैं;

(ग) जिलेवार कितने मामलों का निपटान किया गया है; और

(घ) टेलीफोन उपभोक्ताओं को प्रदान की गई रियायतों और टेलीफोन अदालतों के आयोजन हेतु निर्धारित नियमों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण I

कोलकाता टेलीफोन जिला सहित पश्चिम बंगाल सर्किल में पिछले 2 वर्षों के दौरान आयोजित टेलीफोन अदालतों का ब्यौरा

एसएसए का नाम	1.4.2003 से 31.3.2004				1.4.2004 से 31.3.2005			
	अदालत आयोजित करने की तिथि	प्राप्त मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	दी गई छूट का ब्यौरा (रुपयों में)	अदालत आयोजित करने की तिथि	प्राप्त मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	दी गई ब्यौरा (रुपयों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आसनसोल	14/06, 06/03	4	4	0	16/12	10	10	0
बांकुरा	10/04, 15/07, 20/11	14	14	0	12/05, 18/11, 17/01	214	214	0
बेरहामपुर	16/05, 21/11	81	81	146554	16/06, 17/11	16	16	20507
कलकत्ता (ग्रामीण)	17/06, 12/09, 22/11, 11/03	शून्य	शून्य	0	10/06, 13/09, 17/12, 21/03	50	50	0
कूच बिहार	20/08, 09/03	2	2	0	8/7	2	2	6900

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जलपाईगुडी	23/06, 08/10	शून्य	शून्य	0	22/04, 21/10	20	20	2935
कोलकाता टेलीफोन जिला	23/04, 30/7, 08/08, 20/8, 22/8, 28/8, 24/3	173	136	300.00, 499 दिनों की किराया छूट, 1647 काल यूनिट	16/4, 21/4, 04/06, 16/12, 17/12, 17/01	88	83	926.81
खड़गपुर	22/05, 19/11	25	25	0	14/07, 23/11, 25/02	151	15	3381
कृषनगर	24/06, 16/10 25/03	54	54	0	28/05	11	11	0
मालदा	04/04, 09/06, 11/11	26	26	3000	16/04	35	35	12000
पुरूलिया	31/01	21	21	4450	25/02	42	42	6669
रायगंज	14/05, 17/07, 09/12	शून्य	शून्य	0	07/07, 26/08 14/10, 07/12, 30/01, 20/03	28	28	0
सिलिगुड़ी	19/04, 15/07, 17/10, 12/12	70	69	1079	21/04, 21/08, 15/01, 25/03	30	30	4504
सूरी	13/06, 18/09, 21/11, 10/03	10	10	5478	27/05, 28/10, 16/01, 25/03	8	8	958
गंगटोक	14/05, 17/07, 16/10, 18/12 21/03	50	50	0	13/04, 27/08, 25/11	42	42	0

विवरण II

सं. 12-1/2001-(पीजी)
भारत संचार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
10वां तल, चंद्रलोक बिल्डिंग
जनपथ, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 22.06.2001

सेवा में,

सभी दूरसंचार सर्किलों और जिलों के प्रमुख

विषय: टेलीफोन अदालतों का आयोजन

संदर्भ: 18-1/87-पीजी एंड आई, दिनांक 11.6.87
18-1/87-पीजी एंड आई दिनांक 8.2.88
18-1/87-पीजी एंड आई दिनांक 17.9.89
18-1/87-पीजी एंड आई दिनांक 22.5.92
18-1/87-पीजी एंड आई दिनांक अक्तूबर, 96
2-2/2000-पीईजी (पीजी) दिनांक 16.12.2001
2-2/2000-पीजी दिनांक 9.2.2001
12.1.2001-पीजी, दिनांक 20.3.2001

निर्धारित तारीख को विभाग और पीड़ित उपभोक्ता को आमने-सामने लाने और उपभोक्ता की समस्या को निपटाने के लिए विभाग की आंतरिक व्यवस्था के रूप में दूरसंचार सर्किलों और जिलों में टेलीफोन अदालतों का गठन करने का निर्णय लिया गया।

क्षेत्र

पिछले आदेशों के अनुसार टेलीफोन अदालतों के क्षेत्र में अधिक बिलिंग संबंधी शिकायतों, सेवा संबंधी शिकायतों, टेलीफोन

कनेक्शनों को प्रदान न करने/विलम्ब से प्रदान करने आदि जैसी टेलीफोन सेवाओं से संबंधित सभी शिकायतों को शामिल किया गया था। अब टेलीफोन अदालतों के क्षेत्र में संबंधित दूरसंचार सर्किलों/जिलों द्वारा प्रदत्त सभी दूरसंचार सेवाएं और उनके द्वारा जारी किए गए बिल शामिल होंगे। मुख्य महाप्रबंधकों की अध्यक्षता वाली अदालत एसएसए प्रमुख की अध्यक्षता वाली अदालत के निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय मामलों तथा उन मामलों पर भी विचार कर सकती है जो अलग-अलग नहीं हैं और/अथवा जिनका अप्रत्यक्ष प्रभाव संपूर्ण सर्किल में है। अपील एसएसए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गये तथ्यों पर आधारित होगी। एसएसए प्रमुखों की अध्यक्षता वाली अदालत अधिक बिलिंग संबंधी उन मामलों पर भी विचार कर सकती हैं जिन्हें इन प्रमुखों द्वारा प्रशासनिक प्रमुखों के रूप में अस्वीकृत किया गया है। केवल तीन महीने से अधिक पुराने मामलों पर इन अदालतों द्वारा विचार किया जाए।

अधिकार क्षेत्र और स्थान

मुख्य महाप्रबंधक द्वारा संचालित की जाने वाली टेलीफोन अदालतों का अधिकार क्षेत्र उसका दूरसंचार सर्किल/जिला होगा। गौण स्विचन क्षेत्र का प्रमुख द्वारा संचालित टेलीफोन अदालत का अधिकार क्षेत्र उसका गौण स्विचन क्षेत्र होगा।

समिति

समिति का गठन निम्नवत होगा:

(i) मुख्य महाप्रबंधक की अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली अदालत

(क) दूरसंचार सर्किल/जिले का मुख्य महाप्रबंधक - अध्यक्ष

(ख) सर्किल/जिले का वित्तीय सलाहकार - सदस्य

(ग) सर्किल कार्यालय में पदानुक्रम में मुख्य महाप्रबंधक के बाद आने वाला इंजीनियरिंग अधिकारी - सदस्य

(घ) बीएसएनएल मुख्यालय द्वारा नामित वरिष्ठ उप महानिदेशक/उप महानिदेशक - सदस्य

यदि आवश्यक हो तो वरिष्ठ उप महानिदेशक/उप महानिदेशक द्वारा अपने संयुक्त उप महानिदेशक को प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।

(ii) गौण स्विचन क्षेत्र के प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली अदालत

(क) गौण स्विचन क्षेत्र का प्रमुख - अध्यक्ष

(ख) गौण स्विचन क्षेत्र के प्रमुख का वित्तीय सलाहकार - सदस्य

(ग) गौण स्विचन क्षेत्र के प्रमुख से एक स्तर नीचे का इंजीनियरिंग अधिकारी - सदस्य

(घ) मुख्य महाप्रबंधक द्वारा नामित अधिकारी - सदस्य

बीएसएनएल मुख्यालय से नामित किए गए अधिकारियों की सूची अनुबंध-I में दी गई है।

आवृत्ति तारीख और समय

मुख्य महाप्रबंधक द्वारा तीन माह में एक बार और गौण स्विचन क्षेत्र के प्रमुखों द्वारा दो माह में एक बार अदालतें आयोजित की जानी हैं। अदालतें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएंगी। इन्हें आयोजित करने की तारीख और समय का निर्णय अदालतों के अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है। मेट्रो जिलों के संबंध में मुख्य महाप्रबंधक द्वारा तीन माह में एक बार और क्षेत्रीय महाप्रबंधक द्वारा दो माह में एक बार अदालत आयोजित की जा सकती है। जिन गौण स्विचन क्षेत्रों में एक से अधिक महाप्रबंधकों के पास स्वतंत्र प्रभार है, उनमें स्वतंत्र प्रभार रखने वाले ऐसे सभी महाप्रबंधक अपने क्षेत्र के संबंध में दो माह में एक बार स्वतंत्र अदालतों का आयोजन करेंगे।

प्रचार

मुख्य महाप्रबंधक तथा एसएसए प्रमुख द्वारा अदालतें आयोजित करने की सूचना का स्थानीय समाचार-पत्रों तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए। संबंधित संसद सदस्य तथा विधायकों को अग्रिम सूचना दी जाए। प्रकाशन की तारीख और अदालत की तारीख के बीच कम से कम 30 दिनों के अंतर का प्रावधान होना चाहिए। आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख अदालत की तारीख से 15 दिन पहले हो।

लिया गया निर्णय:

अदालत का निर्णय सकारण आदेश में होना चाहिए। अपने मातहतों द्वारा आयोजित अदालत की गुणवत्ता की समीक्षा मुख्य महाप्रबंधक द्वारा आयोजित अदालत करेगी।

रिकार्ड रखना:

समाधान किए गए मामलों की संख्या, दी गई छूट की राशि की समेकित सूचना तथा सम्पूर्ण सर्किल से संबंधित अन्य संबंधित सूचना सर्किल कार्यालय में रखी जाए। इस सूचना को सर्किल की वेब साइट में डाला जाए ताकि उपभोक्ताओं अथवा बीएसएनएल मुख्यालय की पहुंच हो सके तथा दूरसंचार सर्किल/जिले की

विश्वसनीयता में सुधार हो सके। सर्किल स्तर की प्रत्येक अदालत के बाद अदालत में भाग लेने वाले बीएसएनएल मुख्यालय के प्रतिनिधि अपने वरिष्ठ उप महानिदेशक/उप महानिदेशक के माध्यम से एक संक्षिप्त (एक पेरा) रिपोर्ट वरिष्ठ उप महानिदेशक (पीजी) को देंगे। जिसका रिकार्ड वरिष्ठ उप महानिदेशक अपने एकक में रखेंगे।

ह./-
वरिष्ठ डीडीजी (पीजी)
22.6.2001

[अनुवाद]

बांग्लादेश की जेलों में भारतीय

4761. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 11 मार्च, 2005 को बांग्लादेश में 9 भारतीय गिरफ्तार किए गए थे और वर्तमान में वे वहां जेलों में बंद हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 2005 की तिथि के अनुसार बांग्लादेश की जेलों में कुल कितने भारतीय बंद हैं और उन्हें किन-किन आधारों पर गिरफ्तार/जेल में बंद किया गया है तथा उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाए गए हैं; और

(ग) उनकी रिहाई और शीघ्र भारत वापसी सुनिश्चित करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां। 11 मार्च, 2005 की तिथि के अनुसार बांग्लादेश के लक्शम, कोमिला जिले में त्रिपुरा के नौ भारतीय राष्ट्रिकों को गिरफ्तार किया गया।

(ख) 1 अप्रैल, 2005 को बांग्लादेश की जेलों में बंद भारतीयों की वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं है क्योंकि बांग्लादेश सरकार ने ढाका में भारतीय उच्चायोग की गिरफ्तारियों के बारे में सूचना नहीं दी है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी 2004 की तिथि के अनुसार बांग्लादेशी जेलों में 738 भारतीय नागरिक बंद थे। भारतीय को आमतौर पर बांग्लादेशी उत्प्रवासन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है।

(ग) ढाका में भारतीय उच्चायोग कौंसुलर पहुंच और कैद में पड़े भारतीयों की शीघ्र रिहाई व प्रत्यावर्तन प्राप्त करने के लिए बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय और अन्य प्राधिकरणों से नियमित सम्पर्क में हैं।

लंबित सड़क प्रस्ताव

4762. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण तथा विद्यमान राजमार्गों की मरम्मत/नवीकरण के संबंध में किए गए प्रस्ताव बड़ी संख्या में सरकार की वित्तीय स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास लंबित ऐसे सभी प्रस्तावों का ब्योरा क्या है और इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में हुए विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों की शीघ्र स्वीकृति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नवजात शिशुओं की मौतें

4763. श्री मधु गौड यास्खी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक मिनट में 20 शिशुओं की मृत्यु हो जाती है जैसा कि इस आशय का समाचार दिनांक 7 अप्रैल, 2005 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें मामले के क्या तथ्य प्रकाशित हुए हैं;

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस संबंध में भारत की स्थिति क्या है;

(घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताए गए शिशु मृत्यु के कारण क्या हैं;

(ङ) इस संबंध में हुई मौतों का ब्योरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा शिशुओं की मौतों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों/प्रस्तावित कदमों का ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दोनों प्रकाशन "विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट 2005" "विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट-2005 से तथ्य और आंकड़ें" के अनुसार विश्व स्तर पर 5 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले लगभग 10.6 मिलियन बच्चे मर जाते हैं। इनमें से 4 मिलियन बच्चे जन्म के 28 दिनों के भीतर मर जाते हैं।

संदर्भाधीन रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी इंगित किया है कि भारत की नवजात मृत्यु दर अर्थात् (28 दिनों से कम आयु के शिशुओं की मौतें) वर्ष 2000 में 1000 जीवित जन्मों पर 43 है। यह दर भारत के महापंजीयक की उसी वर्ष के अनुमानों के अनुरूप है जो 1000 जीवित जन्मों पर 44 थी। इस आंकड़े के आधार पर अनुमान है कि भारत में लगभग 1.1 मिलियन शिशु 28 दिनों की आयु से पहले ही मर जाते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु के प्रमुख कारणों में तीव्र स्वसनीय संक्रमण (19 प्रतिशत), अतिसार (18 प्रतिशत), मलेरिया (8 प्रतिशत), खसरा (4 प्रतिशत), एच.आई.वी./एड्स (3 प्रतिशत) और नवजात स्थितियां मुख्यतया नियत समय से पूर्व जन्म, जन्मू श्वासावरोध और संक्रमण (37 प्रतिशत) शामिल हैं।

(च) बाल स्वास्थ्य भारत सरकार के चल रहे प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है जिसे 1997 से सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य कार्यकलाप शिशुओं और बच्चों में मौतों को कम करने और वैक्सीन से रोके जा सकने वाले रोगों के लिए अर्थात् क्षयरोग, डिफ्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, खसरा और हेपाटाइटिस-बी सहित पोलियो के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में चलाए जा रहे रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम, अतिसार, तीव्र श्वसनीय संक्रमणों के कारण मौतों की रोकथाम, विटामिन-ए की अल्पता और लोहे की अल्पता से रक्ताल्पता के लिए रोग निरोधक प्रदान करने, अनिवार्य नवजात परिचर्या, केवल स्तनपान को बढ़ावा देने और समुचित पूरक आहार की पद्धतियों पर केन्द्रित हैं। नवजात और बाल्यावस्था की बीमारियों के एकीकृत उपचार (आई.एम.एन.सी.आई.) को तकनीकी रूप से एक उत्तम पैकेज के रूप में मान्यता दी गई है और इसे देश में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-2 के दूसरे चरण जिसे अप्रैल, 2005 में शुरू किया जा चुका है, में एक चरणवार ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता

4764. प्रो. चन्द्र कुमार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "सभी के लिए स्वास्थ्य" कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराई जाने वाली प्रस्तावित चिकित्सा देखरेख सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) "सभी के लिए स्वास्थ्य" कार्यक्रम के लक्ष्यों की तुलना में वर्तमान में नागरिकों हेतु उपलब्ध चिकित्सा देखरेख सुविधाओं की स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 के अनुसार सरकार गहन प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के व्यापक प्रावधान से "सन् 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बचनबद्ध थी। स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे के विकास तथा शिशु-मृत्यु दर, मातृ-मृत्यु दर, अशोधित-जन्म दर, अशोधित-मृत्यु दर जैसे चुनिंदा सूचकों की उपलब्धियां काफी अच्छी रही। स्वास्थ्य सेवाओं तक अधिक समान पहुंच सुनिश्चित करते हुए एक विकेन्द्रीकृत जन स्वास्थ्य प्रणाली, आधारभूत ढांचे का विस्तृत नेटवर्क, विश्व बैंक की सहायता से चुनिंदा राज्यों में चलाई जा रही राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजनाओं के अंतर्गत अधिक सुविधाएं सभी बढ़ती हुई चिकित्सीय जरूरतों को पूरा करने में लगी हैं। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने और तृतीयक स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या शिक्षा के लिए देश के अल्पसेवित क्षेत्रों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह के 6 संस्थान खोले जा रहे हैं और 7 अन्य संस्थाओं का उस स्तर तक उन्नयन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत लम्बित प्रस्ताव

4765. श्री बिक्रम केशरी देव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के अनुमोदन हेतु वर्ष 2000 से आज तक राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों और परिवारों के कितने मामले भेजे गए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इन सभी मामलों को स्वीकृति दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो अनुमोदन देने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सी.जी.एच.एस. अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों का निरीक्षण

4766. श्री जे.एम. आरून रशीद:

श्री डी.बी. पाटिल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.जी.एच.एस. की स्थायी समिति ने सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को स्वास्थ्य देख-रेख प्रदान करने वाले अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों का निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो निरीक्षण दल के निष्कर्ष क्या हैं और मानदंडों के उल्लंघन हेतु दोषी पाए गए निजी अस्पताल और नैदानिक केन्द्रों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्थाई समिति ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीः-

(1) कुछेक अस्पताल केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के रोगियों को जितनी आवश्यकता थी, उससे अधिक अवधि के लिए दाखिल करते हुए पाए गए।

(2) कुछेक अस्पताल नेमी रोगियों/चयनात्मक शल्य चिकित्सा के रोगियों को आपाती रोगियों के रूप में दिखा रहे थे।

(3) अस्पताल ऐसी क्रियाविधियों को करते हुए पाए गए जिनके लिए वे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अधिकृत/मान्यता प्राप्त नहीं थे।

(4) अस्पताल/नैदानिक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों से इरादतन बिलों को बढ़ा-चढ़ा करके असंबंधित और असंगत जांचों और विभिन्न मदों के लिए अधिक प्रभार ले रहे थे तथा इसके अतिरिक्त वे उनसे विभिन्न चिकित्सीय क्रियाविधियों/परीक्षणों/जांचों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अनुमोदित पैकेज दरों की सीमा से अधिक दरें ले रहे थे।

(5) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मान्यता प्राप्त नैदानिक केन्द्र उन जांचों को करते हुए पाए गए जो सही नहीं थी, असंगत थीं और सरकारी डाक्टर द्वारा रोगी को उनको करवाने की सलाह नहीं दी गई थी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों, जिनको मान्यता प्राप्त अस्पतालों के अधिकृत हस्ताक्षरी को निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के साथ किए गए सहमति ज्ञापन के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	अस्पताल/नैदानिक केन्द्र का नाम	की गई कार्रवाई
1	2	3
दिल्ली		
1.	नार्थ प्वाइंट अस्पताल (पी) लिमिटेड	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने लाभार्थियों को उन अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों में भेजना बन्द कर दिया है।
2.	नौएडा मेडिकेयर सेंटर	
3.	श्री राम सिंह अस्पताल एंड हर्ट इंस्टीट्यूट	
4.	सरोज अस्पताल	
5.	आर.बी. सेठ, जीसेस राम एण्ड ब्रादर्स चैरिटेबल अस्पताल	
6.	आर.जी. स्टोन यूरोलाजीकल रिसर्च इंस्टीट्यूट	
7.	मिलेनियम बोन डेंसिटोमेटरी एण्ड आस्टेपोरोसिस रिसर्च सेंटर	
8.	डा. चोपड़ा बोन डेंसिटोमेटरी सेंटर एण्ड लैब	

1	2	3
9.	मिलेनियम अस्पताल	कार्यालय ज्ञापन सं. आईईसी-24/2001-02/जेडी (एम)/के.स.स्वा.यो/दिल्ली/के.स.स्वा.यो. (पी) दिनांक 16.3.05 के तहत मान्यता समाप्त कर दी गई है।
पुणे		
1.	एन एम वाडिया अस्पताल	के.स.स्वा. योजना के लाभार्थियों को भेजना बंद कर दिया गया है।
2.	ग्रांट मेडिकल फाउंडेशन रूबी हाल क्लीनिक	-तदैव-
त्रिवेन्द्रम		
1.	पी आर एस अस्पताल	कार्यालय ज्ञापन सं. ड. 11011/25/2001-के.स.स्वा.यो. डेस्क-2/के.स.स्वा.यो. (पी) दिनांक 17.4.05 के तहत मान्यता समाप्त कर दी गई है।
हैदराबाद		
1.	अवेयर अस्पताल	के.स.स्वा. योजना के लाभार्थियों को इस अस्पताल में भेजना बंद कर दिया गया है।
2.	श्रवण अस्पताल	-तदैव-
3.	श्रीमती भगवान देवी अस्पताल	-तदैव-
4.	कोर्णाक डाग्यनोस्टिक सेंटर	-तदैव-
5.	मेडिसिटी अस्पताल	-तदैव-
6.	यशोदा सुपर स्पेसिएलिटी अस्पताल	-तदैव-
7.	सी डी आर अस्पताल	-तदैव-
8.	अपोलो अस्पताल	-तदैव-
मेरठ		
1.	दि जसलोक अस्पताल एण्ड नर्सिंग होम	के.स.स्वा. योजना के लाभार्थियों को इस अस्पताल में भेजना बंद कर दिया गया है।
2.	तुलसी अस्पताल	-तदैव-
3.	मधु नर्सिंग होम	-तदैव-

औद्योगिक क्षेत्रों हेतु जोनल एटलस

4767. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों के जोनल एटलस शुरू किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के सभी जिलों में जोनल एटलस को शुरू किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) देश के 142 जिलों में 1 : 2,50,000 के पैमाने पर उद्योगों के स्थान निर्धारण के लिए जोनल एटलस शुरू किए गए हैं। 142 जिलों की सूची संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना में उपर्युक्त 142 जिलों के अलावा 60 और जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव है। अतिरिक्त 60 जिलों का चयन राज्यों से परामर्श के बाद किया जाएगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

जिलों की सूची

1. पूर्वी गोदावरी
2. मेडक
3. रंगारेड्डी
4. प्रकाशम
5. श्रीकाकुलम
6. चित्तौड
7. करनूल
8. विजय नगरम
9. पश्चिमी गोदावरी
10. नैल्लोर
11. आनन्थापुर
12. गुन्टूर
13. शहरी कामरूप
14. ग्रामीण कामरूप
15. गोवालपाडा
16. शिबसागर
17. डिबरूगढ़
18. गोवालाघाट
19. तिनसुकिया
20. नौगाव
21. कच्छार
22. जोरहट
23. पूर्वी सिंहभूम
24. पश्चिम सिंहभूम
25. पटना
26. रांची
27. वैशाली
28. सारन
29. आरा
30. भागलपुर
31. मुजफ्फरपुर
32. हजारीबाग
33. चतरा
34. रायपुर
35. बिलासपुर

36. पंचमहल
37. जामनगर
38. जूनागढ़
39. पोरबंदर
40. अमरेली
41. कच्छ
42. खेड़ा
43. आनंद
44. वलसाड
45. नवसारी
46. सूरत
47. सुरेन्द्र नगर
48. भढ़ोच
49. नर्मदा
50. वडोदरा
51. राजकोट
52. अहमदाबाद
53. सोलन
54. सिरमोर
55. उना
56. बिलासपुर
57. शिमला
58. कुल्लू
59. कांगड़ा
60. किन्नोर
61. मंडी
62. चम्बा
63. हमीरपुर
64. लाहोल
65. स्पीति
66. श्रीनगर
67. जम्मू
68. अनंतनाग
69. पुलवामा
70. मैसूर
71. बंगलौर (शहरी)
72. बेल्लारी
73. बेलगांव
74. रायचुर
75. मांड्या
76. पाल्लकड
77. एर्नाकुलम
78. कन्नुर
79. कासरगोड
80. कोजीकोड
81. कल्लपुरम
82. छिन्दवाडा
83. सागर
84. धार
85. रायसेन
86. इंदौर
87. पूर्वी इम्फाल
88. पश्चिमी इम्फाल
89. थौबल
90. बिसनुपुर
91. रतनागिरी
92. पुणे
93. औरंगाबाद

94. राइ-भूई
95. पूर्वी खासी हिल्स
96. पूर्वी गारो हिल्स
97. पश्चिमी गारो हिल्स
98. जयन्तिया हिल्स
99. दक्षिणी गारो हिल्स
100. सुन्दर गढ़
101. कटक
102. जगत सिंह पुर
103. संभल पुर
104. जयपुर
105. केन्द्रपारा
106. देवगढ़
107. झारसूगुडा
108. पुरी
109. क्योंझर
110. मयूरभंझ
111. लुधियाना
112. जालंधर
113. कपूरथला
114. अमृतसर
115. उदयपुर
116. राजसमुंद
117. अलवर
118. कोटा
119. तिरूवल्लूर
120. कांचीपुरम
121. कोयम्बटूर
122. वैल्लोर
123. तूतीकोरन
124. पश्चिमी त्रिपुरा
125. उत्तरी त्रिपुरा
126. दक्षिणी त्रिपुरा
127. धलाई
128. गाजियाबाद
129. बुलन्दशहर
130. मेरठ
131. बागपत
132. उन्नाव
133. मुरादाबाद
134. मुजफ्फर नगर
135. बाकुडा
136. मिदनापुर
137. जलपाईगुड़ी
138. हुगली
139. बर्धमान
140. दक्षिण 24-परगना
141. पाण्डिचेरी
142. गोवा।

आई.सी.ए.आर. को कृषि मौसम संबंधी क्रियाकलापों का अंतरण

4768. डा. के. धनराजू: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय किसानों को मौसम संबंधी भविष्यवाणी के संबंध में मौसम विभाग से प्राप्त होने वाली उचित सूचना के अभाव में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में किसानों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मौसम से संबंधित मामलों के सभी पहलुओं हेतु केन्द्र सरकार की शीर्ष एजेन्सी है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अनुसंधान कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नियंत्रित एक ऐसे संस्थान द्वारा किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप समन्वय की कमी होती है और कृषि से संबंधित अनुसंधान निष्कर्ष भी प्रभावित होते हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या आई.एम.डी. द्वारा किए जा रहे कृषि मौसम कार्यकलापों को आई.सी.ए.आर. को अंतरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) किसानों को मौसम संबंधी सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी) अपने क्षेत्रीय तथा राज्य स्तरीय पूर्वानुमान कार्यालयों और समर्पित कृषि मौसम संबंधी परामर्शी सेवाओं के माध्यम से कृषक समुदाय को सेवाएं उपलब्ध कराता है। सभी राज्यों को शामिल करते हुए इन परामर्शों को 20 एग्रोमेट सलाहकार सेवा (ए.ए.एस.) यूनिटों के नेटवर्क से जारी किया जाता है और स्थानीय भाषा में प्रिंट मीडिया, रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। पूर्वानुमान कार्यालय प्रतिदिन दो बार कृषक मौसम बुलेटिन जारी करते हैं और लोकप्रिय कृषि कार्यालयों में स्थानीय भाषाओं में आल इंडिया रेडियो के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। राज्य कृषि विभागों के साथ विचार-विमर्श करके एग्रोमेट सलाह बुलेटिनों को सप्ताह में दो बार जारी किया जाता है, इसमें मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ में संस्तुत कृषि-संबंधी कार्यों पर बहुत विशिष्ट सलाह होती हैं। भारत मौसम विज्ञान इन सेवाओं को और उन्नत करने के लिए अपने प्रेक्षणात्मक नेटवर्कों का स्तरोन्नयन कर रहा है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही इन सेवाओं के अतिरिक्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र भी कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से कृषि संबंधी परामर्श उपलब्ध करा रहा है। इन सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, एन सी एम आर डब्ल्यू एफ देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में 83 कृषि-परामर्शी सेवाएं (ए ए एस) इकाइयों का संचालन कर रहा है। इस साल इनकी संख्या बढ़कर 107 हो गई है।

(ग) जी, हां। भारत मौसम विज्ञान विभाग देश की राष्ट्रीय मौसम सेवा है और मौसम विज्ञान, भूकम्प विज्ञान संबंधी सभी मुद्दों एवं सम्बद्ध विषयों में शीर्ष सरकारी एजेंसी है।

(घ) आई सी ए आर प्रयोगशालाओं सहित कई अनुसंधान दल कृषि मौसम विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यों में संलग्न हैं। आई एम डी द्वारा इन संस्थानों को सभी जानकारियां विशेषकर आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं और परस्पर हित के क्षेत्रों में उनके साथ समन्वय भी किया जाता है। वास्तव में कई आई सी ए आर केन्द्र डी एस टी के अंतर्गत एन सी एम आर डब्ल्यू एफ की ए ए एस इकाईयों के रूप में कार्य कर रहे हैं। एन सी एम आर डब्ल्यू एफ, आई एम डी के सहयोग के साथ दैनिक आधार पर कार्य करता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बोतलबंद पेयजल में कीटनाशक दवाइयां

4769. श्री ब्रजेश पाठक: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में विभिन्न ब्रांडों के बोतलबंद पेयजल में कीटनाशक दवाइयों की मौजूदगी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय मानक ब्यूरो का विचार इस संबंध में परीक्षण के मानकों में परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) खाद्य एवं अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत 'बोतल बंद जल' और 'बोतल बंद मिनरल वाटर' के मानक निर्धारित किए गए हैं।

'बोदल बंद पेय जल' के लिए कीटनाशी अवशिष्टों की आवश्यकताओं को दिनांक 18.7.2003 (1.1.2004 से) की अधिसूचना सा.का. नियम 554(ङ) के तहत इस प्रकार संशोधित किया गया है-

(i) कीटनाशी अवशिष्टों को अलग-अलग रूप से समझा जाता है:

0.0001 मि.ग्रा./लीटर से अधिक (इसमें विनिर्दिष्ट अवशिष्ट सीमाओं को पूरा करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रमाणित परीक्षण विधियों का उपयोग करके यह विश्लेषण किया जाएगा) न हो।

(ii) कुल कीटनाशी अवशिष्ट:

0.0005 मि.ग्रा./लीटर से अनधिक (इसमें विनिर्दिष्ट अवशिष्ट सीमाओं को पूरा करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रमाणित परीक्षण विधियों का उपयोग करके यह विश्लेषण किया जाएगा)

'बोतल बंद मिनरल वाटर' के लिए कीटनाशी अवशिष्टों की आवश्यकताएं इस प्रकार निर्धारित की गई हैं:-

कीटनाशी अवशिष्ट—पता लगाए जा सकने वाली सीमाओं से कम

(ग) और (घ) भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस), नई दिल्ली ने अब अवशिष्ट विश्लेषण की विधियों के मानकों को संशोधित किया है तथा 'बोतल बंद जल' और 'बोतल बंद मिनरल वाटर' को 16 विभिन्न कीटनाशी वर्गों/समूहों में उनको श्रेणीबद्ध किया है। इन उत्पादों में विश्लेषण किए जाने वाले कीटनाशकों की सूची और उन्हीं के लिए निर्धारित की गई विश्लेषण की विधि का ब्यौरा विवरण-I और II में है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अब निर्धारित की गई विधियां खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत अन्तर्राष्ट्रीय रूप से विनिर्दिष्ट अवशिष्ट सीमाओं को पूरा करने वाली प्रमाणित परीक्षण विधियां हैं।

विवरण I

(खण्ड 5)

अवशिष्ट विश्लेषण की विधियों के बारे में मानक (बोतल बंद पेय जल)

क्र.सं.	कीटनाशक का नाम	परीक्षण विधियां	
		यू.एस.ई.पी.ए.	ए.ओ.ए.सी.
1.	डीडीटी (ओपी व पीपी-डीडीटी, डीडीई व डीडीडी के आइसोमर्स)	508	990.06
2.	वाईएचसीएच (लिंडेन)	508	990.6
3.	ए.बी. व 8-एचसीएच	508	990.6
4.	एन्डोसल्फान (ए, बी और सल्फेट)	508	990.6
5.	मोनोक्रोटोफोस	8141ए	-
6.	इथियोन	1657ए	-
7.	क्लोरपिरिफोस	525.2, 8141ए	-
8.	फोरेट (फोरेट और इसके आक्सीजन एनेलाग अर्थात फोरेट सल्फोक्साइड और फोरेट सल्फोन)	8141ए	-
9.	2, 4-डी	515.1	-
10.	बुटाक्लोर	525.2, 8141ए	-
11.	आइसोप्रोटुरोन	532	-
12.	एलाकोर	525.2, 507	-
13.	एट्राजाइन	525.2, 8141ए	-
14.	मिथाइल पेराथियोन (मिथाइल पेराथियोन और इसके आक्सीजन एनेलाग अर्थात मिथाइलपेराओक्सोन)	8141ए	आईएसओ 10695
15.	मालाथियोजन (मालाथियोन और इसके आक्सीजन एनेलाग अर्थात मालाओंक्सोन)	8141ए	-
16.	एल्ड्रिन और डीएल्ड्रिन	525.2	990.06

टिप्पणी: परीक्षण विधियां परीक्षण प्रयोगशाला के लिए दिशा-निर्देशन और संदर्भ के वास्ते हैं। दो विधियों के मामले में, यू एस ई पी एस विधि संदर्भ विधि होगी।

विवरण II

(खण्ड 6.3)

अवशिष्ट विश्लेषण विधियों संबंधी मानक (मिनरल वाटर)

क्र.सं.	कीटनाशक का नाम	परीक्षण विधियां	
		यू.एस.ई.पी.ए.	ए.ओ.ए.सी.
1.	डीडीटी (ओपी व पीपी-डीडीटी, डीडीई व डीडीडी के आइसोमर्स)	508	990.06
2.	वाईएचसीएच (लिंडेन)	508	990.6
3.	ए.बी. व 8-एचसीएच	508	990.6
4.	एन्डोसल्फान (ए, बी और सल्फेट)	508	990.6
5.	मोनोक्रोटोफोस	8141ए	-
6.	इथियोन	1657ए	-
7.	क्लोरपिरिफोस	525.2, 8141ए	-
8.	फोरेट (फोरेट और इसके आक्सीजन एनेलाग अर्थात फोरेट सल्फोक्साइड और फोरेट सल्फोन)	8141ए	-
9.	2, 4-डी	515.1	-
10.	बुटाक्लोर	525.2, 8141ए	-
11.	आइसोप्रोटुरोन	532	-
12.	एलाकोर	525.2, 507	-
13.	एट्राजाइन	525.2, 8141ए	-
14.	मिथाइल पेराथियोन (मिथाइल पेराथियोन और इसके आक्सीजन एनेलाग अर्थात मिथाइलपेराओक्सोन)	8141ए	आई एस ओ 10695
15.	मालाथियोजन (मालाथियोन और इसके आक्सीजन एनेलाग अर्थात मालाओंक्सोन)	8141ए	-
16.	एल्ड्रिन और डीएल्ड्रिन	525.2	990.06

टिप्पणी: परीक्षण विधियां परीक्षण प्रयोगशाला के लिए दिशा-निर्देशन और संदर्भ के वास्ते हैं। दो विधियों के मामले में, यू एस ई पी एस विधि संदर्भ विधि होगी।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. हेतु आरक्षित कोटे को भरा जाना

4770. **श्री लालमणि प्रसाद:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सभी श्रेणी के पदों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षित पदों को भरे जाने के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह आरक्षित कोटा पूरी तरह भर लिया गया है और कोई भी बकाया रिक्ति नहीं है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) आरक्षित कोटा कब तक पूरी तरह भर लिया जाएगा;

(ङ) क्या आरक्षित पदों को न भरने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) दिनांक 01.01.2003 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) का प्रतिनिधित्व क्रमश: 16.52 प्रतिशत और 6.46 प्रतिशत है। सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कुछ पद इन्हीं श्रेणियों आदि के उपयुक्त उम्मीदवार न मिल पाने जैसे कारणों से रिक्त रह जाते हैं।

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पिछली बकाया रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने हेतु एक विशेष भर्ती अभियान शुरू किया गया है। हालांकि, यह कहना संभव नहीं है कि आरक्षित रिक्तियों को कब तक पूरी तरह भर लिया जाएगा।

(ङ) से (छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति से संबंधित अनुदेशों सहित सरकारी अनुदेशों की अवहेलना करना कदाचार माना जाता है और ऐसा करने वाला दोषी कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत अनुशासनिक कार्रवाई का भागी होता है।

[अनुवाद]

केरल में मेडिकल कालेजों का आधुनिकीकरण

4771. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने तिरूवनंतपुरम के मेडिकल कालेजों/अस्पतालों के उन्नयन और आपात सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार केरल में विभिन्न मेडिकल कालेजों में अवसंरचना सुविधाओं और आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) इस मंत्रालय के 21 मार्च, 2005 के पत्र के तहत मेडिकल कालेज तिरूवनन्तपुरम में अभिघात परिचर्या सुविधाओं के उन्नयन के लिए 144.86 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

(ग) और (घ) इस समय आधारभूत ढांचे की सुविधाओं आदि में सुधार लाने के लिए मेडिकल कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है।

भारतीय अस्पतालों में विदेशी मरीज

4772. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री मुन्शी राम:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रत्येक चिकित्सक के पास औसत रूप से कितने मरीज हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारत में इलाज/सर्जरी हेतु देशवार कितने विदेशी मरीज भारत आए हैं;

(ग) क्या भारतीय अस्पतालों में विदेशी मरीजों के बढ़ते प्रवाह से इन अस्पतालों में भारतीय मरीजों हेतु इलाज की लागत बढ़ेगी;

(घ) यदि हां, तो उनके हितों की किस तरीके से रक्षा की जाएगी;

(ङ) आज की तिथि के अनुसार देश में पंजीकृत एलोपैथिक और होम्योपैथिक चिकित्सकों की अलग-अलग संख्या क्या है;

(च) उनमें से ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने डाक्टर कार्य कर रहे हैं; और

(छ) सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने नए स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) डाक्टर-रोगी अनुपात प्रत्येक मामले में भिन्न होता है जो कि रोग के प्रकार, विशिष्टीकरण की प्रकृति, रोगी परिचर्या के प्रकार अर्थात अंतरंग/वाह्य रोगी जैसे विभिन्न

कारणों पर निर्भर करता है। डाक्टर-रोगी अनुपात से संबंधित आंकड़े संकलित नहीं किए जा रहे हैं। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार एलोपैथिक डाक्टर-जनसंख्या अनुपात इस समय 1:1722 बैठता है।

(ख) चिकित्सीय उपचार/शल्य चिकित्सा के लिए भारत आने वाले विदेशी रोगियों के बारे में देश वार सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) भारत में अस्पतालों द्वारा अपने उपकरणों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और वे अधिक कारगर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की ओर अग्रसर हैं। चूंकि विदेशी पर्यटकों को भारतीय रोगियों की अनदेखी करके सेवाएं प्रदान नहीं की जाती हैं, इसलिए भारतीय रोगियों के हितों की सुरक्षा की जाती है।

(ङ) देश में 6,39,729 एलोपैथिक तथा 2,01,484 होमियोपैथक चिकित्सक पंजीकृत हैं।

(च) उपलब्ध सूचना के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 21,974 डाक्टर तैनात हैं।

(छ) उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल, 2003 से सितम्बर, 2004 के दौरान 4962 स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं।

कैंसर अस्पतालों हेतु श्रीलंका को सहायता

4773. **श्री सर्वे सत्यनारायण:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोलम्बो में अत्याधुनिक कैंसर अस्पतालों के निर्माण हेतु श्रीलंका को 7.5 मिलियन डालर की अनुदान सहायता देने का वचन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों सरकारों ने इस संबंध में किसी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ङ) अस्पताल द्वारा अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत सरकार की तकनीकी विशेषज्ञता से कोलम्बो, श्रीलंका में एक भारतीय कैंसर केन्द्र खोलने के लिए 7.5 मिलियन अमरीकी डालर देने की घोषणा की गई है। श्रीलंका सरकार के साथ परामर्श करके परियोजना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं और कोई धनराशि मंजूर नहीं की गई है अथवा इस प्रयोजन के लिए अभी कोई व्यय नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

आश्रितों को नौकरियां

4774. **श्री मुनव्वर हसन:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 2005 तक मुख्य महाडाकपाल, दिल्ली परिमंडल के नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालयों में उन मृतक कर्मचारियों के नाम, पद और मृत्यु की तिथि क्या है जिनके आश्रितों को विभाग द्वारा अनुकंपा के आधार पर नौकरियां नहीं दी गई हैं;

(ख) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र व्यक्तियों के नाम/पते क्या हैं और उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत/रद्द किए गए/निर्णय लिए जाने वाले मामलों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा रद्द किए गए मामलों और अन्तिम निर्णय के लिए प्रतीक्षारत मामलों में एक निर्णय लेकर आवासों को खाली कराये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, दिल्ली सर्किल के नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालयों के ऐसे मृतक कर्मचारियों के नाम, पदनाम और मृत्यु की तारीखों का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I के भाग 1 से 4 में दिया गया है, जिनके आश्रितों को पिछले तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 2005 तक विभाग द्वारा अनुकंपा आधार पर नौकरी प्रदान नहीं की जा सकी।

(ख) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदकों के नाम/पते और उपरोक्त अवधि के दौरान के स्वीकृत/अस्वीकृत/निर्णयाधीन मामलों का वर्षवार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-II, विवरण-III के भाग 1 से 4 और विवरण-IV में दिया गया है।

(ग) जी हां, इस संबंध में अनुदेशों के अनुसार कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके आश्रितों को सरकारी आवास में दो वर्ष तक रहने की अनुमति प्रदान की जा सकती है, चाहे मामला अस्वीकार कर दिया हो अथवा अंतिम निर्णय किया जाना शेष हो।

(घ) तीन मामलों में आवास खाली कराने की कार्यवाही चल रही है।

विवरण I (भाग-1)

उन मृतक कर्मचारियों का ब्यौरा जिनका अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आश्रितों के मामले पर 1.1.2002 से 31.12.2002 की अवधि के दौरान विचार किया गया

क्र.सं.	मृतक का नाम	पद नाम	मृत्यु की तारीख
1	2	3	4
1.	अमरीक सिंह	पीए	4.7.2001
2.	राजिन्दर सिंह	एसए	6.10.2001
3.	रामेश्वर	एसपीएम	6.1.2001
4.	विजय कुमार-2	एसए	17.11.2001
5.	विक्रम राम	चौकीदार	25.3.2001
6.	श्याम सुन्दर शर्मा	एसपीएम	19.9.2001
7.	मोहर सिंह-2	मेलमैन	31.10.2001
8.	रमेश चन्द	पोस्टमैन	13.6.2001
9.	जवाहर लाल	पोस्टमैन	2.5.2001
10.	प्रेम सिंह	पैकर	19.5.2001
11.	माधो प्रसाद	एसए	29.8.2001
12.	राम बाबू शर्मा-2	एसए	20.9.2001
13.	मुकेश कुमार	पोस्टमैन	20.5.2001
14.	श्रीमती कललो देवी	फराश	22.5.2001
15.	जसवन्त सिंह-4	मेलमैन	22.11.2001
16.	मंगतू राम शर्मा	एसए	13.12.2001
17.	करमवीर सिंह	पोस्टमैन	16.8.2001
18.	ग्यानेन्दर कुमार रस्तोगी	पीए	26.12.2001
19.	राज कुमार शर्मा	डीओ (पीएलआई)	10.3.2000
20.	सूर मल	पैकर	19.1.2001
21.	नाथू राम	मेल मैन	13.11.2001
22.	राजेन्दर प्रसाद शर्मा	पीए	25.1.2002
23.	बलबीर सिंह	पोस्टमैन	19.4.2001
24.	रोशन लाल गोयल	एसपीएम	25.10.2001
25.	महेश नन्द	एसए	2.1.2002
26.	गयासी राम	पैकर	28.6.2001
27.	तारा चन्द-1	मेलमैन	26.12.2001
28.	हरदयाल	मेलमैन	1.2.2002
29.	रघुबीर सिंह	पीए	12.3.98
30.	सुरेश चन्दर गुप्ता	मेलमैन	11.12.2001
31.	रत्तन सिंह	मेलमैन	17.11.2001
32.	कमल बक्शी	यूडीसी एसबीसीओ	25.4.2001
33.	गोपी चन्द राठी	हेड पोस्टमैन	3.8.2001
34.	भगवान सिंह खत्री	एसए	10.3.2002
35.	सुखराम	हेड मेल पियन	17.5.2002
36.	मोहन लाल शर्मा	पोस्टमैन	29.3.2002
37.	रोशन लाल	पोस्टमैन	20.12.2001
38.	जिले सिंह	पोस्टमैन	17.12.2000
39.	विजय कुमार सक्सेना	एलडीसी	6.12.98
40.	टेक राम	पोस्टमैन	3.1.2002
41.	ओम प्रकाश	पीए	1.2.2001
42.	मेहर सिंह	टेक. सुपरवाइजर	25.3.2002
43.	साधू राम	पोस्टमैन	29.10.2001
44.	वी.पी. सिंह-2	पीए	2.12.2001
45.	उमेद सिंह	पोस्टमैन	27.6.2002
46.	बेनी सिंह	मेलमैन	6.2.2002
47.	ईश्वर चन्द्र गुप्ता	एसए	24.2.2002
48.	विरेन्दर कुमार गौड	पीए	16.9.2001

49.	ओम प्रकाश	डिस्पैच राइडर	6.7.2002
50.	रघुबीर सिंह	पोस्टमैन	16.1.2001
51.	बिरेन्दर कुमार कौशिक	पीए	8.12.2001
52.	श्याम लाल	पैकर	15.8.2002
53.	सतीश कुमार	पोस्टमैन	28.4.98

विवरण I (भाग-2)

उन मृतक कर्मचारियों का ब्यौरा जिनकी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आश्रितों के मामले पर 1.1.2003 से 31.12.2003 की अवधि के दौरान विचार हुआ

क्र.सं.	मृतक का नाम	पद नाम	मृत्यु की तारीख
1	2	3	4
1.	धरम सिंह	पीए	1.4.2002
2.	शिव लाल-2	एसए	20.10.2002
3.	एल.पी. यादव	एएसपीओ हैड क्वार्टर	14.6.2002
4.	पूरन मल	पैकर	4.1.2002
5.	राज रूप	पैकर	20.11.2002
6.	तेज पाल शर्मा	मेलमैन	9.10.2002
7.	बेग राज सिंह	पीए	28.12.2001
8.	रमेश	पोस्टमैन	14.10.97
9.	ब्रह्म प्रकाश	मेल मैन	11.9.2002
10.	दलीप चन्द	पीए	21.5.2000
11.	चरन सिंह	पीए	30.4.2002
12.	लेख राज आर्य	मेलमैन	9.12.2002
13.	चन्द्र भान	पैकर	16.8.2001
14.	सुरेन्दर पाल घई	पीए	14.10.2001
15.	रूमाल सिंह	एएसआरएम	10.11.2002
16.	सत नारायण-3	मेलमैन	5.5.2002
17.	गौतम प्रसाद	पीए	15.6.2002
18.	ईश्वर चन्द्र	पोस्टमैन	5.5.2002
19.	भोला सिंह	पीए	21.11.2002
20.	कृष्ण कुमार शर्मा	मेलमैन	28.10.2002
21.	हरबंस लाल	पोस्टमैन	13.10.2000
22.	श्याम सिंह	ड्राइवर	4.3.2003
23.	प्रभु नाथ राय	एलडीसी	12.7.2002
24.	जय प्रकाश सक्सेना	वरिष्ठ लेखाकार	14.12.2002
25.	सरदार सिंह	एसपीएम	1.12.2002
26.	श्री राम	पीए	20.10.2002
27.	धनी राम	एसपीएम	14.2.2002
28.	आस्करन	मेलमैन	24.10.2002
29.	धरम सिंह	पोस्टमैन	2.2.2003
30.	जय वीर सिंह	पोस्टमैन	25.2.2003
31.	जय सिंह	ड्राइवर	4.7.98
32,	चन्दर पाल सिंह-2	मेलमैन	14.6.2000
33.	दुर्गा देवी	एनटीसी फराश	26.12.2002
34.	जय भगवान	पोस्टमैन	23.2.2001
35.	राम अवतार सिंह	पोस्टमैन	5.1.2003
36.	धनी राम-1	मेलमैन	10.1.2003
37.	लक्ष्मन प्रसाद	एचआरओ	19.2.2002
38.	जय सिंह	पोस्टमैन	4.11.2001
39.	करण सिंह	पोस्टमैन	28.12.2002
40.	काली चरण	चौकीदार	3.1.2003
41.	प्रभू दयाल	पीए	12.4.2003
42.	हुकुम चन्द	पीए	28.2.2003
43.	देवेन्द्र सिंह	प्रधान छंटाई सहायक	2.5.2003
44.	शिवाजी महतो	मेलमैन	13.7.2003
45.	रमेश कुमार	पोस्टमैन	23.10.2002
46.	पुरूषोत्तम लाल	छंटाई सहायक	16.4.2003

1	2	3	4
47.	बशीर अली	छंटाई सहायक	22.6.2003
48.	चन्द्र पाल शर्मा	पीए	14.4.2003
49.	सुरेश चन्द-1	मेलमैन	17.2.2000
50.	कपूर सिंह	पीए	15.1.2003
51.	गंगा प्रसाद	पोस्टमैन	29.4.2002
52.	ईश्वर सिंह	पोस्टमैन	10.1.98
53.	जगदीश राय शर्मा	एसपीएम	20.12.2002
54.	दुली चन्द	मेलमैन	5.7.2003
55.	बरबीर सिंह	पोस्टमैन	29.5.2003
56.	ईश्वर सिंह	छंटाई पोस्टमैन	18.3.2003
57.	सोम नाथ	पीए	7.4.99

विवरण I (भाग-3)

उन मृतक कर्मचारियों का ब्यौरा जिनकी अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आश्रितों के मामले पर 1.1.2004 से 31.12.2004 की अवधि के दौरान विचार हुआ था

क्र.सं.	मृतक का नाम	पद नाम	मृत्यु की तारीख
1	2	3	4
1.	बाबू लाल मीणा	वरिष्ठ लेखाकार	5.6.2001
2.	अनिल कुमार-2	मेलमैन	17.6.2003
3.	खजान सिंह	कारपेंटर	28.10.2003
4.	रेणुका भारद्वाज	पीए	22.5.2002
5.	जयपाल	सहायक मैसन	9.7.2003
6.	सतीश कुमार त्यागी	वरिष्ठ लेखाकार	29.3.2003
7.	राम मेहर शर्मा	एसपीएम	16.7.2003
8.	लीला किशन खन्ना	छंटाई सहायक	26.11.2003
9.	सुरेन्दर सिंह	पीए	3.11.2003
10.	गिरि प्रसाद	पीए	13.8.2003
11.	राम सिंह	एसए	7.10.1996
12.	अशोक कुमार	पोस्टमैन	19.6.2003
13.	राम किशन-2	मेलमैन	19.12.2003
14.	जय राम मीणा	पीए	5.1.2003
15.	चन्द्र पाल सिंह	पीए	24.3.2003
16.	बलबीर सिंह	एसए	2.11.2003
17.	राम कुमार	पीए	3.1.2004
18.	सतबीर वत्स	एपीएम	29.12.2003
19.	रवी कुमार	मेलमैन	6.9.2003
20.	सुती प्रकाश	क्लीनर	27.1.2004
21.	जे.एस. सतीजा	पीए	15.9.2003
22.	रमेश	सफाई कर्मचारी	9.11.2003
23.	राजेन्द्र कुमार बंसल	मेलमैन	16.2.2004
24.	उमेद सिंह-1	मेलमैन	23.12.2003
25.	भगवान दास	पैकर	15.3.04
26.	कृष्ण लाल-3	एसए	26.3.04
27.	रणधीर सिंह	पोस्टमैन	26.5.02
28.	विजय शंकर	कार्यालय सहायक	8.5.2004
29.	गुलशन कुमार कपूर	एएसपीएम	11.1.2004
30.	गोपाल राव	वरिष्ठ लेखाकार	10.12.2003
31.	एस.के. बेरी	वरिष्ठ लेखाकार	25.2.2004
32.	शीश पाल सिंह	एसए	25.7.2004
33.	मदन मोहन कांडपाल	वरिष्ठ लेखाकार	28.5.2000
34.	दयानन्द पाण्डेय	छंटाई पोस्टमैन	2.5.2004
35.	राम फल अंतले	पोस्टमैन	26.12.2002
36.	वेदप्रकाश भारद्वाज	पीए	9.11.2003
37.	विजय पाल सिंह	पोस्टमैन	26.12.2002
38.	अजीत कुमार	मेलमैन	29.5.2004
39.	खजान सिंह	सफाई कर्मचारी	29.5.2004
40.	राधेश्याम	छंटाई सहायक	10.5.2004
41.	वेद प्रकाश-2	छंटाई सहायक	31.7.2004

1	2	3	4
42.	चन्द्र पाल	पीए	18.1.2003
43.	मार्कंडेय	मेलमैन	2.4.2004
44.	मूल चन्द सैनी	मेलमैन	30.7.2001
45.	सुभाष चन्द	पोस्टमैन	19.6.2003
46.	जगबीर सिंह	पोस्टमैन	13.11.2003
47.	राज कुमार-4	छंटाई सहायक	8.11.2001

विवरण I (भाग-4)

1.1.2005 से 31.3.2005 तक की अवधि के उन मृतक कर्मचारियों का विवरण जिनके मामलों पर वर्ष 2005 की रिक्तियों के लिए विचार किया जा सकेगा

क्र.सं.	मृतक का नाम	पद नाम	मृत्यु की तारीख
1	2	3	4
1.	सतीश चन्द्र मिश्रा	वाटरमैन	11.10.2004
2.	फिरोजी लाल	सफाई कर्मचारी	24.4.2004
3.	मदन मोहन शौरी	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	23.10.2004
4.	राम कुमार-2	पोस्टमैन	21.8.2004
5.	हुकम चन्द	वर्ग-घ	06.12.2003
6.	ब्रिज लाल	पीए	28.3.2004
7.	ब्रह्म सिंह-2	छंटाई सहायक	14.11.2004
8.	हरि देव	पीए	27.10.2004
9.	ईश्वरी प्रसाद	मेलमैन	13.2.2004
10.	राजबीर सिंह	छंटाई पोस्टमैन	12.7.2004
11.	केसरी देवी	फराश	9.10.2004
12.	राधे श्याम	छंटाई पोस्टमैन	17.4.2004
13.	प्रेम राज	पोस्टमैन	29.10.2003
14.	मान सिंह-1	छंटाई पोस्टमैन	14.4.2004
15.	जय गोबिंद	एसटीजी सहायक	10.1.2005
16.	गंगाधर मांझी	हेड मेल पियन	20.11.2004
17.	बाबू राम	छंटाई पोस्टमैन	21.4.2004

विवरण II

उन आवेदकों के नाम एवं पते जिनके मामले पिछले तीन वर्षों के दौरान 31.3.2005 तक के लिए स्वीकृत किए गए हैं

क्र.सं.	मृतक/आश्रित का नाम	पद	मृत्यु की तारीख	पता
1	2	3	4	5
	2002			
1.	बनवारी लाल शर्मा [कुलदीप गौतक (पुत्र)]	पीए	17.10.2001	क्वार्टर नं. 173 सैक्टर 6, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-22
2.	जय ओम [सतवंती देवी (पत्नी)]	पैकर	6.6.2001	ग्राम एवं डाकघर धांसा, नई दिल्ली-73
	2003			
1.	नानका राम [चन्दर मोहन (पुत्र)]	पैकर	25.12.2002	म.सं. 577, गली सं. 10 डी ब्लाक, मंगोल पुरी, दिल्ली-83
2.	राधा मोहन महतो [राजेश कुमार (पुत्र)]	पोस्टमैन	20.5.1997	म.सं. 62, पार्ट-3 दीप एन्कलेव, विकास नगर, नई दिल्ली-110059

1	2	3	4	5
	2004			
1.	जितेन्दर कुमार [श्रीमती शशि बाला (पत्नी)	मेलमैन	12.11.2003	म.सं. 1262 गांव एवं डाकघर झांड़सा हाई स्कूल टेलीफोन टावर के पास, गुड़गांव, हरियाणा
2.	हरद्वारी लाल [जितेन्दर कुमार (पुत्र)]	पोस्टमैन	27.7.2000	आरजेड-ए, 50 अर्जुन पार्क, नजफगढ़, नई दिल्ली-43
3.	राजेश कुमार 3 [श्रीमती अलका रानी (पत्नी)]	मेलमैन ड्राइवर	30.8.2000	आरजेड-18, डी/1, गली सं. 1, मेन सागर पुर, नई दिल्ली-46

विवरण III (भाग 1)

उन आवेदकों के नाम व पते जिनके मामले 1.1.2002 से 31.12.2002 तक के लिए अस्वीकार कर दिए गए हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मृतक का नाम	पद	मृत्यु की तारीख	उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार पता
1	2	3	4	5	6
1.	मनप्रीत	अमरीक सिंह	पीए	4.7.2001	डब्ल्यू सी-276, सुन्दर पुरी, नई दिल्ली-12
2.	पवन कुमार	राजिन्दर सिंह	एसए	6.10.2001	ग्राम एवं डाकघर भदारा, जिला सोनीपत, हरियाणा
3.	थानू राम	रामेश्वर	एसपीएस	6.1.2001	ग्राम नीमकर, तहसील बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा
4.	सुशील कुमार	विजय कुमार-2	एसए	17.11.2001	डी-171, मोतीबाग, नई दिल्ली-110021
5.	बिजेन्दर कुमार	विक्रम राम	चौकीदार	25.3.2001	क्वार्टर नं. 1799, जीपीओ काम्पाउंड, कश्मीरी गेट, दिल्ली-6
6.	कपिल शर्मा	श्याम सुन्दर शर्मा	एसपीएस	19.9.2001	1013/62-ए, शिव मंदिर, गली सं. 10, मौज पुर, दिल्ली-53
7.	विनोद कुमार	मोहर सिंह-2	पोस्टमैन	31.10.2001	के-87, जेजे कालोनी, वजीर पुर, दिल्ली-52
8.	महीन्दर सिंह	रमेश चन्द	पोस्टमैन	13.6.2001	सी-6, अम्बेडकर विहार, नई दिल्ली-94
9.	कसमवीर	जवाहरलाल	पोस्टमैन	2.5.2001	2/81, गली नं. 7, हरीजन बस्ती, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली-5

1	2	3	4	5	6
10.	राजीव रतन	प्रेम सिंह	पैकर	19.5.2001	म.सं. 1/16, पीएण्ड टी क्वार्टर, नई दिल्ली-3
11.	राजेश कुमार	माधो प्रसाद	एसए	29.8.2001	4350, भैरो स्ट्रीट, नई सड़क, दिल्ली-110006
12.	राधेश्याम	राम बाबू शर्मा-1	एसए	20.9.2001	सी-542, छज्जूपुर, ध्रुव गली, शाहदरा, दिल्ली-32
13.	सुमन	मुकेश कुमार	पोस्टमैन	20.5.2001	म.सं. 402, वार्ड नं. 13, विश्वकर्मा कालोनी, गोहाना सोनीपत, हरियाणा
14.	मनोहर लाल	श्रीमती कल्लो देवी	फराश	22.5.2001	16/372, कल्याण पुरी, दिल्ली-92
15.	अमित कुमार	जसवंत सिंह-4	मेलमैन	22.11.2001	म.सं. 208, वार्ड सं. 9, ततेरी पट्टी भरभानिया अग्रवाल मण्डी, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश
16.	नरेश कुमार	मंगतूराम शर्मा	एसए	13.12.2001	आरजेडके-55, कामत पार्क, गली नं. 6, ए (इंदिरा पार्क), पालम कालोनी दिल्ली
17.	मनोज कुमार	करमवीर सिंह	पोस्टमैन	16.8.2001	सी-2/21, स्वर्ण पार्क, मुण्डका, दिल्ली-41
18.	सरोज रस्तोगी	ज्ञानेन्दर कुमार रस्तोगी	पीए	26.12.2001	73, दीपाली, प्रीतम पुरा, दिल्ली-34
19.	शशि बाला	राजकुमार शर्मा	डीओ (पीएलआई)	10.3.2000	म.सं. 495, बख्तावर पुर, दिल्ली-36
20.	प्रदीप कुमार	सूरज मल	पैकर	19.1.2002	ग्राम एवं डाकघर भतगांव, जिला सोनीपत, हरियाणा
21.	भारत	नाथू राम	मेलमैन	13.11.2001	म.सं. 3408-9, चौक रमैया, राम बाजार, मोरी गेट, दिल्ली-6
22.	शैलेन्दर शर्मा	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	पीए	25.1.2002	म.सं. 36, फ्रेण्डस एन्कलेव, राजेन्दर पार्क, नांगलोई दिल्ली-41
23.	सुरेश कुमार	बलबीर सिंह	पोस्टमैन	19.4.2001	डी-96, जेजे कालोनी, वजीर पुर दिल्ली
24.	दीपक गोयल	रोशन लाल गोयल	एसपीएम	25.10.2001	म.सं. ए-1/88 हस्तसाल रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली-59

1	2	3	4	5	6
25.	सुशील कुमार	महेश नंद	एसए	2.1.2002	फ्लैट नं. 773, सेक्टर 6, आरके पुरम, नई दिल्ली-22
26.	संजीत	ग्यासी राम	पैकर	28.6.2001	ग्राम पोस्ट नाहरी, जिला सोनीपत, हरियाणा
27.	प्रवीण कुमार	तारा चंद-1	मेलमैन	26.12.2001	ग्राम पोस्ट बादशाहपुर, जिला गुड़गांव
28.	सरला	हरदयाल	मेलमैन	1.2.2002	सी-92, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली-27
29.	किशोर कुमार	रघुबीर सिंह	पीए	12.3.1998	ग्राम पोस्ट रजोकरी पहाड़ी, नई दिल्ली-38
30.	विकास गुप्ता	सुरेश चंद्र गुप्ता	मेलमैन	11.12.2001	ए 128, शिव मंदिर मार्ग, मंडावली फाजलपुर, दिल्ली-92
31.	निखिल	रतन सिंह	मेलमैन	17.11.2001	गांव घडौली, वसुंधरा एन्कलेव डाकघर, दिल्ली-96
32.	दीपांकर	कमल बख्शी	यूडीसी-एसबीसीओ	25.4.2001	सी 49, नेहरू विहार, तिमारपुर के पास, दिल्ली-54
33.	आजाद सिंह राठी	गोपी चंद राठी	हेड पोस्टमैन	3.8.2001	8/248, डीडीए फ्लैट कालकाजी, नई दिल्ली-19
34.	विनोद खत्री	भगवान सिंह खत्री	एसए	10.3.02	म.सं. 74/8, पाना उद्यान, नरेला, दिल्ली-40
35.	नवल किशोर	सुखराम	हेड मेल पियन	17.5.2002	म.सं. 161, गांव फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली-30
36.	संजीव शर्मा	मोहन लाल शर्मा	पोस्टमैन	29.3.2002	म.सं. 476, राम निवास, इंद्रा कालोनी, रोहतक
37.	नरेश कुमार	रोशन लाल	पोस्टमैन	20.12.2001	ग्राम दड़वी, डाकघर बरोह, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
38.	संजीव कुमार	जैल सिंह	पोस्टमैन	17.12.2000	म.सं. 732, नवादा बाजार, नजफगढ़, नई दिल्ली-43
39.	अर्जुन सक्सेना	विजय कुमार सक्सेना	एलडीसी	6.12.1998	फ्लैट नंबर 33, टाइप 3, आईटी कालोनी, उत्तरी पीतमपुरा, दिल्ली
40.	अनिल कुमार	टेकराम	पोस्टमैन	3.1.2002	म.सं. 156, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली-17
41.	पंकज शर्मा	ओम प्रकाश	पीए	1.2.2001	ग्राम रूंधी, तहसील पलवल, जिला फरीदाबाद

1	2	3	4	5	6
42.	किशनकांत	मेहर सिंह	टेक्निकल सुपरवाइजर	25.3.2002	म.सं. बी-175, बुद्ध नगर, इंद्र पुरी, नई दिल्ली-12
43.	जोगीराम	साधुराम	पोस्टमैन	29.10.2001	म.सं. 142, डबल स्टोरी, तिलक विहार, नई दिल्ली-18
44.	संजीव कुमार	वीपी सिंह-2	पीए	2.12.2002	म.सं. 9570, टोकरी वाला, आजाद मार्केट, दिल्ली-6
45.	राजकुमार	उमेद सिंह	पोस्टमैन	27.6.2002	म.सं. 865/15, फिरनी रोड, ग्राम मुंडका, नांगलोई, दिल्ली-41
46.	अनिल कुमार	बानी सिंह	मेलमैन	6.2.2002	ग्राम बापस किढ़ई, डाक पहाड़ी, थाना पटौदी, जिला गुड़गांव, हरियाणा
47.	नवीन कुमार	ईश्वर चंद्र गुप्ता	एसए	24.2.2002	म.सं. 202, ग्राम सत्रोठ, नरेला, दिल्ली-110040
48.	ओमवती	वीरेंद्र कुमार गौड़	पीए	16.9.2001	म.सं. 88, ग्राम बुराड़ी, दिल्ली-110084
49.	राजेश कुमार	ओम प्रकाश	डिस्पैच राइडर	6.7.2002	म.सं. 1/4649/38, न्यू माडर्न शाहदरा, दिल्ली
50.	सुमित्रा	रघुबीर सिंह	पोस्टमैन	16.1.2001	ग्राम हसनपुरी, उज्जवा, पीओ, दिल्ली-110073
51.	विजय कुमार कौशिक	वीरेंद्र कुमार कौशिक	पीए	8.12.2001	म.सं. ई-46-ए, गली नंबर 17ए, शाद नगर, पालम, नई दिल्ली-45
52.	दीपक	शामलाल	पैकर	15.8.2002	म.सं. बी-13-4, काली बाडी, पी एंड टी कालोनी, नई दिल्ली-110008
53.	अजय कुमार	सतीश कुमार	पोस्टमैन	28.4.1998	आरजेड-48, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110041

विवरण III (भाग-2)

उन प्रार्थियों के नाम और पते का ब्यौरा जिनके मामले 1.1.2003 से 31.12.2003 की अवधि में रद्द कर दिए गए हैं

क्र.सं.	प्रार्थी का नाम	मृतक का नाम	पद नाम	मृत्यु की तारीख	पता
1	2	3	4	5	6
1.	अशोक कुमार	धर्म चन्द	पीए	1.4.2002	778/6 आर.के. पुरम, नई दिल्ली-22

1	2	3	4	5	6
2.	सुरेश चन्द	शिव लाल-3	एसए	20.10.2002	ग्राम हजरतपुर, पीओ, धारपा बीओ, जिला बुलन्दहर, उत्तर प्रदेश
3.	सुजाता यादव	एलपी यादव	एएसपीओ मुख्यालय	14.6.2002	डी-172 न्यू अशोक नगर, दिल्ली-110096
4.	बीरेन्द्र सिंह	पूरन मल	पैकर	4.1.2002	ग्राम मुन्डेला खुर्द, पीओ-मुन्डेला कलां, दिल्ली-110073
5.	योगेश कुमार	राजरूप	पैकर	20.11.2002	मकान सं. 277, ग्राम पोचनपुर पीओ, धुल्सारस, नई दिल्ली-45
6.	राजरानी	तेज पाल शर्मा	मेल मैन	9.10.2002	ए-196 गली नं. 2, कमल विहार करावल नगर, दिल्ली-94
7.	राजकुमारी	बेग राज सिंह	पीए	28.12.2001	मकान नं. 260 फेज 4 शिव विहार, दिल्ली-94
8.	धर्मेन्द्र	रमेश	पोस्टमैन	14.10.97	ए-829 मंगोलपुरी, दिल्ली-83
9.	गजेन्द्र सिंह	ब्रह्मप्रकाश	मेलमैन	11.9.2002	मकान नं. 464, गली नं. 3, ओम नगर, गुड़गांव, हरियाणा
10.	मुकेश कुमार-7	दलीप चन्द	पीए	21.5.2000	क्वा नं. 949, ब्लाक 21 बाबा खड़गसिंह मार्ग, नई दिल्ली-1
11.	देवेन्द्र सिंह	चरण सिंह	पीए	30.4.2002	ग्राम एवं पीओ मूनामाजरा जिला झझर, हरियाणा
12.	गुरू दत्त शर्मा	लेख राज आर्य	मेलमैन	9.12.2002	ग्राम एवं पीओ धनौरा, जिला गाजियाबाद
13.	छत्तर सिंह	चन्द्र भान	पैकर	16.8.2001	आर/ओ 60-बी, हुमायूंपुर नई दिल्ली-29
14.	पंकज कुमार घई	सुरेन्द्र पाल घई	पीए	14.10.2001	26 राधेश्याम पार्क, परवाना रोड दिल्ली-51
15.	अरविन्द कुमार विमल	रूमाल सिंह	एएसआरएम	10.11.2002	मकान सं. 1/3980 भगवानपुर खेडा, लोनी रोड, शाहदरा दिल्ली-32
16.	मुकेश कुमार भाटिया	सतनारायण-3	मेलमैन	5.5.2002	2541/बडा चामरवाडा तिलक बाजार, दिल्ली-6
17.	संजय कुमार	गौतम प्रसाद	पीए	15.6.2002	ईपीटी-28 देव नगर नई दिल्ली-5
18.	रानी	ईश्वर चन्द्र	पोस्टमैन	5.5.2002	सी-2/397 नंद नगरी, दिल्ली-93

1	2	3	4	5	6
19.	सुरेन्द्र सिंह	भोला सिंह	पीए	21.11.2002	डी-164, मोती बाग, नई दिल्ली-21
20.	मुन्नी देवी	कृष्ण कुमार शर्मा	मेलमैन	28.10.2002	मकान नं. 44/1 गुरूवालान की धर्मशाला, यमुना बाजार, दिल्ली-6
21.	रवीन चितकारा	हरवंश लाल	पोस्टमैन	13.10.2000	ग्राम एवं पीओ कनौदा तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्झर, हरियाणा
22.	सुनील सिंह	श्याम सिंह	ड्राइवर	4.3.2003	30/3ए टाईप-2 पी एंड टी क्वार्टर के.बी. मार्ग, नई दिल्ली
23.	अजय कुमार	प्रभुनाथ राय	लिपिक	12.7.2002	डी-526 गली नं. 13 भजनपुरा दिल्ली-53
24.	समराह सक्सेना	जय प्रकाश सक्सेना	वरि. लेखाकार	14.12.2002	ए-27, एफ डीडीए फ्लैट्स मुनरिका, नई दिल्ली
25.	देवेन्द्र सिंह सोलंकी	सरदार सिंह	एसपीएम	1.12.2002	डब्ल्यू जेड-642, पालम विलेज बडियाल, नई दिल्ली-45
26.	विजेन्द्र कुमार	श्रीराम	पीए	20.10.2002	ग्राम गरहीवाल पीओ बिंदरौली जिला सोनीपत, हरियाणा
27.	तिलक सिंह	धनी राम	एसपीएम	14.2.2002	कासनी सदन मुकशिया मार्केट करावल नगर दिल्ली-94
28.	अमित कुमार	आशकरण	मेलमैन	24.10.2002	मकान नं. 1/4046 राम नगर विस्तार लोनी रोडी शाहदरा नई दिल्ली-32
29.	गोविंद राम	धर्म सिंह	पोस्टमैन	2.2.2003	ग्राम एवं पीओ ढांसा नई दिल्ली-73
30.	विजय कुमार	जयवीर सिंह	पोस्टमैन	25.2.2003	ग्राम एवं पीओ उजवा नई दिल्ली-93
31.	विकास कुमार तेजवाल	जय सिंह	ड्राइवर	4.7.98	एफ-280 लाडोसराय नई दिल्ली-30
32.	पिंटू कुमार	चन्द्रपाल सिंह-2	पेलमैन	14.6.2000	ग्राम फिरोजपुर पीओ फखारपुर जिला बागपत, उत्तर प्रदेश
33.	राजेश शर्मा	दुर्गा देवी	एनटीसी फराश	26.12.2002	सी-14, ईस्ट विनोद नगर दिल्ली-91
34.	राकेश	जय भगवान	पोस्टमैन	23.2.2001	ग्राम कालवा जींद

1	2	3	4	5	6
35.	अरूण कुमार	राम अवतार सिंह	पोस्टमैन	5.1.2003	ग्राम एवं पीओ उजवा नई दिल्ली-73
36.	अरूण शर्मा	धनी राम-1	मेलमैन	10.1.2003	ई-291 गली नं. 8/5 सुभाष विहार भजनपुरा, दिल्ली-53
37.	सुनील कुमार	लक्ष्मण प्रसाद	एचआरओ	19.2.2002	क्वा. नं. 331 सरोजनी नगर, नई दिल्ली-23
38.	निर्मला	जय सिंह	पोस्टमैन	4.11.2001	आरजेड-51 हरि विहार ककरौला, नई दिल्ली-46
39.	धर्मवीर	कर्ण सिंह	पोस्टमैन	28.12.2002	ग्राम मकदौला पीओ गाधी हरतरू जिला गुड़गांव
40.	विनोद कुमार	कालीचरण	चौकीदार	3.1.2003	4/12 सी टाईप-1 पीएंडटी क्वा. काली बाड़ी मार्ग, नई दिल्ली-1
41.	किशन कुमार	प्रभु दयाल	पीए	12.4.2003	मकान सं. 219 गली नं. 3 मदनपुरी, गुड़गांव
42.	संजीव राणा	हुक्मचन्द	पीए	28.2.2003	271, मुनगेशपुर, दिल्ली-39
43.	राकेश कुमार	देवेन्द्र सिंह	प्रधान छंटाई सहायक	2.5.2003	मीना नगर पीओ कोसी कलां मथुरा
44.	संतोष महतो	शिवाजी महतो	मेल चपरासी	13.7.2003	डी-1/20 ए मनसा रामपाल उत्तम नगर, नजफगढ़ रोड नई दिल्ली-59
45.	सीमा	रमेश कुमार	पोस्टमैन	23.10.2002	ए-79 गली नं. 15 संजीव नगर दिल्ली-33
46.	दीपक कुमार	पुरूषोत्तम लाल	छंटाई सहायक	16.4.2003	मकान नं. 2606 गली नं. 4 शादीपुर नई दिल्ली-8
47.	शमशाद अली	बशीर अली	छंटाई सहायक	22.6.2003	IX/4928ए/16 बी गली नं. 3 ईस्ट ओल्ड सीलमपुर दिल्ली-31
48.	रविन्द्र कुमार गौड	चन्द्रपाल शर्मा	पीए	14.4.2003	477 ईस्ट बदरपुर शाहदरा, दिल्ली-32
49.	तेज प्रकाश	सुरेश चन्द-1	मेलमैन	17.2.2002	मकान नं. 104 सी/2 गली नं. 11 बलवीर नगर X, शाहदरा, दिल्ली-32
50.	युगपाल	कपूर सिंह	पीए	15.1.2003	ग्राम एंड पीओ करौंथा जिला रोहतक, हरियाणा
51.	सुरेश कुमार शर्मा	गंगा प्रसाद	पोस्टमैन	29.4.2002	फ्लाट नं. 915 ईस्ट अरा भिवारी अलवर, राजस्थान

1	2	3	4	5	6
52.	मनोज कुमार	ईश्वर सिंह	पोस्टमैन	10.1.98	ग्राम एवं पीओ दौलतपुर, नई दिल्ली-43
53.	अमित पालीवाल	जगदीश राय शर्मा	एसपीएम	20.12.2005	मकान नं. 7, वार्ड 22, प्रभु नगर, मिर्च मण्डी सोनीपत, हरियाणा
54.	ओम प्रकाश	दुली चन्द	मेलमैन	5.7.2003	सी-410 नानक चन्द बस्ती मोहन गली कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली-110003
55.	प्रवीन कुमार	बलबीर सिंह	पोस्टमैन	29.5.2003	ग्राम एंड पीओ प्रहलादपुर, दिल्ली-42
56.	प्रवीन कुमार	ईश्वर सिंह	छंटाई पोस्टमैन	18.3.2003	मकान नं. ई-10 पंचम नगर सोनीपत, हरियाणा
57.	सत्यावती	सोम नाथ	पीए	7.4.99	ग्राम मनदौली त्यागी मार्केट नन्द नगरी, दिल्ली-93

विवरण III (भाग 3)

उन आवेदकों के नाम और पते का विवरण जिनके मामलों को 01.01.2004 से 31.12.2004 की अवधि के लिए अस्वीकृत कर दिया गया है

क्र.सं.	आवेदकों का नाम	मृतक का नाम	पदनाम	मृत्यु की तारीख	पता
1	2	3	4	5	6
1.	रविकुमार मीणा	बाबूलाल मीणा	कनिष्ठ लेखाकार	5.6.2001	ग्राम पवाना, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान
2.	सीता रानी	अनिल कुमार-2	मेल मैन	17.6.2003	ग्राम-वजीराबाद, गली नं. 6 दिल्ली-84
3.	अशोक देव	खजान सिंह	बढ़ई	28.10.2003	एच पी टी-126, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-23
4.	दिनेश कुमार	रेणुका भारद्वाज	डाक सहायक	22.5.2002	ग्राम व पोस्ट, भैसरू कलां, जिला रोहतक, हरियाणा
5.	वीर सिंह	जयपाल	सहायक मैसन	9.7.2002	बी-42, जे जे कालोनी, हस्तसाल, उत्तम नगर, नई दिल्ली-59
6.	योगेशचंद त्यागी	सतीश कुमार त्यागी	वरिष्ठ लेखाकार	29.3.2003	फ्लैट नं. 501, सुपर टेक प्लाजा, प्लाट नं. 43ए राजेन्द्र नगर सेक्टर 22 साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र.

1	2	3	4	5	6
7.	मंगतराम	राम मेहर शर्मा	एसपीएम	16.7.2003	524, गली नं. 7ए स्वतंत्र नगर नरेला, दिल्ली-40
8.	रेणुका खन्ना	लीला कृष्ण खन्ना	छंटाई सहायक	26.11.2003	सी-5 न्यू गोविन्दपुरा, दिल्ली-110051
9.	जगजीत कौर	सुरेन्द्र सिंह	डाक सहायक	3.11.2003	म.नं. ए 45, गली नं. 11, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-98
10.	संजीव कुमार	गिरी प्रसाद	डाक सहायक	13.8.2003	98ए जगदम्बा कालोनी, जोहरीपुर, एक्स., दिल्ली-94
11.	राहुल सिंह	राम सिंह	छंटाई सहायक	7.10.96	ग्राम मोहम्मदपुर, पी.ओ. भगवतगंज, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश
12.	रेखा	अशोक कुमार	डाकिया	19.6.2003	1-2/336, मदनगीर, नई दिल्ली
13.	अजय कुमार	राम किशन-2	मेल मैन	19.12.2003	म.नं. 14/404, त्रिलोकपुरी, निकट शिव मंदिर, दिल्ली-91
14.	किश्नी देवी	जयराम मीणा	डाक सहायक	5.1.2003	म.नं. आर जेड पी, 59 चाणक्य प्लेस, जनकपुरी, नई दिल्ली-59
15.	दीपक ठाकुर	चन्द्रपाल सिंह	डाक सहायक	24.3.2002	9/126, सुहास गली विश्वास नगर, दिल्ली-32
16.	देवेन्द्र कुमार	बलबीर सिंह	छंटाई सहायक	2.11.2003	ग्राम व पोस्ट, नीलोठी, दिल्ली-41
17.	सरस्वती	राम कुमार	डाक सहायक	3.1.2004	मकान नं. 193, ग्राम हस्तसाल, उत्तम नगर डाकघर, नई दिल्ली-59
18.	अमित	सतवीर वत्स	एपीएम	29.12.2003	म.नं. 419, ग्राम झुंडेरा, जिला गुड़गांव, हरियाणा
19.	वरूण वरदान	रवि कुमार	मेल मैन	6.9.2003	डब्ल्यू जेड 103/ए फेस-1 उत्तम नगर, नई दिल्ली-59
20.	मनोज कुमार शर्मा	सुति प्रकाश	क्लीनर	27.1.2004	ए12/22, पी एंड टी कालोनी, जनकपुरी, नई दिल्ली
21.	गुलशन सतिजा	जे.एस. सतिजा	डाक सहायक	15.9.2003	600 ए/8 गली नं. 2 दयानंद नगर बहादुरगढ़
22.	राज कुमार	रमेश	सफाई कर्मचारी	9.11.2003	बी-5/155, नन्द नगरी, दिल्ली-92
23.	सचिन बंसल	राजेन्द्र कुमार बंसल	मेल मैन	16.2.2004	1495, गली आर्य समाज सीता राम बाजार, दिल्ली-6

1	2	3	4	5	6
24.	बिजेन्द्र सिंह	उमेद सिंह-1	मेल मैन	23.12.2003	ग्राम मुबारकपुर पीओ रानी खेडा, दिल्ली-81
25.	दीपक वर्मा	भगवान दास	पैकर	15.3.2004	4110 आर्यपुरा गली जैन मंदिर सब्जी मंडी ओल्ड, दिल्ली-54
26.	सुश्री पायल	किशनलाल-3	छंटाई सहायक	26.3.2004	602 डी/12ए वार्ड 3 निकट काली माता, मंदिर, महरौली, नई दिल्ली-30
27.	नरेश कुमार	रंधीर सिंह	पोस्टमैन	26.5.2002	खडी कुई झज्जर, हरियाणा
28.	धीरज शर्मा	विजय शंकर	कार्यालय सहायक	8.5.2004	एच 1/28 सेक्टर-11. रोहिणी
29.	राम गोपाल कपूर	गुलशन कुमार कपूर	एएसपीएम	11.01.2004	39/7 दूसरी मंजिल निकट पानी की टंकी, ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली
30.	गरिमा तेलंग	गोपाल राव	वरिष्ठ लेखाकार	10.12.2003	एल 57, सेक्टर 12, नोएडा, उत्तर प्रदेश
31.	पंकज बेरी	एस.के. बेरी	वरिष्ठ लेखाकार	25.2.2004	ईपीटी-103, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-110023
32.	सुधीर राणा	शीशपाल सिंह	एसए	25.7.2004	बी-764/ए, गली नं. 3, अशोक नगर, दिल्ली-93
33.	अंकित कांडपाल	मदन मोहन कांडपाल	वरिष्ठ लेखाकार	28.5.2000	सी-2/209, यमुना विहार, दिल्ली
34.	विनोद कुमार	दयानंद पांडे	छंटाई पोस्टमैन	2.5.2004	229/9-सी, गली नं. 22, रेलवे कालोनी, मंडावली फजलपुर, दिल्ली-93
35.	सुरिन्दर	रामफल अंतले	पोस्टमैन	26.12.2002	ग्राम खेरवा, बहादुरगढ़
36.	योगेन्द्र कुमार भारद्वाज	वेद प्रकाश भारद्वाज	पीए	9.11.2003	मकान नं. 372-बी, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली-17
37.	संतोष देवी	विजयपाल सिंह	पोस्टमैन	9.3.2003	सी-31, विशाल कालोनी, नई दिल्ली-41
38.	यशोदा रानी	अजीत कुमार	मेलमैन	29.5.2004	ए-83, बादली एक्सटेंशन, दिल्ली-4
39.	लज्जा देवी	खजान सिंह	सफाई कर्मचारी	29.5.2004	आई-15, सीआईडी कालोनी, जोरबाग, नई दिल्ली-110003
40.	राजेश कुमार	राधेश्याम	छंटाई सहायक	10.5.2004	डब्ल्यूजेड-270, दूसरी मंजिल, एमएस ब्लाक, हरिनगर, नई दिल्ली

1	2	3	4	5	6
41.	राज कुमारी	वेद प्रकाश-2	छंटाई सहायक	31.7.2004	सी-141, जेजे कालोनी, शकरपुर, दिल्ली-34
42.	रविन्द्र सहरावत	चन्द्रपाल	पीए	18.1.2003	ग्राम व डाकघर अंबरहई, नई दिल्ली-45
43.	अश्विनी कुमार	मार्कंडेय	मेलमैन	2.4.2004	बी-7/4 पी एण्ड टी क्वार्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-58
44.	हरीश चन्द सैनी	मूलचंद सैनी	मेलमैन	30.7.2001	वार्ड नं. 16, मझी साहब का बाग, खेतरी जिला झुंझुनू, राजस्थान

विवरण IV

उन आवेदकों के नाम और पते का विवरण जिनके मामलों पर अभी विचार किया जाना है

क्र.सं.	आवेदकों का नाम	मृतक का नाम	पदनाम	मृत्यु की तारीख	पता
1	2	3	4	5	6
1.	उमा मिश्र	सतीश चन्द्र मिश्र	वाटरमैन	11.10.2004	क्वार्टर मेनियल-1, पी एण्ड टी कालोनी, देवनगर, दिल्ली
2.	अशोक कुमार	फिरोजी लाल	सफाई कर्मचारी	21.4.2004	एफ-549, दक्षिणपुरी, नई दिल्ली-62
3.	विशाल शौरी	मदन मोहन शौरी	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	23.10.2004	46/3/1ए गली नं. 14, ईस्ट आजाद नगर, दिल्ली-51
4.	मनोज कुमार	राम कुमार-2	पोस्टमैन	21.8.2004	डी-44ए, गली नं. 8, मंडावली उंसिलपुर, दिल्ली-92
5.	अशोक कुमार	हुकुम चंद	ग्रुप-डी	6.12.2003	ग्राम पंडवाला खुर्द, डाकघर नजफगढ़, नई दिल्ली-41
6.	अश्विनी कुमार	बृजलाल	पीए	28.3.2004	513, ग्राम सभा कालोनी, पूथकलां, दिल्ली-41
7.	अशोक कुमार	ब्रह्म सिंह-2	छंटाई सहायक	14.11.2004	सी-141 गली नं. 11, कांतिनगर एक्सटेंशन, दिल्ली-51
8.	राहुल देव	हरि देव	पीए	27.10.2004	एस-205, शकरपुर, गली नं. 2, दिल्ली-92
9.	आशा देवी	ईश्वरी प्रसाद	मेलमैन	13.2.2004	मकान नं. 30बी, नांगलोई एक्सटेंशन नं. 2 दिल्ली-41

1	2	3	4	5	6
10.	विजय कुमार	राजबीर सिंह	छंटाई पोस्टमैन	12.7.2004	एन-770, मंगोलपुरी, दिल्ली-83
11.	गोविन्द राम	केसर देवी	फराश	9.10.2004	एफ-7, डीडीए फ्लैट, रणजीत नगर, नई दिल्ली-8
12.	रविन्द्र नगर	राधे श्याम	छंटाई पोस्टमैन	17.4.2004	ग्राम व डाकघर रावता, नई दिल्ली-73
13.	प्रमोद कुमार	प्रेम राज	पोस्टमैन	29.10.2003	ग्राम शाहबाद, मोहम्मदपुर, नई दिल्ली-61
14.	मदन लाल	मान सिंह-1	छंटाई पोस्टमैन	14.4.2004	मकान नं. 412, ग्राम व डाकघर रानीखेड़ा, दिल्ली-81
15.	योगेश कुमार शर्मा	जय गोविन्द	छंटाई सहायक	10.1.2005	31/2 तुखमीर पुर एक्सटेंशन, दिल्ली-94
16.	शशिकांत मांझी	गंगाधर मांझी	हैड मेल पियन	20.11.2004	क्वार्टर नं. 752, आर.के. पुरम, सेक्टर-6, नई दिल्ली-110022
17.	सुनील कुमार	बाबू राम	छंटाई पोस्टमैन	21.4.2004	1/532, पट्टी मेहरा घास मंडी, बड़ौत, ग्राम जनपद, बागपत
18.	श्रीमती शीला कश्यप	सुभाष चन्द	पोस्टमैन	19.6.2003	पाकेट ए-3, 100 ई एलआईजी फ्लैट, मयूर विहार फेज-3, दिल्ली-96
19.	श्रीमती संतोष	जगबीर सिंह	पोस्टमैन	13.11.2003	ग्राम कैर, नजफगढ़, नई दिल्ली-43
20.	श्रीमती शशिबाला	राज कुमार-4	छंटाई सहायक	8.11.2001	41, मंगलपुरी कंकड खेड़ा, मेरठ कैंट

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 को 4 लाइनों का बनाना

4775. **श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्वालियर और देवास के बीच आगरा-मुंबई राजमार्ग के नाम से जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 को चार लाइनों का बनाने के संबंध में किसी कार्य-योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कार्य योजना की रूपरेखा क्या होगी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 पर शाजापुर शहर के लिए एक बाइपास, शाजापुर-मैक्सी के बीच लखन्दर नदी पर एक पुल और मैक्सी रेलवे क्रासिंग पर एक ऊपरि रेलवे पुल के निर्माण का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) रा.रा.-3 के ग्वालियर-देवास खंड में इस समय यातायात, संपूर्ण खंड को चार लेन का बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार से बी ओ टी आधार पर 521/6, 10 कि.मी. पर लखन्दर नदी पर पुल के साथ 507/4 से 517/4 कि.मी. तक शाजापुर बाइपास और काली सिंध नदी पर 483/10 कि.मी. पर पुल के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। ये प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। मैक्सी में प्रस्तावित आर ओ बी का निर्माण वार्षिक योजना 2005-06 में किया जाना है जो पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इन कार्यों के लिए कोई समय सीमा बता पाना अभी संभव नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर ऊपरि पुल का निर्माण

4776. श्री मनसुखभाई डी. वसावा: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर वापी से कामरेज तक एक ऊपरि पुल के निर्माण का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी हां। रा.रा.-8 पर वापी (365 कि.मी.) और कामरेज (248 कि.मी.) के बीच 4 फ्लाई ओवरों और 9 भूमिगत मार्गों का निर्माण किया गया है। फ्लाई ओवरों और भूमिगत मार्गों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गुजरात में रा.रा.-8 पर वापी (365 कि.मी.) और कामरेज (248 कि.मी.) के बीच निर्मित फ्लाई ओवरों और भूमिगत मार्गों के ब्यौरे

क्र.सं.	फ्लाई ओवर/भूमिगत मार्ग का नाम	स्थिति/रा.रा.-8 की कि.मी. चैनेज	आज की स्थिति
1	2	3	4
1.	वापी फ्लाई ओवर	364.694	पूरा हो गया।
2.	गैलेक्सी फ्लाई ओवर	363.410	पूरा हो गया।
3.	परडी भूमिगत मार्ग	346.713	पूरा हो गया।
4.	वल्लभ आश्रम भूमिगत मार्ग	344.380	पूरा हो गया।
5.	धर्मपुर फ्लाई ओवर	337.415	पूरा हो गया।
6.	दूनगिरि भूमिगत मार्ग	325.770	पूरा हो गया।
7.	वघलधारा भूमिगत मार्ग	319.800	पूरा हो गया।
8.	चिखली भूमिगत मार्ग	311.985	पूरा हो गया।
9.	खादसूपा भूमिगत मार्ग	293.140	पूरा हो गया।
10.	नवसारी फ्लाई ओवर	285.191	पूरा हो गया।
11.	पुराना भूमिगत मार्ग	282.252	पूरा हो गया।
12.	रनोदरा भूमिगत मार्ग	272.450	पूरा हो गया।
13.	पलसाना भूमिगत मार्ग	269.450	पूरा हो गया।

पश्चिम बंगाल में बीएसएनएल सुविधा

4777. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर और पूर्वी मेदिनीपुर के सभी जिलों में बीएसएनएल की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन क्षेत्रों के सभी जिलों में बीएसएनएल की सुविधा कब तक प्राप्त होने की संभावना है;

(घ) इन क्षेत्रों में कुल कितने सिम कार्ड प्रदान किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन जिलों के शहरी क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल की सुविधा प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस सुविधा को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के सभी जिला मुख्यालयों, सब डिविजनल मुख्यालयों, पश्चिमी मेदिनीपुर और मेदिनीपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में 182 टेलीफोन एक्सचेंजों,

35 मोबाइल रेडियो केन्द्रों और 18 डब्ल्यूएलएल रेडियो केन्द्रों (वायरलैस इन लोकल लूप) के माध्यम से भारत संचार निगम लि. की दूरसंचार सुविधा उपलब्ध है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपरोक्त क्षेत्रों में अभी तक कुल 35000 सिम कार्ड प्रदान किए गए हैं।

(ङ) और (च) एग्रा, कोन्तल, पांसकुरा, तामलुक, चन्द्रकोण नगर, घाटल, मिदनापुर और बालीचक में डब्ल्यूएलएल सेवाएं प्रदान करने की योजना बनायी गई है तथा इन सेवाओं के वर्ष 2005-06 के दौरान उपलब्ध होने की संभावना है।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शनों का आबंटन

4778. **श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल, 2004 से दिसम्बर, 2004 तक की अवधि के दौरान देश में कितने नए टेलीफोन कनेक्शनों का आबंटन किया गया है;

(ख) इनमें से मोबाइल फोनों की संख्या कितनी है;

(ग) इनमें से कितने फोन ग्रामीण क्षेत्रों को आबंटित किए गए हैं; और

(घ) उस कंपनी का क्या नाम है जिसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) तथा निजी प्रचालकों द्वारा अप्रैल, 2004 से दिसम्बर, 2004 तक देश में प्रदान किए गए कुल टेलीफोन कनैक्शनों की संख्या 1,63,52229 हैं।

(ख) इनमें से 1,40,86,918 मोबाइल टेलीफोन हैं।

(ग) इस अवधि के दौरान 7,65,216 फोन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किए गए हैं।

(घ) भारत संचार निगम लिमिटेड एक प्रमुख कंपनी है और कुल टेलीफोनों की संख्या में इसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक अर्थात् 22.87 प्रतिशत रही है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाइपास सड़कें

4779. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास जयपुर-अजमेर सड़क (एन एच 8) से जयपुर-टोंक सड़क (एन एच 12), टोंक-जयपुर सड़क (एन एच 12) से जयपुर-आगरा (एन एच 11) और आगरा-जयपुर सड़क (एन एच 11) से जयपुर-दिल्ली सड़क (एन एच 8) को जोड़ने वाली बाइपास सड़कों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में कब तक स्वीकृति देने का है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) इन सड़कों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बीमारियों के संबंध में टी.वी. पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों की विश्वसनीयता

4780. **श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मीडिया के माध्यम से स्वदेशी और अन्य उपचार पद्धतियों से कैंसर, एड्स, मिर्गी और माइग्रेन जैसी लाइलाज बीमारियों का इलाज करने का दावा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी विज्ञापनों की विश्वसनीयता की जांच के लिए कोई सरकारी तंत्र गठित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की है जो ऐसा भ्रामक विज्ञापन देकर लोगों को ठगते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) औषध और जादुई उपचार

(आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 जिसका संचालन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, के अंतर्गत कैंसर, एड्स, मिरगी जैसे रोगों के इलाज के लिए औषध अथवा जादुई उपचार से संबंधित किसी विज्ञापन का प्रकाशन करना अपराध है।

(घ) और (ङ) विशिष्ट मामलों में राज्य सरकारों द्वारा कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्रवाई का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

रिक्त पद

4781. श्री टेकलाल महतो: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान डाक और तार विभाग (डिपार्टमेंट आफ पोस्ट्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन) विभिन्न सर्किलों में कितने पद भरे गए हैं और आज की तिथि के अनुसार श्रेणीवार कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) विशेष रूप से झारखंड राज्य में विभाग-वार रिक्त पड़े पदों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): *डाक विभाग—*

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान डाक विभाग के विभिन्न सर्किलों में भरे गए तथा खाली पदों की संख्या निम्नानुसार है:-

भरे गए पदों की वर्ष-वार तथा श्रेणी-वार संख्या

वर्ष	समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह घ	कुल
2002	48	442	2467	382	3339
2003	12	399	2336	199	2946
2004	117	249	1980	117	2463

विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पदों की संख्या

समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह घ	कुल
80	316	13495	2864	16755

(ख) झारखंड सर्किल में रिक्त पड़े पदों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

समूह	रिक्त पड़े पदों की संख्या
क	2
ख	4
ग	85
घ	19

(ग) सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के माध्यम से रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां इनके उत्पन्न होने पर भरी जाती हैं। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, वर्ष में होने वाली सीधी भर्ती रिक्तियों के 1/3 तक सीधी भर्ती द्वारा भरी जा सकती है बशर्ते कि यह संख्या विभाग के कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या का 1% से अधिक न हो।

दूरसंचार विभाग

(क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के बढ़े हुए बिल

4782. श्री रघुनाथ झा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा बढ़े हुए बिल भेजने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मामले की जांच करने और एम टी एन एल के उपभोक्ताओं से वसूल किए गए अधिक प्रभार को उपभोक्ताओं को वापिस करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) उपभोक्ताओं से प्राप्त अधिक राशि के बिलों की शिकायतें, जारी किए गए बिलों का लगभग 0.12 प्रतिशत है, जो ट्राई द्वारा विनिर्धारित मानदण्डों (अर्थात् 0.1 प्रतिशत) के बहुत करीब है।

(ग) और (घ) जी नहीं, तथापि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पास अधिक राशि के बिलों की शिकायतों के विश्लेषण की एक प्रणाली है तथा वास्तविक मामलों में राशि वापस लौटाई जाती है।

विदेशी सेक्स वर्करों द्वारा एड्स का संक्रमण

4783. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विदेशी सेक्स वर्करों द्वारा एड्स वायरस संक्रमित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन में उपलब्ध सूचना के अनुसार विदेशी यौन-कर्ताओं से भारत में एच आई वी वायरस फैलने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

भारतीय विज्ञान पुरस्कार

4784. **श्री बापू हरी चौरे:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले दस वर्षों के दौरान कितने वैज्ञानिकों को भारतीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा इस पुरस्कार के चयन में क्या मानदंड अपनाए गये हैं; और

(ग) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) भारतीय विज्ञान पुरस्कार की शुरूआत हाल ही में की गई है और इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्त्ता प्रो. सी.एन. आर राव हैं। यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रतिष्ठित मान्यता वाले पुरस्कार के रूप में है। इसमें इंजीनियरी, औषधि तथा कृषि सहित विज्ञान में अनुसंधान के सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। पुरस्कार की राशि 25 लाख रु. है। यह पुरस्कार किसी भी वैज्ञानिक को बिना किसी आयु सीमा के नई प्रकृति के किसी प्रमुख योगदान तथा मूलतः भारत में किए गए कार्य के आधार पर प्रदान किया जाएगा। इसका प्राथमिक तथा अनिवार्य मानदण्ड निदर्शित तथा व्यापक रूप से स्वीकार्य विज्ञान उत्कृष्टता होना चाहिए। इस कार्य से इस क्षेत्र में अवसरों के नए मार्ग खुलने चाहिए और इसमें अभूतपूर्व मौलिकता और विषय की गहरी समझ का प्रदर्शन होना चाहिए, न कि केवल नकल अथवा पुनरावृत्ति के किस्म का भारी भरकम कार्य।

मानसिक रोगों के उपचार की कमी

4785. **श्री काशीराम राणा:**
श्री बीर सिंह महतो:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चिकित्सा सुविधाओं और दवाइयों के अभाव में अनेक व्यक्ति मानसिक रोगों से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे रोगियों को चिकित्सा सुविधाएं और दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने कितनी सफलता प्राप्त की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) अनुमान है कि जनसंख्या का लगभग 5 प्रतिशत लोग अनेक मनश्चिकित्सीय विकारों जैसे अवसाद, स्नायु रोग, तनाव और समंजन विकारों से पीड़ित हैं। जनसंख्या का लगभग 1 प्रतिशत भाग गंभीर मानसिक विकारों जैसे मनोविकारों और जनसंख्या के 0.5 प्रतिशत भाग को गंभीर मानसिक विकास के लिए सक्रिय उपचार की आवश्यकता है। तथापि, मानसिक बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या से संबंधित राज्यवार आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ावा देने में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। सरकार अब यह प्रयास कर रही है कि मानसिक रूप से बीमार रोगियों का शुरू में ही निदान किया जाए और सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली के माध्यम से उनका इलाज किया जाए। मानसिक रूप से बीमार रोगी का इलाज करने के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या के लिए

पहुंच बढ़ाने तथा बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में देश के 100 जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार करने, 37 सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं और 75 मेडिकल कालेजों के मनश्चिकित्सीय विंगों को सुदृढ़ करने, सूचना शिक्षा एवं सम्प्रेषण तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यकलाप करने का प्रस्ताव है। अब तक 94 जिलों को जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किया गया है, 9 मेडिकल कालेजों के मनश्चिकित्सीय विंगों के उन्नयन तथा एक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को सुदृढ़ करने के लिए निधियां जारी की गई हैं। अनुसंधान तथा सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलापों के लिए भी निधियां जारी की गई हैं।

[अनुवाद]

एम्स को एक स्वायत्त निकाय बनाना

4786. श्री विजय कृष्ण:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''एम्स'' को सरकार के शासनिक नियंत्रण से मुक्त स्वायत्त निकाय बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एम्स के एक नियमित अस्पताल के रूप में कार्य करने से अनुसंधान कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जबकि इस अस्पताल की स्थापना इसी उद्देश्य के लिए की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कदम उठाने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) अखिल भारतीय अयुर्विज्ञान संस्थान, संसद के अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार एम्स अपने निकायों द्वारा संचालित है तथा इसे रोगियों की परिचर्या, शिक्षण, अनुसंधान एवं प्रशासनिक विषयों के लिए पूरी तरह स्वायत्त है। तथापि, संस्थान सरकार/विधान के प्रति उत्तरदायी है क्योंकि इसका पूरा वित्तपोषण सरकार करती है।

(ग) और (घ) शुरू से ही यह संस्थान राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर अनुसंधान करता रहा है। यह संस्थान डी एस टी, सी एस आई आर, आई सी एम आर, डब्ल्यू एच ओ जैसी विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित बाह्य स्थानिक परियोजनाएं चलाता है। रोगियों का भारी बोझ होने के बावजूद, एम्स उत्कृष्टतम अनुसंधान कर रहा है तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जनरलों में नतीजों को प्रकाशित कर रहा है जिसकी समकक्ष संस्थाओं (पीयर) द्वारा समीक्षा की जाती है। क्योंकि रोगी परिचर्या सेवाएं और अनुसंधान कार्यकलाप आंतरिक तौर पर परस्पर जुड़े होते हैं इसलिए अनुसंधान कार्य को क्लीनिकल परिचर्या से जुड़े कार्य से अलग नहीं किया जा सकता। तथापि, एम्स में बाहर से आने वाले रोगियों के प्रवाह को कम करने के लिए सरकार देश के अन्य भागों में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत एम्स की तरह के छह संस्थान स्थापित कर रही है।

केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान में कथित अनियमितताएं

4787. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल के कोट्टायम में स्थित केन्द्रीय होम्योमपैथी अनुसंधान संस्थान में हुए कथित भ्रष्टाचार, धन के दुर्विनियोजन और नियुक्तियों में हुई अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है/कार्रवाई किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (होम्यो.) कोट्टायम, केरल में हुई नियुक्तियों के मामलों में निधियों के कथित दुर्विनियोजन और अनियमितताओं की बाबत दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। यद्यपि बाद में एक शिकायत इस आधार पर वापस ले ली गई थी कि वे अभिकथन तथ्यशून्य हैं और अफवाह पर आधारित हैं तथापि दूसरी शिकायत करने वाले के पास ठोस सबूत प्राप्त करने के लिए भेजे गए पत्र का जवाब नहीं मिला। छानबीन करने पर अभिकथनों को साबित नहीं किया जा सका।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडोनेशिया में भूकंप

4788. श्री पी.सी. थामस:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिसंबर, 2004 में आए भूकंप के समान ही एक शक्तिशाली भूकंप हाल ही में इंडोनेशिया के तटवर्ती क्षेत्रों में आया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निवारक उपाय किए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां।

(ख) 28 मार्च, 2005 को भारतीय मानक समय अर्थात् 21.40 बजे 8.3 (परिमाण तीव्रता) की तीव्रता वाला भूकंप आया जिसका अधिकेन्द्र इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीपसमूह के पश्चिमी तट के निकट था।

(ग) और (घ) भूकंप की गहन तीव्रता और इसके अधिकेन्द्र के स्थान को ध्यान में रखते हुए भारतीय मौसम वैज्ञानिक विभाग (आईएमडी) ने सुनामी की संभावना के बारे में गृह मंत्रालय को सूचित किया। यह निर्धारण कर लेने के बाद कि भारत के पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई कार्यालयों से असामान्य समुद्री दशाओं के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है, भारतीय मौसम वैज्ञानिक विभाग की सलाह लगभग चार घंटों के बाद वापस ले ली गई। यह परामर्श यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था कि जान-माल की हानि न हो।

पथ प्रभार

4789. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा:
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा/पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) के कुछ ऊपरि पुल पथ प्रभार के भुगतान पर उपयोग हेतु खुले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर यह पथकर एकत्र किया जाता है और प्रत्येक स्थान पर पथ प्रभार की दर क्या है;

(ग) किस आधार पर पथकर की गणना की गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पथकर से वर्षवार कितनी राशि एकत्र की गई?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) हरियाणा और पंजाब राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से किसी उपरि पुल के लिए पथ प्रभार वसूल नहीं किए जा रहे हैं। तथापि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हरियाणा और पंजाब राज्य में 4 लेन के पूरे हो चुके खंडों जिनमें उपरि पुल भी शामिल हैं, के लिए प्रयोक्ता शुल्क वसूल किया जा रहा है।

(ख) 4 लेन के पूरे हो चुके खंडों पर स्थान जहां पथकर वसूल किया जा रहा है तथा पथकर प्रभारों की दर विवरण-I में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों/राष्ट्रीय राजमार्गों पर अस्थायी/स्थायी पुलों के प्रयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का उद्ग्रहण) नियमावली, 1997 के अनुसार 4 लेन के पूरे हो चुके खंडों पर पथ कर एकत्र किया जा रहा है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पथ कर की वर्षवार एकत्र धनराशि विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

भाग (ख) 4 लेन के पूरे हो चुके खंडों पर स्थान जहां पथकर वसूल किया जा रहा है तथा पथकर प्रभारों की दर

क्र.सं.	वाहनों के ब्यौरे	स्थान और प्रति ट्रिप प्रभारित फीस की दर (रु.)				
		रा रा-1 पर करनाल में 132.4 कि.मी. पर (96.0 से 206.0 कि.मी. खंड के लिए)	रा रा-1 पर सांभू में 213.3 किमी. पर (206.0 से 272.0 कि.मी. खंड के लिए)	रा रा-1 पर दोहरा में 296.3 किमी. पर (272.0 से 372.0 किमी. खंड के लिए)	रा रा-2 पर श्रीनगर में 72 किमी. पर (18.8 से 108.9 किमी. खंड के लिए)	रा रा-8 पर विलासपुर में 61 किमी. पर (42.0 से 162.50 किमी. खंड के लिए)
1	2	3	4	5	6	7
1.	कार, जीप और वैन	50	30	45	35	55

1	2	3	4	5	6	7
2.	हलके व्यावसायिक वाहन	90	55	80	60	100
3.	बस और ट्रक	175	105	160	125	160
4.	भारी निर्माण मशीनरी और अर्थ मूविंग उपस्कर	375	225	340	125	160
खंड में आर ओ बी/ग्रेड सेपरेटर/फ्लाई ओवरों की संख्या		8	1	2	1	2

विवरण II

गत तीन वर्षों के दौरान पथ कर की वर्षवार एकत्र धनराशि

वर्ष	स्थान और वर्षवार एकत्रित पथकर राशि (करोड़ रु.)				
	रा रा-1 पर करनाल में 132.4 कि.मी. पर (96.0 से 206.0 कि.मी. खंड के लिए)	रा रा-1 पर सांभू में 213.3 किमी. पर (206.0 से 272.0 कि.मी. खंड के लिए)	रा रा-1 पर दोहरा में 296.3 किमी. पर (272.0 से 372.0 किमी. खंड के लिए)	रा रा-2 पर श्रीनगर में 72 किमी. पर (18.8 से 108.9 किमी. खंड के लिए)	रा रा-8 पर विलासपुर में 61 किमी. पर (42.0 से 162.50 किमी. खंड के लिए)
2002-03	38.93	14.45	17.07	10.09	35.67
2003-04	49.23	17.31	23.03	16.77	39.25
2004-05	52.75	18.96	25.56	17.21	41.50

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र/गैर-सरकारी कंपनियों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण

4790. **श्री रामदास आठवले:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नाममात्र के सरकारी नियंत्रण वाली सरकारी क्षेत्र की कंपनियों और गैर-सरकारी कंपनियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक सरकार को इस संबंध में संसद सदस्यों से कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई अथवा की जानी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश करते समय सरकार कारबार संबंधी समझौता करती है अर्थात् भावी महत्वपूर्ण साझेदार के साथ शेयर धारक समझौता/शेयर खरीद समझौता। कर्मचारियों के हितों का संरक्षण, इन समझौतों का एक अभिन्न हिस्सा है और इन समझौतों में उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं। महत्वपूर्ण साझेदार इन समझौतों में दिए गए विवरण के माध्यम से

इस बात को मान्यता देता है कि सरकार, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और अन्य सम्माजिक रूप से सुविधा वंचित श्रेणियों के लाभ के लिए अपनी रोजगार संबंधी नीतियों में कतिपय सिद्धांतों का पालन करती है। महत्वपूर्ण साझेदार इस बात का भी वचन देता है कि वह ऐसे व्यक्तियों को रोजगार के पर्याप्त अवसर जुटाने हेतु कंपनी को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के कर्मचारियों की पद संख्या में किसी प्रकार की कटौती की स्थिति में, महत्वपूर्ण साझेदार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह यह सुनिश्चित करने के प्रयास करेगा कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की छंटनी सबसे आखिर में की जाए।

(घ) संसद के कुछ सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें निजी क्षेत्रों और विनियोजित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण शुरू किए जाने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) जैसा कि भाग (क) से (ग) के उत्तर में बताया गया है।

[अनुवाद]

चिकित्सक-रोगी अनुपात

4791. डा. आर. सेनथिल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मौजूदा चिकित्सक-रोगी अनुपात राज्यवार कितना है;

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाया गया चिकित्सक-रोगी अनुपात कितना है;

(ग) सरकार द्वारा इस अनुपात को प्राप्त करने के लिए किन उपायों पर विचार किया गया है;

(घ) देश भर में चिकित्सक-रोगी के समरूप अनुपात को प्राप्त करने के लिए किन उपायों की योजना बनायी गयी है; और

(ङ) चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध एम.बी.बी.एस. सीटों और जनसंख्या के बीच राज्यवार कितना अनुपात है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) डाक्टर-रोगी अनुपात प्रत्येक रोग के मामले में अलग-अलग होता है जो विभिन्न तथ्यों अर्थात रोग का प्रकार, विशेषज्ञता की प्रकृति, आवश्यक रोगी परिचर्या का प्रकार अर्थात् अंतरंग/बहिरंग पर निर्भर करता है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस समय एलोपैथिक डाक्टर एवं जनसंख्या का अनुपात 1:1722 है।

इसके अलावा भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के लगभग 6,94,712 पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर डाक्टर जनसंख्या अनुपात प्रति लाख आबादी पर 128 से अधिक (1:781) बैठता है। इसके अतिरिक्त 25.4.05 की स्थिति के अनुसार 233 मेडिकल कालेज हैं जिनकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 26,192 है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त डाक्टर हैं।

(ङ) दिनांक 25.4.05 की स्थिति के अनुसार राज्यवार एम बी बी एस सीटों की संख्या से संबंधित विवरण संलग्न है।

विवरण

दिनांक 25.4.2005 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार मेडिकल कालेजों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	मेडिकल कालेजों की संख्या		कुल	कुल सीटों की संख्या
		सरकारी	निजी		
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10	20	30	3825
2.	असम	3	-	3	391
3.	बिहार	6	2	8	510
4.	चंडीगढ़	1	-	1	50
5.	छत्तीसगढ़	2	-	2	200

1	2	3	4	5	6
6.	दिल्ली	5	–	5	560
7.	गोवा	1	–	1	100
8.	गुजरात	8	5	13	1625
9.	हरियाणा	1	2	3	350
10.	हिमाचल प्रदेश	2	–	2	115
11.	जम्मू-कश्मीर	3	1	4	350
12.	झारखण्ड	3	–	3	190
13.	कर्नाटक	4	27	31	3905
14.	केरल	6	8	14	1600
15.	मध्य प्रदेश	5	2	7	820
16.	महाराष्ट्र	19	19	38	4260
17.	मणिपुर	1	–	1	100
18.	उड़ीसा	3	–	3	364
19.	पांडिचेरी	1	4	5	475
20.	पंजाब	3	3	6	520
21.	राजस्थान	6	2	8	800
22.	सिक्किम	1	–	1	50
23.	तमिलनाडु	13	8	21	2415
24.	उत्तर प्रदेश	9	3	12	1262
25.	उत्तरांचल	–	2	2	200
26.	पश्चिम बंगाल	9	–	9	1105
	कुल	125	108	233	26192

सरकारी कालेज	–	120
विश्वविद्यालय कालेज	–	5
निजी कालेज	–	108
कुल	–	233

पत्तनों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंड

4792. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पत्तनों के विकास और नये पत्तनों के निर्माण के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय मानदंड हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार मौजूदा कितने छोटे पत्तनों का विकास किया जा सकता है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) इस बारे में विश्व के स्तर पर स्वीकार्य कोई भी प्रतिमानक (मानदंड) नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

डाकघरों का कंप्यूटरीकरण

4793. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर में डाक संबंधी सभी गतिविधियों के कंप्यूटरीकरण और डाकघरों को कंप्यूटरों से जोड़ने का कार्य आरंभ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सभी डाकघरों का किस समय सीमा तक कंप्यूटरीकरण किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां। डाक विभाग ने देश भर में डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण एवं डाकघरों को जोड़ने संबंधी कार्य शुरू कर दिया है।

(ख) देश भर के सभी प्रधान डाकघरों और बड़े उप डाकघरों, जिनकी लगभग संख्या 7700 है, के कम्प्यूटरीकरण एवं उन्हें जोड़ने संबंधी कार्य दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक पूरा किये जाने की संभावना है। अभी तक 2372 डाकघरों में कम्प्यूटर प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2005-2006 एवं 2006-2007 में 5328 डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत करने का प्रस्ताव है। शेष विभागीय डाकघरों को उनके डाक परियात, निधि की उपलब्धता एवं अपेक्षित अनुमोदन के आधार पर भावी पंचवर्षीय योजनाओं में चरणबद्ध रूप से कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा।

स्वचालित और आधुनिक दूरभाष केन्द्र

4794. श्री ए. साई प्रताप: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में स्थापित स्वचालित और आधुनिक दूरभाष केन्द्रों का वर्षवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 2005-06 के दौरान आंध्र प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले ऐसे दूरभाष केन्द्रों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) गत दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में स्थापित किए गए स्वचालित और आधुनिक टेलीफोन एक्सचेंजों का वर्ष-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2005-06 के दौरान आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले प्रभावित टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2003-04 के दौरान चालू किये गये टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम (स्थान)	क्षमता	टाइप/प्रौद्यो.	एसएसए	जिला
1	2	3	4	5	6
1.	धरमावरम बी. स्ट्रीट	2000	एमबीएम आरएसयू	अनंतपुर	अनंतपुर
2.	प्रसांथीनिलायम	488	एमबीएस (एक्सएल) आरएसयू	अनंतपुर	अनंतपुर
3.	तिरूपति, बालाजी कालोनी	2000	ओसीबी आरएसयू	चित्तूर	चित्तरू

1	2	3	4	5	6
4.	चेलदीगनीपल्ली	32	टीडीएमएपीएमपी	चित्तूर	चित्तूर
5.	गोनेमकुलपल्ली	32	टीडीएमएपीएमपी	चित्तूर	चित्तूर
6.	कुड्डापाह, चेम्मूमियापेट	1000	एमबीएम (एक्स एल) आरएस	कुड्डापाह	कुड्डापाह
7.	रायावरम	152	सी 256 पीबी	कुड्डापाह	कुड्डापाह
8.	ए. कोथापलेम	32	टीडीएमएपीएमपी	गुन्टूर	गुन्टूर
9.	चीकातीगालापलेम	32	टीडीएमएपीएमपी	गुन्टूर	गुन्टूर
10.	कोथाचेरूवू	64	टीडीएमएपीएमपी	गुन्टूर	गुन्टूर
11.	सिवापुरम	32	टीडीएमएपीएमपी	गुन्टूर	गुन्टूर
12.	डोडलेरू	184	सी 256 पीए	गुन्टूर	गुन्टूर
13.	सिरीगिरीपाडु	152	सी 256 पीबी	गुन्टूर	गुन्टूर
14.	हैदराबाद, हैदरनगर	1700	ओसीबी आरएसयू	हैदराबाद	हैदराबाद
15.	हैदराबाद, बोदुप्पल	1600	ईडब्ल्यूएसडी आरएसयू	हैदराबाद	हैदराबाद
16.	हैदराबाद, नागारम	2000	5ईएसएसआरएसयू	हैदराबाद	हैदराबाद
17.	अन्नोजिगुडा	248	एएनआरएएक्स	हैदराबाद	हैदराबाद
18.	औशपुर	248	एएनआरएएक्स	हैदराबाद	हैदराबाद
19.	प्रगथिरिसोर्टस	152	सी 256 पीबी	हैदराबाद	हैदराबाद
20.	हिम्मतनगर	32	टीडीएमएपीएमपी	करीमनगर	करीमनगर
21.	कानागरथी	64	टीडीएमएपीएमपी	करीमनगर	करीमनगर
22.	कोडागल्ला	32	टीडीएमएपीएमपी	करीमनगर	करीमनगर
23.	पोथिरेड्डीपल्ली	32	टीडीएमएपीएमपी	करीमनगर	करीमनगर
24.	अंबारीपेट	152	सी 256 पीबी	करीमनगर	करीमनगर
25.	चीरलावंचा	152	सी 256 पीबी	करीमनगर	करीमनगर
26.	गोपुलापुर	152	सी 256 पीबी	करीमनगर	करीमनगर
27.	नागारम	152	सी 256 पीबी	करीमनगर	करीमनगर
28.	जिल्लेला	152	सी 256 पीबी	करीमनगर	करीमनगर
29.	करीमनगर के. रामपुर	2000	एमबीएम (एक्सएल) आरएस	करीमनगर	करीमनगर
30.	वेल्लूला (बंदालिगांपुर)	152	सी 256 पीबी	करीमनगर	करीमनगर

1	2	3	4	5	6
31.	रूद्रमकोटा	32	टीडीएमएपीएमपी	खम्माम	खम्माम
32.	अल्लीनगर	32	टीडीएमएपीएमपी	खम्माम	खम्माम
33.	चिलुकुरू	32	टीडीएमएपीएमपी	खम्माम	खम्माम
34.	कबमपाडु	64	टीडीएमएपीएमपी	खम्माम	खम्माम
35.	रायनापेट	64	टीडीएमएपीएमपी	खम्माम	खम्माम
36.	पेरीकिसीनगरम	32	टीडीएमएपीएमपी	खम्माम	खम्माम
37.	बेथालापाडु	32	टीडीएमएपीएमपी	खम्माम	खम्माम
38.	उसीरीकायलापल्ली	32	टीडीएमएपीएमपी	खम्माम	खम्माम
39.	गेटकारेपल्ली	32	टीडीएमएपीएमपी	खम्माम	खम्माम
40.	पिंजारामादुगू	32	टीडीएमएपीएमपी	खम्माम	खम्माम
41.	इदूरमोंदी	32	टीडीएमएपीएमपी	कृष्णा	कृष्णा
42.	इराली	32	टीडीएमएपीएमपी	कृष्णा	कृष्णा
43.	अदोनी-एएएस कालेज रोड	2000	एमबीएम आरएसयू	कुर्नूल	कुर्नूल
44.	देवराबंदा	152	सी 256 पीबी	कुर्नूल	कुर्नूल
45.	पेसालाबंदा	152	सी 256 पीबी	कुर्नूल	कुर्नूल
46.	नीलमपाडू	152	सी 256 पीबी	कुर्नूल	कुर्नूल
47.	तिरूमाला देवूनिगुट्टा	2000	एमबीएम (एक्सएल) आरएस	मेहबूबनगर	मेहबूबनगर
48.	वसंतपुर	32	टीडीएमएपीएमपी	मेहबूबनगर	मेहबूबनगर
49.	बालाभदरायपल्ली	32	टीडीएमएपीएमपी	मेहबूबनगर	मेहबूबनगर
50.	मिरयलगुडा, एय बी कालोनी	2000	एमबीएम आरएसयू	नालगोंडा	नालगोंडा
51.	इप्पारथी	152	सी 256 पीबी	नालगोंडा	नालगोंडा
52.	पेद्दाकुंडूर	152	सी 256 पीबी	नालगोंडा	नालगोंडा
53.	कोंडामाडुगु	360	एसबीएम	नालगोंडा	नालगोंडा
54.	नेल्लोर, एम/डब्ल्यू बिल्डिंग	2000	ओसीबी आरएसयू	नेल्लोर	नेल्लोर
55.	अराविल्लीपाडू	32	टीडीएमएपीएमपी	प्रकासम	प्रकासम
56.	चंदूरू	32	टीडीएमएपीएमपी	प्रकासम	प्रकासम
57.	तल्लूर (आर)	152	सी 256 पीबी	प्रकासम	प्रकासम

1	2	3	4	5	6
58.	मुंदलापाडु	152	सी 256 पीबी	प्रकासम	प्रकासम
59.	पेदालावलापाडु	152	सी 256 पीबी	प्रकासम	प्रकासम
60.	चादावरम	32	टीडीएमएपीएमपी	प्रकासम	प्रकासम
61.	गिदीपाटीपल्ली	184	सी 256 पीसी	प्रकासम	प्रकासम
62.	गुरावाजीपेटा	184	सी 256 पीसी	प्रकासम	प्रकासम
63.	पोलेपल्ली	32	टीडीएमएपीएमपी	प्रकासम	प्रकासम
64.	कोटीपल्ली	488	एमबीएमआरएसयू	हैदराबाद	रंगारेड्डी
65.	अदापाका	152	सी 256 पीबी	श्रीकाकुलम	श्रीकाकुलम
66.	जे नायदुपेटा	32	टीडीएमएपीएमपी	विजयानगरम	विजयानगरम
67.	नरसिम्हुनीपेटा	32	टीडीएमएपीएमपी	विजयानगरम	विजयानगरम
68.	गोपालपुर	32	टीडीएमएपीएमपी	वारंगल	वारंगल
69.	मदावापल्ली	32	टीडीएमएपीएमपी	वारंगल	वारंगल
70.	पी सिंगाराम	32	टीडीएमएपीएमपी	वारंगल	वारंगल
71.	वारीकोले	32	टीडीएमएपीएमपी	वारंगल	वारंगल
72.	येलकुरथी	152	सी 256 पीबी	वारंगल	वारंगल
73.	इडप्पागुडा	184	सी 256 पीसी	वारंगल	वारंगल
74.	तारीगोप्पुला	152	सी 256 पीबी	वारंगल	वारंगल
75.	मल्लीकुदूरला	184	सी 256 पीसी	वारंगल	वारंगल
76.	इलुरू श्रीरामनगर	500	ई 10 बी आरएलयू	वेस्ट-गोदावरी	वेस्ट-गोदावरी

वर्ष 2004-05 के दौरान खोले गए टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम (स्थान)	क्षमता	टाइप/प्रौद्यो.	एसएसए	जिला
1	2	3	4	5	6
1.	महल	744	एएनआरएएक्स	चित्तूर	चित्तूर
2.	राजहमुंदरी आरआर नगर	480	डीएलसी	पू. गोदावरी	पू. गोदावरी
3.	राजहमुंदरी किलारी मैनसन	480	डीएलसी	पू. गोदावरी	पू. गोदावरी
4.	अदीगोप्पुला	184	सी 256 पी ए	गुन्टूर	गुन्टूर
5.	पेडाकोडमगुंडला	152	सी 256 पीबी	गुन्टूर	गुन्टूर

1	2	3	4	5	6
6.	एचडी हुबसीमुडा	1800	ईडब्ल्यूएसडी आरएसयू	हैदराबाद	हैदराबाद
7.	एचडी जे एच/इंडियन आईएमएम लि.	480	डीएलसी	हैदराबाद	हैदराबाद
8.	एचडी/जेएच/एमसीआर एचआरडी इंस्टी.	480	डीएलसी	हैदराबाद	हैदराबाद
9.	एचडी, एसडी/सीटीसी	480	डीएलसी	हैदराबाद	हैदराबाद
10.	एचडी, एसडी/आरआर नगर	480	डीएलसी	हैदराबाद	हैदराबाद
11.	एचडी टीबी/टेम्पलेशन	480	डीएलसी	हैदराबाद	हैदराबाद
12.	एचडी एसडी/विशाल टावर	480	डीएलसी	हैदराबाद	हैदराबाद
13.	एचडी जेएच/एक्सेल मीडिया	480	डीएलसी	हैदराबाद	हैदराबाद
14.	एचडी जेएच/एपी एसपी	480	डीएलसी	हैदराबाद	हैदराबाद
15.	हैदराबाद, हस्मतपेट	2000	ओसीबी आरएसयू	हैदराबाद	हैदराबाद
16.	पुलिस अकादमी	480	डीएलसी	हैदराबाद	हैदराबाद
17.	रेड्डी लैब्स	480	डीएलसी	हैदराबाद	हैदराबाद
18.	एसबीआई	480	डीएलसी	हैदराबाद	हैदराबाद
19.	केएएमारूतिनगर	480	डीएलसी	करीमनगर	करीमनगर
20.	केएए सुभाष नगर	480	डीएलसी	करीमनगर	करीमनगर
21.	गुंडला	152	सी 256 पीबी	खम्माम	खम्माम
22.	वी जे भवानीपुरम-2	480	डीएलसी	कृष्णा	कृष्णा
23.	इब्राहिमपटनम	480	डीएलसी	कृष्णा	कृष्णा
24.	एनडीएल श्रीनिवासन	2000	एमबीएम (एक्सएल) आरएसयू	कुर्नूल	कुर्नूल
25.	मदगुल	152	सी 256 पीबी	मेहबूबनगर	मेहबूबनगर
26.	नन्दीवड्डेमन	64	टीडीएमएपीएमपी	मेहबूबनगर	मेहबूबनगर
27.	वीरारेड्डीपल्ली	184	सी 256 पीए	मेडक	मेडक
28.	एमडीसी वंदना काम्पलेक्स	600	एमबीएम (एक्सएल) आरएसयू	हैदराबाद	रंगारेड्डी
29.	दन्दूमेलारम	152	सी 256 पीबी	हैदराबाद	रंगारेड्डी
30.	गुंडलापोचमपल्ली	248	एएनआरएएक्स	हैदराबाद	रंगारेड्डी
31.	एसकेएम कलक्ट्रेट	480	डीएलसी	श्रीकाकुलम	श्रीकाकुलम
32.	जी के विधि (आरवी नगर)	152	सी 256 पीबी	विशाखापट्टनम	विशाखापट्टनम

1	2	3	4	5	6
33.	वी जेडएम वुदा कालोनी	480	डीएलसी	विजयानगरम	विजयानगरम
34.	मुंजेरू	480	डीएलसी	विजयानगरम	विजयानगरम
35.	परिमेला कालोनी	480	डीएलसी	वारंगल	वारंगल
36.	कोक्कीरापाडु	480	डीएलसी	प. गोदावरी	प. गोदावरी

विवरण II

वर्ष 2005-06 के दौरान आंध्र प्रदेश में स्थापित करने के लिए प्रस्तावित एक्सचेंजों की सूची

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम (स्थान)	क्षमता	टाइप/प्रौद्यो.	एसएसए	जिला
1.	हैदरशाह कोट	1000 लाइन	ईडब्ल्यूएसडी	हैदराबाद	हैदराबाद
2.	बंजारा हिल्स रोड नं. 12	3000 लाइन	ईडब्ल्यूएसडी	हैदराबाद	हैदराबाद
3.	बालाजी नगर, कन्टोनमेंट	1000 लाइन	ओसीबी	हैदराबाद	हैदराबाद
4.	मूसापेट-एरगिड्डा	1000 लाइन	ओसेंबी	हैदराबाद	हैदराबाद
5.	बी एम-वेपागुंटा	1000 लाइन	ईडब्ल्यूएसडी	विशाखापटनम	विशाखापटनम
6.	वी एम श्रीहरीपुरम	1000 लाइन	ईडब्ल्यूएसडी	विशाखापटनम	विशाखापटनम

प्रधानमंत्री रोजगार योजना और आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत लक्ष्य

4795. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना और आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत उपलब्धियां वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन योजनाओं के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार स्वरोजगार के लिए राष्ट्रीय बैंक स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) वर्ष 2002-03 और 2003-04 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के तहत लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नोक्त हैं:-

वर्ष	पीएमआरवाई (स्व-रोजगार इकाइयों की संख्या, लाख में)		आरईजीपी (रोजगार, लाख व्यक्ति में)	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
2002-03	2.20	2.28	4.00	3.61
2003-04	2.20	2.60	5.00	4.71
20034-05	2.50	*	5.25	*

*टिप्पणी: 2004-05 के दौरान उपलब्धि के आंकड़े अभी पूर्णतया उपलब्ध नहीं हैं।

2002-03 और 2003-04 के लिए पीएमआरवाई और आरईजीपी के तहत लक्ष्यों और उपलब्धियों का राज्यवार विवरण क्रमशः विवरण-I और II पर दिया गया है।

पीएमआरवाई के तहत, स्व-रोजगार के मामलों/इकाइयों, जिन्हें बैंकों द्वारा ऋण संस्वीकृत किए गए थे, के संबंध में लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। तथापि, 2002-03 और 2003-04 के दौरान, इकाइयों की संख्या जिन्हें ऋण संवितरित किए गए, क्रमशः 1.90 लाख और 2.16 लाख थी। संस्वीकृत मामलों में बैंकों द्वारा ऋणों के संवितरण के संबंध में आई हल्की सी कमी, सामान्यतः आवेदकों द्वारा बैंकों द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा न करने, कार्यकलाप आरंभ करने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से आवश्यक अनुमोदन/क्लीयरेंस प्राप्त करने में आवेदकों द्वारा विलंब/कठिनाई, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा शेड, विद्युत कनेक्शन, जल आपूर्ति, आदि के आबंटन में विलंब, आवेदक के परिवार के सदस्य बैंक ऋणों के बाकीदार पाए जाने, आदि के कारण हुई है। आरईजीपी के तहत भी वृहत तौर पर लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। दोनों योजनाओं के तहत, 2002-03 की तुलना में, 2003-04 में उपलब्धि में भी वृद्धि हुई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) वर्तमान बैंकिंग आधारभूत संरचना सरकार के स्व-रोजगार कार्यक्रमों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए पर्याप्त मानी जाती है।

विवरण I

पीएमआरवाई के तहत, राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(स्व-रोजगार इकाइयों की संख्या)			
		2002-03		2003-04	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6
1.	हरियाणा	4600	8290	4050	8386
2.	हिमाचल प्रदेश	2700	2453	3200	3028
3.	जम्मू-कश्मीर	1400	763	1150	792
4.	पंजाब	4000	8644	4100	8405
5.	राजस्थान	8300	14613	8100	15582
6.	चण्डीगढ़	300	61	300	99
7.	दिल्ली	4600	698	4400	1107
8.	असम	6900	5299	6600	7336
9.	मणिपुर	1300	670	1200	595
10.	मेघालय	300	331	350	447
11.	नागालैण्ड	250	109	300	68
12.	त्रिपुरा	700	1466	800	2477
13.	अरुणाचल प्रदेश	150	336	200	685

1	2	3	4	5	6
14.	मिजोरम	250	328	200	788
15.	सिक्किम	50	29	100	31
16.	बिहार	18100	9495	14400	11378
17.	झारखण्ड	2900	4980	5350	5460
18.	उड़ीसा	6850	8225	6600	11508
19.	पश्चिम बंगाल	21100	2938	20000	3574
20.	अण्डमान और निकोबार	75	158	100	189
21.	मध्य प्रदेश	14300	22216	11750	25957
22.	छत्तीसगढ़	2250	4401	4600	3993
23.	उत्तर प्रदेश	25450	43825	22950	44684
24.	उत्तरांचल	925	5036	1800	5699
25.	गुजरात	7950	7701	8650	7192
26.	महाराष्ट्र	22150	20489	22800	20908
27.	दमन एवं दीव	50	2	50	4
28.	गोवा	500	300	400	125
29.	दादरा और नगर हवेली	50	10	50	0
30.	आंध्र प्रदेश	17900	15788	18400	23174
31.	कर्नाटक	10500	12223	10800	15214
32.	केरल	15250	12640	16250	17070
33.	तमिलनाडु	17400	12061	19350	13111
34.	लक्षद्वीप	50	10	50	17
35.	पाण्डिचेरी	450	297	600	352

विवरण II

आरईजीपी के अंतर्गत राज्य-वार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोजगार व्यक्तियों की संख्या			
		2002-03		2003-04	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	चंडीगढ़	1065	7	52	1572
2.	दिल्ली	525	293	700	656

1	2	3	4	5	6
3.	हरियाणा	11040	15964	13350	12577
4.	हिमाचल प्रदेश	9660	11644	11700	11005
5.	जम्मू-कश्मीर	9795	3129	12300	11565
6.	पंजाब	20820	31461	24950	23581
7.	राजस्थान	31815	43040	41550	39202
8.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	600	1392	1531	721
9.	बिहार	19485	1965	24360	23000
10.	झारखण्ड	7845	9398	13300	12486
11.	उड़ीसा	11385	2816	18150	17101
12.	पश्चिम बंगाल	36045	22531	47700	45047
13.	अरुणाचल प्रदेश	975	806	1350	1258
14.	असम	21000	7003	27350	25809
15.	मणिपुर	1050	2196	2415	1380
16.	मेघालय	1515	2515	7600	7185
17.	मिजोरम	1650	3970	2350	2221
18.	नागालैण्ड	1800	981	4700	4429
19.	त्रिपुरा	1680	2021	5150	4852
20.	सिक्किम	90	120	1650	1572
21.	आंध्र प्रदेश	19065	34500	23700	22358
22.	कर्नाटक	17490	29648	24350	22906
23.	केरल	18675	21394	22550	21305
24.	लक्षद्वीप	30	0	50	47
25.	पाण्डिचेरी	120	5	200	192
26.	तमिलनाडु	17325	11017	22200	20964
27.	गोवा	2850	3556	8600	8084
28.	गुजरात	7935	1717	13050	12276
29.	महाराष्ट्र	22770	28182	38661	36335
30.	छत्तीसगढ़	7380	7254	9950	9364
31.	मध्य प्रदेश	17700	10947	20550	19372
32.	उत्तरांचल	9750	6881	12500	11791
33.	उत्तर प्रदेश	32310	42652	41600	39310

[हिन्दी]

मोबाइल टावरों में बी.टी.एस. लगाया जाना

4796. **श्री कैलाश बैठा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में बगहा दूरसंचार केन्द्र में स्थित मोबाइल टावर में बी.टी.एस. लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो बी.टी.एस. कब तक लगाये जाने की संभावना है और इसे लगाये जाने के पश्चात् इसके कवरेज क्षेत्र में जिलावार कितनी वृद्धि हो जायेगी; और

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न मोबाइल टावरों में बी.टी.एस. लगाने और बिहार के उन क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने हैं जहां न तो लैंडलाइन और न ही मोबाइल सेवा प्रदान की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का नवम्बर, 2005 तक बगहा टेलीफोन एक्सचेंज में बीटीएस संस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे भूभागीय परिस्थितियों के अध्यधीन लगभग 5 कि.मी. तक कवरेज प्रदान किया जा सकेगा।

(ग) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) एवं एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार, जिला मुख्यालयों/नगरों को कवर करने तथा जिला मुख्यालयों/नगरों के 50 प्रतिशत कवरेज के बाद उनका विस्तार करने का चयन करना लाइसेंसधारकों पर उनके व्यावसायिक निर्णय के आधार पर निर्भर करेगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के अनिवार्य कवरेज की कोई अपेक्षा नहीं है।

28.02.2005 की स्थिति के अनुसार, बिहार दूरसंचार सर्किल में मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त मोबाइल फोनों की कुल संख्या 10,90,858 है, जिसमें बीएसएनएल के मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 4,04,500 है। इसके अतिरिक्त, बीएसएनएल चालू वर्ष के दौरान, 5.5 लाख अतिरिक्त लाइनों द्वारा बिहार दूरसंचार सर्किल की मोबाइल नेटवर्क क्षमता में वृद्धि कर रहा है। उपर्युक्त के अलावा, निजी मोबाइल सेवा प्रदाता, चालू वर्ष के दौरान, अपनी व्यावसायिक योजनाओं के अनुरूप अपने मोबाइल नेटवर्क की मौजूदा क्षमता में बढ़ोत्तरी करेंगे।

एम्स में चिकित्सा अनुसंधान पर बल

4797. **श्री तूफानी सरोज:**
श्री डी. विट्ठल राव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अपने प्रमुख लक्ष्य चिकित्सा संबंधी अनुसंधान पर मुख्य रूप से धनराशि और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण बल नहीं दे पाया है, जैसा कि दिनांक 17 मार्च, 2005 के 'दि हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार अनुसंधान पर अधिक ध्यान देने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(घ) संस्थान को अनुसंधान के लिए प्रतिवर्ष कितनी धनराशि आबंटित की जाती है;

(ङ) क्या आबंटित धनराशि इस संस्थान की विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के लिए पर्याप्त है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या एम्स के चिकित्सक अध्ययन के बहाने विदेश चले जाते हैं;

(ज) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) कितने चिकित्सक अपने तथाकथित अध्ययन को पूरा करने के पश्चात् वापस लौट आये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (च) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया एक प्रमुख संस्थान है। इस संस्थान को इसके प्रारंभ से ही राष्ट्रीय महत्ता के विषयों पर अनुसंधान करने के कार्य में लगाया गया है। विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण अनुसंधाम परियोजनाओं के लिए धन देते हैं और इन अनुसंधानों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं जिनकी समकक्ष व्यक्तियों द्वारा समीक्षा की जाती है, में प्रकाशित किया जाता है। इस संस्थान के सामान्य अनुदान का अनुसंधान कार्यकलाप और रोगी परिचर्या संबंधी कार्यकलापों दोनों

के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह संस्थान अन्य सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी अभिकरणों से भी अनुसंधान अनुदान प्राप्त करता है। प्राप्त की गई बहिवर्ती धनराशि 9.86 करोड़ रुपए (1994-95) से बढ़कर 20.38 करोड़ रुपए (2003-04) हो गई है।

वर्ष 2004-05 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय धन प्रदान करने वाले अभिकरणों से 32.57 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है।

(छ) से (झ) यह सही नहीं है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संकाय सदस्य अध्ययन के बहाने विदेशों में जाते हैं। संकाय के किसी भी सदस्य को अध्ययन हेतु विदेश जाने की अनुमति नहीं दी गई है। तथापि, इस संस्थान के संकाय सदस्यों को इस संस्थान के शासी निकाय द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार विदेशों में अध्येयता वृत्ति/प्रशिक्षण लेने का लाभ उठाने की अनुमति दी जाती है। पिछले 5 वर्षों के दौरान 112 संकाय सदस्यों को विदेशों में अध्येतावृत्ति/प्रशिक्षण लेने का लाभ उठाने की अनुमति दी गई। अध्येयतावृत्ति/प्रशिक्षण की अनुमोदित अवधि का समय पूरा होने पर सभी संकाय सदस्य वापिस आ गए हैं और उन्होंने अपनी ड्यूटी शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

सी.बी.आई. के जांचाधीन मामले

4798. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य सरकारों अथवा केन्द्र सरकार द्वारा सी.बी.आई. को भेजे गए कितने मामले जांचाधीन हैं; और

(ख) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और ये मामले किस प्रकार के हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) इस समय केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा संदर्भित ऐसे 87 मामलों की जांच-पड़ताल कर रही है। इन मामलों का विस्तृत स्वरूप निम्नानुसार है:-

(1) हत्या, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण, हत्या का प्रयास, जोर-जबरदस्ती, अपहरण, बलात्कार और यौन-शोषण इत्यादि जैसे मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध;

(2) फिरौती, चोरी, डकैती और धोखाधड़ी इत्यादि जैसे सम्पत्ति से संबंधित अपराध;

(3) जालसाजी और जाली मुद्रा जैसे दस्तावेज संबंधी अपराध;

(4) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध; और

(5) हथियार से संबद्ध अपराध।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) द्वारा कार्यों की धीमी गति

4799. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सिरा-हरियूर-चित्रदुर्ग-देवनगिर-हरिहर-हवेरी परियोजना को दो लेनों के स्थान पर चार लेनों में बदलने का कार्य धीमा कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस परियोजना को कब तक आवश्यक गति प्रदान करने का विचार है;

(ग) इस परियोजना को पूरा करने की मौलिक अवधि कितनी है;

(घ) इस कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या उक्त परियोजना की धीमी गति के कारण दैनिक यातायात बाधित हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्याओं और ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी गति के कारण कुछ विलंब होने की संभावना है।

(ग) संविदा के अनुसार इस परियोजना को अगस्त, 2004 तक पूरा किया जाना था।

(घ) इस कार्य के मार्च, 2006 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सार्क (दक्षेस) उच्च स्तरीय आर्थिक परिषद

4800. श्री लक्ष्मण सेठ: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दक्षेस सदस्य देशों के वित्त और वाणिज्य मंत्रियों को सम्मिलित करके सार्क (दक्षेस) की उच्च स्तरीय आर्थिक परिषद की स्थापना का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सदस्य देशों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) 20-21 जुलाई, 2004 को इस्लामाबाद में आयोजित सार्क के मंत्री परिषद के 25वें सत्र में विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय आर्थिक संघटन से संबंधित विचारों और पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए सार्क उच्च आर्थिक परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव किया। मंत्रीपरिषद ने इस प्रस्ताव को वित्त तथा वाणिज्य मंत्रियों के विद्यमान सार्क तंत्र और सार्कफाइनेंस के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

(ग) 22-23 नवम्बर, 2004 को इस्लामाबाद में आयोजित वाणिज्य मंत्रियों की बैठक में बंगलादेश में आयोजित की जाने वाली आर्थिक सहयोग संबंधी समिति की अनुवर्ती तेरहवीं बैठक के दौरान विचार करने के लिए सार्क सचिवालय के प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए सदस्य राज्यों को अनुमति प्रदान की गई। नीतिगत मामलों पर विचार करने के लिए सार्क उच्च आर्थिक परिषद के महत्व को देखते हुए हमने इस मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए इसे 13वें सार्क शिखर सम्मेलन में, जो स्थगित हो गया है, शामिल करने की मांग की थी। अलग-अलग देशों ने इस प्रस्ताव के लिए कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी है।

दवाइयों का अभाव

4801. **श्री सुब्रत बोस:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों में कुछ जीवन रक्षक औषधियों और आवश्यक दवाइयों के अत्यधिक अभाव और अनुपलब्धता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अस्पतालवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने अस्पतालों में दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सामान्यतया दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों अर्थात् डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडीहार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सुचेता कृपलानी अस्पताल में दवाइयों की कमी नहीं होती है। इन अस्पतालों में मौजूदा नीति के अनुसार रोगियों को फार्मूलरी के अनुसार दवाएं निःशुल्क वितरित की जाती हैं। अनिवार्य एवं जीवन रक्षक दवाओं के उपलब्ध नहीं होने पर इनकी खरीद की जाती है और निर्धन रोगियों को मुफ्त प्रदान की जाती हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी संस्थान की फार्मूलरी के अनुसार जीवन रक्षक आपातकालीन दवाएं एवं सर्जिकल सामग्री सभी रोगियों को प्रदान की जाती है चाहे उनका सामाजिक एवं आर्थिक स्तर कुछ भी हो। संस्थान के स्टाक में सीमित मात्रा में रखी गई कुछ अनिवार्य औषधें केवल उन रोगियों को प्रदान की जाती हैं जो ऐसी दवाएं नहीं खरीद सकते हैं। तथापि, प्राइवेट वार्डों में भर्ती किए गए रोगियों को स्वयं ही दवाएं (जीवन रक्षक/आपातकालीन दवाएं) खरीदनी पड़ती हैं। इसके अलावा, कीमती दवाएं एवं अनिवार्य औषधें (अर्थात कैंसर रोधी औषधें, उच्चतर एन्टीबायोटिक) अनुपूरक पोषक एवं सर्जिकल डिस्पोजेबल आदि रोगियों द्वारा अपने स्रोत से खरीदा जाना होता है। निर्धन रोगी के लिए अस्पताल के निर्धन रोगी कोष एवं राष्ट्रीय रुग्णता सहायता कोष आदि से वित्तीय सहायता की व्यवस्था है।

रोगों की जांच करने के लिए समिति

4802. **श्री डी. विट्ठल राव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश की उभरती हुई चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई कार्यसूची तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यसूची का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में एड्स और सार्स जैसे रोगों की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या समिति ने देश में एड्स और सार्स के फैलने के कारणों पर चर्चा की है;

(च) यदि हां, तो इस चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(छ) इसका क्या परिणाम निकला; और

(ज) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) बढ़ रही चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने, स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली को प्रभावी रूप से सुदृढ़ करने तथा संचारी एवं असंचारी रोगों के प्रकोप को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया है।

(ग) से (ज) एड्स और सार्स रोगों की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती है। सार्स का प्रकोप बहुत ही सीमित था जहां भारत अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक की आवाजाही के कारण कुछ हद तक शामिल था। प्रकोप के समय स्थिति की गहन मानीटरिंग करने एवं राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक उच्च स्तरीय केन्द्र-राज्य संयुक्त समिति गठित की गई थी। भारत में आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए देश में 12 पत्तनों और 21 विमान पत्तनों में अनिवार्य जांच शुरू की गई थी। जांच के प्रयोजन से स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर अतिरिक्त डाक्टरों को तैनात करके, मानक तैयार करके चुने गए अस्पतालों में सीधे ही रेफर करने संबंधी सुविधा सहित प्रोटोकाल चलाकर ऐसे विमान पत्तनों एवं पत्तनों पर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं सुदृढ़ की गई थी। स्थिति की दैनिक आधार पर मानीटरिंग की गई थी और सार्स की तीन संभावित रोगियों की सूचना मिली थी। ये सभी प्रभावित देशों से आए थे।

जहां तक एड्स का संबंध है, एड्स के नियंत्रण हेतु एक सतत राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन देश में एचआईवी महामारी के विस्तार का पता करने के लिए निर्धारित प्रहरी स्थलों में प्रत्येक वर्ष एचआईवी प्रहरी निगरानी आयोजित करता है। एड्स के तहत निगरानी कार्यकलाप सहित सम्पूर्ण कार्यक्रम का मूल्यांकन एवं स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाना होता है।

डा. अलघ समिति की सिफारिशें

4803. श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिविल सेवा परीक्षा की जांच करने और उसमें सुधारों की सिफारिश करने के लिए डा. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है;

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां।

(ख) समिति की सिफारिशें, अन्य बातों के साथ-साथ सिविल सेवाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों की पात्रता संबंधी मानदण्डों, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं की योजनाओं, व्यक्तित्व परीक्षण, सेवाओं का आबंटन और सेवा में अधिकारियों के शामिल किए जाने के पश्चात के सेवाओं के प्रशिक्षण और प्रबंधन के मुद्दों से संबंधित हैं।

(ग) से (ङ) सरकार ने लोक प्रशासन प्रणाली को पुनः सज्जित करने के लिए विस्तृत ब्ल्यू प्रिंट तैयार करने के आशय से प्रशासनिक सुधार आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। आयोग, अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देते समय, अलघ समिति सहित विभिन्न समितियों द्वारा पूर्व में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखेगा।

[हिन्दी]

ए.डी.सी. में कमी

4804. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
मोहम्मद शाहिद:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का विचार एक्सेस डेफिसिट चार्जेज (एडीसी) में और कटौती करने पर पुनर्विचार करने का है जैसा कि दिनांक 20 मार्च, 2005 के हिंदी दैनिक समाचार-पत्र ''हिन्दुस्तान'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना के अंतर्गत निजी आपरेटरों के साथ कोई विचार-विमर्श हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(घ) इसका ग्रामीण संचार की विस्तार योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार लाइसेंसिंग शर्त के अंतर्गत ए.डी.सी. के रूप में प्रत्येक वर्ष निजी क्षेत्र की कंपनियों को धनराशि प्रदान करती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 17 मार्च, 2005 को अंतरसंबंध प्रयोग प्रभार (आईयूसी) पुनरीक्षा पर एक परामर्श-पत्र जारी करके अभिगम्य घाटा प्रभार (एडीसी) के औचित्य तथा इसकी राशि और इसे वसूल करने की प्रणाली सहित मुद्दों पर सभी स्टेक होल्डरों से उनके विचार मांगे हैं।

सामान्यत: जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें ये शामिल हैं- लिखित टिप्पणियां मांगना और खुला सत्र आयोजित करना जिसमें स्टेक होल्डरों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। चूंकि परामर्श प्रक्रिया और तत्पश्चात् निर्णय प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, अत: ग्रामीण संचार विस्तार स्कीम पर संभावित प्रभाव के बारे में कोई टिप्पणी करना संभव नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपरोक्त भाग (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केडावर बोन बैंक

4805. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन से देशों में केडावर बोन बैंक की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या ये सुविधाएं भारत में भी उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार भारत में डेकावर बोन बैंक की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में स्थित आर्गन रिट्रीवल बैंकिंग आर्गेनाइजेशन ने सूचित किया है कि प्रत्येक विकसित देश में केडावर बोन बैंक की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) भारत में यह सुविधा 'एम्स' नई दिल्ली में उपलब्ध है। ओर आर बी ओ ने 'एम्स' स्थित अस्थिरोग विभाग के सहयोग से देश में पहला केडावर बोन बैंक स्थापित किया है। ओ आर बी ओ केडावर बोन डोनेशन के दानकर्त्ताओं का नाम दर्ज करता है और हड्डियों के दान और प्रत्यारोपण की समूची प्रक्रिया का समन्वयन करता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

सेल फोन वायरस

4806. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न देशों में सेल फोन वायरस फैल रहा है और यह जल्द ही भारत को प्रभावित कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) सेल फोन के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) दूरसंचार विभाग को केवल इंटरनेट/मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से यह पता चला है कि सेल फोन वायरस संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपीन्स एवं चीन जैसे कुछ देशों में फैल गया है। ''कबीर'' के नाम से जाने जाना वाला यह मोबाइल फोन वायरस ''ब्लू टूथ'' प्रौद्योगिकी के माध्यम से ''हाई एण्ड मोबाइल फोन'' को प्रभावित करना है तथा फोन की बैटरी को शीघ्र ही नि:शेष करके उसे उपयोगहीन बना देता है। यह वायरस मूलत: संयुक्त राज्य से उत्पन्न होकर फैल रहा है। तथापि, भारत में इस संबंध में कोई किसी विशिष्ट मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ग) भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) ने मोबाइल नेटवर्कों एवं सेल फेनों को नेटवर्क के माध्यम से फैलने वाले वायरसों से बचाने के लिए कुछ निवारक कदम उठाए हैं। तथापि, ये कदम ''ब्लू टूथ'' प्रौद्योगिकी/फोनों के इन्फ्रा रेड अभिगम के जरिए फैलने वाले ऐसे वायरसों से मोबाइल फोन को बचाने के

लिए मोबाइल फोन धारक अपने-अपने फोनों को पासवर्डों से संरक्षित करके तथा अज्ञात आवक अनुप्रयोगों (इनकमिंग एप्लिकेशंस) का परिहार करते हुए बचा सकते हैं।

एच.आई.वी./एड्स पर नियंत्रण/रोकथाम

4807. श्री हितेन बर्मन:
योगी आदित्यनाथ:
श्री अविनाश राय खन्ना:
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में एच.आई.वी./एड्स रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को रोकने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान एड्स नियंत्रण हेतु कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा एड्स की रोकथाम हेतु संभावित खर्चे को वहन करने के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी, नहीं।

भारत में एच.आई.वी./एड्स के फैलाव के निवारण और नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने एक व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है, जो 1999 में शुरू हुआ था और इस समय संपूर्ण भारत में निम्नलिखित घटकों के साथ केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वयनाधीन है:-

* उच्च जोखिम वाली जनसंख्या के लिए हमउम्र परामर्श, यौन संचारित संक्रमणों के उपचार और व्यवहार में बदलाव लाने वाले संप्रेषण सहित एक बहुमुखी कार्ययोजना को अपनाते हुए लक्षित कार्यकलापों के जरिए निवारक कार्यकलाप।

* सामान्य जनसंख्या के लिए रक्त निरापदता, स्वैच्छिक परामर्श और जांच सेवाओं, माता-पिता से बच्चों में होने वाले संचरण की रोकथाम सेवाओं, सूचना शिक्षा और संप्रेषण हेतु कार्यक्रमों के जरिए निवारक कार्यकलाप और किशोर किशोरियों के बीच जागरूकता पैदा करना और एड्स वैक्सीन संबंधी पहल के बारे में जानकारी देना।

* सामुदायिक परिचर्या सेवाओं, अवसरवादी संक्रमणों का उपचार और व्यावसायिक अरक्षितता के निवारण की व्यवस्था द्वारा कम लागत की परिचर्या और सहायक सेवाओं का प्रावधान।

* कार्यस्थल कार्यकलापों और सरकारी-निजी सहभागिता सहित अंत:क्षेत्र कार्यक्रम गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु सहयोगात्मक प्रयत्न।

* निगरानी, प्रशिक्षण, मानीटरिंग और मूल्यांकन, तकनीकी संसाधन समूहों, प्रचालनात्मक अनुसंधान और कार्यक्रम प्रबंधन के जरिए कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमताओं का सृजन करना।

(ङ) वर्तमान वर्ष 2005-06 के बजटीय अनुमान में 533 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा नाभिकीय हथियारों का विकास

4808. श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री नीतीश कुमार:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान गुप्त रूप से नाभिकीय अस्त्रों का विकास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत ने यह मामला विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है और सरकार ने अमेरिका और अन्य शक्तियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर इन देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (घ) यह सब जानते हैं कि पाकिस्तान, तीन दशकों से अधिक समय से गुप्त नाभिकीय शस्त्र कार्यक्रम पर सक्रिय रूप से कार्य

कर रहा है। पाकिस्तान द्वारा गुप्त नाभिकीय शस्त्र प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने का प्रश्न एक गंभीर मामला है। अमरीका सहित प्रमुख वार्ताकारों के साथ बातचीत में भारत ने निरंतर अपनी चिंताओं के विषय में अवगत कराया है कि ऐसी घटनाओं से भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सरकार, ऐसी सभी घटनाओं जिनका संबंध हमारी सुरक्षा से है, पर सावधानी पूर्वक निगरानी करती है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने के प्रति वचनबद्ध है।

किशनगंज-पूर्णिया मार्ग को चार लेन का बनाना

4809. श्री सुशील कुमार मोदीः क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बिहार में किशनगंज और पूर्णिया के बीच के मार्ग को चार लेन का बनाने का निर्माण कार्य पिछले कई महीनों से ठप्प पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उक्त मार्ग के निर्माण कार्य में संलग्न कंपनियों को काली सूची में डालने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मार्ग की अनुमानित लागत कितनी है और इसके लिए आबंटित एवं खर्च की गई धनराशि कितनी है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) बिहार में रा.रा.-31 का पूर्णिया-किशनगंज खंड पूर्व-पश्चिम महामार्ग का हिस्सा है और इस खंड में चार लेन बनाने का कार्य की प्रगति धीमी है। उपर्युक्त खण्डों में चार लेन बनाने के कार्य में दो निर्माण एजेंसियां लगी हैं जिन्हें घटिया कार्य निष्पादक घोषित किया गया है और इसलिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उन्हें कोई अन्य कार्य नहीं सौंपा जा रहा है।

(घ) पूर्णिया-किशनगंज खंड को चार लेन का बनाने के कार्य की लागत 291.63 करोड़ रु. है। जिसमें से 166.07 करोड़ रु. पहले ही खर्च किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

एच.आई.वी./एड्स हेतु परामर्श/परीक्षण केन्द्र

4810. श्री दरोगा प्रसाद सरोजः
श्री राम कृपाल यादवः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में एच.आई.वी./एड्स हेतु प्रत्येक ज़िले में स्वैच्छिक परामर्श और परीक्षण केन्द्र विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के समक्ष एच.आई.वी./एड्स से संबंधित सूचना एवं सेवा प्रदान करने के लिए इन स्वैच्छिक परामर्श/परीक्षण केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कितने केन्द्रों को सहायता दी गई है; और

(घ) इस संबंध में खर्च का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) उच्च व्याप्तता-दर वाले राज्यों के सभी जिलों में स्वैच्छिक परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र सुविधाएं हैं। उच्च व्याप्तता दर वाले राज्यों के कुछ जिलों में उप-जिला स्तर पर भी स्वैच्छिक परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र हैं। कम व्याप्तता दर वाले राज्यों में 117 जिलों में वीसीटी केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

(ख) नाको के दिशा-निर्देशों के अनुसार वीसीटी केन्द्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है, स्वैच्छिक परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र को वित्तीय सहायता देने संबंधी दिशा-निर्देशों की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) नाको द्वारा कुल 752 केन्द्रों को सहायता दी जा रही है। इनमें से 84 केन्द्र अन्तरक्षेत्रीय भागीदारों द्वारा स्थापित किए गए हैं तथा शेष (668) राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

(घ) वर्ष 2004-05 में देश में स्वैच्छिक परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र सेवाओं पर कुल 22.45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

विवरण

स्वैच्छिक परामर्श एवं परीक्षण केन्द्रों के लिए वित्तीय सहायता

नाको प्रत्येक स्वैच्छिक परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र की निम्न प्रकार सहायता करता हैः-

1. एक प्रयोगशाला तकनीशियन (अनुबंध के आधार पर) को 6500 रुपए प्रति माह समेकित वेतन देना।
2. दो परामर्शियों को (6500 रुपए प्रति माह की दर से) 13,000 रुपए समेकित वेतन देना।
3. उपभोज्यों, रिजेंटों, राज्य सन्दर्भ प्रयोगशालाओं तक नमूनों को ले जाने के लिए 52,500 रुपए (प्रति वर्ष) देना।

4. परीक्षण शुल्क, परीक्षण कराने वाले व्यक्ति से टोकन के रूप में 10 रुपए (मात्र दस रुपए) शुल्क लेना। यह शुल्क एचआईवी परीक्षण के लिए वांछित सभी जांचों अर्थात् एलिसा/रेपिड परीक्षणों को कवर करेगा। तथापि, चिकित्सा अधीक्षक/संस्था प्रमुख को अपने विवेकानुसार इन शुल्कों को माफ करने का अधिकार होता है। इस पैसे का उपयोग वीसीटीसी के रख-रखाव और उसे बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है तथा यह पैसा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों को लौटाने की आवश्यकता नहीं होती है।

5. स्वैच्छिक परामर्श एवं परीक्षण केन्द्रों में फर्नीचर तथा उसकी पुन: साज-सज्जा पर आने वाले आकस्मिक खर्च के लिए 24,000 रुपए (एकबारगी अनुदान) देना।

ड्रग तस्करी के मार्ग के रूप में भारत

4811. श्री गुरुदास कामत: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ देशों द्वारा भारत का प्रयोग ड्रग तस्करी के मार्ग के रूप में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाये जाने वाले कदम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

स्वदेशी दवाई पद्धति

4812. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न दवाई पद्धतियों सहित एलोपैथिक और स्वदेशी आयुर्वेदिक पद्धति में औषधियों का सूत्रीकरण, अनुसंधान सुविधा का विस्तार और शिक्षा की तुलनात्मक स्थिति क्या है; और

(ख) स्वदेशी दवाई पद्धति के विकास और इन्हें लोगों के लिए कल्याणकारी बनाने के लिए नीति, कार्य योजना और कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) एलोपैथी, आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों का नियमन करने वाले मूल विधान का नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 है। इस अधिनियम में एक स्वतंत्र अध्याय है जिसमें आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी औषधियों के बारे में जानकारी दी गई है। एलोपैथी तथा आयुर्वेद की औषधियां संबंधित भेषज संहिताओं तथा औषध योग संग्रहों के उपबंधों के अनुसार तैयार की जाती हैं। एलोपैथी शिक्षा का नियमन भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एम सी आई) अधिनियम, 1956 के उपबंधों द्वारा किया जाता है जबकि आयुर्वेद शिक्षा का नियमन भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (आई एम सी सी) अधिनियम, 1970 के द्वारा किया जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर) एलोपैथी में अनुसंधान की देखरेख करती है जबकि केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद (सी सी आर ए एस) नोडल अभिकरण है जो आयुर्वेद में अनुसंधान का प्रारंभ और समन्वय करता है।

(ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विषयक राष्ट्रीय नीति में संपूर्ण स्वास्थ्य के संवर्धन, कच्ची औषधियों की उपलब्धता, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी (आई एस एम एंड एच) के राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय पद्धति में समेकन, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की अवसंरचना में सुधार, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की औषधियों के मानकीकरण, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के विकास और प्रसार का पूर्ण अवसर देने आदि की व्यवस्था है।

सरकार ने स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों का विकास करने के लिए अनेक केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित योजनाएं प्रारंभ की हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत, शैक्षिक अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण औषधीय पादपों की खेती, औषधियों के अनुसंधान और विकास, मानकीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रण, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को मुख्य धारा में लाने, ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों के औषधालयों में अनिवार्य औषधियों की आपूर्ति, फार्मेसियों तथा औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण आदि हेतु वित्त सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

अंधत्व का उन्मूलन

4813. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में वर्तमान में राज्यवार महिलाओं और पुरुषों में अंधत्व के मामलों का क्या ब्यौरा है;

(ख) देश में प्राकृतिक रूप से अंधे और बाद में हुए अंधत्व का क्या प्रतिशत है;

(ग) अंधत्व के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) देश में आज की स्थिति के अनुसार नेत्र दानदाताओं का क्या स्तर है; और

(ङ) देश में अंधेपन के उन्मूलन के लिए क्या प्रमुख कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) दृष्टिहीनता के संबंध में राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार 2001-02 में पुरुषों में दृष्टिहीनता की अनुमानित व्याप्तता दर 0.91 प्रतिशत और महिलाओं में 1.29 प्रतिशत थी। दृष्टिहीन पुरुषों एवं महिलाओं की राज्यवार अनुमानित संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) दृष्टिहीनता के अधिकतम मामले जीवन काल में होते हैं। जन्मजात दृष्टिहीनता बहुत ही कम होती है।

(ग) दृष्टिहीनता के प्रमुख कारण हैं:- मोतियाबिन्द, ठीक न की गई अपवर्ती त्रुटियां, कार्निया में फूली पड़ना, ग्लूकोमा, पोस्टेरियर सेगमेंट डिसआर्डर्स, आईओएल सर्जरी के बाद पोस्टेरियर कैप्स्युलर ओपेसीफिकेशन आदि।

(घ) कार्निया इकट्ठा करने संबंधी ताजा आंकड़े लगभग 2500 प्रतिवर्ष हैं।

(ङ) दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं-

1. जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसायटी के माध्यम से स्कीम के कार्यान्वयन का विकेन्द्रीकरण।
2. विभिन्न नेत्र परिचर्या कार्यकलापों में स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करना।
3. नेत्र परिचर्या को व्यापक बनाने के लिए मोतियाबिन्द के आपरेशन के साथ-साथ सरकारी और योग्य गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से अन्य नेत्र विकारों के लिए गरीब रोगियों को निःशुल्क उपचार भी प्रदान किया जाएगा।
4. अपवर्ती दोषों का पता लगाने और गरीब और जरूरतमन्द बच्चों को चश्मों की मुफ्त व्यवस्था करने के लिए स्कूल जाने वाले बच्चों की आंखों की जांच करना।
5. विभिन्न नेत्र परिचर्या सुविधा केन्द्रों में उपलब्ध मुफ्त नेत्र परिचर्या सेवा के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करना।

विवरण

भारत में दृष्टिहीन पुरुषों और महिलाओं की अनुमानित संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	अनुमानित जनसंख्या 2004	दृष्टिहीन पुरुषों की अनुमानित संख्या	दृष्टिहीन महिलाओं की अनुमानित संख्या
1	2	3	4	5
1.	जम्मू-कश्मीर	10069917	44902	66250
2.	हिमाचल प्रदेश	6077248	27098	39982
3.	पंजाब	24289296	108306	159799
4.	चंडीगढ़	900914	4017	5927
5.	उत्तरांचल	8479562	37810	55787
6.	हरियाणा	21082989	94009	138705
7.	दिल्ली	13782976	61458	90678
8.	राजस्थान	56473122	251814	371537

1	2	3	4	5
9.	उत्तर प्रदेश	166052859	740430	1092462
10.	बिहार	82878796	369557	545260
11.	सिक्किम	540493	2410	3556
12.	अरुणाचल प्रदेश	1091117	4865	7178
13.	नागालैंड	1988636	8867	13083
14.	मणिपुर	2388634	10651	15715
15.	मिजोरम	891058	3973	5862
16.	त्रिपुरा	3191168	14229	20995
17.	मेघालय	2306069	10283	15172
18.	असम	26638407	118781	175254
19.	पश्चिम बंगाल	80221171	357706	527775
20.	झारखंड	26909428	119989	177037
21.	उड़ीसा	36706920	163676	241495
22.	छत्तीसगढ़	20795956	92729	136817
23.	मध्य प्रदेश	60385118	269257	397274
24.	गुजरात	50596992	225612	332878
25.	दमन व दीव	158059	705	1040
26.	दादरा व नगर हवेली	220451	983	1450
27.	महाराष्ट्र	96752247	431418	636533
28.	आंध्र प्रदेश	75727541	337669	498211
29.	कर्नाटक	52733958	235141	346937
30.	गोवा	1343998	5993	8842
31.	लक्षद्वीप	60595	270	399
32.	केरल	31838619	141968	209466
33.	तमिलनाडु	62110839	276952	408627
34.	पांडिचेरी	973829	4342	6407
35.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	356265	1589	2344
	कुल	1027015247	4579461	6756733

एड्स हेतु खराब परीक्षण किट

4814. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के चरण-1 और 2 के दौरान 57.64 लाख रुपए और 60.87 लाख रुपए मूल्य के उपस्कर बिना उपयोग के पड़े हुए हैं;

(ख) क्या 60.85 लाख रुपए मूल्य की एच.आई.वी. (इलिसा) परीक्षण किट जो राज्य एड्स नियंत्रण समितियों को आपूर्तित की गई, खराब पाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना के चरण-1 के दौरान नाको ने अधिप्रापण सहायता सेवाओं के लिए डी जी एस एंड डी और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सेवाएं ली थी। चरण-1 के दौरान 51.64 लाख रुपए के संस्थापित न किए गए उपकरण निम्नलिखित हैं:-

क्र.सं.	मद	आर्डर की गई मात्रा	आपूर्ति की गई मात्रा	संस्थापित मात्रा
1.	वाटर बाथ	299 नं.	299 नं.	154 नं.
2.	हाट एयर ओवन	372 नं.	252 नं.	85 नं.
3.	इनक्यूवेटर	299 नं.	100 नं.	10 नं.
4.	डिस्टिल्ड वाटर स्टिल	102 नं.	100 नं.	47 नं.

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना के चरण-2 के दौरान नाको ने अधिप्रापण सहायता सेवाओं के लिए एन टी पी सी की सेवाएं ली थीं। चरण-2 के दौरान 60.87 लाख रुपए के संस्थापित न किए गए उपकरण की मौजूदा स्थिति निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	मद	आर्डर की गई मात्रा	आपूर्ति की गई मात्रा	संस्थापित मात्रा
1.	रेफ्रीजिरेटेड वाटर बाथ	42 नं.	42 नं.	42 नं.
2.	माइक्रोपिपेटस	42 नं.	42 नं.	42 नं.
3.	लेमिनार फ्लो बैच	42 नं.	42 नं.	42 नं.
4.	डीप फ्रीजर्स (-80 डि.से.)	42 नं.	42 नं.	38 नं.
5.	डीप फ्रीजर्स (-40 डि.से.)	42 नं.	42 नं.	38 नं.

(ख) कुछ एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को आपूर्ति की गई एच आई वी (इलिसा) परीक्षण किटों के खराब होने की सूचना दी गई। अत: राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम (एन टी पी सी) जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) का अधिप्रापण सहायता अभिकर्त्ता था, ने आपूर्तिकर्त्ता से 232 खराब किटों को बदलने की व्यवस्था की। आपूर्तिकर्त्ता द्वारा इस मामले पर विवाद खड़ा किया जा रहा है, जिसकी कानूनी जांच की जा रही है। नाको कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श लेते हुए दोषी आपूर्तिकर्त्ता के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करेगा।

(ग) (1) चरण-1 के दौरान आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के माध्यम से आपूर्तियों के संबंध में प्रदानगी (डिलिवरी)/संस्थापना के कार्य को पूरा नहीं किया गया। नाको ने आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय को आपूर्तिकर्त्ता के विरुद्ध संविदाओं को समाप्त करने और आपूर्तिकर्त्ता को काली सूची में रखने सहित संविदाओं के उपबन्धों के अनुसार समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

(2) आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय ने पुष्टि की है कि संविदीय देयताएं पूरी न करने के लिए उन्होंने 11,66,374.60 रुपए की चार संविदाओं के लिए आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यनिष्पादन बैंक गारंटियों को भुना लिया है।

(3) नाको द्वारा कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श लेते हुए दोषी आपूर्तिकर्त्ता के विरुद्ध अपने स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।

(4) चरण-2 के दौरान एन टी पी सी के माध्यम से खरीदे/अधिप्राप्त किए गए उपकरणों के लिए स्थिति इस प्रकार है:

(क) लेमिनार फ्लो बैंच:

स्थलों (साइट्स) के तैयार न होने के कारण केवल 9 को संस्थापित नहीं किया गया है। ज्योंहि स्थल तैयार हो जाएंगे, उनको संस्थापित कर दिया जाएगा।

(ख) डीप फ्रीजर्स (-80 सेंटिग्रेड और -40 सेंटिग्रेड):

केवल 4 को संस्थापित नहीं किया गया है। एक अन्य कम्पनी के माध्यम से उनको संस्थापित करवाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है क्योंकि तकनीकी विनिर्देशनों के समनुरूप पूरा न करने के कारण आपूर्तिकर्त्ता की संविदा को समाप्त कर दिया गया है। बैंक गारंटियों को भुना लिया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-3 की स्थिति

4815. श्री देविदास पिंगले: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-3 की स्थिति मुंबई और नासिक के बीच अपर्याप्त चौड़ाई एवं कसार घाट क्षेत्र में भूस्खलन की वजह से तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के सामान्य मानकों की तुलना में किए गए घटिया निर्माण करने की वजह से बुरी स्थिति में है;

(ख) क्या वर्षा एवं भूस्खलन की वजह से इस मार्ग पर यातायात बारंबार घंटों अवरुद्ध रहता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) आई आर सी, मंत्रालय के मानकों के अनुसार तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सामान्यत: अपनाई जा रही मानक निर्माण पद्धतियों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 को दो लेन का बनाया गया है। तथापि, पिछले मानसून में अगस्त, 2004 के महीने में भूस्खलन हुआ था जिससे कसार घाट क्षेत्र में पृथक खंडों को क्षति पहुंची। कुछ दिन कुछ घंटों के लिए यातायात में रुकावट आई। सड़कों से भूस्खलन का मलवा हटा दिया गया था और क्षतिग्रस्त खंडों की मरम्मत की गई थी ताकि सड़क को यातायात योग्य बनाया जा सके। भूस्खलन और यातायात में रुकावट नियमित रूप से नहीं होती।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 (वदापी-गोंडे खंड) को बी ओ टी आधार पर घाट क्षेत्र में नए संरेखण के साथ अतिरिक्त दो लेनों का निर्माण करके राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3 के अंतर्गत चार लेन का बनाए जाने का प्रस्ताव है। कार्य सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। मंत्रालय ने घाट क्षेत्र में नासिक तक पुनरुद्धार, सुदृढ़ीकरण और संरक्षण कार्य के लिए 5.09 करोड़ रु. के 3 प्राक्कलन भी स्वीकृत किए हैं ताकि सड़क को यातायात योग्य बनाया जा सके।

[अनुवाद]

एकीकृत अवसंरचना विकास केन्द्र

4816. श्री सुनील खां: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 मार्च, 2005 तक की स्थिति के अनुसार किन राज्यों ने एकीकृत अवसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडी) स्थापित की है;

(ख) आईआईडी केन्द्रों की स्थापना में शेष राज्यों द्वारा किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) 30 मार्च, 2005 तक, सरकार ने विभिन्न राज्यों, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में 87 एकीकृत अवसंरचना विकास (आईआईडी) केंद्रों की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है।

(ख) और (ग) आईआईडी केन्द्र योजना मांग-प्रेरित है। नए आईआईडी केंद्रों की स्थापना या मौजूदा केंद्रों के उन्नयन के प्रस्ताव राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा ठोस वित्तीय स्थिति के साथ भेजे जाते हैं। उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में जिन राज्यों का उल्लेख है, उनके अलावा दूसरे राज्यों से आईआईडी केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है या सरकार के पास लंबित है। इस योजना के संबंध में विवरण सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजा जा चुका है और लघु उद्योग विकास संगठन की वेबसाइट के माध्यम से लघु उद्योग संघों के बीच व्यापक रूप से वितरित किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आईआईडी योजना का लाभ उठाने की सलाह दी गई है। इस योजना के अंतर्गत, केन्द्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों में स्वीकृत लागत का 40% (अधिकतम 2 करोड़ तक) और पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल में लागत का 80% (अधिकतम 4 करोड़ रुपये तक) अनुदान के रूप में प्रदान करती है।

सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र

4817. श्री गिरिधारी यादवः
श्री सुनिल कुमार महतोः

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध फौजदारी न्यायालयों में भ्रष्टाचार के आरोप-पत्र पेश किए जा चुके हैं और उन पर मुकदमा चल रहा है, फिर भी वे सरकारी ड्यूटी का लगातार निर्वहन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सेवा-वार और राज्य-वार उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे अधिकारियों को उनकी सरकारी ड्यूटी से पृथक रखने की कोई नीति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे 16 अधिकारी और भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे 8 अधिकारी जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप-पत्र दायर किया गया है और दण्ड न्यायालयों में जिनके विरुद्ध मुकदमा चल रहा है, वे राज्यों में अपने शासकीय कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। सेवावार और राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) से (ङ) अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3 में ऐसे अधिकारी के निलंबन का प्रावधान है जिसके विरुद्ध विभागीय/दंडात्मक कार्यवाहियां लंबित/अपेक्षित हैं अथवा आपराधिक मामलों की जांच/सुनवाई चल रही है। इस बारे में निर्णय, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा लिया जाता है, जहां अधिकारी कार्य कर रहा है।

विवरण

संवर्ग	भारतीय प्रशासनिक सेवा	भारतीय पुलिस सेवा	भारतीय वन सेवा
ए.जी.एम.यू.टी.	4	2	–
आंध्र प्रदेश	2	–	–
बिहार	–	2	–
हरियाणा	1	1	–
हिमाचल प्रदेश	–	1	–
झारखण्ड	1	1	–
जम्मू-कश्मीर	–	–	–
कर्नाटक	1	–	–
केरल	1	–	–
महाराष्ट्र	–	1	–
मणिपुर-त्रिपुरा	1	–	–
उड़ीसा	3	–	–
पंजाब	2	–	–

एआरवी ट्रीटमेंट प्लान

4818. श्री लोनाप्पन नम्बाडनः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार निःशुल्क ''एआरवी ट्रीटमेंट प्लान' हेतु एआरवी औषधि खरीदती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की ओर से औषधि खरीदने वाली एजेन्सी का नाम क्या है और औषधि खरीदने के लिए धनराशि का भुगतान करने वाली एजेंसी का ब्यौरा क्या है और प्लान के अंतर्गत एआरवी औषधियों के आपूर्तिकर्त्ताओं की सूची का ब्यौरा क्या है;

(ग) निःशुल्क एआरवी ट्रीटमेंट प्लान के अंतर्गत दी गई एआरवी औषधियों की सूची का ब्यौरा क्या है; और

(घ) एआरवी ट्रीटमेंट प्लान के अंतर्गत औषधि कितनी बार खरीदी गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा हास्पिटल सर्विसेज कंसलटेंसी कारपोरेशन लिटिमेड एजेंसी को अपनी ओर से औषधों की खरीद करने को कहा गया है। नाको द्वारा एजेंसी को खरीद शुल्क दिया जाता है। वर्तमान में आपूर्तिकर्त्ता कम्पनियों की सूची में एमक्यूर, अरविन्दो, हिटेरो, सिप्ला और रेनबैक्सी शामिल हैं।

(ग) स्टेव्यूडिन, जिडोव्यूडिन, लेमीव्यूडिन, निवरापिन और इफावीरेंज।

(घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुरू में मार्च/अप्रैल, 2004 और अक्तूबर, 2004 में नाको के लिए औषधों की खरीद की थी और उसके बाद वर्ष 2005-06 के लिए एचएससीसी औषधों की खरीद कर रहा है।

निःशक्त व्यक्तियों हेतु योजनाएं

4819. **श्री राम कृपाल यादव:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निःशक्त व्यक्तियों हेतु निर्धारित सरकारी अनुदानों का समुचित रूप से प्रबंध नहीं किया जा रहा है जैसा कि राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति रोजगार संवर्द्धन केन्द्र (नेशनल सेन्टर फार प्रमोशन आफ एम्पालयमेंट फार डिसएबल्ड पीपुल) के संयोजक ने बताया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में निःशक्त व्यक्तियों की दयनीय स्थिति के क्या कारण हैं;

(घ) वर्तमान में निःशक्त व्यक्तियों के रोजगार और बेहतरी हेतु उपलब्ध योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ङ) इस बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

डोजियर तैनात किया जाना

4820. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के चरित्र और आचरण संबंधी डोजियर तैयार किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नियम क्या हैं;

(ग) इन डोजियरों को तैयार करने के प्रयोजन क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने उक्त डोजियरों को तैयार करने से संबंधित नियमों की कोई समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय सेवाएं (गोपनीय पंजिकाएं) नियमावली, 1970 और गोपनीय रिपोर्टों को तैयार करने और उनके रख-रखाव पर पुस्तिका और उनके अधीन जारी किए गए अनुदेशों में, सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के चरित्र और आचरण के संबंध में रिपोर्ट लिखने वाले/समीक्षा करने वाले/स्वीकार करने वाले प्राधिकारियों द्वारा गोपनीय रिपोर्ट लिखने की व्यवस्था है।

(ग) अधिकारियों के संबंध में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोजियर, अधिकारियों की योग्यताओं और कमियों पर ध्यान देने के प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) इन मामलों की समीक्षा करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस मामले में कोई मत बनाने से पहले, सरकार प्राप्त अनुभव, समय-समय पर उठे मुद्दों, विशेषज्ञ समितियों आदि के सुझावों और सिफारिशों सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सुझावों और सिफारिशों को ध्यान में रखती है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एच.आई.वी. के मामले

4821. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एच.आई.वी. संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक एच.आई.वी. मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि भारत में महामारी ग्रामीण क्षेत्रों की ओर रुख कर रही है;

(घ) क्या सरकार ने एच.आई.वी. पीड़ित गर्भवती महिलाओं के मामले में शहरी-ग्रामीण अन्तर पर ध्यान दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो परम्परागत रूप से अधिक जोखिम वाले समूहों के अतिरिक्त अन्य समूहों में वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां।

वर्ष 2001, 2002 और 2003 के दौरान एच.आई.वी. संक्रमित रोगियों की राज्यवार अनुमानित संख्या दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) और (घ) वर्ष 2003 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने देश में 271 प्रसवपूर्व स्थलों पर एच आई वी प्रहरी निगरानी का एक वार्षिक दौर आयोजित किया है। इस दौर के दौरान उस जिले जहां प्रसवपूर्व स्थल स्थापित था, में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से 400 नमूनों के अतिरिक्त उप-सेट (सब सेट) एकत्रित किए गए थे। ऐसा उस जिले विशेष की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में एच आई वी की व्याप्तता की तुलना करने के लिए किया गया था। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एच आई वी व्याप्तता को दर्शाने वाली राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-II में है।

(ङ) भारत में एच आई वी/एड्स के फैलने के निवारण और नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने एक व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है जो इस समय संपूर्ण भारत में निम्नलिखित घटकों के साथ केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वयनाधीन है:-

* उच्च जोखिम वाली जनसंख्या के लिए हमउम्र परामर्श, यौन संचारित संक्रमणों के उपचार और व्यवहार में बदलाव लाने वाले संप्रेषण सहित एक बहुमुखी कार्ययोजना को अपनाते हुए लक्षित कार्यकलापों के जरिए निवारक कार्यकलाप।

* सामान्य जनसंख्या के लिए रक्त निरापदता, स्वैच्छिक परामर्श और जांच सेवाओं, माता-पिता से बच्चों में होने वाले संचरण की रोकथाम सेवाओं, सूचना शिक्षा और संप्रेषण हेतु कार्यक्रमों के जरिए निवारक कार्यकलाप और किशोर किशोरियों के बीच जागरूकता पैदा करना और एड्स वैक्सीन संबंधी पहलों के बारे में जानकारी देना।

* सामुदायिक परिचर्या सेवाओं, अवसरवादी संक्रमणों का उपचार और व्यावसायिक अरक्षितता के निवारण की व्यवस्था द्वारा कम लागत की परिचर्या और सहायक सेवाओं का प्रावधान।

* कार्यस्थल कार्यकलापों और सरकारी-निजी सहभागिता सहित अंत:क्षेत्र कार्यक्रम गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु सहयोगात्मक प्रयत्न।

* निगरानी, प्रशिक्षण, मानीटरिंग और मूल्यांकन, तकनीकी संसाधन समूहों, प्रचालनात्मक अनुसंधान और कार्यक्रम प्रबंधन के जरिए कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमताओं का सृजन करना।

विवरण I

वर्ष 2001, 2002 और 2003 में एच आई वी संक्रमित रोगियों की राज्य-वार अनुमानित संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001	2002	2003
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	694160	986905	1058563
2.	कर्नाटक	359167	377972	574339
3.	महाराष्ट्र	796011	685569	1083585
4.	मणिपुर	40393	31561	27100
5.	नागालैंड	7740	7323	14610
6.	तमिलनाडु	453491	503168	479802
7.	गोवा	8238	8896	8580

1	2	3	4	5
8.	गुजरात	127631	99854	159113
9.	पांडिचेरी	1988	2020	1430
10.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	381	91	1564
11.	अरुणाचल प्रदेश	1918	1955	2479
12.	असम	36875	37286	53420
13.	बिहार	25674	74229	134291
14.	चण्डीगढ़	5226	1317	5563
15.	छत्तीसगढ़	23452	27473	111825
16.	दादरा और नगर हवेली	136	135	484
17.	दमन एवं दीव	125	208	356
18.	दिल्ली	29022	37129	42465
19.	हरियाणा	21880	25129	40606
20.	हिमाचल प्रदेश	7070	3674	10375
21.	जम्मू-कश्मीर	7669	17742	25639
22.	झारखंड	7415	47316	51295
23.	केरल	21909	46067	72809
24.	लक्षद्वीप	178	181	159
25.	मध्य प्रदेश	54716	97288	136476
26.	मेघालय	3848	1213	3446
27.	मिजोरम	2893	2889	15444
28.	उड़ीसा	30829	14934	81117
29.	पंजाब	25537	63516	62708
30.	राजस्थान	111621	192451	181801
31.	सिक्किम	696	226	898
32.	त्रिपुरा	2839	5036	4020
33.	उत्तर प्रदेश	270064	276121	307612
34.	उत्तरांचल	15024	16189	16812
35.	पश्चिम बंगाल	116892	124593	291108

विवरण II

राज्यवार एच आई वी व्याप्तता स्तर : 2003

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2003 में स्थलों की सं.	एचआईवी की व्याप्तता एएनसी शहरी	एचआईवी व्याप्तता एएनसी ग्रामीण
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	एएनसी 14	1.25	0.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	एएनसी 2	0.38	0.00
3.	असम	एएनसी 4	0.00	0.00
4.	बिहार	एएनसी 7	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	एएनसी 5	1.00	0.00
6.	दिल्ली	एएनसी 4	0.13	0.00
7.	गोवा	एएनसी 2	0.50	0.19
8.	गुजरात	एएनसी 8	0.40	0.00
9.	हरियाणा	एएनसी 4	0.25	0.33
10.	हिमाचल प्रदेश	एएनसी 7	0.00	0.50
11.	जम्मू और कश्मीर	एएनसी 3	0.00	0.00
12.	झारखण्ड	एएनसी 6	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	एएनसी 10	1.25	1.00
14.	केरल	एएनसी 4	0.33	0.00
15.	मध्य प्रदेश	एएनसी 13	0.00	0.00
16.	महाराष्ट्र	एएनसी 14	1.25	0.00
17.	मणिपुर	एएनसी 10	1.25	0.40
18.	मेघालय	एएनसी 2	0.00	0.00
19.	मिजोरम	एएनसी 3	1.38	0.00
20.	नागालैंड	एएनसी 4	1.25	1.20
21.	उड़ीसा	एएनसी 4	0.00	–
22.	पंजाब	एएनसी 4	0.00	0.13
23.	राजस्थान	एएनसी 6	0.13	0.12
24.	सिक्किम	एएनसी 2	0.13	0.00

1	2	3	4	5
25.	तमिलनाडु	एएनसी 10	0.75	0.50
26.	त्रिपुरा	एएनसी 1	0.00	-
27.	उत्तर प्रदेश	एएनसी 17	0.00	0.00
28.	उत्तरांचल	एएनसी 3	0.00	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	एएनसी 9	0.50	0.50
30.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	एएनसी 3	0.50	0.25
31.	चंडीगढ़	एएनसी 1	0.50	एनए
32.	दादरा और नगर हवेली	एएनसी 1	0.13	0.00
33.	दमन और दीव	एएनसी 2	0.50	0.00
34.	लक्षद्वीप	एएनसी 2	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	एएनसी 2	0.13	0.14

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 को 4 लेन वाला बनाना

4822. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 के 42/500 कि.मी. से 228/0 कि.मी. लंबे क्षेत्र को 4 लेन का बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कब तक इसे अधिग्रहीत किए जाने की संभावना है;

(ख) संबद्ध फर्म को आदेश कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 के उक्त क्षेत्र का समय पर नवीकरण कार्य करने हेतु राजस्थान सरकार के प्रस्ताव को सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) रा रा-11 के आगरा-जयपुर खंड को 4 लेन का बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3क के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर किए जाने का प्रस्ताव है। भरतपुर-जयपुर खंड पर सिविल कार्य के लिए फर्म को स्वीकृति-पत्र जारी कर दिया है और कार्य के शीघ्र ही शुरू हो जाने की संभावना है। आगरा-भरतपुर खंड के लिए निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

[अनुवाद]

फैक्ट्री कामगारों की पेंशन में वृद्धि

4823. श्री के. सुब्बारायण: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फैक्ट्रियों से सामान्य अधिवर्षिता प्राप्त करने वाले और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाले कामगारों की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के कब तक लागू होने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंशदाताओं की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

खाद्य उत्पादों में मिलावट

4824. श्री डी.बी. पाटिल:
डा. चिन्ता मोहन:
श्री कमला प्रसाद रावत:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूध, चाय, फलों, सब्जियों, काफी, दवाइयों आदि में मिलावट/संदूषण की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई कानून बनाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) दूध, चाय, फलों, सब्जियों और काफी आदि में अपमिश्रण/संदूषण की कोई विशेष घटनाएं सरकार के ध्यान में नहीं आई हैं। तथापि, राज्यों/संघ क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) अधिकारियों द्वारा समय-समय पर उनकी वार्षिक रिपोर्टों के जरिए खाद्य अपमिश्रण के रूटीन मामले सूचित किए जाते हैं और ये घटनाएं विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए अब तक ताजा आंकड़ों के अनुसार लगभग एक समान हैं।

खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण पर रोक और उपभोक्ताओं को जालसाजी और धोखेबाजी से बचाने के लिए केन्द्र सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत नियम, 1955 बनाए हैं। विभिन्न खाद्य वस्तुओं के मानक खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के परिशिष्ट 'ख' में निर्धारित किए गए हैं। बाजार में बेचे जा रही खाद्य वस्तुओं को खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में विहित निर्देशों के अनुरूप होना वांछित है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 और नियम, 1955 का कार्यान्वयन राज्यों/संघ क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) अधिकारियों को सौंपा गया है। राज्यों/संघ क्षेत्रों के प्रर्वतन कार्मिक दूध, चाय, संसाधित फल/सब्जियां, काफी आदि सहित विभिन्न खाद्य वस्तुओं के नमूने विश्लेषण के लिए उठाते हैं। जहां खाद्य वस्तुओं को खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम के मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता वहां चूककर्त्ताओं के खिलाफ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के तहत कार्रवाई की जाती है।

अनुदान सहायता हेतु अनुरोध

4825. श्री एम. शिवन्ना: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बैंगलोर मेडिकल कालेज और संबद्ध अध्यापन अस्पतालों के लिए मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम सुधार परियोजना हेतु जापान इंटरनेशनल कोओपरेटिव एजेंसी से अनुदान सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह अनुरोध पिछले पांच वर्षों से लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अनुरोध कब तक स्वीकृत कर लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी हां, बंगलौर मेडिकल कालेज और सम्बद्ध शिक्षण कालेजों के 'मातृत एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम' में सुधार के लिए जापान इन्टरनेशनल कोओपरेटिव एजेंसी से 60 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता लेने वाला एक प्रस्ताव मई, 2001 को आवश्यक वित्तीय पोषण हेतु जापान सरकार को भेजा गया था। तथापि, जापान सरकार ने वित्तीय सहायता के लिए इस परियोजना को स्वीकार नहीं किया है।

आंध्र प्रदेश में टेलीफोन घनत्व

4826. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व का प्रतिशत कितना है;

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य में जिला-वार कितने ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) हैं; और

(ग) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 28.2.2005 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीघनत्व का प्रतिशत 2.38 है और शहरी क्षेत्रों में यह प्रतिशत 28.84 है।

(ख) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) की कुल संख्या 24989 है और इसका जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं में वृद्धि करने हेतु बीएसएनएल द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) ग्रामीण क्षेत्रों सहित छितरी हुई मांग को पूरा करने के लिए, मौजूदा वर्ष के दौरान सीडीएमए की 2.2 लाख डब्ल्यूएलएल लाइनों की वृद्धि करने की योजना बनाई गई है।

(2) राज्य में 9 लाख मोबाइल फोन कनेक्शन जोड़ने की योजना बनाई गई है जिससे राज्य के कई गांव भी कवर हो जाएंगे।

(3) लैंडलाइन एक्सचेंजों के लिए आउटडोर केबल की लंबाई में छूट दी गई है; 2.5 कि.मी.की बजाए 5.0 कि.मी. तक केबल बिछाई जा सकती है।

(4) सभी राजमार्गों, महत्वपूर्ण नगरों, तीर्थ स्थानों तथा राज्य राजमार्गों में मोबाइल नेटवर्क स्थापित किए गए हैं ताकि ज्यादा क्षेत्रों को सुविधा प्रदान की जा सके।

बीएसएनएल द्वारा किए गए प्रयासों के अलावा, निजी प्रचालकों द्वारा भी टेलीफोनों की मांग पूरी की जा रही है। इसके अतिरिक्त सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओ निधि) के तंत्र के माध्यम से दूरसंचार प्रचालकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ताकि उन्हें, अन्य कार्यों के साथ-साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

विवरण

31.3.2005 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश सर्किल के ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की स्थिति (बीएसएनएल द्वारा)

क्र.सं.	जिले का नाम	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) की संख्या
1	2	3
1.	अदिलाबाद	1083
2.	अनन्तपुर	1010
3.	चित्तूर	1441
4.	कुडप्पा	989
5.	पूर्वी गोदावरी	1020
6.	गुंटूर	1019
7.	करीमनगर	1088
8.	खम्माम	911
9.	कृष्णा	1065
10.	कुरनूल	952
11.	महबूबनगर	1465
12.	मेडक	1173
13.	नालगोंडा	1142
14.	नेल्लोर	1149
15.	निजामाबाद	737
16.	प्रकासम	1050
17.	रंगारेड्डी	914
18.	श्रीकाकुलम	1448
19.	विशाखापट्टनम	956
20.	विजियानगरम	1224
21.	वारंगल	716
22.	पश्चिमी गोदावरी	1029
23.	हैदराबाद	0
	जोड़	23581*

*उपर्युक्त के अलावा, निजी प्रचालकों द्वारा 1408 वीपीटी प्रदान किए गए हैं जिसका जिलावार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

4827. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के सात राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु 5200 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना में किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों को सम्मिलित किया गया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 के शोलापुर से उमराग सीमा तक के 120 कि.मी. लंबे क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सरकार ने महाराष्ट्र में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग (रा.रा. सं. 3, 4, 6, 9, 17 व 50) के कुल 959 कि.मी. लंबे 11 खंडों के लिए निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3 के अंतर्गत अभी हाल में कुछ परियोजनाओं की घोषणा की है।

(ग) जी नहीं।

(घ) बी ओ टी आधार पर परियोजनाओं का चयन, यातायात सघनता की तुलना में परियोजना लागत आदि की संभावित अर्थक्षमता के आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

कांपैक्ट आटोमेटिक वैदर स्टेशन

4828. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 'कांपैक्ट आटोमेटिक वैदर स्टेशन्स' विकसित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन स्टेशनों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उक्त परियोजना और उनकी स्थापना की लागत कितनी है;

(ग) क्या मौसम के सटीक पूर्वानुमान की जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पूर्व प्रणाली की तुलना में इस प्रणाली से क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) इसरो-उद्योग ने संयुक्त रूप से स्वचालित मौसम केन्द्र (ए.डब्ल्यू.एस.) विकसित किया है, जोकि धरातल के दबाव, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन गति इत्यादि जैसे मौसम से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करने और इन्हें इन्सैट/कल्पना उपग्रहों के आंकड़ा रिले प्रेषानुकरों के माध्यम से भेजने में सक्षम हैं। ए.डब्ल्यू.एस. प्रणाली की अनुमानित लागत लगभग 2 लाख रुपये है और यह विभिन्न स्थानों पर संस्थापन लागत के आधार पर भिन्न हो सकती है।

(ग) और (घ) स्वचालित मौसम केन्द्रों से मापित विविध मौसम विज्ञानीय पैरामीटरों की परिशुद्धता का स्तर प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

(ङ) मौसम केन्द्रों के विद्यमान विरल वितरण की तुलना में केन्द्रीय माडलिंग सुविधा को वास्तविक काल में संयोजकता से सम्पूर्ण देश में ए.डब्ल्यू.एस. के योजनाबद्ध नियोजन से मौसम संबंधी मामलों को उन्नत निवेश प्राप्त होगा।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों की जांच

4829. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने स्वयं उन मामलों की जांच करने का निर्णय लिया है जिनमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय लेने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि विभिन्न विभागों/कार्यालयों में तैनात केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने यह बताया है कि उसने यह निर्णय लिया है कि आयोग ऐसे मामलों में स्वतः ही जांच करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8 और 11 को अमल में लाएगा जिनमें वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध गंभीर स्वरूप की शिकायतों पर कार्रवाई करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

निधियों का आबंटन/उपयोग

4830. श्री रूप चंद मुर्मु:
श्री प्रबोध पाण्डा:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान आज तक राज्यों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत आबंटित/जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य द्वारा निधियों का पूरा उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए राज्यवार आबंटन/जारी धनराशि और धनराशि का उपयोग दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) यद्यपि कुछ राज्यों द्वारा आबंटित धनराशि का पूरा उपयोग किया गया है किंतु कुछ राज्यों द्वारा धनराशि का कम उपयोग किया गया है जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन राज्यों द्वारा आबंटित धनराशि का कम उपयोग, कार्य सौंपने में विलंब, भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्याओं के कारण कार्य की धीमी प्रगत्ति, सुविधाओं के स्थानांतरण जैसे धार्मिक ढांचों को हटाना/गांवों का पुनः स्थान निर्धारण/पुनर्वास, कानून व्यवस्था की समस्या, पर्यावरण स्वीकृति आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से है।

विवरण

2003-04 और 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धनराशि का राज्यवार आबंटन और उपयोग

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास				अनुरक्षण और मरम्मत			
		2003-04		2004-05		2003-04		2004-05	
		आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	110.51	110.13	96.74	77.47	37.42	35.39	33.64	21.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.10	4.05	6.00	5.09	0.31	0.16	0.60	0.15
3.	असम	108.00	107.83	71.01	47.31	23.27	22.37	28.98	6.50
4.	बिहार	83.07	78.09	79.51	35.55	29.48	36.52	49.14	29.99
5.	चंडीगढ़	1.50	1.72	2.00	0.47	0.28	0.31	0.56	0.43
6.	छत्तीसगढ़	46.00	42.39	51.26	14.75	15.35	17.43	26.05	12.41
7.	दिल्ली	10.00	13.39	6.00	0.52	0.42	0.00	0.73	0.06
8.	गोवा	24.00	23.18	5.00	3.34	5.03	5.01	2.67	0.83
9.	गुजरात	72.00	68.55	84.35	35.81	22.47	20.88	34.69	18.68
10.	हरियाणा	52.50	53.66	53.00	33.53	11.19	11.66	11.26	4.05
11.	हिमाचल प्रदेश	32.00	27.78	45.00	32.92	13.45	10.77	17.15	9.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	जम्मू-कश्मीर	4.00	4.00	0.00	0.00	0.54	0.46	0.43	0.00
13.	झारखंड	36.70	33.00	35.00	4.68	15.46	13.66	19.78	7.74
14.	कर्नाटक	150.35	158.46	80.60	40.00	38.73	39.35	35.82	15.00
15.	केरल	99.86	96.65	75.69	40.00	20.81	23.66	18.16	10.19
16.	मध्य प्रदेश	81.00	79.47	91.90	61.74	57.50	68.80	62.37	44.81
17.	महाराष्ट्र	127.80	117.69	122.98	44.43	49.85	48.71	46.53	21.11
18.	मणिपुर	16.01	15.16	11.57	5.37	6.96	7.33	8.33	2.07
19.	मेघालय	40.00	35.92	25.93	13.82	9.41	9.20	12.46	5.55
20.	मिजोरम	31.00	31.00	22.00	17.25	5.55	5.54	5.43	2.67
21.	नागालैंड	11.50	11.48	14.00	8.61	1.98	1.97	3.77	0.75
22.	उड़ीसा	69.97	69.97	78.80	38.71	42.51	40.53	40.12	19.31
23.	पांडिचेरी	2.20	2.20	3.00	1.40	0.83	0.84	0.79	0.25
24.	पंजाब	51.00	50.99	46.79	36.92	20.09	18.80	19.39	13.90
25.	राजस्थान	48.00	46.44	92.72	34.90	27.93	25.81	50.97	36.95
26.	तमिलनाडु	89.04	80.79	91.55	55.15	41.36	31.11	34.01	21.83
27.	उत्तर प्रदेश	104.00	103.70	152.43	150.00	55.68	55.19	51.73	30.00
28.	उत्तरांचल	20.10	18.88	25.44	21.02	3.66	2.62	13.34	3.67
29.	पश्चिम बंगाल	98.00	69.79	101.60	36.20	23.57	27.07	22.31	9.60

नोट: राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आबंटन में राष्ट्रीय राजमार्गों (मूल) के तहत आबंटन, स्थायी पुल शुल्क निधि से धनराशि और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए धनराशि शामिल है।

आई.सी.एम.आर. अध्ययन

4831. श्री रामचन्द्र डोम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.सी.एम.आर. ने धूल से होने वाले प्रदूषण तथा रोगों के संबंध में पत्थर/ग्रेनाइट खानों तथा क्रासिंग उद्योग के कामगारों पर अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) क्या सरकार द्वारा सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के संस्थान मरू चिकित्सा/औषध अनुसंधान केन्द्र (डी.एम.आर.सी.), जोधपुर ने जोधपुर जिले के बलुआ पत्थर की खदानों के श्रमिकों पर दो अध्ययन किए हैं। पहले अध्ययन से यह पता चला कि जोधपुर जिले के बलुआ पत्थर की खदान के श्रमिकों में सिलिकोसिस और फेफड़ों के क्षयरोग की उच्च व्याप्तता दर है। दूसरे अध्ययन से यह प्रमाणित हुआ कि सूखी यांत्रिकीय खुदाई धूल बनने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत है और गीली खुदाई हवा जन्य धूल बनने की क्रिया को समाप्त करने के लिए खुदाई की सुरक्षित विधि है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के संस्थान राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद और इसके क्षेत्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोलकाता ने क्रमशः गुजरात में क्वार्टज स्टोन (पत्थर) क्रशर्स और पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में बसाल्ट स्टोन क्रशर्स में इसी प्रकार के अध्ययन किए। इन अध्ययनों से प्रदूषण के कारण उत्पन्न हुई धूल के कारण गुजरात के श्रमिकों में सिलिकोसिस की व्याप्तता और पश्चिम बंगाल के श्रमिकों में न्यूमोकोलोसिस की व्याप्तता का पता चला है।

(ग) चूंकि उपर्युक्त सभी अध्ययनों से पता चला है कि गीली खुदाई और क्रशिंग से श्वसनीय धूल के स्तर कम होते हैं। यह जानकारी फैक्टरियों के स्वामियों, श्रमिकों, फैक्टरी निरीक्षणालय और स्थानीय प्रशासन को शामिल करते हुए एक कार्यशाला में प्रसारित की गई। इस अध्ययन के दौरान और बाद के कार्यकलापों के कारण सूखी खुदाई की अधिकतर इकाईयों को गीली खुदाई की इकाईयों में बल दिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-52 को चौड़ा करना

4832. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग-52 को 10वीं योजना के दौरान चौड़ा करने, सुदृढ़ बनाने तथा इसकी मरम्मत करने के लिए अंतिम रूप दिए गए प्रस्ताव तथा, इसका क्षेत्र-वार परिव्यय, वार्षिक आबंटन तथा प्रत्येक क्षेत्र में चौड़े किए गए कुल किलोमीटर, पूर्ण किए गए आई आर क्यू पी दर्शाते हुए मार्च, 2005 तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बी आर ओ के प्रत्येक कार्यान्वयन करने वाले विंग नामतः डी ए एन टी ए के, बी ओ आर टी ओ के, यू डी ए वाई ए के द्वारा भेजे गए डी पी आर तथा मंत्रालय द्वारा स्वीकृति के लिए लंबित पड़े प्रस्तावों की सूची का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(घ) उत्तरी लखीमपुर पर बाइपास सहित बैहाटा से पसीघाट और डिराक होते हुए रूपाई तक की पूरी दूरी के लिए 10वीं योजना के शेष वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कितना आबंटन किया गया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) 10वीं योजना के दौरान अब तक रा रा-52 की 33 कि.मी., 13 कि.मी. और 169 कि.मी. लंबाई में चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/सड़क गुणता सुधार कार्य पूरा कर लिया गया है। क्षेत्रवार आबंटन और मार्च, 2005 तक उपयोग की गई धनराशि इस प्रकार है-

क्षेत्र	आबंटन (करोड़ रु.)	उपयोग की गई धनराशि (करोड़ रु.)
बैहाटाचरली से तेलामारा (0 से 113 कि.मी.)	15.21	15.21
तेलामारा से अकाजन (113 से 440 कि.मी.)	23.48	23.48
अकाजन से रूपाई (440 से 876 कि.मी.)	62.81	62.81

(ख) और (ग) सीमा सड़क संगठन के कार्यान्वयन पक्ष पर्याप्त दंतक, वोर्तक, उदयक से कोई प्रस्ताव/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) दसवीं योजना की शेष अवधि के लिए आबंटन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। फिलहाल उत्तरी लखीमपुर बाइपास के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

हरियाणा और उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

4833. श्री अवतार सिंह भडाना:
डा. राजेश मिश्रा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इस समय कार्य कर रहे टेलीफोन एक्सचेंजों की जिला-वार संख्या कितनी है और इनकी स्थापित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2005-06 के दौरान नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है और विद्यमान एक्सचेंज की स्थापित क्षमता बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(ङ) राज्यों में किन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज भवनों का निर्माण किया गया है और वर्तमान में किन स्थानों का प्रयोग किया जा रहा है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) हरियाणा और उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) में टेलीफोन एक्सचेंज की जिला-वार संख्या और उनकी संस्थापित क्षमता का ब्यौरा क्रमशः विवरण-I(क), I(ख) और I(ग) में दिया गया है।

(ख) सरकार का उत्तर प्रदेश (पूर्व और पश्चिम) में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है। तथापि, राज्य में, वर्ष 2005-06 के दौरान, एक्सचेंजों की क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वर्ष 2005-06 के दौरान, हरियाणा में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राज्य में एक्सचेंजों की क्षमता को बढ़ाने संबंधी एक प्रस्ताव है।

(ग) ब्यौरे विवरण-II और III में दिए गए हैं।

(घ) अनुमानित व्यय निम्नानुसार है:-

हरियाणा के लिए	-	52.72 करोड़ रु.
उत्तर प्रदेश (पूर्व) के लिए	-	3.02 करोड़ रु.
उत्तर प्रदेश (पश्चिम) के लिए	-	1.52 करोड़ रु.

(ङ) हरियाणा, उत्तर प्रदेश (पूर्व) एवं उत्तर प्रदेश (पश्चिम) में ऐसे स्थान जहां टेलीफोन एक्सचेंज भवनों का निर्माण किया गया है और इस समय जिनका प्रयोग किया जा रहा है, उनका ब्यौरा क्रमशः विवरण-IV(क), IV(ख) और IV(ग) में दिया गया है।

विवरण I(क)

हरियाणा में टेलीफोन एक्सचेंजों और संस्थापित क्षमता का ब्यौरा

क्र.सं.	जिला का नाम	टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	सज्जित क्षमता
1	2	3	4
1.	अंबाला	81	125112
2.	यमुना नगर	72	93786
3.	पंचकुला	24	25372
4.	फरीदाबाद	44	171852
5.	गुड़गांव	69	175636
6.	हिसार	71	90574
7.	फतेहाबाद	46	41384
8.	सिरसा	76	77080
9.	जींद	79	74738
10.	कैथल	35	44528
11.	करनाल	52	97528
12.	कुरूक्षेत्र	49	72208
13.	पानीपत	26	74900
14.	रेवाड़ी	35	43468
15.	महेन्द्रगढ़	31	32268
16.	रोहतक	53	80408
17.	भिवानी	76	63472
18.	झज्जर	35	49336
19.	सोनीपत	72	105000
	जोड़	1026	1538690

विवरण I(ख)

उत्तर प्रदेश (पूर्व) में टेलीफोन एक्सचेंजों और स्थापित क्षमता का ब्यौरा

क्र.सं.	जिला का नाम	टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	सज्जित क्षमता
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	101	162522
2.	कौशांबी	12	6166
3.	आजमगढ़	77	13580
4.	बाराबंकी	73	46204
5.	बलिया	46	36900
6.	बांदा	75	26552
7.	चित्रकूट	28	10536
8.	बहराइच	55	34004

1	2	3	4
9.	श्रावस्ती	10	5032
10.	बस्ती	28	23768
11.	संत कबीर नगर	19	7586
12.	सिद्धार्थ नगर	29	14416
13.	देवरिया	43	35792
14.	कुशीनगर	36	25756
15.	औरैया	23	18336
16.	इटावा	22	26160
17.	फर्रूखाबाद	28	30460
18.	कन्नौज	27	20616
19.	फतेहपुर	49	26888
20.	अंबेडकर नगर	34	21948
21.	फैजाबाद	41	37988
22.	बलरामपुर	19	14168
23.	गोण्डा	47	34660
24.	गोरखपुर	59	105655
25.	महाराजगंज	29	22468
26.	गाजीपुर	46	25722
27.	हरदोई	43	28088
28.	हमीरपुर	36	21176
29.	महोबा	12	9808
30.	झांसी	47	63156
31.	ललितपुर	27	12756
32.	जौनपुर	68	55068
33.	कानपुर	77	219940
34.	कानपुर देहात	49	29584
35.	लखीमपुर	103	55848
36.	लखनऊ	97	311882
37.	मऊ	43	49664
38.	मैनपुरी	41	40104
39.	मिर्जापुर	45	39580
40.	सोनभद्रा	33	36980
41.	जालौन	44	25532
42.	प्रतापगढ़	62	36360
43.	रायबरेली	63	45942
44.	शाहजहांपुर	43	47404
45.	सीतापुर	64	41448
46.	सुल्तानपुर	77	49716
47.	उन्नाव	69	42452
48.	चंदौली	26	20760
49.	संत रविदास नगर	28	28176
50.	वाराणसी	57	162840
	जोड़	2310	2298147

विवरण I(ग)

उत्तर प्रदेश (पश्चिम) में टेलीफोन एक्सचेंजों और स्थापित क्षमता का ब्यौरा

क्र.सं.	जिला का नाम	टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	सज्जित क्षमता
1	2	3	4
1.	आगरा	81	170052
2.	अलीगढ़	48	71,128
3.	बदायूं	46	34,092
4.	बागपत	21	36,464
5.	बरेली	78	105,284
6.	बिजनोर	68	86,768
7.	बुलंदशहर	52	73,120

1	2	3	4
8.	एटा	44	39,052
9.	फिरोजाबाद	15	29,632
10.	जी.बी. नगर	36	160,520
11.	गाजियाबाद	68	268,304
12.	हाथरस	22	20,744
13.	जे.पी. नगर	34	36,176
14.	मथुरा	60	82,788
15.	मेरठ	48	152,004
16.	मुरादाबाद	49	95,476
17.	मुजफ्फरनगर	70	117,516
18.	पीलीभीत	35	24,588
19.	रामपुर	32	44,352
20.	सहारनपुर	48	103,320
	जोड़	955	1,751,380

विवरण II

वर्ष 2005-06 के दौरान स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्र.सं.	जिला	स्टेशन का नाम
1	2	3
1.	**उत्तर प्रदेश (पूर्व)**	
1.	सुल्तानपुर	ढेमा
2.	सुल्तानपुर	कल्याणपुर
3.	सुल्तानपुर	बिशेसरगंज
4.	सुल्तानपुर	चंडुआकी
5.	सुल्तानपुर	नंदमाहर
6.	सुल्तानपुर	शादीपुर
2.	**उत्तर प्रदेश (पश्चिम)**	
1.	गाजियाबाद	चिरंजीव विहार
2.	गाजियाबाद	शालीमार गार्डन
3.	गाजियाबाद	बृज विहार
4.	मेरठ	बागपत रोड
3.	**हरियाणा—शून्य**	

विवरण III

वर्ष 2005-06 के दौरान क्षमता वर्द्धक कार्यक्रम का ब्यौरा

1. उत्तर प्रदेश (पूर्व)—शून्य

2. उत्तर प्रदेश (पश्चिम)—शून्य

3. हरियाणा

गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	एक्सचेंज का नाम	क्षमता विस्तार कार्यक्रम
1	2	3
	बबयाल	500
	पी/विहार	500
	हिसार रोड	500
	मुस्तफाबाद	500
अम्बाला	कालका	1000
	रायवली	500
	कौला	1000
	केसरी	500
	जनसूई	500
जींद	जींद	5000
फरीदाबाद	फरीदाबाद	4000
	हसनपुर	500
	होडल	500

1	2	3
रोहतक	रोहतक	2000
	नसीबपुर	1000
	मंडी अटेली	1000
	महेन्द्रगढ़	1000
	कनीना	500
	रेवाड़ी झज्जर चौक	1000
	रेवाड़ी सै.-4	2000
	धारूहेड़ा	500
	जोनावास	500
	नंदरामपुर बास	500
	गढी बोलनी	500
	बीकानेर	500
	कर्णावास	500
	रालियावास	500
करनाल	चीका	500
	बाला लडाना	512
सोनीपत	सोनीपत	1000
	हुलेरी	500
	मेहनीदपुर	500
	मलिकपुर	500
जोड़		31012

विवरण IV(क)

हरियाणा में वे स्थान जहां टेलीफोन एक्सचेंज भवनों का निर्माण तथा उपयोग किया गया है

क्र.सं.	गौण स्विचन क्षेत्र	स्थान
1	2	3
1.	अम्बाला	
2.		ई-10बी अम्बाला कैंट
3.		ई-10बी अम्बाला सिटी
4.		हिसार रोड अम्बाला कैंट
5.		आरएलयू अम्बाला कैंट
6.		बराडा
7.		बिलासपुर
8.		छाछरौली
9.		सढ़ौरा
10.		कालका
11.		नारायणगढ़
12.		ई-10 बी यमुनानगर
13.		1/क्षेत्र यमुनानगर
1.	फरीदाबाद	अनाज मंडी
2.		बदरपुर
3.		बल्लभगढ़
4.		नेहरूग्राऊंड
5.		फरीदाबाद सै. 23
6.		फरीदाबाद सै. 15क
7.		पलवल
8.		बामनीखेडा
9.		हथीन
1.	गुड़गांव	फिरोजपुर जिर्का
2.		नगीना
3.		पिनागवा
4.		पुन्हाना
5.		डीएलएफ मेन
6.		गुड़गांव मेन
7.		हेली मंडी
8.		पालम विहार
9.		गुड़गांव सै. 18

1	2	3
10.		गुड़गांव सै. 37
11.		सोहना
12.		साऊथ सिटि
13.		सुशांत लोक
14.		नूह
15.		मेन एक्सचेंज
1.	जिंद	पटियाला चौक
2.		खरकराम जी
3.		जुलाणा
4.		किनाणा
5.		नरवाणा
6.		सफीदो
7.		मुख्य एक्सचेंज
1.	सोनीपत	गोहाना
2.		खानपुर
3.		मुर्थल
4.		गन्नौर
5.		खरखौदा
6.		कुंडली
1.	हिसार	मुख्य एक्सचेंज हिसार
2.		एसएटीरोड हिसार
3.		आदमपुर मंडी
4.		बरवाला
5.		ऊकलाना
6.		अबूबशाहिर
7.		डबवाली
8.		डबवाली आरएसयू-सीएक्सएल
9.		एलानाबाद

1	2	3
10.		रनिया
11.		श्री जीवन नगर
12.		भट्टू
13.		भूना
14.		फतेहाबाद
15.		हांसी
16.		कलावली
17.		औधाना
18.		एटिया
19.		सिकंदरपुर
20.		सिरसा
21.		हिंडलवाला
22.		जाखल
23.		कुलान्ह
24.		टोहाना
1.	करनाल	चीका
2.		घरौंडा
3.		कैथल
4.		कैथल पेहवा चौक
5.		करनाल मुख्य
6.		इस्लामाबाद
7.		कुरूक्षेत्र
8.		लाडवा
9.		शाहबाद
10.		नीलोखेड़ी
11.		तरौरी
12.		पानीपत मुख्य
13.		पानीपत एम/टाऊन

1	2	3
14.		समालखा
15.		पैहेवा
1.	रेवाड़ी	आकोदा
2.		महेन्द्रगढ़
3.		मंडी अटेली
4.		नारनौल
5.		डहीना
6.		धारूहेड़ा
7.		गुरूवाडा
8.		कुंड
9.		रेवाडी झज्जर चौक
10.		रेवाडी नूल चौक
11.		बावल
1.	रोहतक	रोहतक मुख्य
2.		बहादुरगढ़
3.		भवानीखेडा
4.		बिरान
5.		भिवानी
6.		बापोडा
7.		जूई
8.		बोंद कला
9.		चरखी दादरी
10.		बेरी
11.		झज्जर
12.		कनानौर
13.		बाढरा
14.		डिगावा
15.		लोहारू
16.		मदीना
17.		महैम
18.		रोहतम सै.-2
19.		रोहतक अनाज मंडी
20.		सांपला
21.		बेहल
22.		तोशम

विवरण IV(ख)

उत्तर प्रदेश (पूर्व) में वे स्थान जहां टेलीफोन एक्सचेंज भवनों का निर्माण तथा उपयोग किया गया है

क्र.सं.	गौण स्विचन क्षेत्र	स्थान
1	2	3
1.	इलाहाबाद	1. हांडिया
		2. मंझनपुर
		3. बिसारा
		4. शंकरगढ़
		5. बाड़ा
		6. लाल गोपालगंज
		7. मेजा
		8. कर्छाना
		9. सिराटू
		10. फफमऊ
		11. सिविल लाइंस इलाहाबाद
2.	आजमगढ़	1. जीनपुर
		2. कंधापुर
		3. नेनीजोर
		4. अमूवाड़ी

1	2	3
		5. बरडीहा
		6. रामगढ़
		7. चपरा सुल्तानपुर
		8. कैप्टनगंज
		9. कोयलसा
		10. हरिया
		11. फूलपुर
		12. लहीडीह
		13. लालगंज
		14. देवगांव
		15. मेहनगर
		16. मुबारकपुर
		17. जहानागंज
		18. सी-डाट
		19. माईक्रोवेव
		20. महाराजगंज
		21. बारदाह
		22. फाईहा
		23. संजरपुर
		24. निरोमबाद
3.	बहराईच	1. जमुनाहा
		2. भुजा
		3. भंगा
		4. महासी
		5. जैतपुर बाजार
		6. बेहड़ा
		7. नौकला
		8. नौपाड़ा
		9. बाबागंज
		10. इमामगंज
		11. महेड़ा
		12. मिहिनपुर्वा
		13. श्रावस्ती
		14. एकोना
		15. पयागपुर
		16. रिसिया
		17. केसरगंज
		18. रूकनापुर
		19. जर्वालरोड
		20. जर्वाल कस्बा
		21. फकरपुर
		22. हजूरपुर
		23. वजीरगंज
		24. भौच
4.	बलिया	1. अत्तरासुआ
		2. अठिलापुर
		3. बैजलपुर
		4. (क) बलिया सी-डाट (ख) बलिया ओसीबी
		5. बंसडीह
		6. मणियार
		7. नागरा
		8. प्रधानपुर
		9. पुर
		10. रासरा
5.	बांदा	1. मनिकपुर

1	2	3
		2. कर्वी
		3. भरतकूप
		4. अतारा
		5. मर्दानका बादा
		6. इंदिरानगर
		7. बबेरू
		8. खैपटीहा
6.	बाराबंकी	1. बाराबंकी
		2. बाराबंकी पुराना भवन
		3. बरेठी
		4. भानमऊ
		5. जहांगीराबाद
		6. कोला
		7. सदरगंज
		8. सतरीख
		9. टेरा
		10. सद्दीपुर
		11. उधौली
		12. जाकरिया
		13. बदनपुर
		14. बद्दूपुर
		15. बिशुनपुर
		16. फतेहपुर
		17. हेतमापुर
		18. कुरसी
		19. मदादेवा
		20. मोहम्मदपुर
		21. खाला
		22. रामनगर
		23. रानीबाजार
		24. सिहाली
		25. सूरतगंज
		26. तिलोकपुर
		27. तिलवारी
		28. भिलवाल
		29. हैदरगढ़
		30. कोठी
		31. सिधौर
		32. सुबेहा
		33. अलियाबाद
		34. दरियाबाद
		35. कुल्लापुर
		36. लेहौली
		37. खजूरी
		38. मौगौरपुर
		39. महमूदाबाद
		40. पुरेदलाई
		41. रामस्नेहीघाट
		42. रूदौली
		43. सादातगंज
		44. सैदखानपुर सराय
		45. बरई सिरौलीगौसपुर
7.	बस्ती	1. डुमरियागंज
		2. ईटावा

1	2	3
		3. बरनी
		4. शोहरतगढ़
		5. सिद्धार्थ नगर
		6. बंसी
		7. तिलौली
		8. बस्ती
		9. कैप्टनगंज
		10. बभनान
		11. खलीलाबाद
		12. विश्वनाथपुर
8.	देवरिया	1. देवरिया सी-डाट
		2. देवरिया ओसीबी
		3. भटानी दादन
		4. राम लक्ष्मण
		5. सलेमपुर
		6. भटानी
		7. पडरौना सी-डाट
		8. रविंद्र नगर
		9. साखोपार
		10. सुकरौली बाजार
		11. मथौली बाजार
		12. सोनहौला रामनगर
		13. बरियारपुर
		14. टाटा एम/डब्ल्यू रिपीटर
9.	इटावा	1. इटावा
		2. औरैया
		3. जसवंत नगर
		4. सैफई

1	2	3
10.	फैजाबाद	1. बसखारी
		2. गढ़वाल
		3. टांडा
		4. अकबरपुर
		5. गोसाईगंज
		6. माया
		7. बिकापुर
		8. मिल्कीपुर
		9. अयोध्या
		10. फैजाबाद
11.	फर्रुखाबाद	1. कैमगंज
		2. छिबरामाऊ
		3. गुरसहाईगंज
		4. फर्रुखाबाद
		5. सिरोली
		6. फतेहगढ़
12.	फतेहपुर	1. फतेहपुर
		2. खागा
		3. बिंडकी
13.	गाजीपुर	1. बरसारा
		2. गाजीपुर
		3. जाखनिया
		4. खरदिहा
		5. मैनपुरी
		6. मोहम्मदाबाद
		7. नंदगंज
		8. रायपुर
		9. रेवतीपुर

1	2	3
		10. सैदपुर
		11. जमानिया
14.	गोंडा	1. गोंडा
		2. बलरामपुर
		3. तुलसीपुर
		4. उतरौला
		5. तराबगंज
		6. आर्यनगर
		7. बंकाटवा
15.	गोरखपुर	1. गोरखपुर
		2. रापतीनगर
		3. बांसगांव
		4. आनंदनगर
		5. महाराजगंज
16.	हमीरपुर	1. कुरारा
		2. हमीरपुर
		3. चौनी
		4. बीवर
		5. रगौल
		6. इक्कौली
		7. इमिलिया
		8. रथ
		9. गोहोद
		10. चरलैरी
		11. कल्फर
		12. महोब
17.	हरदोई	1. शाहबाद
		2. बिलग्राम

1	2	3
		3. संडिला
		4. कच्छौना
		5. हरपालपुर
		6. बेहतागोकुल
		7. सिविल लाइन एक्सचेंज हरदोई
		8. लखनऊ रोड एक्सचेंज हरदोई
18.	जौनपुर	1. जौनपुर मेन
		2. जौनपुर केटीवाई
		3. शाहगंज
		4. पीयू एक्सचेंज
		5. मरियाहू
		6. बदलापुर
		7. सिगरामाऊ
		8. सितमसराय
		9. शेखुपुर
		10. घनश्यामपुर
		11. साथरिया
		12. बरेठी
		13. कचगांव
		14. टार्टी
		15. मुगराबादशाहपुर
19.	झांसी	1. ग्वालियर रोड झांसी
		2. ललितपुर रोड झांसी
		3. पिच्छौर, कानपुर रोड झांसी
		4. मोथ
		5. चिरगांव
		6. हाती
		7. मौरनीनपुर

1	2	3
		8. ललितपुर
		9. तालेबहात
		10. विजयपुरा
		11. जखौरा
		12. मेहरौनी
		13. देलवारी
		14. बांसी
		15. पाली
		16. माडवरा
20.	कानपुर	1. दूरसंचार भवन
		2. सीटीओ भवन
		3. कोएक्सियल भवन
		4. टेलीफोन भवन
		5. बेनाझाबर एक्सचेंज
		6. लाखनपुर एक्सचेंज
		7. कल्याणपुर एक्सचेंज
		8. नारामाऊ एक्सचेंज
		9. माइक्रोवेव सर्वोदयनगर
		10. लाजपत नगर
		11. रतन लाल नगर
		12. पांकी पावर हाऊस
		13. पांकी औद्योगिक क्षेत्र
		14. यशोदा नगर
		15. श्याम नगर
		16. कृष्णा नगर
		17. जज माऊ
		18. चकेरी
		19. रूमा
		20. महाराजपुर
		21. सिरसौल
		22. अकबरपुर
		23. भौती
		24. बिधनू
		25. चौबेपुर
		26. बिल्हौर
		27. देरापुर
		28. धातमपुर
		29. हंसेमाऊ
		30. जैनपुर
		31. झिंझाक
		32. कैरजार
		33. मंढाना
		34. नरवाल
		35. पुखरायां
		36. रानिया
		37. रसूलाबाद
		38. रूरा
		39. सचेंडी
		40. शिव राजपुर
		41. सिकंदरा
		42. उत्तरी पूआ
		43. काका देव
		44. माटी
		45. डीटीओ कैंट, कानपुर
		46. साकेतनगर

1	2	3
21.	लखीमपुर	1. कीरत नगर
		2. सिविल लाइन लखीमपुर
		3. हिदायत नगर
		4. धनराहरा
		5. निघासन
		6. पालिया
		7. संपूर्णनगर
		8. मोहम्मदी
		9. जे.बी. गंज
22.	लखनऊ	1. आलमबाग
		2. ट्रांसपोर्ट नगर
		3. बन्थारा
		4. राजाजीपुरम
		5. बाधेवन
		6. मोहनलालगंज
		7. मलिहाबाद
		8. इतौंजा
		9. कैसरबाग
		10. तालकटोरा
		11. दिलकुश
		12. महानगर
		13. अलिगंज
		14. गोमती नगर
		15. विरामखंड
		16. विभूतिखंड
		17. इंदिरानगर
23.	मैनपुरी	1. मैनपुरी ओबीसी (नया भवन)
		2. मैनपुरी आरएसयू (पुराना भवन)
		3. शिकोहाबाद
		4. सिरसागंज
		5. करहाल
24.	मऊ	1. अदारी
		2. ऐलख
		3. अमिला
		4. अतरसावन
		5. बधुआ गोडेम
		6. बोझी
		7. चकारा
		8.. चिरैईकोट
		9. दोहरीघाट
		10. दुबारी
		11. घोसी
		12. हलधरपुर
		13. कल्याणपुर
		14. कोपागंज
		15. कुरथीजाफरपुर
		16. कुशमौर
		17. मधुबन
		18. आर्यदपुर
		19. मऊ सिविल लाइन्स
		20. मौरबोज
		21. मोहम्मदाबाद
		22. नदवासराय
		23. पिपरीदीह
		24. पिपरासाथ
		25. रानीपुर

1	2	3
		26. रतनपुर
		27. शहादतपुर
		28. सेमरी जलालपुर
		29. सिपाह
		30. साग्गीचौरी
		31. सुलतानपुर
		32. सुरजप
25.	मिर्जापुर	1. अनगढ़
		2. फताहा (टेलीफोन एक्सचेंज भवन)
		3. फताहा (एम/डब्ल्यू भवन)
		4. गरपुरा
		5. लालगंज
		6. हटिया
		7. पाटीहारा
		8. बहुटी
		9. मनीहर
		10. राजगढ़
		11. अहरौरा
		12. चौकिया
		13. चुनाई
		14. रोबर्टसगंज
		15. चुर्क
		16. चोपान
		17. डाला
		18. शक्तिनगर
		19. रिहन्दनगर
		20. पिपरी (एम/डब्ल्यू)

1	2	3
		21. दुधी
		22. सीखद
26.	उडई	1. काल्पी
		2. जालौन
		3. कुथौण्ड
		4. कोंच
		5. उड़ई
27.	प्रतापगढ़	1. प्रतापगढ़
		2. कुंडा
		3. लालगंज
		4. अंटू
28.	रायबरेली	1. फिरोज गांधी नगर
		2. देवेन्दपुर, अमावन रोड
		3. एचपीओ कम्पाउण्ड
		4. सलोन
		5. तिलोई
		6. डालमऊ
		7. जाईस
		8. लालगंज
29.	शाहजहांपुर	1. तिलहर
		2. पोवायां
		3. रोसा
		4. शाहजहांपुर
		5. सिन्धौली
30.	सीतापुर	1. सीतापुर
		2. मिशरीख
		3. मोहाली
		4. सिधौली

1	2	3
		5. महमूदाबाद
		6. लहरपुर
		7. नीमसार
31.	सुल्तानपुर	1. सुल्तानपुर
		2. अमेठी
		3. मुसाफिरखाना
		4. जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र
		5. गौरीगंज
		6. रामगंज
		7. हनुमानगंज
		8. रावानिया
		9. कैपुर
32.	उन्नाव	1. सिविल लाईन
		2. शुक्लागंज
		3. हसनगंज
		4. पूर्वा
		5. बीघापुर
		6. नवलगंज
		7. औद्योगिक क्षेत्र
		8. साफीपुर
		9. पी.डी. नगर
33.	वाराणसी	1. बनिया बाग
		2. कैण्ट
		3. पहाड़िया 2
		4. पहाड़िया 1
		5. शिवपुर
		6. शिवपुरवा
		7. दुर्गाकुण्ड
		8. लालपुर
		9. डीएलडब्ल्यू वाराणसी
		10. हरतिरथ
		11. एम.ए. रोड
		12. अशोक विहार पहाड़िया फेज-1
		13. संजय गांधी नगर
		14. कबीर नगर दुर्गाकुण्ड
		15. टिकरी
		16. राजातालाब
		17. गोपीगंज टाउन
		18. भदोही
		19. ज्ञानपुर टाउन
		20. खमारिया
		21. चकिया
		22. चन्दौली
		23. मुगल सराय
		24. नौगढ़
		25. रामनगर (1)
		26. सकलडिह
		27. विष्णुपुरवा

विवरण IV(ग)

उत्तर प्रदेश (प.) के उन स्थानों का ब्यौरा जहां भवनों का निर्माण तथा उपयोग किया गया

क्र.सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	स्थान
1	2	3
1.	नोएडा	1. सेक्टर-19
		2. सेक्टर-62

1	2	3
		3. सेक्टर-39
		4. सेक्टर-58
		5. सेक्टर-24
		6. एनईपीजेड
		7. सुरजपुर
		8. कासना
		9. तिलपट्टा
		10. डेल्टा
		11. दादरी
2.	गाजियाबाद	1. राजनगर
		2. नेहरूनगर
		3. संजय नगर
		4. गोविंदपुरम
		5. नंदग्राम
		6. पटेल नगर
		7. प्रताप विहार
		8. इंद्रापुरम
		9. वसुन्धरा
		10. कौशाम्बी
		11. राजेन्द्रनगर
		12. शाहदरा पूर्व
		13. मोदीनगर
		14. मुरादनगर
		15. लोनी
		16. पिलखुवा
		17. हापुड़ पुराना एक्सचेंज
		18. गढ़
		19. हापुड़ नया एक्सचेंज

1	2	3
3.	बुलंदशहर	1. भूर
		2. मोतीबाग
		3. खुर्जा
		4. सिकन्दराबाद
		5. सैटेलाइट सिकन्दराबाद
		6. देबाई
		7. जहांगीराबाद
		8. नरोरा
4.	पीलीभीत	1. पुराना टेलीफोन एक्सचेंज पीलीभीत
		2. नया टेलीफोन एक्सचेंज पीलीभीत
		3. पूरनपुर
		4. बिसालपुर
		5. इटगांव
5.	रामपुर	1. सिविल लाइन रामपुर
		2. सिटी एक्सचेंज रामपुर
		3. मिलक
		4. शाहाबाद
		5. टांडा
		6. स्वार
		7. केमरी
		8. बिलासपुर
6.	अलीगढ़	1. सिविल लाइन
		2. तालानगरी
		3. भुकरावली
		4. नाई का नागला (हाथरस)
		5. मथुरा रोड हाथरस

1	2	3
		6. सासनी
		7. गभाना
7.	मथुरा	1. चट्टा
		2. चैतन्य विहार
		3. गोवर्धन
		4. कोशी
		5. डैम्पियर नगर
		6. राधापुरम
		7. सदाबाद
		8. टाऊनशिप
		9. वृन्दावन
8.	बरेली	1. टी.पी. नगर
		2. पीताम्बरपुर
		3. इफको
		4. रिचना
		5. बहेरी
		6. चौपला
		7. राजेन्द्रनगर
		8. सीटीओ कम्पाउण्ड
9.	सहारनपुर	1. गुरुद्वारा रोड
		2. मिशन कम्पाउण्ड
		3. तहरपुर
		4. बेहात
		5. देवबंद
		6. जांधेरा
		7. तालहेरी बुर्जुग
		8. फंदपुरी
		9. गंगोह
10.	बदायूं	1. बदायूं
		2. उझानी
11.	मुरादाबाद	1. सिविल लाइन
		2. चन्दौसी
		3. सम्भल
		4. अमरोहा
		5. गजरौला
		6. बिलारी
		7. कैलसा
		8. पकबारा
		9. सोनकपुर
12.	एटा	1. एटा
		2. कासगंग
		3. जलेसर
13.	बिजनौर	1. टेलीफोन एक्सचेंज भवन मेरठ रोड
		2. नाजियाबाद
14.	आगरा	1. टैक्सभवन आगरा
		2. फाउण्डरी नगर
		3. संजय प्लेस
		4. ट्रांसपोर्ट नगर
		5. ताज नगरी एक्सचेंज (क्वार्टर)
		6. तोरा
		7. बोडला
		8. शमशाबाद
		9. सिकंदरा
		10. सुहागनगरी फिरोजाबाद
		11. नई बस्ती फिरोजाबाद

1	2	3
		12. टुण्डला
		13. शागंज
		14. अचनेरा
		15. मोइक्रोवेव कंपाउण्ड फिरोजाबाद
		16. सीटीओ कम्पाउण्ड आगरा
15.	मेरठ	1. दोघाट (बीपीटी)
		2. अमीनगर राय (बीपीटी)
		3. खेकड़ा (बीपीटी)
		4. बागपत
		5. बड़ौत
		6. सरधना (मेरठ)
		7. ब्रह्मापुरी
		8. उद्योगपुरम
		9. घंटाघर
		10. श्रद्धापुरी नया एक्सचेंज
		11. श्रद्धापुरी पुराना एक्सचेंज
		12. बाउण्डरी रोड
		13. शास्त्री नगर
		14. पल्लव पुरम
		15. गंगानगर
		16. आरएसयू जीपीओ
		17. मवाना
		18. परीक्षितगढ़
		19. फलावड़ा
		20. किथौड
		21. हस्तिनापुर
		22. खरखौदा
16.	मुजफ्फरनगर	1. पटेल नगर
		2. अल्मासपुर
		3. खटौली
		4. शामली
		5. कैराना
		6. उन्न
		7. बाबरी
		8. झिंझाना
		9. मोहम्मदपुर राय सिंह
		10. निर्मणा
		11. सिसौली
		12. घाटियान
		13. रतनपुरी
		14. थानाभवन
		15. लंक
		16. कहराद
		17. हसनपुर लोहाड़ी
		18. जसोई
		19. गढ़ी अब्दुल्ला
		20. सोता
		21. डूंगर

[अनुवाद]

तटीय राजमार्गों का निर्माण

4834. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार से गुजरात, विशेष रूप से सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में तटीय राजमार्ग के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव मिला है; और

138

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) यह मंत्रालय मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। रा.रा.-8ए व रा.रा.-8ए का विस्तार तथा रा.रा.-8ई व रा.रा.-8ई का विस्तार क्रमशः कच्छ और सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्र से गुजरते हैं। सड़कों की स्थिति, यातायात की मात्रा, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर 2002-03 से 2004-05 तक विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत इन राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए निम्नलिखित कार्य स्वीकृत किए गए हैं-

वर्ष	रा.रा. 8ए		रा.रा. 8ए का विस्तार		रा.रा. 8ई		रा.रा. 8ई का विस्तार	
	संख्या	स्वीकृत लागत	संख्या	स्वीकृत लागत	संख्या	स्वीकृत लागत	संख्या	स्वीकृत लागत
2002-03	2	5.09	6	11.25	10	30.58	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2003-04	3	11.40	2	6.49	3	13.85	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2004-05	2	1.11	9	32.55	11	24.17	3	10.24

[हिन्दी]

सफदरजंग अस्पताल में निर्माण कार्य

4835. डा. चिन्ता मोहन:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल में उपचार हेतु आने वाले रोगियों की अनुमानित संख्या 6000 प्रतिदिन है;

(ख) यदि नहीं, तो इनकी वास्तविक संख्या कितनी है;

(ग) क्या अस्पताल में आने वाले रोगियों की भारी संख्या को देखते हुए भवन का आकार काफी छोटा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या जगह की कमी को दूर करने के लिए भवन के विस्तार हेतु पिछले वर्ष के दौरान निर्माण कार्य शुरू किया गया था;

(च) यदि हां, तो यह निर्माण कार्य किस तारीख को शुरू किया गया था तथा निर्माण कार्य को पूर्ण करने का लक्षित समय क्या है; और

(छ) निर्माण कार्य के समय पर पूर्ण न होने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (छ) सफदरजंग अस्पताल में वर्ष 2004 के दौरान बहिरंग रोगियों की दैनिक उपस्थिति की औसत संख्या 6032 है। बहिरंग रोगियों के इलाज के लिए मौजूदा स्थान के अतिरिक्त ओ पी डी फेज-3 के दाएं और बाएं विंग का कार्य किया जा रहा है ताकि अस्पताल के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे बाह्यरोगी विभाग एक ही छत के नीचे कार्य कर सकें। ओ पी डी फेज-3 के दाएं और बाएं विंग के निर्माण का कार्य मई, 2000 में आरम्भ किया गया था। इस भवन का निर्माण पूरा हो गया है। तथापि, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सांविधिक विभागों से कब्जे के लिए स्वीकृति न मिलने के कारण भवन को अभी नहीं सौंपा है।

आम लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

4836. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में आम लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत चलाए जा रहे औषधालयों की तरह कोई योजना बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) देश में इसके कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत व्यय किन स्रोतों से एकत्रित किए जाने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विदेशी सहयोग

4837. श्री दुष्यंत सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस और चीन द्वारा भारत के साथ सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु गहन रुचि दर्शाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में दोनों देशों द्वारा क्या रूपरेखा तैयार की गई है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का रूस के साथ प्रौद्योगिकी पर एक कार्यकारी दल है जिसमें रूस ने अपने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास जैसे कि साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों के विकास, आदि के लिए भारत का सहयोग मांगा है। किन्तु, दोनों देशों द्वारा अब तक कोई योजना तैयार नहीं की गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारत और चीन के बीच जुलाई, 2000 में एक समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किन्तु, इस संबंध में चीन की ओर से कोई खास पहल नहीं की गई है।

[हिन्दी]

नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति

4838. श्री अजीत जोगी: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में कोई नई राष्ट्रीय नीति बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति के कब तक घोषित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में स्थित सी एम आई सहित विभिन्न वैज्ञानिक और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के कार्यकरण में कोई परिवर्तन करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) भारत सरकार ने पहले ही एक नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, 2003 (एस टी पी-2003) की घोषणा की है। इसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जनवरी, 2003 में बंगलौर में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान की गई थी। इसे संसद के दोनों सदनों में भी प्रस्तुत किया गया था।

यह नई नीति विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मानवीय चेहरे को प्रस्तुत करती है और नई वास्तविकताओं जैसे मुक्त वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने; विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणिक परिणामों की जांच किए जाने की आवश्यकता; और उद्यमशील अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग एवं नवोन्मेष पर बल देती है। यह बुनियादी अनुसंधान के लिए सुदृढ़ सहयोग की समर्थक है, जन शक्ति निर्माण तथा उसके अवधारण को महत्वपूर्ण चुनौतियों के रूप में बल देती है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास कार्यों की गति को पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकिविदों की भागीदारी के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी शासन में गतिशीलता की पक्षधर है।

भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं की अनुसंधान अवसंरचना को सुदृढ़ करने और उनके कार्यकरण में उन्हें स्वायत्तता तथा नमनीयता प्रदान करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वास्तविक सृजनात्मक कार्यों के लिए एक माहौल को बढ़ावा मिल सके।

[अनुवाद]

डाकघरों को खोलने हेतु नई नीति

4839. प्रो. एम. रामदास: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में डाकघरों को खोलने के लिए सरकार की नई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डाक विभाग के लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा विभाग के कर्मचारियों को विभाग के 'फ्रेंचाइजी' बनने को बढ़ावा देने के लिए अंशदायी पेंशन योजना बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 10वीं योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने हेतु नेटवर्क को औचित्यसम्मत बनाने, मौजूदा कार्यबल को पुनर्तैनात करके नए डाकघर खोलने और डाक सुविधाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए अधिक किफायती विकल्प तलाशने की अपेक्षा है।

(ख) और (ग) यह 10वीं योजना के अंतर्गत शामिल नीति निर्धारक विषयों में से एक है।

(घ) जी नहीं। विभाग के कर्मचारियों को विभाग के फ्रेंचाइजी बनने को प्रोत्साहित करने वाली कोई अंशदायी पेंशन योजना नहीं बनाई गई है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पद आधारित रोस्टर नीति को भूतलक्षी प्रभाव से अपनाना

4840. श्री वीरचन्द्र पासवान: क्या **प्रधानमंत्री** 23 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3112 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पद आधारित रोस्टर नीति को केन्द्रीय सचिवालय सेवा की 1987 तथा बाद की नियमित अवर सचिवों की रिक्तियों पर 01.07.1987 से भूतलक्षी प्रभाव के अपनाने के क्या कारण हैं जबकि यह नीति इसके आदेशों के जारी होने की तिथि अर्थात् 02.07.1997 से प्रभावी थी;

(ख) 01.07.1987 से आज की तारीख तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा की चयन सूची के नियमित अवर सचिवों के ग्रेड में अनुसूचित जातियों के अधिक प्रतिनिधित्व का ब्यौरा और नाम क्या है;

(ग) 1 जुलाई, 1985 से आज की तारीख तक नियमित अवर सचिवों के ग्रेड में नामों सहित सभी श्रेणियों के प्रतिनिधित्व का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के प्रतिनिधित्व में कमी को अन्य श्रेणियों/अनुसूचित जातियों के अधिकारियों द्वारा या अन्यथा पूर्ण किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) आर.के. सब्बरवाल बनाम पंजाब राज्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.07.1997 के अनुदेशों के द्वारा रिक्ति आधारित रोस्टर के स्थान पर पद आधारित रोस्टर आरंभ किया गया है। ये अनुदेश जारी होने की तारीख से लागू किए गए हैं। इन अनुदेशों में यह निर्धारित किया गया कि जहां चयन को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है उनमें हेर-फेर करने की आवश्यकता नहीं है तथा दूसरे मामलों में भर्ती की प्रक्रिया को तब तक रोका रखा जाए जब तक संशोधित रोस्टर चलन में न आ जाएं तथा इन अनुदेशों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई। सीधे भर्ती और पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों के बीच आपसी वरिष्ठता के मुद्दे पर चली लंबी मुकदमेबाजी के कारण केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिवों) की वर्ष 1987 तथा उसके बाद की चयन सूचियां समय पर तैयार नहीं की जा सकी। अन्ततः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, अनुभाग अधिकारियों की सामान्य वरिष्ठता सूची, दिसम्बर 1997 में जारी की गई थी। तत्पश्चात् ग्रेड-1 (अवर सचिव) की वर्ष 1987 और 1998 की चयन सूचियों को अंतिम रूप देने के प्रयोजन से प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया। चूंकि उस समय तक पद आधारित रोस्टर का चलन लागू हो गया था, अतः कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.07.1997 के कार्यालय ज्ञापन में निहित अनुदेशों के अनुसार पद आधारित रोस्टर के आधार पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण निर्धारित किया गया। इसके बाद केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) की बाद की चयन सूचियों के संबंध में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाने लगी।

(ख) और (ग) वर्ष 1986 तक की ग्रेड-1 की चयन सूची में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण का निर्धारण रिक्ति आधारित रोस्टर के अनुसार निश्चित किया गया और सरकार के अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की भरी नहीं जा सकीं रिक्तियां अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से और अनुसूचित जातियों की भरी नहीं जा सकीं रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से भरी गई। तथापि, आर.के. सब्बरवाल मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशतता तक

पहुंच जाने पर निर्धारित आरक्षण की प्रतिशतता को बनाए रखने की दृष्टि से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, पदोन्नति इत्यादि के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई रिक्तियों की संबंधित सामान्य अथवा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जाए। रिक्ति आधारित रोस्टर के चलन के आरंभिक दौर में वर्ष 1987 की चयन सूची में यह पाया गया कि अनुसूचित जाति श्रेणी के अवर सचिवों की संख्या निर्धारित कोटा से अधिक थी। ऐसी स्थिति में दिनांक 02.07.1997 के अनुदेशों के अनुपालन में प्रतिस्थापन के सिद्धांत के अनुसरण में रोस्टर को कार्यान्वित करते हुए रोस्टर का बिन्दु जिस श्रेणी से संबंधित था उसी श्रेणी के उम्मीदवार से रिक्ति भरी गई। चूंकि पदधारी अनुसूचित जाति के अधिकारी पहले ही निर्धारित संख्या से अधिक थे, अतः वर्ष 1987, 1988, 1989 और वर्ष 1990 की ग्रेड-1 की चयन सूचियों में कोई भी पद अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित नहीं था। वर्ष 1991 से 1996 तक की ग्रेड-1 की चयन सूचियों में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित रिक्तियों पर 100 अनुसूचित जाति के अधिकारियों को शामिल किया गया।

(घ) और (ङ) आर.के. सब्बरवाल बनाम पंजाब राज्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 02.07.1997 को जारी अनुदेशों के अनुसार, आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता को बनाए रखने के क्रम में सामान्य और आरक्षित श्रेणी के सदस्यों के सेवानिवृत्त होने/त्यागपत्र देने/पदोन्नत होने इत्यादि के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को संबंधित श्रेणियों के उम्मीदवारों से भरा जाता है। सामान्य श्रेणी और अनुसूचित जाति की श्रेणी के उम्मीदवार समुचित मात्रा में सुलभ हैं जबकि अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या में कमी है क्योंकि पदोन्नति हेतु फीडर ग्रेड में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की समुचित मात्रा विस्तारित विचारण क्षेत्र के बावजूद उपलब्ध नहीं हो पाई थी। भरी नहीं जा सकी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित रिक्तियां भविष्य की चयन सूचियों से इस श्रेणी के अधिकारी लेकर भरी जाएंगी।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के छापे

4841. श्री हरिभाऊ राठौड़:
कुंवर मानवेन्द्र सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2005 के मार्च महीने के दौरान देश में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) द्वारा मारे गए छापों की संख्या कितनी है;

(ख) उन व्यक्तियों, कम्पनियों आदि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनके परिसरों पर छापे मारे गए;

(ग) छापे के दौरान राज्य-वार कितनी बेहिसाब सम्पत्ति का पता लगाया गया; और

(घ) इस संबंध में अब तक न्यायालय में दायर मामलों की संख्या कितनी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (घ) किसी विशेष अभियान के एक भाग के रूप में मार्च, 2005 माह के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा बड़े पैमाने पर छापे नहीं मारे गए थे। तथापि, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विभिन्न शाखाओं में जांच के अधीन मामलों में, समय-समय पर, अलग-अलग मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, जांच के एक भाग के रूप में छानबीन की जाती हैं। इस प्रकार के छापों के विवरणों को प्रकट करना, इस प्रकार के मामलों की जांच के हित में नहीं होगा।

ऋण गारंटी योजना

4842. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को ऋण तथा गारंटी प्रदान करने के लिए वर्ष 2004 तथा 2005 के दौरान आज की तारीख तक प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ख) अब तक जिला-वार स्वीकृत आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसे आवेदनों को समय पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा प्रस्तावित हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) 2004 एवं 2005 (21 अप्रैल, 2005 तक) के दौरान, उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों को विस्तारित ऋणों पर गारंटी कवर प्रदान करने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत मेंबर लेंडिंग संस्थानों (एमएलआई) से प्राप्त आवेदनों की संख्या क्रमशः 1824 तथा 501 है।

(ख) उत्तर प्रदेश में योजना के अंतर्गत योजना के आरंभ से तथा 21 अप्रैल, 2005 तक अनुमोदित आवेदनों की जिले-वार संख्या संलग्न विवरण में है।

(ग) लघु उद्योग हेतु, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएसआई), जो क्रेडिट गारंटी योजना का कार्यान्वयन अभिकरण

है, के प्रचालन कम्प्यूटरीकृत हैं तथा योजना के अंतर्गत गारंटी कवर के लिए मेंबर लेंडिंग संस्थानों से प्राप्त पात्र आवेदनों पर निर्णय अधिकतम दो कार्य दिवसों की अवधि के भीतर सीजीटीएसआई द्वारा किये जाते हैं।

विवरण

उत्तर प्रदेश में क्रेडिट गारंटी योजना के तहत अनुमोदित गारंटियों की जिले-वार संख्या (21 अप्रैल, 2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	जिले का नाम	अनुमोदित आवेदनों की संख्या
1	2	3
1.	आगरा	265
2.	अलीगढ़	57
3.	इलाहाबाद	22
4.	आजमगढ़	349
5.	बागपत	108
6.	बहराइच	3
7.	बलिया	35
8.	बांदा	22
9.	बाराबंकी	11
10.	बरेली	71
11.	बस्ती	28
12.	बिजनौर	103
13.	बदायूं	2
14.	बुलंदशहर	69
15.	चन्दौली	4
16.	देवरिया	76
17.	इटा	7
18.	इटावा	25
19.	फैजाबाद	28
20.	फरूखाबाद	37
21.	फतेहपुर	7
22.	फिरोजाबाद	41
23.	गौतमबुद्ध नगर	9
24.	गाजियाबाद	132
25.	गाजीपुर	37
26.	गोंडा	3
27.	गोरखपुर	49
28.	हम्मीरपुर	7
29.	हरदोई	11
30.	हाथरस	16
31.	जालौन	16
32.	जौनपुर	31
33.	झांसी	47
34.	ज्योति बा फुले नगर	9
35.	कानपुर देहात	14
36.	कानपुर नगर	238
37.	कौशाम्बी	1
38.	खेड़ी	9
39.	ललितपुर	1
40.	लखनऊ	46
41.	महाराजगंज	5
42.	मैनपुरी	11
43.	मथुरा	9
44.	माऊ	38
45.	मेरठ	80
46.	मिर्जापुर	170
47.	मुरादाबाद	77
48.	मुजफ्फरनगर	358

1	2	3
49.	पीलीभीत	6
50.	प्रतापगढ़	2
51.	रायबरेली	11
52.	रामपुर	31
53.	सहारनपुर	3607
54.	संत रविदासनगर	20
55.	शाहजहांनपुर	11
56.	सिद्धार्थनगर	2
57.	सीतापुर	15
58.	सोनभद्र	78
59.	सुल्तानपुर	5
60.	उन्नाव	62
61.	वाराणसी	384
	कुल	7028

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर

4843. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूचना प्रौद्योगिकी तथा संबद्ध विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है और इनमें से कितनों को नौकरियां मिल जाती हैं;

(ख) सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी तथा संबद्ध सेवा क्षेत्र को और अधिक रोजगार उन्मुख बनाने के लिए उठाए गए कदमों/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण तथा दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवकों की सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) शैक्षणिक सत्र 2004-05 के लिए कम्प्यूटर विज्ञान तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से अनुमोदित डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम मंजूरी प्राप्त भर्ती संख्या क्रमशः 1,40,112 और 36,347 है तथा वर्ष 2004-05 के दौरान कार्यदल में प्रवेश करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की संख्या लगभग 94,000 है।

(ख) और (ग) सूचना प्रौद्योगिकी तथा संबंधित सेवा क्षेत्र को और अधिक रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

- प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश आकर्षित करने के लिए किए गए कई वित्तीय उपाय, सीमा शुल्क की चरम दर में कटौती, कम्प्यूटरों पर 0% उत्पाद शुल्क, आयकर अधिनियम के अंतर्गत शुल्क मुक्त अवधि, अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए और अधिक पूंजीनिवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, जैव प्रौद्योगिकी पार्क आदि।

- सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटीईएस)/व्यवसाय प्रक्रिया का आउटसोर्सिंग (बीपीओ) पर पाठ्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र में और जम्मू और कश्मीर राज्य में शुरू किए गए हैं।

- सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में कुशल जनशक्ति के विकास के लिए सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

- सरकार ने देश के पहाड़ी और दूर-दराज के क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए इन क्षेत्रों में सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसी) भी स्थापित किए हैं।

- देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) की स्थापना सुकर करने की एक योजना है। समुचित सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए सामान्य सेवा केन्द्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

- सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की आवश्यकताओं जिनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है, के मद्देनजर, आदर्श पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए अखिल भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी बोर्ड (एआईबी-टीई) का गठन किया गया है।

पथकर हटाना

4844. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथ कर हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना पथकर संग्रहण किया गया है; और

(घ) पथ कर हटाने के बाद केंद्र सरकार को होने वाले संभावित राजस्व घाटे का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 (जनवरी, 2005 तक) के दौरान एकत्रित पथ कर के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	वर्ष	धनराशि (करोड़ रु.)
1.	2002-03	331.61
2.	2003-04	443.33
3.	2004-05 (जनवरी, 2005 तक)	424.91

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

औषधियों के लिए स्वीकृति

4845. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय औषधि कंपनी में से एक अर्थात ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन नामक कम्पनी भारत में वैसी औषधियों को बेचने की योजना बना रही है जिनका विश्व में कहीं भी पेटेन्ट नहीं कराया गया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लाइसेंसिंग अथौरिटी द्वारा इसे कोई स्वीकृति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) मेसर्स ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन ने विश्व में कहीं भी पेटेन्ट न कराई गई औषधों की भारत में बिक्री के लिए अनुमति लेने के वास्ते कार्यालय औषध महानिदेशक (भारत) से सम्पर्क नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

चिकित्सा की आमची पद्धति को प्रोत्साहन

4846. श्री छेवांग थुपस्तन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चिकित्सा की रूढ़िगत आमची पद्धति सोवा-ए रिग्पा लद्दाख और हिमाचल के दूसरी ओर के अन्य राज्यों के लोगों को बहुत प्रभावशाली तरीके से काम आ रही है और सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पहल के पूरक का काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू व कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र और हिमाचल पार के राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, दार्जिलिंग और अरुणाचल प्रदेश में इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को इसे प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति के रूप में इस रूढ़िगत पद्धति को मान्यता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार आमची, जिसे ''सेवा रिग्पा'' के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय और तिब्बत के पठारी क्षेत्रों में दूरस्थ पहाड़ी समुदायों को स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने वाली प्रणाली मानी जाती है। तथापि, यह प्रणाली न तो केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और न ही इसे मान्यता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है।

सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को छूट

4847. श्री बालेश्वर यादव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वे सी.जी.एच.एस. लाभार्थी जो हाइपरटेंशन, मधुमेह, दमा आदि जैसे पुराने रोगों से पीड़ित हैं और जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली की योग कक्षाओं में भाग ले रहे हैं, उन्हें 100 रु. प्रति माह के प्रवेश शुल्क और छः महीने का आवश्यक सामान्य फिटनेस कार्यक्रमों में भाग लेने के संबंध में छूट देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अपना निर्णय घोषित किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) वर्तमान में इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली में योग कक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रवेश शुल्क में छूट देने संबंधी इस समय कोई स्कीम या प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रखरखाव के लिए धनराशि प्रदान किया जाना

4848. श्री वी.के. ठुम्मर:
श्री काशीराम राणा:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात, बिहार और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति दयनीय है जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं होती हैं और यातायात की आवाजाही में समस्या आती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रखरखाव के लिए प्रदान की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा राजमार्गों की स्थिति को सुधारने हेतु क्या कार्रवाई की गई है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है तथा पारस्परिक प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखने के प्रयास किए जाते हैं। सामान्यतः इन राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात योग्य स्थिति में हैं सिवाय बिहार में गत वर्ष भारी बारिश और बाढ़ से बुरी तरह क्षतिग्रस्त कुछ खंडों के।

(ग) गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष 2005-06 में इन राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए धनराशि का वर्षवार आबंटन इस प्रकार है-

(करोड़ रु.)

राज्य	आबंटन		
	2003-04	2004-05	2005-06
गुजरात	81.75	103.14	30.48
बिहार	40.33	57.39	31.94
पश्चिम बंगाल	35.00	36.16	24.10

(घ) सड़क की स्थिति, यातायात की मात्रा और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार किया जा रहा है। गुजरात, बिहार और पश्चिम बंगाल में 1999-2000 से 2004-05 तक विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत चार लेन बनाकर, दो लेन बनाकर, गुणता सुधार करके, सुदृढ़ीकरण और पेव्ड साइड शोल्डरों का निर्माण करके विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की निम्नलिखित लंबाई में सुधार किया गया है।

(लंबाई कि.मी.)

राज्य	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
गुजरात	341	385	526	353	324	353
बिहार	446	292	629	397	233	335
पश्चिम बंगाल	63	158	265	381	229	301

[अनुवाद]

परियोजनाओं की प्रगति

4849. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाएं पूरी कर ली जाएंगी;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी केंद्रीय परियोजनाएं हैं जो वर्ष 2005 में पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं;

(ग) क्या जब ये परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी तब राज्य अवसंरचना में 4/6 लेन का 417 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो अब तक कितनी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और कितनी परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण-1 के दिसंबर, 2005 तक काफी हद तक पूरे हो जाने की संभावना है। चरण-1 में मुख्यत: दिल्ली, मुंबई, चेन्नै और कोलकाता महानगरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज शामिल है। इस समय स्वर्णिम चतुर्भुज पर 60 परियोजनाएं विभिन्न स्तरों पर हैं।

(ग) जी नहीं। स्वर्णिम चतुर्भुज के पूरा होने पर वास्तव में 4/6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों की 5846 कि.मी. लंबाई शामिल हो जाएगी।

(घ) स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत अब तक 68 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं और 60 परियोजनाएं चल रही हैं।

नेशनल इलेक्ट्रानिक्स/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर निर्माण नीति

4850. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उद्योग और अन्य शेयरधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद नेशनल इलेक्ट्रानिक्स/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर निर्माण नीति संबंधी प्रारूप-पत्र तैयार कर लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;.

(ग) क्या उक्त नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस नीति को निर्माण क्षेत्र प्रतिस्पर्धा परिषद की स्वीकृति प्राप्त हो गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा अधिक राजस्व सृजित करने हेतु हार्डवेयर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) मसौदा-पत्र में प्रस्तावित मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ग) से (च) मसौदा-पत्र में वित्तीय उपायों से संबंधित संस्तुतियों पर कार्रवाई की गई है। मसौदा-पत्र में दिए गए संवर्धनात्मक एवं अन्य उपाय विनिर्माण क्षेत्रों में भी उपयुक्त हैं। भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए और इस विषय पर नीतिगत संवाद के लिए एक सतत मंच उपलब्ध कराने के लिए

गठित राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद (एनएमसीसी) को मसौदा पत्र भेज दिया गया है। एनएमसीसी ने सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर क्षेत्र पर एक उप दल का गठन किया है। उक्त उपदल का पणधारकों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

(छ) हार्डवेयर क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

"राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण नीति" पर मसौदा दस्तावेज की मुख्य विशेषताएं

दृष्टिकोण

वैश्विक इलेक्ट्रानिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में भारत मुख्य रूप से भूमिका निभा सके तथा वैश्विक मूल्य संवर्धित श्रृंखला के साथ एकीकरण करना।

उद्देश्य

(क) देशीय मांग तेज करना।

(ख) भारतीय इलेक्ट्रानिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर क्षेत्र को विश्वव्यापी स्तर पर प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना।

(ग) विश्वव्यापी बाजारों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उद्योग को आगे बढ़ने में सहायता देना।

(घ) उद्योग के विकास के लिए उत्प्रेरक का गठन सुकर करना।

(ङ) वैश्विक मूल्य-संवर्धित-श्रृंखला में भारत को आसीन करना।

(च) मूल्य संवर्धित उत्पादों पर ध्यान केन्द्रित करना।

(छ) आयात पर निर्भरता में कमी करना।

(ज) सम्पदा के सृजन में व्यवसाय को पूर्ण क्षमता से कार्य करने में सहायता देना।

देश में इलेक्ट्रानिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण को सहयोग देने/प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्तावित नीति निम्नलिखित से संबंधित है:

1. शुल्क नीति
2. आयात-निर्यात नीति से संबंधित मुद्दे
3. हार्डवेयर विनिर्माण समूह पार्कों (एचएमसीपी) की स्थापना करना
4. स्थानीय रूप से विनिर्मित उत्पादों के उद्भव को प्रोत्साहन देना
5. सामान्य मूलसंरचनात्मक सुविधाओं का दर्जा बढ़ाना
6. लेन-देन के समय में कमी करना
7. अनुसंधान एवं विकास को सहयोग देना
8. 'भारत में निर्मित' का विपणन करना
9. विनिर्माण संयंत्रों के पुन: स्थान परिवर्तन को प्रोत्साहन देना
10. भारतीय प्रचालन स्थापित करने/संवर्धित करने के लिए बड़ी ईएमएस (इलेक्ट्रानिकी विनिर्माण सेवा) कम्पनियों को आमंत्रित करना
11. सेमीकंडक्टर उद्योग का विकास करना
12. देशीय बाजार से बाहर अवसर खोजना
13. वीएलएसआई डिजाइन तथा अन्त:निर्मित साफ्टवेयर में मानव संसाधन विकास
14. श्रम कानूनों में संशोधन करना
15. एकस्व अधिकार बनाना
16. गुणवत्ता प्रमाणन
17. इलेक्ट्रानिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों के लिए अनिवार्य सीमा शुल्क बन्धन दूर करना
18. कम्प्यूटरों पर मूल्यह्रास की दर में वृद्धि करना
19. खरीद/रीवेयरहाउसिंग प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता समाप्त करना

विवरण II

हार्डवेयर क्षेत्र के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर सहित विनिर्माण उद्योग के विकास को शक्ति प्रदान करने और कायम रखने पर जोर दिया गया है।

2. हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के अनुमोदन स्वचालित मार्ग के अंतर्गत हैं।

3. कंप्यूटर पर 60% की दर से मूल्यह्रास की अनुमति है।

4. सीमा शुल्क की उच्चतम दर 20% से घटाकर 15% कर दी गई है। कम से कम 5 करोड़ रुपए के पूंजीनिवेश वाले संयंत्र तथा मशीनरी में परियोजना आयात पर सीमा शुल्क 10% की दर से है। कम्प्यूटरों तथा पेरिफरलों पर सीमा शुल्क 10% की दर से है। आईटीए-I वस्तुओं (217 वस्तुओं) पर सीमा शुल्क 13.2.2005 को समाप्त कर दी गई है। धातुओं (लौह तथा अलौह), रायसनों तथा प्लास्टिरों पर सीमा शुल्क 15% से घटाकर 10% की गई है। आईटी-I वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को वास्तविक प्रयोगशाला शर्त के अन्तर्गत सीमा शुल्क से छूट दी गई है। विक्षेपण पुर्जों, एयर कोर्ड एवं फेराइट कोर्ड ट्रांसफार्मरों, आरएफ/आईएफ कॉयलों तथा लाउडस्पीकरों (कोन टाइप) को छोड़कर विशिष्ट इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जों पर सीमा शुल्क से छूट दी गई है। आईटी समझौता (आईटी साफ्टवेयर को छोड़कर) तथा उनके उपादानों कच्ची सामग्रियों पुर्जों, विभिन्न सीमा शुल्क अधिसूचनाओं के अंतर्गत शामिल वस्तुओं पर 4% का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। कैपेसिटर, इलेक्ट्रानिक फ्यूज, टीडीएम, डीसी माइक्रो मोटर, पीसीबी, रिले, स्वीच के विनिर्माण के लिए आवश्यक निदिष्ट पूंजीगत वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। सभी भण्डारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, माइक्रोप्रोसेसरों, डेटा प्रदर्श ट्यूबों तथा रंगीन मानीटरों के विक्षेपण संघटक पुर्जों पर 0% जारी है। सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटी I) में शामिल वस्तुओं पर सीमा शुल्क प्रतिबद्धता के अनुसार है। इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जों अथवा प्रकाशित तंतु/केबलों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली विशिष्ट कच्ची सामग्रियों/उपादानों पर सीमा शुल्क 0% है। इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले विशिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क 0% है। मूलभूत/सेल्यूलर/इंटरनेट, वीसैट, रेडियो पेजींग तथा सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवाओं के लिए विशिष्ट मूलसंरचनात्मक उपस्कर तथा ऐसा उपस्करों के पुर्जे मूलभूत सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है। सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदानकर्त्ताओं को इस समय उपलब्ध मोबाइल स्वीचिंग केंद्रों से सीमा शुल्क की छूट का दायरा बढ़ाकर सर्वाधिक अभिगम सेवा प्रदानकर्त्ताओं द्वारा आयात पर लागू किया गया है। सेलफोनों, सेट टाप बाक्स के पुर्जों पर सीमा शुल्क 0% की दर से जारी है। आसबाब के रूप में लाए गए लेपटाप को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है। यात्री आसबाब पर सीमा शुल्क 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है।

5. कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क 0% है। माइक्रोप्रोसेसरों, हार्ड डिस्क ड्राइवों, फ्लापी डिस्क ड्राइवों, सीडी राम ड्राइवों को उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है। पीसी पर पहले से डाले गए साफ्टवेयर, श्रव्य सीडी, रिकोर्ड किए गए वीसीडी तथा डीवीडी, सेल्यूलर फोन, रेडियो ट्रंकिंग टर्मिनल, काल करने, चेतावनी देने तथा पेजिंग के लिए सुवाह्य रिसीवर, सेल्यूलर फोन सहित मोबाइल हैंड सेटों के पुर्जे, संघटक पुर्जे तथा सहायक सामग्रियों, सेट टाप बाक्स को उत्पाद शुल्क से छूट जारी है।

6. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) में 5% के सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं की अनुमति है। इस योजना के अंतर्गत निर्यात की बाध्यता बचत किए गए शुल्क से जुड़ी है और आयात की गई पूंजीगत वस्तुओं पर बचत किए गए शुल्क का 8 गुना है, जिसे 8 वर्षों में पूरा करना है। इस योजना के अंतर्गत पुरानी पूंजीगत वस्तुओं के आयात तथा उत्पादन पूर्व और उत्पादन पश्चात् सुविधाओं के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति है। विद्यमान संयंत्र तथा मशीनरी का दर्जा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पुर्जों के आयात की भी अनुमति है।

7. इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी)/निर्यात उन्मुखी इकाईयों (ईओयू) द्वारा घरेलू क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-I) की वस्तुओं तथा अधिसूचित शून्य शुल्क दूरसंचार/इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की आपूर्ति को धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय (एनएफई) को पूरा करने के प्रयोजन से गिना जाता है।

8. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है। घरेलू शुल्क क्षेत्र से एसईजेड को बिक्री वास्तविक निर्यात माना जा रहा है इसके परिणामस्वरूप देशीय आपूर्तिकर्त्ताओं को शुल्क वापसी/डीईपीबी के लाभ, केन्द्रीय बिक्री कर से छूट तथा सेवा कर से छूट के लाभ प्राप्त हो रहे हैं।

9. ईओयू/ईएचटीपी इकाइयों के मामलों में कम्प्यूटरों पेरिफरलों पर मूल्यह्रास 5 वर्ष की अवधि में 100% उपलब्ध है।

10. सीमा शुल्क की अनुमति स्वमूल्यांकन तथा चुनिंदा जांच पर आधारित है।

11. पुरानी पूंजीगत वस्तुओं को मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

12. ईओयू/ईएचटीपी इकाइयों को उनके द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के अनुपात में सेवाकर से छूट दी गई है।

13. निर्यातोन्मुखी इकाइयों/इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की इकाइयों को निर्यात लाभ पर आयकर अधिनियम की धारा 10बी तथा 10ए के तहत वर्ष 2010 तक आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त है।

14. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/सिक्किम/जम्मू एवं कश्मीर स्थित इकाइयों, लैटिन अमेरिका/सीआईएस/उप सहारा अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातकर्त्ताओं और आईएसओ 9000 (श्रृंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में निर्यात ग्रहण का दर्जा प्राप्त करने के लिए देहरी सीमा को 15 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त इकाइयां निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएं प्राप्त करने की पात्र हैं:

* विदेशी मुद्रा अर्जनकर्त्ता के विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा की 100% धारिता।

* सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाना।

15. जिन स्टार निर्यातगृहों (स्थिति धारक सहित ने पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान 10 करोड़ रुपए के नि:शुल्क विदेशी मुद्रा का न्यूनतम कारोबार हासिल किया है, वे सभी क्रमवृद्धिमान निर्यात के आधार पर शुल्क क्रेडिट के पात्र हैं जो निर्धारित वार्षिक निर्यात के सामान्य लक्ष्य से काफी अधिक है।

16. भारत में उद्योगों को पुन: स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन मामलों में संयंत्र तथा मशीनरी का आयात किसी लाइसेंस के बिना करने की अनुमति दी जाएगी जहां ऐसे पुन:स्थापन संयंत्रों की मूल्यहासित कीमत 25 करोड़ रु. अधिक हो।

17. अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों में और अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए किसी विश्वविद्यालय, विद्यालय या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को वैज्ञानिक, सामाजिक या सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से दी गई रकम पर 150% की भारित कटौती उपलब्ध कराई गई है।

[हिन्दी]

विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के लिए सहायता

4851. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के लिए अर्थात् स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा प्रबंधन, क्षमता निर्माण हेतु राज्य को सहायता, तम्बाकू विरोधी अभियान, समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम, राष्ट्रीय रूग्णता सहायता कार्यक्रम, अस्पतालों में उपचार के लिए निर्धन लोगों को सहायता, आवश्यक दीर्घकालिक एवं खर्चीले उपचार के लिए निर्धन लोगों को सहायता प्रदान करने के संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गई सहायता का वर्ष-वार, राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार योजनागत स्कीमें अर्थात् स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा प्रबंधन, राज्यों को क्षमता निर्माण के लिए सहायता, तम्बाकू रहित पहल, समेकित रोग निगरानी कार्यक्रमों तथा गैर-योजनागत स्कीमों अर्थात् निर्धनों को स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान और राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान योजना के तहत निर्धनों और जरूरतमंद रोगियों को बड़ी शल्य चिकित्सा और उपचार पर होने वाले व्यय की पूर्ति स्वरूप वित्तीय सहायता दी जाती है तथा राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत जीवन के लिए घातक रोगों से ग्रस्त गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि रोगी सुपर स्पेशियालिटी अस्पतालों/संस्थानों अथवा अन्य सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपचार करवा सके। राज्यों को क्षमता निर्माण के लिए सहायता योजना, समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम और राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गयी सहायता का वर्षवार, राज्यवार और स्कीमवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्षमता निर्माण हेतु राज्यों को सहायता

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार जारी राशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	असम	150.00	-	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	30.00
3.	आंध्र प्रदेश	-	300.00	-
4.	बिहार	-	150.00	-
5.	छत्तीसगढ़	109.00	-	-
6.	चण्डीगढ़	-	-	86.00
7.	दमन व दीव	-	-	106.00
8.	गुजरात	150.00	146.00	-
9.	गोवा	142.00	-	-
10.	हरियाणा	-	150.00	150.00
11.	हिमाचल प्रदेश	147.00	-	-
12.	जम्मू व कश्मीर	-	-	75.04
13.	केरल	142.00	-	144.86
14.	कर्नाटक	136.50	150.00	-
15.	मध्य प्रदेश	-	150.00	300.00
16.	महाराष्ट्र	-	-	129.00
17.	मिजोरम	-	-	-
18.	मणिपुर	149.92	-	112.76
19.	नागालैंड	144.00	-	283.52
20.	उड़ीसा	-	150.00	-
21.	पांडिचेरी	-	-	296.50
22.	राजस्थान	-	116.80	-
23.	सिक्किम	-	-	150.00
24.	त्रिपुरा	-	-	-
25.	तमिलनाडु	-	443.00	150.00
26.	उत्तर प्रदेश	-	-	300.00
27.	उत्तरांचल	300.00	150.00	-

राष्ट्रीय आरोग्य निधि

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार जारी राशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	50.00	-	50.00
2.	छत्तीसगढ़	-	-	205.00
3.	दिल्ली	40.00	50.00	25.00
4.	गोवा	-	-	90.00
5.	जम्मू व कश्मीर	-	24.00	-
6.	झारखण्ड	150.00	50.00	-
7.	कर्नाटक	-	-	100.00
8.	केरल	-	100.00	-
9.	लक्षद्वीप	-	50.00	-
10.	पांडिचेरी	-	-	25.00
11.	राजस्थान	100.00	101.00	-
12.	उत्तरांचल	-	25.00	-

2004-05 के दौरान आई.डी.एस.पी. के अंतर्गत राज्यों को जारी सहायता अनुदान

(लाख रु. में)

राज्य	राशि
1	2
आंध्र प्रदेश	286.64
हिमाचल प्रदेश	119.02

1	2
कर्नाटक	311.42
मध्य प्रदेश	397.90
महाराष्ट्र	424.97
उत्तरांचल	99.71
तमिलनाडु	409.81
केरल	156.40
मिजोरम	117.24
गोवा*	4.60
गुजरात*	27.60
उड़ीसा*	18.20
हरियाणा*	23.00
जोड़	2396.51

*केरल एन एस पी सी डी के अंतर्गत शामिल जिलों के लिए।

[अनुवाद]

रोगों का उन्मूलन

4852. श्री रनेन बर्मन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुष्ठ, मलेरिया, पोलियो, क्षय, कैंसर आदि रोगों का उन्मूलन हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक देश में उक्त रोगों के उन्मूलन पर राज्य-वार कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ङ) वर्ष 2004-05 के दौरान इस प्रयोजन हेतु निर्धारित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, नहीं। कुष्ठरोग, मलेरिया, पोलियो, क्षयरोग, कैंसर आदि का देश से अब तक उन्मूलन नहीं हुआ है। रोगवार स्थिति इस प्रकार है।

(1) कुष्ठरोग: राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत दिसम्बर, 2005 तक देश से कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लक्ष्य की प्राप्ति का उद्देश्य है; जिसका अर्थ प्रति 10 हजार आबादी पर व्याप्तता दर को 1 मामले से भी कम करना है। वर्तमान में देश में व्याप्तता दर 1.45 है तथा देश दिसम्बर 2005 तक कुष्ठरोग के उन्मूलन की लक्ष्य प्राप्ति के निकट है।

(2) मलेरिया: वेक्टरजनति रोग-मलेरिया के मामले में कड़ाई पूर्वक उन्मूलन तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में मृत्युदर को वर्ष 2010 तक कम करके 50% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।

(3) पोलियो: वर्ष 2004 में देश में पोलियो के 136 मामलों की सूचना थी। वर्ष 2005 में 1.1.05 से 14.3.05 तक पोलियो के 14 मामलों की सूचना है। सरकार ने पोलियो उन्मूलन के लिए कई प्रशिक्षण दौरों का आयोजन किया है।

(4) क्षयरोग: देश में क्षयरोग जन स्वास्थ्य से जुड़ी प्रमुख समस्या है। प्रतिवर्ष क्षयरोग के 18 लाख नए मामले प्रकाश में आते हैं। प्रतिवर्ष क्षयरोग से देश में अनुमानत: 4 लाख लोगों की मौतें होती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में मलेरिया की तरह ही क्षयरोग के मामले में भी मृत्युदर को वर्ष 2010 तक कम करके 50% करने का लक्ष्य रखा गया है।

क्षय रोग पर नियंत्रण रखने के लिए संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, डाट्स के नाम से लोकप्रिय, का कार्यान्वियन वर्ष 1997 से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संस्तुत कार्यनीति के रूप में चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है। इस संशोधित कार्यक्रम का उद्देश्य नए स्पूटम पाजिटिव मामलों में से 85% मामलों के सफल उपचार और कम से कम ऐसे 70% मामलों का पता लगाने के लक्ष्य की प्राप्ति करना है।

(5) कैंसर: जहां तक कैंसर की बात है, देश में किसी निश्चित समयबिन्दु पर अनुमानत: 25 लाख कैंसर रोगी हैं। प्रतिवर्ष कैंसर के 7-9 लाख नए रोगियों का पता चलता है। कैंसर एक गैर-संचारी रोग है जिसका उन्मूलन नहीं किया जा सकता।

(घ) और (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम

4853. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान असम में कितने उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए;

(ख) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) तीन वित्तीय वर्षों के दौरान असम में संचालित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (ई डी पी) की संख्या नीचे दी गई है।

क्र.सं.	वर्ष	असम में संचालित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1.	2002-2003	28	849
2.	2003-2004	30	865
3.	2004-2005	41	1066

(ख) जी, हां।

(ग) 2004-2005 के दौरान, असम में विशिष्ट रूप से महिलाओं के लिए 11 उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित किए गए थे, जिसमें 389 महिला उद्यमियों ने भाग लिया। विकास हेतु ट्रैड संबंधी उद्यमिता सहायता (ट्रेड) योजना के अंतर्गत, लघु इकाइयां स्थापित करने/आय सृजन के कार्यकलापों में उनकी सहायता करने के लिए असम की महिला उद्यमियों के प्रशिक्षण तथा उन पर अध्ययन संचालित करने के लिए भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी को 8.65 लाख रुपये की राशि संस्वीकृत एवं जारी की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं

4854. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रव्यापी नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वरिष्ठ नागरिक के रूप में किसी व्यक्ति का उपचार करने हेतु निर्धारित आयु सीमा क्या है;

(घ) ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं पहले ही प्रदान की जा चुकी है; और

(ङ) वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने और क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और इस संबंध में कितनी अधिकतम राशि प्राप्त हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मलेरिया अनुसंधान केन्द्र

4855. श्री अनन्त नायक: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में विशेष रूप से मलेरिया प्रवण क्षेत्रों में मलेरिया अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्य-वार ऐसे कितने मलेरिया केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश में मलेरिया प्रवण क्षेत्रों से मलेरिया उन्मूलन हेतु क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय कार्यक्रम को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 1997 में मलेरिया अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की थी। वर्तमान में, दिल्ली में मुख्यालय में एक मलेरिया अनुसंधान केन्द्र है और देश के विभिन्न भागों में 12 एकीकृत रोग वेक्टर नियंत्रण यूनिटें हैं। प्रत्येक राज्य में मलेरिया अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार पूरे देश में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिसमें मलेरिया भी शामिल

है। अन्य बातों के साथ-साथ कार्यक्रम में मलेरिया रोगियों के शीघ्र निदान और प्रोन्नत उपचार, एकीकृत वेक्टर नियंत्रण, जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा, संप्रेषण, स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण द्वारा क्षमता निर्माण, मलेरिया में निवारण और नियंत्रण कार्यकलापों पर एन.जी.ओ., प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से मानीटरिंग और मूल्यांकन जैसे घटक शामिल हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत, वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा, सरकार राज्यों को मलेरिया-रोधी औषधें, कीटनाशी और लार्वाभक्षी जैसे वस्तुगत सहायता भी प्रदान कर रही है। मलेरिया संभावित क्षेत्रों में रोग भार के प्रभावी नियंत्रण के लिए स्थानिकमारी राज्यों में गहन सर्वेक्षण नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इस संबंध में सात पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम को शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। मलेरिया-रोधी कार्यकलापों को तेज करने के लिए अतिरिक्त इनपुटस हेतु वृहद् मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान के 100 हार्ड कोर मलेरिया और आदिवासी बहुल जिलों को शामिल किया गया है। एड्स, क्षयरोग और मलेरिया हेतु ग्लोबल फंड द्वारा वित्त पोषित वृहत मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत सात पूर्वोत्तर राज्यों के 65 जिलों, झारखंड राज्यों के सात जिलों, पश्चिम बंगाल के 6 जिलों और उड़ीसा के 16 जिलों सहित दस राज्यों के 94 जिले भी शामिल किए गए हैं जो पांच वर्षों की अवधि के लिए 2005-06 से कार्यान्वित की जायेगी।

शीतल पेय की बोतलों पर कीटनाशक अपशिष्ट के तत्वों का मुद्रण

4856. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के कालाढेरा में एक बड़ी बहुराष्ट्रीय शीतल पेय कंपनी कोका कोला के बाटलिंग प्लांट के विरुद्ध बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा है जिसमें शीतल पेय पर रोक लगाने को मांग की गई है और राजस्थान उच्च न्यायालय के हाल के उस निर्णय जिसमें कोला निर्माता को बोतलों पर कीटनाशक तत्वों की मात्रा को मुद्रित करने का निर्देश दिया है, की भी प्रशंसा की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के निर्णय को उचित ठहराया था और शीतल पेय कंपनियों को उच्च न्यायालय जाकर स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया था;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस मुद्दे को उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कोयला ब्लाकों का आबंटन

4857. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य बिजली बोर्डों विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड से कोयला ब्लाकों के आबंटन हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य बिजली बोर्डों को अब तक आवंटित कोयला ब्लाकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र की कुछ निजी कंपनियों ने भी कोयला ब्लाकों के आबंटन की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इन कंपनियों को कब तक कितने कोयला ब्लाक आबंटित किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) जी, हां। सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, गुजरात विद्युत बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य राज्य विद्युत उपयोगिता सेवाओं से कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों तथा राज्य विद्युत उपयोगिता सेवाओं को आबंटित कोयला ब्लाकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

राज्य	राज्य विद्युत बोर्ड/राज्य विद्युत उपयोगिता सेवाएं	आबंटित कोयला ब्लाक
पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	तारा (पूर्वी)
	पश्चिम बंगाल विद्युत विकास कारपोरेशन लि.	तारा (पश्चिम) गंगारामचक बरजोरा गंगारामचक-भादूलिया पचवारा (उत्तरी)
पंजाब	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	पचवारा (मध्य)
छत्तीसग.ढ़	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	गिधमूरी, पटूरिया
झारखण्ड	तेनूघाट विद्युत निगम लि.	बदम
कर्नाटक	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि.	बरंज I-IV, किलोनी मनोरा दीप

(घ) से (ङ) जी, हां। महाराष्ट्र की जिन निजी कम्पनियों को कोयला ब्लाकों का आबंटन किया गया है, उनके नाम नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	आबंटित ब्लाक
1.	मैसर्स सेन्ट्रल कोलियरीज कम्पनी लि.	ताक्ली-जेना बेलोरा (दक्षिण), महाराष्ट्र
2.	मैसर्स बी.एस. इस्पात	मार्की-मंगली-1, महाराष्ट्र
3.	मैसर्स श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि.	भंदक (पश्चिम) महाराष्ट्र
4.	मैसर्स फील्डमाइनिंग एण्ड इस्पात लि.	चिनोरा, महाराष्ट्र
5.	मैसर्स फील्डमाइनिंग एण्ड इस्पात लि.	वारोरा (पश्चिम), दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र
6.	मैसर्स गोंदवाना इस्पात लि.	माजरा, महाराष्ट्र
7.	मैसर्स सनफ्लेग आयरन स्टील लि.	बेलगांव, महाराष्ट्र

इंटिग्रेटिड डिजीज मानीटरिंग प्रोजेक्ट

4858. श्रीमती अनुराधा चौधरी:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
मोहम्मद शाहिद:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक इंटिग्रेटिड डिजीज मानीटरिंग प्रोजेक्ट आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह परियोजना राज्य तथा जिला निगरानी एककों के माध्यम से आरम्भ की गई है;

(ग) यदि हां, तो प्रथम चरण के लिए चुने गए जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस परियोजना का प्रथम चरण किस वर्ष आरंभ हुआ था;

(ङ) इस पर अब तक वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(च) वर्ष 2005-2006 के दौरान इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है;

(छ) इस परियोजना से अब तक कितने लोगों को लाभ हुआ है;

(ज) क्या इस परियोजना में राज्य तथा जिला स्तर पर प्रयोगशालाओं के उन्नयन को शामिल किया गया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। 8 नवम्बर, 2004 को एकीकृत रोग निगरानी परियोजनाएं शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य समयोचित तथा प्रभावी जन स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए संचारी और गैर-संचारी रोगों हेतु निगरानी की एक विकेन्द्रीकृत राज्य आधारित प्रणाली स्थापित करना था।

(ख) रोग निगरानी कार्यकलापों की मानिटरिंग के लिए राज्य निगरानी समितियां तथा जिला निगरानी समितियां गठित की गई हैं। यह परियोजना राज्य निगरानी एककों और जिला निगरानी एककों द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।

(ग) चरण-I में, 9 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तरांचल, तमिलनाडु, मिजोरम और केरल के सभी जिलों को चुना गया है।

(घ) परियोजना के पहले चरण की शुरूआत वर्ष 2004-05 में की गई थी।

(ङ) वर्ष 2004-05 के दौरान राज्यों को 25.06 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी।

(च) वर्ष 2005-06 के दौरान इस परियोजना के लिए 88 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

(छ) इस परियोजना का उद्देश्य शुरूआती अवस्था में ही रोग के प्रकोप की पहचान करने हेतु रोग निगरानी के लिए प्रणाली का विकास करना है ताकि रोगों की घटनाओं में कमी आ सके। इस प्रकार, इस स्कीम के समूची जनसंख्या को लाभ मिलेगा।

(ज) जी, हां।

(झ) परिधीय, जिला तथा राज्य स्तर पर अवसंरचना में उन्नयन, प्रयोगशाला जांच के लिए अपेक्षित उपस्कर और उपभोज्यों की आपूर्ति, कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करके जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

[अनुवाद]

पुराने पड़ चुके दूरभाष केन्द्रों को बदलना

4859. डा. के. धनराजू: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु के कुड्डालोर दूरसंचार जिले के अंतर्गत विल्लुपुरम जिले के दूरभाष केन्द्र पुराने हो चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप सेवा का स्तर गिरा है;

(ख) यदि हां, तो पुराने दूरभाष केन्द्रों को नया बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) पुराने दूरभाष केन्द्रों को कब तक बदले जाने की संभावना है तथा इसके लिए कितना आवंटन किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं। कुड्डालोर गौण स्विचन क्षेत्र (तमिलनाडु) के विल्लुपुरम जिले में सभी टेलीफोन एक्सचेंज सी-डाट प्रौद्योगिकी वाले डिजीटल इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आयोडीन युक्त नमक का उपयोग

4860. श्री अधीर चौधरी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयोडीन युक्त नमक के उपयोग के मामले में भारत, विश्व के अन्य देशों से बहुत पीछे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1999 के अनुसार, लगभग 49% परिवार पर्याप्त आयोडीन युक्त नमक का उपभोग कर रहे थे जबकि 21.6% परिवार अपर्याप्त आयोडीन युक्त नमक का उपभोग कर रहे थे। गैर-आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने वाले परिवारों की प्रतिशतता 28.4% पाई गई।

(ग) आयोडीन अल्पता विकारों की समस्या का निवारण तथा नियंत्रण करने के लिए सरकार देश में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आई डी डी नियंत्रण सैल तथा आई डी डी मानिटरिंग प्रयोगशाला की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है। आयोडीन युक्त नमक के उपभोग को बढ़ाने के लिए राज्य स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा के लिए राज्य सरकारों को निधि के आबंटन के अलावा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रसार भारती, आकाशवाणी, गीत तथा नाटक प्रभाग, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यकलापों को तेज किया गया है। भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अंतर्गत कार्यरत नमक आयुक्त देश में अपेक्षित मांग को पूरा करने के लिए आयोडीन युक्त नमक के उत्पादन तथा वितरण के नियोजन के कार्य में लगा हुआ है।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां

4861. श्री मुनव्वर हसन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री दिनांक 15.12.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2362 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो मृतकों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर कब तक नियुक्तियां किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) दिनांक 15.12.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2362 में मांगी गई अपेक्षित सूचना पहले ही एकत्रित करके प्रस्तुत की जा चुकी है। उसकी एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

विवरण

14वीं लोक सभा का दूसरा सत्र 2004

संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग पूर्ति का तारीख : 13.03.2005

प्रश्न संख्या, तारीख और संसद सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	विलंब के कारण
1	2	3	4	5
श्री मुनव्वर हसन द्वारा दिनांक 15.12.2004 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 2362	**लंबित मामले** पूछा गया था कि:- (क) दिनांक 30 नवम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड, डाक शाखा और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में दिवंगत व्यक्तियों के आश्रितों के रूप में राज्यवार कितने लोगों ने आवेदन किया है;	(क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।	बीएसएनएल, डाक स्कंध और एमटीएनएल से सूचना प्राप्त हो गई है, और प्राप्त सूचना के आधार पर उत्तर निम्नानुसार दिया जाता है.- (क) 30 नवंबर, 2004 की स्थिति के अनुसार ऐसे आवेदकों की जिन्होंने दिवंगत व्यक्तियों के आश्रितों के रूप में नियुक्ति के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड, डाक विंग और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में आवेदन किया है संख्या के संबंध में सूचना क्रमशः अनुबंध-I, II और III पर संलग्न है।	बीएसएनएल, डाक विंग और एमटीएनएल से सूचना एकत्र की गई।

1	2	3	4	5
	(ख) क्या ये मामले अभी भी लंबित पड़े हैं; और		(ख) जी, हां। बीएसएनएल - 2371 मामले लंबित हैं डाक विंग - 2667 मामले लंबित हैं एमटीएनएल - 675 मामले लंबित हैं	
	(ग) यदि हां, तो सरकार लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठा रही है?		(ग) बीएसएनएल अधिकांश मामलों पर विचार किया जा चुका है। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के तहत रिक्ति उपलब्ध न होने के कारण अनुमोदित उम्मीदवारों के 642 मामले और 1729 ऐसे मामले जिन पर विचार नहीं किया गया है, लंबित हैं। इस उद्देश्य के लिए अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के संबंध में नोडल मंत्रालय अर्थात् कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दिशानिर्देशों में यथा विहित मानदंड को बीएसएनएल में अपनाया जा रहा है। समूह ग और घ पदों में सीधी भर्ती कोटा के तहत एक वर्ष के भीतर होने वाली रिक्तियों में अधिकतम 5% नियुक्ति अनुकंपा आधार पर की जा सकती है। वार्षिक स्थापना समीक्षा के माध्यम से अनुकंपा आधार पर नियुक्ति कोटा में रिक्त पदों की उपलब्धता को देखते हुए उत्तरोत्तर रूप से लंबित मामलों को निपटाया जा रहा है। डाक विंग: अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदकों के मामलों पर सर्किल रियायत समिति द्वारा उस उद्देश्य के लिए रिक्तियों की उपलब्धता और नोडल विभाग कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुसार विचार किया जाता है। ऐसी नियुक्तियां सीधी भर्ती की रिक्तियों के 5% के लिए की जा रही है जैसाकि जांच समिति ने अनुमोदित किया है। लंबित मामलों पर विचार करने के लिए संबंधित सर्किल की सर्किल रियायत समिति की नियमित रूप से बैठक होती है और सभी उम्मीदवारों का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करने तथा उपलब्ध रिक्त पदों को ध्यान में रखकर केवल उन्हीं सर्वाधिक पात्र मामलों में नियुक्ति की जाती है जिनके परिवार की स्थिति सबसे दीन-हीन पाई गई हो। एमटीएनएल: एमटीएनएल के निदेशक मंडल ने ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जहां पदों पर व्यावसायिक अर्हता प्राप्त कार्मिकों को नियुक्त किया जाना है, को छोड़कर सभी प्रकार की भर्ती पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।	

अनुबंध II

बीएसएनएल में अनुकंपा आधार की नियुक्ति के आंकड़े

(1.10.2000 से 30.11.2004 तक)

क्र.सं.	सर्किल का नाम	प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान तथा निकोबार	07	05
2.	आंध्र प्रदेश	655	143
3.	असम	163	91
4.	बिहार	239	143
5.	छत्तीसगढ़	72	50
6.	गुजरात	509	54
7.	हरियाणा	145	18
8.	हिमाचल प्रदेश	70	07
9.	जम्मू-कश्मीर	34	11
10.	कर्नाटक	680	84
11.	केरल	256	88
12.	मध्य प्रदेश	246	127
13.	महाराष्ट्र	873	235
14.	पूर्वोत्तर-I	67	27
15.	पूर्वोत्तर-II	40	00
16.	पंजाब	205	64
17.	उड़ीसा	131	63
18.	राजस्थान	364	62
19.	तमिलनाडु	493	138
20.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	276	163
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	383	267
22.	झारखंड	83	58
23.	उत्तरांचल	104	17
24.	चेन्नई टेलीफोन्स	227	89
25.	पश्चिम बंगाल	326	151
26.	कोलकाता टेलीफोन्स	349	195
27.	उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र	119	21
	कुल	7116	2371

अनुबंध II

डाक स्कंध में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति संबंधी आंकड़े

क्र.सं.	सर्किल का नाम	प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
1	2	3	4
1.	असम	40	40
2.	आंध्र प्रदेश	282	282
3.	बिहार	247	247
4.	छत्तीसगढ़	50	50
5.	दिल्ली	98	98
6.	गुजरात	111	111
7.	हरियाणा	52	52
8.	हिमाचल प्रदेश	4	4
9.	जम्मू-कश्मीर	21	21
10.	झारखंड	43	43
11.	कर्नाटक	101	101
12.	केरल	35	35
13.	मध्य प्रदेश	32	32
14.	महाराष्ट्र	351	351
15.	उत्तर-पूर्व	25	25
16.	उड़ीसा	28	28
17.	पंजाब	72	72

1	2	3	4
18.	राजस्थान	62	62
19.	तमिलनाडु	343	343
20.	उत्तर प्रदेश	143	143
21.	उत्तरांचल	86	86
22.	पश्चिम बंगाल	534	534
23.	निदेशालय	7	7
	जोड़	2767	2767

अनुबंध III

एमटीएनएल में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति संबंधी आंकड़े (अगस्त 98 से 31.11.2004 तक)

क्र.सं.	सर्किल का नाम	प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
1.	दिल्ली	932	423
2.	मुंबई	1214	252
	कुल	2146	675

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा उत्पादन

4862. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री नीतीश कुमार:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री बालासाहिब विखे पाटील:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या विदेशी निजी कंपनियों को देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए आमंत्रित किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चह्वाण): (क) जी, हां। यह विभाग देश में परमाणु विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है।

(ख) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अंतर्गत केवल सरकार अथवा सरकारी कंपनियों, जिनमें केन्द्र सरकार की इक्विटी 51% से कम न हो, द्वारा ही परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इस समय परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति प्रदान करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु भूमि का अधिग्रहण

4863. श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में नए राष्ट्रीय राजमार्गों 28बी, 57ए तथा ए10 के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अधिगृहीत की गई भूमि के लिए किसानों को कब तक मुआवजा दिए जाने की संभावना है;

(घ) इन नए राजमार्गों पर कार्यों की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य-वार इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28बी, 57ए और 110 (संभवत: ए 10 के रूप में गलत टंकित) राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा करने से पूर्व राज्यीय सड़कें थीं। इस समय, इन नए घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूमि अधिग्रहण की कोई कार्रवाई नहीं चल रही है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (चरण-III) के अंतर्गत उन्नयन के लिए रा.रा. 57ए की पहचान कर ली गई है जिसका कार्यान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ''निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण'' आधार पर किया जाना है और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी चल रही है। अन्य

राष्ट्रीय राजमार्गों (28बी और 110) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी का प्रावधान चालू वार्षिक योजना 2005-06 में प्रस्तावित है। राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखा जा रहा है जिसके लिए राज्य को निधियां समग्र रूप में आबंटित की गई हैं न कि राष्ट्रीय राजमार्ग-वार।

एमटीएनएल में रिक्तियां

4864. मो. मुकीम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार कितनी रिक्तियां हैं;

(ख) प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी के कारण निगम की आय में कितनी कमी आई है;

(ग) क्या दिल्ली और मुम्बई में प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी के कारण उपभोक्ताओं को असुविधा हो रही है तथा एमटीएनएल की सेवा संतोषजनक नहीं रह गई है; और

(घ) यदि हां, तो एमटीएनएल में रिक्तियां शीघ्र भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) एमटीएनएल में रिक्तियों की संख्या 1783 है।

(ख) निगम में प्रशुल्क, एडीसी आदि में कमी करने जैसे विभिन्न कारणों के फलस्वरूप राजस्व में गिरावट आई है न कि प्रशिक्षित कार्मिकों के अभाव के कारण। वस्तुतः स्टाफ लागत कम करने के लिए एमटीएनएल ने वीआरएस की शुरूआत की है।

(ग) जी, नहीं। नई चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूदा जनशक्ति को प्रशिक्षित और पुनः प्रशिक्षित किया जा रहा है।

(घ) खुली प्रतियोगी परीक्षा तथा विभागीय पदोन्नति परीक्षा के माध्यम से आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों को भरे जाने के लिए एमटीएनएल की अपनी नीतियां है।

[अनुवाद]

दूरसंचार क्षेत्र को धनराशि

4865. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में संचार प्रणाली के विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा अब तक खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में संचार प्रणाली को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में संचार प्रणाली के विकास के लिए परिव्यय और बीएसएनएल द्वारा खर्च की गई राशि क्रमश संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दी गई है।

(ख) देश में संचार प्रणाली में सुधार लाने के लिए अनेक नीतिगत और नियामक पहलें की गई हैं। एक मूलतः दूरदृष्टि से युक्त दूरसंचार नीति 1999 को लागू किया जा रहा है। इस नीति में दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया की अभिसारिता को प्रोत्साहित किया गया है। नीति के अनुसार सभी आपरेटरों को स्पर्द्धा का समान अवसर सुनिश्चित करने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पहलें की गई है। ग्रामीण टेलीफोनी प्रदान करने के लिए, उन दूरसंचार आपरेटरों की सहायता के लिए एक अव्यपगत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का सृजन किया गया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान इस निधि के माध्यम से 1814.50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। देश में तेजी से ब्राडबैंड कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करने के लिए अक्तूबर, 2004 में ब्राडबैंड नीति की घोषणा की गई जिसे लागू किया जा रहा है। तेजी से विस्तार पा रही वायरलेस टेलीफोनी के लिए स्पेक्ट्रम की जरूरत पूरी करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। दूरसंचार क्षेत्र अब मुक्त स्पर्द्धा के लिए खुला है और इसके परिणामस्वरूप विगत कुछ वर्षों के दौरान दूरसंचार प्रशुल्कों में भारी कमी आई है जिससे सामान्यतः सभी उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं।

आज सभी टेलीफोन एक्सचेंज डिजिटल इलेक्ट्रानिक हैं तथा उन्हें विश्वसनीय माध्यम से जोड़ा गया है। सभी जिला मुख्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार देश के 6.07 लाख गांवों में से 5.31 लाख गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराए गए हैं।

विवरण I

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान बीएसएनएल और एमटीएनएल के पूंजीगत कार्यों के लिए राज्यवार/वर्षवार परिव्यय

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष		
		2002-03	2003-04	2004-05
1.	अंडमान निकोबार	11.67	13.85	18.21
2.	आंध्र प्रदेश	873.70	492.35	742.57
3.	असम	135.81	180.66	205.47
4.	बिहार	404.22	322.20	393.12
5.	छत्तीसगढ़	112.81	116.44	75.24
6.	गुजरात	993.20	671.23	326.42
7.	हरियाणा	313.28	306.24	300.15
8.	हिमाचल प्रदेश	110.43	113.86	162.72
9.	जम्मू-कश्मीर	112.97	126.06	155.85
10.	झारखंड	242.37	130.43	167.08
11.	कर्नाटक	604.14	691.71	840.46
12.	केरल	787.22	977.69	859.02
13.	मध्य प्रदेश	392.79	368.59	248.67
14.	महाराष्ट्र	1192.94	958.46	549.41
15.	पूर्वोत्तर	130.23	151.55	165.65
16.	उड़ीसा	232.14	192.22	267.84
17.	पंजाब	587.67	481.76	434.86
18.	राजस्थान	463.89	480.83	502.47
19.	तमिलनाडु	906.79	655.39	977.08
20.	उत्तर प्रदेश	907.81	734.94	900.97
21.	उत्तरांचल	124.64	89.14	106.81
22.	पश्चिम बंगाल	637.60	558.93	840.84
23.	अन्य*	1540.68	1865.46	2409.09
	कुल	11819.00	10680.00	11650.00

*अन्यों में परियोजना सर्किल, अनुरक्षण क्षेत्र, प्रशिक्षण केन्द्र, दूरसंचार फैक्ट्रियां इत्यादि शामिल हैं।

नोट: दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए एमटीएनएल (दिल्ली और मुंबई) के लिए परिव्यय 11955.46 करोड़ रु. है।

विवरण II

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बीएसएनएल और एमटीएनएल के पूंजीगत कार्यों के लिए खर्च की गई निधियों का राज्यवार/वर्षवार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	अंडमान निकोबार	13.36	7.62	7.44
2.	आंध्र प्रदेश	993.35	367.83	266.82
3.	असम	195.54	163.51	121.58
4.	बिहार	486.14	159.28	194.52
5.	छत्तीसगढ़	126.12	78.90	38.51
6.	गुजरात	896.19	337.21	173.43
7.	हरियाणा	309.74	190.24	186.22
8.	हिमाचल प्रदेश	179.51	79.90	55.28
9.	जम्मू-कश्मीर	144.25	82.53	74.07
10.	झारखंड	265.88	103.52	61.22
11.	कर्नाटक	785.08	309.26	296.95
12.	केरल	670.59	565.81	522.68
13.	मध्य प्रदेश	466.69	222.39	183.79
14.	महाराष्ट्र	1149.18	681.41	408.72
15.	पूर्वोत्तर	132.89	156.39	82.25
16.	उड़ीसा	361.60	155.13	139.82
17.	पंजाब	572.89	268.22	418.53
18.	राजस्थान	503.01	347.10	223.36
19.	तमिलनाडु	971.08	438.22	504.78
20.	उत्तर प्रदेश	1237.20	633.24	427.98
21.	उत्तरांचल	174.01	83.26	58.53

1	2	3	4	5
22.	पश्चिम बंगाल	596.63	461.43	477.97
23.	अन्य*	826.19	644.77	1123.05
24.	एमटीएनएल (दिल्ली और मुंबई)	1053.91	965.91	950.00
	कुल	13111.03	7503.08***	6997.50**

*अन्यों में परियोजना सर्किल, अनुरक्षण क्षेत्र, प्रशिक्षण केन्द्र, दूरसंचार फैक्ट्रियां इत्यादि शामिल हैं।

**आंकड़े अनंतिम हैं। लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

***कार्य प्रगति और वस्तुसूचियों से समायोजन के कारण, वर्ष 2003-04 के दौरान अचल परिसंपत्तियों में निवल वृद्धि 9947.22 करोड़ रु. थी।

सड़कों और राजमार्गों का विकास

4866. **श्री कीर्ति वर्धन सिंहः**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिकः
श्री विजय कृष्णः

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सरकार से सड़कों और राजमार्गों के विकास की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सड़क-वार और राजमार्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार किया है;

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन सिफारिशों पर कब तक विचार किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कॅयर उद्योग

4867. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः** क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार कॅयर उद्योग का वरीयता क्षेत्र के रूप में पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक संगठन कॅयर बोर्ड, अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण, विपणन संवर्धन, कुशलता विकास, आधारभूत संरचना विकास, आदि के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका लक्ष्य कॅयर उद्योग का लगातार विकास करना है।

हाईस्पीड एलीवेटेड रोडवे कारीडोर

4868. **श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरेः** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मुंबई के सघन आबादी वाले पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक हाईस्पीड एलीवेटेड रोडवे कारीडोर के निर्माण हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना प्रस्ताव तथा इसकी लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय प्रस्ताव की क्या स्थिति है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है और ऊपर उल्लिखित रोडवे कारीडोर राष्ट्रीय राजमार्गों पर नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में पीसीओ के लंबित आवेदन

4869. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री अनन्त नायक:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के प्रत्येक जिले में पीसीओ लगाने के लिए आज की स्थिति के अनुसार बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में आज की स्थिति के अनुसार जिलावार कितने पीसीओ चल रहे हैं;

(घ) पीसीओ बूथ के आवंटन के लिए क्या मानदंड हैं; और

(ङ) लंबित आवेदनों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) उड़ीसा में पीसीओ लगाने के लिए बीएसएनएल में 146 आवेदन लंबित हैं, इस संबंध में जिले-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा राज्य में बीएसएनएल के 31733 पीसीओ कार्य कर रहे हैं। इनके जिले-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) बीएसएनएल में, ऐसे सभी आवेदक जिनकी आयु 18 वर्ष अथवा इससे अधिक है, पीसीओ के आवंटन के पात्र हैं। ये कनेक्शन तकनीकी व्यवहार्यता के अध्यधीन आवेदकों के पंजीकरण के अनुसार प्रदान किए जाते हैं।

(ङ) बीएसएनएल का लंबित आवेदनों को मार्च, 2006 तक निपटा देने का प्रस्ताव है क्योंकि फिलहाल ये तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं हैं।

विवरण

जिले का नाम	कार्यरत पीसीओ की संख्या (31.3.2005 की स्थिति के अनुसार)		पीसीओ के आवंटन के लिए लंबित आवेदनों की संख्या (31.3.2005 की स्थिति के अनुसार)
	स्थानीय	एसटीडी/आईएसडी	
बालासोर	930	2829	18
बारीपदा	224	705	9
गंजम	537	3083	10
फुलबानी	31	387	7
बोलांगीर	227	586	6
कालाहांडी	6	427	32
पुरी	2643	5039	5
कटक	2497	4236	28
ढेंकानाल	141	1682	4
कोरापुट	120	1289	6
सुंदरगढ़	807	1345	5
संबलपुर	535	1427	16
कुल	8698	23035	146

[हिन्दी]

राजस्थान में 4-लेन

4870. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के खंड 42/500 से 228/0 किलोमीटर तक चार लेनों के निर्माण के लिए भूमि कब तक अधिगृहीत करने तथा इस पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने की संभावना है; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IIIक के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर रा.रा. 11 के आगरा-जयपुर खंड को चार लेन का बनाने का प्रस्ताव है। भरतपुर-जयपुर खंड में सिविल कार्य के लिए फर्म को स्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया है। इस कार्य के जल्दी ही शुरू किए जाने की संभावना है। आगरा-भरतपुर खंड के निर्माण के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार इस खंड के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

खराबी सुधारने के लिए कृतिक बल

4871. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई में टेलीफोन खराबी-दर 6.2% है जबकि दिल्ली में यह इससे दुगुनी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन खराबियों को सुधारने या उक्त खराबियों की पुनरीक्षा के लिए एक कृतिक बल का गठन करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में प्रत्येक राज्य में 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में रखे गए आवेदनों की कुल संख्या कितनी है;

(ङ) क्या गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रतीक्षा सूची में रखे गए कतिपय आवेदकों को विवेकाधीन कोटे से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए थे;

(च) यदि हां, तो इस प्रकार प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(छ) उक्त विवेकाधीन कोटे के तहत टेलीफोन कनैक्शन आवंटित करने में कितना समय लिया गया; और

(ज) टेलीफोन आवंटन प्रक्रिया को सरल बनाने तथा प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं। मार्च, 2005 में एमटीएनएल मुंबई और दिल्ली की दोष दर क्रमशः 9.04 और 8.8 है।

(ख) एमटीएनएल और बीएसएनएल में ऐसा कोई कार्यदल गठित नहीं किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से एसएसए स्तर और सर्किल/एकक स्तर पर नियमित रूप से फोन सेवाओं से संबंधित शिकायतों की मानीटरिंग कर रहे हैं।

(ग) उपर्युक्त के मुद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार देश में बीएसएनएल सेवा क्षेत्र के लिए प्रतीक्षा सूची से संबंधित राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है। एमटीएनएल क्षेत्र में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है।

(ङ) और (च) जी, हां। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(छ) सामान्यतः विवेकाधीन कोटे के तहत 30 दिनों के भीतर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं बशर्ते कि ऐसा करना तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो।

(ज) टेलीफोन आबंटन को सरल बनाने और प्रतीक्षा सूची के निपटान के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

31.03.2005 की स्थिति के अनुसार नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए राज्य-वार प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	31.3.2005 की स्थिति के अनुसार स्थिर फोनों की प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	अंडमान व निकोबार	449
2.	आंध्र प्रदेश	33965
3.	असम	24554
4.	बिहार	96871
5.	छत्तीसगढ़	2809
6.	दमन, दीव और दादर नगर हवेली सहित गुजरात	57328
7.	हरियाणा	68448
8.	हिमाचल प्रदेश	45207
9.	जम्मू-कश्मीर	67714
10.	झारखंड	9992
11.	कर्नाटक	85039
12.	लक्षद्वीप सहित केरल	357004
13.	मध्य प्रदेश	10059
14.	गोवा सहित महाराष्ट्र	151135
15.	पूर्वोत्तर-I (मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा)	4377
16.	पूर्वोत्तर-II (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड)	4442
17.	उड़ीसा	22894
18.	चंडीगढ़ सहित पंजाब	44887
19.	राजस्थान	137814
20.	चेन्नई सहित तमिलनाडु	100639
21.	उत्तरांचल	4700
22.	उत्तर प्रदेश	159666
23.	कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल	130056

विवरण II

विवेकाधीन कोटा (संसद सदस्य कोटा और टीसीएचक्यू कोटा) के तहत प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002	2003	2004	2005 (31.03.05 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान व निकोबार	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	1672	849	339	37
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	19	0
4.	असम	490	251	221	68
5.	बिहार	2684	4021	3016	539
6.	छत्तीसगढ़	310	35	6	1

1	2	3	4	5	6
7.	गोवा	140	71	14	1
8.	दमन, दीव और दादर नगर हवेली सहित गुजरात	1578	673	428	49
9.	हरियाणा	5689	3371	3971	487
10.	हिमाचल प्रदेश	1310	1103	492	189
11.	जम्मू-कश्मीर	954	727	770	2
12.	झारखंड	241	236	64	19
13.	कर्नाटक	1782	1168	761	48
14.	लक्षद्वीप सहित केरल	7375	6224	7712	743
15.	मध्य प्रदेश	398	262	117	20
16.	मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र	3472	3471	3620	838
17.	मणिपुर	320	302	435	132
18.	मेघालय	7	0	0	0
19.	मिजोरम	62	0	0	0
20.	नागालैंड	0	0	2	0
21.	उड़ीसा	1072	588	674	200
22.	पांडिचेरी	0	0	0	0
23.	चंडीगढ़ सहित पंजाब	1774	1388	607	33
24.	राजस्थान	3546	2360	2065	136
25.	सिक्किम	0	0	0	0
26.	चेन्नई सहित तमिलनाडु	1998	1876	2378	430
27.	त्रिपुरा	130	80	17	3
28.	उत्तर प्रदेश	5124	3291	1873	100
29.	उत्तरांचल	195	205	264	25
30.	कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल	2452	1424	1032	22
	कुल	44726	33976	30897	4122

विवरण III

टेलीफोन आबंटन प्रक्रिया को सरल बनाने और प्रतीक्षा सूची के निपटान के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार है:-

(1) वाणिज्यिक कार्यकलापों को उत्तरोत्तर रूप से कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है ताकि ओबी को तैयार करने और संप्रेषित करने के कार्य को तेजी से निपटाया जा सके।

(2) यदि क्षेत्र भूमिगत केबल न डाले जा सकने के कारण तकनीकी रूप से अव्यवहार्य है तो आवेदन पत्र में ही उपभोक्ताओं से टेलीफोन कनेक्शन डब्ल्यूएलएल प्रणाली पर प्रदान करने संबंधी सहमति ले ली जाती है ताकि विलम्ब कम हो सके।

(3) भूमिगत केबल बिछाकर अव्यवहार्य क्षेत्रों को व्यवहार्य बनाया जा रहा है।

(4) नये क्षेत्रों को कवर करने के लिए डब्ल्यूएलएल प्रणालियां/टावर स्थापित किए जा रहे हैं।

(5) जिन क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल सिग्नल उपलब्ध हैं वहां कनेक्शन प्रदान करने के लिए स्थिर वायरलेस टर्मिनलों की अधिप्राप्ति की जा रही है।

[अनुवाद]

पत्तनों पर यातायात

4872. श्री जुएल ओराम: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 2005 के अंत तक विभिन्न मुख्य पत्तनों द्वारा कुल कितने यातायात को हैंडल किया गया;

(ख) वर्ष 2004-2005 के लिए विभिन्न पत्तनों द्वारा यातायात हैंडलिंग के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या कुछ मुख्य पत्तनों तथा विशेषकर पारादीप पत्तन वर्ष के लिए निर्धारित यातायात को हैंडल नहीं कर सका है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) मार्च, 2005 के अन्त तक विभिन्न महापत्तनों द्वारा संभाले गए यातायात की कुल मात्रा का पत्तन-वार विवरण और वर्ष, 2004-2005 के दौरान विभिन्न महापत्तनों द्वारा निश्चित किया गया यातायात संभाले जाने का लक्ष्य, नीचे दर्शाया जा रहा है:-

(मिलियन टनों में)

पत्तन	मार्च, 2005 के अन्त तक संभाला गया कुल वार्षिक यातायात	वर्ष 2004-2005 का लक्ष्य
कोलकाता	46.16	43.36
पारादीप	30.10	27.49
विशाखापट्टनम	50.15	49.56
इन्नौर	9.48	11.89
चेन्नई	43.81	39.18
तूतीकोरिन	15.81	14.20
कोचीन	14.10	14.06
नव मंगलूर	33.90	27.77
मुरगांव	30.66	28.78
मुम्बई	35.13	31.00
जवाहरलाल नेहरू	32.95	32.20
कांडला	41.54	42.31
योग	383.79	361.89

(ग) और (घ) इन्नौर पत्तन और कांडला-पत्तन के सिवाय, सभी महापत्तनों ने वर्ष 2004-2005 का उपर्युक्त विषयक लक्ष्य, उपर्युक्त वर्ष के दौरान पूरा (हासिल) कर लिया। इन्नौर-पत्तन द्वारा उपर्युक्त वर्ष का उपर्युक्त विषयक निश्चित लक्ष्य पूरा (हासिल) किए जाने में रही कमी का मुख्य कारण, तमिलनाडु विद्युत-बोर्ड द्वारा अपेक्षाकृत कम नामांकन किए जाने के फलस्वरूप थर्मल कोयले के यातायात में गिरावट आ जाना रहा। इसी प्रकार, कांडला-पत्तन द्वारा उपर्युक्त वर्ष का उपर्युक्त विषयक निश्चित लक्ष्य पूरा (हासिल) किए जाने में रही कमी का कारण, भारतीय तेल-निगम (इंडियन आयल कार्पोरेशन) द्वारा कच्चे तेल के टैंकरों का अपेक्षाकृत कम नामांकन किए जाने के फलस्वरूप कच्चे तेल के यातायात (परिवहन) में गिरावट आ जाना रहा। पारादीप पत्तन ने उपर्युक्त वर्ष के उपर्युक्त विषयक निश्चित लक्ष्य से अधिक यातायात संभाला।

[हिन्दी]

धनादेशों की सुपुर्दगी में विलम्ब

4873. श्री एम. अंजनकुमार यादवः
श्री हरिकेवल प्रसादः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार धनादेशों की सुपुर्दगी में विलम्ब के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने कर्मचारी दोषी पाए गए हैं;

(घ) क्या इन मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी हो चुकी है; और

(ङ) यदि हां, तो आरोप साबित होने वाले तथा दण्डित किए जा चुके कर्मचारियों की संख्या कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस संबंध में 243 कर्मचारी दोषी पाए गए हैं।

(घ) 177 मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। शेष 66 मामलों में यह कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(ङ) 171 कर्मचारियों के बारे में आरोप सिद्ध हो गए हैं और उनको दण्डित किया गया है।

विवरण

राज्य का नाम	देरी से प्राप्त शिकायतों की संख्या
1	2
असम	2206
आंध्र प्रदेश	2158
अरुणाचल प्रदेश	82
बिहार	488
छत्तीसगढ़	34
दिल्ली	0
गुजरात	0
हरियाणा	3343
हिमाचल प्रदेश	5488
जम्मू-कश्मीर	179
झारखंड	12
कर्नाटक	1044
केरल	6663
मध्य प्रदेश	410
महाराष्ट्र	0
मणिपुर	201
मेघालय	151
मिजोरम	47
नागालैंड	153
उड़ीसा	3613
पंजाब	0
राजस्थान	95
सिक्किम	387
तमिलनाडु	3142
त्रिपुरा	160
उत्तर प्रदेश	8292
उत्तरांचल	7
पश्चिम बंगाल	26538
कुल	64893

[अनुवाद]

गरीबी तथा बेरोजगारी का अनुमान

4874. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग देश में गरीबी, बेरोजगारी, श्रम शक्ति तथा रोजगार का अनुमान लगाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा योजना आयोग द्वारा पिछली बार सर्वेक्षण किस वर्ष कराया गया था;

(ग) देश में ऐसा सर्वेक्षण कराने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गए हैं; और

(घ) वर्ष 1999-2000 के बाद सर्वेक्षण नहीं कराने के क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, हां। योजना आयोग देश में गरीबी के प्रसार, श्रम बल, कार्य बल और बेरोजगारी के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 'पारिवारिक उपभोक्ता व्यय और रोजगार और बेरोजगारी' संबंधी कराए जाने वाले वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के पंचवार्षिक दौरों के आधार पर लगाता है।

(ख) 'पारिवारिक उपभोक्ता व्यय और रोजगार और बेरोजगारी' संबंधी इस प्रकार का नवीनतम सर्वेक्षण 1999-2000 (एन एस एस 55वां दौर) के दौरान कराया गया था। 1999-2000 (एन एस एस 55वां दौर) में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के अनुमान निम्नानुसार हैं:

गरीबों का प्रतिशत और संख्या

वर्ष	गरीबी अनुपात			गरीबों की संख्या (मिलियन)		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
1999-2000	27.1	23.6	26.1	193.2	67.0	260.2

जुलाई 1999-जून, 2000 (55वां दौर) के दौरान कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार सामान्य स्थिति और प्रचलित साप्ताहिक स्थिति के अनुसार 1000 व्यक्तियों पर रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है:

क्षेत्रक	सामान्य स्थिति		साप्ताहिक स्थिति	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
ग्रामीण	522	231	510	253
शहरी	513	117	509	128

जुलाई 1999-जून 2000 (55वां दौर) के दौरान कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार सामान्य स्थिति और प्रचलित साप्ताहिक स्थिति के अनुसार प्रति 1000 व्यक्तियों पर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है:

क्षेत्रक	सामान्य स्थिति		साप्ताहिक स्थिति	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
ग्रामीण	21	15	39	37
शहरी	48	71	56	73

(ग) गरीबी के सरकारी अनुमान 'गरीबों के अनुपात और संख्या के अनुमान' (लाकड़ावाला समिति) संबंधी विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें यह सिफारिश की गई है कि इस प्रकार के अनुमान केवल राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा लगभग प्रत्येक पांच वर्षों में एक बार कराए जाने वाले वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षणों पर आधारित होने चाहिए। इस प्रकार के सर्वेक्षणों का प्रतिदर्श आकार लगभग 1,20,000 परिवार हैं।

(घ) इस प्रकार का नवीनतम वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण 55वें दौर (1999-2000) में कराया गया था जिसके परिणाम उपलब्ध हैं। अगला पंचवार्षिक दौर जो उपभोक्ता व्यय और रोजगार तथा बेरोजगारी संबंधी वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण का 61वां दौर (जुलाई 2004-जून 2005) हैं, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा कराया जा रहा है। 61वें दौर के सर्वेक्षण का क्षेत्र कार्य वर्तमान में प्रगति पर है और क्षेत्र कार्य पूरा हो जाने के एक वर्ष बाद राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध होंगे।

सुरक्षित मातृत्व के लिए पहल

4875. श्री बिक्रम केशरी देव:
श्री रामसेवक सिंह:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुरक्षित मातृत्व के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है;

(ख) देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की दर सहित शिशु/बाल तथा महिला मृत्यु-दर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा शुरू किए गए महिला तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों, प्रत्येक कार्यक्रम के लिए आवंटित धनराशि तथा खर्च धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त सफलताओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ग्रामीण जनता तथा विशेषकर माता एवं शिशु के लिए तहसील/ब्लाक स्तर पर केवल एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर सकता है;

(च) यदि नहीं, तो क्या प्रत्येक पांच हजार जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा पचास हजार जनसंख्या के लिए एक अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ज) ग्रामीण अस्पतालों में नियमित आधार पर पर्याप्त संख्या में नर्स, मिडवाइफ तथा पर्याप्त औषधियां उपलब्ध कराने के लिए राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) भारत के महापंजीयक की प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली द्वारा प्राक्कलित वर्ष 1999 और 2002 में शिशु मृत्यु दर और बाल (0-4 वर्ष) मृत्यु दर का विवरण विवरण-I में दिया गया है। भारत के महापंजीयक द्वारा मातृ मृत्यु दर का अद्यतन प्राक्कलन वर्ष 1998 के लिए है जो विवरण-II के रूप में संलग्न है। गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों से संबधित यह दर अलग से उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1998-99 में जीवन स्तर सूचकांक के आधार पर नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे-II के तहत यथा प्राक्कलित गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता की व्याप्तता विवरण-III में दी गई है।

शिशु, बाल और मातृ-मृत्यु दरों को कम करने के लिए देश के सभी जिलों में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के भाग के रूप में विभिन्न कार्यकलाप किए जा रहे हैं। इन कार्यकलापों में टीके से रोकथाम योग्य छह रोगों से प्रतिरक्षण, अतिसारी रोगों के कारण मृत्यु पर नियंत्रण, श्वसन संक्रमण के कारण मृत्यु पर नियंत्रण, पोलियो उन्मूलन, विटामिन 'ए' की कमी के कारण दृष्टिहीनता के विरुद्ध प्रोफिलैक्सिस तथा आवश्यक नवजात परिचर्या शामिल है।

मातृ मृत्यु दर में कमी लाने और सुरक्षित मातृत्व की स्थिति में सुधार लाने संबंधी कार्यकलापों में आवश्यक प्रसूति परिचर्या, आपातकालीन प्रसूति परिचर्या, पंचायतों के माध्यम से रेफरल ट्रांसपोर्ट का प्रावधान, प्रथम रेफरल यूनिटों पर औषध और उपकरण का प्रावधान, सहायक नर्सों और नर्स धात्रियों, स्टाफ नर्सों, डाक्टरों तथा संवेदनाहरण विज्ञानियों जैसे स्टाफ का संविदा आधार पर प्रावधान किया जाना शामिल है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 24 घंटे की डिलीवरी सेवाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए भी निधि उपलब्ध कराई जाती है। इन कार्यकलापों को प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वितीय चरण में सुदृढ़ता प्रदान की जाएगी।

इस कार्यक्रम के तहत जारी राज्यवार निधि तथा वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान व्यय राशि का ब्यौरा विवरण-IV के रूप में संलग्न है।

विवरण-1 में यथा उल्लिखित शिशु और बाल (0-4 वर्ष) मृत्यु से संबंधित वर्ष 1999 और 2002 के प्राक्कलन से यह स्पष्ट है कि प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर 70 से कम होकर 63 रह गई है, जबकि बाल मृत्यु दर (0-4 वर्ष) प्रति 1000 जीवित जन्म पर इसी अवधि में 24 से कम होकर 17.8 रह गई है। वर्ष 1998-99 और 2002-03 के दौरान जिला स्तर के आरसीएच सर्वे के आधार पर सुरक्षित प्रसव, सांस्थानिक प्रसव और प्रसव पूर्व चेकअप कार्यों में राज्यवार सुधार की स्थिति का तुलनात्मक आंकड़ा विवरण-V में दिया गया है। परिणामों से स्पष्ट है कि सांस्थानिक प्रसव दर 34% से बढ़कर 39.8% तथा सुरक्षित प्रसव दर समान अवधि में 42% से बढ़कर 54% हो गई।

(ङ) से (ज) ग्राम समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के मध्य सम्पर्क का सूत्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों में 20000 की आबादी को और मैदानी क्षेत्रों में 30000 की आबादी को कवर करता है। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक चिकित्सा अधिकारी, और 14 अन्य स्टाफ होते हैं तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 6 उप केन्द्रों के लिए रेफरल यूनिट का कार्य करता है तथा रोगियों के लिए 4-6 बिस्तरों से युक्त होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निदानात्मक, निवारक, संवर्धनात्मक और परिवार कल्याण सेवाओं से जुड़े कार्य का निष्पादन करता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना और रख-रखाव राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम/आधारभूत न्यूनतम

सेवाओं से जुड़े कार्यक्रम के तहत किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक डाक्टर/चिकित्सा अधिकारी 24 घंटे सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

प्रति पांच हजार की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्रति पचास हजार की आबादी पर एक अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उप केन्द्र के माध्यम से समुदाय और स्वास्थ्य परिचर्या डिलीवरी प्रणाली में मध्य प्रथमतः सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों में एक उप केन्द्र 3000 की आबादी को और मैदानी क्षेत्रों में 5000 की आबादी को कवर करता है। उप केन्द्र में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता होता है। ऐसे छह उप केन्द्रों के लिए देखरेख कार्य के लिए एक लेडी हेल्थ विजिटर का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भी हैं जहां चार विशेषज्ञ अर्थात् शल्य चिकित्सक, कार्य चिकित्सक, स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ सहित 21 परामेडिकल और अन्य स्टाफ की व्यवस्था है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 30 अंतरंग बिस्तरों सहित एक ओ टी, एक्स-रे सुविधा, एक प्रसूति गृह और प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए एक रेफरल केन्द्र के रूप में कार्यरत हैं तथा पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों में 80,000 की आबादी को और मैदानी क्षेत्रों में 120000 की आबादी को कवर करता है। ए एन एम, नर्स/नर्स धात्रियों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्टाफ की वर्तमान राज्यवार स्थिति विवरण-VI के रूप में संलग्न है। राज्यों को समय-समय पर अन्तराल को कम करने की सलाह दी जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ता प्रदान करने का कार्य भी प्रमुख कार्यनीति है।

विवरण I

शिशु मृत्यु दर

क्र.सं.	राज्य	शिशु मृत्यु		बाल मृत्यु	
		1999	2002	1999	2002
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	66	62	16.6	15.4
2.	असम	76	70	24.2	22.7
3.	बिहार	63	61	20.6	17.2
4.	छत्तीसगढ़	78	73	उ.न.	उ.न.
5.	गुजरात	63	60	17.9	18.4
6.	हरियाणा	68	62	19.6	17.5
7.	झारखंड	71	51	उ.न.	उ.न.
8.	कर्नाटक	58	55	15.4	14.8
9.	केरल	14	10	3.5	2.2
10.	मध्य प्रदेश	90	85	30.4	25.9
11.	महाराष्ट्र	48	45	11.5	10.4
12.	उड़ीसा	97	87	27.4	24.6
13.	पंजाब	53	51	14.5	14.8

1	2	3	4	5	6
14.	राजस्थान	81	78	24.9	22.3
15.	तमिलनाडु	52	44	13.2	10.6
16.	उत्तर प्रदेश	84	80	28.1	24.5
17.	पश्चिम बंगाल	52	49	13.9	12.4
18.	हिमाचल प्रदेश	62	52	13.0	14.4
19.	जम्मू-कश्मीर	52	45	उ.न.	उ.न.
20.	आंध्र प्रदेश	43	37	उ.न.	उ.न.
21.	दिल्ली	31	30	उ.न.	उ.न.
22.	गोवा	21	17	उ.न.	उ.न.
23.	मणिपुर	25	14	उ.न.	उ.न.
24.	मेघालय	56	61	उ.न.	उ.न.
25.	मिजोरम	19	14	उ.न.	उ.न.
26.	नागालैंड	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
27.	सिक्किम	49	34	उ.न.	उ.न.
28.	त्रिपुरा	42	34	उ.न.	उ.न.
29.	उत्तरांचल	52	41	उ.न.	उ.न.
30.	अं. नि. द्वीप समूह	25	15	उ.न.	उ.न.
31.	चंडीगढ़	28	21	उ.न.	उ.न.
32.	दा. न. हवेली	56	56	उ.न.	उ.न.
33.	दमन व दीव	35	42	उ.न.	उ.न.
34.	लक्षद्वीप	32	25	उ.न.	उ.न.
35.	पांडिचेरी	22	22	उ.न.	उ.न.
	अखिल भारत	70	63	20.4	17.8

स्रोत: प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली, भारत के महापंजीयक
उ.न. : उपलब्ध नहीं

विवरण II

मातृ मृत्यु दर
(प्रति 10,0000 जीवित जन्म)
भारत और बड़े राज्य

	1997	1998
भारत	408	407
आंध्र प्रदेश	154	159
असम	401	409
बिहार	451	452
गुजरात	29	28
हरियाणा	105	103
कर्नाटक	195	195
केरल	195	198
मध्य प्रदेश	498	498
महाराष्ट्र	135	135
उड़ीसा	361	367
पंजाब	196	199
राजस्थान	677	670
तमिलनाडु	76	79
उत्तर प्रदेश	707	707
पश्चिम बंगाल	264	266

स्रोत: एस.आर.एस.

महापंजीयक कार्यालय ने वर्ष 1998 के बाद यह आंकड़ा उपलब्ध कराना बंद कर दिया है।

भारत के महापंजीयक द्वारा छोटे राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के आंकड़े प्रतिदर्श (नमूनों) के छोटे आकार के कारण प्रस्तुत नहीं की है।

विवरण III

विवाहित और गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य	रक्ताल्पता की शिकार गर्भवती महिलाओं का %	जीवन स्तर सूचकांक		
		कुल	न्यून	मध्यम	उच्च
1	2	3	4	5	6
	भारत	49.7	60.2	50.3	41.9
1.	आंध्र प्रदेश	41.8	55.6	48.2	42
2.	असम	62.3	73.1	66.8	66.4
3.	बिहार	49.8	68.9	59.5	50.3
4.	छत्तीसगढ़	68.3	75.9	65.5	64
5.	गुजरात	47.4	57.2	46.8	38.5
6.	हरियाणा	55.5	53.5	48.5	43.9
7.	झारखंड	64	78.6	66.7	56.9
8.	कर्नाटक	48.6	51.3	41.2	32.6
9.	केरल	20.3	28.1	23	19.2

1	2	3	4	5	6
10.	मध्य प्रदेश	53.8	62.2	53.1	44.2
11.	महाराष्ट्र	52.6	51.8	49.4	42.7
12.	उड़ीसा	60.5	68	61.1	44.3
13.	पंजाब	37.1	53.4	46.5	37.6
14.	राजस्थान	51.4	53.1	48.9	43.4
15.	तलिमनाडु	57.1	65.1	52.6	46.9
16.	उत्तर प्रदेश	46	53	49.1	42.2
17.	पश्चिम बंगाल	56.9	67.9	59.1	57.2
18.	अरुणाचल प्रदेश	49.2	65.4	63.6	54.5
19.	दिल्ली	44.7	42.9	49.2	36.6
20.	गोवा	35	44.5	39.9	30.8
21.	हिमाचल प्रदेश	31.8	34.4	41.4	40.5
22.	जम्मू-कश्मीर	56.3	63.7	59.9	54.1
23.	मणिपुर	36.7	31.9	26.4	28.8
24.	मेघालय	58.6	64.6	63.1	56
25.	मिजोरम	45.7	61	49.4	34.3
26.	नागालैंड	38.2	51.7	33.9	34.1
27.	सिक्किम	47.6	65.8	62	55.7
28.	त्रिपुरा	53.6	64	57.7	47.1
29.	उत्तरांचल	49.8	49.7	50.4	36.6

स्रोत: नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे-II (1998-99)

विवरण IV

आर.सी.एच. कार्यक्रम - जारी निधियों और सूचित व्यय की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2003-04		2004-05		कुल	
		जारी	व्यय	जारी	व्यय	जारी	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3,343.71	1,604.64	2,708.91	1,646.60	6,052.62	3,251.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	145.26	198.21	262.04	143.65	407.30	341.86

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	1,462.95	465.13	2,089.12	496.28	3,552.07	961.41
4.	बिहार	3,731.31	2,705.27	2,242.99	0.00	5,974.30	2,705.27
5.	झारखंड	1,003.11	6.47	1,011.69	25.49	2,014.80	31.96
6.	गोवा	16.67	13.55	10.91	0.67	27.58	14.23
7.	गुजरात	1,742.49	2,544.74	8,347.59	373.00	10,090.08	2,917.74
8.	हरियाणा	2,177.80	1,347.83	1,758.24	581.82	3,936.04	1,929.66
9.	हिमाचल प्रदेश	665.90	370.23	440.16	159.52	1,106.05	529.75
10.	जम्मू-कश्मीर	206.20	354.02	168.92	29.65	375.12	383.68
11.	कर्नाटक	827.02	1,442.28	770.01	1,043.23	1,597.03	2,485.51
12.	केरल	819.95	860.49	522.04	270.86	1,413.99	1,131.36
13.	मध्य प्रदेश	2,517.87	3,030.55	3,653.48	125.55	6,171.35	3,156.11
14.	छत्तीसगढ़	1,305.46	779.49	1,007.88	1,046.34	2,313.33	1,825.82
15.	महाराष्ट्र	3,472.98	1,552.87	2,665.77	450.99	6,138.75	2,003.86
16.	मणिपुर	434.24	354.97	159.49	0.00	593.73	354.97
17.	मेघालय	78.79	37.94	0.20	24.00	78.99	61.93
18.	मिजोरम	335.18	309.30	465.75	195.88	800.92	505.18
19.	नागालैंड	253.43	234.83	762.05	0.00	1,015.48	234.83
20.	उड़ीसा	954.70	534.15	1,076.13	157.69	2,030.83	691.84
21.	पंजाब	376.52	499.18	415.48	11.61	792.00	510.80
22.	राजस्थान	4,119.19	3,279.44	2,283.60	1,075.12	6,402.79	4,354.56
23.	सिक्किम	15.10	60.55	306.81	75.41	321.92	135.97
24.	तमिलनाडु	1,22.86	937.01	1,150.77	0.00	2,371.63	937.01
25.	त्रिपुरा	78.61	92.98	4.79	5	83.40	98.11
26.	उत्तर प्रदेश	12,525.56	11,237.42	8,778.12	2,725.19	21,303.68	13,962.61
27.	उत्तरांचल	703.83	623.18	217.46	161.49	921.28	784.67
28.	पश्चिम बंगाल	3,278.19	2,633.23	2,299.88	490.23	5,578.07	3,123.55
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	26.43	14.03	17.75	0.00	44.18	14.03
30.	चंडीगढ़	19.11	22.29	14.31	0.29	33.42	22.58

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	दा. व न. हवेली	9.66	16.89	3.70	2.89	13.36	19.78
32.	दमन व दीव	7.31	6.59	12.33	4.83	19.64	11.42
33.	दिल्ली	770.61	521.18	790.72	57.31	1,561.33	578.49
34.	लक्षद्वीप	10.24	7.85	5.76	3.52	16.00	11.37
35.	पांडिचेरी	25.78	21.14	77.33	4.50	103.11	25.64
	कुल	48,754.01	38,719.93	46,502.18	11,388.88	95,256.19	50,108.81

विवरण V

मातृ स्वास्थ्य सूचक—त्वरित घरेलू सर्वेक्षण, 1998-99 और 2002-03 (डेटा राउंड 1 के 50% पर आधारित)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेन्सी	तीन या तीन से ज्यादा प्रसव-पूर्व चैक-अप		कुल संस्थागत डिलीवरी		सुरक्षित डिलीवरी	
		आरसीएच-I (1989-99)	आरसीएच-II (2002-03)	आरसीएच-I (1989-99)	आरसीएच-II (2002-03)	आरसीएच-I (1989-99)	आरसीएच-II (2002-03)
1	2	3	4	5	6	7	8
	अखिल भारत	44.2	44.5	34.0	39.8	40.2	54.0
I.	**बड़े राज्य (जनसंख्या > 20 मिलियन)**						
1.	आंध्र प्रदेश	87.5	77.8	50.6	58.9	59.8	75.6
2.	असम	29.2	42.7	23.8	26.0	31.9	35.9
3.	बिहार	17.1	18.2	14.9	20.5	19.0	30.1
4.	छत्तीसगढ़	-	38.6	-	19.1	-	40.4
5.	गुजरात	55.0	55.4	46.1	57.7	55.9	76.5
6.	हरियाणा	41.3	40.8	25.7	31.5	32.7	55.8
7.	झारखंड	-	30.1	-	21.5	-	30.6
8.	कर्नाटक	78.0	71.6	50.0	55.5	59.9	70.7
9.	केरल	98.3	81.8	97.0	96.3	97.4	97.8
10.	मध्य प्रदेश	28.0	31.6	21.5	30.3	27.5	47.2
11.	महाराष्ट्र	65.8	62.3	57.1	60.1	61.2	73.3

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	उड़ीसा	43.7	39.1	23.4	31.5	32.7	46.7
13.	पंजाब	56.4	58.6	40.5	46.2	54.7	85.9
14.	राजस्थान	28.3	27.3	22.5	28.3	33.4	46.3
15.	तमिलनाडु	94.2	84.1	78.8	86.8	82.4	92.7
16.	उत्तर प्रदेश	19.6	23.7	16.2	22.9	20.8	33.6
17.	पश्चिम बंगाल	55.4	58.4	38.9	49.4	45.6	66.8
II.	**छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (जनसंख्या > 20 मिलियन)**						
1.	अरुणाचल प्रदेश	25.6	41.5	26.3	37.3	28.1	43.1
2.	दिल्ली	77.2	62.1	70.0	42.4	73.7	69.7
3.	गोवा (नार्थ)	95.2	76.0	93.7	90.9	95.1	96.4
4.	हिमाचल प्रदेश	57.2	67.0	31.7	45.9	36.3	68.4
5.	जम्मू-कश्मीर	40.4	63.5	44.4	56.1	46.8	78.1
6.	मणिपुर	48.5	37.5	34.1	26.2	49.9	54.0
7.	मेघालय	33.5	38.9	33.4	21.6	35.6	33.1
8.	मिजोरम	66.6	48.4	58.9	57.4	62.9	70.4
9.	नागालैंड	21.7	21.6	13.4	9.1	25.1	36.8
10.	सिक्किम	40.6	58.5	32.3	57.5	36.7	60.0
11.	त्रिपुरा	51.0	61.0	46.1	76.6	48.3	88.7
12.	उत्तरांचल	-	27.1	-	25.0	-	45.7
III.	**संघ राज्य क्षेत्र**						
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	92.3	-	68.4	-	71.3	-
2.	चंडीगढ़	73.0	-	67.7	-	71.2	-
3.	दादरा व नगर हवेली	74.6	-	25.9	-	27.6	-
4.	दमन व दीव (दमन)	80.7	78.4	63.2	82.6	70.6	89.2
5.	लक्षद्वीप	98.3	95.6	71.3	79.9	74.1	97.1
6.	पांडिचेरी	95.8	71.4	92.2	91.2	93.4	97.1

विवरण VI

बहु उद्देश्यीय कर्मी (महिला)/ए एन एम

(सितम्बर 2004 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वास्थ्य कर्मी [महिला]/ए एन एम				
		अपेक्षित* [आर]	अनुमोदित [एस]	कार्यरत [पी]	रिक्त [एस-पी]	कमी [आर-पी]
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	14012	14077	13740	337	272
2.	अरुणाचल प्रदेश	454	454	454	0	0
3.	असम	5719	5719	5719	0	0
4.	बिहार	11985	एनए	एनए	एनए	एनए
5.	छत्तीसगढ़	4334	4130	3667	463	667
6.	गोवा	191	196	179	17	12
7.	गुजरात	8344	7274	6650	624	1694
8.	हरियाणा	2841	2841	2818	23	23
9.	हिमाचल प्रदेश	2505	2210	1790	420	715
10.	जम्मू-कश्मीर	2213	1964	1588	376	625
11.	झारखंड	5023	एनए	एनए	एनए	एनए
12.	कर्नाटक	9822	9986	8635	1351	1187
13.	केरल	6027	6331	6331	0	*
14.	मध्य प्रदेश	10029	10029	9560	469	469
15.	महाराष्ट्र	11507	11032	10699	333	808
16.	मणिपुर	492	463	463	0	29
17.	मेघालय	496	496	496	0	0
18.	मिजोरम	408	388	385	3	23
19.	नागालैंड	481	342	342	0	139
20.	उड़ीसा	7209	7121	6768	353	441

1	2	3	4	5	6	7
21.	पंजाब	3336	3982	3667	315	*
22.	राजस्थान	11601	12271	12013	258	*
23.	सिक्किम	171	267	266	1	*
24.	तमिलनाडु	10062	10343	10070	273	*
25.	त्रिपुरा	612	525	561	*	51
26.	उत्तरांचल	1754	1933	1902	31	*
27.	उत्तर प्रदेश	22217	21682	20646	1036	1571
28.	पश्चिम बंगाल	11529	10356	9070	1286	2459
29.	अ. एवं निको. द्वीपसमूह	127	127	127	0	0
30.	चण्डीगढ़	13	13	13	0	0
31.	दादर और नगर हवेली	44	38	38	0	6
32.	दमन और दीव	24	24	24	0	0
33.	दिल्ली	50	102	89	13	*
34.	लक्षद्वीप	18	22	22	0	*
35.	पांडिचेरी	114	114	114	0	0
	अखिल भारत	165764	146852	138906	7982	11191

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं। एन.ए. : उपलब्ध नहीं। *अधिशेष **प्रत्येक उप केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रति एक

नर्स धात्री

(सितम्बर 2004 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नर्स धात्री				
		अपेक्षित** [आर]	अनुमोदित [एस]	कार्यरत [पी]	रिक्त [एस-पी]	कमी [आर-पी]
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2617	2309	2053	256	564
2.	अरुणाचल प्रदेश	295	105	105	0	190
3.	असम	1310	424	424	0	88
4.	बिहार	2355	एनए	एनए	एनए	एनए
5.	छत्तीसगढ़	1328	463	310	153	1018

1	2	3	4	5	6	7
6.	गोवा	54	129	119	10	*
7.	गुजरात	2967	2769	1453	1316	1514
8.	हरियाणा	912	1530	1160	370	*
9.	हिमाचल प्रदेश	900	1540	1259	281	*
10.	जम्मू-कश्मीर	824	244	68	176	756
11.	झारखंड	890	एनए	एनए	एनए	एनए
12.	कर्नाटक	3450	3229	3100	129	350
13.	केरल	1738	1544	1424	120	314
14.	मध्य प्रदेश	2783	एनए	एनए	एनए	एनए
15.	महाराष्ट्र	4454	2766	2575	191	1879
16.	मणिपुर	184	83	62	21	122
17.	मेघालय	256	256	256	0	0
18.	मिजोरम	141	133	133	0	8
19.	नागालैंड	234	520	520	0	*
20.	उड़ीसा	2899	657	637	20	2262
21.	पंजाब	1303	750	673	77	630
22.	राजस्थान	3761	11201	10494	707	*
23.	सिक्किम	52	120	41	79	11
24.	तमिलनाडु	1625	167	167	0	1458
25.	त्रिपुरा	136	125	268	*	*
26.	उत्तरांचल	481	108	92	16	389
27.	उत्तर प्रदेश	5698	एनए	एनए	एनए	एनए
28.	पश्चिम बंगाल	1838	1901	1479	422	359
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	48	108	108	0	*
30.	चण्डीगढ़	7	2	2	0	5
31.	दादर और नगर हवेली	13	23	18	5	*

1	2	3	4	5	6	7
32.	दमन और दीव	10	9	9	0	1
33.	दिल्ली	8	17	16	1	*
34.	लक्षद्वीप	25	19	19	0	6
35.	पांडिचेरी	67	96	95	1	*
	अखिल भारत	45663	33347	29139	4351	12722

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं। एन.ए. : उपलब्ध नहीं। *प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रति एक *अधिशेष

स्वास्थ्य कर्मी (पुरुष)/एम पी डब्ल्यू [एम]

(सितम्बर 2004 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वास्थ्य कर्मी (पुरुष)				
		अपेक्षित* [आर]	अनुमोदित [एस]	कार्यरत [पी]	रिक्त [एस-पी]	कमी [आर-पी]
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	12522	7340	6327	1013	6195
2.	अरुणाचल प्रदेश	376	23	23	0	253
3.	असम	5109	638	320	318	4789
4.	बिहार	10337	एनए	एनए	एनए	एनए
5.	छत्तीसगढ़	3818	3551	2940	611	878
6.	गोवा	172	150	125	25	47
7.	गुजरात	7274	5405	2389	3016	4885
8.	हरियाणा	2433	2132	1750	382	683
9.	हिमाचल प्रदेश	2067	2005	1286	719	781
10.	जम्मू-कश्मीर	1879	381	377	4	1502
11.	झारखंड	4462	एनए	एनए	एनए	एनए
12.	कर्नाटक	8143	5853	3188	2665	4955
13.	केरल	5094	3457	3273	184	1821

1	2	3	4	5	6	7
14.	मध्य प्रदेश	8835	7726	6978	748	1857
15.	महाराष्ट्र	9727	7909	6270	1639	3457
16.	मणिपुर	420	290	290	0	130
17.	मेघालय	401	401	401	0	0
18.	मिजोरम	351	382	351	31	0
19.	नागालैंड	394	276	300	*	94
20.	उड़ीसा	5927	4911	3392	1519	2535
21.	पंजाब	2852	297	1802	1175	1050
22.	राजस्थान	9926	3968	2528	1440	7398
23.	सिक्किम	147	147	158	*	*
24.	तमिलनाडु	8682	4557	3727	830	4955
25.	त्रिपुरा	539	562	326	236	213
26.	उत्तरांचल	1525	771	616	155	909
27.	उत्तर प्रदेश	18577	9080	5732	3348	12845
28.	पश्चिम बंगाल	10356	8126	5603	2523	4753
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	107	26	0	26	107
30.	चण्डीगढ़	13	8	8	0	5
31.	दादर और नगर हवेली	38	38	38	0	0
32.	दमन और दीव	21	17	17	0	4
33.	दिल्ली	42	200	192	8	*
34.	लक्षद्वीप	42	0	0	0	14
35.	पांडिचेरी	75	32	29	3	46
	अखिल भारत	142655	83339	60756	22618	67261

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं। एन.ए. : उपलब्ध नहीं। *अधिशेष **प्रत्येक उप केन्द्र पर प्रति एक

स्वास्थ्य सहायक/महिला/एल एच वी

(सितम्बर 2004 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वास्थ्य सहायक (महिला)				
		अपेक्षित* [आर]	अनुमोदित [एस]	कार्यरत [पी]	रिक्त [एस-पी]	कमी [आर-पी]
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1490	1614	1564	50	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	78	16	16	0	62
3.	असम	610	557	411	146	199
4.	बिहार	1648	एनए	एनए	एनए	एनए
5.	छत्तीसगढ़	516	516	734	*	*
6.	गोवा	19	18	11	7	8
7.	गुजरात	1070	1227	952	275	118
8.	हरियाणा	408	539	289	250	119
9.	हिमाचल प्रदेश	438	348	268	80	170
10.	जम्मू-कश्मीर	334	120	62	58	509
11.	झारखंड	561	एनए	एनए	एनए	एनए
12.	कर्नाटक	1679	1209	1170	39	509
13.	केरल	933	830	830	0	103
14.	मध्य प्रदेश	1194	1914	1786	128	*
15.	महाराष्ट्र	1780	2945	2666	279	*
16.	मणिपुर	72	72	48	24	24
17.	मेघालय	95	95	95	0	0
18.	मिजोरम	57	89	78	11	*
19.	नागालैंड	87	15	15	0	72
20.	उड़ीसा	1282	1023	998	25	284
21.	पंजाब	484	738	668	70	*
22.	राजस्थान	1675	1146	1136	10	539
23.	सिक्किम	24	24	21	3	3
24.	तमिलनाडु	1380	1608	1153	455	227

1	2	3	4	5	6	7
25.	त्रिपुरा	73	18	23	*	50
26.	उत्तरांचल	229	201	197	4	32
27.	उत्तर प्रदेश	3640	3674	3267	407	373
28.	पश्चिम बंगाल	1173	1726	1227	499	*
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूप	20	20	20	0	0
30.	चण्डीगढ़	0	1	1	0	*
31.	दादर और नगर हवेली	6	7	7	0	*
32.	दमन और दीव	3	3	3	0	0
33.	दिल्ली	8	52	48	4	*
34.	लक्षद्वीप	4	0	0	0	4
35.	पांडिचेरी	39	14	9	5	30
	अखिल भारत	23109	22379	19773	2829	3198

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं। एन.ए. : उपलब्ध नहीं। *अधिशेष **प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक

स्वास्थ्य सहायक [पुरुष]

(सितम्बर 2004 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वास्थ्य सहायक (पुरुष)				
		अपेक्षित** [आर]	अनुमोदित [एस]	कार्यरत [पी]	रिक्त [एस-पी]	कमी [आर-पी]
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1490	2162	1814	348	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	78	26	26	0	52
3.	असम	610	175	175	0	435
4.	बिहार	1648	एनए	एनए	एनए	एनए
5.	छत्तीसगढ़	516	3551	2940	611	*
6.	गोवा	19	22	15	7	4
7.	गुजरात	1070	1265	616	649	454

1	2	3	4	5	6	7
8.	हरियाणा	408	212	155	57	253
9.	हिमाचल प्रदेश	438	413	361	52	77
10.	जम्मू-कश्मीर	334	334	334	0	0
11.	झारखंड	561	एनए	एनए	एनए	एनए
12.	कर्नाटक	1679	1302	837	465	842
13.	केरल	933	802	784	18	149
14.	मध्य प्रदेश	1194	एनए	एनए	एनए	एनए
15.	महाराष्ट्र	1780	2742	1910	832	*
16.	मणिपुर	72	68	40	28	32
17.	मेघालय	95	95	95	0	0
18.	मिजोरम	57	86	75	11	*
19.	नागालैंड	87	15	15	0	72
20.	उड़ीसा	1282	176	168	8	1114
21.	पंजाब	484	832	792	40	*
22.	राजस्थान	1675	938	714	224	961
23.	सिक्किम	24	0	0	0	24
24.	तमिलनाडु	1380	3656	3005	651	*
25.	त्रिपुरा	73	154	119	35	*
26.	उत्तरांचल	229	552	417	135	*
27.	उत्तर प्रदेश	3640	5712	4061	1651	*
28.	पश्चिम बंगाल	1173	1496	550	946	623
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	20	0	0	0	20
30.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0
31.	दादर और नगर हवेली	6	6	3	3	3
32.	दमन और दीव	3	3	3	0	0
33.	दिल्ली	8	48	41	7	*

1	2	3	4	5	6	7
34.	लक्षद्वीप	4	4	4	0	0
35.	पांडिचेरी	39	22	17	5	22
	अखिल भारत	23109	26869	20086	6783	5137

नोटः आंकड़े अनंतिम हैं। एन.ए. : उपलब्ध नहीं। *अधिशेष "प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टर

(सितम्बर 2004 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टर				
		अपेक्षित" [आर]	अनुमोदित [एस]	कार्यरत [पी]	रिक्त [एस-पी]	कमी [आर-पी]
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1490	2497	2137	360	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	78	78	78	0	0
3.	असम	610	610	610	0	0
4.	बिहार	1648	एनए	एनए	एनए	एनए
5.	छत्तीसगढ़	516	873	817	56	*
6.	गोवा	19	56	53	3	*
7.	गुजरात	1070	1070	912	158	158
8.	हरियाणा	408	862	862	0	*
9.	हिमाचल प्रदेश	438	354	457	*	*
10.	जम्मू-कश्मीर	334	668	643	25	*
11.	झारखंड	561	एनए	एनए	एनए	एनए
12.	कर्नाटक	1679	2237	2062	175	*
13.	केरल	933	1152	1152	0	*
14.	मध्य प्रदेश	1194	1194	947	247	247

1	2	3	4	5	6	7
15.	महाराष्ट्र	1780	3157	3158	*	*
16.	मणिपुर	72	95	67	28	5
17.	मेघालय	95	113	103	10	*
18.	मिजोरम	57	47	47	0	10
19.	नागालैंड	87	53	53	0	34
20.	उड़ीसा	1282	1353	1353	0	*
21.	पंजाब	484	484	424	60	60
22.	राजस्थान	1675	1510	1311	199	364
23.	सिक्किम	24	48	38	10	*
24.	तमिलनाडु	1380	2895	2263	632	*
25.	त्रिपुरा	73	161	150	11	*
26.	उत्तरांचल	229	1304	840	464	*
27.	उत्तर प्रदेश	3640	एनए	एनए	एनए	एनए
28.	पश्चिम बंगाल	1173	1560	1319	241	*
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	20	36	36	0	*
30.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0
31.	दादर और नगर हवेली	6	6	6	0	0
32.	दमन और दीव	3	3	3	0	0
33.	दिल्ली	8	6	6	0	2
34.	लक्षद्वीप	4	4	4	0	0
35.	पांडिचेरी	39	63	63	0	*
	अखिल भारत	23109	24540	21974	2679	880

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं। एन.ए. : उपलब्ध नहीं। *अधिशेष *प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक

[हिन्दी]

एड्स संबंधी विशेषज्ञ समूह

4876. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एड्स रोगियों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए गठित किए गए विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट तथा इस रोग की अधिक आशंका वाले राज्यों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस रोग के उपचार तथा इसकी रोकथाम के लिए जिलों में विशेष केन्द्र स्थापित कर प्रभावित लोगों तथा बच्चों को सूचना प्रदान करने के लिए देश में कहां-कहां कार्य योजना बनाई गई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) एच.आई.वी. द्वारा संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या का वार्षिक आधार पर आकलन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, दिल्ली के सहयोग से किया जाता है। देश में एड्स रोगियों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा कोई भी विशेषज्ञ दल गठित नहीं किया गया है। तथापि, भारत सरकार एक स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा निगरानी तथा आकलन की प्रक्रिया सहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी कार्यकलापों का समीक्षा-सह-मूल्यांकन करने की योजना बना रही है।

इस रोग के अत्यधिक रोग प्रवण राज्यों सहित सभी राज्यों में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए निधियों का प्रावधान सभी राज्यों द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना पर आधारित है। परियोजना निदेशक के साथ गहन चर्चा तथा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों के परियोजना निदेशक एवं अन्य अधिकारियों के साथ अन्य चर्चा के बाद, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन इन राज्यों की कार्य योजनाओं को अनुमोदित करता है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण II के भौतिक लक्ष्यों के अनुसार, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने देश के प्रत्येक जिले में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कम-से-कम एक स्वैच्छिक परामर्श तथा जांच केन्द्र, एक यौन संचारित रोग क्लिनिक, माता/पिता से बच्चे में संचरण निवारण केन्द्र तथा एक रक्त बैंक की स्थापना करने का अनुदेश दिया है।

[अनुवाद]

डाक विभाग द्वारा पंजीकृत पत्रों का खोया जाना

4877. श्री काशीराम राणा:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डाक विभाग द्वारा खोए गए पंजीकृत पत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) पंजीकृत पत्रों के खोने पर कितनी धनराशि के मुआवजे का भुगतान किया गया;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) डाक विभाग द्वारा पंजीकृत सामान को खोने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) इस संबंध में क्या उपलब्धि प्राप्त की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खोए गए पंजीकृत पत्रों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	खोए हुए पंजीकृत पत्रों की संख्या
2002	3608
2003	2953
2004	1676

(ख) खोए हुए पंजीकृत पत्रों के लिए भुगतान किए गए हर्जाने की राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	राशि (रुपए में)
2002	35262
2003	55852
2004	33277

(ग) जी, हां।

(घ) विभाग पंजीकृत पत्रों के खोए जाने के कारणों का पता लगा सकता है और उपचारात्मक कार्रवाई कर पाएगा।

(ङ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) विभाग में पंजीकृत पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके निपटान की उपयुक्त निर्धारित प्रक्रियाएं हैं। पंजीकृत पत्रों की बुकिंग और वितरण को रिकार्ड किया जाता है और वितरण किए जाने पर प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। पंजीकृत पत्रों से संबंधित प्रक्रिया के पूर्ण रूप से अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विभाग विभिन्न दस्तों के माध्यम से नियमित जांच करता है: विभाग पंजीकृत पत्रों के खोए जाने की रिपोर्ट की गई घटनाओं पर कड़ी नजर रखता है और पंजीकृत वस्तुओं के खो जाने के विरुद्ध उपचारात्मक और निवारक कदम उठाता है।

(छ) विभाग द्वारा निपटाए जा रहे डाक परियात की तुलना में खोए हुए पंजीकृत पत्रों के मामलों की संख्या नगण्य है क्योंकि खोए गए मामलों और डाक परियात का तुलनात्मक अनुपात 0.0016% है। यहां तक कि पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संख्या में भी कमी आई है जैसाकि उपर्युक्त पैरा (क) से स्पष्ट है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में आपातकालीन सेवाओं की कमी

4878. श्री विजय कृष्ण: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आर.के. पुरम के सैक्टर-IV सहित दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में आपातकालीन सेवाओं की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार को अभ्यावेदन मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) इसे ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न सरकारी अस्पतालों के अलावा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत अनेक निजी अस्पतालों को मान्यता दी गई है जो दिल्ली के भिन्न-भिन्न भागों में अवस्थित हैं, जहा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी आपातकालीन स्थिति में उपचार प्राप्त कर सकते हैं, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत आपातकालीन सेवाओं का पुनः वितरण/पुनः आबंटन किया गया है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, सेक्टर-IV, आर.के. पुरम की आपातकालीन सेवा जिसे प्रशासनिक अपेक्षाओं के कारण अस्थायी रूप से आस्थगित किया गया था, को 15.4.2005 से फिर से बहाल कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, उपर्युक्त मामले पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना निदेशालय में कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, दिनांक 24.2.2005 के हिन्दुस्तान टाइम्स में ''आर.के. पुरम में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सेवाएं प्रभावित'' शीर्षक से यह मामला समाचार के रूप में छपा था जिस पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना निदेशालय ने संबद्ध समाचार-पत्र को अपना उत्तर भेजा था।

निजी अस्पतालों तथा नैदानिक केन्द्रों के लिए मानदंड

4879. श्री पी.सी. थामस:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय चिकित्सा परिषद तथा राज्य चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत निजी अस्पतालों, नैदानिक केन्द्रों तथा नर्सिंग होम की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) गरीबों को सेवाएं प्रदान करने वाले निजी अस्पतालों तथा नैदानिक केन्द्रों को सहायता योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गरीबों को सेवा प्रदान करने के लिए निजी अस्पतालों, नैदानिक केन्द्रों तथा नर्सिंग होम के लिए कोई मानदंड निर्धारित किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निजी अस्पतालों, नैदानिक केन्द्रों तथा नर्सिंग होम द्वारा मानदंडों का उचित रूप से अनुपालन किया जा रहा है;

(च) यदि नहीं, तो मानदंडों का उल्लंघन करने वाले निजी अस्पतालों, नैदानिक केन्द्रों तथा नर्सिंग होम का ब्यौरा क्या है तथा इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) क्या सरकार के पास इनकी जांच के लिए तथा मानदंडों का उल्लंघन रोकना सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए निर्धारित शर्तों के अनुपालन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ज) निजी मेडिकल प्रेक्टिसनरों सहित सभी मेडिकल प्रैक्टिसनरों के लिए यह अनिवार्य है कि वे मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करने से पहले सम्बद्ध राज्य परिषद/भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकरण करवाएं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय संविधान में स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण सम्बद्ध राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि राज्य में पंजीकृत निजी अस्पतालों, निदान केन्द्रों और नर्सिंग होम से संबंधित विवरण का रख-रखाव और कार्यप्रणाली को विनियमित करें। इसलिए, निजी अस्पतालों, निदान केन्द्रों और नर्सिंग होम में इन मानकों का अनुपालन होने अथवा न होने संबंधी सूचना का रख-रखाव केन्द्र स्तर पर नहीं किया जाता है।

आधुनिक दूरसंचार अवसंरचना

4880. **श्री तथागत सत्पथी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना का मूल ध्यान सस्ती दरों पर विश्वस्तरीय टेलीकाम सुविधाएं प्रदान करने के लिए आधुनिक तथा सक्षम दूरसंचार अवसंरचना का विकास करने पर है;

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान सरकार किस सीमा तक लक्ष्य हासिल करने में सक्षम रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) दसवीं योजना के दौरान मूलतः दूरदृष्टि से युक्त दूरसंचार नीति-1999 को लागू किया जा रहा है। इसमें दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया की अभिसारिता को प्रोत्साहित किया गया है। ग्रामीण टेलीफोनी प्रदान करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार प्रचालकों को सहायता प्रदान करने के लिए उक्त योजना के दौरान एक अव्यपगत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना की गई है। वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान इस निधि के माध्यम से ग्रामीण टेलीफोनी के लिए 1814.50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। देश में तेजी से ब्राडबैंड कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करने के लिए अक्तूबर, 2004 में ब्राडबैंड नीति की घोषणा की गई जिसे लागू किया जा रहा है। तेजी से विस्तार पा रही वायरलेस टेलीफोनी के लिए स्पेक्ट्रम की जरूरत पूरी करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश मोबाइल टेलीफोनी को छोड़कर सभी प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त है तथा बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप दूरसंचार प्रशुल्कों में भारी कमी आई है जिससे सामान्यतः सभी उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं।

आज सभी टेलीफोन एक्सचेंज डिजिटल इलेक्ट्रानिक हैं तथा उन्हें विश्वसनीय माध्यम से जोड़ा गया है। सभी जिला मुख्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार देश के 6.07 लाख गांवों में से 5.31 लाख गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराए गए हैं।

(ग) 9.91% के टेलीघनत्व के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 10वीं योजना अवधि (2002-2007) के दौरान 650 लाख अतिरिक्त फोन प्रदान करने के लक्ष्य के प्रति अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2005 के दौरान 534.45 लाख फोन उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रकार 9.10% का टेलीघनत्व का लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया गया है।

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति

4881. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक से गुजरने वाले कतिपय राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हैं तथा इस पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यक धनराशि तथा गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्षतिग्रस्त सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को कब तक पुनः विनिर्मित अथवा उन्नयन किए जाने की संभावना है;

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(च) उक्त अवधि के दौरान उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(छ) कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (छ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है और उपलब्ध संसाधनों के अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सामान्य मरम्मत कार्य दैनिक आधार पर किया जाता है और वर्षा/बाढ़ के कारण हुई क्षतियों को बरसात के तुरंत बाद ठीक किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए निधियों को राज्यवार आबंटित किया जाता है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग-वार। कर्नाटक राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए अपेक्षित निधियां और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रम, कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आबंटित निधियों से पूरे किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निधियों के आबंटन और उपयोग के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निधियों के आबंटन और उपयोग के ब्यौरे

वर्ष	विकास		अनुरक्षण एवं मरम्मत	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
2002-03	89.66	94.52	45.82	45.12
2003-04	150.35	150.35	38.73	38.73
2004-05	76.905	76.905	35.12	36.00

देरी से किये गए भुगतानों के लिए दण्ड में कमी

4882. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूएएसएल, एनएलडी को अपनाने वाली आधारभूत कंपनियों तथा आईएलडी प्लेयरों सहित सभी नए यूनिफाइड एक्सेस लाइसेंसीज के लिए देरी से भुगतान करने के लिए ब्याज दर तथा दंड में कमी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने राजस्व का नुकसान हुआ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा लाइसेंसों में यह प्रावधान किया गया था कि किसी भुगतान के देय होने के दिन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपनी ऋण राशि पर वसूली जाने वाली मूल दर (पीएलआर) के पांच प्रतिशत अधिक की दर से ब्याज की वसूली की जानी है। अब यह दर संबंधित वित्त वर्ष के प्रारंभ में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वसूली जाने वाली मूल दर से दो प्रतिशत अधिक निर्धारित की गई है। इसी प्रकार दंड की राशि को किसी वित्त वर्ष के लिए कम अदा की गई लाइसेंस शुल्क की राशि के 150% से घटाकर उसका 50% कर दिया गया है। इन परिवर्तनों से जो कि पहली अप्रैल, 2005 के बाद की अवधियों के दौरान देय होने वाली बकाया राशियों पर लागू होते हैं, प्रावधान न केवल अधिक स्वीकार्य हो गए हैं बल्कि अब इन्हें लागू करना भी आसान है।

(ग) ब्याज और दांडिक राशि के बीच अंतर की राशि को राजस्व की हानि नहीं माना जा सकता और इसे केवल एक काल्पनिक हानि ही माना जा सकता है क्योंकि लाइसेंस शुल्क से भिन्न ब्याज और दंड स्वरूप प्राप्त राशि राजस्व प्राप्ति के नियमित स्रोत नहीं हैं और घटाई गई दरों के प्रति आकर्षण उसी स्थिति में होगा जबकि कतिपय लाइसेंसधारक यथा निर्धारित 01.04.2005 के बाद की अवधियों के लिए देय भुगतान को अदा कर पाने में असफल हों।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष सड़क पैकेज

4883. श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर राज्यों की सड़कों के निर्माण हेतु एक विशेष पैकेज देने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेष पैकेज के आधार पर पूर्वोत्तर राज्यों में कितनी लंबी सड़कें बनाने की संभावना है; और

(घ) सड़कों का कब तक निर्माण किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) इस मंत्रालय ने "पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" बनाया है जिसमें कतिपय सड़कों के सुधार और राज्य की राजधानियों को कम से कम 2 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने तथा जिला मुख्यालयों को बेहतर राज्यीय सड़कों के माध्यम से 2 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ जोड़ने का विचार है।

(ग) और (घ) चूंकि उपर्युक्त कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप दिया जाना है, इस समय इन ब्यौरों को बताना मुश्किल है।

[अनुवाद]

संशोधित राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम हेतु सहायता

4884. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संशोधित राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम हेतु डेनमार्क से सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विदेशी सहायता की शर्तें क्या हैं; और

(घ) उक्त कार्यक्रम से प्रत्येक राज्य में आज तक कितने लोगों को लाभ मिला है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। उड़ीसा राज्य में डेनिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (डी ए एन आई डी ए) की सहायता से संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर एन टी सी पी) को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

परियोजना	प्रावधान	व्यय
डी ए एन टी बी- चरण I (1997-2003)	31.95 करोड़ रुपए	29.05 करोड़ रुपए
डी ए एन टी बी- चरण-II (दिसम्बर, 2003 से 2005)	13.48 करोड़ रुपए	3.54 करोड़ रुपए (दिसम्बर, 2004 तक)

(ग) उड़ीसा राज्य में आरएनटीसीपी के क्रियान्वयन के लिए डीएएनआईडीए द्वारा अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। दाता एजेन्सी द्वारा क्षयरोग रोधी औषधों, बाइनोक्युलर माइक्रोस्कोप, प्रयोगशाला उपस्करों, वाहनों इत्यादि के रूप में सीधे ही राज्यों को वस्तुगत सहायता प्रदान की जाती है। विभिन्न कार्यकलापों यथा प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए सिविल कार्यों, प्रयोगशाला उपभोज्यों, प्रशिक्षण, सूचना शिक्षा और संप्रेषण गतिविधियों, अनिवार्य स्टाफ की संविदात्मक नियुक्ति इत्यादि के लिए राज्य क्षयरोग सोसाइटी को केन्द्र के माध्यम से नकद सहायता दी जाती है।

(घ) आरएनटीसीपी का लाभ उड़ीसा राज्य की समूची 3.8 मिलियन जनसंख्या को मुहैय्या कराया गया है।

रोगों के उन्मूलन हेतु अनुदान सहायता

4885. श्री ई. पोन्नुस्वामी:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2005 तक अंधता, पोलियो और कुष्ठरोग के उन्मूलन हेतु राज्य-वार कितनी अनुदान सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या इनमें लगे संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा करने हेतु कोई एजेंसी गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक उक्त रोगों के मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) निधियों के दुरूपयोग के प्रकाश में आए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(च) उन पर क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा विवरण-II पर, पोलियो का ब्यौरा विवरण-II पर और कुष्ठ का ब्यौरा विवरण-III पर दिया गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के कामकाज की समीक्षा के लिए कृपया विवरण-IV देखें। पोलियो

कार्यक्रम और कुष्ठ कार्यक्रम के कामकाज की समीक्षा के लिए तंत्र क्रमशः विवरण V और विवरण VI पर देखा जा सकता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सूचित पोलियो के मामलों की संख्या विवरण-VII पर देखी जा सकती है और पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए कुष्ठ के नए रोगियों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-VIII पर देखा जा सकता है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों के दुरूपयोग का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है। तथापि, पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत पल्स पोलियो प्रतिरक्षण के कार्यान्वयन में राजस्थान सरकार के अधिकारियों द्वारा वित्तीय अनियमितता के एक मामले की जांच सी.बी.आई. द्वारा की गई थी और कानून के अनुसार कार्रवाई की गई थी।

विवरण I

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी नकद अनुदानों के ब्यौरे

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-2003	2003-2004	2004-2005
1	2	3	4	5
	बड़े राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	734.36	350.92	288.19
2.	बिहार	132.80	230.12	55.38
3.	छत्तीसगढ़	107.80	126.00	242.28
4.	गोवा	5.00	18.25	18.50
5.	गुजरात	169.08	294.07	353.97
6.	हरियाणा	13.01	87.76	112.71
7.	हिमाचल प्रदेश	51.22	76.25	11.36
8.	जम्मू-कश्मीर	34.14	69.25	1149.26
9.	झारखण्ड	84.13	138.75	168.43
10.	कर्नाटक	351.43	431.89	493.96
11.	केरल	103.12	177.98	179.71
12.	मध्य प्रदेश	540.70	401.82	846.20
13.	महाराष्ट्र	393.00	419.50	318.93
14.	उड़ीसा	292.80	263.25	275.86
15.	पंजाब	64.14	113.50	11.43
16.	राजस्थान	430.40	253.75	586.07

1	2	3	4	5
17.	तमिलनाडु	1501.91	1432.55	1293.36
18.	उत्तर प्रदेश	878.51	774.83	774.92
19.	उत्तरांचल	100.00	97.50	108.10
20.	पश्चिम बंगाल	222.57	318.75	49.46
	योग	6190.12	6076.69	6338.08
	उत्तर पूर्वी राज्य			
1.	अरुणाचल प्रदेश	14.12	14.63	41.72
2.	असम	35.62	99.50	28.49
3.	मणिपुर	15.85	25.15	8.60
4.	मेघालय	15.84	18.90	37.60
5.	मिजोरम	27.67	17.38	10.28
6.	नागालैंड	20.62	14.50	8.50
7.	सिक्किम	20.24	9.25	4.84
8.	त्रिपुरा	27.51	42.50	11.90
	योग	177.47	241.81	150.93
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.50	6.50	5.89
2.	चण्डीगढ़	6.50	9.38	11.43
3.	दादरा व नगर हवेली	3.00	5.50	1.05
4.	दमन व दीव	4.00	5.50	6.05
5.	दिल्ली	21.34	32.77	46.11
6.	लक्षद्वीप	1.50	5.50	4.02
7.	पांडिचेरी	1.50	7.88	8.02
	योग	39.34	73.03	82.57
	सकल योग	6406.93	6391.53	6571.58

विवरण II

राज्यों को स्वीकृत/जारी निधियां तथा पल्स पोलियों प्रतिरक्षण के लिए प्रचालन व्ययों हेतु सूचित व्यय

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-2003 स्वीकृत	2003-2004 स्वीकृत	2004-2005 स्वीकृत
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	7.36	15.18	21.88
2.	आंध्र प्रदेश	720.91	802.72	1523.91
3.	अरुणाचल प्रदेश	34.04	38.36	57.41
4.	असम	312.89	482.31	943.30
5.	बिहार	2388.11	3707.93	3345.36
6.	चण्डीगढ़	8.59	9.97	14.37
7.	दादरा नगर हवेली	2.64	3.04	4.40
8.	दमन व दीव	2.09	2.22	3.24
9.	दिल्ली	338.97	516.23	489.50
10.	गुजरात	500.35	1586.78	1117.02
11.	गोवा	9.26	10.37	14.97
12.	हरियाणा	496.73	852.53	610.59
13.	हिमाचल प्रदेश	71.33	108.30	156.09
14.	जम्मू-कश्मीर	164.04	180.57	260.09
15.	कर्नाटक	488.05	531.65	1015.83
16.	केरल	201.27	220.07	316.91
17.	लक्षद्वीप	1.55	2.95	4.27
18.	मध्य प्रदेश	702.07	1811.35	1459.46
19.	महाराष्ट्र	926.14	885.33	1627.20
20.	मणिपुर	59.70	66.13	98.96
21.	मेघालय	64.40	74.27	111.13
22.	मिजोरम	22.23	24.35	36.44
23.	मेघालय	41.60	50.01	74.84

1	2	3	4	5
24.	नागालैंड	327.76	356.34	513.33
25.	उड़ीसा	8.54	9.17	13.29
26.	पांडिचेरी	249.77	271.76	391.33
27.	पंजाब	757.09	2439.91	1653.38
28.	राजस्थान	13.68	14.39	21.54
29.	सिक्किम	515.70	561.29	808.14
30.	तमिलनाडु	70.35	76.58	114.59
31.	त्रिपुरा	4871.18	10675.69	10877.36
32.	उत्तर प्रदेश	749.09	1985.97	2004.03
33.	पश्चिम बंगाल	132.80	301.63	326.37
34.	छत्तीसगढ़	223.99	244.38	351.93
35.	झारखंड	431.33	1026.87	841.65
	योग	15915.61	29946.61	31224.10

*अनन्तिम आंकड़े क्योंकि राज्यों से अभी रिपोर्ट आनी है।

विवरण III

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार व्यय की गई राशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2002-2003 जारी सहायता	2003-2004 जारी सहायता	2004-2005 जारी सहायता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	179.22	174.80	215.81
2.	अरुणाचल प्रदेश	115.96	72.75	60.32
3.	असम	97.48	93.28	3.57
4.	बिहार	855.85	413.77	523.52
5.	छत्तीसगढ़	354.41	305.60	311.31
6.	गोवा	8.10	7.53	1.75
7.	गुजरात	99.65	88.21	139.77

1	2	3	4	5
8.	हरियाणा	43.89	2.16	25.05
9.	हिमाचल प्रदेश	30.45	36.15	37.20
10.	जम्मू-कश्मीर	96.39	21.90	3.90
11.	झारखण्ड	257.46	147.60	376.83
12.	कर्नाटक	122.66	70.46	75.81
13.	केरल	69.36	15.00	14.25
14.	मध्य प्रदेश	676.61	225.91	304.96
15.	महाराष्ट्र	263.14	83.01	327.37
16.	मणिपुर	101.25	65.50	14.03
17.	मेघालय	46.24	1.99	1.17
18.	मिजोरम	76.50	22.50	30.00
19.	नागालैंड	112.44	83.00	83.53
20.	उड़ीसा	478.63	403.22	351.49
21.	पंजाब	40.27	25.19	37.06
22.	राजस्थान	52.32	23.42	90.68
23.	सिक्किम	39.36	23.54	14.55
24.	तमिलनाडु	240.63	230.02	52.64
25.	त्रिपुरा	33.60	8.50	31.86
26.	उत्तरांचल	120.01	43.78	13.50
27.	उत्तर प्रदेश	1508.04	1168.93	356.07
28.	पश्चिम बंगाल	599.55	412.47	185.88
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	20.22	0.50	1.39
30.	चण्डीगढ़	10.13	10.50	2.49
31.	दादर व नगर हवेली	6.00	6.00	2.27
32.	दमन व दीव	14.50	9.50	4.00
33.	दिल्ली	93.42	100.50	64.12
34.	लक्षद्वीप	7.26	5.50	0.58
35.	पांडिचेरी	6.00	0.35	1.85
	योग	6877.00	4403.04	3760.58

विवरण में जी आई ए का व्यय, नकद सहायता एवं औषध (एमडीटी) शामिल हैं।

नोट: 2005-06 (आज तक) के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया है।

विवरण IV

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन तीन स्तरों अर्थात् जिला, राज्य और केन्द्रीय स्तर पर कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है। जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों के दौरान राज्य सरकार के अधिकारी भाग लेते हैं। राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकों में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अधिकारियों में से एक अधिकारी भाग लेता है और केन्द्रीय स्तर पर भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा करने के लिए राज्य कार्यक्रम अधिकारियों की आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

विवरण V

पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रगति की मानीटरिंग और समीक्षा करने तथा तकनीकी एवं संभार तंत्रीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पोलियो निगरानी यूनिट स्थापित की गई है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन और ऐसे क्षेत्रों जहां पर पोलियो वायरस परिचलन में है, में पोलियो वायरस का पता लगाने में जिला प्रशासन की सहायता करने के लिए जिलों और राज्यों में फील्ड यूनिटें स्थापित की जा रही हैं। इससे पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम में प्रगति को नापने और उपयुक्त रूप से प्रतिरक्षण कार्यकलाप लक्षित करने में सहायता मिलेगी।

विवरण VI

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम एक शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है और यह सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

स्कीम की नियमित समीक्षा के लिए निम्नलिखित तंत्र स्थापित किया गया है:-

(1) राज्य, मासिक प्रगति रिपोर्टों को केन्द्रीय कुष्ठ प्रभाग में भेजते हैं।

(2) कार्यक्रम की मानीटरिंग और समीक्षा के लिए प्राथमिकता वाले राज्यों में राज्य समन्वयक रखे गए हैं।

(3) दिल्ली में केन्द्रीय कुष्ठ प्रभाग द्वारा राज्य तकनीकी सहायक समन्वयकों सहित उपरोक्त बताए गए राज्य समन्वयकों की आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन और आईएलईपी के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। प्राथमिकता वाले राज्यों से राज्य कुष्ठ अधिकारी बैठकों में बारी-बारी से भाग लेते हैं।

(4) केन्द्रीय कुष्ठ प्रभाग द्वारा वार्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं जिसमें सभी राज्य भाग लेते हैं।

विवरण VII

2003 से 2005 तक पोलियो के मामले

(15 अप्रैल, 2005 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वाइल्ड पोलियो वायरस		
		2003	2004	2005
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	21	1	0
2.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4.	असम	1	0	0
5.	बिहार	18	41	6
6.	चण्डीगढ़	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0
8.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0
9.	दमन व दीव	0	0	0
10.	दिल्ली	3	2	1
11.	गोवा	0	0	0
12.	गुजरात	3	0	0
13.	हरियाणा	3	2	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
15.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0
16.	झारखंड	1	0	1
17.	कर्नाटक	36	1	0
18.	केरल	0	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	11	0	0
21.	महाराष्ट्र	3	3	0
22.	मणिपुर	0	0	0
23.	मेघालय	0	0	0

1	2	3	4	5
24.	मिजोरम	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0
26.	उड़ीसा	2	0	0
27.	पांडिचेरी	0	0	0
28.	पंजाब	1	0	0
29.	राजस्थान	4	0	0
30.	सिक्किम	0	0	0
31.	तमिलनाडु	2	1	0
32.	त्रिपुरा	0	0	0
33.	उत्तरांचल	0	1	1
34.	उत्तर प्रदेश	88	82	4
35.	पश्चिम बंगाल	28	2	0
	योग	225	136	13

विवरण VIII

विगत तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए राज्यवार नए रोगी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05 (अ)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	39115	31816	18751
2.	अरुणाचल प्रदेश	126	104	66
3.	असम	1570	1331	1118
4.	बिहार	94561	65019	40395
5.	छत्तीसगढ़	18468	15385	13110
6.	गोवा	294	320	268
7.	गुजरात	11564	10229	6900
8.	हरियाणा	718	643	407
9.	हिमाचल प्रदेश	280	308	228
10.	झारखंड	28982	17719	19131
11.	जम्मू-कश्मीर	572	358	262
12.	कर्नाटक	13071	10598	7315
13.	केरल	2512	1891	1398
14.	मध्य प्रदेश	16570	12699	7058
15.	महाराष्ट्र	48549	44192	32618
16.	मणिपुर	108	53	36

1	2	3	4	5
17.	मेघालय	78	17	27
18.	मिजोरम	23	18	18
19.	नागालैंड	58	55	47
20.	उड़ीसा	38349	21201	20595
21.	पंजाब	1356	1345	1075
22.	राजस्थान	2212	2000	1157
23.	सिक्किम	46	47	37
24.	तमिलनाडु	24767	16051	10493
25.	त्रिपुरा	80	93	60
26.	उत्तर प्रदेश	90586	80072	44399
27.	उत्तरांचल	2246	1917	1280
28.	पश्चिम बंगाल	32243	25050	19465
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	60	55	48
30.	चंडीगढ़	323	346	268
31.	दादरा व नगर हवेली	268	616	195
32.	दमन व दीव	18	5	2
33.	दिल्ली	5975	5362	3837
34.	लक्षद्वीप	27	4	3
35.	पांडिचेरी	225	226	106
	योग	476000	367143	252173

(अ)-अनन्तिम।

पर्सनल कम्प्यूटरों की बिक्री में वृद्धि

4886. **श्री डी. विट्टल राव:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004 में पर्सनल कम्प्यूटरों की बिक्री में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे सरकार द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया है;

(घ) वर्ष 2005 में पर्सनल कम्प्यूटरों की कितनी मांग होने का अनुमान है; और

(ङ) उससे वर्ष 2005 में कितना राजस्व अर्जित होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) वर्ष 2002-03 के दौरान वैयक्तिक

कम्प्यूटरों की बिक्री संख्या 22,93,643 थी जो वर्ष 2003-04 के दौरान बढ़कर 30,35,591 हो गई। वर्ष 2004-05 के दौरान वैयक्तिक कम्प्यूटरों की बिक्री संख्या अनुमानतः 4 मिलियन है जो वर्ष 2003-04 की तुलना में 31.8% की वृद्धि की सूचक है। वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान वैयक्तिक कम्प्यूटरों की बिक्री का मूल्य क्रमशः 6,292 करोड़ रुपए और 6,982 करोड़ रुपए था। वर्ष 2005-06 के दौरान वैयक्तिक कम्प्यूटरों की बिक्री बढ़कर 5.2 मिलियन होने की संभावना है जिसका मूल्य लगभग 11,960 करोड़ रुपए होगा।

बकाए राशि की वसूली

4887. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग भारतीय रेलवे से डाक ले जाने के लिए कोच किराए पर लेता है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे द्वारा प्रस्तुत किए गए ढुलाई प्रभार के बिलों का भुगतान बिना किसी संवीक्षा और सत्यापन के किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं जिनमें ट्रेन सेवा को रद्द कर दिया गया था लेकिन रेलवे को उस अवधि का भुगतान किया गया था; और

(घ) सरकार द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) भारतीय रेल द्वारा प्रस्तुत किए गए ढुलाई प्रभार के बिलों का भुगतान अपेक्षित संवीक्षा एवं सत्यापन के बाद ही किया जाता है।

(ग) एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें असम सर्किल ने 01.10.2002 से 31.3.2003 की अवधि का रेलवे को ढुलाई प्रभार का अतिरिक्त भुगतान किया है।

(घ) रेलवे से उनके 01.4.2003 से 30.9.2003 तक के अगले बिल से ढुलाई प्रभार का अतिरिक्त भुगतान वसूल कर लिया गया है।

[हिन्दी]

डाकघर खोलना

4888. श्री ब्रजेश पाठक: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में जिलावार कितने शाखा डाकघर और उपडाकघर उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार का देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजनार्थ कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार देश में 1,27,119 शाखा डाकघर और 27,708 उप डाकघर हैं, जिनमें से 14753 शाखा डाकघर और 2464 उप डाकघर उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में विभागीय उप डाकघरों और अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) शाखा डाकघर दूरी, जनसंख्या और आय संबंधी मानदंडों के पूरा होने के आधार पर खोले जाते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(घ) और (ङ) दसवीं योजना के अंतिम तीन वर्षों के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। डाकघर निर्धारित मानदंडों के पूरा होने के आधार पर ही खोले जाते रहेंगे।

विवरण

उत्तर प्रदेश में उप डाकघरों और शाखा डाकघरों की जिलावार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	उप डाकघर	शाखा डाकघर
1	2	3	4
1.	एस.आर. दास नगर	13	88
2.	आगरा	89	254
3.	अलीगढ़	59	237
4.	इलाहाबाद	112	430
5.	अम्बेडकर नगर	31	285
6.	औरैया	18	131
7.	आजमगढ़	44	354

1	2	3	4
8.	बागपत	17	116
9.	बहराइच	30	364
10.	बलिया	46	292
11.	बलरामपुर	15	163
12.	बांदा	17	190
13.	बाराबंकी	39	319
14.	बरेली	52	223
15.	बस्ती	47	424
16.	बिजनौर	43	252
17.	बदायूं	31	288
18.	बुलन्दशहर	41	252
19.	चंदौली	19	158
20.	देवरिया	31	243
21.	एटा	27	272
22.	इटावा	24	146
23.	फैजाबाद	55	321
24.	फर्रूखाबाद	35	114
25.	फतेहपुर	28	220
26.	फिरोजाबाद	19	129
27.	जी.बी. नगर	8	60
28.	गौतमबुद्ध नगर	13	39
29.	गाजियाबाद	54	152
30.	गाजीपुर	50	320
31.	गोंडा	39	302
32.	गोरखपुर	60	335
33.	हमीरपुर	14	125
34.	हरदोई	35	291
35.	जालौन	25	217
36.	जौनपुर	53	361
37.	झांसी	36	172
38.	जे.पी. नगर	14	90
39.	कन्नौज	21	123
40.	कानपुर (देहात)	23	279
41.	कानपुर शहर	94	76
42.	खीरी	31	350
43.	कुशीनगर	20	203
44.	ललितपुर	14	138
45.	लखनऊ	126	149
46.	महाराजगंज	12	197
47.	महोबा	9	75
48.	मैनपुरी	21	145
49.	मथुरा	51	187
50.	मऊ	23	179
51.	मेरठ	64	189
52.	मिर्जापुर	24	167
53.	एम. माया नगर/हाथरस	14	163
54.	मुरादाबाद	42	201
55.	मुजफ्फरनगर	49	252

1	2	3	4
56.	प्रतापगढ़	42	304
57.	पीलीभीत	14	126
58.	रायबरेली	52	378
59.	रामपुर	21	104
60.	सहारनपुर	44	165
61.	साहू एम. नगर (चित्रकूट)	7	71
62.	शाहजहांपुर	33	269
63.	सिद्धार्थनगर	14	194
64.	सीतापुर	40	375
65.	सोनभद्र	23	120
66.	सुलतानपुर	48	437
67.	उन्नाव	22	245
68.	वाराणसी (पूर्व)	38	66
69.	वाराणसी (पश्चिम)	45	97
	कुल	2464	14753

[अनुवाद]

गरूड़ मोबाइल सेवा

4889. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गरूड़ मोबाइल सेवा के प्रति उपभोक्ताओं के निराशापूर्ण रूख के कारण उसे बंद करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इसकी परिचालनीय कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, नहीं। एमटीएनएल की गरूड़ सेवा संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है।

(ग) दिल्ली और मुम्बई में, प्रत्येक 400 हजार क्षमता वाला सीडीएमए 2000IX प्रकार का नेटवर्क संस्थापना के अंतिम चरण में है जो बेहतर कवरेज के साथ न केवल पूर्ण मोबिलिटी प्रदान करता है बल्कि उच्च गति डाटा, इंटरनेट अभिगम्यता, खेल इत्यादि की सुविधाएं भी प्रदान करता है।

डेंटल कालेज

4890. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने डेंटल कालेज हैं;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में और डेंटल कालेज स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा डेंटल कालेजों में सुविधाओं में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश की जनता में दातों से संबंधित रोग बढ़ रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा दंत संबंधी रोगों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने और सस्ता दंत उपचार प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) वर्तमान में देश में 190 डेंटल कालेज हैं। राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) देश में नए डेंटल कालेजों की स्थापना का संचालन दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 और इसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों द्वारा किया जाता है जिसके अनुसार भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले आवेदक को केन्द्र सरकार द्वारा नया डेंटल कालेज खोलने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है।

(घ) कालेज में भौतिक अवसंरचना और सुविधाओं के विधिवत निरीक्षण के पश्चात् भारतीय दंत चिकित्सा परिषद की सिफारिशों के आधार पर डेंटल कालेजों की स्थापना केन्द्र सरकार की पूर्व

अनुमति से की जाती है, जिसे मान्यता मिलने तक प्रति वर्ष नवीकृत किया जाता है। डिग्री की मान्यता के बाद भी, कालेजों में शिक्षा और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के मानकों को बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए परिषद द्वारा आवधिक निरीक्षण भी किए जाते हैं।

(ङ) और (च) दांत के रोग ग्रामीण जनसंख्या में अधिक हैं। व्यापक कम लागत सुपोषणीय प्राथमिक निवारक कार्यक्रम विकसित और कार्यान्वित करने के लिए 1999 में मुख स्वास्थ्य पर एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई थी। वर्तमान में, यह कार्यक्रम दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। एक नोडल संस्थान के रूप में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

विवरण

डेंटल कालेजों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	डेंटल कालेजों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	16
2.	असम	1
3.	बिहार	7
4.	छत्तीसगढ़	2
5.	दिल्ली	1
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	6
8.	हरियाणा	8
9.	हिमाचल प्रदेश	5
10.	जम्मू-कश्मीर	1
11.	कर्नाटक	42
12.	केरल	10
13.	मध्य प्रदेश	6
14.	महाराष्ट्र	23
15.	उड़ीसा	2
16.	पांडिचेरी	1
17.	पंजाब	10
18.	राजस्थान	9
19.	तमिलनाडु	15
20.	उत्तर प्रदेश	20
21.	उत्तरांचल	1
22.	पश्चिम बंगाल	3
	कुल	190

[हिन्दी]

फ्रांस में हिंदू धर्म को मान्यता

4891. श्री शिवराज सिंह चौहानः क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या फ्रांस में लगभग एक लाख हिंदूओं के बावजूद फ्रांस सरकार ने अपने देश में हिंदू धर्म को कोई मान्यता नहीं दी है और वहां मंदिर निर्माण पर प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव अन्य धर्मों की भांति हिंदू धर्म को भी मान्यता प्रदान करने के लिए फ्रांस सरकार पर जोर डालने और वहां मंदिर निर्माण की अनुमति प्रदान करने के लिए मामले को उनके साथ उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ई. अहमद): (क) और (ख) अनुमान है कि लगभग 65,000 भारतीय मूल के लोग फ्रांस में है। माना जाता है कि 50,000 हिंदू हैं। फ्रांस की सरकार अपनी धर्मनिरपेक्ष परम्पराओं और सिद्धांतों की रूपरेखा के भीतर धार्मिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति प्रदान करती है, परंतु गुलूबंद तथा पगड़ी जैसे धार्मिक चिन्हों का सुस्पष्ट प्रदर्शन वर्जित है। मंदिर जैसी धार्मिक इमारतों का निर्माण स्थानीय प्राधिकारियों के अनुमोदन से अनुमत्य है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रोग निगरानी संबंधी प्रायोगिक परियोजना

4892. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रोग निगरानी संबंधी कोई प्रायोगिक परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो 2004 तक परियोजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने जिलों को कवर किया गया;

(ग) क्या बहुत से राज्य जारी की गई निधियों का उपयोग नहीं कर पाए अथवा कार्यक्रम नहीं चल पाए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा रोग निगरानी हेतु विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के अंतर्गत चल रही सभी निगरानी कार्यक्रमों को एक कार्यक्रम के रूप में समेकित करने और जिला-स्तर पर एक व्यापक रोग निगरानी कार्यक्रम तैयार करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सरकार ने वर्ष 1997-98 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राष्ट्रीय संचारी रोग निगरानी कार्यक्रम शुरू किया था।

(ख) इस कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों/संघ राज्यों के 101 जिलों को शामिल किया गया है। कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए जिलों की राज्यवार और वर्षवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) बिहार, छत्तीसगढ़, मेघालय, झारखंड, उत्तरांचल और मिजोरम राज्य निधि का उपयोग नहीं कर सके हैं।

(ङ) सरकार ने रोग नियंत्रण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के तहत चालू निगरानी कार्यकलापों को समेकित कर समेकित रोग निगरानी परियोजना, जो नवम्बर, 2004 से शुरू की गई है, में शामिल करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना का उद्देश्य जिला स्तर पर विकेन्द्रीकृत प्रणाली विकसित करना है।

विवरण

वर्ष 1997-1998 से 2001-02 तक के दौरान राष्ट्रीय संचारी रोग निगरानी कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए जिलों की वर्षवार और राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य के नाम	जिले				
		1997-98	1998-99	2000-01	2001-02	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	1. विशाखापट्टनम	-	1. पोर्ट ब्लेयर	1
2.	आंध्र प्रदेश	1. इस्ट गोदावरी 2. महबूब नगर	-	1. गुन्टूर 2. मेडक	2. कुडप्पा	6
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	3. पूर्वी सियांग	1
4.	असम	-	-	3. सिल्चर 4. डिब्रूगढ़ 5. जोरहाट	4. धुबरी	4
5.	बिहार	3. मुजफ्फरपुर 4. समस्तीपुर	-	-	-	2
6.	चंडीगढ़	-	-	6. चंडीगढ़	-	1

1	2	3	4	5	6	7
7.	छत्तीसगढ़	5. बस्तर*	–	7. सरगुजा	–	2
8.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	5. दादरा और नगर हवेली	1
9.	दमन और दीव	–	–	–	6. दमन और दीव	1
10.	दिल्ली	–	2. सिविल लाइन्स 3. उत्तरी शाहदरा	8. उत्तरी	–	3
11.	गोवा	–	4. गोवा	9. अहमदाबाद 10. कच्छ	–	1
12.	गुजरात	6. बानसकंठा 7. मेहसना 8. सूरत	5. जामनगर	11. अम्बाला	–	6
13.	हरियाणा	9. भिवानी 10. गुड़गांव 11. सोनीपत	6. करनाल	–	–	5
14.	हिमाचल प्रदेश	–	7. हमीरपुर 8. सोलन	–	–	2+1*
15.	जम्मू-कश्मीर	–	–	12. जम्मू	7. कुपवाड़ा 8. लेह	3
16.	झारखंड	–	–	–	9. रांची 10. पलामू	2
17.	कर्नाटक	12. बेल्लारी 13. बीजापुर 14. कोलार	–	–	–	3
18.	केरल	15. अल्लेप्पी 16. कालीकट 17. कोट्टायम	9. एर्नाकुलम	14. त्रिचुर	–	5
19.	लक्षद्वीप	–	10. लक्षद्वीप	–	–	1
20.	मध्य प्रदेश	18. भोपाल	11. भिंड 12. मौरैना	14. गुना	11. धार	5
21.	महाराष्ट्र	19. धुले 20. सतारा	13. सिंधुदुर्ग	15. चंद्रपुर	12. बीड	5

1	2	3	4	5	6	7
22.	मणिपुर	–	14. इम्फाल	–	–	1
23.	मेघालय	–	–	16. खासी हिल्स	–	1
24.	मिजोरम	–	–	–	13. आइजोल	1
25.	नागालैंड	–	–	–	14. कोहिमा	1
26.	उड़ीसा	–	15. कोरपट	17. कटक 18. सम्भलपुर	15. गंजम	4
27.	पंजाब	–	–	19. लुधियाना 20. जालंधर 21. पटियाला	16. फिरोजपुर	4
28.	पांडिचेरी	–	16. पांडिचेरी	22. यनाम	–	2
29.	राजस्थान	21. अल्वर 22. जोधपुर 23. उदयपुर	17. अजमेर	23. कोटा 24. सिकर 25. सिरोही	–	7
30.	सिक्किम	–	–	26. पूर्वी सिक्किम	17. पश्चिमी सिक्किम	2
31.	तमिलनाडु	–	18. धर्मपुरी 19. मदुरई	27. कोयम्बटूर 28. सालेम	18. वेल्लुपुरम	5
32.	त्रिपुरा	–	–	29. उत्तरी 30. दक्षिणी	–	2
33.	उत्तर प्रदेश	24. वाराणसी	20. गाजियाबाद	31. गोरखपुर 32. लखनऊ	19. राय बरेली	5
34.	उत्तरांचल	25. हरिद्वार$	–	–	20. नैनीताल	2
35.	पश्चिम बंगाल	–	–	33. हावड़ा 34. मुर्शिदाबाद 35. बुर्धवान	–	3
कुल	35	25	20	35	20	100+1
संचयी योग	35	25	45	80	100	101

*शिमला जिले को वर्ष 2002-03 में शामिल किया गया है।

#अविभाजित मध्य प्रदेश का बस्तर जिला अब छत्तीसगढ़ राज्य का भाग है।

$अविभाजित उत्तर प्रदेश का हरिद्वार जिला अब उत्तरांचल राज्य का भाग है।

एचआईवी/एड्स संबधी 'इंडियन कम्युनिकेशन कंसोर्टियम'

4893. श्री जी.वी. हर्ष कुमार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एचआईवी/एड्स संबंधी 'इंडियन कम्युनिकेशन कंसोर्टियम' (आई सी एच ए) का गठन किया है जैसाकि 11 जनवरी, 2005 के 'दि हिन्दू' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईसीएचए-एनएसीओ ने इस संबंध में यूनिसेफ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) चल रहे संप्रेषण प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए अनेक सहभागियों को जुटाने हेतु एचआईवी/एड्स संबंधी एक संप्रेषण सहायता-संघ (कम्युनिकेशन कन्सोर्टियम) स्थापित किया गया है जिससे कि पर्याप्त धनराशि जुटाई जा सके। यूनिसेफ इस सहायता-संघ के लिए सचिवालय का कार्य करता है। दिनांक 9.11.2004 को नाको तथा यूनिसेफ के बीच इस आशय के एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस करार की मुख्य रूपरेखा निम्नलिखित है:-

- नाको तथा यूनिसेफ ने सहमति दी है कि त्वरित तथा समयबद्ध कार्यकलाप (1) मीडिया (2) स्कूली तथा स्कूल के बाहर के किशोर बालकों; तथा (3) युवा वर्गों पर केन्द्रित होंगे जिससे कि सर्वत्र युवाओं तक पहुंचा जा सके और उन्हें शामिल किया जा सके और इस प्रक्रिया से पहुंच तथा दृष्टिसीमा का विस्तार हो सके।
- दोनों ने अनेक विकास सहभागियों को एक साथ लाने पर सहमति दी है जिससे कि पर्याप्त धनराशि जुटाई जा सके।
- अनेक विकास सहभागियों के साथ-साथ दोनों ने एक संप्रेषण सहायता-संघ स्थापित करने की सहमति दी है जिसे विभिन्न विकास एजेंसियां धनराशि देंगी।
- दोनों ने सहमति दी है कि यूनिसेफ सहायता-संघ के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।
- दोनों ने उन मुख्य कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु अपने संसाधनों का प्रयोग करने की सहमति दी है।
- यूनिसेफ ने अन्तरिम सचिवालय के लिए एक संप्रेषण अधिकारी, एक कार्यक्रम सहायक तथा सचिव नियुक्त करने की भी सहमति दी है।
- यूनिसेफ अपनी कार्मिक नीतियों तथा कार्यविधियों के अनुसार इसके लिए अपेक्षित स्टाफ की भर्ती करेगा तथा संविदा लेगा।

प्रधान डाकघर खोलना

4894. श्री एम. शिवन्ना: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चामराजनगर में कोई प्रधान डाकघर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वहां प्रधान डाकघर खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक खोले जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) कामराजनगर में प्रधान डाकघर खोलने का कोई सांख्यात्मक और वित्तीय औचित्य नहीं है।

(ग) जी नहीं। कामराजनगर जिले के कोल्लेगल में पहले ही एक प्रधान डाकघर कार्यरत है। कामराजनगर में एक मुख्य डाकघर भी कार्यरत है जो प्रधान डाकघर की तरह ही जनता को सभी काउंटर सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

(घ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

4895. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में बीएसएनएल द्वारा जिला-वार क्रमशः कितने लैंड लाइन और मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में बीएसएनएल के प्री पेड सिम कार्ड की अनुपलब्धता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बीएसएनएल के प्री-पेड सिम कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या बीएसएनएल का आंध्र प्रदेश में अपनी ग्रामीण टेलीफोन सेवा का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) आंध्र प्रदेश राज्य में बीएसएनएल द्वारा लैंडलाइन और मोबाइल टेलीफोनों दोनों के लिए प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों का पृथक रूप से जिले-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 31.03.2005 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में 8,22,916 लाइनों की सेल्यूलर क्षमता के स्थान पर 8,14,667 मोबाइल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। क्षमता संबंधी दबावों के कारण, प्री-पेड मोबाइल कनेक्शनों को जारी करने के कार्य पर अस्थायी रूप से नियंत्रण रखा गया है।

(ग) 10.5 लाख अतिरिक्त लाइनें शामिल कर मोबाइल नेटवर्क क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। सिम कार्डों की आपूर्ति जुलाई 2005 से उत्तरोत्तर रूप से उपलब्ध होने की आशा है।

(घ) जी, हां। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों सहित बिखरी मांग को पूरा करने के लिए सीडीएमए प्रौद्योगिकी के डब्ल्यूएलएल कनेक्शनों की 2 लाख लाइनें शामिल करने की योजना है।

(ङ) जिले-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(च) उपर्युक्त पैरा (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

31.3.2005 की स्थिति के अनुसार प्रदान किए गए जिले-वार कनेक्शन (एलएल+मोबाइल)

क्र.सं.	जिले का नाम	2004-05 के दौरान प्रदान किए गए कनेक्शन				31.3.2005 को स्थिति			
		लैंडलाइन	एफडब्ल्यूटी	मोबाइल डब्ल्यूएलएल	सेल कनेक्शन	लैंडलाइन	एफडब्ल्यूटी	मोबाइल डब्ल्यूएलएल	सेल कनेक्शन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अदिलाबाद	-762	711	925	5431	66296	880	1067	16416
2.	अनंतपुर	3461	1535	1369	7711	101695	2053	1678	32646
3.	चित्तूर	1557	259	1902	13226	142961	387	5150	35502
4.	कुड्डपाह	2690	1137	844	10476	97607	1356	2680	22373
5.	पूर्वी गोदावरी	7366	0	0	15345	213562	0	0	40933
6.	गुंटूर	12536	380	594	12018	221320	3152	5156	44344
7.	हैदराबाद	-13355	-83	-10075	30364	397755	3519	8590	173521
8.	करीमनगर	-6100	531	927	1804	124206	2633	1008	26118
9.	खम्माम	-363	486	1017	10431	86406	827	3886	24161
10.	कृष्णा	7657	154	79	20398	224171	154	79	55326
11.	कुरनूल	3187	0	0	6190	106558	0	0	27154
12.	महबूबनगर	3994	1233	140	10705	88091	3504	1284	19188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	मेडक	-2036	1138	413	4330	75262	3548	431	18429
14.	नालगोंडा	3269	1446	1132	10800	113639	1737	2054	22282
15.	नेल्लौर	3786	249	794	850	113341	1490	1929	53751
16.	निजामाबाद	-1305	1129	976	2352	91841	1324	1178	22738
17.	प्रकाशम	226	1220	997	7056	101512	1346	1200	17824
18.	रंगारेड्डी	-6632	-51	479	6273	246599	1393	859	8937
19.	श्रीकाकुलम	159	1357	803	16375	52539	1722	1908	22292
20.	विशाखापट्टनम	714	718	2181	18687	154059	774	2460	47066
21.	विजयानगरम	2482	302	2027	10967	51315	506	4029	17605
22.	वारंगल	-8468	1196	1126	10436	98863	1962	5507	23326
23.	पश्चिमी गोदावरी	11121	0	0	14565	207910	0	0	42735
	कुल	25184	15047	8650	246790	3177508	34267	52133	814667

विवरण II

वर्ष 2005-06 के दौरान बीएसएनएल के आंध्र प्रदेश सर्किल में कवर न किए गए गांवों में डब्ल्यूएलएल सेवाओं और वीपीटी प्रदान करने संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र.सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	2005-06 में डब्ल्यूएलएल की कुल क्षमता में वृद्धि	2005-06 के दौरान कवर न किए गए गांवों में योजनाबद्ध वीपीटी
1	2	3	4
1.	अदिलाबाद	9750	40
2.	अनंतपुर	14250	20
3.	चित्तूर	12000	25
4.	कुड्डपाह	12000	28
5.	पूर्वी गोदावरी	15750	9
6.	गुंटूर-आर	10500	0
7.	हैदराबाद#	8250	0
8.	करीमनगर	9000	26
9.	खम्माम	9000	4
10.	कृष्णा	12000	0
11.	कुरनूल	15750	2
12.	महबूबनगर	9000	15
13.	मेडक	8250	12
14.	नालगोंडा	10500	12
15.	नेल्लौर	12000	22
16.	निजामाबाद	7500	18
17.	प्रकाशम	12000	51
18.	श्रीकाकुलम	6000	33
19.	विजाग	7500	34

1	2	3	4
20.	विजयनगरम	5250	18
21.	पश्चिमी गोदावरी	13500	0
22.	वारंगल	7500	31
	कुल	227250	400

#रंगारेड्डी जिले सहित

वातजन्य (गठिया) हृदय रोग

4896. डा. रामचन्द्र डोम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में हमारे देश में वातजन्य (गठिया) हृदय रोगों की घटनाओं की ठीक-ठीक जानकारी संबंधी कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस रोग की घटनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का वातजन्य हृदय रोग की घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु कोई निवारक कार्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने वर्ष 2000-05 में जय विज्ञान मिशन मोड परियोजनाओं के तहत "कम्युनिटी कंट्रोल आफ आरएफ/आरएचडी" विषय पर एक अध्ययन कराया है। पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ द्वारा रायपुर रानी ब्लाक (हरियाणा) में और सीएमसी, वेल्लोर द्वारा कन्यमवाड़ी ब्लाक (तमिलनाडु) में स्कूली बच्चों पर कराए गए क्रास सेक्सनल सर्वे से यह स्पष्ट है कि ग्रुप ए स्ट्रैप्टोकोसी (रेम्यूटिक ज्वर और रेम्यूटिक हृदय रोग के लिए जिम्मेदार तत्व) की व्याप्तता थ्राट कल्चर्स में क्रमश: 2.14 प्रतिशत और 11.1 प्रतिशत थी। पांच से 14 वर्ष आयु वर्ग के स्कूली बच्चों में आरएफ/आरएचडी की व्याप्तता देश के विभिन्न भागों में प्रति 1000 की आबादी पर 0.079 से 1.43 के बीच पाई गई।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अब हृदयवाहिका रोगों से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने के लिए योजना आयोग से सिद्धान्तत: अनुमति लेने का प्रयास शुरू किया है।

राष्ट्रीय जलमार्ग-दो के सुधार हेतु परियोजनाएं

4897. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय जलमार्ग-दो के सुधार हेतु शुरू की गई परियोजनाओं और इस संबंध में प्राप्त लक्ष्यों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) नौवीं और दसवीं योजना के दौरान ड्रेजर्स लगाने हेतु वर्ष-वार कितनी राशि आबंटित की गई है और उक्त अवधि के दौरान कितने ड्रेजर्स लगाए गए और राष्ट्रीय जलमार्ग-दो में कराये गए गाद निकालने (ड्रेजिंग) के कार्यों का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) इस बारे में विवरण संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर निकर्षकों के प्रतिस्थापन के लिए 9वीं तथा 10वीं पंचवर्षीय योजना में, बजट-अनुमान में आबंटित की गई धनराशि निम्नानुसार है:

	9वीं पंचवर्षीय योजना (करोड़ रु.)		10वीं पंचवर्षीय योजना (करोड़ रु.)
वर्ष 1997-98	1.00	वर्ष 2002-03	5.90
वर्ष 1998-99	2.50	वर्ष 2003-04	11.50
वर्ष 1999-2000	1.80	वर्ष 2004-05	15.70
वर्ष 2000-01	2.00		
वर्ष 2001-02	3.50		

एक हाइड्रालिक सतही ड्रेजर, फरवरी, 2002 में कार्य पर लगाया गया और एक कटर सक्शन ड्रेजर, नवंबर, 2004 में कार्य पर लगाया गया। जहां तक उक्त अवधि में निकर्षण से संबंधित काम-काज संचालित किए जाने का संबंध है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान निकर्षण से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया गया, वर्ष 2002-03 और वर्ष 2003-04 के दौरान हाइड्रालिक सतही ड्रेजर के जरिए दोनों वर्षों में दो-दो छिछले स्थानों की सफाई की गई है और वर्ष 2004-05 के दौरान कटर सक्शन ड्रेजर प्रयुक्त करके, लगभग 1,25,000 घन मीटर सामग्री का निकर्षण किया गया।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	2002-03		2003-04		2004-05	
		व्यय	प्राप्त किया गया लक्ष्य	व्यय	प्राप्त किया गया लक्ष्य	व्यय अनन्तिम	प्राप्त किया गया लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
	राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 2						
1.	वार्षिक नाव्य जलपथ सुधार/सफाई कार्य	2.33	वर्ष के अधिकांश समय के दौरान धुबरी नेभाटी खण्ड में 2 मी. गहराई तथा नेभाटी-डिब्रूगढ़ में 1.5 मी. गहराई बनाये रखना	1.69	वर्ष के अधिकांश समय के दौरान धुबरी नेभाटी खण्ड में 2 मी. गहराई तथा नेभाटी-डिब्रूगढ़ में 1.5 मी. गहराई बनाये रखना	3.23	वर्ष के अधिकांश समय के दौरान धुबरी नेभाटी खण्ड में 2 मी. गहराई तथा नेभाटी-डिब्रूगढ़ में 1.5 मी. गहराई बनाये रखना
2.	हाइड्रोलिक सरफेस ड्रेजर (एचएसडी)	-	-	-	-	0.89	आदेश दे दिया गया तथा एक एचएसडी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
3.	सर्वेक्षण उपस्कर	0.31	आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण उपस्करों/उपभोज्यों की खरीद	0.02	आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण उपस्करों/उपभोज्यों की खरीद	0.13	आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण उपस्करों/उपभोज्यों की खरीद
4.	पाण्डू टर्मिनल	7.00	माडल अध्ययन पूर्ण हो गया है। व्यापक डिजाइन पर कार्य चल रहा है।	5.82	प्रस्तावित तीन कुओं का ढांचा कार्य और खुदाई प्रस्तावित है।	8.89	एक कुंआ पूर्ण हो गया है शेष छ: कुओं का कंक्रीट तथा खुदाई का कार्य चल रहा है। एक कन्टेनर क्रेन का क्रय आदेश दे दिया गया है।
5.	फलोटिंग टर्मिनल	2.39	क्रेन सहित दो पन्टून के निर्माण के लिए आर्डर दे दिया गया है तथा कार्य चल रहा है। जेट्टी के लिए 5 पन्टून का निर्माण कर लिया है तथा सुपर्द कर दिये गये हैं।	1.16	क्रेन सहित दो पन्टूनों का निर्माण कर दिया गया है तथा नियोजित कर दिया गया है।	3.61	ग्रेब तथा क्रेनों सहित तीन पन्टून के निर्माण के लिये आर्डर दे दिया गया है तथा कार्य आरंभ हो गया है।
6.	टर्मिनल रख-रखाव	0.10	टर्मिनल का रख-रखाव किया गया	0.10	टर्मिनल का रख-रखाव किया गया	0.13	टर्मिनल का रख-रखाव किया गया
7.	चौबीस घन्टे नौचालनात्मक सुविधायें	0.13	24 घन्टे नौचालनात्मक सुविधायें स्थापित की गई तथा बी-वार्डर-धुब्रीखण्ड में रख-रखाव किया गया। गुवाहाटी तथा रामपुरा के बीच 24 घन्टे नौचालनात्मक सुविधायें उपलब्ध कराई गई।	0.72	24 घन्टे नौचालनात्मक सुविधायें स्थापित की गई तथा बी-वार्डर-धुब्रीखण्ड में रख-रखाव किया गया। तथा जोगिगोपा तक बढ़ाया तथा रख-रखाव किया गया।	1.21	बी बार्डर-जोगीगोपा खण्ड में 24 घन्टे नौचालनात्मक सुविधायें उपलब्ध कराई गई तथा गुवाहाटी तक बढ़ाई गई एवं अनुरक्षित की गई। डिब्रूगढ़ तक इस सुविधा के विस्तार के लिये नौचालनात्मक प्रकाश लैम्प की खरीद की गई।

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	कटर सक्शन ड्रेजर्स तथा सहयोगी जलयान	2.17	एक कटर सक्शन ड्रेजर एक वर्क वोट (डब्ल्यू बी) तथा एक आवास बोट (ए बी) के निर्माण के लिये कार्य आदेश जारी कर दिये गये हैं।	4.45	कटर सक्शन ड्रेजर पूर्ण हो गया तथा सुपुर्द कर दिया गया दो कटर सक्शन ड्रेजर्स (सीस डी) दो डब्ल्यू बी बोटस तथा ए बी की खरीद की योजना बनाने की स्वीकृति दे दी गई तथा डब्ल्यू बी तथा ए वी पर कार्य चल रहा है।	0.68	एक ए बी सुपुर्द कर दिया गया है। एक डब्ल्यू बी कार्य चल रहा है? नये सी एस डी, डब्ल्यू बी तथा ए बी की खरीद के लिये निविदा प्रक्रिया चल रही है।
9.	जलयानों की मरम्मत तथा अनुरक्षण	0.02	विभागीय जलयानों की मरम्मत की गई तथा रख-रखाव किया गिया।	0.07	विभागीय जलयानों की मरम्मत की गई तथा रख-रखाव किया गया।	0.15	विभागीय जलयानों की मरम्मत की गई तथा रख-रखाव किया गया।
10.	फलोटिंग ड्राई डॉक	–	–	–	–	3.49	एक फ्लोटिंग शुष्क डाक के निर्माण के लिये आर्डर दे दिया गया है। तथा कार्य आरम्भ हो गया है।
11.	कार्गो जलयान	–	–	6.67	एक सामान्य कार्गों जलयान, एक कन्टेनर कार्गों जलयान तथा एक पी ओ एल टैंकर क्रयादेश दे दिया गया है तथा निर्माण कार्य चल रहा है।	2.38	एक सामान्य कार्गों जलयान सुपुर्द कर दिया गया है। एक कन्टेनर कार्गो जलयान तथा एक पी ओ एल टैंकर का निर्माण कार्य चल रहा है।
12.	निगरानी पोत	–	–	–	–	0.06	दो निगरानी पोतों के निर्माण के लिये क्रय आदेश दे दिया गया है।
	जोड़	14.45		20.70		24.85	

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की गतिविधियों की निगरानी

4898. प्रो. एम. रामदास: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की गतिविधियों की निगरानी करने हेतु किन उपायों पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) देश में कम्प्यूटरों के माध्यम से अस्पतालों की नेटवर्किंग करने की दिशा में क्या कदम उठाये गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) आईडीएसपी के अंतर्गत एक सूचना नेटवर्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें जिला निगरानी एकक प्रत्येक जिले में स्थित सभी प्रमुख अस्पतालों से जुड़ा होगा। प्रमुख रोगों की घटना से संबंधित सूचना निगरानी हेतु सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से एकत्र की जाएगी जिससे कि समय पर कार्रवाई करने के लिए संभावित प्रकोपों की पहचान की जा सके।

इसके अलावा, सरकार समय-समय पर प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं के काम-काज की समीक्षा/मानीटरिंग करती है।

* दो चरणों (1998-99 तथा 2003-2004) में देश में एक सुविधा सर्वेक्षण किया गया है जिसमें देश की प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं में अवसंरचना अर्थात् जल सुविधा, बिजली, वाहन, आपरेशन थियेटर, प्रसव कक्ष इत्यादि की उपलब्धता तथा स्वास्थ्य संबंधी कार्मिक शक्ति की स्थिति का मूल्यांकन किया गया।

* देश में ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचनात्मक स्थिति की नवम्बर-दिसम्बर, 2004 में चंडीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा कोलकाता में आयोजित चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं में समीक्षा की गई है।

* स्वास्थ्य केन्द्रों के कामकाज की राज्य सरकार के अधिकारियों, भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशकों तथा केन्द्र सरकार के अधिकारियों के सावधिक दौरों द्वारा भी मानीटरिंग की जाती है।

इजरायल द्वारा भारतीय यहूदियों को अपनाना

4899. **श्री गुरूदास कामतः** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इजरालय ने यहूदी वंश परम्परा का दावा करने वाले 6000 भारतीयों को अपनाने का निर्णय किया है, जैसा कि दिनांक 2 अप्रैल, 2005 के 'द एशियन एज' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) इस प्रैस की खबर के बारे में हमारे पास कोई पुष्टि नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयां

4900. **श्री अजीत जोगी:** क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक कितनी लघु औद्योगिक इकाइयां कार्य कर रही हैं और इनमें कितनी राशि का निवेश किया गया है;

(ख) इन इकाइयों में से रुग्ण इकाइयां कितनी हैं और उनमें कितनी राशियों का निवेश किया गया है; और

(ग) लघु औद्योगिक क्षेत्र को विगत तीन वर्षों में औसतन कितना घाटा हुआ है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) मार्च, 2005 के अंत तक देश में कार्यरत लघु उद्योगों (एस एस आई) (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) की कुल अनन्तिम आंकलित संख्या 118.59 लाख है, जिनका नियत निवेश 178920 करोड़ रुपये का है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) जो कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्त पोषित रुग्ण लघु उद्योगों के संबंध में डाटा का संकलन करता है, के अनुसार मार्च, 2003 (नवीनतम उपलब्ध) के अंत तक रुग्ण लघु उद्योग यूनिटों की संख्या 1,67,980 थी तथा इन उद्योगों की ओर बकाया राशि 5,706.35 करोड़ रुपये थी।

(ग) लघु उद्योग सेक्टर के संबंध में औसत वार्षिक घाटे के बारे में डाटा का अनुरक्षण केन्द्रीय तौर पर नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12 पर धार नदी पर सेतु का निर्माण

4901. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के झालवाड़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12 पर धार नदी पर पुल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष लंबित है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने संशोधित आकलन भी प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस पुल के निर्माण के लिए पर्याप्त केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राजस्थान सरकार द्वारा अप्रैल, 2002 में जयपुर-जबलपुर सड़क पर रा.रा. 12 के 376 किलोमीटर पर धार नदी पर पुल बनाने के लिए 1200.08 लाख रुपए की धनराशि के संशोधित अनुमान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव की संवीक्षा/जांच करने के बाद राजस्थान सरकार ने अनुमान को संशोधित करके 1291.70 लाख रुपए कर दिया है और इसे फरवरी, 2005 में प्रस्तुत किया गया था।

(ग) और (घ) इस समय संशोधित अनुमान की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा नियत नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यों की प्रगति

4902. **श्री बापू हरी चौरे:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा महाराष्ट्र भर में आज तक किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु कोई नई नीति तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I और II के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना की दिनांक 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार स्थिति इस प्रकार है:-

क्र.सं.	परियोजना	कुल लंबाई (कि.मी.)	पूर्ण	कार्यान्वयनाधीन	सौंपने हेतु शेष
1.	स्वर्णिम चतुर्भुज	489	456	33	–
2.	उत्तर-दक्षिण महामार्ग	276	35	29	212
3.	अन्य परियोजना	17.4	17.4	–	–
4.	पत्तन संपर्क	44	–	44	–

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की 959 कि.मी. लंबाई को चार लेन का बनाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है जिसमें से 30 कि.मी. में सिविल कार्य ठेका चल रहा है और 118 कि.मी. लंबाई के लिए सिविल कार्य हेतु स्वीकृति पत्र एजेंसी को जारी कर दिया गया है।

[अनुवाद]

आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को केवीआईसी का ऋण

4903. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:** क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को विगत पांच वर्षों में प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में उपलब्ध कराए गए ऋणों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में किसी अनियमितता का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दोषी अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) केन्द्र सरकार ने ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) उद्यमियों को ऋण प्रदान नहीं करते परंतु केन्द्र सरकार के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के तहत ग्रामीण उद्योग इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्यमियों को मार्जिन मनी सहायता देते हैं। आरईजीपी के तहत, केवीआईसी ने मार्जिन मनी (अनुदान) सहायता के साथ बैंक उद्यमियों को ऋण प्रदान करते हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान (नवीनतम आंकड़े 2003-04 तक उपलब्ध हैं) आरईजीपी के तहत कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को दिए जाने वाले ऋणों की अनुमानित राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) लाभार्थियों को आरईजीपी के तहत मार्जिन मनी के जारी करने में विलंब या आयोग्य इकाइयों को मार्जिन मनी जारी करने के संबंध में अनियमितताएं देखी गई हैं। बैंकों, राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों और केवीआईसी के संबंधित अपचारी अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

(ङ) मार्जिन मनी को जल्दी जारी करने और केवल योग्य इकाइयों को जारी करना सुनिश्चित करने के लिए केवीआईसी द्वारा अपने राज्य निदेशकों को निर्देश जारी किए गए हैं।

विवरण

आरईजीपी के तहत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋण की अनुमानित राशि

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	6.96	22.05	11.58	35.94	9.21
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.03	0.83	0.06	1.68	0.59
3.	असम	0.24	0.48	0.32	7.23	3.07
4.	बिहार	0.63	0.64	0.54	2.55	0.76
5.	गोवा	1.23	3.46	7.00	6.21	0.73
6.	गुजरात	0.57	1.47	1.21	1.20	3.40
7.	हरियाणा	1.35	8.54	7.42	19.23	11.59
8.	हिमाचल प्रदेश	0.18	1.02	8.64	11.25	3.93
9.	जम्मू-कश्मीर	8.46	10.18	11.48	1.23	3.37
10.	कर्नाटक	14.70	12.70	19.07	32.28	14.13
11.	केरल	6.54	6.59	20.92	30.15	23.07
12.	मध्य प्रदेश	20.10	33.12	15.26	15.69	8.70
13.	महाराष्ट्र	11.49	26.18	37.31	45.78	9.15
14.	मणिपुर	0.15	1.50	0.16	3.42	0.44
15.	मेघालय	8.16	2.59	2.30	3.75	2.10
16.	मिजोरम	0.60	1.25	0.120	9.39	0.24
17.	नागालैंड	1.05	16.96	2.36	2.34	0.86
18.	उड़ीसा	1.02	0.83	8.99	7.65	8.26
19.	पंजाब	9.00	13.24	16.25	28.32	5.96
20.	राजस्थान	37.35	15.39	38.52	28.35	31.28
21.	सिक्किम	0.00	0.03	0.00	0.12	0.65
22.	तमिलनाडु	3.60	6.72	8.70	17.52	11.94
23.	त्रिपुरा	0.00	0.09	0.35	1.62	0.69

1	2	3	4	5	6	7
24.	उत्तर प्रदेश	2.22	31.90	27.10	36.66	24.92
25.	पश्चिम बंगाल	21.57	3.29	42.08	17.73	17.84
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.09	0.09	0.73	2.01	0.28
27.	चंडीगढ़	0.06	0.00	1.72	0.00	0.02
28.	दादर नगर हवेली	0.00	0.03	0.03	0.18	0.00
29.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दिल्ली	0.12	0.16	0.44	0.06	0.02
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03
32.	पांडिचेरी	0.03	0.25	0.09	0.00	0.25
33.	झारखंड	0.00	0.03	2.78	3.27	3.57
34.	छत्तीसगढ़	0.00	0.32	2.01	7.35	5.22
35.	उत्तरांचल	0.00	0.19	3.93	7.29	12.04
	कुल	157.50	222.12	299.50	387.45	218.32

स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा अधिनियम का अधिनियमन

4904. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा अधिनियम अधिनियमित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सरकार स्वास्थ्य विज्ञान शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश, फीस आदि के विनियमन के बारे में एक विधान बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। पणधारियों के परामर्श से ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

कैंसर अस्पताल खोलना

4905. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र और गुजरात में कैंसर अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर कब तक अनुमोदन दिए जाने की संभावना है;

(ग) इस संबंध में कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत और कैंसर अस्पताल खोलने की कोई योजना नहीं है। तथापि, सरकारी अस्पताल/मेडिकल कालेजों में आंकोलाजी विंग की स्थापना करने के लिए सहायता दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने दो कैंसर अस्पतालों नामत: टाटा मेमोरियल हास्पिटल, मुम्बई तथा आरएसटी कैंसर अस्पताल, नागपुर को महाराष्ट्र राज्य के लिए तथा गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद को गुजरात राज्य के लिए क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के रूप में पहले ही मान्यता दे दी है।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि का दुरूपयोग

4906. **श्री वी.के. ठुम्मर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के गैर-सरकारी संगठन एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त सरकारी धनराशि का दुरूपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं। गुजरात राज्य में एचआईवी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए गैर-सरकारी संगठनों को धन प्रदाता गुजरात राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार, गुजरात में किसी भी गैर-सरकारी संगठन द्वारा धन के दुरूपयोग संबंधी किसी भी मामले की सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मीडिया लैब एशिया का पुनर्गठन

4907. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मीडिया लैब एशिया के एक वर्षीय प्रयोगात्मक चरण को अनुमोदित किया गया था, जो 1 जनवरी, 2002 से शुरू होकर 31 दिसम्बर, 2002 तक था;

(ख) यदि हां, तो क्या मीडिया लैब एशिया के पुनर्गठन का कार्य जुलाई, 2003 तक होने के कारण मीडिया लैब एशिया परियोजना में कोई धनराशि व्यय नहीं की गई;

(ग) यदि हां, तो क्या 2003 में पुनर्गठित तकनीकी सलाहकार बोर्ड (टीएबी) ने चार मुख्य क्षेत्रों का चयन किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को इन क्षेत्रों में कार्यशालाओं के आयोजन से क्या अनुभव प्राप्त हुआ और विभाग ने धनराशि के समय पर उपयोग करने के लिए नई परियोजनाएं शुरू करने हेतु क्या रणनीति तैयार की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) मीडिया लैब एशिया को आरम्भत: सितम्बर, 2001 से एक वर्ष के अन्वेषणात्मक चरण के लिए अनुमोदित किया गया था।

(ख) मीडिया लैब एशिया का पुनर्गठन मई 2003 से प्रभावी हुआ। पुनर्गठन के एक भाग के रूप में, सभी कर्मचारियों की सेवाएं दिनांक 30.4.2003 से समाप्त कर दी गई तथा संचरण की प्रक्रिया के संचालन के लिए और दैनिक कार्यों का प्रबंध करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और इसकी संस्थाओं के कुछ अधिकारियों की मीडिया लैब एशिया में अतिरिक्त प्रभार पर तैनाती की गई। मीडिया लैब एशिया द्वारा समर्थित सभी अनुसंधान परियोजनाएं पुनर्गठन अवधि के दौरान जारी रही तथा इन परियोजनाओं के लिए आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध कराई गई। मीडिया लैब एशिया के पास पहले से उपलब्ध धनराशि का प्रयोग इस प्रयोजन से किया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) मीडिया लैब एशिया के तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा चुने गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में (1) स्वास्थ्य की देखभाल; (2) शिक्षा, तथा (3) विकलांगों को सशक्त बनाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के अनुप्रयोग शामिल हैं, तथा अनुसंधान के क्षेत्र में बेतार सम्पर्क शामिल है।

(ङ) इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयोजित कार्यशालाओं की संस्तुतियों के आधार पर मीडिया लैब एशिया ने विशिष्ट परियोजनाओं का चयन किया है तथा शुरू की गई इन परियोजनाओं पर अपेक्षित धनराशि का इस्तेमाल किया जाएगा।

[हिन्दी]

'गगन' को चालू करना

4908. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'गगन' नामक उपग्रह आधारित उन्नत प्रणाली को चालू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रणाली को विकसित करने से देश को क्या लाभ मिलेंगे; और

(घ) यह प्रणाली कब तक कार्य करना शुरू कर देगी?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.आई.ए.) के सहयोग से भारतीय वायुआकाश पर उपग्रह आधारित नौपरिवहन की शुरूआत के लिए सम्पूर्ण नीति के भाग के रूप में 'गगन' नामक उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली शुरू की है।

(ग) और (घ) गगन प्रणाली भारतीय वायुआकाश पर वायुयानों के लिए अधिक परिशुद्ध नौपरिवहन संबंधी आंकड़े प्रदान करेगी। यह प्रणाली 2007 के प्रारंभ में परीक्षण के लिए तैयार होगी।

सी.जी.एच.एस. में रिक्त पद

4909. श्री कैलाश मेघवाल:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों का अर्हता शर्तों सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के अंतर्गत वर्षवार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और व्यय की गई;

(ग) इस योजना के अंतर्गत इस समय कार्यरत केन्द्रों/औषधालयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या और अधिक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सी.जी.एच.एस. औषधालयों में विभिन्न श्रेणियों में कुल कितने पद रिक्त हैं;

(छ) सरकार ने इन पदों को भरने के लिए क्या नीति अपनाई है; और

(ज) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सूचना विवरण-I में दी गई है।

(ख) सूचना विवरण-II में दी गई है।

(ग) सूचना विवरण-III में दी गई है।

(घ) और (ङ) ऐसे स्थानों जहां पर दसवीं पंचवर्षीय योजना में 2004-2005 के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोले जाना प्रस्तावित है, को दर्शाने वाला विवरण-IV संलग्न है। तथापि, संसाधनों और कार्मिक शक्ति की कमी की वजह से, वर्तमान में नए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलना संभव नहीं होगा।

(च) सूचना संलग्न विवरण-V में दी गई है।

(छ) और (ज) रिक्तियां प्रोन्नति, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति आदि के कारण होती रहती हैं जोकि एक सतत प्रक्रिया है और अन्य प्रशासनिक औपचारिताएं पूरी होने के पश्चात् रिक्तियों को भरने के प्रयास किए जाते हैं।

विवरण I

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाओं के लिए निम्नलिखित लोग पात्र हैं:-

(क) सीजीएचएस कवर्ड शहरों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी।

(ख) सीजीएचएस क्षेत्रों में रहने वाले कर्मचारियों सहित उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

(ग) उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा सभी उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश।

(घ) स्वतंत्रता सेनानी।

(ङ) संसद सदस्य तथा पूर्व संसद सदस्य।

(च) कुछ अर्ध सरकारी संगठनों/स्वायत्तशायी निकायों के कर्मचारी (केवल औषधालय स्तर तक)।

(छ) मान्यताप्राप्त पत्रकार।

(ज) भूतपूर्व राज्यपाल तथा भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति।

विवरण II

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के संबंध में व्यय

(रुपए हजार में)

विवरण	बजट अनुमान वर्ष 2002-2003			संशोधित अनुमान वर्ष 2002-2003			वास्तविक वर्ष 2002-2003		
	योजनागत	योजनेतर	कुल	योजनागत	योजनेतर	कुल	योजनागत	योजनेतर	कुल
वेतन	50025	1356800	1406825	36945	1242100	1279045	46456	1139961	1186417
आपूर्ति एवं सामग्री	48250	1185000	1233250	54400	1565000	1619400	68705	1782537	1851242
व्यावसायिक सेवाएं	12800	490000	502800	18500	738600	757100	25903	793300	819203
कुल सीजीएचएस	120000	3150000	3270000	141300	3650000	3791300	184203	3817325	4001528

विवरण	बजट अनुमान वर्ष 2003-2004			संशोधित अनुमान वर्ष 2003-2004			वास्तविक 2003-2004		
	योजनागत	योजनेतर	कुल	योजनागत	योजनेतर	कुल	योजनागत	योजनेतर	कुल
अन्य	8925	118200	127125	70300	1377800	1448100	70669	1314978	1385647
आपूर्ति एवं सामग्री	60000	1265000	1325000	60000	1765000	1825000	100257	2108035	2208292
व्यावसायिक सेवाएं	19700	618600	638300	19700	1278600	1298300	54275	1323533	1377808
कुल सीजीएचएस	88625	2001800	2090425	150000	4421400	4571400	225201	4746546	4971747

विवरण	बजट अनुमान वर्ष 2004-2005			संशोधित अनुमान वर्ष 2004-2005			वास्तविक 2004-2005		
	योजनागत	योजनेतर	कुल	योजनागत	योजनेतर	कुल	योजनागत	योजनेतर	कुल
अन्य	79860	1401400	1481260	154860	1481400	1636260	105630	1451986	1557616
आपूर्ति एवं सामग्री	67440	1000000	1067440	67440	1500000	1567440	83702	1598140	1681842
व्यावसायिक सेवाएं	17700	2518600	2536300	17700	2500000	2517700	18035	19784	37819
सी.पी.ए.ओ.	0	2500000	2500000	0	2500000	2500000	0	2493620	2493620
कुल	165000	7420000	7585000	240000	7981400	6585140	207367	5563530	5770897

विवरण III

पद्धति-वार मौजूदा औषधालय (31.03.2004 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	शहर का नाम	शुरू होने की तारीख	एलो.	आयु.	होम्यो.	यूनानी	सिद्ध	योग	कुल	पोली क्लीनिक	सीजीएचएस प्रयोगशाला	डेन्टल इकाई	कार्डों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1.	अहमदाबाद	अप्रैल, 1979	5	1	1	-	-	-	7	-	1	1	6672	23524
2.	इलाहाबाद	मार्च, 1969	7	1	1	-	-	-	9	1	1	1	17794	83665
3.	बंगलौर	फरवरी, 1976	10	2	1	1	-	-	14	1	2	1	61409	236440
4.	भोपाल	फरवरी, 2002	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2627	9709
5.	भुवनेश्वर	अगस्त, 1988	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2147	10076
6.	चंडीगढ़	फरवरी, 2002	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7762	34364
7.	चैन्नई	मार्च, 1975	14	1	1	-	1	-	17	2	2	1	48156	169523
8.	देहरादून	फरवरी, 2004	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
9.	दिल्ली	जुलाई, 1954	87	13	13	5	2	4	124	4	31	3	472264	2052384
10.	गुवाहाटी	अप्रैल, 1995	3	1	1	-	-	-	5	-	-	-	9243	39375
11.	हैदराबाद	फरवरी, 1976	14	2	2	2	-	-	20	2	2	1	90262	396826
12.	जबलपुर	अक्तूबर, 1991	3	-	-	-	-	-	3	-	1	-	19534	89287
13.	जयपुर	जुलाई, 1978	5	1	1	-	-	-	7	1	2	1	24504	112356
14.	कानपुर	जुलाई, 1972	9	1	2	-	-	-	12	1	3	1	27439	141619
15.	कोलकाता	अगस्त, 1972	17	1	2	1	-	-	21	1	4	-	58152	185936
16.	लखनऊ	मार्च, 1979	6	1	1	1	-	-	9	1	2	1	20982	112348
17.	मेरठ	जुलाई, 1971	6	1	1	-	-	-	8	-	1	1	13626	67046
18.	मुम्बई	नवम्बर, 1963	28	2	4	-	-	-	34	2	7	2	91379	349166
19.	नागपुर	अक्तूबर, 1973	10	2	1	-	-	-	13	1	1	1	21274	82031
20.	पटना	नवम्बर, 1976	5	1	1	-	-	-	7	1	3	1	13679	75058
21.	पुणे	जुलाई, 1978	7	1	2	-	-	-	10	1	2	1	46531	249502
22.	रांची	अक्तूबर, 1992	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2789	11170
23.	शिलांग	फरवरी, 2002	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1771	6872
24.	त्रिवेन्द्रम	अप्रैल, 1995	3	1	1	-	-	-	5	-	-	-	6155	20517
		कुल	247	33	36	10	3	4	333	19	65	17	1066251	4558794

विवरण IV

ऐसे शहरों को दर्शाने वाला विवरण जहां पर वर्ष 2004-05 के दौरान नए सी.जी.एच.एस. औषधालय खोले जाने प्रस्तावित हैं

क. एलोपैथिक औषधालय

1. वाराणसी
2. विजयवाडा
3. जमशेदपुर
4. औरंगाबाद
5. दिल्ली (विकासपुरी)
6. कोलकाता (इचापुर)
7. पुणे (वानोरी रंगे)
8. लखनऊ (गोमती नगर)

ख. आयुर्वेदिक यूनिटें

1. दिल्ली (नोएडा)
2. कोलकाता
3. मुम्बई

ग. होम्यो. यूनिटें

1. दिल्ली (नोएडा)
2. कोलकाता
3. इलाहाबाद

घ. सिद्ध यूनिटें

1. चैन्नई

ङ. पोली-क्लीनिक

1. अहमदाबाद

विवरण V

सी.जी.एच.एस. के अधीन पदों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में रिक्ति स्थिति दर्शाने वाला विवरण

श्रेणी	स्वीकृत संख्या	भरे गए पद	रिक्त पद
क	1762	1486	276
ख	28	20	08
ग	3026	2601	425
घ	2966	2555	411

दिनांक 26.04.2005 की स्थिति के अनुसार विभिन्न सीजीएचएस यूनिटों में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी

क्र.सं.	यूनिट का नाम	स्वीकृत	भरे गए	रिक्त	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	सीजीएचएस, इलाहाबाद	42	38	04	
2.	सीजीएचएस, अहमदाबाद	17	11	06	
3.	सीजीएचएस, बंगलौर	56	52	04	
4.	सीजीएचएस, भुवनेश्वर	06	06	-	
5.	सीजीएचएस, भोपाल	03	03	-	
6.	सीजीएचएस, चंडीगढ़	05	03	02	
7.	सीजीएचएस, चेन्नई	67	61	06	सीएचएस I द्वारा 2 पेश किए गए
8.	सीजीएचएस, देहरादून	02	-	02	

1	2	3	4	5	6
9.	सीजीएचएस, गुवाहाटी	11	11	–	
10.	सीजीएचएस, हैदराबाद	67	59	08	
11.	सीजीएचएस, जबलपुर	09	09	–	
12.	सीजीएचएस, जयपुर	24	24	–	
13.	सीजीएचएस, कोलकाता	83	82	01	
14.	सीजीएचएस, कानपुर	50	42	08	सी एच एस I द्वारा 1 पेश किया गया
15.	सीजीएचएस, लखनऊ	31	28	03	
16.	सीजीएचएस, मेरठ	29	27	02	
17.	सीजीएचएस, मुम्बई	110	89	21	सी एच एस I द्वारा 1 पेश किया गया
18.	सीजीएचएस, नागपुर	43	38	05	
19.	सीजीएचएस, पटना	24	23	01	
20.	सीजीएचएस, पुणे	34	32	02	सी एच एस I द्वारा 1 पेश किया गया
21.	सीजीएचएस, रांची	06	06	–	
22.	सीजीएचएस, त्रिवेन्द्रम	10	06	04	
23.	सीजीएचएस, शिलांग	03	03	02	(अधिक)
24.	सीजीएचएस, भुवनेश्वर एक्सटेंशन काउंटर	02	02	–	
25.	सीजीएचएस, रांची एक्सटेंशन काउंटर	02	02	–	
26.	सीजीएचएस, दिल्ली	668	572	96	30 डाक्टरों के स्थानांतरण आदेश/नियुक्ति पेशकश जारी किए गए
	कुल	1404	1229	177	

सी.जी.एच.एस. औषधालयों में सी.एच.एस. के जी.डी.एम.ओ. उप-संवर्ग में एस.ए.जी. अधिकारियों की रिक्ति स्थिति

क्र.सं.	यूनिट	एस	एफ	वी
1	2	3	4	5
1.	सीजीएचएस, दिल्ली	24	14	10
2.	सीजीएचएस, इलाहाबाद	01	–	01
3.	सीजीएचएस, बंगलौर	01	01	–
4.	सीजीएचएस, कानपुर	01	–	01

1	2	3	4	5
5.	सीजीएचएस, लखनऊ	01	–	01
6.	सीजीएचएस, मेरठ	01	–	01
7.	सीजीएचएस, नागपुर	01	–	01
8.	सीजीएचएस, जयपुर	01	01	–
9.	सीजीएचएस, पुणे	01	–	01
10.	सीजीएचएस, पटना	01	01	–
11.	सीजीएचएस, मुम्बई	05	02	03
12.	सीजीएचएस, शिलांग	01	01	–
13.	सीजीएचएस, कोलकाता	06	01	05
14.	सीजीएचएस, हैदराबाद	03	03	–
15.	सीजीएचएस, चैन्नई	03	01	02
16.	सीजीएचएस, चंडीगढ़	01	–	01
17.	सीजीएचएस, भोपाल	01	–	01
18.	सीजीएचएस, अहमदाबाद	01	–	01

रिक्ति स्थिति

आयुर्वेद चिकित्सक

क्र.सं.	सीजीएचएस शहर	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1	2	3	4	5
1.	सीजीएचएस, चेन्नई	2	1	1
2.	सीजीएचएस, जयपुर	2	1	1
3.	सीजीएचएस, कानपुर	2	1	1
4.	सीजीएचएस, लखनऊ	2	1	1
5.	सीजीएचएस, दिल्ली	39	31	8
	कुल	47	35	12

होम्योपैथी चिकित्सक

1.	सीजीएचएस, बंगलौर	2	1	1
2.	सीजीएचएस, चेन्नई	2	1	1
3.	सीजीएचएस, कानपुर	4	3	1
4.	सीजीएचएस, नागपुर	2	1	1
5.	सीजीएचएस, दिल्ली	28	25	3
	कुल	38	31	7

यूनानी चिकित्सक

1.	सीजीएचएस, बंगलौर	1	1	-
2.	सीजीएचएस, हैदराबाद	4	3	1
3.	सीजीएचएस, कोलकाता	2	1	1
4.	सीजीएचएस, लखनऊ	2	1	1
5.	सीजीएचएस, दिल्ली	10	10	-
	कुल	19	16	3

दिनांक 26.04.2005 की स्थिति के अनुसार सीजीएचएस यूनिटों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यायनेतर विशेषज्ञ उप-संवर्ग में पद-भार स्थिति

क्र.सं.	यूनिट का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या (नियमित)	भरे गए पदों की संख्या (तदर्थ)	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली	96	83	00	13
2.	पटना	08	01	00	07
3.	चेन्नई	14	08	00	06
(आदेश संख्या ए. 35014/3/2004-सी एच एस V के तहत पांडिचेरी सरकार से डा. पी. सुजाता को तीन वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर विशेषज्ञ ग्रेड-II (ओ एंड जी) नियुक्ति किया गया है)					
4.	लखनऊ	10	09	00	01
5.	जयपुर	08	07	00	01
6.	हैदराबाद	11	07	00	04
7.	कोलकाता	08	03	00	05

1	2	3	4	5	6
8.	बंगलौर	08	05	00	03
(डा. एस. सुन्दर राजन, जूनियर स्टाफ सर्जन को अध्यापनेतर विशेषज्ञ उपसंवर्ग में विशेषज्ञ के पद के स्थान पर समायोजित किया गया है)					
9.	नागपुर	08	05	00	03
10.	मुम्बई	11	08	00	03
11.	इलाहाबाद	08	06	00	02
12.	पुणे	05	04	00	01
13.	कानपुर	04	03	00	01
14.	मेरठ	01	00	00	01
15.	अहमदाबाद	02	01	00	01
	कुल	202	150	00	52

26.04.2005 की स्थिति के अनुसार

पदनाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	खाली पद
प्रशासनिक अधिकारी	14	12	2
लेखा अधिकारी	2	2	–
सहायक डिपो प्रबंधक	3	3	–
फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड-1	2	2	–
हिन्दी अधिकारी	1	1	–
भंडार अधिकारी (आयुर्वेदिक)	1	–	1
वरिष्ठ रिफ्रेकसिनिस्ट	2	–	2
सम्पर्क अधिकारी	1	–	1
भंडार अधिकारी (एलोपैथिक)	1	–	1
भंडार अधिकारी (होम्यो)	1	–	1
कुल	28	20	8

सभी सीजीएचएस यूनिटों में समूह 'ग' स्टाफ के स्वीकृत पदों/नए पदों/रिक्त पदों का ब्यौरा

क्र.सं.	यूनिट का नाम	स्वीकृत संख्या	भरे हुए पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	43	42	1
2.	इलाहाबाद	88	75	13

1	2	3	4	5
3.	बंगलोर	120	104	16
4.	भुवनेश्वर	10	10	0
5.	चेन्नई	155	146	9
6.	गुवाहाटी	24	24	0
7.	हैदराबाद	160	152	8
8.	जबलपुर	27	26	1
9.	जयपुर	68	59	9
10.	कानपुर	107	88	19
11.	कोलकाता	173	154	19
12.	लखनऊ	68	64	4
13.	मेरठ	70	60	10
14.	मुम्बई	312	263	49
15.	नागपुर	96	80	16
16.	पटना	60	58	2
17.	पुणे	83	80	3
18.	रांची	10	10	0
19.	त्रिवेन्द्रम	24	23	1
	दिल्ली के बाहर कुल	1698	1518	180
20.	दिल्ली	1328	1083	245
	महा योग	3026	2601	425

सभी सीजीएचएस यूनिटों में समूह 'घ' स्टाफ के स्वीकृत पदों/नए पदों/रिक्त पदों का ब्यौरा

क्र.सं.	यूनिट का नाम	स्वीकृत संख्या	भरे हुए पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	40	37	3
2.	इलाहाबाद	76	65	11
3.	बंगलोर	122	105	17
4.	भुवनेश्वर	9	9	0

1	2	3	4	5
5.	चेन्नई	150	141	9
6.	गुवाहाटी	25	25	0
7.	हैदराबाद	156	148	8
8.	जबलपुर	26	25	1
9.	जयपुर	60	53	7
10.	कानपुर	105	84	21
11.	कोलकाता	176	159	17
12.	लखनऊ	66	57	9
13.	मेरठ	66	57	9
14.	मुम्बई	271	230	41
15.	नागपुर	84	75	9
16.	पटना	59	57	2
17.	पुणे	72	67	5
18.	रांची	10	10	0
19.	त्रिवेन्द्रम	25	19	6
	दिल्ली के बाहर कुल	1598	1423	175
20.	दिल्ली	1368	1132	236
	महा योग	2966	2555	411

[अनुवाद]

ओ.बी.सी. कर्मचारियों का कल्याण

4910. डा. के. धनराजू: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आरक्षण प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी के साथ-साथ ओ.बी.सी. कर्मचारियों की शिकायतों के निस्तारण के लिए ओ.बी.सी. कर्मचारी कल्याण संगठनों के साथ आवधिक रूप से बैठक करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी बैठकें हुई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सी.एस.आई.आर., मद्रास काम्प्लेक्स और एस.ई.आर.सी. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण संघों से भी इस बारे में ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने आवधिक रूप से बैठकें करने के लिए कौन-कौन से कदमों का प्रस्ताव किया है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली, 1993 के अंतर्गत जाति, समुदाय, धर्म आदि के आधार पर गठित कर्मचारी-संघों को मान्यता प्रदान नहीं की जाती है।

(घ) और (ङ) इस बारे में सूचना का पता लगाया जा रहा है।

(च) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता

4911. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय दानदाता एजेंसियों ने भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी दाता एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता का विवरण क्या है;

(ग) क्या पोलियो पर भारतीय विशेषज्ञ परामर्श दल (आई.ई.ए.जी.) ने भारत में पोलियो की स्थिति की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो देश में पोलियो मुक्त राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पोलियो मुक्त राज्यों में देश के महामारी वाले राज्यों से पोलियो विषाणु से पुनः ग्रस्त होने का खतरा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या घटिया रूटीन रोग प्रतिरक्षण कवरेज के कारण पोलियो में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ज) यदि हां, तो आई.ई.ए.जी. द्वारा इस बारे में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(झ) इन सिफारिशों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। भारत में पल्स-पोलियो कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने सहायता प्रदान की है। अंतर्राष्ट्रीय दानदाता एजेंसियों तथा उनसे प्राप्त बाह्य सहायता का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) पल्स पोलियो कार्यक्रम तथा देश में पोलियो की स्थिति की समीक्षा अंतिम बार 12वीं इंडिया एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की बैठक में दिनांक 2 दिसम्बर, 2004 को की गई थी।

(घ) वर्ष 2005 में अब तक पोलियो के 14 मामलों की सूचना है जिसमें से 7 मामले बिहार से, 4 उत्तर प्रदेश से तथा दिल्ली, झारखंड और उत्तरांचल प्रत्येक से एक-एक मामले हैं।

(ङ) और (च) जिन क्षेत्रों से पोलियो के मामलों की सूचना नहीं मिल रही है, उन क्षेत्रों में पोलियोग्रस्त क्षेत्रों से पोलियो के विषाणुओं के पुनः पनपने का जोखिम सदैव बना रहता है। वर्ष 2003-04 में दक्षिण भारत के पोलियो मुक्त क्षेत्रों में पोलियो के मामले पुनः प्रकाश में आए थे।

(छ) पोलियो के मामलों में वृद्धि अधिकाधिक क्षेत्रों में पोलियो-प्रतिरक्षण कार्यों की दयनीय स्थिति के कारण नहीं हो रही है। वस्तुतः पल्स-पोलियो कार्यों की अति अधिकता के कारण पिछले वर्षों में पोलियो के मामलों में कमी आई है। वर्ष 2002, 2003 और 2004 में पोलियो के मामलों की संख्या क्रमशः 1600, 225 और 136 थी।

(ज) 12वें इंडिया एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने वर्ष 2005 में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सब-नेशनल इम्यूनाइजेशन के 6 दौर तथा देशव्यापी 2 दौर के आयोजन/अभियान की उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के अति जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में एक संयोजक ओपीवी के शुरूआत की अनुशंसा की थी।

(झ) जनवरी और फरवरी, 2005 में अति जोखिमपूर्ण जिलों में इम्यूनाइजेशन के दो दौरों (कार्यक्रम) का आयोजन तथा अप्रैल, 2005 में राष्ट्र स्तर के एक दौर का आयोजन किया गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के कुछ भागों में एक संयोजक ओपीवी भी उपलब्ध कराया गया है।

विवरण

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा प्रतिरक्षण कार्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण से जुड़ी परियोजना के लिए प्राप्त बाह्य सहायता का विवरण

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान से जुड़ी परियोजना के लिए प्राप्त बाह्य सहायता का विवरण

(रुपए करोड़)

एजेंसी	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	कुल
विश्व बैंक	0.00	22.89	180.32	123.13	258.47	151.05	132.52	296.36	1164.74
ईसी	0.00	74.46	86.57	0.00	110.81	156.32	103.49	380.27	911.91
डीएफआईडी	74.90	78.00	136.59	143.96	136.76	148.71	185.00	168.00	1071.96
केएफडब्ल्यू	0.00	97.00	61.64	0.00	0.00	50.00	42.00	-	250.64
यूनिसेफ	73.00	70.00	30.00	39.00	57.29	124.74	151.91	96.31	642.07
कुल	147.90	342.35	495.12	306.09	563.33	630.85	614.92	940.76	4041.32

प्रतिरक्षण कार्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण से जुड़ी परियोजना के तहत पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान के लिए बाह्य सहायता

एजेंसी	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	कुल
विश्व बैंक	0.00	0.00	0.00	119.88	112.77	169.91	379.76	443.95	1226.27
कुल सहायता (ए)+(बी)	147.90	342.35	495.12	425.97	676.10	800.76	994.68	1384.71	5367.59

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में टावर स्थापित करना

4912. **श्री मुनव्वर हसनः** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में दूर-संचार सेवाएं उपलब्ध कराने और सुचारू सेल्युलर दूरभाष सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए कितने टावर स्थापित किए गए हैं;

(ख) ऐसे और कितने टावर मंजूर किए गए हैं और इनसे इन दोनों राज्यों में कितनी जनसंख्या तक सुविधाएं पहुंचेंगी;

(ग) जिन स्थानों पर लैंड लाइन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, वहां पर एमसीपीसी के माध्यम से कब तक दूरभाष सेवाएं उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है और राज्य की कितनी जनसंख्या को दूर संचार सेवाएं उपलब्ध होंगीं; और

(घ) शेष जनसंख्या को दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों में मोबाइल सेवाओं सहित दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए 1509 टावर स्थापित किए हैं तथा निगम का दोनों राज्यों में सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए 1444 और टावर संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) बीएसएनएल ने दोनों राज्यों में एमसीपीसी के माध्यम से दूरसंचार सुविधा प्रदान करने की कोई योजना नहीं बनाई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा लाइसेंस शर्तों के अनुसार दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता पर निगरानी रखी जाती है किंतु दूरसंचार सेवाओं द्वारा कवर की गई जनसंख्या से संबंधित सूचना नहीं रखी जाती है।

(घ) वर्ष 2005-2006 के दौरान बीएसएनएल ने 28,25,000 मोबाइल कनेक्शन तथा 2,97,000 स्थिर कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है।

लघु उद्योगों का संवर्धन

4913. श्री निखिल कुमार चौधरी:
श्री पारसनाथ यादव:
श्री जोवाकिम बखला:

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को लघु उद्योगों द्वारा झेली जा रही विभिन्न समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए कौन-कौन सी योजनाएं/कार्यक्रम शुरू किए हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों में आवंटित धनराशि का योजना-वार/ कार्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखण्ड की विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी राशि उपलब्ध कराई गई?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। लघु उद्योगों (एस एस आई) द्वारा झेली जा रही समस्याओं में से कुछ समय पर और पर्याप्त क्रेडिट की उपलब्धता न होने, पुरानी प्रौद्योगिकी, लघु उद्योग के उत्पादनों के गैर-लघु उद्योग खरीददारों द्वारा विलम्बित अदायगियां तथा कोयला, स्टील, आदि जैसी कच्ची सामग्रियों की प्रतियोगी मूल्यों पर उपलब्धता न होने से संबंधित हैं।

(ग) ग्रामीण/अति लघु उद्योगों का संवर्धन करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ मुख्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों में स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) शामिल हैं। पी एम आर वाई शहरी क्षेत्रों में भी कार्यान्वित की जाती है, जबकि आर ई जी पी ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ 20,000 तक की जनसंख्या वाले कस्बों में कार्यान्वित की जाती है। लघु उद्योगों के संवर्धन तथा उनके द्वारा ग्रामीण एवं शहरी, दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए योजनाओं में शामिल हैं- लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम, एकीकृत अवसंरचना विकास योजना, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना, आई एस ओ 9000/आई एस ओ 14001 प्रमाणीकरण प्रतिपूर्ति योजना तथा लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम। बड़ी औद्योगिक यूनिटों द्वारा लघु उद्योग यूनिटों को विलम्बित अदायगी की समस्या के निदान के लिए सरकार ने लघु एवं अनुषंगी औद्योगिक उपक्रम अधिनियम, 1993 (1998 में यथा संशोधित) लागू किया है।

(घ) विगत तीन वर्षों में इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) विवरण-I में क्रम संख्या 1 से 5 पर लघु उद्योगों के संवर्धन की योजनाओं के अंतर्गत निधियों का आबंटन योजना-वार किया गया है, न कि राज्य-वार। पी एम आर वाई (क्रम संख्या 3, विवरण-I) के अंतर्गत सब्सिडी के लिए केन्द्रीय निधियां भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के माध्यम से दी जाती हैं, जो तत्पश्चात् इन्हें व्यक्तिगत लाभार्थियों के ऋण खाते में राशियां क्रेडिट करने के लिए कार्यान्वयन बैंकों को भेज देता है। इसलिए, निधियों का राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लक्ष्य की अन्य योजनाओं के लिए चालू वर्ष में बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड राज्यों में निधियों का आबंटन संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	योजना का नाम	आबंटित निधियां		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	567.00	800.00	1000.00
2.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	200.00	281.75	326.00

1	2	3	4	5
3	प्रधानमंत्री रोजगार योजना	169.00	169.00	218.50
4.	लघु उद्योग कलस्टर विकास कार्यक्रम	3.68	7.43	8.52
5.	एकीकृत अवसंरचना विकास योजना	9.00	10.00	15.45
6.	क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी	5.50	3.41	6.33
7.	आई एस ओ 9000/आईएसओ 14001 प्रमाणीकरण प्रतिपूर्ति योजना	8.20	6.38	16.51
8.	लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना	141.61	207.34	196.29

विवरण II

वर्ष 2005-06 के लिए निधियां का आबंटन

(लाख रु.)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	बिहार	उत्तर प्रदेश	झारखंड
1.	स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	12623.79	18173.71	4757.98
2.	ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम	783.13	4807.71	914.21

[अनुवाद]

डाकघरों और दूरभाष केन्द्रों का खोला जाना

4914. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में वर्ष 2005-06 के दौरान और डाकघर, तारघर और दूरभाष केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उड़ीसा में जिलावार कितने डाकघर, तारघर और दूरभाष केन्द्र कार्यरत हैं; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य में नए डाकघर, तारघर और दूरभाष केन्द्र खोलने के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) वर्ष 2005-2006 के दौरान उड़ीसा में डाकघर खोलने के लिए कोई योजना लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। हालांकि, जहां औचित्य सम्मत है वहां मानदण्डों के अनुसार दूरी संबंधी मानदण्डों को पूरा न करने वाले मौजूदा डाकघरों को पुरस्थापित करके डाकघरों की निरन्तर व्यवस्था की जाएगी।

वर्ष 2005-2006 के दौरान उड़ीसा में तारघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, 2005-2006 के दौरान सरकार का उड़ीसा में 8 और टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित एक्सचेंजों का स्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उड़ीसा में कार्यरत डाकघरों का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

उड़ीसा में कार्यरत तारघरों और टेलफोन एक्सचेंजों का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। उड़ीसा सेवा क्षेत्र में निजी प्रचालकों द्वारा किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों का जिला/लंबी दूरी चार्जिंग एरिया-वार (एलडीसीए) ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(घ) चूंकि वर्ष 2005-2006 के दौरान उड़ीसा में डाकघर खोलने के लिए कोई योजना लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं,

इसलिए इस कार्य के लिए कोई योजना निधि भी आवंटित नहीं की गई है। सभी नए डाकघरों मौजूदा कार्यबल की पुनर्तैनाती के माध्यम से खोले जाते हैं तथा इस संबंध में होने वाले व्यय की पूर्ति गैर-योजना से ही की जाती रहेगी।

राज्य में नए तारघर एवं टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के संबंध में वर्ष 2005-2006 के बजट आवंटन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण I

वर्ष 2005-06 के दौरान उड़ीसा में प्रस्तावित एक्सचेंजों का स्थान-वार ब्यौरा

क्र.सं.	एसएसए का नाम	प्रस्तावित एक्सचेंज का नाम
1.	बरहामपुर	महेन्द्रगढ़
2.	बोलनगीर	भारसूजा
3.	कटक	आईओसीएल, पाराद्वीप
4.	क्योंझर	रूगुडी
5.	क्योंझर	सायाबाली
6.	कोरापुट	पोटेरियो
7.	राऊरकेला	हरिहरपुर
8.	सम्बलपुर	देन्वा

विवरण II

उड़ीसा में डाकघरों की जिला-वार संख्या दर्शाती सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	अगुंल	238
2.	बालासोर	502
3.	बाड़गढ़	210
4.	बौध	117
5.	भद्रक	328
6.	बोलनगीर	285
7.	कटक	369
8.	देवगढ़	41
9.	धेनकनाल	232
10.	गजपति	146
11.	गंजम	680
12.	जगतसिंहपुर	239
13.	जाजपुर	304
14.	झारसुगुडा	91
15.	कालाहांडी	306
16.	केन्द्रपाड़ा	270
17.	क्योंझर	444
18.	खुर्दा	295
19.	कोरापुट	250
20.	मलकानगिरि	85
21.	मयूरभंज	710
22.	नवरंगपुर	177
23.	नयागढ़	212
24.	नौपाड़ा	112
25.	फूलबनी	273
26.	पुरी	297
27.	रायगडा	201
28.	संबलपुर	245
29.	सोनपुर	98
30.	सुन्दरगढ़	404
	कुल	8161

विवरण III

उड़ीसा में कार्यरत तारघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों की जिला-वर संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	तारघरों की संख्या	टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3	4
1.	अगुंल	1	39
2.	बालासोर	1	55
3.	बाडगढ़	1	39
4.	मयूरभंज	1	56
5.	भद्रक	1	34
6.	कालाहांडी	1	44
7.	बोलनगीर	1	33
8.	बोध	0	1
9.	गंजम	3	106
10.	कटक	3	61
11.	देवगढ़	1	10
12.	धेनकनाल	1	42
13.	जगतसिंहपुर	1	35
14.	जयपुर	1	43
15.	झारसुगुडा	1	19
16.	केन्द्रपाड़ा	1	30
17.	क्योंझर	1	41
18.	खुर्दा	2	74
19.	कोरापुट	2	45
20.	मलकानगिरि	0	13
21.	नयागढ़	0	20
22.	नौपाड़ा	0	15
23.	नवरंगपुर	0	16
24.	गजपति	1	20
25.	फूलबनी	1	33
26.	पुरी	1	38
27.	रायगडा	1	31
28.	संबलपुर	3	45
29.	सोनपुर	0	18
30.	सुन्दरगढ़	4	67
	कुल	35	1,136

विवरण IV

उड़ीसा सेवा क्षेत्र में निजी आपरेटरों द्वारा उपलब्ध कराए गए टेलीफोन एक्सचेंजों का जिला-वार/लंबी दूरी चार्जिंग क्षेत्र (एलडीसीए) का ब्यौरा

क्र.सं.	जिला/एलडीसीए	टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1.	बालासोर	2
2.	बारीपाडा	1
3.	बरहामपुर	2
4.	भुवनेश्वर (पुरी)	3
5.	कटक	4
6.	धेनकनाल	2
7.	संबलपुर	1

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर पुल बनाने के लिए संशोधित अनुमान

4915. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जयपुर-कोटा-झालवाड़-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-12 पर घाट नदी के ऊपर पुल निर्माण का संशोधित अनुमान सरकार के पास अनुमोदन हेतु लंबित है;

(ख) क्या पुल निर्माण का कार्य पूरा हो गया है और संशोधित अनुमान की मंजूरी के कारण शेष भाग में कार्य अधूरा है;

(ग) यदि हां, तो संशोधित प्राक्कलन को कब तक अनुमोदन मिलने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राजस्थान सरकार द्वारा अप्रैल, 2002 में जयपुर-जबलपुर सड़क पर रा.रा. 12 के 376 किलोमीटर पर घार नदी पर पुल बनाने के लिए 1200.08 लाख रुपए की धनराशि के संशोधित अनुमान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव की संवीक्षा/जांच करने के बाद राजस्थान सरकार ने अनुमोदन को संशोधित करके 1291.70 लाख रुपए कर दिया है और इसे फरवरी, 2005 में प्रस्तुत किया गया था।

(ख) पुल निर्मित हो गया है किन्तु संपर्क मार्गों का निर्माण केवल आंशिक रूप में हुआ है।

(ग) और (घ) इस चरण में संशोधित अनुमान की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा नियत नहीं की जा सकती।

कुष्ठ रोगियों के साथ भेदभाव

4916. श्री हेमलाल मुर्मु: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निप्पान फाउंडेशन के प्रेजीडेंट तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधियों ने भारत में कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के संबंध में भारत के प्रधान मंत्री से भेंट की तथा उनसे अनुरोध किया कि कुष्ठ रोगियों के साथ किये जाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार को दूर किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुष्ठ रोग निवारण के उक्त प्रतिनिधियों से राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों को शहरी क्षेत्र के लिए एक विशेष योजना तैयार करने तथा इस योजना के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए कहा है;

(घ) क्या बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा के 632 औषधालयों में चिकित्सा अधिकारियों की कमी है तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने दो वर्षों के दौरान कुष्ठ रोगियों का इलाज "साप्ताहिक" क्लिनिक के माध्यम से कराने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) और (ङ) बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड राज्यों के कुछ स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारियों की कमी है। इस समस्या से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से कुष्ठ रोग निदान और उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विजिटिंग लेप्रोसी एसिस्टेंट के माध्यम से इन केन्द्रों पर सप्ताह में एक बार लेप्रोसी क्लिनिक (कार्यक्रम) का आयोजन किया जाता है।

[अनुवाद]

पड़ोसी देशों के साथ राजमार्ग तथा रेल सम्पर्क

4917. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पड़ोसी देशों को जोड़ने वाले राजमार्ग तथा रेल मार्गों के साथ-साथ इन मार्गों का जिन पर बातचीत चल रही है आज की स्थिति के अनुसार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में उन पड़ोसी देशों के साथ हस्ताक्षर किये गये समझौतों का देश-वार ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) इस समय, भारत को पड़ोसी देशों के साथ जोड़ने वाले राजमार्ग, सड़क तथा रेल मार्ग और उनके संबंध में पड़ोसी देशों के साथ जारी वार्ताओं और सम्पन्न करारों का देशवार ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:-

नेपाल

भारत और नेपाल के बीच सम्पन्न व्यापार संधि, जिसे पिछली बार मार्च 2002 में संशोधित किया गया था, के अंतर्गत भारत और

नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार हेतु निम्नलिखित सीमा बिन्दु निर्दिष्ट किए गए:

क्र.सं.	भारत में	नेपाल में
1.	सुखिया पोखरी	पशुपति नगर
2.	नक्सलबाड़ी	काकारभित्ता
3.	गलगलिया	भद्रपुर
4.	जोगबनी	बिराटनगर
5.	भीमनगर	सेतुबन्ध
6.	कुनौली	राजबिराज
7.	जयनगर	सिराहा, जनकपुर
8.	भित्तामोरे (सुरसन्द)	जलेश्वर
9.	सेनाबरसा	मलंगवा
10.	बैरगनिया (सुनौली)	भैरहवा
11.	रक्सौल	वीरगंज
12.	नौतनवा (सुनौली)	भैरहवा
13.	हकून्वा	तौलीहवा
14.	बरहनी	कृष्णनगर
15.	जरवा	कोयलाबास
16.	नेपालगंज रोड	नेपाल गंज
17.	कटेरनियाघाट	राजपुर
18.	सती (कैलाली)/तिकोनिया	पृथ्वीपुर
19.	गौरीफन्टा	धान्गधी
20.	वनबासा	महेन्द्रनगर
21.	झूलाघाट (पिथौरागढ़)	महाकाली
22.	धारचूला	धारचूला

2. तीसरे देशों के साथ नेपाल के व्यापार के लिए, पारगमन संधि, जिसे पिछली बार जनवरी, 1999 में संशोधित किया गया था, के अंतर्गत भारत ने नेपाल को कोलकाता/हल्दिया तथा भारत-नेपाल सीमा के बीच कोलकाता/हल्दिया तथा 15 विशिष्ट पारगमन मार्गों पर बन्दरगाह की सुविधाएं प्रदान की थीं। इन पारगमन मार्गों की सूची नीचे दिए अनुसार है:

1.	कोलकाता/हल्दिया	सुखिया पोखरी
2.	कोलकाता/हल्दिया	नक्सलबाडी (पानीटान्की)
3.	कोलकाता/हल्दिया	गलगलिया
4.	कोलकाता/हल्दिया	जोगबनी
5.	कोलकाता/हल्दिया	भीमनगर
6.	कोलकाता/हल्दिया	जयनगर
7.	कोलकाता/हल्दिया	भीतामोरे (सीतामढ़ी)
8.	कोलकाता/हल्दिया	रक्सौल
9.	कोलकाता/हल्दिया	नौतनवा (सनौली)
10.	कोलकाता/हल्दिया	बरहनी
11.	कोलकाता/हल्दिया	जरवा
12.	कोलकाता/हल्दिया	नेपालगंज रोड
13.	कोलकाता/हल्दिया	तिकोनिया
14.	कोलकाता/हल्दिया	गौरी फन्टा
15.	कोलकाता/हल्दिया	बन्बासा

3. निम्नलिखित परियोजनाएं इस समय विचारार्थ हैं:-

भारतीय पक्ष की सीमा पर नेपाल के महत्वपूर्ण सड़क संपर्कों का विकास। चरण-एक में निम्नलिखित क्षेत्र में कार्य होगा:-

पुर्णिया-अररिया-जोगबनी (84 कि.मी.)

गोरखपुर-सुनौली (90 कि.मी.)

नेपालगंज रोड-नानपरा-बहराइच (70 कि.मी.); और

रक्सौल-मोतीहारी (50 कि.मी.)

इस मार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार है। कार्यान्वयन के लिए संगत प्राधिकारी का अनुमोदन लिया जाना है।

4. भारत-नेपाल सीमा और नेपाल में पूर्व-पश्चिम राजमार्ग के बीच पड़ने वाले विभिन्न शहरों और कस्बों को राजमार्ग से जोड़ने वाले संपर्क मार्गों का निर्माण।

इस परियोजना को तीन चरणों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है और सरकार चरण-एक के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक परामर्शदाता को नियुक्त करने की प्रक्रिया में है।

5. भारत और नेपाल के प्रमुख सीमावर्ती शहरों के बीच ब्राड गाजिंग रेल संपर्कों की स्थापना। इसमें शामिल होगा-

कटिहार-जोगबनी एम जी लाईन का बी जी में परिवर्तन (पूर्व अनुमोदित) और उसका नेपाल (जोगबनी से सड़क मार्ग द्वारा लगभग 10 कि.मी.) विराटनगर में विस्तार;

गोंडा-नेपालगंज सड़क एम जी लाईन को बी जी में परिवर्तित करना और उसका नेपाल में नेपालगंज तक विस्तार;

नौतनवा (वाया आनन्दनगर) की एम जी लाईन का बी जी में परिवर्तन (पहले से अनुमोदित) और उसका भैरहवा तक विस्तार (नौतनवा से सड़क द्वारा 10 कि.मी.)

पानीटंकी (न्यू जलपाईगुड़ी से सड़क मार्ग द्वारा लगभग 34 कि.मी.) न्यू जलपाईगुड़ी से काकारमित्ता (नेपाल) तक बी जी लाईन का निर्माण;

जयनगर (भारत) से बीजलपुर 51 कि.मी. वर्तमान रेलवे लाईन को ब्राडगाज में संरक्षित करना और उसी का बारदीबास (17 कि.मी.) (सब नेपाल में) तक विस्तार।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो रही है।

6. उपरोक्त पैरा तीन में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कोई अन्तर सरकारी करार अपेक्षित नहीं है। उपरोक्त पैरा 4 और 5 में दो अन्य परियोजनाओं के लिए, हमें नेपाल की सरकार के साथ अभी औपचारिक करार/समझौता ज्ञापन सम्पन्न करने हैं।

भूटान

इस समय भारत और भूटान को निम्नलिखित सड़क मार्ग/ राजमार्ग जोड़ते हैं:

फुएन्तशोलिंग (भूटान)-हसीमारा (भारत)

कालीखोला (भूटान)-बारोवीसा (भारत)

गेलेफुग (भूटान)-समताबाडी (भारत)

सैमद्रुप जोंगखर-रांगिया (भारत)

2. ऊपर बताए गए भारतीय शहर पश्चिम बंगाल और असम में स्थित हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 तथा 31-सी में पड़ते हैं।

3. भारत और भूटान ने जनवरी, 2005 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसके अंतर्गत भारत सरकार भारत और भूटान के निम्नलिखित सीमा शहरों के बीच ब्राड गेज रेल लिंक स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करवाएगी:-

1. हसीमारा (पश्चिम बंगला)-फूएन्टशोलिंग (लगभग 18 कि.मी.) और पसखा में द्विभाजन
2. कोकराझार (असम)-गेलेफू (लगभग 70 कि.मी.)
3. पठसाला (असम)-नन्गलम (लगभग 40 कि.मी.)
4. रंगिया (असम)-समद्रुपजोंगखर (लगभग 60 कि.मी.) दरंगा से होते हुए।
5. बनरहट (पश्चिमी बंगाल)-समत्से (लगभग 10 कि.मी.)

4. रेल मंत्रालय, भारत सरकार ने उपरोक्त परियोजनाओं का व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करवाया है और आगे की कार्रवाई इन अध्ययनों के परिणाम पर निर्भर करेगी।

बंगलादेश

भारत बंगलादेश सीमा पर कुल 90 स्थल कस्टम्स स्टेशन हैं जो सड़क रेल और तटवर्ती मार्ग का उपयोग करते हैं। इनमें से 32 हाल में कार्य कर रहे हैं।

2. भारत और बंगलादेश के बीच तीन ब्राड गेज रेल लिंक हैं: (1) गेडे (भारत)- दर्सना (बं.दे.) और सिंघाबाद-रोहनपुर (बं.दे.) और (3) पेत्रापोल (भारत)- बेनापोल (बं.दे.)। बिरोल-राधिकापुर और शाहबाजपुर-मोहिशासोनपुर के बीच दो मीटर गेज भी है। जबकि बिरोल-राधिकापुर का गेज परिवर्तित किया जा रहा है वहीं दूसरे वाला संपर्क बंद पड़ा है। दोनों पक्षों के इंजनों द्वारा सीमा से वैगन लाए व ले जाए जाते हैं।

3. सियालदा और जमुनाब्रिज (बंगलादेश) के बीच यात्री रेल सेवा चलाने के लिए जुलाई 2001 में एक करार संपन्न किया गया और इसे परीक्षण के तौर पर सफलतापूर्वक चलाया गया। बंगलादेश पक्ष ने इस यात्री रेल सेवा को चलाने की सहमति अभी तक नहीं दी है। एक बार चालू हो जाने के बाद इस मार्ग पर विद्यमान ब्राड गेज लिंक का उपयोग करके कोलकाता और जोयदेबपुर (ढाका के निकट) के बीच भारत और बंगलादेशी दोनों यात्रियों द्वारा की जा सकेगी। बंगलादेश की सरकार ने जोयदेबपुर और ढाका के बीच ब्राड गेज लिंक स्थापित करने के लिए पहले ही एक परियोजना आरंभ की है। इसके अतिरिक्त एक मीटर गेज लिंक विद्यमान है जो जोयदेबपुर के साथ अखाउरा को जोड़ती है।

4. अखाउरा और अगरतला के बीच लगभग 13 कि.मी. का रेल लिंक टूटा हुआ है। हमने ऋण व्यवस्था के अंतर्गत इस परियोजना को वित्त पोषित करने की पेशकश की है जिस पर दोनों देशों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है। इस रेल लिंक को स्थापित करने से सियालदाह से अगरतला तक रेल लिंक संभव हो जाएगा।

5. भारतीय पक्ष ने विद्यमान सियालदा-जोयदेबपुर ब्राड गेज लिंक का उपयोग करके रेल-बार्न कन्टेनर सेवा के संचालन का भी प्रस्ताव किया है। बंगलादेश पक्ष से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

6. भारत और बंगलादेश के बीच दो बस सेवाएं हैं। ये बस सेवाएं हैं कोलकाता-ढाका बस सेवा जो 1999 से चालू है और अगरतला-ढाका बस सेवा जो सितंबर 2003 से चालू है। बंगलादेश में ब्रह्मणबरिया और अगरतला के बीच सड़क संकरी और खराब स्थिति में है। भारत सरकार ने नई ऋण व्यवस्था के अंतर्गत इस सड़क संपर्क के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की है जो दोनों देशों के बीच विचाराधीन है।

म्यामां

भारत और म्यामां को जोड़ने वाला विद्यमान मार्ग निम्नानुसार हैं:

(1) मणिपुर में मोरेह को म्यामां में तामु द्वारा सड़क से जोड़ा जा रहा है। तामु-मोरेह में व्यापक व्यापार केन्द्र है। भारत सरकार ने 2001 में 160 कि.मी. लम्बी तामु-कलेवा-कलेम्यो सड़क की भी मरम्मत करवाई है। इस सड़क का उपयोग पहली भारत-आसियान कार रैली के दौरान किया गया जिसे नवम्बर 2004 में गुवाहाटी से प्रधानमंत्री द्वारा झंडी दिखाकर शुरू किया गया।

(2) जोवखतर (मिजोरम)-रही (म्यामां) में एक अन्य व्यापक व्यापार केन्द्र है। भारत सरकार रही-तिडिम और रही-फलम सड़क का उन्नयन करने मे मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है जो मिजोरम के साथ म्यामां को जोड़ती है। सड़क उन्नयन संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को शीघ्र आरंभ किए जाने की संभावना है।

(3) भारत के साथ म्यामां को जोड़ने वाले दो अन्य मार्ग पर वर्तमान समय में बातचीत चल रही है। इनमें से पहली कलदन मल्टी-माडल परिवहन परियोजना के माध्यम से है जो भारतीय तटों पर पूर्वी समुद्रतट में और म्यामां में सिटवे तट और उसके बात तटीय परिवहन से और सड़क से मिजोरम के बीच संपर्क बनाने पर विचार करता है और इस प्रकार भारत के पूर्वी तट से पूर्वोत्तर भारत तक सामान के वहन के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराता है। म्यामां के भीतर, यह मार्ग कलदन नदी से सेटपायीइटपाइन (कलेत्वा) को शामिल करेगा जहां से भारत-म्यामां सीमा के निकट म्येइकवा तक एक राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। यह राजमार्ग भारतीय क्षेत्र में 117 कि.मी. तक फैलेगा और मिजोरम में राष्ट्रीय राजमार्ग 54 से जुड़ेगा। दूसरे वाला एक त्रिपक्षीय राजमार्ग भारत में मोरेह (मणिपुर) से म्यामां में बगन के माध्यम से थाईलैंड में माए सोट तक निर्मित किए जाने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, थाईलैंड में कंचनाबुरी से म्यामां में दवेई बंदरगाह तक राजमार्ग और वहां से भारतीय बंदरगाह के लिए नौपरिवहन संपर्क बनाने पर सहमति हुई।

(4) 19 मार्च, 1997 को, भारत म्यामां सीमा पर म्यामां में सड़क के विकास में सहयोग पर भारत सरकार और म्यामां सरकार के बीच समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया। इस समझौता ज्ञापन में पहले दृष्टांत में तामु-कलेवा-कलेम्यो सड़क के उन्नयन पर विचार किया गया है। दोनों सरकार के बीच 25 मई, 2001 को एक अन्य समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया जिसमें 2007 तक छह वर्षों की अवधि के लिए तामु-कलेवा-कलम्यो सड़क के रख-रखाव का उत्तरदायित्व भारत सरकार को सौंपा गया।

2. उल्लिखित अन्य परियोजनाओं पर अब तक कोई करार संपन्न नहीं किया गया है।

3. जून, 2003 में मेकांग गंगा सहयोग की तीसरी मंत्रिस्तरीय बैठक में इस बात पर सहमति हुई कि म्यामां के रास्ते दिल्ली-हनोई रेल लिंक के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन किया जाएगा। भारत और म्यामां दोनों के बीच छुटे हुए लिंक को जोड़ने के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन कराने और रेल की गति को बढ़ाने के लिए म्यामां के विद्यमान रेलवे ट्रेक के उन्नयन का कार्य राइट्स लि. को सौंपा गया है। अप्रैल, 2005 में राइट्स लि. से इंजीनियरिंग और सिग्नलिंग पहलुओं वाली आंशिक मसौदा व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हुआ। एक बार रेल लिंक को तकनीकी रूप से व्यवहार्य पाने के बाद इसके कार्यान्वयन के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

पाकिस्तान

दिल्ली-लाहौर बस सेवा भारत और पाकिस्तान के बीच चालू एकमात्र सड़क सेवा है। इस बस सेवा के लिए 17 फरवरी, 1999 को भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच करार संपन्न किया गया। इस बस सेवा को दोनों देशों के बीच संबंधों के खराब होने की वजह से जनवरी, 2002 को समाप्त कर दिया गया था। इसे 11 जुलाई, 2003 से पुन: चालू कर दिया गया।

2. पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की हाल की भारत यात्रा के दौरान नानक साहिब जैसे धार्मिक स्थलों सहित अमृतसर-लाहौर बस सेवा शीघ्र चालू करने पर समझौते तक पहुंचे हैं।

3. वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ एक रेलमार्ग अर्थात् समझौता एक्सप्रेस अटारी से (भारत)-वाघा (पाकिस्तान) चालू है। समझौता एक्सप्रैस (यात्री व मालगाड़ी) भारत-पाकिस्तान रेल सेवा समझौता, 2001 के प्रावधान की शर्तों पर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है जिसे 19 जनवरी 2007 तक बढ़ा दिया है। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच अटारी से लाहौर तक सप्ताह में दो बार चलती है। दोनों देशों के बीच माल के निर्यात के लिए 'भुगतान' आधार पर दोनों देशों के बीच मालगाड़ी सेवा, सीमा तक माल का पैसा भारतीय रेल द्वारा और फिर दूसरे पक्ष द्वारा लिया जाता है।

4. मुनाबाओं से खोखरापार (पाकिस्तान) के बीच अन्य रेल/बस सम्पर्क सेवा भी प्रक्रियाधीन है।

'ईडूसेट' कार्यक्रम में उड़ीसा को शामिल किया जाना

4918. श्री बिक्रम केशरी देव: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने उड़ीसा को 'ईडूसेट' कार्यक्रम के अंतर्गत नेटवर्किंग करने तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 'ईडूसेट कार्यक्रम' के अंतर्गत उड़ीसा को कवर करने के लिए दो पायलट राज्यों में से एक राज्य के रूप में चयनित करने हेतु अंतरिक्ष विभाग से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का 8 के.बी.के. जिलों को वरीयता के आधार पर शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) उपग्रह आधारित शिक्षा और विकासात्मक संचार के लिए उड़ीसा में एक पायलट परियोजना प्रचालन में है।

(ग) ग्रामसैट परियोजना के अंतर्गत के.बी.के. जिलों को पहले ही वरीयता के आधार पर इसमें शामिल किया गया है।

(घ) के.बी.के. क्षेत्र के आठ सौ पिच्चासी गांवों को सीधे अभिग्राही सैट (डी.आर.एस.) मुहैया कराये गये हैं और ये सेट सायंकालीन प्रसारणों और दिवसकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्राप्त कर रहे हैं।

सभी जिलों और ब्लाक मुख्यालयों में ई-शासन के लिए अत्यंत लघु द्वारक टर्मिनल (वी-सेट) संयोजकता प्रदान की गई है।

स्थायी विभागीय कार्यालयों/बिक्री केन्द्रों का खोला जाना

4919. श्री तथागत सत्पथी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का डाक-नेटवर्क का विस्तार करने हेतु 100 स्थायी विभागीय कार्यालयों तथा इसके अतिरिक्त 6000 कार्यालयों/बिक्री केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) विभाग का मूल प्रस्ताव 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 100 विभागीय उप डाकघर (डीएसओ), 1000 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ईडीबीओ) और 5000 पंचायत संचार सेवा केंद्र (पीएसएसके) खोलने का था, बशर्ते कि दूरी, जनसंख्या और आय संबंधी मानदंडों को पूरा करने वाले प्रस्ताव तथा योजना मदद उपलब्ध रहे। बहरहाल, व्यय वित्त समिति ने केवल पहले दो वर्षों के लिए लक्ष्यों की सिफारिश की। हालांकि योजना के अंतर्गत योजना अवधि के अंतिम तीन वर्षों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं, पर दूरी, जनसंख्या और आय संबंधी मानदंडों के पूरा होने और मौजूदा कार्यबल की पुनर्तैनाती तथा दूरी संबंधी मानदंडों को पूरा न करने वाले मौजूदा डाकघरों के पुनर्स्थापन के माध्यम से डाकघर खोले जा रहे हैं।

पिछले दो वर्षों के दौरान खोले गए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों, विभागीय उप डाकघरों और पंचायत संचार सेवा केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

10वीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों और पंचायत संचार सेवा केन्द्रों की सर्किलवार संख्या

क्र.सं.	सर्किल	पहले दो वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या				पहले दो वर्षों के दौरान खोले गए पंचायत संचार सेवा केन्द्रों की संख्या			
		2002-2003		2003-2004		2002-2003		2003-2004	
		ईडीबीओ	डीएसओ	ईडीबीओ	डीएसओ	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	आंध्र प्रदेश	3	शून्य	2	1	30	30	15	15
2.	असम	15	1	14	1	95	95	65	65
3.	बिहार	15	शून्य	15	1	253	253	95	96
4.	छत्तीसगढ़	20	1	16	1	100	100	70	70
5.	दिल्ली	1	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	15	शून्य	9	1	55	55	30	23
7.	हरियाणा	शून्य	1	2	1	55	55	35	35
8.	हिमाचल प्रदेश	2	शून्य	2	1	50	54	40	44
9.	जम्मू-कश्मीर	5	शून्य	7	1	10	10	10	10
10.	झारखंड	8	शून्य	6	1	75	49	48	48
11.	कर्नाटक	8	1	4	1	10	6	5	3
12.	केरल	2	1	6	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	मध्य प्रदेश	16	1	15	1	140	140	100	100
14.	महाराष्ट्र	30	8	25	2	150	150	100	96
15.	उत्तर पूर्व	9	1	10	1	50	56	50	49
16.	उड़ीसा	10	1	6	1	20	20	10	10
17.	पंजाब	5	1	5	शून्य	30	30	15	15
18.	राजस्थान	18	2	15	1	75	82	40	40
19.	तमिलनाडु	5	1	6	1	75	75	40	40
20.	उत्तर प्रदेश	18	1	20	1	200	200	118	118
21.	उत्तरांचल	4	शून्य	5	शून्य	20	20	10	10
22.	पश्चिम बंगाल	32	2	6	शून्य	7	2	2	1
23.	सिक्किम	शून्य	1	2	1	-	-	2	1
	कुल	241	25	199	20	1500	1482	900	889

[हिन्दी]

राजमार्गों के विकास की धीमी प्रगति

4920. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार राजमार्ग के संबंध में भारत काफी पीछे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चीन की तुलना में भारत ने राजमार्गों पर कितनी राशि व्यय की है तथा इस संबंध में प्रगति दर क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) विश्व बैंक से ऐसी कोई अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि भारत में लगभग 3.3 मिलियन किमी. का कुल सड़क नेटवर्क है जो विश्व के सबसे बड़े सड़क नेटवर्कों में से एक है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, चीन में सड़क विकास के लिए वार्षिक निवेश वर्ष 1991 में एक बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2002 में 38 बिलियन अमरीकी डालर था जबकि इसी अवधि में भारत में सड़कों के विकास के लिए वार्षिक निवेश 0.7 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 4.22 बिलियन अमरीकी डालर था।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मातृत्व लाभयोजना का बदला जाना

4921. श्री अनन्त नायक: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के समक्ष राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को जननी सुरक्षा योजना से बदलने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) जननी सुरक्षा योजना के अधीन किन-किन उद्देश्यों को प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। भारत सरकार ने नेशनल मैटरनिटी बेनेफिट स्कीम की जगह 12.4.2005 से 'जननी सुरक्षा योजना' शुरू की है।

(ख) वर्ष 1995 से संचालित नेशनल मैटरनिटी बेनेफिट स्कीम के तहत गरीबी की रेखा से नीचे की 19 वर्ष या इससे अधिक की आयु वाली उन औरतों को दो जीवित जन्मों पर 500/- रुपए उपलब्ध कराने का प्रावधान था। इस योजना के तहत प्रदत्त लाभों का प्रसव बाद और प्रसव-पूर्व के चैकअप और परिचर्या अथवा गर्भावस्था के दौरान परिचर्या के साथ कोई तालमेल नहीं था। फलस्वरूप, इस योजना का मातृ-मृत्यु और शिशु-मृत्यु को कम करने का प्रावधान नगण्य था। प्रभाव की नगण्यता के कारण ही सरकार ने इस योजना को संशोधित कर इसकी जगह जननी सुरक्षा योजना शुरू की।

(ग) और (घ) इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की गर्भवती औरतों में सांस्थानिक तालमेल को बढ़ावा देकर मातृ-मृत्यु दर में कमी लाना होगा।

जननी सुरक्षा योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

* राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की छत्रछाया में जननी सुरक्षा योजना के तहत नकद सहायता लाभ के साथ-साथ प्रसव के दौरान सांस्थानिक परिचर्या, प्रसव-पूर्व परिचर्या तथा प्रसव के तुरंत बाद की परिचर्या सुलभ कराई जाएगी।

* यह योजना शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना होगी।

* योजना के तहत गरीबी की रेखा से नीचे की 19 वर्ष या इससे अधिक आयु की शहरी तथा ग्रामीण महिलाओं को लाभ प्राप्त होगा।

* योजना के तहत प्रथम दो जीवित बच्चों को जन्म देने तक ही लाभ प्रदान किया जाएगा। तथापि, कम कार्यनिष्पादन वाले 10 राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम तथा जम्मू-कश्मीर में यह लाभ तीसरी बार बच्चे को जन्म दे रही महिलाओं को भी प्रदान किया जाएगा बशर्ते कि वह प्रसव के तुरंत बाद अस्पताल या प्रसूतिगृह में ही नलबन्दी करवा लें।

* योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को भावी माताओं को प्रति प्रसव 700/- रुपए की सहायता तथा कम

कार्यनिष्पादन वाले उक्त राज्यों के शहरी क्षेत्रों की भावी माताओं को प्रति प्रसव 600/- रुपए की सहायता दी जाएगी। योजना के तहत, मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता निर्धन एवं भावी माताओं तथा गांवों में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के मध्य तालमेल स्थापित करेंगे।

* आशा (एक गैर-सरकारी संगठन) द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए कम कार्यनिष्पादन वाले सभी 10 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में 600/- रुपए का पैकेज उपलब्ध कराया गया है। यह पैकेज गर्भवती महिलाओं को लाने ले जाने पर आने वाली लागत तथा प्रसव के दौरान भावी माता की देखरेख के लिए स्वास्थ्य केन्द्र में उपस्थित रहने, ठहरने तथा रहने और आशा को प्रोत्साहन स्वरूप छोटी राशि की पूर्ति के लिए है। तथापि, कम कार्यनिष्पादन वाले शहरी क्षेत्र में 'आशा' के लिए सहायता पैकेज की राशि 200/- रुपए तक सीमित रहेगी।

* जिन स्वास्थ्य संस्थाओं में सरकारी विशेषज्ञ नहीं हैं तथा प्रसव संबंधी मामले की जटिलताओं को देखते हुए प्रसव हेतु शल्य चिकित्सा आवश्यक हो, ऐसी स्थिति में या तो सरकारी मेडिकल संस्थाओं या मान्यताप्राप्त निजी अस्पताल, नर्सिंग होम आदि में शल्यचिकित्सा के लिए निजी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए प्रति मामले में 1500/- रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया है।

* सार्वजनिक क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की अपर्याप्तता को समझते हुए राज्य/संघ शासित क्षेत्रों से विधिवत मान्यताप्राप्त निजी क्षेत्र के अस्पतालों/नर्सिंग होम/निदान केन्द्रों में प्रसव के दौर से गुजर रही महिलाओं को भी 'जननी सुरक्षा योजना' के तहत लाभ का प्रावधान किया गया है।

इस योजना को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य मिशन की तथा जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य मिशन की होगी।

उपग्रहों का प्रक्षेपण

4922. श्री डी. विट्टल राव:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का श्रीहरिकोटा से चार उपग्रहों के प्रक्षेपण का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन उपग्रहों की लागत क्या है;

(ग) प्रत्येक उपग्रह का क्या प्रयोजन है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां। वर्ष के दौरान कार्टोसैट-1, हेमसैट; कार्टोसैट-2 और अंतरिक्ष कैप्सूल पुनर्प्राप्ति परीक्षण (एस.आर.ई.) चार उपग्रहों के प्रमोचन की योजना है।

(ख) इन अन्तरिक्षयानों की लागत निम्न प्रकार है:

कार्टोसैट-1	:	248.49 करोड़ रुपये
हेमसैट	:	3 करोड़ रुपये
कार्टोसैट-2	:	216.73 करोड़ रुपये
एस.आर.ई.	:	46.2 करोड़ रुपये

(ग) और (घ) कार्टोसैट-1 उपग्रह त्रिविम प्रतिबिम्बन क्षमता सहित 2.5 मीटर के आकाशीय विभेदन वाली एक 2-कैमरा प्रणाली वहन करता है; कार्टोसैट-2 उपग्रह 1 मीटर के आकाशीय विभेदन सहित प्रतिबिम्बन के लिए एक कैमरे का वहन करता है। इन मिशनों से मानचित्रकला, शहरी प्रबंधन, उपयोगिता मानचित्रण, आपदा मूल्यांकन और राहत योजना, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और अन्य जी.आई.एस. उपयोगों से संबंधित बड़े पैमाने पर मानचित्रण संबंधी उपयोगों को प्रेरित करने की संभावना है।

हेमसैट उपग्रह अव्यवसायी रेडियो संचार को सहायता प्रदान करने के लिए है।

एस.आर.ई. का उद्देश्य अन्तरिक्ष में सूक्ष्म-गुरूत्व परीक्षणों के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करने के साथ-साथ कक्षीय कैप्सूल की पुन: प्राप्ति के लिए प्रौद्योगिकी अवयवों का विकास और निदर्शन करना है।

रिसर्च एण्ड इंजीनियरिंग फाउंडेशन की स्थापना

4923. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
डा. एम. जगन्नाथ:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का 'रिसर्च एण्ड इंजीनियरिंग फाउंडेशन' स्थापित करने का विचार है ताकि विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान की सुविधा मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में ऐसे फाउंडेशन स्थापित करने का विचार है;

(घ) क्या ऐसे संस्थान वर्ष 2020 की जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने में सहायक होंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद द्वारा एक स्वायत्तशासी विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करने का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके विस्तृत विवरण अभी तैयार किये जाने हैं।

[हिन्दी]

अस्पताल सेवाओं में सुधार

4924. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों तथा आज की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों से अस्पताल सेवाओं को सुधारने हेतु वित्तीय सहायता की मांग करने के संबंध में केन्द्र सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या सरकार का इस प्रयोजनार्थ इन राज्यों को दसवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक धन आवंटित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं जो राज्यों में द्वितीयक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन से संबंधित है, को अनुमोदित किया गया है और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और पंजाब में पूरी कर ली गई हैं। ऐसी परियोजनाएं उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में कार्यान्वयनाधीन है। ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। इसके अलावा ''क्षमता निर्माण के लिए सहायता'' और ''अस्पताल अपशिष्ट प्रबन्धन'' स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित अस्पतालों में आपाती सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए विभिन्न राजमार्गों पर स्थित अस्पतालों में आपाती सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय बजट से वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है और दसवीं योजना अवधि के दौरान उक्त स्कीम के लिए क्रमशः 110 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान ''क्षमता निर्माण परियोजना'' और ''अस्पताल अपशिष्ट प्रबन्धन'' स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्रमशः विवरण-II और विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

राज्य	परियोजना अवधि	परियोजना परिव्यय	स्थिति
आंध्र प्रदेश	1.3.95 से $6^1/_2$ वर्षों के लिए	608.00	30.6.2002 को पूरी की गई
पश्चिम बंगाल	26.6.96 से $5^1/_2$ वर्षों के लिए	751.76 (संशोधित)	31.3.2004 को पूरी की गई
कर्नाटक	27.6.96 से $5^1/_2$ वर्षों के लिए	652.15 (संशोधित)	31.3.2004 को पूरी की गई
पंजाब	27.6.96 से $5^1/_2$ वर्षों के लिए	425.00	31.3.2004 को पूरी की गई
उड़ीसा	सितम्बर, 98 से 5 वर्षों के लिए	415.57	31.3.2005 तक बढ़ा दिया गया है
महाराष्ट्र	14.2.99 से $5^1/_2$ वर्षों के लिए	747.58	कार्यान्वयनाधीन
उत्तर प्रदेश	1.7.2000 से $5^1/_2$ वर्षों के लिए	478.07	-तदैव-
उत्तरांचल	1.7.2000 से $5^1/_2$ वर्षों के लिए	7.77	-तदैव-
राजस्थान	3.6.2004 से प्रभावी/30.9.09	393.53	-तदैव-
तमिलनाडु	5.1.2005 से प्रभावी/31.3.2010	597.15	-तदैव-

विवरण II

राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित अस्पतालों में आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए "क्षमता निर्माण हेतु सहायता" नामक योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का ब्यौरा

असम

1. वर्ष 2002-2003 के दौरान नालबाड़ी जिला अस्पताल, नालबाड़ी में आपाती और अभिघात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.0 लाख रुपए।

अरूणाचल प्रदेश

1. वर्ष 2004-2005 के दौरान जनरल अस्पताल, नहारलागुन में आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 30.00 लाख रुपए।

आंध्र प्रदेश

1. वर्ष 2003-2004 के दौरान राजकीय अगरतला, नेल्लोर में आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।
2. वर्ष 2003-2004 के दौरान राजकीय अस्पताल, कुरनूल में अभिघात परिचर्या केन्द्र के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।

बिहार

1. वर्ष 2003-2004 के दौरान सदर अस्पताल, छपरा, सरण में आपाती सुविधाएं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।

छत्तीसगढ़

1. वर्ष 2002-2003 के दौरान पंडित जे.एन.एम. मेडिकल कालेज, रायपुर में, अभिघात एकक के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 109.00 लाख रुपए।

चण्डीगढ़

1. वर्ष 2004-2005 के दौरान सरकारी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, चण्डीगढ़ में आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 86.00 लाख रुपए।

दमन व दीव

1. वर्ष 2004-2005 के दौरान सरकारी अस्पताल, दमन में आपाती सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 106.00 लाख रुपए।

गुजरात

1. वर्ष 2002-2003 के दौरान सिविल अस्पताल, अहमदाबाद में दुर्घटना और आपाती सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।
2. वर्ष 2003-2004 के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, राजकोट में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 146.00 लाख रुपए।

गोवा

1. वर्ष 2002-2003 के दौरान होसपिसियो अस्पताल, मारगोवा में आघात एवं दुर्घटना इकाई के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 142.00 लाख रुपए।

हरियाणा

1. वर्ष 2003-2004 के दौरान सरकारी अस्पताल, सिरसा में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।
2. वर्ष 2004-2005 के दौरान सरकारी अस्पताल, रेवाड़ी में अभिघात परिचर्या केन्द्र के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।

हिमाचल प्रदेश

1. वर्ष 2002-2003 के दौरान इन्दिरा गांधी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, शिमला और जोनल अस्पताल, बिलासपुर में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 147.00 लाख रुपए।

जम्मू व कश्मीर

1. वर्ष 2004-2005 के दौरान दुर्घटना और आपाती सेवाओं को पूरा करने के लिए चिकित्सा परिचर्या सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 75.04 लाख रुपए।

केरल

1. वर्ष 2002-2003 के दौरान मेडिकल कालेज, कोझीकोड में आपाती सुविधाओं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 142.00 लाख रुपए।
2. वर्ष 2004-2005 के दौरान मेडिकल कालेज, तिरूवनंतपुरम में अभिघात परिचर्या सेवाओं के उन्नयन हेतु 144.86 लाख रुपए।

कर्नाटक

1. वर्ष 2002-2003 के दौरान संजय गांधी दुर्घटना अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान, बंगलौर में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 136.50 लाख रुपए।
2. वर्ष 2004-2005 के दौरान श्री जय चाम राजेन्द्र अस्पताल, हसन में आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।

मध्य प्रदेश

1. वर्ष 2003-2004 के दौरान जिला अस्पताल, शिवपुरी में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।
2. वर्ष 2004-2005 के दौरान जी.आर. मेडिकल कालेज, ग्वालियर में अभिघात एकक स्थापित करके आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।
3. वर्ष 2004-2005 के दौरान माधव नगर अस्पताल, उज्जैन में दुर्घटना और आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।

महाराष्ट्र

1. वर्ष 2004-05 के दौरान जिला अस्पताल, नासिक में आपातीय सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 129.00 लाख रुपए।

मणिपुर

1. वर्ष 2002-03 के दौरान जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, इम्फाल में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 149.22 लाख रुपए।
2. वर्ष 2004-05 के दौरान जिला अस्पताल, 'सेनापति में आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 112.76 लाख रुपए।

नागालैण्ड

1. वर्ष 2002-03 के दौरान सरकारी अस्पताल, मदजीफेया में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 144.00 लाख रुपए।
2. वर्ष 2004-05 के दौरान आपाती स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयम और सुदृढ़ीकरण और सिविल अस्पताल चोजुबा को 143.26 लाख रुपए।
3. वर्ष 2004-05 के दौरान आपाती स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु सिविल अस्पताल, पफुटसेरो को 143.26 लाख रुपए।

उड़ीसा

1. वर्ष 2003-04 के दौरान सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज अस्पताल, कटक में केजुअलिटी एवं आपातीय सुविधाओं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।

पांडिचेरी

1. वर्ष 2004-05 के दौरान सरकारी सामान्य अस्पताल, यानम में आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।
2. वर्ष 2004-05 के दौरान सरकारी सामान्य अस्पताल, करइकाल में आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 146.50 लाख रुपए।

राजस्थान

1. वर्ष 2003-04 के दौरान सरकारी अस्पताल, शाहपुरा, किशनगढ़, भीम और सोजात शहर में आपाती सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 116.80 लाख रुपए।

सिक्किम

1. वर्ष 2004-05 के दौरान आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए जिला अस्पताल, सिंगताम को 150.00 लाख रुपए।

तमिलनाडु

1. वर्ष 2003-04 के दौरान जिला मुख्यालय अस्पताल, ओमलुर में दुर्घटना एवं आपाती सुविधाओं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण 150.00 लाख रुपए।
2. वर्ष 2003-04 के दौरान जिला मुख्यालय अस्पताल, बिल्लुपुरम में दुर्घटना एवं आपातकालीन सेवाओं के विकास हेतु 143.00 लाख रुपए।
3. वर्ष 2003-04 के दौरान चेंगलपट्ट मेडिकल कालेज अस्पताल, चेंगलपट्ट के दुर्घटना आघात केन्द्र के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।
4. वर्ष 2004-05 के दौरान थानजाव्यूर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, थानजाव्यूर में आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रुपए।

उत्तर प्रदेश

1. वर्ष 2004-05 के दौरान जिला अस्पताल, रायबरेली में दुर्घटना और आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।

2. वर्ष 2004-05 के दौरान जिला अस्पताल, शाहजहांपुर में आपाती सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।

उत्तरांचल

1. वर्ष 2002-03 के दौरान दून अस्पताल, देहरादून में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।

2. वर्ष 2002-03 के दौरान गोवर्धन तिवारी बेस अस्पताल, अल्मोड़ा में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।

3. वर्ष 2003-2004 के दौरान जिला अस्पताल, गोपेश्वर, जिला चमोली में आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।

विवरण III

''अस्पताल अपशिष्ट प्रबन्धन'' स्कीम के अंतर्गत नौवीं योजना और दसवीं योजना के दौरान अर्थात् वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्यवार जारी निधियां

छत्तीसगढ़

1. वर्ष 2004-05 के दौरान अस्पताल अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाएं प्रदान करने हेतु मेडिकल अस्पताल, रायपुर को 75.00 लाख रुपए।

हरियाणा

1. वर्ष 2004-05 के दौरान अस्पताल अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाएं प्रदान करने हेतु पंडित बी.डी. शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक को 65.00 लाख रुपए।

झारखंड

1. वर्ष 2003-2004 के दौरान अस्पताल अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाएं प्रदान करने हेतु राजेन्द्र मेडिकल एवं अस्पताल, रांची को 85.00 लाख रुपए।

2. वर्ष 2003-2004 के दौरान अस्पताल अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाएं प्रदान करने हेतु पाटलीपुत्र मेडिकल कालेज और अस्पताल, धनबाद को 65.00 लाख रुपए।

जम्मू व कश्मीर

1. वर्ष 2004-2005 के दौरान अस्पताल अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाएं प्रदान करने हेतु लाल डेड अस्पताल, श्रीनगर को 85.00 लाख रुपए।

केरल

1. वर्ष 2004-2005 के दौरान अस्पताल अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाएं प्रदान करने हेतु मेडिकल कालेज, तिरूवनन्तपुरम को 85.00 लाख रुपए।

मिजोरम

1. वर्ष 2004-2005 के दौरान सिविल अस्पताल, सैहा और सिविल अस्पताल, कोलासिब (प्रत्येक अस्पताल को 75.00 लाख रुपए) को अस्पताल अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाएं प्रदान करने हेतु 1.50 करोड़ रुपए।

महाराष्ट्र

1. वर्ष 2003-04 के दौरान अस्पताल अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रांट मेडिकल कालेज, मुम्बई को 49.50 लाख रुपए।

2. वर्ष 2003-04 के दौरान अस्पताल अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाएं प्रदान करने के लिए बी.जे. मेडिकल कालेज, पुणे को 49.25 लाख रुपए।

3. वर्ष 2003-04 के दौरान अस्पताल अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकारी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, नागपुर को 47.00 लाख रुपए।

उड़ीसा

1. वर्ष 2003-04 के दौरान अस्पताल अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाएं प्रदान करने हेतु एस.सी.बी. मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, कटक को 49.50 लाख रुपए।

2. वर्ष 2003-04 के दौरान अस्पताल अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाएं प्रदान करने हेतु एम.के.जी.सी. मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, बहरामपुर को 49.25 लाख रुपए।

3. वर्ष 2003-04 के दौरान अस्पताल अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाएं प्रदान करने हेतु बी.एस.एस. मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, बुरला को 47.00 लाख रुपए।

उत्तरांचल

1. वर्ष 2004-05 के दौरान अस्पताल अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाएं प्रदान करने के लिए दून अस्पताल, देहरादून को 85.00 लाख रुपए।

उत्तर प्रदेश

1. वर्ष 2004-05 के दौरान अस्पताल अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाएं प्रदान करने के लिए किंग जार्ज मेडिकल युनिवर्सिटी, लखनऊ को 85.00 लाख रुपए।

[अनुवाद]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के डाक्टरों की नियुक्ति

4925. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा प्रणाली देश तथा विदेशों में भी लोकप्रिय हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भारतीय चिकित्सा प्रणाली को मेडिकल पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या देश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के डाक्टर उपलब्ध हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का देश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के डाक्टर नियुक्त करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ऐसी सुविधाएं किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के मूल सिद्धांत और अवधारणाओं को शामिल करने संबंधी प्रस्ताव भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया है कि अपने सीमित ज्ञान के आधार पर एलोपैथी के चिकित्साभ्यासियों द्वारा इन पद्धतियों का दुरूपयोग किया जा सकता है।

(ग) से (ङ) प्राथमिक स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, यह संबंधित राज्यों की सरकारों का दायित्व है कि वे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भाचिप चिकित्सकों को नियुक्त करें। उन्हें समुचित रूप से सलाह दी गई है। प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) में एक भाचिप एवं हो चिकित्सक को तैनात किया जाए।

''आई.एस.एम. एंड एच.'' के फिजीशियनों के लिए संवर्ग

4926. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा के.स.स्वा.से. में कार्यरत आई.एस.एम. एंड एच. के फिजीशियनों के लिए सरकार ने 1990 की टिक्कू समिति और 1996 के पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप आई.एस.एम. एंड एच. का संवर्ग बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) आयुष विभाग और सीजीएचएस में कार्यरत भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के चिकित्सकों हेतु संवर्ग के गठन के संबंध में प्रारूप नियम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अनुमोदनार्थ भेज दिए गए हैं।

नेपाल द्वारा भारतीय व्यापार पर प्रतिबंध

4927. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल नरेश ने भारतीय व्यापार उद्यमों पर कतिपय नये प्रतिबंध लगाये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या युनाईटेड टेलीकाम लि. तथा इंडो नेपाल संयुक्त उद्यम को और अधिक अभिदाताओं को पंजीकृत नहीं करने को कहा गया है क्योंकि इस कंपनी की 80 प्रतिशत

दावेदारी एम टी एन एल, बी एस एन एल तथा टेलीकम्यूनीकेशन्स कन्सलटेंट्स (इंडिया) लि. के पास तथा शेष 20 प्रतिशत नेपाल वेनचर प्रा.लि. के पास है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय से केन्द्र सरकार को चिन्ता हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को नेपाल के साथ उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो चर्चा में क्या निष्कर्ष निकले; और

(च) इस निर्णय से भारत नेपाल के बीच संबंधों सहित इन दोनों देशों के व्यापार पर किस हद तक प्रभाव पड़ा है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (च) 1 फरवरी, 2005 को बहुदलीय सरकार की बरखास्तगी और आपातस्थिति लागू होने के पश्चात् नेपाल में देश की सभी दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी तौर पर समाप्त कर दिया गया था। नेपाल टेलीकाम द्वारा प्रदत्त लैन्डलाईन टेलीफोन पर आधारित मूल सेवा को 8 फरवरी, 2005 को पुनः बहाल कर दिया था। जबकि, डब्ल्यू एल एल प्रौद्योगिकी पर आधारित यूनाइटिड टेलिकाम लिमिटेड सेवा की मूल सेवाओं और नेपाल टेलीकाम की मोबाइल सेवाओं को बंद रखा।

इसके पश्चात्, यूनाइटिड टेलीकाम को उन ग्राहकों, जिन्होंने पुनः पंजीकरण कराया था और जिन्हें नेपाल के महामहिम की सरकार से अनापत्ति मिल गई थी, के लिए 18 मार्च, 2005 से अपनी सेवाएं पुनः आरंभ करने की अनुमति मिल गई थी। तथापि, यू टी एल को नए कनेक्शन प्रदान न करने और कई ग्राहकों जिनमें कार्पोरेट ग्राहक भी शामिल थे, कि सेवाओं को बंद करने के अनुदेश थे। नेपाल की टेलीकाम मोबाइल सेवाएं समाप्त हैं।

भारत सरकार को चिन्ता है कि यू टी एल के संचालन पर पाबंदी भारत के इस संयुक्त उद्यम की वित्तीय व्यवहार्यता पर प्रभाव डालेगी। हमने इस मामले को नेपाल के महामहिम की सरकार के साथ सभी उपयुक्त स्तरों पर उठाया है।

नेपाल के महामहिम की सरकार ने हमें बताया है कि पहले सेवाओं को अस्थायी रूप से समाप्त करने और इस समय लगाए गए प्रतिबंधों का कारण नेपाल में विद्रोह से सम्बद्ध सुरक्षा की चिंता है और आश्वासन दिया कि थोड़े समय में ही यू टी एल नए कनेक्शन प्रदान करने और कई कारपोरेट ग्राहकों को पुनः सेवाएं देने की स्थिति में होगा।

भारत नेपाल का सबसे बड़ा आर्थिक भागीदार है। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश पर्याप्त बढ़ रहा है। तथापि, यू टी एल, जिसका नेपाल में सबसे अधिक विदेशी निवेश है, अपनी लाइसेंस शर्तों के अनुरूप संचालन में असमर्थता से, नेपाल में नए निवेशों से सम्बद्ध जटिलताएं विदेशी निवेशकों, जिनमें भारत भी शामिल है, के साहस को दुर्बल कर सकती हैं। बदले में इसका द्विपक्षीय व्यापार पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि नेपाल में भारत के संयुक्त उद्यम नेपाल के विदेश व्यापार के महत्वपूर्ण सहायक है।

'एड्स' की जागरूकता को बढ़ाने के लिए पुतलियों का प्रयोग

4928. श्री जी.बी. हर्ष कुमार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "यूनेस्को" पेरिस एक परियोजना को प्रायोजित कर रहा है जिसमें एड्स तथा नशीली दवाइयों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने हेतु बच्चे पुतलियों का प्रयोग करेंगे, जैसा कि 30 जनवरी, 2005 के "हिन्दू" समाचार पत्र में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत को "यूनेस्को" द्वारा दिए जाने वाले अनुदान में यह मांग की गई है कि इस परियोजना का उपयोग दूसरे देशों में किए जाने हेतु इसे प्रलेखित किया जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) यूनेस्को, पेरिस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वे भारत में इशारा पप्पेट थियेटर ट्रस्ट तथा सलाम बालक ट्रस्ट के साथ एक परियोजना को सहायता दे रहे हैं जिसकी कुल लागत 30,000 यूएस डालर है और अवधि दो वर्ष है। इस परियोजना का उद्देश्य कठपुतली और स्वदेशी माध्यम का प्रयोग करके दिल्ली में और इसके आस-पास के क्षेत्रों में गली में घूमने वाले अतिसंवेदनशील युवकों में एचआईवी/एड्स और औषध के प्रति जागरूकता पैदा करना है। यूनेस्को ने यह सूचना भी दी है कि उन्होंने क्रियान्वयनकारी एजेंसियों को अपने कार्यकलापों और गतिविधियों को प्रलेखित करने के लिए कहा है ताकि इन्हें साक्षरता और गैर-औपचारिक शिक्षा संबंधी यूनेस्को वेबसाइट में रखा जा सके।

भेषज अनुसंधान और विकास सहायता निधि के लिए आवंटन

4929. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के लिए भेषज अनुसंधान और विकास सहायता निधि के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या औषधि विकास संवर्धन बोर्ड ने इस राशि का उपयोग कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में भेषज तथा औषधि अनुसंधान के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) वर्ष 2004-05 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को भेषज अनुसंधान और विकास सहायता निधि (पी आर डी एस एफ) के लिए 147.75 करोड़ रु. की धनराशि आबंटित की गई अर्थात् 125 करोड़ रु. पी आर डी एस एफ कार्पस के लिए, 13.75 करोड़ रु. सहयोगी फार्मा उद्योग सांस्थानिक अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं को सहयोग प्रदान करने हेतु अनुदान सहायता के लिए और 9.0 करोड़ रु. फार्म उद्योगों को अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं के लिए आसान ऋण प्रदान करने के लिए। वर्ष 2004-05 के लिए आवंटित सभी धनराशियों का पूरा उपयोग किया गया। वर्ष 2005-06 के लिए पी आर डी एस एफ कार्यक्रम के लिए आवंटित धनराशि 150 करोड़ रु. है अर्थात् 70.00 करोड़ रु. अनुदान सहायता संबंधी क्रियाकलापों के लिए और 80.00 करोड़ रु. फार्मा उद्योगों को अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं को आसान ऋण प्रदान करने के लिए।

(ङ) देश में मलेरिया, फाइलेरिया, कैंसर, अल्सर, तपेदिक, लीसमेनिया, ल्यूकोडर्मा, गठिया, रूमेटाइड आर्थराइटिस, डायरिया, पेनिक्रियाटाइटिस, गेस्ट्रीटाइटिस, हृदय रोग, अतितनाव, मधुमेह, एड्स जैसी बीमारियों के लिए आधुनिक एवं आयुष दोनों प्रकार की औषधियां विकसित करने तथा रोटोवायरस, कोलरा रेबिज, तपेदिक, टायफायड, एच आई वी आदि के लिए टीके तैयार करने हेतु प्रयत्न किए गए हैं। नई रासायनिक तत्वों, पौधों के निष्कर्षणों, पारम्परिक मिश्रणों, माइक्रोब तथा फंगल स्रोतों की जांच से प्राप्त परिणाम खोज श्रृंखला के विभिन्न चरणों, जैसे निदानालयी पूर्व तथा निदानालयी परीक्षण में हैं।

तपेदिक तथा कोलोरेक्टल कैंसर के लिए औषधियां विकास के उन्नत चरण में है।

सड़क परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना

4930. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने चल रही सड़क परियोजनाओं को शीघ्रता प्रदान करने हेतु निजी क्षेत्र की अधिक अन्तर्ग्रस्तता वहनीय पथ-कर तथा राजमार्ग विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की संस्तुति की है; और

(ख) यदि हां, तो संसाधनों की कमी को पूरा करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सरकार ने संसाधनों की आवश्यकता और उपलब्धता का अंतर समाप्त करने के लिए बी ओ टी परियोजनाओं के माध्यम से सड़क क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के पूर्ण हो चुके खंडों के प्रचालन, अनुरक्षण और पथ कर वसूली के लिए भी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए आर्थिक विनियम में सुधार और विवाद के समाधान करने की विधिक रूपरेखा की आवश्यकता की जांच करने का भी निर्णय लिया गया है।

आपातकालीन सुविधाओं को सशक्त करने का प्रस्ताव

4931. श्री एम. शिवन्ना: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने के.आर. अस्पताल, मैसूर में आपात सुविधाओं को उन्नयन और सशक्त बनाने का प्रस्ताव, केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजा है;

(ख) क्या यह प्रस्ताव वर्ष 2002 से लंबित है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) के.आर. हास्पिटल, मैसूर में दुर्घटना एवं अभिघात केन्द्र की स्थापना के लिए कर्नाटक सरकार से वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसकी मंत्रालय में जांच करने के बाद पाया गया कि प्रस्ताव स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं था। इसलिए कर्नाटक सरकार से स्कीम के दिशानिर्देशानुसार प्रस्ताव भेजने का अनुरोध अप्रैल, 2002 में किया गया था। कर्नाटक सरकार से दिशानिर्देशों के अनुसार-प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही के.आर. हास्पिटल, मैसूर को सहायता अनुदान जारी किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में मोबाइल फोन उपभोक्ता

4932. श्री बापू हरी चौरे: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार महाराष्ट्र के जिला-वार भारत संचार निगम लिमिटेड के मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या आवेदकों को मोबाइल कनैक्शन उनकी मांग पर तुरंत दे दिए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 12.4.2005 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में बीएसएनएल के मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की जिले-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र में मोबाइल फोन कनेक्शन आवेदकों को उनकी मांग पर उपलब्ध हैं जैसा कि इस तथ्य से देखा जा सकता है कि बीएसएनएल ने मार्च, 2005 में नेटवर्क के विस्तार के बाद से लगभग 211929 मोबाइल कनेक्शन प्रदान किए हैं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गोवा सहित महाराष्ट्र राज्य में सेल्युलर कनेक्शनों की स्थिति

क्र.सं.	जिले का नाम	12.4.05 की स्थिति के अनुसार कुल कनेक्शन
1	2	3
1.	अहमदनगर	42308
2.	अकोला	12905
3.	वसीम	1584
4.	अमरावती	16333
5.	औरंगाबाद	33860
6.	बीड	16709
7.	बांदा	9155
8.	गोंदिया	5100
9.	बुलढाना	11213
10.	चंद्रपुर	13206
11.	धुले	12209
12.	नंदुरबार	3052
13.	गडचिरोली	4577
14.	उत्तरी गोवा	21304
15.	दक्षिणी गोवा	31955
16.	जलगांव	23385
17.	जालना	11904
18.	कल्याण	82766
19.	कोल्हापुर	36559
20.	लातूर	18598
21.	नागपुर	64027
22.	नांदेड	15484
23.	नासिक	67614
24.	उस्मानाबाद	12819
25.	परभनी	7876
26.	हिंगोली	5250
27.	पुणे	171756
28.	रायगढ़	20686
29.	रतनागिरी	15516
30.	सांगली	21010

1	2	3
31.	सतारा	18729
32.	सिंधुदुर्ग	16813
33.	सोलापुर	30056
34.	वर्धा	10060
35.	यवतमल	15828
	कुल	902206

आयुर्वेदिक औषधियों के लिए संस्थाएं

4933. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण करने वाली संस्थाओं की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा इन संस्थाओं को प्रोत्साहित किए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) 1.4.2003 के अनुसार, आयुर्वेदिक औषधियों के विनिर्माण में 7772 फार्मेसियां जुटी हैं।

(ख) सरकार केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्य आयुर्वेदिक फार्मेसियों को सुदृढ़ करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। अंतर्गृह गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला और जी एम पी के अनुपालनार्थ अवसंरचना के सृजन हेतु निजी औषधि विनिर्माण एककों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

[अनुवाद]

आवश्यक औषधियों की सूची

4934. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आवश्यक औषधियों की एक सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सूची में शामिल औषधियों के क्या नाम हैं;

(ग) आवश्यक औषधियों की पहचान करने वाले समिति के सदस्य विशेषज्ञों के नाम, उनके पद नाम और योग्यताएं क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने आवश्यक औषधियों की सूची में कुछ और औषधियों को शामिल करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। आवश्यक औषधों की राष्ट्रीय सूची-2003 में 354 औषधें हैं। सूची विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) सूची तैयार करने के कार्य में शामिल समिति के प्रत्येक विशेषज्ञ सदस्य के नाम और योग्यता का ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में, आवश्यक औषधों की सूची में कुछ और औषधों को शामिल करने की कोई योजना नहीं है।

विवरण I

राष्ट्रीय आवश्यक औषध सूची, 2003

भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार भारत सरकार द्वारा तैयार की गई 354 आवश्यक औषधों की सूची नीचे दी गई है।

ए

1. एसीनोकोमारोल
2. एसिटाजोलामाइड
3. एसीटाइल सेलिसाइलिक एसिड
4. एक्रीफ्लेविन+ग्लिसरीन
5. एक्टीनोमाइसिन डी
6. एक्टीवेटिड चारकोल
7. एसाइक्लोवीर
8. एडिनोसाइन
9. एड्रेनेलाइन बाइटार्ट्रेट
10. एल्बेंडाजोल
11. एल्बुमिन
12. एल्युपूरीनाल
13. एल्फा इन्टरफेरोन

14. एल्प्राजोलम
15. एल्युमिनियम हाइड्राक्साइड+मैग्निशियम हाइड्राक्साइड
16. एमिकासीन
17. एमिनोफाइलीन
18. एमियोडेरोन
19. एमिट्रिप्टाइलाइन
20. एम्लोडाइपाइन
21. एमोक्सीसाइलीन
22. एम्फोटेरीसीन बी
23. एम्पीसाइलीन
24. एण्डीसनाक वीनोम
25. एण्टी-डी इम्युनोग्लोब्युलिन (ह्यूमन)
26. एण्टी टिटनेस ह्यूमन इम्युनोग्लोबिन
27. एर्टेसुनेट
28. एस्कार्बिक एसिड
29. ऐटेनोलोल
30. एट्राक्यूरिम बिसाइलेट
31. एट्रोपाइन सल्फेट
32. एजेथियोप्राइन
33. एजिथ्रोमाइसिन

बी

34. बी.सी.जी. वैक्सीन
35. बेरियम सल्फेट
36. बेक्लोमेथासोन डाप्रोपिओनेट
37. बेंजाथिन बेंजिलपेनिसीलिन
38. बेन्जोइक एसिड+सोलिसाइक्लीक एसिड
39. बेन्जोइन कम्पाउण्ड
40. बेन्जाइल बेन्जोएट
41. बेन्आइलपेनीसिलीन
42. बीटामेथासोन डाइप्रोपिओनेट
43. बीटाक्सोलोल हाइड्रोक्लोराइड
44. बाइसाकोडाइल
45. ब्लीचिंग पाउडर
46. ब्लीयोमाइसिन
47. ब्रीटाइलीयम टोसायलेट
48. ब्रोमोक्रिप्टाइन मीसाइलेट
49. ब्यूपाइवेकाइन हाइड्रोक्लोराइड
50. ब्यूस्युलफान

सी

51. कैलामाइन
52. कैल्शियम ग्लूकोनेट
53. कैल्शियम आइपोडेट
54. कैल्शियम साल्ट्स
55. कार्बामिजेपाइन
56. कार्बीमाजोल
57. सेफोटेक्साइम
58. सेफ्टाजिडाइम
59. सेफ्ट्रीयाक्सोन
60. सेफ्यूरोक्साइम
61. सेंटक्रोमन
62. सेफालेक्सिन
63. सेट्रीमाइमड
64. क्लोराम्फेनीकोल
65. क्लोर्हेक्सीडाइन
66. क्लोरोक्वीन फास्फेट
67. क्लोर्फेनिरामाइन मेलियट
68. क्लोर्प्रोमेजाइन हाइड्रोक्लोराइड
69. क्लोर्थालीडोन

70. साइप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड
71. सिस्पैटिन
72. क्लेरीथ्रोमाइसिन
73. क्लोफाजाइमाइन
74. क्लोमीफीन साइट्रेट
75. क्लोमीप्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड
76. क्लोनीडाइन हाइड्रोक्लोराइड
77. क्लोट्रीमाजोल
78. क्लोक्सासिलीन
79. कोल टार
80. कोडीन फास्फेट
81. कोल्चीसाइन
82. कन्डोम्स
83. को-ट्राइमोक्साजोल (ट्राइमेथोप्रीम+सल्फामेथोक्साजोल)
84. क्रायोप्रिसीपिटेट
85. साइक्लोफास्फामाइड
86. साइक्लोस्पोराइन
87. साइटोसाइन अरेबिनोसाइड

डी

88. डी पी टी वैक्सीन
89. डानाजोल
90. डैप्सोन
91. डेस्फेरीयोक्साइमन मीसाइलेट
92. डेक्सामेथासोन
93. डेक्सक्लोर्फेनिरामाइन मेलियेट
94. डेक्सट्रान-40
95. डेक्सट्रान-70
96. डेक्सट्रोमेथोर्फान
97. डायजेपम
98. डाइक्लोफेनाक
99. डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड
100. डाइडानोसाइन
101. डाइइथाइल कार्बामेजाइन साइट्रेट
102. डाइगोक्सिन
103. डाइहाइड्रोएर्गोटमाइन
104. डीलक्सोनाइड फुरोटेट
105. डाइल्टियेजेम
106. डाइमर्ककाप्रोल
107. डिफ्थीरिया एण्टीटोक्सिन
108. डाइथ्रानोल
109. डाब्युटेमाइन
110. डोम्पेरीडोन
111. डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड
112. डोक्साप्राम
113. डोक्सोरूबिसीन
114. डोक्सीसाइक्लाइन

ई

115. ईफाविरेंज
116. ईनालाप्रिल मेलियेट
117. रिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट
118. एस्मोलोल
119. ईथाम्ब्युटोल
120. ईथर, एनीस्थेटिक
121. ईथीनीलेस्ट्राडियोल+लेवोनोर्जेस्टेरोल
122. ईथीनीलेस्ट्राडियोल
123. ईथीनीलेस्ट्राडियोल+लेवोनार्थेस्टेरोल
124. ईथाइल एल्कोहल 70 प्रतिशत
125. ईथाइल क्लोराइड

126. ईटोपोसाइड

एफ

127. 5-फ्लोरोरासिल

128. फैक्टर IX काम्प्लैक्स (कोग्यूलेशन फैक्टर्स II, VII, IX, X)*

129. फैक्टर VIII कन्सन्ट्रैट

130. फैरस साल्ट

131. फ्ल्यूकोनाजोल

132. फ्लूसाइटोसाइन

133. फ्लूमेजेनील

134. फ्लूरीस्सीन

135. फ्लूक्सेटाइन हाइड्रोक्लोराइड

136. फ्लूटामाइड

137. फोलिक एसिड

138. फोलिनिक एसिड

139. फार्मेल्डिहाइड आई पी

140. फ्रेमाइसेटीन सल्फेट

141. फ़्रेश फ्रोजन प्लास्मा

142. फयूरोजोलीडोन

143. फयूरोसेमाइड

जी

144. गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड

145. जैमसीटेबाइन हाइड्रोक्लोराइड

146. जेंटामाइसिन

147. जेंटिएन बायलेट

148. ग्लिबेनक्लामाइड

149. ग्लूकोगोन

150. सोडियम क्लोराइड के साथ ग्लूकोज

151. ग्लूकोज

152. ग्लूटेराल्डीहाइड

153. ग्लिसरीन

154. ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट

155. ग्रिसेओफुलवीन

एच

156. हैलोपेरीडोल

157. हैलोथेन

158. हेपारीन सोडियम

159. हेपाटाइटिस की वैक्सीन

160. होमाट्रोपाइन

161. हार्मोन रिलिजिंग आई यू डी

162. हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड

163. हाइड्रोकोर्टीसोन सोडियम सक्सीनेट

164. हाइड्रोजन पेरोक्साइड

165. हाइड्रोजाइथाइल स्टार्च (हेटास्टार्च)

166. हायोस्साइन ब्युटाइल ब्रोमाइड

आई

167. आइबुप्रोफेन

168. इमीप्रामाइन

169. इंदीनावीर

170. इसुलिन इंजेक्शन (सोल्युबल)

171. इंटरमीडियेट एक्टिंग इन्सुलिन (लेन्टे/एन पी एच इंसुलिन)

172. इंट्रापेरीटोनील डायलिसिस सोल्युशन (लगभग संगठन का)

173. आयोडीन

174. आइपोनोइक एसिड

175. आयरन डेक्सट्रान

176. आइसो फ्लूरेन

177. आइसोनाइजिड

178. आइसोप्रेनालाइन हाइड्रोक्लोराइड

179. आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट/डाइनाइट्रेट

180. आइसोक्ससुप्राइन हाइड्रोक्लोराइड

181. इस्फाघुला

182. कापर सहित आई यू डी

के

183. केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड

184. कीटोकोनाजोल

एल

185. एल-एस्पाराजीनेस

186. लेमीव्युडाइन+जीडोव्युडाइन

187. लेमीव्युडाइन+नेविरापाइन+स्टाव्युडाइन

188. लेमीव्युडाइन

189. लेवोडोपा+कार्बीडोपा

190. लेवोथाइरोक्साइन

191. लिग्नोकैन हाइड्रोक्लोराइड

192. लिग्नोकैन हाइड्रोक्लोराइड

193. लिग्नोकैन

194. लिथीयम कार्बोनेट

195. लोकल एनीस्थेटीक, एस्ट्रीन्जैंट और एण्टीइनफ्लेम्मेटरी दवाइयां

196. लोपरामाइड (बाल चिकित्सा उपयोग हेतु कान्ट्रेन्डीकेटिड)

197. लोसार्टन पोटेसियम

एम

198. मैग्नीशियम सल्फेट

199. मेन्नीटोल

200. मीसल्स वैक्सीन

201. मेबेंडाजोल

202. मेडरोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट

203. मेग्लुमाइन आयोथालामेट

204. मेग्लुमाइन आयोट्रोक्सेट

205. मेल्फालान

206. मेनाडियोन सोडियम सल्फाइट

207. मर्काप्टोप्युरीन

208. मेटफार्मेन

209. मेथोट्रेक्सेट

210. मिथाइल सेल्युलोस

211. मिथाइल एर्गोमेट्राइन

212. मिथाइलडोपा

213. मिथाइल प्रेडनिसोलोन

214. मिथाइलरोसेनिलिनियम क्लोराइड (जेंटियन बायलेट)

215. मिथाइलथिओनिनियम क्लोराइड (मेथाइलिन ब्लू)

216. मेटोक्लोप्रामाइड

217. मेटोप्रोलोल

218. मेट्रोनाइडेजोल

219. मेक्सीलेटाइन हाइड्रोक्लोराइड

220. माइकानोजोल

221. माइडाजोलम

222. माइफेप्रिस्टोन

223. माइटोमाइसिन-सीन

224. मोर्फाइल सल्फेट

225. मल्टीविटामिन्स

एन

226. एन/2 लवणीय

227. एन/5 लवणीय

228. नालीडिक्सिक एसिड

229. नालोक्सोन

230. नेलफीनेवीर

231. नीओमाइसीन+बैसीट्रेसीन

232. नीओस्टीग्माइन

233. नेविरापाइन

234. नाइक्लोसेमाइड

235. नाइकोटाइनमाइड

236. नाइफेडाइपाइन

237. नाइट्राजेपम

238. नाइट्रोफ्यूरांटोइन

239. नाइट्रस आक्साइड

240. नोरेथिस्टेरोन

241. नोर्फलोक्सासिन

242. सामान्य लवणीय

243. नाइस्टेटीन

ओ

244. ओफ्लोक्सासिन

245. ओमेप्राजोल

246. ओंडान्सेट्रान

247. ओरल पोलियोमाइलिटिस वैक्सीन (लाइव एटेन्युएटिड)

248. ओरल रिटाइड्रेशन साल्टस

249. आक्सीन

250. ओक्सीटोसिन

पी

251. पेक्लीटेक्सल

252. पेन्क्युरोनियम ब्रोमाइड

253. पैरासिटामोल

254. पेनिसीलेमाइन

255. पेन्टामाइडाइन आइसोथियोनेट

256. पेन्टाजोसाइन

257. पेथीडाइन हाइड्रोक्लोराइड

258. फेनीरामाइन मेलियेट

259. फीनोबार्बीटोन

260. फीनाइलेफ्राइन

261. फीनाइटोइन सोडियम

262. फीसोस्टीग्माइन सेलिसाइलेट

263. फाइटोमीनाडियोन

264. पाइलोकार्पाइन

265. प्लेटेलेट रिच प्लास्मा

266. पोलीजेलाइन

267. पोटाशियम क्लोराइड

268. पोटाशियम परमेंगनेट

269. पोवीडोन आयोडीन

270. प्रालीडोक्साइन क्लोराइड (2-पी ए एम)

271. प्राजीक्वांटेल

272. प्रेडनीसोलोन

273. प्रेडनीसोलोन एसीटेट

274. प्रेडनीसोलोन सोडियम फास्फेट

275. प्राइमाक्वीन

276. प्रोकाइनामाइड हाइड्रोक्लोराइड

277. प्रोकाइन बेंजाइल पेनिसीलीन

278. प्रोकार्बाजाइन

279. प्रोक्लोर्पेराजाइन

280. प्रोमेथाजाइन

281. प्रोप्रानोलोल हाइड्रोक्लोराइड

282. प्रोप्रानोलोल

283. प्रायाइलयोडोन

284. प्रोटेमाइन सल्फेट

285. पाइरेन्टेल पामोएट

286. पाइराजिनामाइड

287. पाइरीडोस्टीग्माइन ब्रोमाइड

288. पाइरीडोक्साइन

289. पाइरीमेथामाइन

क्यू

290. क्यूनीडाइन

291. क्यूनीइन सल्फेट

आर

292. रेबीज इम्युनोग्लुब्युलीन

293. रेबीज वैक्सीन

294. रेलोक्सीफीन

295. रेनीटाइडाइन हाइड्रोक्लोराइड

296. राइबोफ्लेविन

297. राइफाम्पीसिन

298. रिंगर लेक्टेट

299. रिटोनावीर

300. रोक्सीथ्रोमाइसिन

एस

301. साब्युटामोल सल्फेट

302. सोलिसाइलिक एसिड

303. सेक्विनावीर

304. सिल्वर नाइट्रेट

305. सिल्वर सल्फाडाइजाइन

306. सोडियम मेग्लुमाइन डाइट्राइज्रोएट

307. सोडियम बाइकार्बोनेट

308. सोडियम आयोथालमेट

309. सोडियम नाइट्राइट

310. सोडियम नाइट्रोप्रस्साइड*

311. सोडियम स्टीबुग्लुकोनेट

312. सोडियम थायोसल्फेट

313. सोडियम वालप्रोएट

314. स्पाइरोनोलेक्टोन

315. स्टाव्युडाइन

316. स्ट्रेप्टोकिनेस

317. स्ट्रप्टोमाइसिन सल्फेट

318. सक्साइनाइल कोलाइन क्लोराइड

319. सल्फाडोक्साइन+पाइरीमेथामाइन

320. सल्फासालाजाइन

321. सल्फासीटामाइड सोडियम

322. सल्फाडाइजाइन

टी

323. टामोक्सिफेन साइट्रेट

324. टेराजोसिन

325. टर्बुटालाइन सल्फेट

326. टेस्टोस्टेरोन

327. टिटनस टोक्सोइड

328. टेट्राकैन हाइड्रोक्लोराइड

329. टेट्रासाइक्लाइन हाइड्रोक्लोराइड

330. टेट्रासाइक्लीन

331. थिओफाइलाइन कम्पाउण्ड्स

332. थिआसीटाजोन+आइसोनियाजिड

333. थाइमाइन

334. थाओपेन्टोन सोडियम

335. टिमोलोल मेलियेट

336. टाइनाइडेजोल

337. ट्राइफ्लूपेराजाइन

338. ट्राइहैक्सीफिनाइडिल हाइड्रोक्लोराइड

339. ट्राइमेथोप्रिम

340. ट्रापीकेमाइड

341. टयुबरकुलीन, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव

यू

342. यूरोकिनेस

वी

343. वानोमाइसीन हाइड्रोक्लोराइड

344. वेरापामिल

345. विनब्लास्टाइन सल्फेट

346. विंक्रिस्टाइन

347. विटामिन ए

348. विटामिन बी 12

349. विटामिन डी 3 (इर्गोकेल्सीफेरोल)

डब्ल्यू

350. वारफारिन सोडियम

351. वाटर फार इंजेक्शन

एक्स

352. जाइलोमेटाजोलाइन

जैड

353. जाइडोव्युडाइन

354. जिंक आक्साइड

विवरण II

अनिवार्य औषधों की राष्ट्रीय सूची

अनिवार्य औषधों की राष्ट्रीय सूची को तैयार करने में सहभागियों की सूची

(i) डा. एस.डी. सेठ — अध्यक्ष

(ii) श्री अश्विनी कुमार — सदस्य सचिव

(iii) डा. वाई.के. गुप्ता, प्रोफेसर, फार्माकोलोजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। — सदस्य

(iv) डा. सी.पी. सिंह, चिकित्सा अधीक्षक, राम मनोहर लोहिया अस्पताल। — सदस्य

(v) डा. वाई.एन. राव, उप महानिदेशक (एम) — सदस्य

(vi) डा. संदीप गुलेरिया, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। — सदस्य

(vii) डा. पी.एल. जोशी, अपर परियोजना निदेशक, नाको — सदस्य

(viii) डा. जी.पी. सिन्हा, प्रोफेसर, मेडिसिन, पटना मेडिकल कालेज। — सदस्य

(ix) डा. जे.एन. पांडे, विभागाध्यक्ष (मेडिसिन), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। — सदस्य

(x) डा. जी.के. विश्वास, अपर महानिदेशक (भंडार) — सदस्य

(xi) डा. निकिता गुप्ता कमल — सदस्य

(xii) डा. रीता सूद (सहयोजित) — सदस्य

(xiii) डा. आर.एन. सलहन (अप्रैल, 2003 में सहयोजित)। — सदस्य

(xiv) डा. ऊषा गुप्ता (दिसम्बर, 2002 में सहयोजित)। — सदस्य

(xv) डा. बृजेश रीगल, औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय में विश्व स्वास्थ्य संगठन परामर्शदाता। — समन्वयक

गुजरात में मोबाइल सेवाएं

4935. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के कई क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन सेवा उपलब्ध नहीं है/शुरू नहीं की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्य के उन जिलों के नाम क्या हैं जहां मोबाइल सेवा की स्वीकृति दी गयी है;

(घ) राज्य के शेष हिस्सों में कब तक इस सुविधा को मुहैया कराए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस उद्देश्य के लिए कितनी निधि आबंटित की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) और एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के अनुसार गुजरात दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं द्वारा नीचे दिए गए ब्योरों के अनुसार कवरेज प्रदान करना अपेक्षित है:

"......लाइसेंस की प्रभावी तारीख से पहले वर्ष के भीतर कम से कम 10 प्रतिशत जिला मुख्यालय और तीन वर्षों के भीतर

50 प्रतिशत जिला मुख्यालय कवर किए जाएंगे। लाइसेंसधारी को जिला मुख्यालय के बदले में जिले के भीतर स्थित किसी अन्य कस्बे को कवर करने की भी अनुमति होगी। किसी जिला मुख्यालय/कस्बे को कवर करने का अर्थ होगा कि नगरपालिका की सीमा के भीतर कम से कम 90 प्रतिशत क्षेत्र के अंतर्गत अपेक्षित गलियां और भवनों के भीतर का क्षेत्र कवर हो। जिला मुख्यालय को कवर करने का कार्य लाइसेंस की प्रभावी तारीख से चालू माना जाएगा। कवर किए जाने वाले जिला मुख्यालय/कस्बे का चयन और 50 प्रतिशत जिला मुख्यालयों/कस्बों से आगे विस्तार लाइसेंसधारी पर निर्भर करेगा जो अपने व्यावसायिक निर्णय के आधार पर इस संबंध में निर्णय ले सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अनिवार्य कवरेज के संबंध में कोई अपेक्षा निर्धारित नहीं की गई है।''

लाइसेंसधारी सेवा प्रदाताओं ने कहा है कि गुजरात के अनेक भागों में मोबाइल टेलीफोन सेवा उपलब्ध है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने गुजरात राज्य में 5000 किमी राजमार्गों और 500 किमी रेलमार्गों के अतिरिक्त 25 जिला मुख्यालयों सहित 238 शहरों/कस्बों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराई है। उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य निजी प्रचालकों ने भी गुजरात के अनेक भागों में मोबाइल सेवाएं प्रदान की हैं।

(घ) और (ङ) भारत संचार निगम लिमिटेड ने गुजरात राज्य के तहसील मुख्यालय तक के अतिरिक्त शहरों/कस्बों को कवर करने के लिए मोबाइल नेटवर्क के विस्तार की योजना बनाई है। वर्ष 2005-2006 के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड के नेटवर्क विस्तार पर 816.63 करोड़ रु. व्यय होने का अनुमान है।

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाया जाना

4936. श्री जुएल ओराम: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6, 203 और 215 को चार लेन का बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के समक्ष विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा में इन राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने के लिए कितनी धनराशि नियत और संस्वीकृत की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी हां। रा.रा. 6 के संबलपुर-उड़ीसा/छत्तीसगढ़ सीमा खंड वाया बारगढ़ (88 कि.मी. लंबाई), रा.रा. 203 के भुवनेश्वर-पुरी खंड (59 कि.मी. लंबाई) और रा.रा. 215 के पानीकोइली-राक्सी खंड वाया क्योंझर (249 कि.मी. लंबाई) को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी चरण-III) के अंतर्गत चार लेन का बनाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। रा.रा. 215 के लिए साध्यता अध्ययन करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं।

वैज्ञानिकों द्वारा भूकम्प की चेतावनी

4937. श्री दुष्यन्त सिंह:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिनांक 18 मार्च, 2005 के ''द हिन्दू'' में प्रकाशित इस खबर की जानकारी है कि हिन्द महासागर में 26 दिसम्बर को आए भूकम्प के प्रभावों का विश्लेषण करने वाले वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र में एक अन्य विनाशकारी भूकम्प के आने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां। दिनांक 18 मार्च, 2005 को ''द हिन्दू'' में दिये गये एक लेख में कुछ वैज्ञानिकों ने 26 दिसम्बर, 2004 के भूकंप के बाद इस क्षेत्र में और भी विनाशकारी भूकंपों की चेतावनी दी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत मौसम विज्ञान विभाग इन गतिविधियों का अपने राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से सतत रूप से मानीटरन कर रहा है। अब तक भारत मौसम विज्ञान द्वारा 5.0 तथा इससे अधिक तीव्रता वाले 306 झटके दर्ज किए गए हैं।

सेमी कण्डक्टर काम्पलेक्स लिमिटेड का कार्य निष्पादन

4938. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेमी कण्डक्टर काम्पलेक्स लिमिटेड (एससीएल) पिछले तीन वर्षों से लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एससीएल लगातार घाटे में चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एससीएल, बीईएल तथा इन्टीग्रेटेड सर्किल टेक्नोलाजी और अप्लाइड रिसर्च (एसआईटीएआर) के साथ विलय से संबंधित प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है;

(च) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(छ) क्या योजना आयोग ने एससीएल को पुनरूज्जीवित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को छोटे समूह बनाने का सुझाव दिया है; और

(ज) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और एससीएल को उबारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ज) सेमी कंडक्टर कम्पलेक्स लिमिटेड (एस.सी.एल.) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी.आई.टी.), संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन था। प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डा. आर. चिदम्बरम की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर, एस.सी.एल. को मार्च 01, 2005 से अन्तरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया। तदनुसार, उपर्युक्त प्रश्न के सदंर्भ में सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

[हिन्दी]

सम्पत्ति के अवैध अर्जन से संबंधित सी.बी.आई. की रिपोर्ट

4939. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या प्रधानमंत्री सम्पत्ति के अवैध अर्जन से संबंधित सी.बी.आई. की रिपोर्ट के बारे में 23 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3109 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 2002 से 2005 (28 फरवरी, 2005) तक सरकारी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्ट तरीकों से अपने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति/आस्तियों के अर्जन से संबंधित दर्ज किए गए 331 मामलों में जांच रिपोर्ट, शामिल कर्मचारियों के नाम और पदनाम तथा मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों के पास भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई तंत्र है;

(ग) यदि हां, तो जिन एजेंसियों को इस प्रकार के कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गयी है, उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2001 से 2004 के दौरान सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त संबंध में की गयी जांच और की गयी कार्रवाई का राज्य-वार सांख्यिकीय ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) दिनांक 23 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न के उत्तर के अनुसार 311 मामले है न कि 331। इन 331 मामलों में से 144 मामलों में जांच पूरी की जा चुकी है। 69 मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं। 35 मामलों से नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है तथा 18 मामलों में अभियोजन की मंजूरी मांगी गई है, 20 मामलों को समाप्त किए जाने की सिफारिश की गई है और 2 मामले संबधित विभागों को उपयुक्त कार्यवाही हेतु भेज दिए गए हैं। उन मामलों को छोड़कर जिनमें अभी जांच चल रही है, मामलों का ब्यौरा जिसकी मांग की गई है संलग्न विवरण के अनुसार है। बकाया 167 मामलों के विवरण का खुलासा नहीं किया जा सकता ताकि उनकी जांच पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(ख) और (ग) इस कार्य हेतु राज्य सरकारों के पास उनके संबंधित राज्यों में सतर्कता विभाग, भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो, जांच अभिकरण तथा लोकायुक्त आदि जैसे विभिन्न अभिकरण है।

(घ) और (ङ) भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के राज्य-वार ब्योरों को केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता।

विवरण

क्र.सं.	आरोपी का नाम तथा पदनाम	मामले की वर्तमान स्थिति और आरोपी के बारे में की गई कार्रवाई	आय के अनुपात से अधिक परिसम्पत्तियां जिनके लिए आरोप-पत्र दायर किया गया है
1	2	3	4
1.	एम.क्यू. अंसारी, तत्कालीन ए.जी.एम. (सी.), सी.जी.एम.टी. का कार्यालय, बिहार दूर-संचार परिमंडल, पटना।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	48.27 लाख रुपए
2.	श्री पंकज कुमार, निरीक्षक, सीमा शुल्क, पटना प्रभाग, पटना।	नियमित विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई।	लागू नहीं
3.	श्री नागबंश सिंह, अधीक्षक, सीमा शुल्क, पटना प्रभाग, पटना।	अभियोजन के लिए मंजूरी प्रतीक्षित है।	लागू नहीं
4.	श्री बी. जगन्नाथ, मुख्य लेखा अधिकारी, मुख्य महाप्रबंधक का कार्यालय, बैंगलूर दूर-संचार जिला, बी.एस.एन.एल., बैंगलूर।	नियमित विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई।	लागू नहीं
5.	श्री एम.वी. विद्यासागर, सहायक अभियंता, योजना, आई.टी.आई., बैंगलूर।	नियमित विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई।	लागू नहीं
6.	श्री जी.जे. सुरेश, कार्यालय अधीक्षक, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि., इलैक्ट्रानिक प्रभाग, मैसूर रोड, बैंगलूर।	मामला समाप्त कर दिया गया।	लागू नहीं
7.	श्री एन. रामानुज, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि., बैंगलूर।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	178.84 लाख रुपए
8.	श्री एस. थिम्माराजा, जे.टी.ओ., भारत संचार निगम लि., जिला देवेनगिरि, कर्नाटक।	नियमित विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई।	लागू नहीं
9.	श्री आर. शंकरप्पा, उप प्रभागीय अभियंता, बी.एस.एन.एल., मल्लेश्वरम, बैंगलूर।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	23.72 लाख रुपए
10.	श्री पी. मल्लिकार्जुन, टेलीफोन मैकेनिक, बी.एस.एन.एल., मल्लेश्वरम, बैंगलूर।	नियमित विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई।	लागू नहीं

1	2	3	4
11.	श्री एम.एल. खारू, उत्पाद सहायक, दूरदर्शन केन्द्र, जम्मू।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	27.28 लाख रुपए
12.	श्री मनोहर लाल सेठी, वरिष्ठ लेखाकार, महालेखाकार का कार्यालय, जम्मू।	नियमित विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई।	लागू नहीं
13.	श्री मनोहर लाल, उप प्रभागीय अभियंता (ट्रांसमिशन) बी.एस.एन.एल., जम्मू।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	13.07 लाख रुपए
14.	श्री वर्गीश कोशी, बिक्री सहायक, भारत पर्यटन विकास निगम, ड्यूटी फ्री शाप, सहारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुम्बई।	श्री वर्गीश कोशी के विरुद्ध भारी शास्ति के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई की संस्तुति संबंधी पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट, कार्यकारी निदेशक (सतर्कता) भारतीय पर्यटन विकास निगम, नई दिल्ली को दिनांक 10.11.03 को अग्रेषित की गई।	लागू नहीं
15.	श्री जे.एल. कोटेचा, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क, जिला धरनगाधरा, सुरेन्द्रनगर, गुजरात।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	21.10 लाख रुपए
16.	श्री के.एन. चावड़ा, निरीक्षक, सीमा शुल्क, अहमदाबाद।	मामला समाप्त कर दिया गया।	-
17.	श्री डी.वी. ओडेदरा, उप प्रभागीय अधिकारी (टी), बी.एस.एन.एल., रानावव (पोरबंदर)।	मामला समाप्त कर दिया गया।	-
18.	श्री वी.के. पुरी, सीमा शुल्क आयुक्त, लखनऊ।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	130 लाख रुपए
19.	श्री एनटोनियो जोस दिनीज, कनिष्ठ सामग्री अधिकारी, सामग्री प्रबंधक का कार्यालय, मोर्गागुआ पत्तन न्यास, गोवा, स्थित-मैनेजमेंट स्केल-III।	नियमित विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई।	लागू नहीं
20.	श्री मानवीर सिंह कौशल, स्थानापन उप प्रभागीय अभियंता, गोवा दूर-संचार, बी.एस.एन.एल., गोवा	अभियोजन के लिए मंजूरी प्रतीक्षित है।	लागू नहीं

1	2	3	4
21.	श्री ए.एल. तेजपाल, संयुक्त सहायक निदेशक, आसूचना ब्यूरो, नई दिल्ली।	मामला समाप्त कर दिया गया।	शून्य
22.	श्री पूरण चन्द्र प्रधान, अधिकारी (निवेश), कटक, ग्राम्य बैंक, कटक।	मामला समाप्त कर दिया गया।	शून्य
23.	श्री अभिमन्यु सतपथी, उच्च श्रेणी लिपिक, पुरातत्वविद् अधीक्षक का कार्यालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भुवनेश्वर।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	19.72 लाख रुपए
24.	श्री सुजल कुमार देब, सहायक अभियंता (सेवानिवृत्त), भारतीय तेल लि.।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	17.60 लाख रुपए
25.	श्री दीपक कुमार डेका, संदेशवाहक, नुम्बलीगढ़ रिफाइनरी लि.।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	1.72 लाख रुपए
26.	श्री पी.सी. दास, उप प्रभागीय अधिकारी (प्रापण), बी.एस.एन.एल.।	अभियोजन के लिए मंजूरी प्रतीक्षित है।	-
27.	श्री बीरेन बोर्गोहेन, कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी, उत्तर-पूर्वी इलैक्ट्रिक विद्युत निगम, श्रीमती रूप लेखा बोर्गोहेंन, प्रो. तथा विभागाध्यक्ष, राजनीति शास्त्र, एन.ई.एच.यू.।	मामला समाप्त कर दिया गया।	
28.	श्री के.सी. मेधी, उप प्रभागीय अधिकारी (फोन), बी.एस.एन.एल.।	उचित समझी जाने वाली कार्रवाई के लिए विभाग को भेजा गया।	-
29.	श्री अनिल कुमार, डी.सी.ओ.एस., उत्तर फ्रंटियर रेलवे।	अभियोजन के लिए मंजूरी प्रतीक्षित।	-
30.	श्री थिर्मल तालुकदार, उच्च श्रेणी सहायक, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	19.29 लाख रुपए
31.	श्री रूप कुमार गोगोई, सहायक, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	12.34 लाख रुपए
32.	श्री राम नारायण, तत्कालीन दूर-संचार, जिला प्रबंधक, लखीमपुर खेरी।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	65.18 लाख रुपए
33.	श्री मनोज कुमार सिंह, उप प्रभागीय अभियंता, दूर-संचार, पालिया लखीमपुर।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	32.98 लाख रुपए

1	2	3	4
34.	श्री अतुल चन्द्र तिकदर, अपर सीमा शुल्क आयुक्त, कोलकाता पूर्व अपर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, विशाखापट्टनम।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	29.75 लाख रुपए
35.	श्री ए.बी. रमनैया, महाप्रबंधक, वित्त एवं लेखा, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	18.30 लाख रुपए
36.	श्री के. सन्यासी राव, प्रबंधक (वित्त), विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम।	नियमित विभागीय कार्रवाई के लिए संस्तुति की गई।	लागू नहीं
37.	श्री एम. सुब्रमणियम, आयकर आयुक्त, आयकर, विजयानगरम।	आरोप-पत्र दायर किया	24.87 लाख रुपए
38.	श्री गोपाल सिंह, वरिष्ठ लिपिक, केन्द्रीय कोल फील्ड्स लि., हेसागढ़ कोलरी, कुजु क्षेत्र, हजारीबाग।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	26.73 लाख रुपए
39.	श्री शंकर कुमार अग्रवाल, सामग्री प्रबंधक, केन्द्रीय कोल फील्ड्स लि., दरभंगा हाऊस, रांची।	अभियोजन के लिए मंजूरी प्रतीक्षित है।	लागू नहीं
40.	1. श्री ए. मनिकम, उप प्रबंधक (अनुरक्षण), चेन्नई पैट्रोलियम निगम लि., चेन्नई। 2. श्रीमती एस. लुईसा, पत्नी श्री ए. मनिकम।	नियमित विभागीय कार्रवाई के लिए संस्तुति की गई।	लागू नहीं
41.	श्री पी. विजय अमल दास, जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, कुडालोर, 2. श्रीमती रेजीना मेरी, पत्नी श्री विजय अमल दास, अध्यापिका, राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, कुडालोर।	दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किया गया।	18.64 लाख रुपए
42.	श्री के.आर. वेलु, उपायुक्त, सीमा शुल्क, चेन्नई।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	53.05 लाख रुपए
43.	श्री जी. वेंकटनारायण, राज्य निदेशक, खादी ग्रामोद्योग आयोग, चेन्नई।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	47.01 लाख रुपए
44.	श्री पी. प्रभाकरण, अधीक्षक, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क भवन, चेन्नई।	नियमित विभागीय कार्रवाई के लिए संस्तुति की गई।	लागू नहीं

1	2	3	4
45.	श्री वीरेन्द्र सिंह, भारतीय राजस्व सेवा: 1967, महानिदेशक, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं नारकोटिक्स अकादमी, फरीदाबाद (31.10.2004 को सेवानिवृत्त)।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	243.28 लाख रुपए
46.	श्री रामचन्द्र सांखला, भारतीय राजस्व सेवा: 1990, तत्कालीन सहायक समाहर्ता, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अमृतसर।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	8.68 लाख रुपए
47.	श्री बंकिम कपाड़िया, मुख्य प्रोड्यूसर, फिल्म प्रभाग, मुम्बई।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	58.55 लाख रुपए
48.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद राय, उप निदेशक, कृषि प्रशासन, दमन और दीव, दमन।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	21.96 लाख रुपए
49.	श्री हर्ष श्रीवास्तव, अप्रेजर, नया सीमा शुल्क भवन, मुम्बई।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	29.58 लाख रुपए
50.	श्री सुधाकर पांडुरंग फड़के, परीक्षक, सीमा शुल्क, मुम्बई।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	17.90 लाख रुपए
51.	1. श्री मो. जहीर शेख, केबल ज्वायंटर महानगर टेलीफोन निगम लि., नवी मुम्बई।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	17.62 लाख रुपए
	2. श्रीमती सलमा जहीर शेख (उपर्युक्त 1 की पत्नी)।		
52.	श्री सी.एल. थदानी, सीमेन्स प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का कार्यालय, बल्लार्ड एस्टेट, मुम्बई।	अभियोजन के लिए मंजूरी प्रतीक्षित है।	–
53.	श्री एम.आर. घुवादे, अधिकारी, एम.टी.एन.एल., मुम्बई।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	6.58 लाख रुपए
54.	श्री लाजपत राय वाघेला, उत्पाद शुल्क निरीक्षक, दीव, दमन तथा दीव संघ शासित क्षेत्र।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	17.78 लाख रुपए
55.	श्री के.डी. पालोस, प्रभागीय अभियंता, एम.टी.एन.एल., मुम्बई।	अभियोजन के लिए मंजूरी प्रतीक्षित है।	–
56.	श्री ए.एम. सानंद, कार्यकारी अभियंता, दमन तथा दीव प्रशासन, इलैक्ट्रीसिटी विभाग, दमन।	अभियोजन के लिए मंजूरी प्रतीक्षित है।	–

1	2	3	4
57.	श्री एस.एन. शर्मा, निरीक्षक, आयकर विभाग, मकराना, राजस्थान।	नियमित विभागीय कार्रवाई के लिए संस्तुति की गई।	शून्य
58.	श्री एन.एस. राठौर, तत्कालीन महाप्रबंधक, एम.एम.टी.सी., जयपुर (अब नई दिल्ली में)।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	25.13 लाख रुपए
59.	श्री बी.आर. मीणा, अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जयपुर।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	50.36 लाख रुपए
60.	श्री आर.ए. वर्मा, संयुक्त आयकर आयुक्त, रेंज-II, जयपुर।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	107.98 लाख रुपए
61.	श्री ए.एल. नायक, ड्राईवर, 610, इलैक्ट्रीकल ब्रांच, द्वारा 56 ए.पी.ओ., आगरा।	आरोप-पत्र दायर किया	9.06 लाख रुपए
62.	श्री बी.एल. मीणा, वरिष्ठ प्रभागीय अभियंता, दक्षिण रेलवे, मैसूर।	आरोप-पत्र दायर किया गया।	51.59 लाख रुपए
63.	श्री एस.पी. कंसल, सहायक उत्पाद शुल्क तथा कराधान आयुक्त (मुख्यालय) संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़।	नियमित विभागीय कार्रवाई के लिए संस्तुति की गई।	लागू नहीं
64.	श्री अमरीश जैन, उपायुक्त, सीमा शुल्क, लुधियाना।	अभियोजन के लिए मंजूरी प्रतीक्षित है।	लागू नहीं
65.	श्री अरूण कुमार सिंघल, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (प्रीवेंटिव), चंडीगढ़-1, कमिश्नरेट सी.आर. बिल्डिंग, सैक्टर-17, चंडीगढ़।	मामला समाप्त कर दिया गया।	लागू नहीं
66.	श्री जगतार सिंह, एक्स.ई.एन., जल आपूर्ति, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली।	मामला समाप्त कर दिया गया।	लागू नहीं
67.	श्री राजपाल सिंह, आयकर आयुक्त, अपील, अहमदाबाद।	मामला समाप्त कर दिया गया।	लागू नहीं
68.	श्री धर्मपाल, सब-डिवीजनल अधिकारी, दूरसंचार विभाग, होशियारपुर	नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश (भारी)	लागू नहीं
69.	श्री भरत लाल, महाप्रबंधक (आर. एंड एस.एम.), भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, छत्तीसगढ़	आरोप-पत्र दायर	23.25 लाख रुपये

1	2	3	4
70.	श्री जगमोहन जैन, मुख्य अग्नि-शमन प्रबंधक, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, छत्तीसगढ़	आरोप-पत्र दायर	23.62 लाख रुपये
71.	श्री एच.एस. शर्मा, अधीक्षक अभियंता (सिविल), बी.एस.एन.एल., जबलपुर	अभियोजन की मंजूरी प्रतीक्षित	-
72.	श्री ए.के. कोहली, पूर्व गैरिसन अभियंता (इ. एंड एम.), सेना अभियंत्री सेवा, सिकन्द्राबाद। इस समय विद्युत निरीक्षक, उत्तरी कमाण्ड, उधमपुर।	आरोप-पत्र दायर	64.49 लाख रुपये
73.	श्री शिवराम प्रसाद, उप-वित्त सलाहकार एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (बजट), साऊथ सेन्ट्रल रेलवे, सिकन्द्राबाद।	नियमित विभागीय कार्रवाई लम्बित	-
74.	श्रीमती के. मैथिलीरानी, आई.आर.एस., आयुक्त (अपीलीय), आयकर, हैदराबाद।	आरोप-पत्र दायर	242.50 लाख रुपये
75.	डा. गौतम राय, वरिष्ठ अनुमण्डल चिकित्सा अधिकारी, नैहटी, पूर्व रेलवे।	मामला समाप्त	लागू नहीं
76.	श्री असीम सरकार, सहायक लिपिक-ग्रेड-1, भारतीय खाद्य निगम, सिल्लीगुड़ी।	आरोप-पत्र दायर	17.47 लाख रुपये
77.	श्री शम्भु नाथ भट्टाचार्य, अभिलेखीय लिपिक, न्यू इंडिया इन्श्योरेन्स कं. लिमिटेड।	नियमित विभागीय कारवाई की सिफारिश	लागू नहीं
78.	श्री सुधीर सरकार, दूरभाष सर्वेक्षक, बी.एस.एन.एल. गैंगटोक, सिक्किम।	नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश	लागू नहीं
79.	श्री बलवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण भवन, पोर्ट ब्लेयर।	नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश	लागू नहीं
80.	श्री एस.सी. जैन, निदेशक (वित्त), मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, नागपुर।	आरोप-पत्र दायर	64.27 लाख रुपये
81.	श्री सैयद अलताफ, चल टिकट निरीक्षक, सेन्ट्रल रेलवे, नागपुर।	आरोप-पत्र दायर	19.34 लाख रुपये

1	2	3	4
82.	श्री वी.के. वर्मा, मुख्य स्थायी पथ निरीक्षक, सेन्ट्रल रेलवे, कलमेश्वर।	आरोप-पत्र दायर	12.92 लाख रुपये
83.	श्री शेष राव इंगले, सहायक आयकर आयुक्त, औरंगाबाद।	आरोप-पत्र दायर	30.24 लाख रुपये
84.	श्री बी.एस. काटे, तत्कालिक सहायक अभियंता निर्माण, सेन्ट्रल रेलवे, भोपाल।	24.12.2002 का न्यायालय में आरोप-पत्र दायर। निर्णय 31.7.2004 को विशेष न्यायाधीश भोपाल की अदालत में दिया गया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और चार वर्ष की कड़ी कैद तथा पचास हजार रुपये का दण्ड लगाया।	12.46 लाख रुपये
85.	श्री एच.पी. शुक्ला, निदेशक, आई.आई.एच.टी., जोधपुर।	आरोप-पत्र दायर	21.44 लाख रुपये
86.	श्री ओम बंसल, अवर श्रेणी लिपिक, अतिरिक्त आयकर आयुक्त कार्यालय, उदयपुर।	आरोप-पत्र दायर	25 लाख रुपये
87.	श्री वाई.वी. जैन, सी.डब्ल्यू.ई., वायु सेना, बीकानेर।	आरोप-पत्र दायर	11.83 लाख रुपये
88.	श्री बाल किशन, उप-महाप्रबंधक (सिटी) बी.एस.एन.एल., जोधपुर।	अभियोजन की मंजूरी प्रतीक्षित	लागू नहीं
89.	श्री विरेन्द्र सिंह, परियोजना निदेशक, टी.सी.आई.एल., नई दिल्ली।	आरोप-पत्र दायर	86.55 लाख रुपये
90.	श्री अशोक कुमार रासवंत, मीटर रीडिंग निरीक्षक, नई दिल्ली विद्युत बोर्ड।	आरोप-पत्र दायर	19.13 लाख रुपये
91.	श्री अशोक मेहता, सहायक जोनल निरीक्षक, एम.सी.डी., गीता कालोनी।	अभियोजन की मंजूरी प्रतीक्षित	लागू नहीं
92.	डा. संतोष कुमार झा, चिकित्सा अधिकारी, कम्पोजिट होस्पिटल, बी.एस.एफ., अकादमी, टेकनपुर, मध्य प्रदेश।	आरोप-पत्र दायर	15.22 लाख रुपये

1	2	3	4
93.	श्री एस. मल्लैयाचामी, भा.प्र.स. (ए.जी.एम.यू.-71), प्रबंध निदेशक, खादी ग्राम उद्योग, दिल्ली।	आरोप-पत्र दायर	123.86 लाख रुपये
94.	श्री बलवान सिंह, कनिष्ठ अभियंता, उपमंडल, एस.एन. पुरी, सी.पी.डब्ल्यू.डी., उत्तरी दिल्ली।	आरोप-पत्र दायर	4.61 लाख रुपये
95.	(1) श्री पवन कुमार गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता, एम.सी.डी., सुभाष नगर, नई दिल्ली। (2) श्रीमती वीणा रानी, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापिका, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मंगोलपुरी, नई दिल्ली।	नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश (लघु)	लागू नहीं
96.	श्री आर.पी. शर्मा, सहायक मुख्य आसूचना अधिकारी, आसूचना ब्यूरो, 5, मोती लाल नेहरू प्लेस, अकबर रोड, नई दिल्ली।	मामला समाप्त	लागू नहीं
97.	श्री मांगे राम, प्रधान लिपिक, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, साऊथ दिल्ली, निर्वाचन कार्यालय, एम.बी. रोड, साकेत, नई दिल्ली।	मामला समाप्त	लागू नहीं
98.	संतोष के. चौधरी, सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, नई दिल्ली।	नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश (लघु)	लागू नहीं
99.	ए.के. सिंह (सेवा-निवृत्त), कमाण्डेन्ट जेनरल, होमगार्ड एंड सिविल डिफेन्स, दिल्ली।	मामला समाप्त, आरोपी की जांच के दौरान मृत्यु।	लागू नहीं
100.	पी.के. राजीवन, प्रबंधक, (सिविल), एन.टी.पी.सी., कोलदार, हिमाचल हिमाचल प्रदेश, (पूर्व उप-प्रबंधक (सिविल), एन.टी.पी.सी., कयामकुलम, केरल।	नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश (भारी)	शून्य
101.	श्री के.जी. राजगोपाल, प्रबंधक, सिविल निर्माण विभाग, एन.टी.पी.सी., कयामकुलम, केरल	आरोप-पत्र दायर	11.01 लाख रुपये

1	2	3	4
102.	श्री बी.के. श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता (सिविल), तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम, सूरत, गुजरात।	मामला समाप्त	लागू नहीं
103.	श्री एम.के. अश्विनी, सहायक, केपीटी, गांधीधाम, गुजरात।	आरोप-पत्र दायर	14.27 लाख रुपये
104.	श्री मनोज के. भामभानी, अवर श्रेणी लिपिक, सीमा-शुल्क, काण्डला, गांधीधाम, गुजरात।	आरोप-पत्र दायर	7.84 लाख रुपये
105.	श्री कब भागचंदानी, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क, अहमदाबाद।	आरोप-पत्र दायर	32.85 लाख रुपये
106.	श्री रोहित सहगल, क्षेत्रीय प्रबंधक, इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड, कुवैत।	आरोप-पत्र दायर	75.76 लाख रुपये
107.	श्री आनन्द मोहन शरन, भा.प्र.स. (हरियाणा-1990), तत्कालिक आयुक्त (आई. एंड डी.), दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।	अभियोजन की मंजूरी प्रतीक्षित	लागू नहीं
108.	श्री त्रिभुवन सिंह, मुख्य वास्तुकार, एन.डी.एम.सी. नई दिल्ली।	अभियोजन की मंजूरी प्रतीक्षित	लागू नहीं
109.	श्री गोपाल चंद्र नन्दा, अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर।	समाप्त	लागू नहीं
110.	श्री टी.पी. त्रिपाठी, शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, सेलमपुर ब्रांच, जिला-देवरिया।	आरोप-पत्र दायर	12.20 लाख रुपये
111.	श्री टी.एन. कपूर, वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (आयोजना), मण्डलीय रेलवे अभियांत्रिक प्रबंधक, उत्तरी रेलवे, लखनऊ।	आरोप-पत्र दायर	10.95 लाख रुपये
112.	श्री पुला राव, निरीक्षक, आयकर, तानुकु, पश्चिमी गोदावरी जिला।	आरोप-पत्र दायर	7.05 लाख रुपये
113.	श्री बिरेन्द्र कुमार, सहायक लेखा अधिकारी, इन्टरनल आडिट आफिस आफ प्रिंसिपल अकाऊन्टेन्ट जेनरल, रांची।	नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश	लागू नहीं

1	2	3	4
114.	श्री के.वी. भुबाला राव, अप्रेजर, सीमा-शुल्क चैन्नई, चैन्नई।	नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश	लागू नहीं
115.	श्रीमती वालम्बल, सहायक आयुक्त (पी. एंड वी.), कमीश्नरी-II, सूरत।	मामला समाप्त	लागू नहीं
116.	श्री एस. रमैय्या, तकनीशियन, भारतीय पेट्रोलियम निगम, त्रिची।	मामला समाप्त	लागू नहीं
117.	श्री नारायण स्वामी, निवारक अधिकारी, कस्टम हाऊस, चैन्नई।	नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश (भारी)	लागू नहीं
118.	श्री सुरजीत कुमार मित्रा, उप-प्रधान बिक्री प्रबंधक, एस.ई.सी.एल., मुख्यालय, बिलासपुर।	नियमित विभागीय कारवाई की सिफारिश	लागू नहीं
119.	श्री डी.जे. प्रभाकर आनंद, आयकर अधिकारी, वार्ड-II, कुरनूल।	आरोप-पत्र दायर	6.78 लाख रुपये
120.	श्री एस. सुरेन्द्र, डाकिया, मुशिराबाद, हैदराबाद।	आरोप-पत्र दायर	6.48 लाख रुपये
121.	श्री सुकुमार पाल, एस.डी.ई. (केबल निर्माण), बी.एस.एन.एल.	आरोप-पत्र दायर	21.09 लाख रुपये
122.	श्री दिलीप कुमार मोन्डल, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बैम्बू विल्ला, कोलकाता।	आरोप-पत्र दायर	47.55 लाख रुपये
123.	मो. इकबाल अंसारी, पुत्र मो. अजीज, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क, नागपुर।	नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश	लागू नहीं
124.	श्री सरजन सिंह, अधीक्षण अभियंता (विद्युत), सी.पी.डब्ल्यू.डी., नागपुर	मामला समाप्त	लागू नहीं
125.	श्री आई.एस. भाटिया, तत्कालीन विकास अधिकारी, यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कं. लिमिटेड, इंदौर।	आरोप-पत्र दायर	20.71 लाख रुपये
126.	श्री रमेश चंद शर्मा, लिपिक-सह-रोकड़पाल, स्टेट बैंक आफ बिकानेर एंड जयपुर, चित्तौरगढ़।	नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश	लागू नहीं
127.	श्री मांगी लाल, नियमित मजदूर, 19, एफ.ए.ओ., जोधपुर।	नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश	लागू नहीं

1	2	3	4
128.	श्री सी.के. जैन, वरिष्ठ विज्ञानी अधिकारी, केन्द्रीय फारेन्सिक साइंस लेबोरेटरी, नई दिल्ली।	अभियोजन की मंजूरी प्रतीक्षित	लागू नहीं
129.	श्री ए.के. शमशुद्दीन, उप-मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक, कोचीन।	आरोप-पत्र दायर	12.80 लाख रुपये
130.	रशीद अली, पी.एन. सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ सेन्ट्रल एक्साईज एंड कस्टम।	मामला समाप्त	लागू नहीं
131.	श्री एम.पी. सिंह, डी.ई. (टी.), बी.एस.एन.एल., गया।	अभियोजन की मंजूरी प्रतीक्षित	लागू नहीं
132.	श्री एस. सिद्धलिंगा स्वामी, प्रबंधक निदेशक (कार्यकारी), हिन्दुस्तान टुल्स मशीन, बैंगलोर।	आरोप-पत्र दायर	43.58 लाख रुपये
133.	श्री ई.एस. अशोक, आशुलिपिक, आल इंडिया रेडियो, बैंगलोर।	नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश	लागू नहीं
134.	श्री पी.के. बोस, महाप्रबंधक, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बैंगलोर।	नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश	लागू नहीं
135.	श्री के.एल. राव, सहायक गैरीसन अभियंता, बैंगलोर।	आरोप-पत्र दायर	7.24 लाख रुपये
136.	श्री एम.एफ. वाणी, सहायक प्रवर्तक अधिकारी, श्रीनगर।	आरोप-पत्र दायर	27.16 लाख रुपये
137.	श्री मदन सिंह, डी.ई. (ग्रामीण), बी.एस.एन.एल., झुंझुनु।	ऐसी ही कार्रवाई की संस्तुति	लागू नहीं
138.	श्री ओ.पी. मिश्रा, स्टोर अधीक्षक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा, जयपुर।	नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश	लागू नहीं
139.	श्री आर.एल. मीणा, संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, जयपुर।	अभियोजन की मंजूरी प्रतीक्षित	लागू नहीं
140.	श्री जी.एल. गुप्ता, प्रशासनिक अधिकारी, नेशनल इंश्योरेन्स कं. लि., क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर।	अभियोजन की मंजूरी प्रतीक्षित	लागू नहीं
141.	श्री राम बदन सिंह, वरिष्ठ टी.ओ.ए., भारत संचार निगम लिमिटेड, बिहार शरीफ।	आरोप-पत्र दायर	27.61 लाख रुपये

1	2	3	4
142.	श्री राम सिधर, स्टाक वेरिफायर, उत्तरी रेलवे, लखनऊ।	नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश	लागू नहीं
143.	श्री धनेश प्रसाद, ग्रेड-III लिपिक, सयाल 'डी', सयाल, भुरखुंडा, हजारीबाग, परियोजना अधिकारी का कार्यालय।	आरोप-पत्र दायर	34.11 लाख रुपये
144.	श्री एस. नीथिपाथि, सहायक प्रबंधक, इंडियन आयल कारपोरेशन, चैन्नई।	नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश	लागू नहीं

[अनुवाद]

भारतीय वैज्ञानिकों का चयन

4940. डा. के. धनराजू: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने भारतीय वैज्ञानिकों को फैलो आफ रायल सोसाइटी के रूप में चुना गया?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): पिछले तीन वर्षों के में किसी भारतीय संस्थान से कोई नहीं चुना गया। परन्तु भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक प्रो. वी. रामकृष्णन का वर्ष 2003 में चयन किया गया था।

छोटी माता के मामले

4941. श्री अधीर चौधरी:
श्री निखिल कुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 मार्च, 2005 के "द स्टेट्समेन' में प्रकाशित "स्पर्ट इन चिकन पाक्स केसेज इन सिटी" शीर्षक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि सरकारी अस्पतालों में छोटी माता के कई मामलों की सूचना मिली है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक इसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का दिल्ली सरकार के सहयोग से इस बीमारी के उन्मूलन के लिए ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (च) विगत छोटी माता के कुछेक छिटपुट मामले सूचित किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गए आंकड़ों के अनुसार विगत-तीन वर्षों के दौरान अस्पतालों एवं औषधालयों में सूचित किए गए छोटी माता के मामले निम्न प्रकार हैं:-

वर्ष	ओपीडी	आईपीडी	मौतें
2002	131	3	0
2003	232	4	0
2004	1	0	0
2005 (अद्यतन)	8	0	0

[हिन्दी]

गुजरात के मुख्य मंत्री को वीजा न दिया जाना

4942. श्री निखिल कुमार चौधरी:
श्री दुष्यन्त सिंह:
श्री बालेश्वर यादव:
श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री के.सी. पलनिसामी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात के मुख्य मंत्री को अमेरिका द्वारा वीजा न दिए जाने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे पर अमेरिका को अपने दृष्टिकोण से अवगत करा दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) तत्पश्चात् सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) सरकार को 18 मार्च, 2005 को गुजरात के मुख्यमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी को वीजा देने से मना करने के अमेरिका के निर्णय का पता चला था। वीजा का अनुरोध विदेश मंत्रालय द्वारा 28 फरवरी, 2005 को अमरीकी राजदूतावास को एक अधिकृत टिप्पणी के माध्यम से भेजा गया था। सरकार ने अमरीकी सरकार को अपने विचारों से अवगत करा दिया है कि यह कार्रवाई है संवैधानिक रूप से चुने गए मुख्यमंत्री के प्रति अभद्रता प्रदर्शित करती है। राजदूतावास को विरोध प्रस्तुत किया गया तथा उससे निर्णय पर तत्काल पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया।

(घ) और (ङ) अमरीकी राजदूतावास ने 21 मार्च, 2005 को घोषणा की कि अमरीका ने 18 मार्च, 2005 के अपने निर्णय को संशोधित नहीं किया। सरकार ने खेद व्यक्त किया कि उसकी कार्यवाही के बावजूद, अमरीकी ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया।

[अनुवाद]

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एडवांस मैटीरियल एण्ड एप्लिकेशन

4943. श्री बिक्रम केशरी देव: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का उड़ीसा में 'नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एडवांस मैटीरियल्स एण्ड एप्लिकेशन' स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान इस उद्देश्य के लिए दिये जाने वाले निधियों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मानसिक रोगी

4944. श्री ब्रजेश पाठक: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में मानसिक अस्पतालों में इलाज करा रहे रोगियों की राज्य-वार औसत संख्या कितनी है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में मानसिक अस्पतालों को आबंटित धनराशि तथा उसके उपयोग का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) देश के मानसिक अस्पतालों में उपचार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या से संबंधित राज्यवार आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ख) देश के मानसिक अस्पतालों को निधि आबंटन तथा राज्य सरकारों द्वारा इसके उपयोग का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। इस मंत्रालय के प्रबन्धन के अंतर्गत दो मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है अर्थात्; राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बैंगलौर तथा केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर को वर्ष 2002-2003, 2003-2004 तथा 2004-2005 के दौरान क्रमश: 4332 लाख रुपये, 4670 लाख रुपये तथा 6467 लाख रुपये का अनुदान दिया गया था और इसका उपयोग किया जा चुका है। केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची के संबंध में निधियों का आबंटन तथा व्यय वर्ष 2002-2003, 2003-2004 तथा 2004-2005 के दौरान क्रमश: 13.65 करोड़ रुपये तथा 14.99 करोड़ रुपये, 14.01 करोड़ रुपये तथा 14.16 करोड़ रुपये तथा 14.44 करोड़ रुपये और 14.98 करोड़ रुपये था।

[अनुवाद]

मुख्य सचिव और गृह सचिवों की संख्या

4945. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में मुख्य सचिवों और गृह सचिवों की राज्य-वार कुल संख्या क्या है; और

(ख) उनमें से कितने सचिव अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) इस बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

विदेशी कंपनियों द्वारा कोयले की आपूर्ति

4946. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी कंपनियां घरेलू विद्युत परियोजनाओं को निर्धारित मूल्य पर कोयले की आपूर्ति करने का प्रस्ताव दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन कंपनियों के देश-वार नाम क्या हैं जिन्होंने निर्धारित कीमत पर लंबी अवधि के लिए कोयले की आपूर्ति के समझौते करने का प्रस्ताव किया है;

(घ) क्या इनमें से कुछ कंपनियां पांच वर्ष के लिए ईंधन आपूर्ति की व्यवस्था के लिए तैयार थीं;

(ङ) यदि हां, तो इन कंपनियों के साथ किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(च) इन कंपनियों द्वारा कंपनी-वार कोयले की कितनी आपूर्ति का प्रस्ताव है; और

(छ) यह किस हद तक भारत में कोयले की कमी को पूरा करने में सहायक होगा?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मैसर्स टाटा पावर को निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार निर्धारित कीमतों पर कोयला प्राप्त करने के लिए विदेशी कम्पनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:-

मात्रा	कम्पनी	अवधि	कोयले का प्रकार
7.5 लाख मैट्रिक टन प्रतिवर्ष	पी.टी. अडारो (इन्डोनेशिया)	सितम्बर, 2006 को समाप्त तीन वर्षों के लिए (तीन वर्षों के लिए निर्धारित कीमत)	सब-बिटूमिन्यूस, लो-सल्फर, लो आश, क्लोरिफिक, कीमत 5000 कि.कैलो./प्रति किलोग्राम आधार पर कुल आर्द्रता 25 प्रतिशत की दर से।
5 लाख मैट्रिक टन प्रतिवर्ष	पी.टी. अडारो (इन्डोनेशिया)	10 वर्ष। मई 2004 से प्रारम्भ। कीमत पर प्रतिवर्ष बातचीत की जाती है। एक वर्ष के लिए निर्धारित।	
5 लाख मैट्रिक टन प्रतिवर्ष	समतान (किडेको कोल) (इन्डोनेशिया)	10 वर्ष। मई, 2004 से प्रारम्भ। कीमत पर प्रतिवर्ष बातचीत की जाती है। एक वर्ष के लिए निर्धारित।	

(छ) इस प्रकार के आयातों से घरेलू कोयले की उपलब्धता में कुछ हद तक मांग-आपूर्ति के अन्तर को कम करने में मदद मिलेगी।

भारतीय लोक स्वास्थ्य मानदंडों का आरंभ किया जाना

4947. श्री तथागत सत्पथी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषज्ञ सेवा प्रदान कराने और सेवा की गुणवत्ता का स्वीकार्य मानदंड बनाए रखने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानदंड आरंभ किया है, जैसाकि 13 अप्रैल, 2005 के ''हिन्दू'' समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं। तथापि, भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश में व्यापक समेकित प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के प्रावधान के लिए दिनांक 12.4.2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) की शुरूआत की गई है। इस मिशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यनीतियों में से एक कार्यनीति एक ही स्तर पर भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों का संहिताकरण है ताकि प्रत्येक एक लाख जनसंख्या के लिए उच्चकोटि की न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सके।

(ख) और (ग) दिनांक 13 अप्रैल, के हिन्दू समाचार पत्र में छपी खबर आईपीएचएस के लिए निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालती है। अन्य बातों के साथ-साथ एनआरएचएम का, उद्देश्य आयुष अवसंरचना को मुख्य धारा में लाकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्तरीय जन स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करना तथा 2004+सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अद्यतन भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के अनुरूप करना है। आईपीएचएस के प्रारूप दिशानिर्देश, एनआरएचएम के अधीन गठित किए गए एक कार्य दल द्वारा तैयार किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों का राज्य सरकारों और अन्य पणधारियों के साथ आदान-प्रदान किया गया है ताकि वो अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकें। आईपीएचएस का उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) स्तर पर सुनिश्चित गुणवत्ता सेवाओं की प्रदायगी है, जिसमें सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और समेकित रोग निगरानी परियोजना के अलावा सर्जरी, मेडीसिन, प्रसूति रोग, तथा स्त्री रोग विज्ञान में नेमी और आपातकालीन परिचर्या शामिल हैं।

(घ) इस मिशन का उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) स्तर पर इष्टतम रेफरल और अस्पतालीय परिचर्या प्रदान करना है जिसके लिए वित्तपोषण का प्रावधान राज्य कार्य योजनाओं में प्रतिबिंबित यथा आवश्यकतानुसार मिशन द्वारा किया जाएगा।

श्रमिक प्रधान उद्योगों की स्थापना

4948. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में श्रमिक प्रधान उद्योगों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे उद्योगों को स्थापित करने के लिए क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों एवं 20,000 तक की जनसंख्या वाले छोटे कस्बों में श्रम प्रधान उद्योगों की स्थापना करने में पात्र आवेदकों को सहायता करने के लिए, देश भर में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी), एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम, का कार्यान्वयन कर रही है, और इस प्रकार अतिरिक्त रोजगार का सृजन कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत, उद्यमी 25 लाख रु. तक की अधिकतम लागत वाली परियोजनाओं के लिए, केवीआईसी से मार्जिन मनी सहायता तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त करके ग्रामोद्योगों की स्थापना कर सकते हैं। मार्जिन मनी सहायता जिसकी अनुमति दी गई है, का निम्नोक्त तालिका में विवरण दिया गया है:

आरईजीपी के तहत मार्जिन मनी सहायता

क्र.सं.	लाभार्थी का वर्ग	परियोजना लागत	मार्जिन मनी सहायता
1	2	3	4
1.	सामान्य	10 लाख रु. तक	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत
		10 लाख रु. से ऊपर और 25 लाख रु. तक	2.5 लाख रु. जमा शेष परियोजना का लागत का 10 प्रतिशत

1	2	3	4
2.	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./महिलाएं/ शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सेवाकर्मी/ पूर्वोत्तर प्रदेश/पहाड़ी क्षेत्र	10 लाख रु. तक	परियोजना लागत का 30 प्रतिशत
		10 लाख रु. से ऊपर तथा 25 लाख रु. तक	3 लाख रु. जमा शेष परियोजना लागत का 10 प्रतिशत

टिप्पणी: अ.जा./अ.ज.जा.-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियां, अ.पि.व.-अन्य पिछड़ा वर्ग, शा.वि.-शारीरिक रूप से विकलांग, पू.प्र.-पूर्वोत्तर प्रदेश

इसके अतिरिक्त, सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों (अनुमानित तौर पर लगभग 50 प्रतिशत स्थापित इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में हैं) जोनों में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) का भी कार्यान्वयन कर रही है। यह भी एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है और यह बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋणों सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। पीएमआरवाई के तहत, व्यवसाय क्षेत्र के लिए 1 लाख रु. तक की लागत की परियोजनाएं, तथा अन्य क्षेत्रों में 2 लाख रु. तक की परियोजनाएं सहायता हेतु पात्र हैं, जिसके लिए 7,500 रु. की उच्चतम सीमा के अधीन परियोजना लागत के 15 प्रतिशत तक सब्सिडी को सीमित किया गया है। 10 लाख रु. तक की परियोजनाओं के लिए पात्र व्यक्ति भागीदारी में संयुक्त रूप से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। लाभार्थी से मार्जिन मनी का अंशदान परियोजना लागत के 5 प्रतिशत से 16.25 प्रतिशत तक अलग-अलग हो सकता है, ताकि सरकारी सब्सिडी और लाभार्थी का निजी अंशदान कुल मिलाकर परियोजना लागत के 20 प्रतिशत के बराबर हो जाए।

(घ) आरईजीपी के तहत, 2005-06 के लिए, 5.5 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन करने के लिए 28873 इकाइयों की स्थापना करने में सहायता करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार, पीएमआरवाई के तहत, 2005-06 के लिए 3.75 लाख रोजगार अवसरों (अनुमानित तौर पर लगभग 50 प्रतिशत इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में) के सृजन के लिए 2.5 लाख इकाइयों की स्थापना करने में सहायता करने का लक्ष्य है।

सड़क परियोजनाओं के लिए बी.ओ.टी. मार्ग

4949. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भविष्य की सभी सड़क निर्माण परियोजनाओं को ''बिल्ड-आपरेटर-ट्रांसफर (बी.ओ.टी.)'' मार्ग के माध्यम से कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है, जैसा कि दिनांक 22 मार्च, 2005 के दैनिक समाचार-पत्र 'हिन्दू' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(घ) इस क्षेत्र में निजी पूंजी आकर्षित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) उपर्युक्त निर्णय देश की ढांचागत और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को किस हद तक पूरा करने में सहायक होगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए अपेक्षित संसाधनों में वृद्धि करने के लिए निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर अर्थक्षमता-अंतर वित्तपोषण तंत्र के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए किसी व्यक्ति अथवा निजी उद्यम के साथ करार करने के लिए केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करने हेतु जून, 1995 में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में संशोधन किया गया था। निजी क्षेत्र की भागीदारी आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है जो इस प्रकार है:-

1. सड़क क्षेत्र की एक उद्योग के रूप में घोषणा,
2. मामला दर मामला आधार पर परियोजनाओं की अर्थक्षमता बढ़ाने के लिए परियोजना लागत की 40 प्रतिशत तक पूंजी अनुदान आर्थिक सहायता का प्रावधान,

3. कतिपय अभिनिर्धारित उच्च गुणता वाले निर्माण संयंत्र और उपस्करों का शुल्क मुक्त आयात,

4. 20 वर्ष में से लगातार किन्हीं 10 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत कर में छूट,

5. कार्य के लिए ऋण भार से मुक्त कार्यस्थल का प्रावधान अर्थात् सरकार भूमि तथा अन्य पूर्व निर्माण क्रियाओं से संबंधित सभी व्यय वहन करेगी,

6. सड़क क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश,

7. सरल विदेशी वाणिज्यिक ऋण मानदंड,

8. 30 वर्षों तक उच्च रियायत अवधि,

9. पथकर संगृहीत करने और उसे अपने पास रखने का अधिकार।

(ङ) निजी क्षेत्र की बड़ी भागीदारी से वित्तीय संसाधनों में वृद्धि और प्रौद्योगिकी का उन्नयन किया जा सकता है।

[हिन्दी]

असाध्य रोगों के लिए औषधियों पर अनुसंधान

4950. श्री बापू हरी चौरे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार असाध्य रोगों के इलाज के लिए प्रयुक्त औषधियों के संबंध में अनुसंधान करने पर जोर दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से तकनीकी विकास बोर्ड और फार्मास्यूटिकल विकास निधि के जरिए फार्मास्युटिकल अनुसंधान एवं विकास को निधियां प्रदान की गई हैं। वर्धित निधियां उद्योग और उद्योग से संबंधित ऐकेमेडिशिया को उपलब्ध कराई गई है। संक्रामक रोग और भारी जनसंख्या वृद्धि का मेडिकल अनुसंधान की प्रमुख प्राथमिकता बना रहना जारी है। हाल ही के वर्षों में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से गैर-संचारी रोगों के भार में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। अत: अनुसंधान में कार्डियोवास्कुलर रोग, मेटाबोलिक और न्यूरोलोजिकल विकृतियों, जिगर के रोगों, कैंसर इत्यादि पर उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। आईसीएमआर ने भी अपना अनुसंधान क्षयरोग, कुष्ठ, अतिसार रोगों, मलेरिया, फाइलारियासिस और एड्स जैसे महत्वपूर्ण संचारी रोगों पर समेकित किया है। पारंपरिक दवाइयों/हर्बल उपचारों संबंधी अनुसंधान को रोग अभिमुख एप्रोच से पुनरूज्जीवित किया गया है। परिषद ने विशेषज्ञों की एक उप-समिति गठित की है, जो अन्वेषणीय नई औषधों पर विभिन्न संस्थाओं और कम्पनियों द्वारा सृजित डाटा की जांच करती है। माइग्रेन, मधुमेह, सुसाध्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया इत्यादि के लिए नई औषधों सहित विभिन्न रोगों के उपचारार्थ चरण-1 क्लीनिकल परीक्षण के लिए अब तक ऐसे 15 आवेदनों का मूल्यांकन किया गया है। आईसीएमआर, विभिन्न औषधों की अनुमति और विपणन के लिए अपने टाक्सिकोलोजी समीक्षा पैनल के माध्यम से प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए औषध महानियंत्रण (भारत) (डीसीजीआई) की सहायता भी कर रहा है। फार्माकोलोजी के क्षेत्र में अनेक वर्षों से अनुसंधान हेतु वित्तपोषण किया गया है और ऐसे रोगों के लिए कई नए अणु उत्पन्न किए गए है। सिंथेटिक हर्बल और जैव प्रौद्योगिकी मोड्स से औषध का विकास करने और उन पर पूर्व नैदानिक और नैदानिक परीक्षण करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि पीड़ित मानवजाति को लाभ पहुंचाने के लिए जल्द से जल्द ये बाजार में उपलब्ध होने में समर्थ हो सकें। विशेषज्ञों और अन्वेषकों के संयुक्त प्रयासों से फार्माकोलोजी और पारंपरिक दवाई के कार्यक्रमों के अंतर्गत राष्ट्रीय सुविधाओं को नए उत्पादों की पूर्व नैदानिक विषालुता, निरापदता और क्षमता के लिए विगत 5 वर्षों के दौरान निर्धारित किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा विशेषज्ञों की सहायता से परिषद द्वारा पारंपरिक मेडिसिन कार्यक्रम का भी विकास किया गया है। इस संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है जिसमें शारसूत्र (गुदा नालव्रणा के उपचार हेतु मेडीकेटिड ग्रेड) का विकास और गैर मधुमेह संबंधी गतिविधि को वैधता देते हुए विजयासार का मूल्यांकन शामिल हैं।

[अनुवाद]

भूकम्प की घटनाओं की वृद्धि

4951. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुनामी त्रासदी के तत्काल बाद भूकम्पीय झटकों में वृद्धि हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस त्रासदी के बाद भूकम्पों के रिकार्ड किये गए झटकों की संख्या कितनी है;

(ग) किसी विशेष दिन के भूकम्पीय झटकों की उच्चतम बारंबारता कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार सुनामी प्रभावित और अन्य तटीय राज्यों में भूकम्प अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भविष्य में सुनामी त्रासदी से जान और माल की क्षति को कम करने में ये संस्थान किस हद तक लाभदायक होंगे?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां। सामान्यत: प्रत्येक बड़े भूकंप के बाद झटके महसूस किए जाते हैं।

(ख) और (ग) 26.12.2004 और 25.4.2005 के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 5.0 तथा इससे अधिक तीव्रता के 306 झटके रिकार्ड किए गए हैं। 5.0 तथा इससे अधिक तीव्रता वाले झटकों की सर्वाधिक आवृत्ति 26 दिसम्बर, 2004 को रिकार्ड की गई।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) अनेक संस्थान पहले से ही भूकंप संबंधी अध्ययन कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा अब सुनामी संबंधी अनुसंधान कार्य भी शुरू किए जाएंगे।

एच.आई.वी./एड्स के लिए धनराशि

4952. श्री अधीर चौधरी:
श्री निखिल कुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनाइटेड किंगडम भारत में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपये की सहायता उपलब्ध कराने हेतु सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों के अंतर्गत अन्य देशों से भी सहायता प्राप्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त कार्यक्रमों के लिए राशि को राज्य-वार किस प्रकार खर्च किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) यू.के., राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम II के लिए द्विपक्षीय सहभागियों में से एक है। एचआईवी/एड्स तथा अन्य यौन संचारित रोगों (एसटीडी) की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्यकलापों के संवर्धन को प्रोत्साहन देने हेतु उन्होंने अब अपनी सहायता 28.10 मिलियन पाउण्ड (1999-2004 की अवधि के लिए) से बढ़ाकर लगभग 123.74 मिलियन पाउण्ड (एनएसीपी-2 को सहायता देने हेतु यूएन थीम ग्रूप के माध्यम से 7.26 मिलियन पाउण्ड सहित) कर दी है। यह जनवरी, 2005 से 31 मार्च, 2007 तक उपलब्ध रहेगी। उपर्युक्त निधियों में से 44.04 मिलियन पाउण्ड की धनराशि तकनीकी सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी जिसका प्रबन्धन प्रत्यक्षत: डीएफआईडी द्वारा किया जाएगा।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए यूएसए और कनाडा से उनकी वित्तपोषण एजेंसियों यूएसएड और सीआईडीए के माध्यम से भी सहायता प्राप्त हुई है। विगत तीन वर्षों में प्राप्त सहायता और किया गया व्यय नीचे दर्शाया गया है:-

(रुपये लाख में)

राज्य	2002-03 के दौरान जारी राशि	कुल व्यय	2003-04 के दौरान जारी राशि	कुल व्यय	2004-05 के दौरान जारी राशि	कुल व्यय
यूएसएड द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना						
एपीएसी परियोजना (तमिलनाडु)	725.00	725.00	1091.00	891.00	1684.00	1684.00

एवर्ट परियोजना (महाराष्ट्र)	665.00	665.00	600.00	550.00	885.00	485.00
सीआईडीए द्वारा सहायता प्राप्त आईसीएचएपी परियोजना						
कर्नाटक	50.00	110.49	150.00	444.62	200.00	0.00
राजस्थान	0.00	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारी

4953. श्री ब्रजेश पाठक: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या उपर्युक्त सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुसार नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

अरब लीग सम्मेलन में भारत की भागीदारी

4954. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में आयोजित अरब लीग सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि दल ने पहली बार भाग लिया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और लीग ने सहयोग और ढांचागत परामर्शों के लिए वर्ष 2002 में 'समझौता ज्ञापन' पर हस्ताक्षर किये थे;

(घ) यदि हां, तो 'समझौता ज्ञापन' पर हस्ताक्षर करने के बाद क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) इनके बीच सहयोग और व्यापार बढ़ाने हेतु सम्मेलन में क्या कदम उठाए गए है या सुझाव दिये गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) अल्जीरिया सरकार के निमंत्रण पर माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद के नेतृत्व में पश्चिम एशिया के विशेष दूत और एम ई पी पी राजदूत श्री सी.आर. गरेखान सहित, एक पांच सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल ने पर्यवेक्षक के रूप में अरब लीग शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन 22-23 मार्च, 2005 को अल्जीरिया में हुआ था।

(ग) जी, हां। भारत और अरब राज्यों के संघ के बीच 6 मार्च, 2002 को काहिरा में एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया गया।

(घ) समझौता ज्ञापन सम्पन्न होने के बाद से आपसी चिंता और हित के मामलों पर अरब राज्यों के संघ के साथ मई 2003 और जून 2004 में नियमित विचार विमर्श किए गए।

(ङ) शिखर सम्मेलन में अभी तक की भारत की प्रथम भागीदारी की काफी सहायता मेजबान देश और अरब लीग के अन्य सदस्य देशों द्वारा की गई। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने भारत की भागीदारी को ऐतिहासिक बताया। शिखर सम्मेलन के दौरान विदेश राज्य मंत्री (श्री ई अहमद) ने अरब लीग सदस्य देशों के अनेक शिष्टमंडलों के अध्यक्षों, सऊदी अरब, ओमान, कतर, फिलीस्तीन आदि के विदेश मंत्रियों और अरब लीग के महासचिव श्री आमरे मुसा, यू एन एस जी के विशेष दूत श्री लखदर ब्राहिमी आदि सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात/बातचीत की। उन्होंने पर्यवेक्षक शिष्टमंडलों के नेताओं और अल्जीरिया के अनेक मंत्रियों सहित अल्जीरिया के गणमान्य व्यक्तियों के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मामलों पर भी विचार-विमर्श किया।

उन्होंने, सम्मेलन के साथ-साथ फिलीस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति, कुवैत के प्रधानमंत्री, मिस्र, सूडान, लीबिया के राष्ट्राध्यक्षों, यमन, लीग सरकारों के अनेक अध्यक्षों के साथ बातचीत और अनौपचारिक बैठकें की। उन्होंने अल्जीरिया के राष्ट्रपति को प्रधान मंत्री का विशेष संदेश भी दिया और उनके साथ अलग से विचार-विमर्श किया।

अरब लीग सदस्य देशों के नेताओं के साथ अपनी बैठकों और उद्घाटन के समय दिए गए अपने वक्तव्य दोनों में, विदेश राज्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत में सरकार द्वारा अरब देशों के साथ भ्रातृ संबंधों को सुदृढ़ करने को महत्व दिया गया है जैसा कि भारत में सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में परिलक्षित होता है। विदेश राज्य मंत्री ने भारत और अरब देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच मौजूद अनेक सम्पूरकताओं पर प्रकाश डाला। भारत के आर्थिक सुधारों और व्यापाक बाजार से पारस्परिक रूप से दोनों के लिए लाभकारी आयाम प्राप्त हुए हैं। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी और बायो प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य, रक्षा और उच्च शिक्षा सहित अरब देशों के साथ अपना अनुभव बांटने और संस्थान और क्षमता निर्माण, शासन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता में सहयोग बढ़ाने पर भारत की तत्परता व्यक्त की और सरकार द्वारा पश्चिम एशिया और एमईपीपी के लिए विशेष दूत की नियुक्ति पर जोर दिया।

भारत सरकार ने सरकार की नीति पर बल देने के लिए पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए एक विशेष दूत नियुक्त किया है।

कुष्ठ रोग का उन्मूलन

4955. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत कुष्ठ रोग के मामले में उच्च रूप से ग्रसित देशों में से है, जैसाकि दिनांक 22 मार्च, 2005 के दैनिक समाचार-पत्र ''हिन्दी'' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या कुष्ठ रोगियों का चिकित्सा पुनर्वास अभी भी बड़ी समस्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से कोई नीति बनायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने देश में कुष्ठ रोगों का उन्मूलन करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) इस समय भारत सहित नौ देशों को अभी भी कुष्ठ उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करना है। तथापि, जैसा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति द्वारा नियत किया गया है, भारत दिसम्बर, 2005 तक कुष्ठ उन्मूलन का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।

(ख) जी, नहीं। कुष्ठ के कारण विकृति वाले रोगियों की संख्या में विगत पांच वर्षों के दौरान लगातार गिरावट प्रदर्शित हो रही है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	नए रोगियों में पहचाने गए विकृति वाले रोगियों की संख्या
2000-2001	12934
2001-2002	12951
2002-2003	8526
2003-2004	5302
2004-2005	3812

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत अंग-विकृतियों वाले सभी रोगियों को निम्नलिखित सेवाएं नि:शुल्क दी जाती है:-

(1) कुष्ठ से उत्पन्न विकृतियों को ठीक करने के लिए पुनर्संरचनात्मक शल्य क्रिया। ये देश में आईएलईपी (अन्तर्राष्ट्रीय कुष्ठ एनजीओ) तथा क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रायपुर (छत्तीसगढ़) एवं केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेंगलपटु (तमिलनाडु) द्वारा कुछ मेडिकल कालेजों द्वारा चलाए जा रहे सहायता प्राप्त 41 अस्पतालों में भी नि:शुल्क की जा रही है।

ऊपर (1) (ग) तथा (घ) पर उल्लिखित गैर-सरकारी संगठन/अस्पतालों द्वारा जरूरत मन्द रोगियों को विशेष जूते (माइक्रोसेल्युलर रबर) भी नि:शुल्क प्रदान किए जाते हैं; ये देश के सभी जिला कुष्ठ सोसायटियों द्वारा भी दिये जाते हैं।

देश में सभी सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या स्टाफ को विकृतियों के निवारण तथा परिचर्या के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ङ) भारत सरकार देश में कुष्ठ के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण

कार्यक्रम एक 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसे सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है:-

(1) विकेन्द्रीकरण तथा संस्थागत विकास जिसके अंतर्गत देश में 27 प्रमुख राज्यों में राज्य कुष्ठ सोसाइटियों तथा सभी जिलों में जिला कुष्ठ सोसाइटियां बनाई गई हैं। जो समुचित नियोजन, कार्यान्वयन, मानीटरिंग तथा समय पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।

(2) देश में समुदाय द्वारा बेहतर आउटरीच तथा सेवाओं के उपयोग के लिए कुष्ठ सेवाओं का सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के साथ समाकलन।

(3) कुष्ठ रोगी की शीघ्र पहचान तथा देश के सभी सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों तथा अस्पतालों के जरिए सभी रोगियों को निःशुल्क बहु औषध थिरेपी।

(4) व्यापक लोक प्रचार माध्यम तथा परिधीय स्तर पर स्थानीय प्रचार माध्यम के जरिए त्वरित जनजागरूकता अभियान।

(5) कुष्ठ तथा अशक्तता निवारण एवं परिचर्या के क्षेत्र में सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या स्टाफ का प्रशिक्षण।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों का सृजन

4956. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग का देश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के सृजन का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने योजना आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) जी, नहीं। योजना आयोग ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईआर) के सृजन का कोई प्रस्ताव नहीं किया है। एसईआर एनआरआई व्यावसायिकों की एक टीम द्वारा सुझाई गई अवधारणा है, जिसने दिसम्बर, 2004 में "इंडिया एफडीआई प्रोजेक्ट" पर एक प्रस्तुतीकरण तैयार किया था।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सड़कों और राजमार्गों के लिए सीमेंट का प्रयोग

4957. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों ने सड़कों और राजमार्गों के निर्माण में प्रयुक्त किए जाने वाले सीमेंट में अनेक कमियां बतायी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सीमेंट के किसी विकल्प पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) विशेषज्ञों की ऐसी कोई राय प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, सीमेंट कंक्रीट की सड़कों के प्रयोग से कतिपय लाभ जैसे दीर्घ जीवन अवधि, बेहतर सड़क स्थिति तथा अनुरक्षण में सुगमता और कतिपय कमियां जैसे अत्यधिक प्रारंभिक लागत, फिसलने की संभाव्यता तथा अत्यधिक शोर आदि हैं।

(ग) और (घ) सड़कों के निर्माण के लिए केवल प्रमाणित सामग्री का ही प्रयोग किया जा रहा है। ये हैं- डामर, सीमेंट और स्टोन एग्रीगेट सड़क निर्माण में डामर, जियो-टेक्सटाइल और फ्लाई ऐश के लिए शोधकों का प्रयोग हाल ही में प्रारंभ किया गया है।

डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

4958. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण हेतु कोई कार्यक्रम आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में ऐसे डाकघरों की संख्या कितनी है जिनमें बहु-उद्देशीय काउंटर मशीनें लगाई गई हैं;

(घ) डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण हेतु वर्ष 2004-2005 के दौरान राज्यवार आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्यवार खर्च की गई वास्तविक धनराशि का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सभी राज्यों में 7700 बड़े डाकघरों के कंप्यूटरीकरण की योजना का अनुमोदन किया है। वर्ष 2004-2005 तक 2372 डाकघरों में कंप्यूटर उपलब्ध करा दिए गए हैं। राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) विवरण में दिए गए विभिन्न राज्यों के सभी कंप्यूटरीकृत डाकघरों में बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें उपलब्ध हैं।

(घ) डाकघरों के कंप्यूटरीकरण के लिए 2004-2005 के दौरान आबंटित की गई राशियों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ङ) सभी राज्यों ने विवरण में दर्शाई गई राशियों में से अधिकतर का इस्तेमाल 2004-2005 के दौरान कर लिया है।

विवरण

उन डाकघरों की राज्यवार संख्या जिनमें 2004-2005 तक कम्प्यूटर उपलब्ध करा दिए गए हैं तथा उन्हें कंप्यूटरीकृत बनाने के लिए आवंटित राशि का ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल का नाम	कम्प्यूटर प्रदान किए गए डाकघरों की संख्या	कम्प्यूटरीकरण हेतु आवंटित निधियां (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	170	951
2.	असम	110	511
3.	बिहार	57	344
4.	छत्तीसगढ़	44	233
5.	दिल्ली	150	654
6.	गुजरात	131	615
7.	हिमाचल प्रदेश	48	236
8.	हरियाणा	40	161
9.	जम्मू-कश्मीर	68	302
10.	झारखंड	33	156
11.	केरल	173	843
12.	कर्नाटक	137	619
13.	मध्य प्रदेश	61	261
14.	महाराष्ट्र*	252	1272
15.	उत्तर पूर्व**	65	257
16.	उड़ीसा	60	257
17.	पंजाब	54	202
18.	राजस्थान	163	847
19.	तमिलनाडु	225	1076
20.	उत्तर प्रदेश	114	693
21.	उत्तरांचल	31	151
22.	पश्चिम बंगाल	186	1012
	कुल	2732	11653

*गोवा सहित

**अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर सहित

दुर्घटना के पीड़ितों के जीवन को बचाने की योजना

4959. **श्री तथागत सत्पथी:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से राजमार्गों के किनारे रहने वाले ग्रामीणों को प्रशिक्षित करने हेतु कोई योजना तैयार की है ताकि दुर्घटना के शिकार लोगों का जीवन बचाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त योजना को देश भर में सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों पर कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाएंगे?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सेवा सड़कों, भूमिगत मार्गों, सुरक्षा अवरोधकों, फ्लाईओवरों, बेहतर संकेत तथा चिन्हांकन आदि का प्रावधान जैसे अनेक उपाय किए हैं। सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु और अशक्तता कम करने के लिए समुदाय आधारित प्रयास करने के लिए रा.रा. 8 के गुड़गांव-आमेर खंड पर एक गैर-सरकारी संगठन नियुक्त किया है। इस कार्य का एक प्रमुख उद्देश्य सड़क दुर्घटना मुद्दों पर संवेदनशील समुदाय सहित ग्रामीणों में जागरूकता पैदा करना और सड़क दुर्घटना पीड़ितों के बचाव और समय पर सहायता के लिए मूलभूत जीवन रक्षक तकनीक से सुसज्जित प्रशिक्षण दलों का गठन करना है।

(घ) गैर-सरकारी संगठनों को सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। विश्व बैंक के वित्त पोषण से सड़क सुरक्षा-सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रम के एक भाग के तौर पर सड़क सुरक्षा मुद्दों पर स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधी राष्ट्रीय राजमार्गों पर रहने वाले लोगों को शिक्षित करने के लिए परामर्शदाता/गैर-सरकारी संगठन नियुक्त करने का भी प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री कार्यालय में प्राप्त शिकायतें

4960. श्री राजेन्द्र कुमारः क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रति माह औसतन कितनी शिकायतें प्राप्त होती हैं;

(ख) गत छः महीने के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और कितनी का समाधान किया गया;

(ग) आज तक कितनी शिकायतें लंबित हैं और कितने समय से लंबित हैं;

(घ) शिकायतें किस प्रकार की हैं और दिल्ली से संबंधित शिकायतें कितनी हैं;

(ङ) एक समय सीमा के भीतर शिकायतों के तीव्र समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार का विचार खंड/जिला स्तर पर जन शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) प्रधानमंत्री कार्यालय के लोक स्कंध में प्रत्येक माह प्राप्त होने वाली लोक शिकायतों से संबंधित याचिकाओं/शिकायतों की औसतन संख्या पिछले छः माह में लगभग 5700 थी।

(ख) और (ग) पिछले छः महीनों के दौरान दिनांक 1.10.2004 से 31.3.2005 तक प्राप्त प्रतिवेदनों की कुल संख्या 34,249 थी। प्रधानमंत्री कार्यालय में सभी याचिकाओं/शिकायतों की समीक्षा की गई एवं उन्हें उचित कार्यवाही के लिए संबंधित प्राधिकरणों को भेजा गया।

(घ) दिल्ली से प्राप्त याचिकाओं की संख्या 3722 थी। ये याचिकाएं मुख्यतः कानून एवं व्यवस्था, लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों, बेरोजगारी, सेवा से संबंधित शिकायतों, पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायतों, फ्लैट/प्लाट का आबंटन, सिविल सुविधाओं, दुकानों/कीआस्क के आबंटन आदि से संबंधित थी।

(ङ) से (ज) राज्य सरकारों ने भारत सरकार, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा 24 मई, 1997 को आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रभावी एवं जवाबदेह प्रशासन के लिए एक कार्ययोजना अपनाई थी। इस योजना में यह बात शामिल की गई थी कि सभी राज्य सरकारें, सचिवालय से लेकर ग्रामीण स्तर तक लोक शिकायतों के तीव्र एवं प्रभावी निवारण के लिए विभिन्न स्तरों पर सुविधाओं का व्यापर प्रचार करेंगी। राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे शिकायतों के प्रभावी निवारणों के लिए निर्मित प्रणाली के अंतर्गत उपायों के बारे में उन्हें सुप्रवाही बनाने की दृष्टि से निर्णय लें। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग इन लोक शिकायतों के समयबद्ध तरीके से तीव्र निपटान के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर निर्देश जारी करता है।

[अनुवाद]

गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन

4961. श्री आनंदराव विठोबा अडसूलः क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी देशों ने अति गरीबी और भूखमरी के उन्मूलन के लिए कार्य करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अति गरीबी और भूखमरी को मिटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्प के अनुसार कोई योजना बनायी और कार्यान्वित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने गरीबी और भूखमरी को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सितम्बर, 2000 में "यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डिक्लेरेशन" स्वीकार किया था। डिक्लेरेशन के पैरा-12 के अनुसार, "हम" (राष्ट्राध्यक्ष एवं शासनाध्यक्ष) "राष्ट्रीय एवं विश्व स्तर पर समान रूप से ऐसे पर्यावरण का सृजन करने की शपथ लेते हैं-जो विकास एवं गरीबी उपशमन के अनुकूल हो"। डिक्लेरेशन (घोषणा) में अन्य कई मुद्दे उठाए गए जिसके कारण "मिलेनियम डिवलपमेण्ट गोल्स" में कई विकास उद्देश्यों को शामिल किया गया जिसमें 8 उद्देश्य एवं 18 लक्ष्य हैं। उद्देश्य 1 तथा लक्ष्य 1 और 2 का संबंध अत्यधिक गरीबी एवं भुखमरी से है। लक्ष्य 1 में कहा गया है, "वर्ष 1990 और 2015 के दौरान उन लोगों के अनुपात को आधार करना है जिनकी आय एक डालर प्रति दिन से कम है। लक्ष्य-2 में कहा गया है, वर्ष 1990 और 2015 के दौरान उन लोगों के अनुपात को आधा करना है, जो भूख से पीड़ित हैं"।

(ग) और (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के अनुपात को वर्ष 1999-2000 में 26 प्रतिशत से कम कर वर्ष 2011-012 की समाप्ति तक 11 प्रतिशत करना है। स्पष्ट रूप से यह मिलेनियम डिवलपमेण्ट गोल्स के उद्देश्यों से अधिक महत्वाकांक्षी योजना है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) देश में गरीबी उपशमन नीति त्रि-आयामी कार्यनीति पर आधारित है। ये हैं (1) आर्थिक विकास में तेजी, (2) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार, न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने, समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार करने के माध्यम से मानव एवं सामाजिक विकास, तथा (3) रोजगार एवं आय सृजन करने वाले कार्यक्रमों तथा गरीबों के लिए सब्सिडाइज्ड अनाज सहित उनके लिए परिसम्पत्ति निर्माण के माध्यम से गरीबी पर सीधा प्रहार। गरीबी कम करने में शामिल मुख्य स्कीमें एवं कार्यक्रम हैं:- संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी), स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) तथा अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)।

ग्रामीण भारत के निर्माण के लिए योजना

4962. श्री अर्जुन सेठी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2009 तक सिंचाई, सड़क, आवास, जलापूर्ति, टेलीकाम कनेक्टिविटी तथा विद्युतीकरण से संबंधित ग्रामीण भारत के निर्माण के लिए समयबद्ध योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में योजनाओं को शामिल करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) भारत निर्माण एक कार्य-योजना के रूप में परिकल्पित है, जिसे आधारिक संरचना के निर्माण हेतु, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में चार वर्षों की अवधि के दौरान, कार्यान्वित किया जाना है। इसके छः घटक हैं नामतः सिंचाई, सड़क, आवास, जलापूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण दूरसंचार सम्बद्धता। प्रत्येक घटक के संबंध में वर्ष 2009 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य इस प्रकार हैं:

(1) सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत अतिरिक्त (एक करोड़ हेक्टेयर को लाना);

(2) 1000 (अथवा पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों में 500) जनसंख्या वाले सभी गांवों को सड़क से जोड़ना;

(3) गरीबों के लिए 60 लाख अतिरिक्त आवासों का निर्माण करना;

(4) कवर न किए गए शेष 74000 आवासों को पेयजल उपलब्ध कराना;

(5) शेष 1,25,000 गांवों तक बिजली पहुंचाना और 2.3 करोड़ परिवारों को बिजली के कनेक्शन का प्रस्ताव देना; और

(6) शेष 66,822 गांवों को टेलीफोन सम्बद्धता प्रदान करना।

(ख) और (ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन को इस समय अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सी.एस.एम.ए. नियमों में संशोधन

4963. **श्री ए. वेंकटेश नायक:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्ट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेन्डेंस, रूल्स, 1944 के अंतर्गत शामिल किए गए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उन रोगों जिनमें कई महीने या लम्बी अवधि तक चिकित्सा की आवश्यकता है और जो रोग लाइलाज होते हैं, इनके सहित सभी प्रकार के रोगों हेतु मात्र 10 दिनों के अपने संबंधित अधिकृत मेडिकल अटेन्डेंट से मेडिकल अटेन्डेंस की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है;

(ग) क्या सरकार का सी.एम.एम.ए., नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरे क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1944 [सीएस (एमए) नियमावली, 1944] के लाभार्थी रोग की किसी भी विशेष अवधि के लिए केवल पहले दस दिनों के लिए ही अपने संबंधित प्राधिकृत चिकित्सा परिचरों (एएमए) से बहिरंग उपचार का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ख) अधिकतर लोगों का पहले दस दिनों की अवधि में ही उपचार हो जाता है। यदि रोग का इस अवधि के भीतर उपचार नहीं हो पाता अथवा विशिष्ट उपचार की आवश्यकता हो तो एएमए से यह अपेक्षित है कि वह रोग के आगे और उपचार के लिए इसे सरकारी अस्पताल/निजी मान्यता प्राप्त अस्पताल में रैफर करे।

(ग) और (घ) सीएस (एमए) नियमावली, 1944 के व्यापक संशोधन के लिए कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और उसके अंतर्गत सीएस (एमए) नियमावली, 1944 के अधीन दरों के युक्तियुक्तकरण संबंधी विषय में जांच करने हेतु भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एक दल का गठन किया गया है।

(ङ) सीएस (एमए) नियमावली, 1944 के अंतर्गत प्रावधान इन नियमों के लाभार्थियों को पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराते हैं। तथापि, जब भी अतिरिक्त प्रावधान करने की आवश्यकता होती है तो इसे समय-समय पर भारत सरकार के निर्णयों के अनुरूप किया जाता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में मोबाइल सेवाएं

4964. **श्री पारसनाथ यादव:**
श्री सीता राम यादव:
श्री आलोक कुमार मेहता:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में उन क्षेत्रों के नाम क्या है जिन्हें मोबाइल सेवा से नहीं जोड़ा गया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे क्षेत्रों को मोबाइल सेवा से कब तक जोड़ दिया जायेगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन (सीएमटीएस) के लाइसेंस के निबंधनों और शर्तों के अनुसार दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र के प्रचालक द्वारा एक वर्ष के भीतर सेवा क्षेत्र में 10 प्रतिशत जिला मुख्यालयों को और 3 वर्ष के भीतर 50 प्रतिशत जिला मुख्यालयों को कवर किया जाना अपेक्षित होता है। लाइसेंसधारक को जिला मुख्यालयों के बदले में जिले में किसी अन्य कस्बे को कवर करने की अनुमति भी होती है। कवर किए जाने वाले जिला मुख्यालयों/कस्बों का चयन करने और 50 प्रतिशत जिला मुख्यालयों/कस्बों से आगे विस्तार करने का अधिकार लाइसेंसधारक का होता है जो उनके कारोबार के निर्णय पर निर्भर करता है। सीएमटीएस लाइसेंस करार के तहत सेवा क्षेत्र के 100 प्रतिशत भाग को कवर करना अनिवार्य नहीं है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में सभी जिला मुख्यालयों (डीएचक्यू), 264 तहसील मुख्यालयों और 5305 किलोमीटर राजमार्गों/रेलवे रूटों सहित 518 कस्बों में मोबाइल सेवा की शुरूआत की जा चुकी है।

बीएसएनएल तहसील मुख्यालयों तक अपने सेल्यूलर नेटवर्क का विस्तार करने की कार्रवाई कर रहा है और इसने वित्त वर्ष (2005-06) के दौरान वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर ब्लाक मुख्यालयों और अन्य महत्वपूर्ण कस्बों तक कवरेज का विस्तार करने की योजना बनाई है।

सुनामी से संबंधित सर्वेक्षण

4965. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तटीय क्षेत्रों में आई विनाशकारी सुनामी लहरों के बाद तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय वैज्ञानिकों को इस सर्वेक्षण हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(घ) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने विदेशी वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों से सहायता प्राप्त की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सुनामी लहरों के कारण तटीय क्षेत्रों में भूमि अपरदन रोकने के लिए क्या कदम उठ।ए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) जी, हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अण्डमान और निकोबार क्षेत्र में पुनर्वास के लिए स्थानों का पता लगाने में सहायता करने के लिए जलमग्नता, ज्वारीय प्रणाली और भूकंपीय प्रणाली का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विशेषज्ञों का एक दल गठित किया गया। वैज्ञानिक दल ने आंकड़े तथा जानकारियां एकत्र की हैं जिससे अण्डमान तथा निक्रोबार द्वीप समूह में पुनर्वास के लिए सुरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण करने में सहायता मिली है। समिति द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आबादी को समुद्र तट पर 500 मीटर से 1000 मीटर की दूरी तक रखे जाने की आवश्यकता पर पुनः बल दिया गया है। अंडमान तथा निकोबार क्षेत्र में वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए लगभग 30.00 लाख रु. की राशि खर्च की गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) उन्हें केवल विचार-विमर्श के लिए शामिल किया गया था और उन्होंने क्षेत्र सर्वेक्षणों में भाग नहीं लिया।

(च) मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए संबंधित योजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और निष्पादन से संबंधित कार्य राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

[अनुवाद]

नाभिकीय ऊर्जा-क्षेत्र में अमेरिकी सहयोग

4966. श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री नीतीश कुमार:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री बालासाहिब विखे पाटील:
कुंवर मानवेन्द्र सिंह:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिकी प्रशासन नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाभिकीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी की आपूर्ति के लिए परमाणु शक्तियों के साथ बातचीत शुरू करने की सरकार की योजना है;

(घ) यदि हां, तो नाभिकीय प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए किन देशों के साथ विचार-विमर्श किये जाने की संभावना है;

(ङ) इससे क्या लाभ होने की संभावना है तथा इस प्रौद्योगिकी का किन क्षेत्रों में प्रयोग किये जाने का विचार है;

(च) इससे नाभिकीय अप्रसार संधि पर भारत के रवैये पर क्या असर पड़ने की संभावना है;

(छ) क्या सरकार का विचार देश में अतिरिक्त नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने का है;

(ज) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ भारत को नाभिकीय अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे; और

(झ) यदि नहीं, तो सरकार इस स्थिति से किस प्रकार निपटेगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (ङ) 14-15 अप्रैल, 2005 तक विदेश मंत्री की वाशिंगटन यात्रा के दौरान भारत-अमेरिका ऊर्जा वार्ता की घोषणा की गयी है जिसका नेतृत्व योजना आयोग के अध्यक्ष डा. मोन्टेक सिंह अहलूवालिया और अमेरीकी ऊर्जा मंत्री सैमुअल बौडमैन द्वारा किया जाएगा। इस वार्ता के प्रमुख घटक होंगे असैनिक नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन और स्वच्छ प्रौद्योगिकियां। सरकार नाभिकीय ऊर्जा सहित अन्य ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग को संवर्द्धित करने के लिए रूस और फ्रांस जैसे प्रमुख वार्ताकारों के साथ बातचीत कर रही है। सरकार ने अपने ऊर्जा भण्डार में नाभिकीय ऊर्जा को विशेष महत्व दिया है क्योंकि यह ऊर्जा का सस्ता और स्वच्छ स्रोत उपलब्ध कराता है। नाभिकीय ऊर्जा में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से भारत अप्रसार संधि के संबंध में अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं लायेगा। ऐसे सहयोग के किसी कार्यक्रम को हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप चलाया जाएगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों हेतु जैव प्रौद्योगिकी परियोजना

4967. श्री सुबोध मोहिते: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने उस परियोजना को स्वीकृति दे दी है जिसमें महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के चुनिंदा गांवों से अनुसूचित जाति और जनजातियों के किसानों को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किस एजेंसी को चुना गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां।

(ख) विदर्भ क्षेत्र के नागपुर, वर्धा, वसीम, यावतमाल, अमरावती और चन्द्रपुर के 6 जिलों में जैव उर्वरक, वर्मीकम्पोस्टिंग, जैव खेती, जैव नियंत्रण कमकों, मूल्य वर्धन, डेरी विकास और जलकृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रोजगार और आय के सृजन संबंधी गतिविधियों पर 7 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(ग) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 86.90 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

(घ) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिन एजेंसियों का चयन किया गया है वे हैं: राजीव गांधी विकास जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, नागपुर; जैव प्रौद्योगिकी विभाग, अग्निहोत्री कालेज आफ साइंस, वर्धा; कृषि विज्ञान केन्द्र, कर्डा, वसीम; कृषि विज्ञान केन्द्र, अमरावती; राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (एन.ई.ई.आर.आई.), नागपुर; कालेज आफ डेरी टेक्नोलाजी, पुसाड, यावतमाल; और एक गैर सरकारी संगठन - एक्शन फार रूरल डेवलपमेंट (एफोर्ड), ब्रह्मपुरी, चन्द्रपुर।

एमटीएनएल की सेलूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा

4968. श्री सुनील खां: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमटीएनएल उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाने और राजस्व अर्जित करने संबंधी सेलूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) में अपने लक्ष्य को हासिल करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या एमटीएनएल विभिन्न उपकरणों की खरीद, उनके लगाये जाने, उनके कार्यकरण को शुरू करने तथा उनके कार्यनिष्पादन से संबंधित अन्य वास्तविक और वित्तीय पैरामीटर के लक्ष्य को भी हासिल करने में असफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या एमटीएनएल को 97.20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राजस्थान में सिम कार्डों की कमी

4969. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में मोबाइल फोन के सिम कार्डों की स्थिति क्या है;

(ख) क्या गत छः माह के दौरान सिम कार्ड जारी करने पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और बिक्री हेतु सिम कार्डों के कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 28.02.2005 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में सिम कार्डों का प्रयोग करने वाले 16,60,971 मोबाइल उपभोक्ता हैं जिनमें 11,88,418 जीएसएम फोन शामिल हैं।

(ख) और (ग) राजस्थान में मोबाइल फोन के सिम कार्डों की कोई कमी नहीं है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के पोस्ट-पेड मोबाइल कनेक्शन मांग पर उपलब्ध हैं। तथापि, नेटवर्क क्षमता में दबाव के कारण पिछले छः महीनों से राजस्थान में बीएसएनएल द्वारा नए प्री-पेड मोबाइल कनेक्शन देने पर नियंत्रण रखा जा रहा है। इस संबंध में, वर्ष 2005 के दौरान बीएसएनएल राजस्थान में अपने मोबाइल नेटवर्क में 8.5 लाख की वृद्धि करने की कार्रवाई कर रहा है ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। बीएसएनएल के नए प्री-पेड मोबाइल कनेक्शनों के जून, 2005 से उपलब्ध हो जाने की आशा है।

[अनुवाद]

कृषि और ग्रामीण उद्योगों का एस.डब्ल्यू.ओ.टी. विश्लेषण

4970. श्री रघुनाथ झा:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उद्योग संबंधी स्थायी समिति ने कृषि और ग्रामीण उद्योगों के सामने पेश आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए कृषि और ग्रामीण उद्योगों के एस.डब्ल्यू.ओ.टी. विश्लेषण का मूल्यांकन करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या समिति ने भूमण्डलीकरण और उदारीकरण के नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए नीति बनाने की भी सिफारिश की है;

(ग) क्या समिति ने बाजार अर्थव्यवस्था को बदलने के साथ-साथ नीति संबंधी पहल करने तथा नीतिगत संशोधन करने की भी सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई तथा इनसे प्राप्त लाभों का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) जी, हां।

(घ) कृषि तथा ग्रामीण उद्योग (एआरआई) क्षेत्र में मुख्यतः खादी तथा ग्रामीण (कुटीर सहित) उद्योग और कयर उद्योग शामिल हैं। इस प्रकार एआरआई सेक्टर के उत्पाद पारंपरिक, अवस्थिति विशिष्ट और स्वदेशी होते हैं।

कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय और उसकी विभिन्न एजेंसियों में सरकार ने अपने नियंत्रण वाली योजनाओं के विभिन्न अध्ययन करवाए हैं, एआरआई सेक्टर की शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों का आकलन किया है और समस्याओं तथा अवरोधों का समाधान किया है। हालिया अतीत में, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी), ग्रामीण उद्योगों, कयर उत्पादों की न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) योजना के ऐसे अध्ययन करवाए हैं।

सरकार वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में सेक्टर को प्रतिस्पर्धात्मक तथा निर्यात-केन्द्रित रहने में मदद करने के लिए सहयोग प्रदान कर रही है। इन उपायों में उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सुविधाएं प्रदान करने, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, अनुसंधान व विकास आदि के लिए सहायता, इत्यादि शामिल है। परिणामस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों में संकेतक जैसे आरईजीपी तथा पीएमआरवाई के तहत रोजगार सृजन, तथा खादी ग्रामोद्योग (केवीआई) सेक्टर में उत्पादन, कयर सेक्टर द्वारा निर्यात, इत्यादि में ऊपर को ओर रूझान प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसा कि निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:

एआरआई सेक्टर में विकास रूझान

क्र.सं.	वर्ष	आरईजीपी (रोजगार-लाख व्यक्तियों में)	पीएमआरवाई (रोजगार-लाख व्यक्तियों में)	केवीआई उत्पाद (मूल्य करोड़ रुपये में)	कयर उत्पाद (मूल्य करोड़ रुपये में)	कयर उत्पाद (निर्यात करोड़ करोड़ रुपये में)
1.	2001-02	3.43	2.85	7140.52	1320.00	320.58
2.	2002-03	3.61	2.86	8569.37	1490.00	352.70
3.	2003-04	4.71	3.25	9681.77	1750.00	407.49

नोट- 2004-05 के लिए आंकड़े अभी तक पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं।

दिल्ली में 'एडवेलोरम टैक्स रिजिम'

4971. **श्री ई. पोन्नुस्वामी:** क्या पोत परिवहन, **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 'एडवेलोरम टैक्स रिजिम' लागू करने के लिए अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त कर के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) इससे संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को कितना वित्तीय लाभ होने की संभावना है; और

(ङ) सरकार के उक्त 'टैक्स रिजिम' का अनुमोदन किए जाने में हुई देरी से संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को हुए नुकसान की भरपाई किस तरह से करने की है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) मंत्रालय ने दिल्ली मोटर यान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2004 पर अपनी अनापत्ति नवम्बर, 2004 में गृह मंत्रालय को भेज दी थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निजी गैर परिवहन वाहनों पर मूल्यानुसार कर लगाने संबंधी प्रस्ताव का उल्लेख है।

(ग) और (घ) सड़क कर लगाना/उसकी वसूली का कार्य, राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। मोटर वाहनों पर ऐसे मूल्यानुसार कर लगाने के प्रभाव और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का होने वाले संभावित लाभों का भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा मूल्यांकन किया जाना है।

(ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

समुद्री जल के स्तर में वृद्धि

4972. **डा. के. धनराजू:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ के पिघलने के परिणामस्वरूप समुद्री जल के स्तर में हुई वृद्धि, जिससे उच्च ज्वारीय तरंगे उठती हैं, के बारे में कोई अध्ययन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा

4973. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा मुहैय्या करा दी है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र, उत्तरांचल, गुजरात और उड़ीसा में उन ग्राम पंचायतों की राज्यवार संख्या कितनी है जहां अभी तक टेलीफोन सुविधा मुहैय्या नहीं करायी गयी है;

(ग) इन राज्यों की सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में चालू बजट में कितनी निधियां आवंटित की गयी हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, नहीं। देश की 11,277 ग्राम पंचायतों को अभी तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसमें महाराष्ट्र की 2,020, उत्तरांचल की 910, गुजरात की 790 और उड़ीसा की 133 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इन राज्यों के बारे में जिले-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) चरणबद्ध तरीके से ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) मुहैय्या कराकर देश की सभी ग्राम पंचायतों को नवंबर, 2007 तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है।

(घ) कवर न किए गए गांवों में वीपीटी उपलब्ध कराने के लिए प्रशासक, सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि के कार्यालय द्वारा वर्ष 2005-06 में लगभग 180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

विवरण

उन ग्राम पंचायत गांवों का जिले-वार ब्यौरा जहां अभी भी टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है

क्र.सं.	जिले का नाम	जिन ग्राम पंचायतों में अभी भी दूरसंचार सुविधा प्रदान की जानी है उनकी कुल संख्या
1	2	3
	महाराष्ट्र	
1.	अहमदनगर	19
2.	अकोला	16
3.	अमरावती	73
4.	बीड़	31
5.	भंडारा	4
6.	बुलढाणा	45
7.	चन्द्रपुर	48
8.	धुले	33
9.	गढ़चिरोली	95
10.	गोंदिया	50
11.	हिंगोली	10
12.	कल्याण	95
13.	लातूर	75
14.	नागपुर	23
15.	नांदेड़	63
16.	नंदूरबार	34
17.	उस्मानाबाद	76
18.	परभनी	81
19.	पुणे	145
20.	रायगढ़	75
21.	रत्नागिरी	315
22.	सांगली	21
23.	सतारा	319
24.	सिंधुदुर्ग	168
25.	वर्धा	25
26.	यवतमाल	81
	जोड़	2,020
	उत्तरांचल	
1.	अलमोड़ा	7
2.	बागेश्वर	3
3.	चम्पावत	5
4.	पिथौरागढ़	11
5.	देहरादून	28
6.	नैनीताल	36
7.	उधम सिंह नगर	2
8.	न्यू टिहरी	174
9.	उत्तर काशी	58
10.	पौड़ी	265
11.	चमोली	150
12.	रूद्र प्रयाग	171
	जोड़	910
	गुजरात	
1.	अहमदाबाद	49
2.	अमरेली	47
3.	भावनगर	78
4.	भरूच	25
5.	भुज	40
6.	गोधरा	205

1	2	3
7.	जामनगर	32
8.	जूनागढ़	22
9.	खेड़ा	2
10.	मेहसाणा	6
11.	पालनपुर	7
12.	राजकोट	7
13.	सूरत	84
14.	यूटी	1
15.	वडोदरा	102
16.	वलसाड	83
	जोड़	790
	उड़ीसा	
1.	अनगुल	4
2.	बोलांगीर	2
3.	बौध	1
4.	कटक	3
5.	ढेंकानाल	1
6.	देवगढ़	2
7.	गजपति	5
8.	गंजाम	1
9.	जाजपुर	2
10.	झारसुगुडा	2
11.	कालाहांडी	14
12.	कोरापुट	21
13.	मालकानगिरी	12
14.	मयूरभंज	5
15.	नयागढ़	3
16.	नुआपारा	8
17.	नवरंगपुर	1
18.	फुलवाणी	22
19.	रायगड़ा	19
20.	सम्बलपुर	2
21.	सुन्दरगढ़	3
	जोड़	133

राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम चरण-III में निर्माण कार्यों के लिए बोली

4974. श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादवः
श्री कीर्ति वर्धन सिंहः

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम चरण-III के अंतर्गत क्षेत्रों के निर्माण कार्यों का ठेका देने के लिए बोली आमंत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस ठेके को देने में अनावश्यक विलंब के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IIIक के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की 4000 कि.मी. लंबाई का उन्नयन कार्य अनुमोदित कर दिया गया है। चरणबद्ध रूप में निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। परियोजना के अंतर्गत अभी तक राष्ट्रीय राजमार्गों के 19 अनुमोदित खंडों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) कार्य को सौंपने में कोई अनावश्यक विलंब नहीं हुआ है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IIIक को मार्च, 2005 में ही अनुमोदित कर दिया गया है।

अपराह्न 12.02 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आपकी जानकारी हेतु पिछले सप्ताह अर्थात 19 से 21 अप्रैल, 2005 तक सभा द्वारा निपटाए गए मुख्य कार्यों को संक्षेप में दोहराना चाहता हूं।

स्वीकृत 80 तारांकित प्रश्नों में से, 8 का मौखिक उत्तर दिया गया था। बाकी के तारांकित प्रश्नों और 920 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रख दिए गए थे।

इस अवधि के दौरान प्रश्न काल के बाद लोक महत्व के 12 मामले उठाए गए थे। नियम 377 के अधीन भी मामले उठाए गए थे।

सभा ने रेलवे की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों; रेलवे उपक्रमों द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की दर के बारे में रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव द्वारा पुरःस्थापित सरकारी संकल्प और विनियोग (रेलवे) सं. 2, विधेयक, 2005 पर चर्चा करने और इन्हें पारित करने में 3 घण्टे और 40 मिनट का समय लिया। सभा ने कृषि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिए 5 घण्टे, 37 मिनट का समय लिया।

विभागों से संबंधित स्थायी समितियों ने 38 प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे।

माननीय सदस्यों, पिछले सप्ताह कुछ सदस्यों द्वारा व्यवधान डालने के कारण आठ घण्टे का अमूल्य समय व्यर्थ गया।

मैं एक बार फिर सभी दलों के नेताओं और प्रत्येक सदस्य से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह सभा का कार्य सुचारू रूप से चलने के लिए पीठासीन अधिकारी से सहयोग करें।

अपराह्न 12.04 बजे

सभापटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सं. एल.टी. 1969/05]

(3) (एक) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फार एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फार एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सं. एल.टी. 1970/05]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सं. एल.टी. 1971/05]

(3) (एक) आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट (रीजनल कैंसर सेंटर), बीकानेर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट (रीजनल कैंसर सेंटर), बीकानेर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सं. एल.टी. 1972/05]

(5) (एक) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सं. एल.टी. 1973/05]

(7) (एक) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सं. एल.टी. 1974/05]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): मैं, श्री के.एच. मुनियप्पा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2005 जो 9 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 165(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** सं. एल.टी. 1975/05]

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 320(अ) जो 16 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा 20 जनवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 76(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** सं. एल.टी. 1976/05]

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1317(अ) और का.आ. 1318(अ) जो 2 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-45 (टिंडिवनम-विल्लुपुरम-त्रिचिरापल्ली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उनमें विनिर्दिष्ट भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

(दो) का.आ. 1368(अ) और का.आ. 1369(अ) जो 13 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य के तिरूनेलवेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7(क) (पलयमकोट्टई से थूथुकुडि खंड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लोक प्रयोजन के लिए उनमें विनिर्दिष्ट भूमि के अर्जन के बारे में है।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं. एल.टी. 1977/05]

अपराह्न 12.04½ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

आठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों संबंधी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मद सं. 6—श्री विजय कुमार मल्होत्रा—अनुपस्थित;

डा. एम. जगन्नाथ—अनुपस्थित। यह लंबित रहेगा।

अपराह्न 12.05 बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा पूर्व): महोदय, मैं ''अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार और उनके प्रति सामाजिक अपराधों का स्वरूप'' के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित चौथे प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05½ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 18 मार्च, 2005 को हुई तीसरी बैठक का कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

चौथे से सातवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, मैं खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2004-05) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2004-05) संबंधी पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2004-05) संबंधी दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

(3) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2005-06) संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(4) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2005-06) संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06½ बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

एक सौ इकसठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. बसुदेव बर्मन (मथुरापुर): महोदय, मैं "इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक, 2004" के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 161वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

सातवें से नौवा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. चिन्ता मोहन (तिरूपति): महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) स्वास्थ्य विभाग की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में समिति का सातवां प्रतिवेदन;

(2) परिवार कल्याण विभाग की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में समिति का आठवां प्रतिवेदन; और

(3) आयुष विभाग की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में समिति का नौवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07½ बजे

समिति का निर्वाचन

कयर बोर्ड

[हिन्दी]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि कयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4(1)(ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, कयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के लिए, कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"कि कयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4(1)(ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, कयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मसूद, आपने सूचना नहीं दी है इसलिए मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक लैटर लिखा है। आप हमारे राइट्स के प्रोटैक्टर हैं। मैं यहां पर वन आफ द सीनियरमोस्ट मैम्बर हूं। 12 महीने हो गए परंतु मुझे मकान नहीं मिला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया प्रतीक्षा करें। अन्य मामलों को निपटाने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको बोलने का मौका मिले।

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद: अध्यक्ष महोदय, मेरा पार्लियामैंट्री वर्क सफर कर रहा है। मुझे नौएडा से आना पड़ता है। मुझे हाउस अलाट नहीं हुआ है। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यह मामला इस सदन में नहीं उठाया जा सकता।

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूदः मैं आपको पत्र लिख चुका हूं, प्रधान मंत्री जी को पत्र लिख चुका हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आप कृपा करके इस बारे में मुझसे मेरे कक्ष में मिलें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, देश के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जिला न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक एक आकलन के अनुसार लगभग ढाई करोड़ वाद हमारे देश में लंबित हैं। इनके शीघ्र निस्तारण के लिए 2002 में एक योजना बनाई गई और यह सुनिश्चित किया गया कि वादों के सुनिश्चित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएं। 11वें वित्त आयोग में 502 करोड़ रुपये का प्रावधान इसके लिए किया और यह सुनिश्चित किया गया कि 1734 फास्ट ट्रैक अदालतें हमारे देश में स्थापित की जाएंगी जिनमें से 1699 अदालतें अभी तक स्थापित हुई हैं। इन अदालतों को 31 मार्च, 2004 तक 12,58,000 वादों का निस्तारण करना था और उसमें से छः लाख से ऊपर वादों का निस्तारण हुआ। जो धनराशि 11वें वित्त आयोग ने स्वीकार की थी, वह 31 मार्च, 2005 तक समाप्त हो गई। 12वें वित्त आयोग ने इस योजना को जारी रखने के लिए धन की कोई व्यवस्था नहीं की है। सबसे दुखद बात यह है कि उस पर कानून मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से आग्रह नहीं किया कि इस योजना को जारी रखने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है। बाद में उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका आल मीडिया जरनलिस्ट एसोसियेशन के द्वारा दायर की और इसको स्वीकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि इन अदालतों को 30 अप्रैल, 2005 तक चलने दिया जाए तथा सरकार इनके भावी संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करे। इसी बीच विधि एवं न्याय मंत्रालय की जो स्थायी समिति है, उस स्थायी समिति ने भी सरकार की आलोचना की और यह कहा कि यह लाभप्रद योजना है, इसे जारी रखा जाना चाहिए। सरकार जब तक आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं करती तब तक राज्य सरकारों को इनका खर्चा वहन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के विभिन्न राज्यों में 28 फास्ट ट्रैक अदालतें हैं और मैं समझता हूं कि इन अदालतों के बनने के बाद देश में जो लंबित वाद थे, उनके निस्तार में काफी हद तक मदद हुई है। इस सरकार ने अतिरिक्त धन की व्यवस्था नहीं की है और 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन अदालतों को जारी नहीं रखा जा सकता है। मैं आपकी मार्फत सरकार से विनम्र आग्रह करता हूं कि इन फास्ट ट्रैक अदालतों के काफी अच्छे परिणाम आए हैं। इन अदालतों को जारी रखा जाए जिससे लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके और इस देश में करोड़ों की संख्या में जो वाद लंबित हैं, उनका निस्तारण हो सके।

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग): अध्यक्ष महोदय, झारखंड में धनबाद से लेकर बिहार के गया जिले के बाराचट्टी तक चार लेन जीटी रोड बनाई जा रही है। इस रोट में एल एंड टी, एस.सी.सी. और भी कई कंपनियां हैं। इसमें घटिया किस्म का काम हो रहा है और सीमेंट की ढुलाई भी खराब तरीके से हो रही है। मैंने कई बार इस संबंध में माननीय मंत्री जी को लिखा है, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जो भी केंद्रीय टीम वहां जाती है वह इधर-उधर घूम कर आ जाती है। जहां काम चल रहा है, वहां केन्द्रीय टीम नहीं जाती है।

अध्यक्ष महोदय, वहां पर मिनिमम वेजेज का भी भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसे हजारों किसान और गरीब लोग हैं जिनसे चार लेन रोड के लिए जमीन ली गई है, उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है और जबरदस्ती उनके घरों को ढाह कर प्रशासन की मदद से उस पर रोड का काम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस पर आवश्यक कार्यवाही की जाए और जांच की जाए। चार लेन रोड बनाने में जो अरबों रुपयों की लूट हो रही है, उसे रोकने के लिए दोषी लोगों पर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): महोदय, सारे देश के आंनगवाड़ी कार्यकर्त्ता और हेल्पर अपनी दीर्घकालीन मांगों के समर्थन में कल दिल्ली में एकत्र हुये थे।

अध्यक्ष महोदयः क्या आप अपने स्थान पर हैं?

श्रीमती मिनाती सेनः जी हां, महोदय।

महोदय, बच्चों के सम्पूर्ण विकास, पोषण और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य के उद्देश्य से वर्ष 1975

में 6,49,000 आंगनवाड़ी केन्द्र शुरू किये गये थे। परन्तु भारत में कुपोषण के संबंध में विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चार वर्ष की आयु से कम के आधे से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और 30 प्रतिशत नवजात शिशु कम-वजन के हैं और 60 प्रतिशत महिलायें क्षीणरक्त (दुर्बल) हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 85 प्रतिशत से अधिक महिलायें और दूरस्थ क्षेत्रों में 95 प्रतिशत महिलायें घर में ही बच्चे को जन्म देती है। सुरक्षित जन्म देने संबंधी सुविधाओं तक केवल 42 प्रतिशत महिलाओं की पहुंच है।

महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से देश में 1,88,168 नये आंगनवाड़ी केन्द्रों को खोलने की सरकार की घोषणा का स्वागत करता हूं। परन्तु लगभग 14 लाख केन्द्रों से सभी जरूरतमंद बच्चों और माताओं की आवश्यकताओं को पूरा करना अपेक्षित होगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि आई.सी.डी.एस. को संस्थागत बनाना जाना चाहिये और एक नियमित विभाग में बदलना चाहिये अथवा एक योजना के रूप में रहने की बजाए इसे सरकार के महिला और बाल विकास विभाग का एक अभिन्न भाग बनाया जाना चाहिये।

दूसरे, आंगनवाड़ी केन्द्रों को और अधिक मजबूत किया जाना चाहिये तथा इनके माध्यम से क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण और बच्चों तथा महिलाओं के सम्पूर्ण विकास हेतु सरकार के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये।

तीसरे, आगंनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को विभाग के कर्मचारियों के रूप में नियमित किया जाना चाहिये और उन्हें सभी सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आश्वस्त हूं कि इसे ध्यान में लिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है और मैं इसके संबंध में उत्तर की आशा करता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, हम माननीय मंत्री की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी नहीं। परन्तु मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उत्तर दें। मैं नियमित रूप से उत्तरों को देख रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूंगा। यह ऐसी खेदजनक स्थितियों के बारे में है जिनमें आदिवासी रहते हैं। वर्ष 2002 में एन.डी.ए. सरकार ने वन भूमि से सभी आदिवासियों को निकालने के लिये एक दिशानिर्देश जारी किया था। तदनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने वन भूमि से आदिवासियों को निकालने हेतु कदम उठाये थे।

अध्यक्ष महोदय: यह राज्य का मामला है।

श्री लक्ष्मण सेठ: यह पूरे राष्ट्र से संबंधित मुद्दा है। परन्तु मैं विशेष रूप से मध्य प्रदेश राज्य में खांडवा जिले की वन भूमि से आदिवासियों को निकालने का उल्लेख कर रहा हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से उस क्षेत्र में गया था। मेरे विचार में लगभग 140 घर जला दिये गये हैं और नष्ट कर दिये गये हैं और आदिवासियों को उनके घरों से निकाल दिया गया है। वे घरों के बिना रह रहे हैं। केवल यही नहीं अपितु कुछ स्कूलों को भी नष्ट कर दिया गया है।

अतः, मैं यह मांग करता हूं कि सरकार को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जिन्होंने इन आदिवासियों को उनके आवासों से निकाला है आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये। मैं यह भी मांग करता हूं कि ग्रामीण समुदायों को भी वन भूमि के उद्धार में शामिल किया जाना चाहिये। जनजातियों को वनों की निगरानी और प्रबंधन हेतु अधिकार दिये जाने चाहिये। उन्हें ऐसी जगहों पर पट्टा दिया जाना चाहिए जहां पर वे रह रहे हैं क्योंकि जंगल, जल और जमीन आदिवासियों की है। वे आदिकालीन लोग हैं। उन्हें वन भूमि से वंचित नहीं किया जाना चाहिये।

इसलिये, मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय पर्यावरण और वन मंत्री से आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं ताकि आदिवासियों को उनके घरों और वन भूमि से वंचित न किया जा सके। उन्हें उनके स्थान से निकाला नहीं जाना चाहिये। ऐसे व्यक्तियों और अधिकारियों के प्रति जिन्होंने खांडवा जिले में उनके घरों को जलाया है कार्यवाही की जानी चाहिये। मैं उन गांवों के नामों का उल्लेख कर सकता हूं। वे गांव हैं: मध्य प्रदेश में खारकोडी, अम्बाकेरी और सिगनोट।

यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं माननीय रक्षा मंत्री और सभा के नेता जो इस महत्वपूर्ण मुद्दे हेतु यहां उपस्थित हैं का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उनसे यह अनुरोध करता हूं कि उन व्यक्तियों, जिन्होंने ऐसा किया है, के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, श्री लक्ष्मण सेठ ने जो अभी कहा है मैं उस बात से संबद्ध होना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रबोध पाण्डा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री तोपदार, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदय: मैं धन्यवाद के रूप में ऐसा नहीं कर सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री तोपदार, आप किसी अन्य माननीय सदस्य के नोटिस का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

श्री प्रबोध पाण्डा अपने विषय पर बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आपका और इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विचार से माननीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री 'शून्य काल' के दौरान यहां पर उपस्थित होंगे।

अध्यक्ष महोदय: 'शून्य काल' नहीं होता है। कृपया आप अपने विषय का उल्लेख करें।

श्री प्रबोध पाण्डा: महोदय, मैं सभी राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर आपका और इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि जकार्ता में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने रायल नेपाल आर्मी को शस्त्रों की आपूर्ति आरम्भ करने का वायदा किया था।

यदि यह सत्य है तो यह नेपाल के राजनैतिक दलों जो प्रजातंत्र की बहाली हेतु संघर्ष कर रहे हैं, के प्रति विश्वासघात होगा। इस मौजूदा स्थिति में इससे अवश्य ही नेपाल का राजतंत्र मजबूत होगा जिनकी 1 फरवरी की प्रतिक्रिया के कारण सैन्य सहायता स्थगित करनी पड़ी। इस सभा ने इस संबंध में अपना गहरा दुख व्यक्त किया है।

हमारे महान देश से हथियार न भेजे जाने का संकल्प लेकर यह संकेत दिया था कि माओवादियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के बहाने लोकतांत्रिक राजनीति को खत्म करना और राजतंत्र शासन लागू करके नेपाल को प्राचीन शासन में धकेलना उसे स्वीकार्य नहीं है। हमारे देश ने इस संबंध में जो रुख अपनाया है उसकी इस सम्मानित सभा ने प्रशंसा की है। वास्तव में यह हमारे देश की सर्वसम्मत राय है।

आज तक नेपाल में सुधार का कोई संकेत नहीं मिला है। प्रेस सेंसर व्यवस्था जारी है। सभी राजनैतिक दलों और उनके कार्यकलापों पर प्रतिबंध है। हजारों राजनैतिक नेताओं और कार्यकर्त्ताओं को जेल में डाल दिया गया है। नये आम चुनाव अभी नहीं कराये गये हैं। सभी प्रकार के दमनकारी उपाय अभी भी जारी हैं। ऐसी स्थिति में अपने रुख में बदलाव लाने का कोई आधार नहीं है। यह समझ में नहीं आता है कि इस संकल्प को बदलने का कौन सा आधार है। यदि शस्त्रों को भेजने का निर्णय लिया जा चुका है तो सरकार को तुरंत ही इसे रद्द कर देना चाहिये। अन्यथा, यह इस माननीय सभा में अपनाई गई अवधारणा से पूरी तरह असंगत (बेमेल) होगा।

माननीय प्रधानमंत्री अथवा माननीय विदेश मंत्री को इस सभा में हमारी सरकार की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये। अन्यथा इससे देश में लोगों के दिमाग में भ्रम उत्पन्न होगा। तथापि, मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आपका ध्यान और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अबदुल्लाकुट्टी (कन्नौर): महोदय, मैं भारत के मछुआरों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाता हूं।

परसों अखिल भारतीय मछुआरा समन्वयन समिति ने अपनी महत्वपूर्ण मांगों को उठाते हुये राजधानी में प्रदर्शन किया। उनकी पहली मांग यह है कि उनके कल्याण हेतु एक पृथक मंत्रालय बनाया जाना चाहिये। वर्तमान में यह कृषि मंत्रालय के अंतर्गत है। इस समय उनके लिये व्यवहारिक रूप में कोई कल्याणकारी उपाय नहीं है। अतः, उनके कल्याण को वरीयता दी जानी चाहिये।

हमारे मछुआरों द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या का सामना किया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से हमारे इन गरीब लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इसलिये, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को नियंत्रित किया जाए।

हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने थाईलैंड से मछली उत्पादों के आयात के बारे में निर्णय लिया। इससे भी गंभीर समस्यायें खड़ी हो गई हैं। हमारे मछुआरे दिन प्रतिदिन इस नीति के कारण बेरोजगार होते जा रहे हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अंत में, मैं यह कहूंगा कि केरल के गरीब मछुआरों को आज तक डीजल और मिट्टी का तेल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ती कीमत पर मिट्टी का तेल और कर मुक्त डीजल प्रदान करने का अनुरोध करूंगा।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, मैं इस बाद से संबद्ध होना चाहता हूं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, केरल वन विभाग के सतर्कता स्कंध ने यह बताया है कि केरल के पालघाट जिले के मुल्लई क्षेत्र में अट्टापाडी में केरल राज्य की लगभग 1000 से 4000 एकड़ भूमि का निकटवर्ती तमिलनाडु राज्य द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है।

इसे जानबूझ कर नहीं किया गया है। शायद ऐसा अनायास ही हो गया है परन्तु बात यह है कि यह 20 किलोमीटर क्षेत्र में हुआ है जहां केरल राज्य की सीमा के भीतर कुंडापुझा नदी बहती है। हाल ही में जब अट्टापाडी ब्लाक पंचायत ने मुल्लई में जनजातियों हेतु जल आपूर्ति योजना बनाने का प्रयास किया था तो तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों ने आपत्ति की थी और इसे बंद कर दिया था। इसके कारण उस क्षेत्र में अत्यधिक तनाव है। इस समस्या का समाधान करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि दोनों राज्यों के सर्वेक्षण विभागों द्वारा एक संयुक्त सर्वेक्षण किया जाए, किन्तु दुर्भाग्यवश तमिलनाडु सरकार अभी तक इसका विरोध कर रही है।

अत:, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को निदेश दिया जाये कि वह भारतीय सर्वेक्षण मानचित्र का उपयोग करके और दोनों राज्यों के सर्वेक्षण विभागों को शामिल करके एक संयुक्त सर्वेक्षण कराये और इस मामले का एक स्थायी समाधान निकाले ताकि इस क्षेत्र में तनाव खत्म हो और जनजीवन सामान्य हो सके। मैं केन्द्र सरकार से इस मामले को तत्काल उठाने और इसका एक स्थायी समाधान करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री अनन्त गुढे—उपस्थित नहीं हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): अध्यक्ष महोदय, मुझे एक ऐसे मुद्दे को उठाने का खेद है जो केन्द्र सरकार के कार्यकरण से संबंधित है। मुझे आशा है कि सभा के नेता इसका उत्तर देंगे।

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने एयर इंडिया के कर्मचारियों के एक विशेष वर्ग अर्थात इंजीनियरिंग और ग्राउंड स्टाफ में चुनाव कराने के आदेश दिए थे। आदेश श्रम मंत्रालय द्वारा पारित किया गया और चुनाव आज सुबह 5 बजे से आरंभ होना था। श्रम मंत्रालय के कर्मचारी जिन्हें चुनाव कराना था की नियुक्ति की गई और देश भर में पोलिंग बूथ लगाए गए। चुनाव आज सुबह 5 बजे आरंभ होना था किंतु अचानक यह पता चला कि एयर इंडिया के कर्मचारियों ने उन कमरों में ताला लगा दिया है जहां मत पेटियां रखी गई थीं। इसके परिणामस्वरूप, नागर विमानन मंत्रालय के निदेशों पर सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम द्वारा श्रम मंत्रालय के निर्णय का खुलेआम और गलत ढंग से उल्लंघन किया जा रहा है।

यह एक विचित्र स्थिति है। सरकार की एक अविभाजित जिम्मेदारी है। एक विभाग चुनाव की घोषणा करता है दूसरा विभाग चुनाव को रुकवा देता है। जिसके परिणामस्वरूप, एयर इंडिया के 7000 कर्मचारी पूरे देश में तत्काल हड़ताल पर चले गए हैं। एयर इंडिया द्वारा चलाई जा रही सभी विमान सेवाएं ठप्प हो गई हैं और सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। मैंने सुबह एयर इंडिया के चेयरमैन से बात की और उनसे चुनाव कराने की अनुमति देने का अनुरोध किया और कहा कि यदि उन्हें कोई शिकायत है तो वे न्यायालय में जा सकते हैं। मैंने नागर विमानन मंत्रालय के सचिव से भी बात की और उनसे यह पूछा कि उनके मंत्रालय द्वारा किस प्रकार श्रम मंत्रालय के निदेशों का उल्लंघन किया जा सकता है। दोनों ने मुझसे बात करने का वादा किया, परन्तु उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की है। मैं इस मंत्रालय के प्रभारी मंत्री से भी संपर्क नहीं कर सकता। जिसके कारण तत्काल यह हड़ताल हुई है। इससे देश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, करोड़ों रुपये बरबाद हो रहे हैं और नागर विमान मंत्रालय द्वारा श्रम मंत्रालय के निदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस विषय पर पूरी तरह से विभाजित है।

इसके साथ ही मुझे यह कहना है कि सिंगरेनी कोयला खान के 80,000 कर्मचारी....

अध्यक्ष महोदय: यह एक अलग मामला है। आप दो मामले नहीं उठा सकते। मैं आपको किसी अन्य दिन अनुमति दूंगा।

श्री गुरूदास दासगुप्त: ठीक है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में उत्तर दे।

अध्यक्ष महोदय: आप दूसरे मामले के लिए नोटिस दें। मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री गुरूदास दासगुप्त द्वारा उठाए गए मामले से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपकी संबद्धता कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल कर ली गई है।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): अध्यक्ष महोदय, श्री गुरूदास दासगुप्त न केवल एक वरिष्ठ सांसद हैं बल्कि मजदूर संघ के वरिष्ठ नेता भी हैं। मैं मजदूर संघों के विषय में कुछ नहीं जानता। अत:, मुझे इनसे बहुत कुछ सीखना है।

अध्यक्ष महोदय: आप एक छात्र की तरह बोल रहे हैं।

मोहम्मद सलीम: किन्तु मेरी चिंता एयर इंडिया के विषय में है। हालांकि मैं मजदूर संघों का नेता नहीं हूं, फिर भी मैं अपने पूर्ववर्ती कार्यकाल में परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थाई समिति का सभापति था और इसलिए मैं एयर इंडिया के विषय में भी थोड़ा बहुत जानता हूं और मैंने देखा है कि एयर इंडिया किस प्रकार के मुश्किल दौर से गुजरी थी। अत: मैं एयर इंडिया की स्थिति के प्रति चिंतित हूं। मैं यह महसूस करता हूं कि एक उद्योग में केवल एक संघ होना चाहिए और मतदान के द्वारा ही यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि संघ का संचालन कौन करेगा। इसमें कोई समस्या नहीं है। किन्तु ऐसी स्थिति में मैं एक उद्योग विशेषरूप से एयर इंडिया जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में एक से अधिक संघ का समर्थन नहीं करता, हमें एयर इंडिया की स्थिति को भी देखना है और मेरी चिंता उसके संबंध में है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, एक संघ की इनकी चिंता, भारत सरकार के किसी विशेष विभाग को चुनाव रोकने की अनुमति नहीं प्रदान करती है ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: यह श्रमिकों का एक विशेष वर्ग है ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: वह एक अलग मुद्दा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप एक दूसरे से सहमत नहीं हैं तो आपको प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि वर्ग के विषय में जो भी संकल्पना हो ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने कहा, चुनाव की घोषणा की गई और चुनाव कराए जाने चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: जी हां, महोदय, चुनाव कराए जाने चाहिएं। नागर विमानन मंत्रालय ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहा है जिसमें करोड़ों रुपये बरबाद हो रहे हैं और अन्य दलों में मेरे मित्रों को यह भी देखना चाहिए कि कानून अपना कार्य करे। उन्हें ऐसे सिद्धांतों पर नहीं बोलना चाहिए जिनसे सरकारी कानूनों का उल्लंघन होता हो।

अपराह्न 12.31 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) दिल्ली में पेयजल की समस्या हल करने के लिए उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सज्जन कुमार (बाहरी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान दिल्ली में पानी की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। वजीराबाद बैराज में यमुना नदी के पानी का जलस्तर लगातार कम होता जा रहा है। 22 अप्रैल, 2005 को पानी का स्तर 672.7 मीटर था, जिससे शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बहुत कमी हो गई है। सोनिया विहार, बवाना, नांगलोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार हैं, किंतु उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और हरियाणा सरकारों ने पानी देने का जो वायदा किया था, वह पानी अभी तक नहीं मिल पाया है। राजधानी सरकार अपने स्तर पर राज्यों से कच्चा पानी लेने का प्रयास कर रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपकी सूचना एक अलग विषय पर थी।

[हिन्दी]

श्री सज्जन कुमार: महोदय, इसी बारे में है। इन सब मामलों को मद्देनजर रखते हुए राजधानी सरकार ने केंद्र सरकार को अवगत कराया है तथा आग्रह किया है कि दिल्ली में पानी की समस्या सुलझाने तथा दिल्ली को पानी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। केंद्र सरकार ने संबंधित राज्यों से बातचीत करने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है, जो समस्या को सुलझाने तथा उसका समाधान निकालने पर विचार कर रही है। मैं केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों से अनुरोध करता हूं कि आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जाए तथा पानी की उपलब्धता के लिए दीर्घकालीन नीति अपनाई जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपकी सूचना एक अलग विषय पर थी। किन्तु मेरा कहना है कि आपने एक बिना नोटिस वाले मामले को वरीयता दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह इसके अधीन नहीं आता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री सज्जन कुमार ने जिसका उल्लेख किया है उसे नियम 377 के अधीन माना जाए न कि एक विशेष उल्लेख।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, यह तात्कालिक मामला है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको कुछ माननीय सदस्यों की दुर्भाग्यपूर्ण अनुपस्थिति का लाभ नहीं उठाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, आज देश और सदन शांत है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अशांत कर रहे हैं। कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय: मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

[हिन्दी]

श्री मुन्शी राम (बिजनौर): मेरे लोक सभा क्षेत्र बिजनौर पश्चिम उत्तर प्रदेश के ग्राम लधूपुरा मुढाल में ब्लाक हलदौर थाना हीमपुर दीपा में एक गरीब किसान ने अपने आपको, अपनी पत्नी एवं तीन बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली है, जिसकी पुलिस अधीक्षक, बिजनौर ने पुष्टि की है। यह घटना दिनांक 8 अप्रैल, 2005 की है। जिला बिजनौर के सभी समाचार-पत्रों द्वारा दिनांक 9 अप्रैल, 2005 को उपरोक्त हत्या एवं आत्महत्या पर संदेह व्यक्त किया गया। यदि किसान ने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या की है तो सरकार को गंभीरता से इस बारे में विचार करना चाहिए कि कोई और गरीब किसान इस प्रकार से आत्महत्या न करे और यदि अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किसान की और उसके परिवार की हत्या की गई है तो मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि इस हत्याकांड की जांच सीबीआई द्वारा करवाई जाए ताकि पुलिस अपनी मनमर्जी से किसी भी हत्याकांड में कोई लीपापोती न कर सके, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्री टेक लाल महतो बोलेंगे। आपका मामला आपके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। यह मामला नियम 377 के अधीन आना चाहिए। किन्तु, एक विशेष मामले के रूप में आज मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं। भविष्य में कृपया ऐसे मामलों को नियम 377 के अधीन उठाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह इसमें नहीं आता, लेकिन अभी आप ऐक्सैप्शन के तौर पर बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: धैर्य रखिए। वे मामले जो अनुमति दिए जाने योग्य हैं उनकी अनुमति दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि झारखंड राज्य में कोयला खनन के कारण भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है तथा गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र अंतर्गत गिरिडीह खास, बनियाडीह, बुढ़ीयाखाद, मोती महल्ला, सरैयाडीह, पचम्बा, बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखंड के गोमिया, होसीर, साडम, हजारी, खुदगड्डा, लटखुट्टा, तुलबुल, ढ़ेढ़े, बिरसा, झीरकी, करमाटांड, इस्लाम टोला, चटनियाटोला, लालबांध तथा बेरमो प्रखंड अंतर्गत बेरमो, ढ़ोरी, फुसरो, कुरकपनिया, दुगदा, घुटियाटांड, चलकरी, कखारा, बोडिया,

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री टेकलाल महतो]

बैदकारो एवं धनबाद जिला के बाघमारा के कतरास, पंचमढ़ी, छाताबाद, लेयाबाद, सरैयाडीह, मधुबन, कपुरिया, महुदा आदि क्षेत्रों में घोर जल संकट उत्पन्न हो गया है तथा क्षेत्र के लाखों लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त क्षेत्रों में पेयजल की अविलम्ब व्यवस्था की जाए।

अध्यक्ष महोदय, वहां पानी की बहुत किल्लत हो रही है। वहां के पीएचईडी मंत्री चुपचाप हैं। झारखंड सरकार भी कोई काम नहीं कर रही है। लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। इसलिए वहां पानी की अविलंब व्यवस्था कराई जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री राम कृपाल यादव जी अब आप क्या कहना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सभी नेताओं की सहमति से जो निर्णय लिया है, मैं उसके संबंध में कोई टीका-टिप्पणी नहीं करता। आपने कहा कि हम उस विषय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शून्यकाल में लेंगे। हम जिस क्षेत्र से चुनकर आते हैं, वहां की जो ज्वलंत समस्या है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः उस विषय को नियम 377 के अंतर्गत दीजिए।

श्री राम कृपाल यादवः नियम 377 के अंतर्गत कितने मामले उठाएंगे। आपके पास लिमिटेड स्कोप है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप बाद में मेरे पास आइए। मैं आपके साथ बात करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा।

श्री राम कृपाल यादवः आप नियम में थोड़ी ढील कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है, लेकिन वह अभी नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष महोदय, वैट के कारण डेयरी उद्योग तबाह के कगार पर है। डेयरी उद्योग को वैट के दायरे में लाने का मामला बहुत ही गंभीर है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री शैलेन्द्र कुमार, इस सप्ताह यह आपका दूसरा मामला है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमारः यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यहां जो मामले उठाए जाते हैं, वे सभी महत्वपूर्ण होते हैं। कानून भी महत्वपूर्ण है।

श्री शैलेन्द्र कुमारः देश के 70 प्रतिशत लोगों की आय का स्रोत कृषि है और सभी किसान परोक्ष और अपरोक्ष रूप से दूध का व्यवसाय करते हैं, दूध के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। लेकिन 31 मार्च, 2005 से वैट लागू होने से दूध का व्यवसाय 90 प्रतिशत घट गया है। ड्राई फ्रूट, मिठाई, डालडा घी, रिफाइन्ड आयल एवं ऐडीबल आयल पर 4 प्रतिशत वैट कर लगाकर कर के दायरे में छूट दी गई। दूध उत्पादन इस देश के किसानों के साथ सीधा जुड़ा हुआ है जिसका उपभोग आम आदमी करते हैं। उसे 12.5 प्रतिशत कर श्रेणी में रखने का कोई औचित्य नहीं है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं और कभी-कभी हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं-

दूध-पूत धन-धान्य से वंचत रहे न कोए।
यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए।

जिस घर में दूध और पूत न हो, वह परिवार बेकार होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वैट टैक्स कर प्रणाली में जो 12.5 प्रतिशत कर रखा गया है, उसमें छूट दी जाए। यह सवाल किसानों से सीधा जुड़ा हुआ है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यह भाग मुझे दिखाया जाए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः यह सही बात नहीं है। संसद में ऐसे बोलना ठीक नहीं है। जिस घर में लड़का नहीं है, क्या उस घर में शान्ति नहीं है? यह क्या बात हुई। लड़की भी हो सकती है।

..*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, यह हमारी भावना थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: लड़की भी अच्छी होती है। पूत और कन्या हो, तब ठीक होगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, मेरी जो भावना थी, उसे मैंने व्यक्त किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अपनी भावना में बदलाव कीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि कर प्रणाली में जो 12.5 प्रतिशत कर रखा गया है, उससे लोगों को मुक्त किया जाए तभी देश का किसान खुशहाल होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन। यह एक अन्य अपवाद है और इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जाना चाहिए। यह दूसरा मामला है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय महत्व का एक प्रतिष्ठित संस्थान है। हाल में प्रतिदिन समाचार-पत्रों में बोर्ड से लगातार त्यागपत्रों के समाचार आ रहे हैं। संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष श्री कवलम नारायण पेनिकर ने पहले ही त्यागपत्र दिया है और उनका त्यागपत्र अभी स्वीकार नहीं किया गया है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ, डा. बालमुरली कृष्ण ने भी अपना त्यागपत्र दे दिया है। बहुत से व्यक्तियों ने अपने त्यागपत्र दिए हैं। इससे इस प्रतिष्ठित संस्थान की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। कोई भी इस मामले में अंतिम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। केवल राष्ट्रपति महोदय ही त्यागपत्र स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत हैं। अत: स्थिति को ठीक करने और इस प्रतिष्ठित संस्थान को बदनाम होने से बचाने के लिए संबंधित मंत्री अथवा स्वयं सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि श्री कवलम नारायण पेनिकर केरल के एक प्रसिद्ध कवि हैं और डा. बालमुरली कृष्ण दक्षिण भारत के एक प्रतिष्ठित संगीतज्ञ हैं। आजकल ये सभी व्यक्ति मुसीबत में हैं।

अत:, सरकार को आगे आकर कोई अंतिम निर्णय लेना चाहिए क्योंकि अध्यक्ष के साथ इन व्यक्तियों के अच्छे संबंध नहीं हैं। अध्यक्ष एक महिला हैं। इन व्यक्तियों से उनके अच्छे संबंध नहीं हैं। अत: बोर्ड में एकता और आम सहमति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: अत:, कुछ किया जाना चाहिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: जी हां, इस प्रतिष्ठित संस्थान, जिसने ललित कलाओं तथा संगीत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है को बचाने के लिए तत्काल कुछ किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, हम यह जानते हैं। यह एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है।

अब श्री रामदास आठवले बोलेंगे। इसे भी एक पूर्वोदाहरण न समझा जाए। मैं आपको दूसरा अवसर दे रहा हूं क्योंकि अभी समय शेष है।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, 14 अक्टूबर, 1956 के दिन डा. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने हिन्दू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उस समय महाराष्ट्र के महासमाज ने उनके बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उनको मिलने वाली शैड्यूल कास्ट्स की सारी सुविधायें रद्द कर दीं। वर्ष 1965 में जब श्री यशवंत राव चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट में शैड्यूल कास्ट्स को मिलने वाली सारी सुविधायें उन्हें दे दीं। इसके बाद जब श्री वी.पी. सिंह केन्द्र में प्रधान मंत्री थे तब उन्होंने भारत सरकार की नौकरियों और एजुकेशन में शैड्यूल कास्ट्स को मिलने वाली सारी सुविधायें बौद्धों को दे दीं। अभी 2001 की जनगणना में जो लोग बुद्धिस्ट हैं, ऐसे साढ़े छ: प्रतिशत बुद्धिस्ट लोगों को महाराष्ट्र की एस.सी. सूची से निकाला गया है। यहां पर गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि श्री वी.पी. सिंह जब प्रधान मंत्री थे तब एस.सी. लोगों को मिलने वाली सारी सुविधायें बुद्धिस्ट को देने का निर्णय हुआ था लेकिन वर्ष 2001 की जनगणना में उन बुद्धिस्ट्स को एस.सी. की सूची से निकाल दिया गया है। यदि एस.सी. लोगों को मिलने वाली सारी सुविधायें अगर बुद्धिस्ट को देने का निर्णय केन्द्र सरकार ने किया है तो उन्हें एस.सी. सूची से निकालने का जो गलत निर्णय हुआ है, उसे सुधारना चाहिए। इसी के साथ-साथ जो 6.5 प्रतिशत बुद्धिस्ट लोग हैं, उन्हें एस.सी. लोगों को मिलने वाली सुविधायें देनी चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब केन्द्र ने बौद्धों को शैड्यूल कास्ट्स की सुवधाएं देने का निर्णय लिया है तो महाराष्ट्र में पहले एस.सी. लोगों के लिए छ: सीटें लोक सभा के लिए रिजर्व थीं लेकिन बौद्ध बनने से वे तीन हो गयीं। इसी तरह विधान सभा की जो 36 सीटें थीं, वे 18 हो गयीं। मेरी

[श्री रामदास आठवले]

मांग है कि जब केन्द्र सरकार ने 1991 में यह निर्णय लिया है कि एस.सी. लोगों को मिलने वाली सभी सुविधायें बौद्धों को देनी है तो महाराष्ट्र में लोक सभा की तीन और विधान सभा की 18 सीटें बढ़ानी चाहिए। यहां पर गृह मंत्री महोदय बैठे हुए हैं। मेरी मांग है कि वे इस पर कुछ कहें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी माननीय मंत्री को बाध्य नहीं कर सकता। यह आप पर निर्भर है कि आप उन्हें राजी करें।

डा. के.एस. मनोज, आपने समय गुजर जाने पर नोटिस दिया। अतः आज एक अपवाद के रूप में मैं आपको बोलने का एक अवसर दे रहा हूं।

डा. के.एस. मनोज (अल्लेपी) महोदय, मैं पहले ही स्वयं को उनके साथ संबद्ध कर चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप भी यही कहना चाहते हैं? क्या आप कुछ और भी कहना चाहते हैं? क्या आप कुछ व्यक्त करना चाहते हैं?

डा. के.एस. मनोज: जी हां, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: तो आप इस मुद्दे पर आएं अन्यथा आपकी बारी समाप्त हो जाएंगी।

डा. के.एस. मनोज: महोदय, मत्स्य पालन का क्षेत्र कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है तथापि सभा में उक्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय, मत्स्यिकी के बारे में कुछ नहीं कहा गया।

गरीब मछुआरों के जीवन की दयनीय स्थिति पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए फिशरमैन को-आर्डिनेशन कमेटी के नेतृत्व में देश के विभिन्न भागों से आए मछुआरे पिछले दो दिनों से जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं।

मत्स्य उद्योग कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है विशेषरूप से पारंपरिक मत्स्यिकी क्षेत्र में, जिसमें राजसहायता प्राप्त मिट्टी के तेल की अपर्याप्त आपूर्ति, मोटर वाली नावों द्वारा उपयोग किए जाने वाले डीजल पर उपकर लगाना, विदेशी मछली पकड़ने के वाहनों को अंधाधुंध लाइसेंस जारी करने के लिए कदम उठा रही है। मेरा विचार है कि यह निर्धन मछुआरों के लिए बहुत बड़ा आघात होगा।

वास्तव में, पिछले वर्ष हमने विदेशों को लगभग 6500 टन मछली का निर्यात किया तथापि हम थाईलैण्ड से मछली का आयात कर रहे हैं इससे मत्स्य उद्योग में एक दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह थाईलैण्ड से मछली आयात करने के निर्णय को वापिस ले तथा विदेशी जहाजों को दिए लाइसेंस भी रद्द करे। इस समय, भारतीय समुद्री सीमा में लगभग 311 मछली पकड़ने के विदेशी जहाज प्रचालन में हैं। इससे मत्स्य सेक्टर में समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं।

इसलिए, मैं सरकार से इन मछली पकड़ने के जहाजों को दिए लाइसेंस रद्द करने तथा परंपरागत रूप से मछली पकड़ने वाले मछुआरों को पर्याप्त मात्रा में राजसहायता प्राप्त मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं। मैं, सरकार से मत्स्य क्षेत्र के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाने का भी अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 12.47 बजे

नियम 377 के अधीन मामले—*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, सदन में नियम 377 के अधीन मामले उठाए जाएंगे। इनमें से कुछ मामले भोजनावकाश के पश्चात् लिए जा सकते हैं।

श्री अवतार सिंह भडाना—अनुपस्थित।

श्री मधुसूदन मिस्त्री, आप बनासकांठा में टी.वी. रिले टावर से संबंधित मामला नियम 377 के अधीन उठाएं, न कि कोई अन्य मामला।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): यह महत्वपूर्ण था।

अध्यक्ष महोदय: यह भी महत्वपूर्ण है। यह आपके निर्वाचन क्षेत्र में है।

(दो) गुजरात के बनासकंठा जिले में दांता में एक टी.वी. रिले टावर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, दांता तहसील शहर, गुजरात के बनासकांठा जिले में है तथा बनासकांठा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है। यह शहर, गुजरात राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है तथा राजस्थान के साथ इसकी सीमा सटी हुई है, चूंकि यह बनासकंठा जिले के पालनपुर शहर से काफी दूर है, वहां दृश्य और श्रवण प्रसारण की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है टी.वी. रिले टावर उपलब्ध न होने के कारण दूरदर्शन टी.वी. चैनलों का प्रसारण ठीक प्रकार से नहीं होता है। इसलिए, दूरदर्शन कार्यक्रमों की पहुंच न होने के कारण लोग, मुख्य राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।

मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि गुजरात में बनासकांठा जिले के दांता तहसील शहर में एक टी.वी. रिले टावर स्थापित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: श्री डी. नरबुला-अनुपस्थित; श्री ए. वेंकटेश नायक-अनुपस्थित; डा. राजेश मिश्रा-अनुपस्थित; श्री पंकज चौधरी-अनुपस्थित; श्री किशन सिंह सांगवान-अनुपस्थित; श्री सुरेश चन्देल-अनुपस्थित; श्री कैलाश मेघवाल-अनुपस्थित; श्री रघुवीर सिंह कौशल-अनुपस्थित।

श्री ए.वी. बेल्लारमिन।

(तीन) तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल): महोदय, कन्याकुमारी जिले के मेरे निर्वाचन क्षेत्र नागरकोइल में 58 वर्षों के बाद भी एक भी केन्द्रीय विद्यालय स्थापित नहीं किया गया है। कूडाकुलम स्थित परमाणु ऊर्जा केन्द्र, इंडियन रेयर अर्थ, लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर तथा पन्नागुडी में फैलते रेल तथा बी एस एन एल नेटवर्क, कन्याकुमारी जिले के आसपास स्थित कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं। केन्द्र सरकार और केन्द्रीय उपक्रमों, जिनकी अखिल भारतीय सेवा है, के बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। जबकि कन्याकुमारी की साक्षरता दर सबसे अधिक है तथा इस क्षेत्र की कई अकादमी संस्थाएं ''शिक्षा का मंदिर'' कहलाती हैं, यहां केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। शीघ्रतापूर्वक स्थानांतरण होने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी तथा विशेष रूप से अर्धसैनिक बलों के परिवारों द्वारा इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि कन्याकुमारी में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए।

(चार) पटना जिले को ''काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम'' के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, पटना जिला बिहार के पिछड़े जिलों में से एक है। यहां दलितों की आबादी करीब 20 प्रतिशत है। अभी केंद्र सरकार की प्रायोजित योजना ''काम के बदले अनाज कार्यक्रम'' बिहार के मात्र 15 जिलों में प्रारम्भ किया गया है। यह जिला उग्रवाद से प्रभावित है। पटना जिले को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने की अत्यंत आवश्यकता है। इससे जिले में विकास की गति बढ़ेगी। दलितों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मजदूरों का पलायन भी रुकेगा।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि बिहार के पटना जिले को भी ''काम के बदले अनाज कार्यक्रम'' के अंतर्गत लाने की व्यवस्था करें जिससे पिटना जिले के ग्रामीण इलाके में भी श्रमिकों के लिए जीविकोपार्जन की समुचित सुविधा प्रदान की जाए।

(पांच) उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री मो. ताहिर (सुल्तानपुर): महोदय, उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों की संख्या सबसे अधिक है। केन्द्र द्वारा संचालित इस योजना में बी.पी.एल. बोर्ड धारकों को राशन का समुचित वितरण नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कुछ जिलों को समुचित मात्रा में खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। केन्द्र शीघ्र इस जिले में खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु उचित कार्यवाही करे तथा इस योजना के तहत की जा रही अनाज के वितरण की जांच करें जिसमें जिले के सभी बी.पी.एल. कार्ड धारकों को अनाज पूरी मात्रा में मिल सके।

(छह) तमिलनाडु के श्री पेरूम्बुदूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अवस्थित बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में कार्यरत ठेका मजदूरों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, श्रीपेरूम्बुदूर में कई कम्पनियां जिसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली कम्पनियां जैसे हुंडई, सेंट गोबेन तथा अन्य सहायक कम्पनियां स्थित हैं। इनमें कार्यरत अधिकतर कर्मचारी ठेका मजदूर हैं। इन ठेका मजदूरों को नियमित नहीं किया जा रहा है। ये ठेका मजदूर कम मजदूरी के साथ-साथ एक दिन में 12 घंटे, बिना किसी अन्य लाभों के कार्य करते हैं। कामगारों तथा ठेका मजदूरों को किसी भी प्रकार के कामगार संघ न बनाने की धमकी दी गई है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए विधिक कदम उठाएं।

अध्यक्ष महोदय: श्री आनंदराव विठोबा अडसूल—अनुपस्थित।

श्री सुग्रीव सिंह—अनुपस्थित।

श्री बीर सिंह महतो।

डा. अरूण कुमार शर्मा।

(सात) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के रंगिया-मोर्कान्गचेलेक खण्ड पर आमान परिवर्तन शुरू किए जाने के साथ-साथ असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील में रेल-सह-सड़क पुल को समय से पूरा किए जाने के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. अरूण कुमार शर्मा (लखीमपुर): असम में ब्रह्मपुत्र पर बोगीबील में एक रेल-सह-सड़क पुल को समय से पूरा किए जाने और उत्तर-सीमान्त रेलवे के रंगिया मोर्कान्गचेलेक खंड पर आमान परिवर्तन का कार्य किए जाने की ओर सरकार को प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए। आवश्यक अनापत्तियां प्राप्त होने पर 5 वर्ष की विनिर्धारित समापन अवधि के साथ वर्ष 1997 में माननीय प्रधानमंत्री ने इस बड़ी पुल परियोजना की आधारशिला रखी थी। हालांकि वित्तपोषण के अनिश्चित स्रोत के कारण विनिर्धारित समापन समय-सीमा को बार-बार बढ़ाया गया। 1,768 करोड़ रुपये के कुल बजटीय आबंटन में से 12 करोड़ रुपये की वर्तमान बजटीय आबंटन की मामूली दर के अनुसार वर्तमान मूल्य दर पर इस पुल के समापन के लिए 150 वर्ष से अधिक का समय लगेगा।

इसलिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि इन कार्यों को स्थायी वित्तपोषण के स्रोत से जो या तो विशेष बजटीय सहायता अथवा सामाजिक-आर्थिक महत्व के बाहरी सहायता परियोजना के माध्यम से राष्ट्रीय परियोजना के रूप में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस पुल से न केवल ऊपरी असम के मुख्य भागों तथा अरूणाचल प्रदेश के मध्य आवागमन तेज होगा बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सीमा व्यापार की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसके साथ-साथ यह नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन द्वारा 25,000 मेगावाट की कुल क्षमता की कई पन विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को सुसाध्य बनाएगा। पुल पर दो तरफा आवागमन सुनिश्चित करने के लिए रंगिया मोर्कान्गचेलेक खंड पर एक साथ आमान परिवर्तन किया जाना आवश्यक है।

अपराह्न 12.55 बजे

सामान्य बजट 2005-2006—अनुदानों की मांगें

(एक) गृह मंत्रालय

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा अब गृह मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 52 से 56 तथा 95 से 99 पर चर्चा और मतदान करेगी। सभा में उपस्थित माननीय सदस्य जो कटौती प्रस्ताव रखना चाहते हैं वे इच्छित कटौती प्रस्ताव के क्रम संख्या को दर्शाती हुई पर्चियों को 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर रख दें।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के प्रथम स्तम्भ में गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 52 से 56 और 95 से 99 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ तीन में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनाधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 2005-2006 के बजट (सामान्य) के लिए अनुदानों की मांगें

संख्या और मांग का शीर्षक		दिनांक 17 मार्च, 2005 को सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांग की राशि		सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4	5	6
गृह मंत्रालय					
52.	गृह मंत्रालय	151,16,00,000	6,57,00,000	755,79,00,000	32,82,00,000
53.	मंत्रिमंडल	32,23,00,000	50,00,000	156,14,00,000	2,50,00,000

1	2	3	4	5	6
54.	पुलिस	2122,58,00,000	354,10,00,000	10612,91,00,000	1770,47,00,000
55.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	184,50,00,000	-	922,48,00,000	-
56.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	127,68,00,000	12,00,00,000	638,37,00,000	60,00,00,000
विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र					
95.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	252,10,00,000	40,05,00,000	1260,50,00,000	200,28,00,000
96.	चंडीगढ़	169,75,00,000	22,42,00,000	848,75,00,000	112,07,00,000
97.	दादरा और नगर हवेली	79,35,00,000	6,57,00,000	396,74,00,000	32,84,00,000
98.	दमन और दीव	42,98,00,000	6,50,00,000	214,91,00,000	32,51,00,000
99.	लक्षद्वीप	36,77,00,000	8,73,00,000	183,83,00,000	43,62,00,000

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सामान्य बजट 2005-06 के लिए सभी बकाया मांगें सायं 7.00 बजे मतदान के लिए रखी जाएंगी।

श्री मधुसूदन मिस्त्री बोलेंगे। श्री मिस्त्री क्या आप गृह मंत्रालय की मांगों पर बोलने के लिए तैयार हैं?

श्री मधुसूदन मिस्त्री (सांबरकांठा): महोदय, मैं बोलूंगा। कुछ बाते हैं और मैं वाद-विवाद में भाग लूंगा।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है, आप शुरू कीजिए।

श्री मधुसूदन मिस्त्रीः महोदय, मुझे इस बारे में जानकारी है।

अध्यक्ष महोदयः आप बहुत सजग और कुशल सदस्य हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्रीः महोदय, इस प्रशंसा के लिए आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः बहुत अच्छा अब सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वाद-विवाद के लिए तैयार होकर आएं।

अपराह्न 12.55 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न दो बजकर पांच मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

सामान्य बजट-2005-06—अनुदानों की मांगें—*जारी*

गृह मंत्रालय—*जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः श्री मधुसूदन मिस्त्री इन मुद्दे पर बोलेंगे।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी सीट की बजाय मुझे आगे की पंक्ति से बोलने की अनुमति दी जाये ताकि मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट कर सकूं। मैं यह अनुरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सभा में अपनी सीट से मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकूंगा।

उपाध्यक्ष महोदयः आप आगे की सीट से अपना भाषण कर सकते हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्रीः महोदय, धन्यवाद। मैं गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों जिसमें पुलिस बल की मांगें, केन्द्र और संघ राज्य क्षेत्रों आदि की अनुदान मांगें शामिल हैं के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

गृह मंत्रालय ने अपनी सीमाओं की रक्षा करने हेतु आंतरिक सुरक्षा के प्रबंध में महवपूर्ण भूमिका निभाई है। असल में विभाग, संसद द्वारा बनाये गये या बनाये जा रहे कानूनों को लागू कर समूचे देश को एकजुट रखने में सक्षम रहा है।

मैं मांगों का समर्थन करता हूं लेकिन मेरी कुछ चिंतायें हैं जिन्हें अब मैं व्यक्त करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

मैं आज उसके ऊपर थोड़ी बातचीत करना चाहूंगा और होम मिनिस्टर का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। मैं जिस स्टेट से आता हूं वहां करीब 1600 किलोमीटर का इंटरनेशनल सी बार्डर और लैंड लाइन बार्डर भी है। सी बार्डर पर कोस्ट गार्ड की पैट्रोलिंग होती है। हम एक सवाल समझ नहीं पाते हैं। हमारे यहां हर महीने सी कोस्ट पर जो मछुआरे जाते हैं उनको पाकिस्तान मैरिन अरैस्ट करके ले जाती है और हमारे यहां के कोस्ट गार्ड वहां से मछुआरों को अरैस्ट करके इस तरफ ले आती है। गुजरात में बहुत बड़ा सी कोस्ट है। हम उस बार्डर को किस तरह से सैनिटाइज कर सकें और लोगों को ज्यादा दिक्कत न हो, मेरी होम मिनिस्टर से अपील है कि वह उसकी कुछ व्यवस्था करें। इसके साथ-साथ हमारी जो लैंड बार्डर गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है, वहां से इनफिल्ट्रेशन होता है। वहां बार्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान अच्छी भूमिका अदा कर रहे हैं।

[अनुवाद]

इसके बावजूद घुसपैठ होती है।

[हिन्दी]

इतने बड़े बार्डर में लैंड बार्डर में फैंसिंग का काम चल रहा है लेकिन वह काम ज्यादा जल्दी हो, मैं ऐसी रिक्वैस्ट करना चाहता हूं।

गुजरात में इंटरनेशनल बार्डर पर स्मगलिंग होती है। इंटरनेशनल बार्डर के साथ रहने वाले लोगों को खास तौर पर पाकिस्तान के कोस्ट गार्ड और वहां की सीमा सुरक्षा बल की तरफ से जो तकलीफ होती है, वे दूर की जाएं।

मैं बंगलादेश गया था।

[अनुवाद]

मुझे ढाका से कोमिला होते हुए चिटगांव जाने का अवसर मिला और मैंने पाया कि वहां भारतीय सीमा के समान्तर सड़क है। मुझे बताया गया कि यदि कोई कोमिला में ठहरे तो उसे भारत से आने वाला नाश्ता मिलता है।

[हिन्दी]

वह पूरा ओपन बार्डर है। लोगों ने मुझे बंगलादेश और इंडिया का जुड़ा बार्डर दिखाया। हम उसे अपनी नजरों के सामने देख सकते हैं।

[अनुवाद]

यह खुली सीमा थी।

मैंने गृह मंत्रालय का वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा है और उसमें यह उल्लेख है कि बाड़ लगाने का काम जारी है।

[हिन्दी]

मैंने उस पूरे इलाके को कुछ साल पहले देखा था। हमारे यहां जितने फारेस्ट रिसोर्सिज और फारेस्ट प्रोड्यूस हैं, मिसाल के तौर पर वे हमारे देश से बांस काटकर बांग्लादेश में ले जाते हैं और वहां नाव पर मकान बनाते हैं क्योंकि यह सब ओपन एरिया है। अगर चिटगांव की तरफ जाएं तो त्रिपुरा के पूरे इलाके में भी यही परिस्थिति है, इस वजह से उस वक्त उस इलाके में इनसर्जैंसी का बहुत बड़ा मिनेंस पाया गया। इस कारण से इंडो-बांग्लादेश बार्डर को सिक्योर करने के लिए फैंसिंग का काम जितना जल्दी हो किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

मेरा अगला मुद्दा राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण से संबंधित है, जो गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों में लेखाओं का शीर्ष है।

[हिन्दी]

मुझे लगता है जो पुलिस स्टेशन्स या बार्डर पुलिस फोर्स हैं, वहां जितने मार्डन इक्वीपमेंट वे आफ डिटेक्टिंग क्राइम्स के लिए यूज होते हैं, वह इससे काफी दूर हैं। इसमें हमारा माइंड सेटअप अभी चेंज नहीं हुआ है और इक्वीपमेंट भी उस प्रकार के नहीं हैं।

[अनुवाद]

उस तरह के उपकरणों की कमी है। यदि आप विभिन्न राज्यों में पुलिस थानों को देखें तो आप पायेंगे कि अपने पुलिस बल को आधुनिक बनाये जाने के लिये काफी कुछ किया जाना है हालांकि मुझे खुशी है कि केन्द्र सरकार ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिये हर राज्य का अनुदान बढ़ा दिया है। हमें

राज्य स्तर पर अपराधों का पता लगाने हेतु आधुनिक प्रवृत्ति अपनानी होगी।

[हिन्दी]

जिस तरह से भारत सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं, उन्हें कम्प्यूटराइजेशन सिस्टम से जोड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा माडर्न चीजों को लाने की व्यवस्था कर रहे हैं।

[अनुवाद]

समूचे पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु (क) रवैये, (ख) प्रशिक्षण, और (ग) उपकरण में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। यहां तक की ढांचे में की सम्पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है। यही मेरा भी मानना है। मैंने देखा है कि इस तरह के रवैये का अभाव है विशेषकर अपने राज्य और अन्य राज्यों में। यह पुलिस सुधार के मुद्दे से संबंधित है।

[हिन्दी]

पुलिस रिफार्म्स के लिए बहुत साल पहले कमीशन की रिपोर्ट आई थी।

[अनुवाद]

कमीशन की सिफारिश के आधार पर आधुनिक कानून का मसौदा बनाया गया जिसमें नई संरचनाओं का सुझाव दिया गया। उस समय पुलिस सुधार में आधुनिकरण का भी सुझाव दिया गया था। समय आ गया है, जब गृह मंत्रालय इस मामले को उठाये और उस समय आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने हेतु बड़े परिवर्तन करे इससे हमारी पुलिस आगामी वर्षों में किये जाने वाले नियोजित अपराधों से निपटने में सक्षम हो सकेगी। अब हम 21वीं सदी में हैं। जैसे-जैसे कानून आधुनिक बन रहा है, अपराधी, अपराध के अत्याधुनिक तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हमें ऐसे अपराधों का पता लगाने हेतु पुलिस बल को सुसज्जित करना चाहिए।

[हिन्दी]

इस वजह से पूरे पुलिस सिस्टम का और भी ज्यादा माडर्नाइजेशन करने की जरूरत है, मुझे लगता है कि इसके साथ इस्ट्रक्चर में भी माडर्नाइजेशन करने की जरूरत है।

महोदय, मैं आपका और गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम पहले से क्रिमिनल एन्फोर्समेंट के भय से जुड़ा हुआ है यानी आप कानून भंग करेंगे तो आपको सजा होगी। इस डर के साथ सजा का एलीमेंट जुड़ा हुआ है कि अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आपको सजा होगी। उनमें कानून तोड़ने का भय रहता है कि जो कोई भी कानून तोड़ता है, उसे सजा देने के लिए कोर्ट बनाया गया है, कोर्ट सजा देती है और उसके लिए जेल बनाई गई है।

[अनुवाद]

अधिक से अधिक लोगों द्वारा कानून तोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, अधिक से अधिक मामले आ रहे हैं, दोषियों को दंडित करने के लिये अधिक से अधिक न्यायालयों की स्थापना करनी होगी, और तदुपरान्त हमें कैदियों को रखने के लिये अधिक जेलों की आवश्यकता पड़ेगी।

[हिन्दी]

इसी तरह से माडर्नाइजेशन आफ प्रिजन से लेकर माडर्नाइजेशन आफ पुलिस फोर्स का काम करना चाहिये क्योंकि एलीमेंट डर के साथ जुड़े हुए हैं कि आप कानून तोड़ेंगे तो आपके साथ यह होगा।

[अनुवाद]

मैंने हमेशा यही महसूस किया। क्या कानून का पालन करने वाले समाज के निर्माण का समय नहीं आ गया है। परिवार में जागरूकता उत्पन्न करना होगा ताकि वे खुद शिक्षित हों और अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाना सुनिश्चित करें? स्कूल के समय से ही सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि बच्चे कानून का पालन करें, वे कानून का सम्मान करें ताकि भविष्य में कानून तोड़ने की घटनायें कम होंगी, कम पुलिस, कम न्यायालयों और कम जेलों की जरूरत पड़ेगी। दुर्भाग्यवश हम पुलिस बल की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। हमें पुलिस बल की संख्या पर नजर रखनी होगी।

[हिन्दी]

कानून का कम से कम उल्लंघन हो, फिर भी लोग उसका उल्लंघन करते जा रहे हैं।

[अनुवाद]

कानून पालन का कोई विकल्प नहीं है जिसके परिणामस्वरूप हम पुलिस बल की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं।

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

[हिन्दी]

आज से 10-12 साल पहले पुलिस फोर्स 4 लाख के करीब थी जो आज बढ़ाकर 6 लाख 70 हजार के करीब हो गई है। इनमें सैंटर की कई फोर्सेज हैं जैसे-आई.टी.बी.पी., असम राइफल्स, बी.एस.एफ. और एन.एस.जी.। आज सिस्टम ऐसा होता जा रहा है कि 1000 लोगों पर पोलिसिंग होती है। इस कानून के तरह कोई एंड नहीं है। यह संभावना है कि आप 1000 के बजाय 500 कर दो, 600 कर दो या 800 कर दो।

[अनुवाद]

हमें एक अन्य दृष्टिकोण अपनाना चाहिये जहां अनुशासित समाज के सृजन हेतु हमें कदम उठाना होगा ताकि कानून तोड़ने की घटनायें, अपराध की घटनायें कम हों और फिर हमें कम न्यायालय और कम जेलों की जरूरत पड़ेगी। मेरा मानना है कि ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। यह मेरा विनम्र अनुरोध है। मेरा मानना है कि हमें इस दिशा में सोचना चाहिये। कई देशों ने इस दिशा में सोचा है।

[हिन्दी]

हमारे होम मिनिस्टर काफी लर्नेड हैं। इस बारे में वह कुछ न कुछ करेंगे।

[अनुवाद]

हर राज्य को मानवाधिकार आयोग बनाना होगा और यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई राज्यों ने अब तक मानवाधिकार आयोगों का गठन नहीं किया है।

[हिन्दी]

जो ह्यूमन राइट्स कमीशन बने हैं, उनके लिये बजट सफीशिएंट नहीं है। उनकी खुद की कोई इनवैस्टिगेटिंग मशीनरी नहीं है। अगर कोई आदमी ह्यूमन राइट्स के बारे में कम्पलेंट करता है तो ह्यूमन राइट्स अथौरिटी ही ऐसी है कि

[अनुवाद]

उसे मौजूदा पुलिस बल की सहायता लेनी होती है।

[हिन्दी]

पुलिस फोर्स का जो सैट अप है उनके पास जो मदद हो, वह करें। इसमें एक एलीमेंट यह भी जुड़ा हुआ है कि यह संभावना है कि जो लोग कम्पलेंट करते हैं, उनकी कम्पलैंट के बारे में उन लोगों को पूरा-पूरा न्याय मिले लेकिन उस कम्पलेंट की पूरी-पूरी इनवैस्टीगेशन नहीं होती है। मैंने पाया है कि उन लोगों की यह फीलिंग है कि उनका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। इसलिये ऐसी मशीनरी क्रिएट करने के लिये न तो उसके पास कोई बजट दिया गया है और न ही हमने किसी स्टेट में एनफोर्स किया है। मेरी रिक्वैस्ट है कि आप हर स्टेट में ह्यूमन राइट्स कमीशन बनवाइये और इस काम को करवाइये। आज कई राज्य ऐसे हैं जहां ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि उन राज्यों को ताकीद की जाये कि वहां ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाये जायें। वहां पर ही इनवैस्टीगेटिंग मशीनरी बनाई जाये।

उपाध्यक्ष जी, इसके साथ जुड़ा हुआ एक और पाइंट है कि नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो की जो रिपोर्ट आती है, उसका डाटा बहुत पुराना होता है और वह समय पर नहीं पहुंचता है जिस कारण उसका पब्लिकेशन लेट होता है। मेरी होम मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट है कि नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो का डाटा समय पर पब्लिश हो जिसे सारा देश यूज कर सकता है। मुझे काफी आश्चर्य है कि नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो की रिपोर्ट में क्राइम रेट को डिक्रीज करके बताया जाता है। हालांकि, पुलिस कमीशन की रिपोर्ट बहुत पहले इस तरह की आई थी कि न जाने कितनी जगहों पर क्राइम होते हैं, वे रिपोर्ट नहीं किये जाते हैं, या रिपोर्ट नहीं होते हैं। मेरे विचार से आर्टिफिशियली डाटा कम क्राइम के बारे में बताया जाता है।

[अनुवाद]

अपराध कम हो रहा है। यह गंभीर चिंता की बात है।

[हिन्दी]

इससे हमारी इंटरनल सिक्युरिटी और हैल्थ कैसी है, उसका पता नहीं लगता।

[अनुवाद]

मेरा गृह मंत्री से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अपराध की सही रिपोर्टिंग हो।

जहां तक फोरेंसिक प्रयोगशाला का प्रश्न है, गुजरात में कई मामले दर्ज किये गये हैं। ऐसे और प्रयोगशालाओं के गठन की जरूरत है।

[हिन्दी]

इसमें अगले प्वाइंट पर पापुलेशन सैन्सज में लिखा है कि वर्ष 2001 के सैन्सज की डिस्ट्रिक्ट हैंड बुक्स अभी तक पब्लिश

नहीं हुई हैं। इसे लगभग चार साल हो गये हैं। उसका माडर्नाइजेशन हो तथा जितना सैन्सज डाटा का हो, वह डाटा बिल्कुल आथेन्टिक है, हम ऐसा मानकर चलते हैं।

[अनुवाद]

आंकड़ा संग्रहण की प्रणाली को बेहतर बनाने के लिये काफी कुछ किये जाने की जरूरत है क्योंकि प्रश्नावली करने के लिये हम पूरी तरह शिक्षकों या गांव में रह रहे अन्य लोगों पर निर्भर हैं।

[हिन्दी]

इसलिए वह भी देखें और इसके साथ-साथ इसका पब्लिकेशन बहुत जल्दी हो, जिससे उसका पूरा पता लग सके और प्लानिंग प्रोसैस में हमें मदद मिले।

मेरा अंतिम प्वाइंट डिजास्टर मैनेजमैन्ट अथारिटी के बारे में है।

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यहां बैठे हैं। गुजरात में जब चक्रवात आया, तब मैं तेरहवीं लोकसभा की उस समिति में था चक्रवात के पहले चेतावनी दी गई थी। लेकिन हमने उस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। हमें प्रशासन के निचले स्तर पर वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

इसी तरह से डिजास्टर मैनेजमैन्ट अथारिटी में जितने भी साइंटिफिक फोरकास्ट आते हैं, उन्हें देखकर प्रिवैन्टिव मैजर्स लें तो

[अनुवाद]

मेरा मानना है कि हम लोगों के जान-माल की रक्षा कर सकते हैं।

मेरा यही कहना है। मैं गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि गृह मंत्री के नेतृत्व के अन्तर्गत गृह विभाग पूरे देश में अच्छा काम करेगा।

***श्री बाजू बन रियान** (त्रिपुरा पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय के अन्तर्गत मांग संख्या 52-57 के तहत राजस्व मद और पूंजी मद में करीब 33,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। इस वर्ष का आवंटन करीब 6,000 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष से अधिक है। समयाभाव के कारण मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन भारत-पाक और भारत-बंग्लादेश सीमा से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के बारे में बात करूंगा। त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य हैं, जिनकी सीमायें बंगलादेश से लगती हैं। सरकार ने कंटीले तार लगाने और सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। दोनों सरकारों ने फैसला किया है कि वह भारतीय सीमा में 150 गज के भीतर किया जाना चाहिये। परिणामस्वरूप त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की काफी भूमि इस परियोजना में शामिल की गई है। सरकार ने घोषणा की है कि ये इलाके जिन लोगों के हैं, उन्हें बाड़ पार कर अपनी भूमि जोतने की अनुमति होगी। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। गत अमन मौसम के दौरान खेती इसी तरीके से की गई थी। लेकिन किसानों को कटाई का लाभ नहीं मिला क्योंकि उनकी फसलें लूट ली गईं। यदि ऐसा होता रहा तो भूमि के मालिकाने का हमारा दावा केवल कागजों पर रहेगा और लोग लाभान्वित नहीं होंगे।

भारत सरकार को बंग्लादेश सरकार से इस मामले पर चर्चा करनी चाहिये ताकि बाड़ लगाने का काम अब भी जारी है। मुझे यह कहते हुये खेद है कि हमारे पड़ोसी बंगलादेश ने बिना किसी जांच के उन लोगों पर हमला किया जो बाड़ लगा रहे थे। इस घटना में सीमा सुरक्षा बल का एक अधिकारी मारा गया और कई घायल हो गये और काम बाधित हो गया। यदि ऐसा ही चलता रहा तो काम 2006 के भीतर समाप्त नहीं होगा।

मैं माननीय गृह मंत्री से बंगलादेश सरकार के साथ बातचीत शुरू करने और समुचित उपाय करने का अनुरोध करता हूं। यदि कुछ नहीं किया जा सकता तो कम से कम राज्य के उस हिस्से के लोगों को समुचित मुआवजा तो दिया ही जाना चाहिये।

देश के विभिन्न हिस्सों में विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल, बिहार, आन्ध्र प्रदेश में उग्रवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। इन क्षेत्रों में सैन्य बलों की तैनाती की गई है जिसके परिणामस्वरूप खर्च भी बढ़ा है। हालांकि, ये सुरक्षा संबंधी खर्च हैं और पूर्वोत्तर राज्यों को शतप्रतिशत अनुदान मिलता है लेकिन अन्य राज्य इतने भाग्यशाली नहीं हैं। यह समस्या हमारे पूरे देश की समस्या है आतंकवादी संगठन विभिन्न नामों जैसे नक्सलवादी और नेशनल लिबरेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा के नाम से सक्रिय हैं। वे देश में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। असम में इन संगठनों के सदस्य अ.जा./अ.ज.जा. और अन्य पिछड़े समुदायों के होते हैं। वे अत्यन्त निर्धन और दबे-कुचले हैं।

वे आसानी से आतंकवादी विचाराधारा को अपना लेते हैं और इस प्रकार एक गंभीर सामाजिक समस्या उत्पन्न हो गई है। इस समस्या का सामाना करने हेतु सरकार को अपनी जरूरतों पर ध्यान देना होगा, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारनी होगी, रोजगार के अवसर विस्तृत करने होंगे। स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद भी सरकार इन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में विफल रही है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। भारत के संविधान में अ.जा/अ.ज.जा. और पिछड़े समुदायों के लिये

*मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री बाजू बन रियान]

आरक्षण का प्रावधान है लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। हमारी संसद में अ.जा./अ.ज.जा. के कल्याण के लिये समिति है लेकिन वह कुछ विशेष नहीं कर सकी है।

मेरे क्षेत्र में करीब 30,000 रियांग शरणार्थी हैं जो मिजोरम छोड़कर आये हैं। केन्द्र सरकार ने इन लोगों के लिये कुछ अनुदान दिया है। यह स्वागत योग्य कदम हैं, लेकिन उन्हें उनके मूल स्थान भेज देना चाहिये। इसके लिये उन्हें मिजोरम में नौकरियां और अन्य सुविधायें देनी होंगी अन्यथा वे वापस नहीं जायेंगे। बंगलादेशी शरणार्थी भी बड़ी संख्या में त्रिपुरा आये हैं। स्वाधीनता के पहले त्रिपुरा की जनसंख्या 8 लाख से कम थी आज यह बढ़कर 30 लाख से अधिक हो गई है। त्रिपुरा अपने सीमित संसाधनों के कारण इस बोझ को और नहीं सह सकता शरणार्थी समस्या एक सामाजिक समस्या है। केन्द्र सरकार को उनका पुनर्वास करना चाहिये।

मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा। सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल्स आदि में नियमित रूप से भर्ती होती है। उन्हें पिछड़े समुदायों के लोगों की भर्ती हेतु निर्देश दिया जाना चाहिये। साक्षात्कार केन्द्र दूर-दराज के क्षेत्रों में भी खोले जाने चाहिये ताकि इन क्षेत्रों के लोग साक्षात्कार दे सकें। इस प्रकार अधिक से अधिक शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरियां मिल सकेंगी। केन्द्र और राज्य सरकारों को उन्हें देश के अन्य हिस्सों के युवाओं के बराबर लाने हेतु प्रयास करना चाहिये। गृह मंत्रालय को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। महोदय बोलने की अनुमति देने के लिये आपको धन्यवाद।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, लेकिन इस खाली-खाली सदन में गृह मंत्रालय जैसे सबसे बड़े मंत्रालय की चर्चा करते हुए, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों बर बोलने से पहले, आधे मिनट में यह जरूर कहना चाहता हूं कि अन्ततोगत्वा हाउस में वही होता है, जो बहुमत चाहता है और जब बहुमत में, पक्ष में आप बैठे हैं, तो निर्णय वही होगा, जो आप चाहेंगे। लेकिन उस शोर-शराबे से भी मुझे लगता है कि यह सदन, जो इस तरह चुपचाप बैठा है, यह उससे भी खराब है। देश के बाहर और देश के अंदर इस स्थिति में बजट पर चर्चा होना और भी ज्यादा खराब है। सत्ताधारी दल का होने के नाते, आप सबका यह फर्ज है कि इस स्थिति को निपटाएं। स्पीकर साहब अपनी और से अपील कर चुके हैं, लेकिन फैसला आपको करना है। जो होना होगा, वही होगा, लेकिन फिर भी लोग यहां बैठें, तो बेहतर होगा। विपक्ष केवल आलोचना कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता है। बड़ा दिल आपका होना चाहिए और बात कर के इस डैडलाक को समाप्त करने की कोशिश आपकी तरफ से होनी चाहिए।

महोदय, जहां तक गृह मंत्रालय का प्रश्न है, जितना बड़ा यह देश है, उतना ही महत्वपूर्ण गृह मंत्रालय है और उतनी ही विकट समस्याएं हमारे सामने हैं। फिर चाहे वह क्रास बार्डर टैररिज्म की समस्या हो, चाहे नार्थ ईस्ट में उग्रवादी, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों का प्रश्न हो, चाहे देश के अंदर विभिन्न हिस्सों में नक्सलाइट मूमेंट और उससे जुड़ी हुई गतिविधियां हों, धीरे-धीरे देश के लगभग सारे हिस्सों को यह गतिविधियां प्रभावित कर रही हैं। यह सही है कि कश्मीर की तरफ तुलनात्मक दृष्टि से आतंकवादी गतिविधियां कम हुई हैं, लेकिन हमें लगता है कि नार्थ-ईस्ट की समस्या अब उससे भी ज्यादा खतरनाक है और देश के अंदर दक्षिण से चाहे, वह एल.टी.टी.ई. ने एक कैटेलिस्ट का काम किया हो, चाहे आंध्र प्रदेश में पी.डब्ल्यू.जी. हो। आप देख रहे होंगे कि आंध्र प्रदेश से बढ़कर वह हिंसा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़ तथा झारखंड से मिले हुए उत्तर प्रदेश के एक जिले सोनभद्र और मिर्जापुर में भी यह फैल चुकी है और यह बहुत गम्भीर स्थिति है। इसलिए इसे रोकने हेतु बहुत प्रभावकारी कार्रवाई करनी होगी।

महोदय, राज्य सरकारों के पुलिस बल को आधुनिक करने के लिए आपको मदद करनी होगी। आपको इंटैलीजेंस के जरिए, राज्यों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों के बारे में जो सूचनाएं मिलती हैं, उनके बारे में प्रापर सूचना राज्य सरकारों को देनी होगी और उनके सहयोग से उन पर काबू पाना होगा क्योंकि अब न केवल सीमाओं के आस-पास ही गड़बड़ी है, बल्कि देश के अंदर विभिन्न हिस्सों में ये गड़बड़ियां हो रही हैं। उन्हें सख्ती से रोकने की जरूरत है। उन्हें राज्य सरकारों के सहयोग से रोकना होगा। कई जगह ऐसा है कि आतंकवादियों के पास ऐसे अत्याधुनिक हथियार हैं, जो पुलिस उनके साथ मुकाबला करती है, उसके पास भी उतने अत्याधुनिक हथियार नहीं हैं। हमारी पुलिस के पास आतंकवादियों, उग्रवादियों और विघटनकारी तत्वों की तुलना में कई स्थानों पर इनफीरियर हथियार हैं। इस तरह की जो आतंकवादी गतिविधियां देश के अंदर होती हैं, उनके मूल में एक महत्वपूर्ण बात बेरोजगारी और गरीबी की भी है।

गरीबी और बेरोजगारी, खास तौर से बेरोजगारी, जिसकी वजह से गरीबी होती है, इसे खत्म करने के लिए अगर कोई प्रभावी कदम उठाया जाए तो जो नौजवान हथियार उठा लेते हैं, वे उस

रास्ते पर नहीं जाएंगे। अभी भी कश्मीर से सीमा के उस पार लोग पैसे के लालच में जाते हैं। पैसे के लालच में ट्रेनिंग देने के लिए कितना पैसा दिया जाएगा या भेजा जाएगा। देश के अंदर इस तरह की नक्सलवादी गतिविधियां हैं और उनमें भी इसके मूल में गरीबी और बेरोजगारी सबसे बड़ा एक कारण है। इसलिए ऐसी कोई ऐसी योजना होनी चाहिए, जिससे बड़े पैमाने पर नौजवानों को रोजगार मिल सके। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी उस वक्त भी वहां बहुत इमोशनल वातावरण तो था ही, जो सारे लोगों ने देखा। जब दोनों देशों से इधर-उधर लोग गए और लोगों की जो रिएक्शन थी, कि जो बंटवारा हुआ था वह गलत था। वहां आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने जो भाषण दिया था, वह बहुत इमोशनल था कि हमारे पुरखों की भी इमेज रही है। वे सब चीजें कश्मीर में छोड़ कर दो-दो पैसे के लिए मोहताज हैं। सब पढ़े-लिखे लोग दर-बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। जब तक उनके लिए प्रभावी ढंग से पैकेज की व्यवस्था नहीं होगी, उन्हें चाहे जहां भी रिसेटल करें, देश के इस हिस्से में करें या कश्मीर में करें, लेकिन अब इतना लम्बा वक्त हो गया है, नयी जेनरेशन पैदा हो गई है, उनके लिए कुछ होना चाहिए।

महोदय, ये लोग बहुत लम्बी बातें किया करते हैं, सत्ता में आने के लिए क्या-क्या करते थे। इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए एक पैसे का काम भी नहीं किया। कश्मीरी विस्थापित यहां मारे-मारे दिल्ली और उसके आस-पास घूम रहे हैं, जाने कहां-कहां घूम रहे हैं। इसलिए मैं गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि चाहे इधर-उधर या विभाग में कटौती करें, लेकिन जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी इधर-उधर लोग दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, उन्हें पुनर्वासित करने की व्यवस्था जरूर करें। आईएसआई की गतिविधियों को देखने के लिए भी इंटेलीजेंसी को बढ़ाना होगा। हालांकि जो सिस्टम है, उसमें बहुत प्रभावी ढंग से कार्यवाही होती है, लेकिन फिर भी हम देख चुके हैं कि हमारी इंटेलीजेंसी की असफलता ही थी कि हम जहां बैठे हैं, वहां तक हमला हो गया। यह देश के विभिन्न हिस्सों में है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं-कहीं आईएसआई के नाम पर खास सम्प्रदाय के लोगों को भी उत्पीड़ित कर दिया जाता है। उस पर भी अंकुश रखना होगा और बहुत सावधानी से इस चीज को देखना होगा।

महोदय, इन सारी समस्याओं के अलावा आपके गृह मंत्रालय के लिए जो नयी सुनामी जैसी आपदा हो गई, यह पहले नहीं थी। इमर्जेंसी के लिए आपदा प्रबंधन समिति बनाई गई थी—चाहे भूकम्प का मामला हो या कोई अन्य आपदा हो, उससे नुकसान होता है। पहले बाढ़ आती थी और नुकसान होता था और एग्रीकल्चर की यहां से टीम जाती थी। हम लोग उसमें भी बहुत दुविधा में रहते थे। कृषि मंत्रालय की टीम जायजा लेने के लिए जाती है और वह रिपोर्ट देती है, लेकिन मदद करने का काम गृह मंत्रालय करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा यह कहना है कि एक ही विभाग सारा काम करे, अगर आप कर रहे हैं तो आप ही करें, यह भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार हम सब के सामने एक समस्या कम्युनलिज्म की आती है। साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिए, साम्प्रदायिक तत्वों को आयरन हैंड से दबाने की जरूरत होती है। जब-जब साम्प्रदायिक शक्तियां अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं होती हैं, तब-तब वे देश में साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करती हैं। चाहे वह राजनैतिक लाभ के लिए, राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए या अपने खोये हुए जनाधार को वापस करने के लिए हो। ऐसी स्थिति से, आजकल इसी फेज से ये लोग गुजर रहे हैं, इसलिए सावधानी से आपको देखना होगा कि अब एक ही रास्ता इनके पास बचता है कि कैसे देश में साम्प्रदायिक तनाव बढ़े और कैसे उनकी ताकत मजबूत हो। इसके लिए भी पहले से ही सावधान होकर आपको कार्रवाई करनी होगी।

यह जो हमारा फैडरल सिस्टम है, उसमें एक तरीके से जो देश का गृह मंत्रालय है, वह नोडल मिनिस्ट्री है। आप जानते हैं कि जो फैडरेशन होता है, संघ होता है या फैडरल सिस्टम होता है, इसके स्थायित्व के लिए, इसके फैडरल सिस्टम के कई नये सिरे से देश बने या आजाद हो, तब आजाद होने के बाद उसमें फैडरल सिस्टम हो, उसमें दो चीजों का कम्पलशन होता है, दो तरह की भावना है, वे जो ये दो बिल्कुल विरोधाभासी भावनाएं हैं। राष्ट्रीय अखण्डता और प्रान्तीय स्वायत्तता एक साथ दो अलग भावनाएं हैं।

[हिन्दी]

जब होंगी, संघीय ढांचा तभी चल सकता है। मेरे मन में मेरे राज्य के प्रति भी प्यार है और देश के प्रति भी है। दोनों में से एक हो जायेगा तो सिस्टम टूट जायेगा। अगर हम केवल देश की ही बात करेंगे तो फैडरल सिस्टम नहीं, फिर यूनीटरी सिस्टम हो जायेगा और अगर केवल राज्य की ही बात करेंगे तो संघ खत्म, देश टूट गया, हिस्सों-हिस्सों में बंट जायेगा। हम लोगों ने पढ़ा था, जब पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त गृह मंत्री थे, बहुत पहले जब स्टेट आर्गेनाइजेशन कमीशन ने उत्तर प्रदेश में, आप जानते हैं कि एक झांसी ललितपुर बिल्कुल मध्य प्रदेश में घुसा हुआ है और मिर्जापुर, जो अब सोनभद्र हो गया है, वह बहुत अन्दर तक एक तरफ उड़ीसा और एक तरफ मध्य प्रदेश में चला गया है, तो नक्शा थोड़ा सा ज्योग्राफीकली ठीक हो यह प्रपोजल था। गृह मंत्री होते हुए भी पंडित पन्त ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश की एक इंच जमीन भी उत्तर प्रदेश से किसी राज्य को नहीं दे सकते हैं, यह राम और कृष्ण की जन्मभूमि है। हिन्दुस्तान का गृह मंत्री देश की एकता का प्रतीक है, लेकिन उसी समय में,

[श्री रामगोपाल यादव]

उसी वक्त वह अपने राज्य की स्वायत्तता के भी विचारधारा उनके मन में थी। जब आप फैडरल सिस्टम की बात करते हैं, तब माननीय गृह मंत्री जी, यह सिस्टम ऐसा है, जिसमें चाहे राज्य के मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों या केन्द्र के मंत्री हों, फैडरल सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए अगर कहीं किसी से विरोध भी है तो मंत्रियों को एवोइड करना चाहिए, मुख्यमंत्रियों को एवोइड करना चाहिए। एक दूसरे पर सीधे अटैक करने के लिए पार्टियां हैं। पार्टी के नेता बयान दे सकते हैं, लेकिन किसी राज्य का मुख्यमंत्री केन्द्रीय सरकार किसी मंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ भाषण दे या केन्द्र या मंत्री राज्य के खिलाफ भाषण दे तो यह ठीक नहीं है। आप अपने जो राज्य मंत्री हैं, वे जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, पार्टी के तमाम नेता हैं,

[अनुवाद]

मंत्रियों के अलावा, वहां कोई भी जा सकता है और किसी भी सीमा तक आलोचना कर सकता है।

[हिन्दी]

लेकिन फैडरल सिस्टम यह डिमांड करता है कि जब केन्द्रीय मंत्री जायें तो राज्य का कोई मंत्री आये तो इस तरह की बात केन्द्र राज्य के बीच में नहीं होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा यह सिस्टम सरवाइव करे तो एक सही बात होनी चाहिए। आप नैक्स्ट डे पेपर्स में देखिएगा, पहले कभी ऐसा नहीं होता था, जैसा अब होता है। यह जो आपका विभाग है, आपके विभाग के माने क्या होते हैं। जब गृह मंत्री कोई बात करते हैं, किसी राज्य की आलोचना करते हैं तो आप समझ लीजिए कि लोग किस तरह का इन्फरेंस उससे निकालेंगे। ...*(व्यवधान)*

दूसरे यह है मैं अकेले अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं सब की बात कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: मैं एक चीज और कह रहा हूं, यह अब की बात नहीं है। आप जानते हैं, डा. शंकर दयाल शर्मा जी को ही थोड़ा सा इनीशिएटिव लेना पड़ा था, जब एक बार आन्ध्र प्रदेश में एक सरकार बर्खास्त हुई तो एक गवर्नर को रीकाल करके दूसरे गवर्नर को भेजना पड़ा था। धीरे-धीरे ऐसी स्थिति आ रही है। वह संवैधानिक पद है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन फिर भी जिस तरह की गतिविधियां अब राज्यपालों की तरफ से होने लगी हैं, मुझे यह लगता है कि संसद को या आपका जो मंत्रिमंडल है या प्रधानमंत्री जी हैं, उनको कोई दूसरा तरीका सोचना होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे हो। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए पहले एक सुझाव आया था कि प्रधानमंत्री जी, विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश और स्पीकर मिल कर कोई एक इस तरह का तंत्र होना चाहिए जो राज्यपाल के पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करे। आज से दस-पन्द्रह साल पहले किन्हीं परिस्थितियों में राज्यपाल सार्वजनिक रूप से कभी कोई बात नहीं कह सकते थे। अगर वे कोई बात कहेंगे तो पहले गृह मंत्री को कहेंगे बजाय इसके कि वे टीवी पर जा कर कहें कि पहली सरकार ऐसी थी अब सरकार ऐसी है। यह राज्य सरकार का काम नहीं है। इस पर भी आपको देखना होगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बीएसएफ सेना से आगे रहती है, लेकिन आजकल कोई दिन ऐसा नहीं जाता है, जिस दिन बीएसएफ के एक-दो जवान नहीं मारे जाते हों। जिस तरह से कारगिल के युद्ध के दौरान सेना की कैजुअलटी हुई थी और जो उनको फैसीलिटी दी गई थी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसी तरह की सुविधाएं बीएसएफ के शहीद हुए जवानों और अधिकारियों के परिवारों को दी जाएं। उनका काम इतना कठिन है कि जो लड़का एक बार बीएसएफ में चला जाता है, वह अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य को बीएसएफ में जाने के लिए नहीं कहता है। क्योंकि मैं जानता हूं कि गांव के गरीब परिवार के लोग ही जाते हैं, पढ़े-लिखे लोग जो राष्ट्र भक्ति की बातें करते हैं वे अपने लड़के कभी सेना में नहीं भेजते हैं या खुद जा कर नहीं लड़ते हैं। इन सब में केवल गांव के लोग ही जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि उनको यदि सुविधाएं दी जाएंगी तो बीएसएफ और सेना में जाने वाले लोगों की कभी कमी नहीं रहेगी। बंगलादेश के लोगों ने पहले बीएसएफ के कुछ जवानों को मार दिया था और अभी एक अधिकारी को भी मार दिया गया। आप एहसास करें या न करें किन्तु एक अनपढ़ आदमी भी इस पर अपना गुस्सा और नाराजगी जाहिर करता है कि जिनको हम मसल सकते हैं, वे हमारी उदारता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। यह चीज बहुत खतरनाक है। जिस दिन हमारे बीएसएफ, हमारी सेना को यह लगेगा कि उनके साथ अन्याय होता रहेगा, उन्हें गोली चलाने का हक नहीं होगा, उस दिन से लोग सेना और बीएसएफ में जाना बंद कर देंगे और भर्ती करने में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बंगलादेश ने किया है, इस पर सख्त रुख अख्तियार किया जाए। बंगलादेश के लोगों और अधिकारियों को इसके लिए माफी मांगनी

चाहिए और आइंदा इस तरह की घटना हो तो उस घटना का बदला लेने के लिए तैयार रहना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करते हुए यह आशा करता हूं कि सरकार कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित करने के लिए कार्यवाही करेगी, बीएसएफ में मारे जाने वाले जवानों के परिवारों को सरकारी सुविधाएं देगी और राजभवनों को राज्य सरकारों के खिलाफ षडयंत्र का अड्डा नहीं बनने देगी।

श्री विजय कृष्ण (बाढ़): अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कश्मीर के मामले में जो पहल की है वह बहुत ही सराहनीय कदम है। एक ठहराव की स्थिति और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में जो रिसाव था, टूटा है। उस पर मरहम लगाने का काम हुआ है। एक नए विश्वास का माहौल बना है। मैं प्रधानमंत्री जी को और गृहमंत्री जी को अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से साधुवाद देना चाहता हूं।

अपराह्न 2.55 बजे

[**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन* हुए]

महोदय, उन्होंने एक सार्थक पहल की है। दोनों देशों के आवाम शान्ति चाहते हैं। रक्षा बजट में रोज-ब-रोज बढ़ोत्तरी हो रही है जिससे गांव और गरीब लोगों की समस्या बाधित होती है। हम आपस में मिल-जुलकर रहें ताकि संबंधों की खटास में जो साम्प्रदायिक तनाव के बीज पलते हैं, उनसे सबको निजात मिले। यह बसों का आना-जाना नहीं है, यह सिर्फ मिलना-जुलना नहीं है। टूटे हुए दिलों का मिलना है। दो राष्ट्रों का जो सिद्धान्त था, राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत में काम करने वाले लोगों ने उस वक्त जिसकी मुखालिफत की थी, यह उस दिशा में एक अच्छी पहल है।

मैं दूसरी ओर जाना चाहूंगा। अभी प्रो. राम गोपाल यादव ने नक्सलवाद और उग्रवाद की चर्चा की। आंध्र से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार होते हुए नेपाल एक कारीडोर बनता जा रहा है। इस दिशा में राज्य सरकारों की बैठक सामूहिक रूप से होनी चाहिए। बिहार खासकर मध्य बिहार और झारखंड का इलाका, जो सामन्ती परिवेश में पलता रहा है। जाति हजारों सालों का संगठन है। न जाने कितने संगठनों को उदरस्थ और निगलस्त कर जाता है। पीड़ित इलाका, इज्जत के लिए मरने वाले, भूख में अपनी जिन्दगी जीने वाले लोग, उसके विद्रोह में खड़े होने वाले लोग, बेरोजगारी से तड़पते हुए नौजवान बंदूक थामने के लिए परेशान हैं। आजादी के इतने दिनों बाद गरीब लोगों तक विकास का पैसा पहुंच पाया है या नहीं, हम पहुंचा पाए हैं या नहीं, यह आत्म-मंथन का विषय है। विकास, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन के लिए जीने वाले लोग, मध्य बिहार में भी उनकी बड़ी संख्या है, हजारों संगठन हैं, जो दलगत घेरे से बाहर हैं, जिनकी अपनी पहचान है, जो पहचान बनाने के लिए व्याकुल हैं और जो उस दिशा में काम करते रहे हैं, उनमें समन्वय होना चाहिए। जहां हत्याएं, लूट और बलात्कार होते हैं। पहले राष्ट्रीय आन्दोलन में कांग्रेस संस्कृति के जो लोग हुआ करते थे, कांग्रेस के अंदर के समाजवादी लोग आजादी के बाद के समाजवादी आन्दोलन के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, जिनके वैचारिक तौर पर हमसे मतभेद रहे हैं, कम्युनिस्ट आन्दोलन से जुड़े हुए सभी लोग पीड़ा और दर्द के साथ रिश्ते बनाने का काम करते थे। आज हमारी स्थिति यह हो गई है कि हमें अखबारों में उग्रवादी हिंसा की खबरें मिलती हैं, हत्या लूट और बलात्कार की खबरें मिलती हैं और हम निन्दा का बयान दे देते हैं, हमारा काम खत्म हो जाता है। गांधी, लोहिया और जयप्रकाश मार्ग को मानने वाले लोग कर क्या रहे हैं? हमारी पीड़ा और दर्द के साथ मध्य बिहार में रिश्ते बन रहे हैं या नहीं। यदि उग्रवाद से निपटना है तो सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था करके आप उससे नहीं निपट सकते हैं। विकास का लाभ गरीब लोगों तक जाए। हजारों वर्ष की जातिप्रथा के खिलाफ एक जन-आन्दोलन हो और दलगत घेरे के बाहर और अंदर के लोग मिलकर काम करें। आज थाने हथियारविहीन हैं। उनके पास आधुनिकतम हथियार नहीं हैं, लेकिन उग्रवादी लोग ठेकेदारों से हथियार प्राप्त कर रहे हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

यह अजीब स्थिति है। मध्य बिहार में जो लोग द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की बात करते रहे हैं, उनके चेहरों पर नजर डालें तो वे किसी न किसी जाति का कोई न कोई दामन थामे हुए हैं कि हम पीपुल्स वार ग्रुप्स से हैं, हम एनसीसीं से हैं, माले से हैं या हम इस फलानी जाति से हैं, उस फलानी जाति से हैं। इसमें ठेकेदार, क्रिमिनल, बेरोजगार तथा ग्रामीण विकास योजनाओं के पैसे की लूट करने वाला बिचौलिया भी घुस गया है। किस तरह से इस समस्या का निदान होगा, कौन सा प्लान हम बनाना चाहते हैं, यह आज विचारणीय बिन्दु है।

मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। नेपाल में राष्ट्रीय लोकतंत्र का आंदोलन चल रहा है। आज राजशाही का तांडव नृत्य नेपाल में हो रहा है। वामपंथी से लेकर तमाम लोकतांत्रिक शक्तियां उनके खिलाफ एकजुट हैं। अभी हाल में अखबारों में भारत सरकार का रुख आया है, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, लोकतांत्रिक संगठनों की तरफ से, वामपंथी दल की तरफ से जब हम देखते हैं तो हमारे कार्यकर्त्ताओं को बड़ी निराशा हुई है कि आप नेपाल के राजा के साथ खड़े होना चाहते हैं। आप राजशाही के साथ खड़े होना चाहते हैं। वहां लोकतंत्र के लिए

[श्री विजय कृष्ण]

जो लोग आंदोलन चला रहे हैं, आप उनके खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यूपीए सरकार कौन सा मैसेज देना चाहती है? मैं आपके दल का समर्थक होने के नाते यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पूरे देश में लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले लोग हैं, वे जानते हैं कि हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में नेपाली कांग्रेस, उनके नेता श्री वी.पी. कोइराला, श्री गिरजा प्रसाद कोइराला, श्री माताप्रसाद कोइराला और श्री देउबा का क्या योगदान रहा। आज आप राजा के साथ खड़ा होना चाहते हैं। भारत की सरकार राजा के साथ खड़ा होना चाहती है। नेपाल के गरीबों के खिलाफ लड़ना चाहती है। लोकतांत्रिक आंदोलन के खिलाफ मैसेज देना चाहती है। हम समझते हैं कि इस पर आप फिर से विचार करने का काम कीजिए, नये सिरे से सोचने का काम कीजिए। नेपाल में लोकतांत्रिक दल, वामपंथी दल जो राजशाही के खिलाफ एकजुट हैं, उनके मनोबल को तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए।.

हजारों-लाखों लोग जो हिन्दुस्तान में हैं, यूपीए सरकार का जो स्टैंड है, उस स्टैंड के खिलाफ हैं। सैन्य सहायता के खिलाफ हैं। उनकी मानसिकता आपके खिलाफ है। आप जनता से चुनकर आये हैं। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार सबसे बड़ा होता है। जहां असहमति नहीं वहां लोकतंत्र नहीं और जहां लोकतंत्र नहीं वहां समाजवाद नहीं। आप लोकतंत्र और समाजवाद की बात करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र के आंदोलन का साथ दीजिए।

आदरणीय पाटिल जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप और श्री मनमोहन सिंह जी एक स्वच्छ छवि के आदमी हैं। उनसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। कभी-कभी एक गलती सारे अच्छे मामले को डुबो देती है। आप लगातार अच्छे काम करते जा रहे हैं। आपकी सरकार ने अनेकों अच्छे काम किये हैं। आप फिसल मत जाइये। जब कभी आदमी फिसल जाता है तो उसका पैर टूट जाता है। उस पर प्लास्टर कराना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि आपको प्लास्टर कराना पड़े। हम चाहते हैं कि आप दौड़ते रहिये। आपको साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ना है। जिन लोगों ने गांधी जी की हत्या करने का काम किया है, उसकी विरासत के लोग पूरे देश में सिर उठाकर चल रहे हैं। जो गैर-साम्प्रदायिक तत्व हैं, उनको भी वे लाग-लपेट करके अपने साथ किये हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में उनके एजेंट लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच हैं। आज साम्प्रदायिक तत्वों के खिलाफ आपको लड़ना है। आपको दोमुंहा चरित्र नहीं रखना चाहिए। नेपाल के आंदोलन के साथ आपको अपने आपको खड़ा करना पड़ेगा।

बिहार में आज राष्ट्रपति शासन है। हमने निवेदन किया था कि वहां हमारा बहुमत है। हम आर.जे.डी. 75 की संख्या में हैं। प्री-पोल अलायन्स की बड़ी जमात है। अनेक निर्दलीय लोगों का हमें समर्थन प्राप्त है। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट भी हमारे पक्ष में है। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और हमारा प्री-पोल एलायंस पहले से है, लेकिन आपने हमें सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। आप लुका-छुपी का खेल खेल रहे हैं। चलिए खेलिए। आपको उत्तर प्रदेश में श्री मुलायम सिंह जी का समर्थन भी लेना है और उनका इलाज भी करना है। आपको बिहार में श्री लालू प्रसाद का समर्थन भी लेना है और थोड़ा हम लोगों की चुटकी भी काटनी है। आप अपनी यह आदत बदलिए। अगर आप अपनी यह आदत नहीं बदलेंगे तो आपका हाल मोरारजी देसाई जैसा हो जाएगा। पिछले लोक सभा सत्र में मैंने कहा था 'कि श्री मोरारजी भाई देसाई जब शासन में आये, तब बड़ी स्वच्छ छवि के आदमी थे, बड़े मजबूत ह्रदय के आदमी थे लेकिन जिद्दी थे आने के बाद मनमाने ढंग से गवर्नर, राजदूत सब उन्होंने बहाल करने शुरू कर दिये। उस वक्त बहुतेरे नेताओं, लोगों ने उनसे जाकर कहा कि थोड़ा नेतृत्व, राज्यों से आपसी सलाह कर लिया करिए। मुख्य मंत्री का जब पद आया तो उनकी कोशिश हुई कि जो मुख्य मंत्री होगा, वह हमारा आदमी होगा। सहमति के लिए तैयार नहीं हुए। जब कई मुख्य मंत्री बने तो राम नरेश यादव को पहले यू.पी. में गिराया, फिर देवीलाल को धमकाया, गिराया। जो-जो बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर उस समय आए थे, उनको गिराने का का काम शुरू हुआ। जब गिराने का काम शुरू हुआ और देवीलाल गए तो उनके जाने के साथ धरती धमक गई। फिर उसके बाद जब कर्पूरी ठाकुर को हिलाया और चरण सिंह जी को हिलाया तो वह खुद चले गये। इसलिए डीएमके के खिलाफ पीएमके, श्री लालू यादव, श्री राम विलास पासवान और श्री मुलायम सिंह यादव का भी इलाज करना है—यह सब आदत छोड़िए। यह आदत नहीं छोड़िएगा तो फिर बहुत महंगा पड़ेगा। वामपंथी दल तो बराबर लाल झंडा लेकर खड़े रहते हैं। आर्थिक उदारीकरण की नीति जो नरसिम्हा राव जी के जमाने में चली थी, उसे सरपट आप दौड़ाना चाहते हैं। फिर वामपंथी साथी की अच्छी राय आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जहां भी अच्छा सुझाव वह देते हैं, बाएं, दाएं, पूर्व, पश्चिम, वह सब आपका चलता रहता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गाड़ी जब चलाएं तो सिगनल का भी ख्याल करना पड़ता है, लाल झन्डा, लाल बत्ती दिखानी पड़ती है नहीं तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। राजनीतिक दुर्घटना से बचिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्य, अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए। आप सभा में बोल रहे हैं, न कि प्लेटफार्म पर। आप भारत के सर्वोच्च मंच पर बोल रहे हैं। आप पीठ को संबोधित कीजिए। यही उचित ढंग है।

[हिन्दी]

श्री विजय कृष्णः मैं आपकी ही तरफ देखकर बात कर रहा हूं। मैं आदर के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं। मेरी बातों में सच्चाई है, थोड़ी तलखी हो सकती है लेकिन सच्चाई है। हमारे दादा जी भी आजादी की लड़ाई में जेल गये थे। हमारे बाप भी और हमारे दादा भी कांग्रेस की एक विरासत के साथ हम लोग रहे हैं। इसलिए हमें दर्द है और इस दर्द के साथ हम खड़े हैं। इसलिए आज हम निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार में जो आप राष्ट्रपति शासन लाए, बूटा सिंह जी वहां आ गये हैं, ठीक है, कानून-व्यवस्था के बारे में सरकार काफी बात कर रही थी लेकिन 4 दिन पहले बौधू यादव जो प्रमुख समाज से थे, बाद में एनटीपीसी परिसर में बाहर सुबह 5 बजे उनकी हत्या हो गई। मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं। उस इलाके में सनसनी फैल गई कि एक जाति और एक बिरादरी के लोगों का जैसे कत्लेआम हो रहा है और यहां कहा जा रहा है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो गई है। कौन सी कानून और व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? मध्य बिहार में एक जाति के दर्जनों लोगों की हत्याएं हाल में हुई हैं।

पूरे बिहार में बिजली संकट विद्यमान है। चारों तरफ अंधेरा है। 20-20 घंटे यहां बिजली नहीं मिल रही है और कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा शासन आप चलवाना चाहते हैं? लोकप्रिय सरकार के लिए जनता ने वोट दिया है। पार्टीज भी नहीं चाहतीं कि राष्ट्रपति शासन चले और जनता तथा उनसे चुने विधायक भी नहीं चाहते लेकिन फिर भी परिस्थितियां चला रही हैं और अभी राम गोपाल जी ने कहा, मैं उनसे सहमत हूं और पूरे आदर के साथ सहमत हूं कि राज्यपाल भवन का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोई राज्यपाल यह टिप्पणी करे कि पिछली सरकार ने यह किया, वह किया, उससे पटना में एक चर्चा उठ गई है। मैं राज्यपाल पद की गरिमा का ख्याल करते हुए, उसका पूरा आदर करते हुए, बहुत ही शालीनता से एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि यह एक संवैधानिक पद है, इस पद की पूरी प्रतिष्ठा रहनी चाहिए। पटना में एक चर्चा हो रही है कि बिहार और पाटलीपुत्र में कौन सा लवली और कौन सा स्वीटी शासन चलेगा? राष्ट्रपति शासन चलेगा कि लोकप्रिय शासन चलेगा? यह भी गृह मंत्री जी आप विचार करिएगा। यह मैं आपके विचार के लिए छोड़ता हूं कि वहां लवली और स्वीटी शासन चलेगा, राष्ट्रपति शासन चलेगा, यही पूरे बिहार में चर्चा हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बड़े अदब के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): सभापति जी, आज सदन में गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। गृह मंत्रालय हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है और काफी देर से इस पर चर्चा हो रही है। यह मंत्रालय हमारे देश की आन्तरिक सुरक्षा, देश के अंदर भाईचारा बनाने तथा देश के अंदर आपस में जो वैमनस्य होता है, उसे दूर करने में यह मंत्रालय काफी सहयोग करता है। देश के अन्दर सुरक्षा के साथ-साथ आतंकवाद से लड़ने के लिए, देश में माओवादी संगठनों, बिगड़ती कानून-व्यवस्था आदि से लड़ने के लिए इस विभाग की व्यवस्था की गयी है। मुझसे पूर्व कई माननीय सदस्यों ने आन्तरिक सुरक्षा की स्थिति पर विस्तार से अपने बयान दिए हैं। महोदय, मैं उत्तर प्रदेश राज्य से आता हूं और उत्तर प्रदेश में मेरा संसदीय क्षेत्र सीतापुर है। नेपाल का बार्डर सीतापुर से लगा हुआ है और नेपाल की सीमा से लगे हुए जनपदों लखीमपुर और बहराइच की सीमा सीतापुर जनपद को छूती है। अभी पिछले दिनों जब नेपाल में सत्ता हथियाने की घटना हुई थी, वहां के तमाम माओवादी संगठन पलायन करके हमारे प्रदेश में आए हैं। इससे प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे सीतापुर जनपद में नारायण पैलेस नाम से एक पिक्चर हाल है जिसमें पिछले दिनों सात किलो वजन का एक आरडीएक्स टाइम बम रखा हुआ पाया गया। यह टाइम बम इस हिसाब से सैट किया गया था कि उसे फिल्म के आखिरी शो के समय फटना था। लेकिन शायद प्रकृति को यह मंजूर नहीं था और पिक्चर हाल के मालिक ने अचानक ही आखिरी शो को निरस्त कर दिया। जब पिक्चर हाल की सफाई की जा रही थी तो सफाई कर्मचारी को हाल की पिछली सीट के नीचे से यह टाइम बम मिला, जिसके लिए बरेली से बम निरोधक दस्ता बुलाया गया। उसने इस बात की पुष्टि की कि यदि यह बम बलास्ट हो जाता तो सीतापुर शहर का कम से कम एक-चौथाई हिस्सा नष्ट हो जाता। यह घटना मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर माओवादी प्रवेश कर गए हैं। नेपाल के बार्डर की ओर से जो माओवादी हमारे प्रदेश और देश में प्रवेश कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि पूरे देश में जो माननीय सदस्यगण हमारी इस संसद में जनता की नुमाइन्दगी करते हैं, जब उनकी सुरक्षा की बात आती है, जब आपसे और प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया जाता है तो एक ही जवाब मिलता है कि यह प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। आज मैं इस सदन में यह बात रखना चाहता हूं कि जब किसी माननीय सांसद की सुरक्षा का प्रश्न आपके सामने रखा जाए तो केवल यह कह देना मात्र ही पर्याप्त नहीं होता कि यह प्रदेश सरकार जाने। अगर प्रदेश सरकार किसी प्रतिनिधि, किसी माननीय सांसद के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रखती है तो उसे सुरक्षा कहां से मुहैया होगी? मैं इस सन्बन्ध में अपनी पार्टी के कई सांसदों की

[श्री राजेश वर्मा]

समस्याओं को आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारी पार्टी के उपनेता श्री बृजेश पाठक, जो उन्नाव जनपद से आते हैं, उन पर तीन बार कातिलाना हमले हो चुके हैं। हमने आपसे कई बार अनुनय-विनय की है। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अपने स्तर से दिल्ली पुलिस का एक शैडो उपलब्ध कराया है, लेकिन वह केवल दिल्ली में ही हमारे उपनेता के साथ रहता है। उत्तर प्रदेश में हमारे उपनेता को अभी तक पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल पाई है। जहां तक मुझे जानकारी है और यह बात उत्तर प्रदेश के स्थानीय समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुई थी कि आपने श्री पाठक को 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराने की रिकमेंडेशन उत्तर प्रदेश सरकार से की है। परंतु वहां मात्र एक गनर है और वह भी ऐसा गनर जो इनके साथ-साथ नहीं चल सकता। इसलिए इनके साथ एक ऐसा षड्यंत्र विकसित किया जा रहा है कि आने वाले समय में इनकी हत्या कर दी जाए। मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह केवल बृजेश पाठक जी का ही मामला नहीं है, यह पूरे सदन के सांसदों का मामला है। सांसदों को ठोस सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। अगर प्रदेश में उनकी उपेक्षा की जा रही है तो केन्द्र सरकार के स्तर पर सांसदों को सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। राज्य अगर अपनी जिम्मेदारी से बरी होना चाहता है या दूर रहना चाहता है, तो केन्द्र ऐसी सुरक्षा मुहैया कराए, जिससे हमारे सांसद सुरक्षित रह सकें।

अभी राम गोपाल जी ने कहा था कि पुलिस को जो हथियार मुहैया कराए गए हैं, वे बहुत पुराने किस्म के हैं। उनसे माओवादी संगठन एवं आतंकवादियों से नहीं निपटा जा सकता, क्योंकि उनके पास जो हथियार हैं, वे पुलिस के हथियारों से कई गुना तेज चलने वाले और नए हैं। इस कारण हमारी पुलिस व्यवस्था पीछे रह जाती है। कहीं-कहीं पुलिस विभाग में ऐसे हथियार हैं, जिन पर भरोसा करना भी कठिन है। पुलिस के हथियार किस कद्र पुराने हैं, इसे मैं एक घटना द्वारा आपको बताना चाहता हूं।

मैं एक दिन अपने संसदीय क्षेत्र जा रहा था। वहां एक नदी पड़ती है। उस पर एक दरोगा जी दो कांस्टेबल्स के साथ गश्त पर निकले थे। वहां उन्हें कुछ बदमाशों ने घेर लिया। उहोंने अपने कांस्टेबल्स को रायफल्स से फायर करने का आदेश दिया। उस कांस्टेबल्स ने अपनी-अपनी रायफल से फायर किया, लेकिन फायर नहीं हुआ। इस पर दरोगा जी ने अपने रिवाल्वर से फायर करने का प्रयास किया, तो वह भी मिस हो गया। पांच मिनट बाद जब मेरी गाड़ी वहां पहुंची तो दरोगा जी ने उसे रोक कर मुझे कहा कि क्या आपके पास हथियार है। मैंने कहा कि मेरे पास गनर है और उसका अपना हथियार है। जब मैंने अपने गनर को फायर करने को कहा और जब उसने फायर किया, तो वे बदमाश वहां से भाग गए और दरोगा जी सुरक्षित निकल गए। इसलिए आपको इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि क्या पुलिस भी सुरक्षित है या नहीं और जब ऐसे हथियार उनके पास हों तो फिर वे भी सुरक्षित नहीं हैं। आपको चाहिए कि पुलिस के हथियारों का आधुनिकीकरण किया जाए।

गृह मंत्रालय के अधीन पर मानवाधिकार आयोग बना हुआ है। उसके माध्यम से हमारे देश की जनता को बहुत राहत मिलती है। जब किसी के साथ अन्याय होता है, चाहे जनता के द्वारा हो या पुलिस प्रशासन के द्वारा हो, तो वह पीड़ित मानवाधिकार आयोग में अपील करता है। मानवाधिकार आयोग सार्थक प्रयास करता है कि पीड़ित को न्याय मिल सके। कई प्रदेशों में, कई जनपदों में ऐसी घटनाएं होती हैं। अगर पुलिस ने किसी को प्रताड़ित किया है, तो उस व्यक्ति ने मानवाधिकार आयोग में प्रार्थना-पत्र दिया। मैं समझता हूं वह प्रार्थना-पत्र उसी जनपद में उसी पुलिस के कप्तान या दरोगा के पास जांच के लिए जाता है, तो इससे पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता है। अगर मानवाधिकार आयोग से किसी अपराधी के खिलाफ पुलिस विभाग की जांच होती है, तो उसी जनपद में या जिले में जांच नहीं कराकर दूसरे जनपद या जिले में कराई जाए, जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके।

मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए उम्मीद करता हूं कि आप हमारे सुझावों और विचारों का ख्याल रखते हुए इन पर कुछ न कुछ विचार करेंगे।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती वी. राधिका सेलवी (तिरूचेन्दूर): महोदय, मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद और मैं अपने प्रिय नेता कलिंगनार और तमिल के थलपति हमारे जूपीटर तिरु एम.के. स्टालिन का भी धन्यवाद करना चाहती हूं।

कुछ क्रूर राज्यों में यह स्वीकृत परंपरा बन गई है कि जब भी कभी प्रशासन अपने राजनैतिक अथवा अन्यथा, विरोधियों को समाप्त करने का निर्णय करता है, यह अपने अधीन पुलिस बल के जरिए 'एनकाउंटर' के नाम पर उन्हें समाप्त कर देता है। जैसा कि सम्माननीय सभा को विदित है, यह निश्चित रूप से लोकतंत्र और मानवता के सभी मानदण्डों के विरुद्ध है—यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने की आड़ में मानवता के विरुद्ध अपराध है।

माननीय सभापति महोदय, जब कोई राजनैतिक और व्यक्तिगत विरोधी इतना कष्टप्रद और मुश्किल हो जाता है, कि जिसे आप चाहकर भी हटा नहीं सकते, जिससे आप एक तरफ अपनी सारी प्रशासनिक ताकत झोंककर और दूसरी तरफ राजनैतिक गुण्डों की

शक्ल में गुण्डा ताकत से भी नहीं लड़ सकते, उसे कानून और व्यवस्था बनाए रखने की आड़ में "एनकाउंटर" कर दिया जाता है।

इन एनकाउंटरों के बाद लोग बहुत शोर-शराबा भी करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश समय गुजरने के साथ-साथ, उनके भी शोर धीरे-धीरे समाप्त हो जाते हैं। माननीय सभापति, महोदय, इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले "सुपरमैन" की तरह सत्ता के गलियारे से मुक्त निकल जाता है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जब कि हमारे देश में प्रजातंत्र है। आदरणीय सभापति, महोदय, क्या ऐसा एक भी एनकाउंटर हुआ है, जो संदेह से परे हो? क्या ऐसा एक भी एनकाउंटर है, जो दिन में जनता के सामने-गवाहों की मौजूदगी में हुआ है? क्या किसी एक एनकाउंटर को कभी कानून ने न्यायसंगत ठहराया है? क्या एक भी एनकाउंटर संदेह की परिधि से बाहर है? क्या कोई एनकाउंटर में निष्पक्षता तर्क अथवा कानून की परिधि के अंदर आता हो? निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है। शिकार का चतुराई से और सावधानीपूर्वक पीछा किया जाता है। भयानक ढंग से योजना तैयार की जाती है और एक निर्दोष व्यक्ति का पुलिस द्वारा अपहरण कर अमानवीय ढंग से और क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी जाती है। अगले दिन, वही कायर सुपरमैन का लबादा पहने सामने आ जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अहिंसा और धर्म की इस पावन भूमि पर, तानाशाही ताकतों द्वारा दिन-दहाड़े जघन्य अपराध किए जा रहे हैं और ऐसे एनकाउंटरों के शिकार व्यक्तियों के निर्दोष परिवारों का जीवन तबाह किया जा रहा है। जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आयोग का गठन किया जाता है, और मामले की जांच की जाती है क्योंकि ऐसी जांचों और आयोगों के अंत में कायर पुलिस, जिसने निहत्थे लोगों का क्रूरतापूर्वक खून किया होता है, दौलत और पदोन्नति की चमचमाती रोशनी में बेदाग छूट जाते हैं।

महोदय, मैं क्षमा चाहती हूं, अगर मैं भावुक हो रही हूं। दुर्भाग्यवश, तमिलनाडु में पुलिस एनकाउंटरों के नाम पर ऐसी ही क्रूरतापूर्वक कार्यवाहियों से बर्बाद हुए परिवारों में मेरा परिवार भी है। मेरे पति, स्वर्गीय तिरु वेंकटेश पन्नैयार, जो पिछड़ी जाति के प्रतिष्ठित नेता थे और दक्षिण तमिलनाडु के पिछड़े जिले में रहते थे, मानवतावादी थे जो अपनी जाति के लोकप्रिय नेता थे, की हत्या उन दुष्ट ताकतों के आदेशों पर कर दी गई जो आज तमिलनाडु में राज कर रही हैं, जहां सिर्फ जंगल का कानून है जो पूरी तरह राजनैतिक शुत्रुता के कारण की गई थी, जबकि उनके खिलाफ चेन्नई में किसी भी स्थान पर एक भी मामला नहीं था।

.... दर्जनों सशस्त्र पुलिसकर्मियों ने मेरे पूर्णतः निहत्थे सुप्त पति की हत्या कर दी, क्रूरतापूर्वक की गई हत्या को पुलिस ने 'एनकाउंटर' का नाम दिया। न्याय और निष्पक्षता में विश्वास करने वाले सभी लोगों के लिए शर्म की बात यह है कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले सही-सलामत छूट गए और आज तक उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई जबकि हम, शिकार व्यक्ति के परिवार के निर्दोष सदस्य दर्द, तकलीफ और अपमान सह रहे हैं। यह घटना न्याय मांग रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूं। जिस किसी भी राज्य में जहां ऐसे अपराध अपने विरोधियों को समाप्त करने के साधन माने जाते हैं वहां न्याय किया जाना चाहिए और ऐसे जंगल के कानून का अंत होना चाहिए। दानव और उनके खुशामदी टट्टू ऐसे अपराधों के रचयिता हैं उन्हें तत्काल बंद किए जाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, सम्मान्य सभा को पूरी जानकारी है कि तमिलनाडु में वर्तमान तानाशाह शासन में तमिलनाडु के हमारे अविवाहित नेता डा. कलैगनार करूणानिधि, तमिल के थलपति हमारे गुरू एम.के. स्टानिल, हमारे प्रिय दिवंगत नेता थिरू मुरासोली मारन (जिनकी ऐसी पुलिस ज्यादतियों के कारण मृत्यु हुई) और हमारे केन्द्रीय मंत्री थिरू टी.आर. बालू पर चेन्नाई में पुलिस ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर हमला किया और अपमानित किया।

माननीय महोदय, ऐसे समय में मेरी प्रार्थना यह है कि यह सम्मान्य सभा, कम से कम अब ऐसी जघन्य अपराध को रोकने के लिए अपनी बृहत शक्तियों का प्रयोग करे और ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने और न्याय करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए। जब ये व्यक्ति अपने राजनैतिक गुरुओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उच्च पदों पर आसीन होते हैं तो पीड़ितों की विधवाओं और परिवारों को अव्यथित दुख, मनोव्यथा और उत्पीड़न झेलना पड़ता है।

ऐसी कई घटनाएं हैं जो यह साबित करती हैं कि तमिलनाडु में जंगल राज है, जहां सत्ता पक्ष का विधान सभा सदस्य तक सुरक्षित नहीं है। यह सम्मान्य सभा गुमीडीपुन्डी के उप चुनावों से पूर्णतः अवगत है जहां सत्ता पक्ष के विधानसभा सदस्य, श्री सुदरसनम् जो एक पूर्व मंत्री थे की उनके अपने ही घर में, अपने गृह नगर में हत्या कर दी गई थी। इसी प्रकार हमारे एक पूर्व सांसद सदस्य, श्री अलादी अरूणा, जो राज्य सरकार में पूर्व-कानून मंत्री थे, को सुबह सवेरे बेरहमी से मार दिया गया जब वे सुबह की सैर पर जा रहे थे। आप सोच सकते हैं कि आम आदमी का क्या हाल होगा?

---

*...*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्रीमती वी. राधिका सेल्वी]

माननीय महोदय, पुलिस द्वारा झूठे मामले बनाए जाते हैं और कानून और व्यवस्था के नाम पर विपक्षी दल के सदस्यों को निगमों और विधान सभाओं से बाहर निकाल दिया जाता है। केवल तमिलनाडु में ही हमें यह देखने को मिलता है कि मंत्री रोड रोको जैसी गतिविधियां कर रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय की हंसी और निन्दा के पात्र बन रहे हैं।

हमारे नेता तमिल के थलपति एम.के. स्टालिन के विरुद्ध हुई हिंसा और उनके खिलाफ दायर किए गए झूठे मामले अव्यवस्था राज के कुछ अन्य सबूत हैं।

माननीय महोदय, दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि सभी माननीय संसद सदस्य एक साथ मिलकर ऐसे सभी कानूनी अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करें और भविष्य में लोकतंत्र और न्याय की हत्या में शामिल सभी तानाशाह शासनों को सबक सिखाया जाए।

सभापति महोदय: धन्यवाद माननीय सदस्य, श्रीमती राधिका सेलवी आपका भाषण अच्छा था परन्तु अगली बार बिना पढ़े बोलने की कोशिश कीजिएगा।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): माननीय सभापति जी, मैं वर्ष 2005-2006 के लिए गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं और उनका समर्थन करता हूं। मुझे इस बात से संतोष और हर्ष है कि पिछले वर्ष वर्षों के बाद केन्द्र में फिर वह सरकार आई है जोकि धर्म-निरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध है और बुनियादी तौर पर जिसका विश्वास है कि अगर हिंदुस्तान को एकता की माला में पिरोकर रखना है तो धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति आदि की बातों को भुलाकर काम करना है और सब लोगों को समानता के रास्ते पर ले जाना है। समानता ही सामाजिक भाईचारे को बढ़ाने में मददगार होगी और आप्सी सद्भाव को बढ़ाने में सहायक होगी। जैसा कि कांग्रेस की नीति रही है कि इंसान को इंसान से जोड़ना है, तोड़ना नहीं है, नागरिक को नागरिक से जोड़ना है, तोड़ना नहीं है।

[अनुवाद]

हम सारे समाज को साथ लेकर चलने की नीति में विश्वास रखते हैं।

[हिन्दी]

इन्हीं मागर्दशन सिद्धांतों पर चलते हुए यूपीए सरकार ने कदम उठाए हैं क्योंकि इरादे हमारी सरकार के नेक रहे हैं।

इसलिए उनमें कामयाबी हासिल होनी शुरू हुई है। पिछले समय बेशक यह कहा जा रहा था कि देश के भिन्न-भिन्न राज्यों से मिल कर एनडीए की सरकार बनी लेकिन पूरा देश जानता था कि उस समय केन्द्र और राज्यों के बीच संबंधों में तनाव आया था। यूपीए की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि देश में सही मायने में कोआपरेटिव फैडरलिज्म की स्थापना करनी है और इस तरफ बहुत अहम कदम उठाए गए हैं। कामन मीनिमम प्रोग्राम में भी यह बात कही गई है। इसके हिसाब से सरकार ने यह फैसला भी किया है कि केन्द्र-राज्य संबंधों के लिए नया आयोग बनाया जाए। न्यूनतम साझा कार्यक्रम हमारे लिए एक मेगना कार्टा है। सभी दल आपस में एकत्रित हुए और जो देश के अहम मुद्दे थे, उनके बारे में क्या नीति होनी चाहिए, उसके हिसाब से बात हुई। उन पर चलते हुए मुझे इस बात की खुशी है कि ग्रुप आफ मिनिस्टर्स ने कौन-कौन से विषयों पर विचार करना है, इसे अंतिम रूप दे दिया। मुझे आशा है कि वह कमीशन शीघ्र बनेगा और सभी दल अपनी राय रख सकेंगे। एक विशाल देश में जहां फैडरलिज्म को मजबूत करना है, उस पर हम अपनी-अपनी राय देकर मजबूत कदम उठा सकेंगे।

जैसा हमने पिछले वर्षों में देखा है कि आंतरिक सुरक्षा देश के लिए एक बहुत अहम मुद्दा है। मुझे इस बात की खुशी है कि देश में यह सरकार ऐसी है जो कभी डिसरप्टिव फोर्सिज से किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकती। हम चाहे किसी तरफ नजर दौड़ाएं, चिन्ता के विषय बहुत से हैं लेकिन सभी जगह बेशक जम्मू-कश्मीर का जिक्र करें, बेशक नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जिक्र करें, सभी जगह इसमें कमी आई है, सुधार आया है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हम जम्मू-कश्मीर में फिर एक सामान्य स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। लोक सभा के चुनाव में खास लोगों ने हिस्सा लिया लेकिन उसके बाद वहां जो लोकल बाडीज के इलैक्शन हुए, उसमें जिस तरह के लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, उससे साफ जाहिर होता है कि देश में जम्हूरियत मजबूत है और अगर कोई ज्योति जगती है, तो वह इसी की जगती है। सभी ने कहा कि अगर स्याओं का समाधान हो सकता है तो बन्दूक की गोली से नहीं, बैलट पेपर के जरिए हो सकता है। कांग्रेस की हमेशा यह नीति रही है, यूपीए की इस वक्त नीति वही है कि अगर कहीं भी लोग हिंसा को त्यागते हैं तो उनसे बातचीत करनी चाहिए। इस बात की आलोचना की गई जब आन्ध्र प्रदेश में कुछ नक्सलाइट लीडर्स से बात हुई। मैं वही बात साफ कहना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी नहीं होती जब हम दूसरी तरफ खाली जगह देखते हैं। उन्हें जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, शायद निभायी नहीं जा रही है लेकिन उस वक्त उस तरफ से आलोचना हो रही थी कि वे लोग हथियार लेकर आ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं। हमने एक ही बात कही है कि जो

संविधान के तहत सरकार से बात करना चाहते हैं, सरकार सब से बात करने के लिए तैयार है।

सरकार ने कभी कोई और समझौता नहीं किया, किसी की बात नहीं मानी थी जो संविधान या देश के हितों के खिलाफ हो। सरकार की नीति है कि सबसे बातचीत के जरिए से ही कोई रास्ता निकाला जा सकता है और समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। अभी हमारे साथी श्री विजयकृष्ण जी एक-दो बातों का जिक्र कर रहे थे, मैं उन्हें सिर्फ इतना याद कराना चाहता हूं। जैसा कहा गया-आप कह रहे हैं, इस आप में आप खुद भी शामिल हैं, वह किस को कह रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखिए। हमारा सरकार में पूरा हिस्सा है और हम सभी ने मिलकर उसे करना है। मैं मानता हूं जहां तक नेपाल के बार्डर और नेपाल की बात है, उसमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमें उससे ऊपर उठकर देखना है।

मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार की किसी भी स्टेटमेंट में कहीं मामूली सी भी झलक नहीं मिलती, हमने बुनियादी बात कही थी। हम नेपाल में एक पार्टी लोकतंत्र चाहते हैं, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी नेपाल नरेश से मिले, यह बात नहीं कि हमने बात छोड़ दी। हम जानते हैं कि दुनिया में जटिल समस्याएं और हालत हैं और एक-एक समस्या के कितने दृष्टिकोण हैं। एक तरफ माओज की समस्या है, हम जानते हैं कि हमारी तरफ भी नैक्सलिज्म है और उसके लिए हमारी सरकार की नीति स्पष्ट है। जैसे पहले था कि यह कानून और व्यवस्था का दृष्टिकोण है लेकिन इसके साथ-साथ हम यह भी कहते हैं कि हमारी हर वक्त इस बात की जिम्मेदारी है और हमें बहुपक्षीय नजरिए का रास्ता अपनाना है। हम जानते हैं कि पांच-छः राज्यों में नैक्सेलिज्म की समस्या है जबकि उनका लिंक माओज फोर्स के साथ नहीं होता, अगर उस वक्त हम नेपाल की बात नहीं करेंगे तो इमदाद नरेश की नहीं हो रही है व लोगों की हो रही है। मैं इसे गलत नहीं समझता इसलिए मैं यूपीए के कांस्टीटुएंटस से दर्खास्त करूंगा क्योंकि जो हमारी ट्रीटीज हैं और आपस में जो रिश्ता है तो उससे हमारा फर्ज बन जाता है कि उसे और ज्यादा बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हुए उस दृष्टिकोण से देखें कि राष्ट्र का हित किस चीज में है। मुझे आशा है कि अपनी बुनियादी नीति से किसी तरह का कोई समझौता न करते हुए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने एक-एक बात की तह तक जाकर, लोगों से बात करके कि देश के हित में क्या है, इसी तरह के निर्णय लिए हैं, इस संबंध में किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है।

सभापति महोदय, मैं हिंसा का जिक्र कर रहा था। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि जो चुनौतियां हमारे सामने थीं, उनमें बहुत कामयाबियां हासिल हुई हैं लेकिन बहुत लंबा रास्ता तय करना है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बहुत सुधार आए हैं, उससे अपने सोचने के तरीके में फर्क पड़ा है, आपस में एक अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है, दोनों तरफ से लोगों का आना-जाना बढ़ा है, लोगों के संपर्क के कारण एक नया माहौल बनना शुरू हुआ है लेकिन फिर भी सरकार ने एक लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों को अनदेखा नहीं किया। आज सरकार समझती है कि क्रास बार्डर टेरिज्म प्रोटेक्टिव नीति बनानी है और उस पर वह काम करती आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी बार-बार जम्मू-कश्मीर गए, लोगों से मिले, इसमें कई पहलू ऐसे हुए हैं जिनसे एक अच्छा माहौल बनने लगा है। हमें इस बात की आशा है कि वहां की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। सरकार की जम्मू-कश्मीर के सभी दलों से जो बातचीत शुरू हुई है, वह आगे बढ़ेगी जिससे राजनीतिक प्रक्रिया और मजबूत हो पाएगी। पिछले इलैक्शन में हमें ऐसा मालूम हुआ है।

मुझे खुशी है कि बदले हुये माहौल के कारण वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा मिला है और न केवल देश के कोने-कोने से बल्कि दुनिया के कई हिस्सों से टूरिस्ट आने लग गये हैं।

[अनुवाद]

महोदय, मैं इस मुद्दे पर और कितनी देर बोल सकता हूं।

सभापति महोदयः श्री बंसल, आप के पास तीन मिनट का समय और है।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसलः सभापति जी, मैं बहुत सी बातों का जिक्र करना चाहता था मगर आपने घंटी बजा दी, इसलिये कह नहीं पाऊंगा। इसके बावजूद मैं होम मिनिस्ट्री की प्रशंसा करना चाहूंगा कि उसने नार्थ-ईस्ट स्टेट्स में सूझ-बूझ के साथ बातचीत शुरू की है। वहां की समस्या जटिल है लेकिन हम लोग समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। नक्सलाइट्स से निपटने के लिये स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है। सरकार की पुरानी नीति के तहत सुरक्षा से संबंधित अलग-अलग प्रान्तों में जितना खर्च होता था, उसके लिये एस.आर.ई. स्कीम के तहत पैरा-मिलिटरी फोर्सेस जिस तरह विद्रोहियों से मुकाबला करते थे, उस नीति का नवीनीकरण किया गया है। सरकार जहां-जहां जरूरत समझती है, राज्यों द्वारा किये गये 50 प्रतिशत खर्च को बढ़ाकर 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है। यह खर्चा बाद में ही नहीं बल्कि उसके पहले भी देती है। मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा फैसला है।

[श्री पवन कुमार बंसल]

सभापति जी, मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि मुझे 5 मिनट का समय बोलने के लिये और दिया जाये क्योंकि कुछ महत्व के मुद्दे मैं सदन और गृह मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। यहां पुलिस के आधुनिकीकरण का जिक्र किया गया। मुझे भी सरकार के कुछ कागजात देखने का मौका मिला है। सरकार गम्भीरता के साथ इस मसले पर काम कर रही है। सरकार नई टैक्नोलौजी का इस्तेमाल करना चाहती है ताकि पुलिस के पास आधुनिक हथियार और उपकरण पहुंचे, उनका अच्छा प्रशिक्षण हो, इस माइंड सैट को बदलने की कोशिश हो रही है। उनके पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण फोर्स बनाये जा रहे हैं कि लोगों के साथ उनका व्यवहार कैसा हो। ह्युमन राइट्स का भी जिक्र किया गया, उसके लिये भी इन्हें ट्रेनिंग देने का काम हो रहा है। कई माननीय सदस्यों ने उनके रिक्रूटमेंट रूल्स बदलने की बात कही क्योंकि इससे सरकार की छवि लोगों के सामने जाती है। सरकार का कटिंग एज पुलिसमैन द्वारा जाता है। इसलिये उनकी शिक्षा का जो न्यूनतम मापदंड है, उसे बढ़ाया जाना चाहिये। उनकी न केवल आवास की बल्कि कई और भी समस्यायें हैं। मेरा सुझाव है कि उनके लिये कुछ न कुछ जरूर करना चाहिये, ताकि ये लोग अच्छे वातावरण में काम कर सकें। प्रो. राम गोपाल यादव की बात को मैं दोहराना नहीं चाहता। देश की पैरा-मिलिटरी फोर्से अलग-अलग बार्डर पर लगाई गई हैं। उन लोगों के लिये भी कुछ फायदे के काम करने चाहिये। नियमों में ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिये कि जिनको गैलेंटरी अवार्ड दिये जाते हैं, उन्हें इनसैंटिव दिया जाना चाहिये। यदि किसी सिपाही का देहान्त हो जाता है या वह देश की रक्षा करता हुआ मारा जाता है, उनके बच्चों के लिए कोटा अलग से रखा जाता है। यह कोटा 5 परसेंट से ज्यादा नौकरी में नहीं दिया जाता है। मेरा अनुरोध है कि उनके बच्चों के लिए अलग से प्रावधान रूल में किया जाना चाहिये। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री बंसल, क्या आप सभी विषयों पर बोल चुके हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं जानता हूं कि आप चाहते हैं कि मैं अपना भाषण खत्म करूं।

[हिन्दी]

मैं अपनी बात को खत्म करते हुये एक-दो पाइंट कहना चाहूंगा।

सभापति जी, एक बहुत लम्बे अरसे के बाद हाउस में होम मिनिस्ट्री की डिमांड्स होम मिनिस्टर साहब लेकर आये हैं। मैं यूनियन टैरीटोरीज की बात करना चाहूंगा। हमारे देश में 7 यूनियन टैरीटोरीज हैं। उनमें दो ऐसी हैं जहां पर लेजिस्लेचर्स हैं। जो पांच यूनियन टैरीटोरीज नान-लैजिस्लेचर्स वाली हैं, मैं समझता हूं कि उनकी हालत बहुत ही दयनीय है। ऐसी टैरीटरीज में और बहुत काम होते हैं, बेशक वह पंचायती राज हो या कांस्टीट्यूशनल अमैन्डमैन्ट्स द्वारा जो प्रावधान लोकल बाडीज के लिए हुए थे, उन्हें ट्रांसफर नहीं किया गया और सही मायने में आज तक भी उनके पास अच्छा ठोस लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, जिसमें उन यूनियन टैरिटरीज के लोग अपनी बात कह सकें और सही मायने में महसूस कर सकें कि जो देश में लोकतंत्र है, आज हमें जो आजादी हासिल हुई है, उसका उन्हें भी कोई फल मिल रहा है। बेशक मेरी बात अन्य यूनियन टैरिटरीज के साथियों से होती रहती है। लेकिन मैं अपनी यूनियन टैरिटरी चंडीगढ़ का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा कि वहां हालात कैसे थे, यह इतिहास की बात है कि एक शहर को यूनियन टैरिटरी बनाना पड़ा। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि लोगों की सही मायने में अपनी सैल्फ गवर्नेन्स के लिए राय क्या है। पहले तो वहां एक टैरिटोरियल काउंसिल होनी चाहिए। बहुत से लोग यह मांग करते हैं कि वह स्टेट बन जाए। मैं इसके हक में नहीं हूं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जो आज के दिन पंचायत समिति है, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से आदेश दे दिये जाते हैं कि पंचायत समिति के चेयरमैन से उनकी इजाजत के बिना कोई अफसर नहीं मिलेगा। हम कौन सी बात कर रहे हैं कि उनके पास अधिकार हैं, अगर पंचायत समिति के चेयरमैन को मिलने की इजाजत किसी अफसर को न हो। इस ढंग से हम लोग समझते हैं कि पहले होता था। हमारा एक चीफ कमिश्नर होता था। लोग उनके पास जाकर अपनी बात रख सकते थे। मैं चाहता हूं कि यूनियन टैरिटरी में एक टैरिटोरियल काउंसिल हो, उसके पास अपने अधिकार हों और सही मायने में चीफ कमिश्नर की पोस्ट हो। एक वरिष्ठ अफसर यूनियन टैरिटरी कैडर में पहुंचा हो, जिसका काम सिर्फ यूनियन टैरिटरी के काम को देखना हो। लोग अपनी समस्याओं के बारे में उससे बात कर सकें। मैं इसके ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसे हालात न बनें ताकि लोगों को ऐसा लगे, अक्सर यह बात बहुत जगह कही जाती है कि हर बात में एक राजनीतिक इंटरफरेन्स है। राजनीति कोई बुरा शब्द नहीं है। हालांकि यह मांग करने की जरूरत नहीं है, जैसे अक्सर बहुत बड़े-बड़े लेख आ जाते हैं, बहुत बड़े-बड़े सेमिनार्स में बातें हो जाती हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम लोग, जो राजनीति में हैं, हमारा अपनी जगह कोड आफ कंडक्ट होना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। लेकिन यह न हो कि उन्हें अधिकार नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूं कि यदि सही मायने में हम जम्हूरियत को हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय स्तर पर और प्रान्त के स्तर पर चाहते हैं तो जैसा श्री राजीव गांधी जी ने कहा था, हमें उसका तजुर्बा ग्रास रूट लैवल पर करना होगा, हमें ग्रास रूट पर इसे सुदृढ़ करना होगा। बात कोई भी होती है, आवाज उठती है, कल को एडमिनिस्ट्रेशन का कोई फैसला होगा, खिलाफत मेरी हो जायेगी।

लोग यह नहीं समझते हैं। मैं समझता हूं कि एम.पी. का काम यहां बोलना ज्यादा है और कुछ करना नहीं है। लेकिन हमारे हालात क्या हैं। हमारी सोशल-इकोनोमिक कंडीशन क्या है। उसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है। औरों के बहुत से फैसले होते हैं। लोग इलैक्शन में फैसला किस बिना पर करते हैं, लेकिन उसका असर, उसका प्रभाव राजनीतिक पार्टियों पर पड़ता है। किसी बात के लिए कुछ कहना राजनीतिक पार्टियों का एक हक है। मैं समझता हूं कि इस बात को रिडिक्यूल न किया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मुझे खुशी है कि हम गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी चर्चा में भाग ले रहे हैं। गृह मंत्रालय आन्तरिक सुरक्षा का काम देख रहा है जो हमारे जीवन के अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है।

मैं विपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों की सूचनाओं को देख रहा था। इससे इनके अलग दृष्टिकोण का पता चलता है। वे आन्तरिक आपातकाल की घोषणा करके और अधिक कड़े कानून आदि बनाकर नक्सलवाद से निपटना चाहते हैं।

मेरे विचार में इस पूरी समस्या के प्रति अलग रवैया होना चाहिए। मुझे खुशी है कि सरकार अनेक कार्य करना चाहती है। एक महीने जाद यू.पी.ए. सरकार सत्ता में एक साल पूरी करेगी। शायद यही समय है जब वे अधिकारपूर्वक दावा कर सकते हैं कि उन्होंने एक वर्ष में इतने सारे अच्छे कार्य किए हैं। पन्तु क्या यह आत्म गौरव का समय है या आत्मनिरीक्षण का? मेरे विचार में, आन्तरिक सुरक्षा को अनुकूल सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति बनाकर संरक्षित किया जा सकता है। इससे आन्तरिक सुरक्षा को बेहतर ढंग से बनाए रखने के लिए परिस्थितियां उत्पन्न होंगी।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम का लक्ष्य इन सब समस्याओं को दूर करना है। अब हम नक्सलवाद की समस्या को लेते हैं। इसे आमतौर पर इसी रूप में जाना जाता है। क्या यह केवल कानून और व्यवस्था की समस्या है या आतंकवाद की समस्या—यह समझना चाहिए। यह सामान्यत: अनुमत्य मत है कि इसका देश के सामाजिक-आर्थिक संकट से गहरा संबंध है। भूमि सुधार की समस्या है। केन्द्र सरकार यह कह सकती है कि यह राज्य का विषय है। परन्तु यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यह देखे कि प्रत्येक राज्य में भूमि सुधारों को इस प्रकार लागू किया जाए कि अत्यधिक पददलित और उत्पीड़ित लोगों को जमींदारों के पंजों से आजाद किया जा सके। यदि हम उत्तर प्रदेश, बिहार या ऐसे ही किसी अन्य राज्य में सामूहिक हत्याएं होती देखते हैं तो अकसर हमें यही भय रहा है कि भूमिहीन और भूमि सेवा के बीच संघर्ष हो गया है। ऐसी परिस्थिति में भूमि सुधार अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इसका प्रभावी ढंग से समाधान किया जाना चाहिए। तब श्रीमती इन्दिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं तब वह राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखती थी और केरल भूमि सुधारों का उदाहरण देती थीं और उसे लागू करने के लिए कहती थीं। मेरे विचार में अब तक इसे सफलतापूर्वक लागू नहीं किया गया है।

दूसरा मुद्दा बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या है। शायद हमारा देश विश्व के प्रथम श्रेणी के ऐसे देशों में से एक है जिसमें इतनी अधिक बेरोजगारी है और शिक्षित बेरोजगार हैं। जब मैं शिक्षित लोगों की बेरोजगारी की बात करता हूं तो कोई कह सकता है कि हमारे देश में शिक्षा का वाणिज्यिकरण किया गया है। इन सबसे निराशा को बढ़ावा देने की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और यह नक्सलवाद का प्रजनन आधार है। मैं यह नहीं कहता कि केवल यही एक पहलू है। यह भूमि सुधारों और ग्रामीण जीवन की भीषण व्यथा से संबंधित है। उनके पास बहता पानी नहीं है, सड़क नहीं है, साक्षरता नहीं है, विद्यालय नहीं है, अच्छी शौचालय सुविधाएं भी नहीं हैं। गांवों का जीवन दयनीय है। वे नक्सलवाद का आसान शिकार हैं। इन सब सुविधाओं के अभाव से हताश होकर लोग नक्सलवाद की ओर आसानी से मुड़ जाते हैं। इससे नक्सलवाद की समस्या बढ़ती है। एक सफल गृह मंत्री को कम से कम इन समस्याओं से निपटने के प्रयास करने में समर्थ होना चाहिए। तभी हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस देश में नक्सलवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा। गंभीर सामाजिक-आर्थिक संकट ही भारत में नक्सलवाद का वास्तविक प्रजनन आधार है।

अब हम पुलिस की बात करते हैं। पुलिस इस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। पुलिस और पुलिस प्रशासकों का दृष्टिकोण औपनिवेशवाद के समय का है।

सभापति महोदय, आप भी केरल के हैं। आपने एक दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा जिसमें पुलिस महानिदेशक ने केरल में बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आजादी के 50 वर्ष बाद भी कोई महिला, कोई शालीन व्यक्ति बिना किसी डर के किसी पुलिस थाने में जाना पसंद नहीं करेंगे। यह केरल के पुलिस थानों की स्थिति है जो देश का अत्यधिक साक्षर राज्य है। अत: हमें देश के अन्य राज्यों के बारे में सोचना चाहिए। पुलिस का अभी भी यह मानना है कि वे राज्य के ऐसे उपकरण हैं जो लोगों पर अत्याचार करने के लिए हैं। वे उपनिवेशवाद के समय में भी ऐसे ही थे। इसलिए मेरा यह कहना है कि जनता के प्रति पुलिस की उपनिवेशवादी क्षेत्र, उपनिवेशवाद का रवैया बदलना चाहिए।

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

मुझे नहीं पता कि पुलिस सुधारों के संबंध में कितनी रिपोर्ट हैं। हम केवल पुलिस के आधुनिकीकरण के बारे में सोचते हैं जो आवश्यक है और मैं इससे सहमत हूं। परंतु आधुनिकीकरण के साथ-साथ हमें पुलिस संस्थान को लोकतांत्रिक भी बताना चाहिए। पुलिस को यह महसूस करना चाहिए कि वे जनसेवक हैं वे लोगों के दोस्त हैं और वे जनता के संरक्षक हैं। यदि यह नहीं किया जाता, तो पुलिस एक बोझ बन जाएगी। इससे नक्सलवाद बढ़ने की परिस्थितियां पैदा होगीं।

कुछ ऐसे मामले होते हैं, जिसको सरकार बहुत गंभीरता से लेती है। शायद, गृहमंत्री ने अब्दुल नसर मदानी के बेहद कुख्यात मामले के बारे में सुना होगा, जिसने तमिलनाडु की जेल में सात वर्ष से अधिक तक समय काटा। बिना आरोप-पत्र दिए वह सात वर्षों से अधिक समय तक सलाखों के पीछे रहा। मैं मदान का कोई प्रशंसक नहीं हूं। हम उसकी नीतियों के विरोधी हैं। हम मानते हैं कि उसकी नीतियां आतंकवाद और इस सबकी हिमायती हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इस तरह के अमानवीय व्यवहार को न्यायसंगत माना जाए? उसके समर्थकों का क्या होगा? वे कुण्ठा के शिकार हो जायेंगे, और वे यह भी सोचेंगे कि विद्रोह के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वहां इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए।

महोदय, मैं एक और उदाहरण कश्मीरी पंडितों का दे सकता हूं, जिनके बारे में यहां किसी ने प्रश्न किया था। उन्हें अपनी जन्मभूमि से खदेड़ किया गया है। वे जहां कहीं भी हैं, कई सालों से बुरी हालत में हैं। अगर वह कुछ और साल तंगहाली और अभावों में रहे, तो शायद, वे भी सोचने लगेंगे "कि हम हथियार उठाएं और सशस्त्र संघर्ष करें।" ये कुछ ऐसे हालात हैं।

सभापति महोदयः अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पनः मैं शीघ्र ही अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदयः अभी और ग्यारह वक्ताओं को इस बहस में भाग लेना है और हमारे पास समय बहुत कम है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पनः मैं आपकी चिंता से सहमत हूं।

सभापति महोदयः आपको समझना चाहिए कि हमें उन्हें भी समय देना है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पनः मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं आपका ध्यान भी इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

महोदय, कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनके बारे में हमें देखना है। यह वह मंत्रालय है जो आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्य देखता है। आपदा भी कुछ पुरानी परिभाषाओं को बदलना चाहिए। जब हमने केरल में सूनामी का सामना किया तो वहां लोगों की एक प्रमुख मांग समुद्र के आगे दीवारों का निर्माण करने की थी। जब मैंने यह मुद्दा गृह मंत्रालय के साथ उठाया, तो उन्होंने कहा कि समुद्री कटाव और इस प्रकार की चीजें प्राकृतिक आपदा की परिभाषा में नहीं आते। मुझे नहीं मालूम कि समुद्री कटाव इसमें नहीं आएगा और भू-स्खलन आएगा। इसलिए, आपदा की यह प्राचीन परिभाषा बदलनी चाहिए। लोगों का यह सोचना तर्कसंगत है कि निचले इलाकों में यदि समुद्र के आगे दीवारें बनाई गईं होती तो जो इतनी जानें गई हैं, शायद उनको बचाया जा सकता। अतः बचाव के एक उपाय के रूप में समुद्र के आगे दीवारें बनाई जानी चाहिए जिससे गंभीर प्राकृतिक आपदा को रोका जा सके।

अपराह्न 4.00 बजे

मैं अब स्वतंत्रता सेनानियों की समस्या के बारे में बात कहना चाहता हूं। गृह मंत्रालय स्वतंत्रता सेनानियों के मामले देखता है। एक समय यह संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाता था। जब यह कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए संर्घष में शामिल लोग ही स्वतंत्रता सेनानी थे। बाद में, यह धारणा बदल गई। स्वतंत्रता संघर्ष के लिए अनेक रास्ते अपनाए गए थे। 'पुन्नप्रा-वयालार' का ऐसा उदाहरण है, जिसे केन्द्र ने हिचकिचाते हुए स्वतंत्रता संग्राम स्वीकार किया। 'तेलंगाना' संघर्ष एक ऐसा मामला है।

इन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिलाने के लिए हमने मंत्रालय से संपर्क किया। जब हमने उनके आवेदनों, और कुछ मामलों में उनके दावों को समर्थन देने वाले अदालती आदेशों के साथ मंत्रालय से संपर्क किया तो गृह मंत्रालय के अधिकारियों की यह सोच थी कि वह उन पर कोई परोपकार कर रहे हैं। यह शर्म की बात है यह कोई परोपकार नहीं है। यदि उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नहीं किया होता, तो हम यहां नहीं होते; यह सदन यहां नहीं होता। हमें हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों का शुक्रगुजार होना चाहिए। यदि उन्हें पेंशन नहीं दी जा सकती तो, उन्हें अपमानित नहीं किया जाना चाहिए।

मैं एक मामले के बारे में यहा पर बताना चाहता हूं, जिससे आप समझ लेंगे। एस.एल. पुरम सदानंदन, जो जाने-माने लेखक हैं और स्वतंत्रता सेनानी हैं, और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखक, नाटककार आदि हैं, उनका आवेदन पेंशन के लिए भेजा गया। आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया; तत्पश्चात उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया; गृह मंत्रालय के विरुद्ध उन्हें आदेश मिल गया। मैंने माननीय मंत्री को इस विषय में पत्र लिखा,

लेकिन अब तक कोई उत्तर नहीं मिला। एक उप सचिव ने उस अदालती आदेश की यह व्याख्या की है कि उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी। उसने यह कहने की धृष्टता भी की कि सदानन्दन को स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन नहीं दी जाएगी। अदालती आदेश की व्याख्या और पेंशन से मना करने वाला यह अधिकारी कौन है? लेकिन न्यायालय ने कहा कि उन्हें पेंशन दी जानी चाहिये।

इस प्रकार के दृष्टिकोण का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया जा सकता और इसे बदला जाना चाहिये। नई कार्यप्रणाली और नये परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है। आत्मविश्लेषण के इस समय हम यह न भूलें कि कांग्रेस पार्टी महान ऐतिहासिक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने इस संसद में बिना किसी विपक्ष के प्रवेश किया था, लेकिन बाद में लोगों ने इसे हटा दिया। ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि दशकों तक इसके कार्यों तथा आम जनता के प्रति दृष्टिकोण ने इसे जनता से अलग-थलग कर दिया। जनता को दोबारा यह करने का मौका न दें, न्यूनतम साझा कार्यक्रम का पालन कर इसका ईमानदारी से क्रियान्वयन किया जाए ताकि कांग्रेस पुनः सत्ता में आ सके।

इन शब्दों के साथ, मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय: धन्यवाद, अब श्रीमती मिनाती सेन बोलें।

अपराह्न 4.03 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन हुये*]

***श्रीमती मिनाती सेन** (जलपाईगुड़ी): माननीय सभापति महोदय, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर बंगाल पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान, बंग्लादेश और म्यांमार से घिरा है। जलपाईगुड़ी को लघु भारत कहा जाता है। यहां विभिन्न भाषाई समूहों, समुदायों और संस्कृति के लोग रहते हैं। एक दशक पहले तक सभी समुदायों के लोग प्रेम के साथ मिलकर रहते थे। इन लोगों का दमनकर्त्ताओं, लोकतंत्र विरोधी प्रवृत्तियों का मुकाबला करने का पुराना इतिहास रहा है। उत्तर बंगाल के प्राकृतिक संसाधनों, जल संसाधनों, चाय बागानों पर देश को गर्व है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत सरकार ने देश के इस क्षेत्र के लिये पर्याप्त काम नहीं किये। पश्चिम बंगाल में 1977 में जब वाम मोर्चे की सरकार आयी तो सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया और तीन स्तरों वाली पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई।

इसके परिणामस्वरूप पिछड़े समुदायों का उत्थान किया गया था। उन्हें सामाजिक-राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र की मुख्य धारा में लाया गया था। विश्व भर में यह एक अपवाद है, इसलिए विभिन्न प्रतिक्रियावादी ताकतें और साम्राज्यवादी शक्तियों का ध्यान पश्चिम बंगाल पर होना स्वाभाविक है। एक समय जी.एन.एल.एफ. ने राज्य का विभाजन करने का प्रयास किया था परन्तु लोगों के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका। पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों में अशांति फैलाने का पुनः प्रयास किया जा रहा है। बंगाल के कुछ उत्तरी और पश्चिमी जिलों में विद्रोही गतिविधियां देखने में आई हैं। के.एल.ओ., पी.डब्ल्यू.जी. नक्सली, एम.सी.सी. उत्तरी बंगाल, पश्चिम मिदनापुर, बांकुरा और पुरूलिया में सक्रिय हैं। भूटान की शाही सेना ने दिसम्बर, 2003 में आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध सफलतापूर्वक कार्यवाही की थी। के.एल.ओ. उल्फा, एन.डी.एफ.बी. आदि जैसे अनेक संगठनों का सफाया कर दिया गया था। परन्तु यह स्पष्ट है कि उनका हमारे पड़ोसी देशों के साथ संपर्क है। पश्चिम बंगाल सरकार ने विद्रोहियों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं। जलपाईगुड़ी में 'आपरेशन नव दिशा' में 1200 विद्रोहियों को शामिल किया गया है। पुरुलिया, बंकुरा जैसे जिलों में विद्रोह को सख्ती से कुचल दिया गया है। पड़ोसी राज्यों को आतंकवाद समाप्त करने हेतु आगे आना चाहिए और केन्द्रीय सरकार को भी सावधान रहना चाहिए। केन्द्रीय सैन्य बलों को आतंकवाद और विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में पुनः नियुक्त किया जाना चाहिए। हाल ही में, 15 अप्रैल को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आतंरिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था पर सम्मेलन में भाग लिया था। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने इसमें विद्रोह का मुद्दा उठाया था।

पाकिस्तान की आई.एस.आई. भारत में शांति प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना चाहती है। हमारा राज्य भी नेपाल की माओवादी गतिविधियों से प्रभावित हो रहा है। भारत-नेपाल सीमा पर्वतीय क्षेत्र है और कटीले तारों की बाड पर्याप्त नहीं है। इसलिए इस क्षेत्र में बी.एस.एफ. की तत्काल नियुक्ति की जाए।

आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में पुलिस बलों का आधुनिकीकरण अत्यावश्यक हो गया है। आधुनिक हथियारों के साथ-साथ बारूदी सुरंग-रोधी गाड़ियों और संचार सुविधाओं की आवश्यकता है। विद्रोह की समस्या से निपटने हेतु पुलिस को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को एक शक्तिशाली पुलिस बल के गठन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार को केन्द्र द्वारा वित्तपोषित व्यापक बीमा योजना आरंभ करना चाहिए जिससे कि आतंकवादियों द्वारा मारे गए पुलिककर्मियों के परिवारों को मदद दी जा सके। सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी चौकस रहना चाहिए। भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में औरतों को गैर-कानूनी ढंग से खरीदा और बेचा जा रहा है। नेपाली और भारतीय पुलिस इस समस्या से निपटने में असफल रही हैं। 1947 से मेरे कूच बिहार जिले से लगे हुए लगभग 174 विदेशी अंत:क्षेत्र (एन्कलेव) हैं, बांग्लादेशी

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्रीमती मिनाती सेन]

भारत में रह रहे हैं और भारतीय बांग्लादेश में इस समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए।

दुआर में फर्जी भूटानी मुद्रा प्रचलन में है। इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने हेतु कठोर उपाय करने होंगे। केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तरी बंगाल के जिलों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए। भारत का सार्क देशों के साथ व्यापारिक संबंध हैं। दार्जिलिंग मेल के लिए पारलियालिपुर और चिलहटी के रास्ते मार्ग खोला जाना चाहिए। चीन के साथ नाथुला पास से व्यापारिक संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। बांग्लादेश के साथ वार्ता करके टेन्टनलिया गलियारा खोला जाना चाहिए।

महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद मैं अपनी पार्टी की ओर से गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपके पास पांच मिनट का समय है, चूंकि आपकी पार्टी के लोग काफी समय ले चुके हैं और आज दूसरी डिमाण्ड साइंस एण्ड टेक्नोलोजी की भी हमारे सामने है।

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): मैं पांच मिनट में समाप्त करने की कोशिश करूंगा।

सभापति महोदय: और जो स्पीकर्स हैं, उनका समय आप में निहित कर दिया जाएगा। अभी आपकी पार्टी में सात से ज्यादा स्पीकर्स बचे हैं।

[अनुवाद]

श्री निखिल कुमार: महोदय, चालू वित्त वर्ष के बजट में गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इससे पहले कि मैं आगे बोलूं, मैं यह कहना चाहूंगा कि आप जितना भी समय मुझे देंगे, उसमें मैं देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति और हमारी आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में लगे सुरक्षा बलों, विशेषरूप से पुलिस द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका की संक्षिप्त रूप से समीक्षा करूंगा।

सबसे पहले, देश सीमा पार से आतंकवाद और जम्मू-कश्मीर की स्थिति के कारण गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। परन्तु यह खुशी की बात है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अराजकता की घटनाओं में कमी आई है। सुरक्षा बल कर्मियों और नागरिकों की हत्या की घटनाओं में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। निस्संदेह, यह केन्द्र सरकार द्वारा पाकिस्तान के साथ शांति प्रक्रिया के संबंध में अपनाई जा रही नीति के कारण हुआ है। इसके लिए मैं केन्द्र सरकार, विशेषरूप से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष को बधाई देता हूं।

यद्यपि, मैं यह जानता हूं कि शांति प्रक्रिया मुख्यत: केन्द्र सरकार की पहल पर चल रही है, तथापि, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि खेलों अर्थात् क्रिकेट ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्रिकेट ने बड़े पैमाने पर लोगों का आपस में संपर्क कराया है। हाल ही में समाप्त हुई भारत-पाकिस्तान टैस्ट श्रृंखला को देखने आए हमारे पाकिस्तानी दर्शक यह प्रभाव लेकर वापस गए होंगे कि भारत का आम आदमी पाकिस्तान के साथ शांति चाहता है। यह पाकिस्तानी जनता और पाकिस्तान की सरकार को भारत के प्रति अपनी नीति के निर्धारण करने में प्रभावित कर सकता है। मैं शांति प्रक्रिया, विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तान के राष्ट्रपति से की गई वार्ता की गहराई में नहीं जाना चाहता, परन्तु हम सब हमारे प्रधानमंत्री द्वारा उल्लिखित एक निर्णायक समझौते की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं सरकार को कुछ मुद्दों के विषय में सावधान करूंगा।

सर्वप्रथम, आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान में प्रशिक्षण शिविर अभी तक चल रहे हैं। वास्तव में, अंतिम सूचना यह थी कि पाकिस्तान में प्रशिक्षण शिविरों की संख्या बढ़ गई है और यह बढ़कर लगभग दोगुनी हो गई है। पाकिस्तान के साथ चर्चा करते समय इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

दूसरी बात यह है कि भारत में सक्रिय आतंकवादियों को हवाला के माध्यम से धन मुहैया कराने का कार्य अभी तक जारी है। हवाला लेन-देन के माध्यम से भारत में आने वाली धनराशि बहुत अधिक है। मैं, नहीं जानता कि भारत सरकार क्या कार्यवाही करने की योजना बना रही है परन्तु निश्चित रूप से हम हवाला के माध्यम से धन उपलब्ध कराने वाले ज्ञात स्रोतों पर विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों का प्रयोग और अपने आसूचना और सतर्कता प्रयासों को बढ़ावा देकर कार्यवाही कर सकते हैं।

तीसरे, भारत में, विदेशों में प्रशिक्षित आतंकवादियों की मौजूदगी बनी हुई है जैसा कि दिल्ली में हाल ही में हुई घटना से पता चलता है जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकवादी मारे गए थे। इस पहलू को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है और हम पाकिस्तान के साथ हमारे शांति प्रयासों में विनयशील नहीं रह सकते। केन्द्र सरकार पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता कर रही है और इसमें उसे जम्मू-कश्मीर सरकार का समर्थन मिल रहा है, परंतु वास्तविकता यह है कि घाटी में कुछ अलगाववादी संगठन हैं अत: उनकी गतिविधियों और संपर्कों पर कड़ी निगरानी रखना आवश्यक है। आतंकवाद विषय पर चर्चा करते समय हमें आतंकवाद

से प्रभावी रूप से निपटने में सुरक्षा बलों को सक्षम बनाने में कानून के महत्व को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं यह भी कहूंगा कि बैंक जैसे संस्थानों और अन्य ऐसे संगठनों और व्यक्तियों से भी जानकारी प्राप्त करने और स्पष्ट रूप से राष्ट्र-विरोधी संदेशों को वैध रूप से पकड़ने के लिए केन्द्र सरकार कानूनी प्रावधानों की जांच करने की आवश्यकता पर विचार करे। हमारे कानूनी तन्त्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर ध्यान देते हुए भारत सरकार द्वारा इन दो पहलुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी।

महोदय, विदेशी और दूसरे आतंकवादियों के विरुद्ध बहुत से आपराधिक मामले न्यायालय में लंबित हैं और ऐसे मामले बहुत समय से चल रहे हैं। विचार यह था कि इन मुकदमों में तत्काल निर्णय दिया जाए। इन मामलों का निपटान शीघ्र किया जाए किन्तु दुर्भाग्यवश, हमारी सद्भावना के विपरीत, मुकदमें चल रहे हैं और किसी न किसी के लिए ऐसे मुकदमों के लगातार लंबित रहने के कारणों पर तत्काल और गहन दृष्टि डालना बहुत आवश्यक है। इसे जितनी जल्दी किया जाए उतना ही अच्छा है क्योंकि इससे आतंकवादियों के मनोबल पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, अब मैं वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर आता हूं। इसके विषय बहुत कुछ कहा गया है। मैं केवल एक आश्चर्यजनक तथ्य का उल्लेख करना चाहता हूं। केन्द्र में एक के बाद एक सभी सरकारों ने तथा राज्य सरकारों ने भी यह घोषणाएं की कि वे इस चुनौती से गंभीरता से निपटना चाहती हैं। परन्तु साथ ही उनके दृष्टिकोण निश्चित रूप से बहुत ढुल-मुल हैं। कभी वे विचार-विमर्श करते हैं और अगले ही क्षण वे यह निर्णय लेते हैं कि युद्ध विराम नहीं होगा और उग्रवादियों के विरुद्ध पूर्ण सैन्य कार्यवाही की जाएगी। आवश्यकता इस बात की है कि एक समन्वित केन्द्रीयकृत नीति कार्य रेखा का निर्माण किया जाए और वामपंथी उग्रवाद से पीड़ित सभी राज्यों द्वारा उसका अनुपालन किया जाए।

महोदय, मैं आश्चर्यजनक आंकड़ों के विषय में बात कर रहा था। आरंभ में 1947-48 में इस प्रकार का उग्रवाद तेलंगाना क्षेत्र, जो कि निजाम शासन के अधीन था, में देखा गया और वहां पर बहुत अधिक दमन था। वामपंथियों की सहायता से वहां के किसानों ने हथियार उठा लिए और पांच वर्षों तक यह उपद्रव चलता रहा। बाद में यह बड़े स्तर पर फैल गया। यह तेलंगाना क्षेत्र, वामपंथी उग्रवाद से बुरी तरह प्रभावित हुआ। वहां से, मैं एकदम 1998 पर आता हूं। जब तत्कालीन सरकार ने गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय केन्द्र की स्थापना की थी। यह आशा की गई थी कि यह समन्वय केन्द्र आसूचना के संग्रहण और उनके प्रसार दोनों में समन्वय स्थापित करने और संयुक्त रूप से कार्य करने में भी सक्षम होगा। किन्तु आश्चर्यजनक आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि उस समय देश में इस प्रकार के उग्रवाद से प्रभावित कुल जिलों की संख्या 95 से 96 के लगभग थी।

15 जून, 1998 को समन्वय केन्द्र की स्थापना से छः वर्ष से अधिक समय में जून, 2004 तक वापंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की कुल संख्या 157 हो गई थी और यह संख्या बढ़ती जा रही है। मुझे इस तथ्य की जानकारी है कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में हो रही घटनाओं से भारत के नेपाल से लगे राज्य भी वापंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। वे लोगों को अपनी विचारधारा से प्रभावित कर रहे हैं। यद्यपि इन जिलों से बहुत अधिक घटनाओं के बारे में नहीं पता चला है परंतु वहां आतंकवादियों की सीमापार काफी गतिविधियां चल रहीं हैं। वे यहां आते-जाते रहते हैं क्योंकि नेपाल और भारत सीमा में चौकसी नहीं है। यह आशा की गई थी कि स्पेशल सर्विस ब्यूरो फोर्स की तैनाती से सीमा पार गतिविधियों पर कुछ नियंत्रण होगा। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। गृह मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि देखें ऐसा नहीं हुआ है। यदि स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो के कार्मिकों को कुछ मदद और मार्गदर्शन चाहिए तो उन्हें यह दिया जाना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये लोग केवल इसी उद्देश्य के लिए नहीं है। ये वे पुलिसवाले हैं जिनका बिल्कुल अलग प्रकार का कार्य है परन्तु सुरक्षा बलों की कमी के कारण उन्हें यह कार्य करना पड़ रहा है। अतः यदि हम भारत-नेपाल सीमा पर प्रभावी ढंग से कर्मियों की नियुक्ति करने के लिए गंभीर है तो हमें उनके प्रशिक्षण, दृष्टिकोण और रहने की स्थिति पर विचार करना चाहिए।

वामपंथ उग्रवादियों का सुरक्षा बलों और उनके ठिकानों पर हमला करने का सबसे आम तरीका तात्कालिक विस्फोटक यन्त्र का प्रयोग करना है और वे इसे आई ई डी के नाम से पुकारते हैं और उसे विशेषकर रिमोट कन्ट्रोल प्रणाली की सहायता से चलाते हैं। दुर्भाग्यवश, आवश्यक जागरूकता और मंशा के बावजूद भी हम कोई प्रभावी आई.ई.डी. रोधी प्रभावी अथवा यन्त्र नहीं बना पाएं हैं। मुझे उस बात की जानकारी है कि उस क्षेत्र में काफी अनुसंधान किए गए हैं। फिर भी हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि इस जोखिम का सामना करने के लिए क्या प्रभावी तरीका हो सकता हैं। मैं यह विनम्र निवेदन करूंगा कि इस विषय पर गहरे अनुसंधान की आवश्यकता है और जब तक यह नहीं किया जाता हम सुरक्षा बलों को उस प्रकार की सुरक्षा नहीं दे पाएंगे जिनकी उन्हें आपने कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए आश्यकता है।

इस देश को तीसरा खतरा संगठित अपराध से है। मैंने, हमें किए गए दस्तावेजों को देखा था जिसमें बजट प्रस्ताव शामिल थे। मुझे लगा था कि संगठित अपराध के इस महत्वपूर्ण विषय ने

[श्री निखिल कुमार]

कुछ ध्यान आकर्षित किया होगा परन्तु इस दस्तावेज को पढ़ने से मुझे यह महसूस हुआ कि ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें इसका कहीं भी कोई विशेष उल्लेख नहीं है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि संगठित अपराध अब लगभग पूरे देश में फैल रहा है। जैसा कि पहले जाना जाता था यह केवल देश के विकसित नगरों और महानगरों जैसे मुम्बई तक ही सीमित नहीं है परन्तु अब इसने अपना जाल देहातों में भी फैला लिया है। जो लोग विदेशों में कार्य करते हैं वे इस स्थिति में हैं कि वे देहातों या उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी अपने कार्यकर्त्ताओं के संपर्क में हैं। विशेषकर बिहार में, नेपाल और बंग्लादेश दोनों देशों से सीमा पार से अपने कर्मियों से सम्पर्क बनाना बहुत आसान है। मेरे विचार में संगठित अपराध को अत्यंत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मैं एक बार पुन: इस संबंध में एक अत्यंत कड़ा कानून, एक कानून व्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर जोर दूंगा और इस उद्देश्य हेतु शीघ्र कार्य किया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं पुलिस की छवि के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। पुलिस की सांविधिक शक्तियां पुलिस अधिनियम, 1861 में निहित हैं जो 151 वर्ष पुराना हो गया है।

यह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। लगभग अस्सी वर्षों तक भारतीय पुलिस ने अंग्रेज सोच के अनुसार कार्य किया। भारतीय पुलिस ने आजादी के बाद भी अंग्रेजों के इसी सोच को अपना रखा है जिसका कुछ समय पहले हमारे एक माननीय सहयोगी ने उल्लेख किया था। हमें आशा थी कि आजादी के बाद यह सोच बदलेगी। परन्तु यह सोच नहीं गई है। यह हमें अभी भी परेशान कर रही है। पुलिस को मुख्यत: शिकायतें दूर करने वाली मशीनरी अथवा तन्त्र माना जाता है। लोग पुलिस के पास अपनी समस्याएं या शिकायतें दूर करने आते हैं। वे सहानुभूतिपूर्ण, सकारात्मक और मददपूर्ण रवैये की उम्मीद करते हैं। परन्तु उन्हें यह सब नहीं मिलता। इसकी बजाय पुलिस की स्पष्टवादी छवि नहीं है। क्या है वह छवि? वह छवि यह है कि वह शोषितों का पक्ष नहीं लेती और वह कुछ ही लोगों के लिए कुशल है। यह ईमानदारी इत्यादि के उच्च स्तर को बनाए रखने के संबंध में अत्यंत उत्साही नहीं है। हमें पुलिस की छवि सुधारने की आवश्यकता है। पुलिस की छवि नहीं सुधारेगी जब पुलिस के कार्यकरण में सुधार होगा। अन्य देशों की पुलिस बल की तुलना में हमारे देश के पुलिस बल में लक्ष्य की कमी है। पुलिस के लिए हमारे देश में कोई लक्ष्य नहीं है। जब हम पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करते हैं तो चाहे वह किसी भी पद पर हो, कांस्टेबल के पद पर या किसी उच्च पद पर हम उन्हें यह नहीं बताते कि उनके समक्ष क्या लक्ष्य है। हम उन्हें यह नहीं बताते कि उन्हें किस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। अत: किसी प्रकार का लक्ष्य विवरण होना चाहिए। संसार के अत्यधिक विकसित देशों में कुछ के पुलिस बल के पास लक्ष्य विवरण है। इंग्लैंड, अमेरिका और हैदराबाद की हमारी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पास भी एक है। हमारे देश का पुलिस बल अपना स्वयं का लक्ष्य विवरण बनाने में संभव क्यों नहीं है। इस विवरण में स्पष्ट रूप से यह बताया जाना चाहिए कि उन्हें वास्तव में क्या करना है।

सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं लंदन पुलिस के "स्टेटमैन्ट आफ अवर कामन परपज एण्ड वैल्यूज" से एक उद्धरण पढ़ूंगा। उसमें कहा गया है कि:-

> "महानगरीय पुलिस सेवा का उद्देश्य कानून को पूर्ण रूप से और मजबूती से बनाए रखना, अपराधों को रोकना, कानून को तोड़ने वालों को न्याय की यह पर लाना और बनाए रखना, 'क्वीन'स पीस' बनाए रखना, लंदन के लोगों की रक्षा करना, मदद करना और उन्हें पुन: आश्वस्त करना और इन सब कार्यों को ईमानदारी, सहज बुद्धि और सही न्याय निर्णय से करना। हमें सहानुभूतिशील, शिष्ट और सहनशील होना चाहिए और बिना किसी डर या पक्षपात अथवा अन्यों के अधिकारों के बिना किसी पूर्वाग्रह के कार्य करना। हिंसा के दौरान हमें पेन्टोवर, शांत और निर्यंत्रित रहना है और अपने कानूनी कर्त्तव्य को पूरा करने के लिए हमें केवल वही बल लागू करना चाहिए जो आवश्यक है।"

हमारे पुलिस बल को यह आत्मसात्व करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ है। मैं माननीय गृह मंत्री से आवेगपूर्ण याचना करूंगा कि वे हमारी तालिका में लक्ष्य विवरण शामिल करने पर विचार करें जो पुलिस बल के सभी पदों पर लागू हो ताकि जैसे ही वे पुलिस बल में शामिल हों उन्हें ठीक-ठीक पता हो कि उन्हें किस प्रकार का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसके बिना पुलिस बल की जो छवि आज है मुझे नहीं लगता कि इसमें कभी सुधार होगा।

यदि पुलिस की छवि में सुधार नहीं होगा तो हमारी आंतरिक सुरक्षा की स्थिति नहीं सुधरेगी। मेरा यह वक्तव्य काफी गंभीर है। लेकिन मैं पूरी जवाबदेही से यह कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्रालय की वर्ष 2005-06 की अनुदान मांगों की चर्चा पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। गृह मंत्रालय के मौजूदा बजट में इस वर्ष 17,853 करोड़ 87 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। हमारे बहुत से पड़ोसी देश हैं, जैसे बंगलादेश, जिसे इस हिन्दुस्तान ने आजाद कराया था, बंगलादेश-भारत सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए 631.65 करोड़ रुपये की

व्यवस्था की गयी है। दूसरी तरफ भारत-नेपाल सीमा की निगरानी के लिए इस वर्ष के बजट में 532.75 करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ है। वह हमारा पड़ोसी देश है जहां जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वहां सीमा की सुरक्षा और अन्य सुरक्षा से संबंधित सामग्रियों पर इतने करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, उससे अच्छा होता कि अगर भारत, बंगलादेश और पाकिस्तान एक महासंघ बनता, तो मेरे ख्याल से जो पैसे खर्च हो रहे हैं जैसे पाकिस्तान की सीमा पर 233.05 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, उसमें कुछ कमी होती।

इसी प्रकार भारत-नेपाल सीमा और भारत-बंगलादेश की सीमा पर मेरे ख्याल से इन देशों का विकास भी होता है और वहां पर जो नौजवान भ्रमित हैं, जो रोजगार की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं और बेरोजगारी की समस्या भी वहां पर है, यही कारण है कि आज वहां का नौजान शस्त्र लेकर उग्रवाद की ओर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा के लिए वर्तमान सरकार ने 44 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की है जो बिल्कुल नगण्य है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि चूंकि कुछ राज्य और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, उत्तर प्रदेश में केवल 25 प्रतिशत आपने धन देने की व्यवस्था की है। मैं चाहूंगा कि इस धनराशि को 50 प्रतिशत बढ़ा दिया जाए ताकि वहां पर होम गार्ड की पुलिस या सुरक्षा कर्मी की दयनीय स्थिति में कुछ सुधार हो सके।

इसी प्रकार से कम्प्यूटरीकरण के लिए नागरिक सुरक्षा में 1,20,000 स्वयंसेवक यू.पी. में काम कर रहे हैं। वहां का बजट बहुत कम है। इसे बढ़ाने की जरूरत है। पुलिस में विभिन्न मदों के लिए आपने 14,772 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मैं गृह मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि पुलिस के आधुनिकीकरण और योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों से केन्द्र सरकार राज्य सरकार को पूरी धनराशि नहीं दे रही है जिसमें केवल केन्द्र की पहली धनराशि के रूप में आपने केवल 85.7 करोड़ रुपया दिया है। अभी भी 38.08 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश सरकार को देने शेष हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह जल्दी ही इस धनराशि को देने की व्यवस्था करें। हमारे गृह राज्य मंत्री जी मुस्करा रहे हैं। जब कभी भी आप प्रदेश के दौरे पर जाते हैं तो यही कहते हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): मैं मुस्करा इसलिए रहा हूं क्योंकि आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तो भेजते नहीं हैं और फिर पूरा पैसा मांग रहे हैं। अब मैं मुस्कुराऊं नहीं तो क्या करूं? ...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: इन योजनाओं के बारे में मैंने गृह मंत्री जी से कहा है कि ये केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी हुई हैं। मैं चाहूंगा कि इस धनराशि को अगर आप स्वीकृत कर देंगे तो कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो जाएगी।

जहां तक पुलिस की व्यवस्था का संबंध है, आज आप देखें कि पुलिस की गाड़ियों की हालत बहुत ही जर्जर है। किसी मुल्जिम को अगर पकड़ने के लिए जाते हैं तो कभी-कभी थानाध्यक्षों को ऐसी गाड़ी मिलती है कि बिल्कुल धक्का परेड गाड़ी होती है जिसमें मुल्जिम भाग जाता है लेकिन पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाती है। टेलीफोन की व्यवस्था तमाम थानों में नहीं है। मैं चाहूंगा कि धन की अगर आप व्यवस्था करा दें तो टेलीफोन, मोबाइल फोन और वायरलैस सैट की सभी थानों में अच्छी व्यवस्था हो जाए तो मेरे ख्याल से कानून और व्यवस्था की स्थिति में इससे काफी सुधार आएगा। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में नैक्सेलाइट एरिया, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली हैं, वहां के लिए भी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत सरकार के व्यय पर भेज देंगे तो मेरे ख्याल से इन जिलों में जो नैक्सेलाइट गतिविधियां हैं, उन पर रोक लगेगी। इस संबंध में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कार्य योजना भेजी है। दूसरी तरफ जो हमारे अर्ध-सैनिक बल हैं जिनके लिए आपने बहुत सारे धन की व्यवस्था की है, मैं चाहूंगा कि अर्ध-सैनिक बल में जो हमारे सैनिक हैं, इन्हें भी इसी प्रकार से सुविधाएं दी जाएं, जैसे सेना और सीमा सुरक्षा बल के बारे में जो हमारे सम्मानित सदस्यों ने तमाम सिफारिशें और बातें कही हैं।

महोदय, मेरे विचार से साम्प्रदायिक शक्तियों और फासिस्ट ताकतों, जो दंगे करवाती हैं, से निपटने के लिए साम्प्रदायिकता निरोधक आयोग बनना चाहिए जिसमें विचार-विमर्श करके और आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराकर हम इन फासिस्ट ताकतों से लड़ने में कामयाब हो सकें।

मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में रहने वाली पासी जाति एक बहुत ही बहादुर कौम है। माननीय गृह राज्यमंत्री जी इसे जानते हैं। अगर उनकी एक रेजिमेंट बनाई जाए तो मेरे ख्याल से सेना या तमाम सशस्त्र बलों में इनकी अहम भूमिका होगी। पासी बिरादरी के तमाम नौजवान थानों में और गांवों में चौकीदार के रूप में काम करते हैं। आज उनको जो मानदेय दिया जाता है वह बहुत ही कम है, जबकि पड़ोसी राज्य बिहार में चौकीदारों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित किया गया है और उनको उसी अनुरूप वेतन दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में केवल मानदेय के रूप में बहुत कम धन दिए जाने की व्यवस्था है। इसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब है।

जहां तक भारत और नेपाल सीमा के प्रभावी प्रबंधन हेतु कार्ययोजना बनाने की बात है, इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

ने एक योजना आपके पास भेजी है। जैसा कि अभी बसपा के हमारे साथी माननीय सदस्य ने बताया कि नेपाल के जो माओवादी संगठन और उग्रवादी हैं, वे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते जा रहे हैं। चूंकि यह राज्य नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ राज्य है, इसलिए उस योजना पर आप गंभीरता से विचार करेंगे तो मेरे ख्याल से हम उग्रवाद पर काबू पा सकेंगे। मैं यह कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के पास जितनी भी परियोजनाएं लम्बित हैं, यदि आप यथाशीघ्र उनके लिए आवश्यक धन मुहैया करा देंगे तो प्रदेश सरकार उग्रवाद और अन्य अव्यवस्थाओं पर काबू पा सकेगी।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सभापति महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो, मैं आगे आकर अपनी बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय: नहीं-नहीं, आप अपने स्थान से ही बोलिए।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): अपने स्थान से ही बोलिए। आसन बहुत सख्त है।

श्री राम कृपाल यादव: सभापति महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इतने गंभीर विषय पर बोलने की मुझे अनुमति दी है। मैं गृह मंत्रालय की अनुदान मांग का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि हमारे साथी श्री रघुनाथ झा जी ने अभी कहा कि आसन सख्त है और आप समय पर घण्टी बजा देंगे और हमें बैठना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आप जल्दी घण्टी न बजाएं और मुझे बोलने का अधिक समय दें।

सभापति महोदय: आसन अपना काम करेगा, आप अपना काम कीजिए। अपना भाषण जारी रखिए।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, देश के एक बड़े हिस्से में, कई प्रदेशों में उग्रवाद बढ़ता ही जा रहा है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि कई ऐसे राज्य हैं जहां उग्रवाद अपने पांव फैला रहा है। मैं माननीय गृहमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि देश की आजादी के 57 सालों बाद भी आज तक हम अगर उग्रवाद जैसी समस्या का निपटारा नहीं कर पाए हैं तो यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है। पूरा सदन इस पर चिन्तित है। क्या कारण हैं कि हम उग्रवाद पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? हमें इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। सरकारें हमेशा इसके लिए प्रयास कर रही हैं कि उग्रवाद पर कंट्रोल किया जा सके, लेकिन सरकार की ओर से जिस तरह से प्रयास किये जा रहे हैं, उसी तरह से उग्रवाद का विस्तार भी होता जा रहा है।

महोदय, झारखण्ड राज्य, जो पहले बिहार राज्य का एक भाग हुआ करता था, आज पूरी तरह से उग्रवाद की गिरफ्त में चला गया है। आंध्र प्रदेश की चर्चा पूरे देश के पैमाने पर हो रही है कि ये उग्रवादी वहां से हथियार चलाने और दूसरी तरह की ट्रेनिंग लेकर दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। खासतौर पर, जिस बिहार प्रदेश से मैं आता हूं, वहां की स्थिति बड़ी खराब है। धीरे-धीरे पूरे राज्य में उग्रवाद फैल रहा है। मैं बिहार के पटना जिले से आता हूं, वह इलाका भी उग्रवाद से प्रभावित है। इसी तरह मध्य बिहार के औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, गया, नवादा, सासाराम, रोहतास और उत्तर बिहार के भी कई जिले उग्रवाद से प्रभावित हैं। अभी कई माननीय सदस्यों ने नेपाल के आसपास जो हमारा इलाका है, उसकी चर्चा की और आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। नेपाल में माओवादी बढ़ रहे हैं। लगभग पूरा नेपाल उनके कब्जे में हो गया है। वहां रोज हिंसा हो रही है और हजारों सैनिक मारे गए हैं।

नेपाल से सटा हुआ हमारा बिहार का इलाका है। रक्सौल, मोतीहारी, बगहा, शिवहर और सीतामढ़ी आदि जिले नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। भारत और नेपाल का चोली-दामन का साथ है। हमारा और उनका कल्चर एक है। हमारे और उनके बीच वैवाहिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि सभी स्तर के संबंध हैं। नेपाल का सीधा असर भारत पर होता है और भारत का सीधा असर नेपाल पर होता है। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात बाद में करूंगा। नेपाल के माध्यम से बिहार में बड़े पैमाने पर ट्रेंड उग्रवादी आकर छिप रहे हैं। वहां से बड़े पैमाने पर हथियार सप्लाई हो रहे हैं और अन्य सामानों की तस्करी हो रही है। यह एक चिंता का विषय है। बिहार इससे काफी प्रभावित हो रहा है।

जब बारिश होती है तो पूरे तौर पर वहां रास्ता बंद हो जाता है। वहां सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक सीमा के इलाके में सड़क की व्यवस्था आप नहीं करेंगे, ठीक ढंग से सुरक्षा नहीं दे सकते और उग्रवादी तथा माओवादियों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि वहां सड़क का निर्माण कराया जाए। इससे नेपाल और बिहार की सीमा पर ठीक ढंग से सुरक्षा व्यवस्था हो सकेगी। आपने वहां पर एसएसबी को तैनात कर रखा है और वह वहां काम कर रही है। मगर स्थिति यह है कि उसके कई लोग माओवादियों के साथ सांठगांठ करने में लगे हुए हैं। एसएसबी एक कमजोर फोर्स है। उसने वहां सरंडर कर दिया है। उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए किसी दूसरी तरह की फोर्स की तैनाती आपको उस बोर्डर इलाके में करनी पड़ेगी और आने-जाने का मार्ग बनाना पड़ेगा।

श्री रघुनाथ झा: आप बौर्डर रोड की बात कर रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव: उसकी मांग मैंने पहले ही कर दी है। जब तक आप बोर्डर रोड नहीं बनाएंगे, तब तक माओवादी उग्रवादी, हथियारों की सप्लाई जो इधर हो रही है, उस पर कदापि नियंत्रण नहीं पा सकेंगे।

मैं बता रहा था कि क्या कारण है कि उग्रवाद इतने बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। उसके तथ्यों की जानकारी लेनी होगी। मैं बता रहा था कि आजादी के 57 वर्ष के बाद भी अगर कोई भूखा रहेगा, बेरोजगारी रहेगी, गरीबी और फटेहाली में कोई रहेगा, उसके गांव और घर का विकास नहीं होगा, उसका हक मारा जाएगा, तो वह फिर उग्रवाद के रास्ते पर चलने को मजबूर हो सकता है।

अब जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई है। पहले एक-एक व्यक्ति के पास हजारों एकड़ जमीन हुआ करती थी। वह मजदूरों को गुलाम बनाकर उनका शोषण करने का काम करता था। सिर्फ खाना देकर उनसे काम कराता था। लेकिन धीरे-धीरे लोगों में जागृति आई।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया समय का भी ख्याल रखें।

श्री राम कृपाल यादव: मैंने पहले ही कहा था कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मुझे बोलने का थोड़ा ज्यादा समय दिया जाए। अभी तो मुझे सिर्फ दो मिनट ही हुए हैं।

सभापति महोदय: कितने मिनट हुए हैं, यह आप नहीं जानते। यह रिकार्डेड है। आप अपनी बात कहें।

श्री राम कृपाल यादव: मैं निवेदन कर रहा था कि बिहार के इलाके में उग्रवाद को खत्म करने के लिए हमें लोगों को जोड़ना होगा। लोगों का जब तक विकास नहीं होगा, आर्थिक प्रगति नहीं होगी, नक्सलवाद बढ़ता जाएगा। कोई भी गरीब आदमी नहीं चाहता है कि वह हथियार उठाए लेकिन उनकी रोजी-रोटी का प्रश्न है। इसलिए मेरा आग्रह है कि माननीय मंत्री जी इस समस्या की ओर ध्यान दें। माननीय गृह मंत्री जी एक अनुभवी राजनेता हैं, स्पीकर की कुर्सी पर भी सुशोभित हो चुके हैं, उन्होंने स्पीकर की कुर्सी भी संभाली है। इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि ऐसे इलाकों के लिए आप विशेष तौर पर से पैकेज दें। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के ऐसे इलाकों के लिए आप विशेष रूप से सहायता करें। आंध्र प्रदेश जहां उग्रवाद की जड़ है या जो देयरा का इलाका है, टाल का इलाका है, वहां विकास के लिए पैसा दीजिए। माननीय मंत्री जी बहुत सैनसिटिव हैं, अनुभवी हैं और निश्चित तौर पर वह इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे।

महोदय, चिंता का विषय है कि अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है और अपराध धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं और यह बढ़ोत्तरी आपके ही आंकड़े बता रहे हैं। कारण क्या है कि अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अपराधों के बढ़ने का कारण है कि बिहार में, पिछड़े जो इलाके हैं वहां संसाधनों की कमी है, पुलिस बल की कमी है, पुलिस के पास हथियारों की कमी है। उग्रवाद प्रभावित इलाकों में जहां उग्रवादियों के पास एके-47 जैसे हथियार हैं वहां हमारी पुलिस के पास गाड़ियां नहीं हैं, वायरलैस नहीं है, थाने नहीं हैं, हथियारों की कमी है और मुश्किल से गश्त हो रही है। ऐसी हालत में वह उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे और अपराधों पर नियंत्रण कैसे होगा? इसलिए विभिन्न राज्यों से आपके पास पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए मांग आती रही है। आप राज्यों को पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए पैसा दीजिए, जिससे पुलिस प्रशासन चुस्त-दुरूस्त हो सके, अपराधियों से लड़ सके और अपराधों पर कंट्रोल कर सके।

महोदय, बिहार बाढ़ और सूखा से ग्रसित रहता है और उसे इसके कारण हजारों करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। नेपाल से बाढ़ आती है और हमारी सड़कें, रेल, पुलि-पुलिया सब नष्ट हो जाती हैं। इसलिए आप कुछ विशेष उपाय बिहार के लिए निकालिये। दूसरे प्रदेशों में सुनामी लहर जैसी विभीषिका आ रही है। इसलिए ऐसी चीजों को कंट्रोल करने के लिये कुछ व्यवस्था वैज्ञानिक ढंग से करने का काम करें।

माननीय सभापति जी, बिहार में राष्ट्रपति शासन है, केन्द्र का शासन है लेकिन राज्यपालों की भूमिका पर बहुत चर्चा हो रही है और यह भी चिंता का विषय है। राज्यपाल का पद संवैधानिक और बहुत महत्वपूर्ण पद है। राज्यपाल केन्द्र और राज्यों के बीच कोआर्डिनेटर का काम करता है। राज्यपाल केन्द्र की आंख और कान होता है। अगर वह पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर किसी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने लगे और कहने लगे कि पूर्व की सरकार ने गैर-संवैधानिक काम किया तो क्या होगा? जबकि पूर्व की सरकार लोकप्रिय सरकार थी, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी। उस प्रदेश का राज्यपाल इस तरह की बातें करे तो क्या यह लोकतंत्र बच पाएगा। क्या यह चिंता का विषय नहीं है? क्या राज्यपालों को राजनीति करने के लिए, सत्ता का सुख भोगने के लिए भेजा जाता है। यह परमानेंट अरेंजमेंट नहीं हो सकता है। यह ठीक है कि कोई सत्ता का सुख छोड़ना नहीं चाहेगा लेकिन राज्यपाल कौन होता है यह कहने वाला कि राष्ट्रपति शासन बढ़िया है, उन्हीं का शासन बढ़िया है। इस तरह से लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। इस पर हमें चिंतन और मनन करना होगा। हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी ने बयान दे दिया जोकि चिंता का विषय है। माननीय गृह मंत्री जी, आपको इस पर सोचना होगा, जो उन्होंने कह दिया कि पूर्ववर्ती सरकार ने गैर-संवैधानिक काम

[श्री राम कृपाल यादव]

किया, विकास नहीं हुआ। पता नहीं उनके यहां क्या-क्या कारखाने ट्रांसफर और पोस्टिंग के चल रहे हैं और कई लोग उसमें इंवोल्व हो रहे हैं। वहां होटल में उनके प्रतिनिधियों का दरबार लग रहा है, उसकी आप जांच कर लीजिए। अगर मैं असत्य बोल रहा हूं तो आप जांच करवा लीजिए। यह जांच का विषय है। ...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: विषय से दूसरी बात आप करेंगे तो आपकी बात रिकार्ड में नहीं आयेगी। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: माननीय मंत्री जी, आप इस पर गंभीरता से सोचिये। कभी भी किसी लोकप्रिय सरकार की तुलना राष्ट्रपति शासन से नहीं की जा सकती है और यह स्थाई व्यवस्था भी नहीं है। पहले भी चर्चा हुई थी कि आप वहां लोकप्रिय सरकार के गठन की व्यवस्था करें, उसका प्रयास करें। नियम के तहत जो प्रावधान हैं कि जो सबसे बड़ा दल है, उसको आप आमंत्रित करने का काम करें, उसको मौका दें।

अपराह्न 4.53 बजे

[**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन* हुए]

हमारे जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं वे सबसे बड़े औहदे पर रहते हैं लेकिन आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के पास अंग्रेजों के जमाने की शक्तियां हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री राम कृपाल यादव, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री राम कृपाल यादव: मैं केवल पांच मिनट और लूंगा। मैं केवल पांच मिनट का समय चाहता हूं।

सभापति महोदय: आप पहले ही 15 मिनट बोल चुके हैं।

श्री राम कृपाल यादव: मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं केवल पांच मिनट चाहता हूं। आप बड़े दयालु व्यक्ति हैं।

सभापति महोदय: मैं आपसे भाषण समाप्त करने का अनुरोध करता हूं। आप बड़े अच्छे वक्ता हैं। एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए. अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलना है। उन्हें भी अपना समय लेने दें।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: हमारे भारतीय पुलिस के अधिकारियों के पास अंग्रेजों के जमाने की शक्तियां हैं और पुलिस मैनुअल अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। आज 57 सालों के बाद भी पुलिस मैनुअल हम चेंज नहीं कर रहे हैं और आईएएस और आईपीएस अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर किसी को भी फंसा रहे हैं, छापे मार रहे हैं, जेल में भेज रहे हैं और पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। पुलिस मैनुअल का बेसिक सिद्धांत यह है कि चाहे कोई दोषी बच जाए लेकिन किसी निर्दोष को सजा न हो। यह पुलिस मैनुअल का बेसिक सिद्धांत है। यहां पर माननीय निखिल बाबू, रिटायर्ड डीजी साहब बैठे हुए हैं तथा अन्य जानकार लोग बैठे हुए हैं। आपको इस बारे में भी बताना चाहिए कि पुलिस मैनुअल में बदलाव आना चाहिए। हम सब लोग यहां पर जनता के लिए आये हैं और वह कानून क्या जो जनता का अहित करे। हमारा कल्याणकारी स्टेट है लेकिन आज एमपीज के घर छापे पड़ रहे हैं। हमारे एक सांसद मो. शहाबुद्दीन यहां पर बैठे हुए हैं। उनके घर पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर छापा मारा गया। उन्हें कोई वारंट नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं किया गया। वहां सामान रखा गया। कहा जा रहा है कि एमपी साहब के यहां अवैध हथियार प्राप्त हो रहे हैं। यह एक गलत केस है। गृह मंत्री जी, मैं इस बारे में आपसे संरक्षण चाहता हूं। आप इसके ऊपर ध्यान देने का काम करें और ऐसे अधिकारियों पर अंकुश लगाएं। देश में ऐसे बड़े-बड़े अधिकारी, जो विचित्र मानसिकता के लोग हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए। गृह मंत्री जी बिहार में नक्सलवाद को रोकने के लिए *...* ठीक ढंग से काम करें। बिहार में विकास की धारा जाए।

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद)**:** वहां रणबीर सेना को रोका जाए।

श्री राम कृपाल यादव: इलियास साहब ने ठीक कहा कि वहां रणबीर सेना है। इसके अलावा वहां पीपुल्स वार ग्रुप और एमसीसी है। यह वहां के बड़े पैमाने में जातीय संगठन हैं। उन्होंने भारी उग्रवाद के माध्यम से पूरे बिहार को तहस-नहस करने का काम किया है। आप ऐसी चीजों को कंट्रोल करने के लिए सख्त कदम उठाने का काम करें। मुझे विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री जी दृढ़ विश्वास के साथ ऐसे कदम उठाने का काम करेंगें। राष्ट्रपति शासन का मतलब अफसर का शासन होता है। *...* आप इस पर नियंत्रण लगाने का काम करें और बिहार को न्याय देने का काम करें। मैं यही बात कहते हुए और अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

... अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो भाषण दिया है, उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिकार्ड में जानी चाहिए। कृपया आप निर्देशित करें और उन चीजों को रिकार्ड में न लाएं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यदि कुछ असंसदीय होगा तो उसकी जांच की जायेगी और उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: इसमें अनपार्लियामैंटरी क्या है?

श्री विजय कृष्ण: सभापति महोदय, मैं प्वाइंट आफ इनफार्मेशन के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या अनपार्लियामैंटरी है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: जानकारी देने का सवाल नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सभापति महोदय, मैंने किसी शब्द विशेष पर आपत्ति नहीं की है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभी भाषणों की जांच की जायेगी और यदि उनमें कुछ असंसदीय होगा तो उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जायेगा। यह सामान्य प्रक्रिया है। आप क्यों परेशान होते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सभापति महोदय, मैंने किसी शब्द पर आपत्ति नहीं की है। अगर माननीय सदस्य के भाषण में कोई अनपार्लियामैंटरी शब्द हों तो उसे जरूर निकाल दिया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह हमें तय करना है कि क्या असंसदीय है और क्या आपत्तिजनक हम इसे देखेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: सुश्री महबूबा मुफ्ती के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: आप बहस नहीं कर सकते। इसकी अनुमति नहीं है।

...(व्यवधान)

सुश्री महबूबा मुफ्ती (अनंतनाग): अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करती हूं।

यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि यह नागरिकों की सुरक्षा से संबंध रखता है, विशेषरूप से उत्तर-पूर्व और जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों जैसी स्थिति में जहां यह केवल कानून एवं व्यवस्था का ही प्रश्न नहीं है बल्कि इसका महत्व उससे भी कहीं अधिक है।

[हिन्दी]

हमें खुशी है कि इस मामले में जो कालिएशन सरकार कांग्रेस और पीडीपी की बनी है और उसने जो पालिसी एडाप्ट की है, हमने उसके माध्यम से लोगों का दिल जीतने की कोशिश की है। हमने रीकासिलिएशन को तरजीह दी है। उसमें यूपीए सरकार ने न सिर्फ हमारी पालिसी को इंडोर्स किया बल्कि पूरी तरह सपोर्ट किया। हम उनके सपोर्ट को एप्रीशिएट करते हैं।

हम यह मानते हैं कि जम्मू-कश्मीर में जमीन का झगड़ा नहीं है। हम जब तक एक रीकासिलिएशन प्रोसैस एडाप्ट नहीं करते हैं, तब तक उन लोगों का दिल जीतना मुश्किल है।

अपराह्न 5.00 बजे

यही पालिसी दो-ढ़ाई साल पहले अपनाई और उसका नतीजा आपने रिसेंटली देखा कि 70, 80 और 90 प्रतिशत लोगों ने सिविक पोल्ज वोट डाले। वहां न सिर्फ लोगों को एहतमाद हमारे मुल्क के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस दिखाया बल्कि उससे यह फायदा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[सुश्री महबूब मुफ्ती]

हुआ कि बहुत सालों के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों को एहसास हुआ कि वे मालिक हैं, जिसे वे चाहें इलैक्ट कर सकते हैं। वहां सबसे खूबसूरत बात यह हुई कि हमारी रूलिंग पार्टी के जो भी पार्टनर्स हैं, चाहे कांग्रेस है या पीडीपी है, कई जगह पर दो वोट से इलैक्शन हारा जिससे जम्मू-कश्मीर के लोगों का कान्फिडेंस शेक हुआ था वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस फिर से रिस्टोर हुआ। महोदय, रिकंसीलिएशन प्रोसेस का सबसे बड़ा मुद्दा कान्फिडेंस होता है, अपने लोगों में एहतमाद करना और शक की नजर से नहीं देखना। जिस वक्त हमने हुकूमत संभाली उस वक्त मोबाइल टेलीफोन जम्मू-कश्मीर में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, कहा जाता था कि सिक्योरिटी रिस्क है। जिन लोगों को आप सिक्योरिटी रिस्क की बात कहते हैं, उनके पास लैटेस्ट सिस्टम है, मेरे ख्याल से वह बुश के पास भी नहीं होगा, जो वे लोग आपरेट करते हैं, इसके लिए लोगों को डिनाई किया गया। उसके बाद मुगल रोड, जो एक अल्टरनेट है और वादी को मुल्क के साथ मिलाती है, उसका काम बीस साल से ठप है। पूछने पर पता चला यह भी सिक्योरिटी रिस्क की वजह से बंद है। जिस दिन से हमारी सरकार बनी, हमने कोशिश की और वहां लोगों को एहतमाद दिया। हमारे मुल्क से वहां जाने के लिए बहुत कम तैयार होते थे। अगर प्रधानमंत्री जाते थे तो उनको एयरपोर्ट पर उतारकर नेहरू गेस्ट हाऊस में ले जाकर कुछ लोगों से मिलवाकर वापस भेज दिया जाता था। पहली बार हमने कोशिश की और हमारे वजीर-ए-आजम आएं और जम्मू-कश्मीर के लोगों से गुफ्तगू करें और सीना-ब-सीना हों। फिदायिन हमले के बावजूद जब हमारे प्रधानमंत्री जी वहां गए तो हजारों की तादाद में लोग वहां आए। इससे लोगों को एहसास हुआ कि वे भी हमारी इन्वाल्वमेंट चाहते हैं और उन्हें हमारी जरूरत है।

महोदय, जिस वक्त फैंसिंग हो रही थी, बार्डर पर फोसिर्स थीं, हमने कहा मुज्जफराबाद रोड को खोल दो, कश्मीरियों को आपस में जोड़ दो, नफरत की दीवारें तोड़ दो, इससे लोगों को अचंभा हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने अपने समय में देखा था अगर जम्मू-कश्मीर में, चाहे लद्दाख हो, जम्मू हो या कश्मीर हो, वहां के लोग किसी चीज पर एकमत है, कोई कन्सेन्सिस है तो वह यह है कि हमारे बार्डर्स खोल दीजिए। लद्दाख के लोग कहते हैं कि अक्साईचिन खोल दो। कारगिल के लोग कहते हैं कि असकरदु खोल दो। जम्मू के लोग कहते हैं कि सियालकोट खोल दो। पुंछ के लोग कहते हैं कि रावलाकोट खोल दो। कश्मीरी कहता है कि मुज्जफराबाद खोल दो। गुरेज के लोग कहते हैं कि तंदार को आपस में मिलाइए। यह एक ऐसी चीज थी जिसके लिए आपको जादूगर बनने की जरूरत नहीं थी। जम्मू-कश्मीर चाहता है कि आपस में हमें मिलाइए। सिर्फ हमारे कहने से कुछ नहीं हो सकता था मैं भारत सरकार खासकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ह्यूमेन इश्यू समझकर निर्णय लिया कि पासपोर्ट के बगैर वहां जाने दो। जिस दिन टीआरसी पर हमला हुआ, मुझे अंदाजा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर के ऊपर कितना प्रैशर बना होगा कि इसको छोड़ दीजिए, इसको रोक दीजिए। इसके लिए मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि उन्होंने बीच में इन्टरवैन्शन करके माननीय प्रधानमंत्री जी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के रिसाल्व को और ज्यादा मजबूत किया। उन्होंने कहा कि नहीं, यह बस जानी है और टाइम पर जानी है। ये लोग आए और बस गई। मुझे उम्मीद है जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा रावलाकोट, सियालकोट, असकरदु, अक्साईचिन या कोई भी हो, ये तर्कसम्मत परिणाम हैं और इनको खोलना है, अगर हम एक रास्ते पर रूक गए तो हमारा मकसद पूरा नहीं हो सकता। मगर मैं हाऊस में कहना चाहती हूं कि हमारे लोगों का ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सुश्री महबूबा मुफ्तीः हमारे नौजवानों का मकसद यह नहीं है, बार्डर के फैसले तो वे करते रहेंगे। हमें उन्हें पर्याप्त समय देना चाहिए। हमें अपने लोगों पर इतना भरोसा तो करना चाहिए कि वे लोग कोई साल्यूशन इवाल्व करें।

महोदय, अनुच्छेद 370 की स्पेशल पोजीशन की वजह से मुझे थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए। सईद सलाहुद्दीन द्वारा बाहर से कहा गया कि अगर हम लोग सोचेंगे तो वे सीज फायर के बारे में सीरियसली सोच सकते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि सीज फायर जम्मू-कश्मीर के लोगों के हित में है, देश के हित में है। हूर्रियत का एक ग्रप काफी देर से कह रहे हैं हमें पाकिस्तान जाने दीजिए, हम मिलिटैंट ग्रुप से बात करके सीज फायर का काम करवा सकते हैं।

मैं समझती हूं कि सीज-फायर होनी चाहिये। यह सीज-फायर दोनों तरफ से होनी चाहिये, एक तरफ से नहीं। सिर्फ एक तरफ से सीज फायर से काम चलने वाला नहीं है। एक बहुत ही इम्पाटैंट बात यह है कि पिछली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिडक्शन इन ट्रुप्स के लिये कहा था लेकिन अभी तक यह सिर्फ संकेतात्मक है। इस लौजिकल कन्क्लूजन पर तब तक नहीं पहुंचा जा सकता है, जब तक कि वायलेंस लैवल कम नहीं हो जाता

है। उसके लिये सीज फायर जरूरी है। दूसरा, मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगी कि वक्त आने वाला है और वक्त आ रहा है। हमें मालूम है कि सुरक्षा बलों ने प्रशंसीय कार्य किया है। जिस पोजीशन में आज हम हैं, यह मुमकिन नहीं होता, अगर वे वहां नहीं होते। इसलिये आ गया है कि धीरे-धीरे सिक्यूरिटी फोर्सेज की जगह जम्मू-कश्मीर पुलिस को रिप्लेस करना है। इसलिये मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि तत्काल 30-40 हजार नौजवान, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से हैं, की पुलिस में रिक्रूटमेंट शुरू होनी चाहिये ताकि आने वाले वक्त में वे लोग सिक्यूरिटी फोर्सेज का काम सम्भाल सकें। हमारे मुल्क हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को एक पुल बनने का काम करने का मौका मिला है और यह जो काम आलरेडी शुरू हो चुका है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, समयाभाव के कारण, मैं माननीय मंत्री को उत्तर देने की अनुमति दे रहा हूं। वे माननीय सदस्य जो अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहें, रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): सूची में मेरा नाम है। मुझे बोलने का मौका दिया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*। यह पहले ही स्वीकार किया जा चुका है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी पार्टी से दो सदस्य पहले ही बोल चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय सायं 7 बजे सभी अनुदानों को गिलेटीन किया जाना है। इस मंत्रालय के पश्चात, हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मांगों पर भी विचार करना है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, दूसरे मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्य को भी लिया जाना है- सभी दलों ने अपने आबंटित समय का उपयोग कर लिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक: महोदय, सभी अनुदानों की गिलोटीन किया जाना है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सभी दलों ने आबंटित समय का उपयोग कर लिया है। आपके दल ने भी दिए गए समय का उपयोग कर लिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी एवं अन्य सभी दलों ने आबंटित समय का उपयोग कर लिया। एक अन्य मंत्रालय की अनुदान मांगें ली जानी है तथा सायं 7 बजे तक पूरी की जानी है। कृपया सहयोग दें। अब माननीय मंत्री उत्तर दें।

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, मुझे पांच मिनट का समय दिया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*। कृपया मुझे पांच मिनट का समय दें ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, मेरे दल का क्या होगा? मुझे कुछ समय दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माफ कीजिए, नियमानुसार यह मुश्किल है।

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, यह क्या हो रहा है? ...*(व्यवधान)*

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, कृपया प्रत्येक सदस्य को दो-दो मिनट का समय दीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री सुरेश कुरूप, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब यह संभव नहीं है। सभी अनुदानों को सायं 7 बजे गिलोटीन किया जाना है। केवल आप ही नहीं, छह अन्य सदस्य और भी हैं जो बोलना चाहते हैं। मैं केवल आपको बोलने का मौका कैसे दे सकता हूं?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या मैं प्रत्येक दल द्वारा लिए गए समय का ब्यौरा दूं? सभी दलों ने आबंटित समय तथा उससे अधिक समय का भी उपयोग किया है।

...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक: महोदय, समयाभाव है, अन्यथा हम इसका अनुरोध क्यों करते? इसके पश्चात हमें एक अन्य मंत्रालय पर भी विचार करना है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपना भाषण लिखित में दे दें। इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अब माननीय मंत्री को उत्तर देने दें। हमें अन्य मंत्रालय के काम पर भी विचार करना है।

...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक: महोदय हम सायं सात बजे से अधिक का समय नहीं ले सकते है जब सभी अनुदानों को गिलोटीन किया जाना है। ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप: प्रतिपक्ष से कोई सदस्य नहीं बोला फिर भी आप हमें समय नहीं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सायं सात बजे गिलोटीन होगा। हमें यह करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। इन सभी अनुदानों पर चर्चा एवं मतदान के पश्चात् हमें शेष बचे हुए अनुदानों पर विचार करना पड़ेगा, उन्हें गिलोटीन करना पड़ेगा तथा उप प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: महोदय, कृपया हमें दस मिनट का समय दें ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप इसे लिखित में दे सकते हैं। इस पर कोई आपत्ति नहीं है। यह सभा में दिया गया भाषण ही समझा जाएगा तथा कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

श्री रामदास आठवले: जी नहीं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सभी लिखित भाषण सभा में दिए गए भाषणों के समतुल्य समझे जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, मूल रूप से मेरे दल से तीन नाम दिए गए थे ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको पहले बोलना चाहिए था। अब हमारे पास बहुत कम समय शेष है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि वे सहमत हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माननीय मंत्री यहां मौजूद हैं तथा अनुरोध कर रहे हैं। एक अन्य मंत्रालय के कार्य पर भी विचार किया जाना है। यदि वे सहमत हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं। मैं यहां प्रातः काल तक बैठ सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, मैं केवल पांच मिनट में अपना भाषण पूरा कर लूंगा।

सभापति महोदय: इस पर सरकार की सहमति होनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप: मैं माननीय मंत्री से हमारे निवेदनों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय: यदि माननीय मंत्री इस पर सहमत है तो मुझे इस मुद्दे पर माननीय सदस्यों को बोलने के लिए अधिक समय देने में कोई आपत्ति नहीं है।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर)**: महोदय, हम इस पर सहमत हैं।**

सभापति महोदय: समझौते के अनुसार, मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को केवल दो मिनट बोलने की इजाजत दूंगा। श्री सुब्रत बोस...

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्रीमान बोस, कृपया अपना भाषण दो मिनट में पूरा कीजिए। बाकी प्रश्न आप लिखित रूप में दे सकते हैं जिन्हें सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा।

श्री सुब्रत बोस (बारासाट)**: सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय के वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि माननीय सभा को विदित है कि पश्चिम बंगाल की सीमा बंगलादेश के साथ उत्तर से दक्षिण में काफी विस्तृत रूप से फैली हुई है, तथा मैं बारासाट चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो कि 24 परगना (उत्तर) जिले में पड़ता है। इसकी काफी सीमा बंगलादेश से लगती है। मुझे मालूम है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस क्षेत्र के लोगों को पेश विशेष समस्याओं को उजागर किया है; सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों के समक्ष विशेष कठिनाइयां आ रही हैं; लेकिन, मैं माननीय मंत्री महोदय के विचारार्थ कुछ सुझाव देना चाहूंगा।**

प्रथम, मैं सीमा पर बाड़ लगाने का प्रश्न उठाना चाहूंगा। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि बाड़ 'जीरो प्वाइन्ट' पर नहीं लगाई जा सकती है क्योंकि यह केवल सीमा के अन्दर ही हो सकती है। लेकिन, हमने कई क्षेत्रों में पाया है कि बाड़ लगाए गए क्षेत्र के अन्दर खेती योग्य भूमि और विद्यालयों सहित रिहायशी स्थान भी हैं। मुझे इस बात की जानकारी है कि बाड़ लगाने का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब भी बाड़ लगाने का कार्य किया जाए, गृह मंत्रालय से एक सर्वेक्षण भेजा जाए। वह इस विशेष कठिनाइयों की जांच करे और जहां विद्यालय या रिहायशी स्थल

पड़ते हों, उस बाड़ लगाए गए क्षेत्र के लोगों को असुविधा से बचाने हेतु उसे थोड़ा लचीला होना चाहिए।

दूसरे, द्वार खोलने के समय में भी कुछ लचीलापन एवं छूट होनी चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सुब्रत बोस: इससे उन लोगों को काफी दिक्कत होती है जो उस क्षेत्र में अपनी भूमि जोतने जाते हैं। कई बार, किसान उस थोड़े से समय जो उन्हें दिया जाता है जिनके दौरान द्वार खुला रहता है में वापिस नहीं लौट पाते हैं। कई बार, वे बाड़ लगाए गए क्षेत्र में पूरी रात के लिए फंस जाते हैं और अपने-अपने घरों को वापिस नहीं लौट पाते हैं। यह एक ऐसी समस्या है जो वहां के लगभग सभी स्थानीय निवासियों के समक्ष आ रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह सुनिश्चित करने के लिए पुन: अनुरोध करूंगा कि उनका मंत्रालय इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ उपाय करे।

सभापति महोदय: कृपया आपना भाषण समाप्त कीजिए। अगले वक्ता श्री सुरेश कुरूप हैं।

श्री सुब्रत बोस: श्रीमानजी, मैं मात्र एक मिनट का समय और लेकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। मेरा ख्याल है कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सुरक्षा बलों की सहायता के लिए सीआरपीएफ की एक बटालियन भेजने का अनुरोध किया है। मैं माननीय मंत्री से इस अनुरोध पर विचार करने की अपील करता हूं।

अन्त में, मैं माननीय मंत्री से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध करता हूं कि पुलिस बलों का आधुनिकीकरण किया जाए। इसे उत्तर बंगाल के केएलओ, पीपुल्स वार ग्रुप (पीडब्ल्यूजी) और एमसीसी जैसे उग्रवादी संगठनों का मुकाबला करने के लिए केन्द्र की सहायता से जहां तक संभव हो सके, पूरा किया जाना चाहिए। पुलिस बलों को आधुनिक एवं अद्यतन साजो सामान की आवश्यकता है। मैं इस मामले में भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

समय की कमी के मद्देनजर, मैं कुछ मुद्दे उठाने का अवसर दिये जाने और इस चर्चा में भाग लेने की इजाजत देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय: श्री बोस, मुझे यह कहना पड़ रहा है कि इसके बाद और कुछ भी रिकार्ड में शामिल नहीं किया जायेगा। इनके बाद, श्री सुरेश कुरूप अपना वक्तव्य दें।

...(व्यवधान) *

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): सभापति महोदय, किसी सभ्य और लोकतांत्रिक समाज को समझने का एक प्रमुख मापदंड यह है कि उस समाज में अपराध रोकने का तंत्र कैसे काम करता है। किसी देश का अपराध रोकने का तंत्र उस देश की लोकतांत्रिक प्रकृति के साथ मेल खाने वाला होना चाहिए। हम सभी ने पोटा का विरोध किया क्योंकि यह मौलिक लोकतांत्रिक नियमों के विरुद्ध था।

कोई व्यक्ति हमारी जेलों में तड़पना नहीं चाहिए। मेरा संकेत श्री मदानी की विषम परिस्थितियों की ओर है जिसका जिक्र मेरे फाजिल दोस्त श्री सी.के. चन्द्रप्पन पहले ही कर चुके हैं। विगत सात वर्षों से वह कोयम्बटूर जेल में पड़ा है। उस पर किसी भी तरह के अपराध का आरोप हो, लेकिन उसे जमानत मिलनी चाहिए। ये केरल के यूडीएफ के वर्तमान नेताओं की ही कोशिश है जो यह आश्वासन देकर उसका समर्थन पाने के लिए कोयम्बटूर जेल में गये थे कि उनके सत्ता में आने के बाद उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। अब हालात क्या है? वह डाइबिटीज का शिकार है। उसकी एक टांग काटी जा चुकी है। उनका सही इलाज नहीं किया जा रहा है।

हाल ही में, एक प्रेस कांफ्रेंस में उनकी पत्नी ने घोषणा की कि वह और उसके बच्चे संसद भवन आकर सत्याग्रह करेंगे। सम्पूर्ण केरल राज्य अपने राजनैतिक मतभेदों के बावजूद, उनके साथ है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो उनके राजनैतिक विचार या ऐसी किसी बात का समर्थन करता हो। यह एक मानवीय मसला है। केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और यह प्रयास करना चाहिए कि उन्हें जमानत पर छोड़ दिया जाए। कम से कम उन्हें समुचित इलाज मुहैया कराया जाए। मुख्य शिकायत यह है कि उन्हें वह चिकित्सीय सुविधा नहीं दी जाती है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। वह एक कृत्रिम अंग प्रयोग कर रहा है। उन्होंने प्राधिकारियों से कृत्रिम अंग हेतु उचित अस्पताल जाने की अनुमति मांगी, वह भी प्रदान नहीं की गई। अत: मेरा विनम्र निवेदन है कि माननीय गृह मंत्री हस्तक्षेप करें और यह देखें कि उन्हें उचित चिकित्सीय सुविधा दी जाए और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। यदि मदानी को जमानत पर छोड़ दिया जाए तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। यह मेरा प्रथम निवेदन है।

दूसरी बात यह है कि केरल में पुलिस ने हवाला के जरिये 750 करोड़ रुपये का लेनदेन का पता लगाया है। कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं लेकिन कोई नहीं जानता कि यह सारा रुपया कहां गया। आशंका है कि यह रुपया देश के अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के हाथों में चला गया है। मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह रुपया किसके पास गया और इसका प्रयोग किस कार्य में किया गया।

ये वो दो खास बातें हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता था।

सभापति महोदय: डा. रामेश्वर उरांव कृपया केवल दो मिनट का ही समय लें। तीन माननीय सदस्य पहले ही इस पर बोल चुके हैं। हम आवंटित समय से अधिक ले चुके हैं। इसलिए, कृपया आप अपना वक्तव्य केवल दो मिनटों में ही समाप्त करें।

डा. रामेश्वर उरांव (लोहारदगा): महोदय, हम इस समय गृह मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं इस मंत्रालय के विषय में बहुत कुछ कहना चाहता था।

[हिन्दी]

लेकिन आपने दो मिनट दिये। इन दो मिनटों में मैं क्या बोलूंगा? कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। एक मिनट खड़ा होने में लगेगा और दूसरा मिनट बैठने में लगेगा। फिर भी बोलना है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: केवल मुख्य मुद्दों का उल्लेख कीजिए, क्योंकि अधिकांश मुद्दों का उल्लेख आपसे पहले बोलने वाले सदस्यों द्वारा किया जा चुका है।

[हिन्दी]

डा. रामेश्वर उरांव: सभापति जी, किसी भी नागरिक को दो चीजों की चिन्ता सताती है। एक सुरक्षा की और दूसरे विकास की। विकास के लिए तो बहुत से विभाग जिम्मेदार हैं लेकिन सुरक्षा के लिए केवल गृह विभाग ही जिम्मेदार है। सुरक्षा के अलावा गृह विभाग का क्षेत्र और बड़ा है। कभी तो उसे बाढ़ का सामना करना पड़ता है, कभी सुखाड़ का और कभी सुनामी का सामना करना पड़ता है तो कभी बदनामी का भी सामना करना पड़ता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

डा. रामेश्वर उरांव: अभी तो शुरू किया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं क्या कर सकता हूं। समय समाप्त हो चुका है। हमें समाप्त करना है।

डा. रामेश्वर उरांव: मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल जी ने जो बातें कही हैं उन्हीं के बारे में एक मिनट आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं इस नौकरी में रहा हूं और एक चीज के बारे में मैं गृह मंत्री जी से बोलना चाहूंगा कि कुछ ऐसे पुलिस के पदाधिकारी हैं जो अपना संबंधित कार्य तो करते नहीं है जैसे क्राइम कंट्रोल, मेंटेनेंस आफ ला इत्यादि लेकिन राजनीतिज्ञों को पकड़ कर नाम कमाने की कोशिश करते हैं। ऐसे पदाधिकारियों को चिह्नित करने का गृह मंत्रालय को काम करना चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।

मैं नक्सलिज्म के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि मैं इसके विरुद्ध लड़ा हूं और पुलिस आफिसर के रूप में मैंने कम्यूनलिज्म के खिलाफ भी काम किया है। नक्सलिज्म फैलने के क्या कारण हैं, इस पर मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा। यह बंगाल से शुरू हुआ और बिहार के भोजपुर और जमशेदपुर तक फैल गया है तथा सारे देश में फैलता जा रहा है। इसे कैसे रोका जाए? क्यों आदमी नक्सलिज्म की ओर जा रहा है, इसे रोकने के लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं। क्योंकि आदमी गरीब है, बेरोजगार है अगर उसकी गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं की जाएगी तो कोई भी बंदूक उठा सकता है। आदमी सुख-सुविधाएं चाहता है, कंफर्ट चाहता है। अगर सबको रोजगार दिया जाएगा तो नक्सलिज्म की तरफ कोई नहीं जाएगा। आप उन्हें सरकारी नौकरी नहीं देते हैं, लेकिन नक्सली ग्रुप उन लोगों को नौकरी देते हैं, इस कारण लोग उस तरफ आकर्षित होते हैं। अतः सरकार रोजगार की व्यवस्था करे। साथ ही भूमि सुधार, कृषि विकास आवश्यक है। इन क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार हो तथा सरेन्डर नीति पर्याप्त हो।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए। आपको दिया गया समय समाप्त हो चुका है। अब श्री लालमणि प्रसाद बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: महोदय, इनको सिर्फ एक मिनट बोलने की अनुमति दे दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. रामेश्वर उरांवः मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मुझे खेद है

...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झाः वह केवल एक मिनट चाहते हैं।

सभापति महोदयः यह बहुत कठिन कार्य है। माननीय सदस्यों को यह समझना चाहिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भी अनुदानों की मांगें आई हैं और गिलोटीन 7.00 बजे होना है।

[हिन्दी]

डा. रामेश्वर उरांवः महोदय, मैं सिर्फ झारखंड की दो समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। सेन्सस 2001 में झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या बढ़ गई है। 1991 में 29 प्रतिशत थी, 2001 में घटकर से 27 प्रतिशत रह गई है। इसका असर विधान सभा सीटों में हो रहा है। वहां 28 आरक्षित से घटकर अब 21 सीट रह जाएगी। सरकार संवैधानिक व्यवस्था करे कि सीट न घटे।

दूसरा प्रश्न झारखंड में ला एंड आर्डर से संबंधित है। रक्षा मंत्रालय ने वहां पर फील्ड फायरिंग रेंज खोली है। उस कारण आदिवासियों के दो सौ गांव उजड़ेंगे। मेरा अनुरोध है कि गृह मंत्रालय इसमें हस्तक्षेप करके सेना विभाग से बातचीत करके इसे हटाने संबंधी कार्यवाही करे ताकि आदिवासी उजड़े नहीं वहां पर रह सकें।

श्री लालमणि प्रसाद (बस्ती): महोदय, आपने गृह मंत्रालय के बजट के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और सम्मानित सदस्यों ने बजट के समर्थन में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, इससे संबंधित अपनी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं।

सभापति जी, आज ये समस्याएं क्यों हैं, चाहे आन्तरिक मामला हो, चाहे बेरोजगारी हो, किसानों की समस्याएं या अन्य जो भी समस्याएं हों, चाहे नक्सलाइट का मामला हो, तमाम सदस्यों ने तमाम मुद्दों को आपके सामने रखा है। इस धरती पर गौतम बुद्ध ने जहां मानवता का संदेश दिया, वहीं इस धरती पर मोहम्मद साहब की विचारधारा को मानने वाले लोगों ने आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। इस धरती पर जहां कबीर साहब ने जहां रूढ़िवादी और पाखंडवादी विचारधारा का विरोध किया, वहीं इस धरती पर ईसा मसीह की विचारधारा को मानने वाले लोगों ने अपाहिज और अपंगों को गले से लगाया। इस धरती पर गुरू गोविन्द सिंह ने जहां स्वाभिमान और सम्मान की भावना पैदा की, वहीं इस धरती पर हजारों साल से इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था लागू थी, जिसके तहत यहां का बहुजन समाज, लाचार, बेबस और मजलूम हो गया। उसकी जिन्दगी कुत्ते और बिल्ली से बदतर हो गई थी। वह सारे मानव अधिकारों से वंचित था। ऐसे समाज को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर ने देश को नया संविधान दिया, जिसकी बदौलत यह समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के 57 साल के बावजूद भी, सही मायने में बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। यही कारण है कि आज मुल्क में जो इतने बड़े पैमाने पर समस्याएं मौजूद हैं।

सभापति महोदय, इस मुल्क की पांच राष्ट्रीय आपदाएं हैं- अस्पृश्यता, अमानवीयता, असमानता, असुरक्षा और अन्याय। यदि ईमानदारी के साथ बाबा साहब डा. भीमराव अम्डेकर का संविधान लागू हो गया होता, तो आज मुल्क में ये समस्याएं नहीं रहतीं। आज आजादी के 57 साल के बाद भी इस देश के अंदर करोड़ों लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलेगा, करोड़ों लोगों को जल मुहैया नहीं होगा, करोड़ों लोगों को दवा नहीं मिलेगी, करोड़ों लोग खुले आसमान के नीचे रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि आक्रोश बढ़ेगा, नक्सलाइट गतिविधियां बढ़ेंगी। आज देश में जो हालात पैदा हो रहे हैं, वे बड़े ही गम्भीर हैं।

माननीय गृह मंत्री जी, इस मौके पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आज न्याय का मामला आता है, तो कुर्सियों पर बैठने वाले लोग, थाने में जाने के बाद कुर्सियों पर बैठने वाले लोग जाति-सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज गृह मंत्रालय के बजट पारित होने के मौके पर मैं गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों के समर्थन में बोलते हुए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसी देश के उत्तर प्रदेश में जब न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले लोग, अन्याय करेंगे और अन्याय नहीं देंगे, तो स्वाभाविक है कि आक्रोश बढ़ेगा। यह गम्भीर विषय है कि जब उत्तर प्रदेश में *...* इसका क्या कारण है, यह गम्भीर विषय है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज कुर्सियों पर बैठने वाले जब गरीब आदमी जाते हैं, तो उन्हें न्याय नहीं देते हैं। न्यायालयों में गरीब आदमियों को न्याय नहीं मिल रहा है। वहां पर जब अपराधी और असामाजिक तत्व जाते हैं, तो कुर्सियों पर बैठने वाले उन्हें सम्मान देते हैं। यदि ऐसा होगा, तो समाज से और देश से आक्रोश कैसे खत्म होगा। आज इस देश में बेरोजगारी की फौज बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। उन्हें काम नहीं मिल

*...*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री लालमणि प्रसाद]

रहा है, आज हर हाथ को काम नहीं मिल रहा है। आज हमारी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। आज राज्य-राज्य में टकराव हो रहा है। इसके क्या कारण हैं। इस पर मनन करने के लिए, मैं गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि इन तमाम बिन्दुओं पर आपको ध्यानपूर्वक विचार करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि समय कम है, इसलिए अन्त में, मैं आपके माध्यम से बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मणि चारेनामै (बाहरी मणिपुर): सभापति महोदय, मैं वर्ष 2005-06 हेतु गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार, विशेष रूप से गृह मंत्रालय, क्षेत्र विशेष की समस्याओं के स्वरूप के अनुसार उनका सही समाधान करने में सफल नहीं रही है। गृह मंत्रालय के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हैं कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं की पहचान करे और उनके स्वरूप के अनुसार उनका सही समाधान करे। कानून और व्यवस्था की समस्या से कड़ाई से निपटे और इस समस्या को लटकाए रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तथापि, उन मामलों में, जहां क्षेत्र विशेष से जुड़ी समस्याएं जैसे नागा समस्या शामिल है, गृह मंत्रालय को यह महसूस करना चाहिए कि केवल पुलिस के लिए अत्याधुनिक अस्त्रों की खरीद हेतु अधिक धन खर्च करने और युवाओं की भर्ती करके वे इस दीर्घकालीन नागा समस्या का समाधान नहीं कर सकते। नागा समस्या एक ऐसी समस्या है जिसका क्षेत्र विशेष के साथ गहराई से अंत: संबंध है। अत: नागा आन्दोलन कोई कानून-व्यवस्था अथवा आतंकवाद की समस्या नहीं है, अपितु एक राजनैतिक समस्या है।

ब्रिटिश काल से बहुत से समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं किन्तु उनसे इस समस्या का अंत नहीं हो सका है।

नागा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में विश्वास के साथ भाग नहीं ले पाते हैं। उन्होंने जान, माल, सम्मान की हानि उठाई है और बहुसंख्यकों द्वारा उनका शोषण किया गया है और उन्हें हाशिए पर ला दिया गया है। अत: गृह मंत्रालय के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह एक नई व्यवस्था लागू करने के लिए नागा क्षेत्रों के एकीकरण की तैयारी करे ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थाई शांति बहाली की जा सके। नागा समस्या को दबाने के लिए अधिक खर्च के बजाय सभी नागा क्षेत्रों को शामिल करके एक नई व्यवस्था लागू करने पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए विशेष बजट आवंटन किया जाना चाहिए। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों, नकली मुठभेड़ों में दो लाख से अधिक नागा लोगों ने अपनी जानें गवाई हैं; बहुत से लोग अपंग हो गए हैं; और नागा समस्या के कारण बहुत से लोग दरिद्रता और निरक्षरता में जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हैं। वर्तमान में लगभग 20,000 नागा युवा विभिन्न नागा भूमिगत आंदोलनों से जुड़ गए हैं।

अत:, भारत सरकार और एन एस सी एन (आई एम) के बीच जारी वार्ता में इस समस्या का कोई स्थाई समाधान तलाश किया जाना चाहिए। केवल स्थाई शांति से ही पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। मैं गृह मंत्रालय से इस क्षेत्र में एक नई व्यवस्था लागू करने के लिए अपेक्षित बजट का प्रावधान करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय: अंतिम वक्ता श्री रामदास आठवले हैं। एक अंतिम वक्ता के रूप में आप एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकते हैं। कृपया हमारे साथ सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, ''एनडीए के काल में लोगों को नहीं मिलती थी सुरक्षा की भिक्षा, इसलिए सत्ता के बाहर जाने की उन्हें मिल गई है शिक्षा, शिवराजजी पाटील जी ने बदल दिया है गृह मंत्रालय का नक्शा, इसलिए देश की जनता की हो रही है रक्षा, आदरणीय मनमोहन सिंह जी सभी को दे रहे हैं शांति की दीक्षा, इसलिए बहुत तेज चल रही है यूपीए की रिक्शा।''

सभापति महोदय, गृह मंत्रालय का जो 17800 करोड़ का बजट है, उसका समर्थन करने के लिए मैं अपनी पार्टी की ओर से खड़ा हुआ हूं. मेरा इतना ही सुझाव है कि यहां पुलिस को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि यह स्टेट का सब्जैक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि हर पुलिस वाले को अच्छी ट्रेनिंग दे। मुंबई में पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकियां हैं, लेकिन पहली बार वहां इस तरह की घटना हुई है। इसलिए पुलिस को अच्छी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, हमारा दूसरा सुझाव यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर एट्रोसिटी होती है, इसलिए एट्रोसिटी एक्ट को मजबूत करने की आवश्यकता है। अब अगर कोई इनके ऊपर अत्याचार करता है तो उसे एकदम जमानत मिल जाती है, लेकिन पहले यह कानून था कि उन्हें एकदम जमानत नहीं मिलती थी, इसलिए लोग आगे नहीं आते थे, अब उन्हें एकदम जमानत मिलती है, लेकिन फिर भी कानून में सुधार करने की आवश्यकता है। हमारे देश में बंगला भाषा के लोग हैं। उसमें मथुआ और

नमोशुद्र कम्युनिटी है। ऐसे लोग वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और कुछ जगहों पर 30-35 लाख की संख्या में हैं। मेरी मांग है कि अगर उन्हें अपने देश की नागरिकता चाहिए तो उन लोगों को बंग्लादेश की सरकार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमने गृह मंत्री जी से बात की थी और उन्होंने एश्योरेंस भी दिया है। भारत में अगर कोई बाहर का आदमी आता है और वह अपने देश का नागरिक बनना चाहता है तो उन्हें नागरिकता देने के बारे में भारत सरकार को विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे भारत के लोग दुबई, कैनेडा, इंग्लैंड या जहां-जहां भी जाते हैं, वहां उन्हें नागरिकता मिलती है। जो लोग टेररिस्ट हैं, ऐसे लोगों को नागरिकता देने का सवाल नहीं है, मगर जो लोग पेट भरने के लिए आते हैं या कोई बिजनेस करने के लिए आते होंगे तो उनको भी नागरिकता देने पर विचार करना चाहिए।

मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारी पार्टी पर इस तरह अन्याय मत करो। आप तो न्याय देने वाले हैं। आप चेयर पर हैं तो सरकार की भी बात सुननी है, क्योंकि चेयर सुप्रीम है। हम आपकी बात सुनते हैं। श्री शिवराज पाटील जी गृह मंत्रालय में सुधार ला रहे हैं और पांच साल में इतना सुधार लाएंगे कि एन.डी.ए. वाले दूसरे पांच साल के बाद भी नहीं आ सकते। वे तो चले गये हैं, वे तो अब जल्दी आयेंगे नहीं।

हम आपके प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और आशा करते हैं कि आप इसमें अच्छे और सुधार लाएंगे।

श्री रघुनाथ झा: मुझे भाषण नहीं देना, सिर्फ एक रिक्वैस्ट करनी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री के वक्तव्य के अतिरिक्ति कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। आपको बोलने की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। केवल माननीय मंत्री उत्तर दे सकते हैं। अब कोई नहीं बोल सकता। हम नियमों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, आज सभा में *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): पाटील साहब, आप तो बहुत अच्छी हिन्दी जानते हैं, आप हिन्दी में बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: नहीं यह संभव नहीं है। मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: मैं इनसे पूछ नहीं रहा हूं, बल्कि सुझाव दे रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सुमनजी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं किन्तु मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता। कोई भी सदस्य प्रश्न नहीं कर सकता। माननीय मंत्री बोल सकते हैं। हमें नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: हमारी आपसे मांग है कि आप हिदी में बोलिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: श्रीमान, मैंने अंग्रेजी में शुरू किया था, मगर अब हिन्दी में बोलने का प्रयास करूंगा। मेरी हिन्दी उतनी अच्छी नहीं है, जितनी अच्छी हमारे साथी यहां बोलते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप अंग्रेजी अथवा हिन्दी जिस भाषा में भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। मेरा अनुरोध यह है कि अंग्रेजी में बोलने में कोई हानि नहीं है। नियम इसकी अनुमति देते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में बोलूंगा।

सभापति महोदय: नियम इस बात की अनुमति देते हैं कि आप या तो अंग्रेजी अथवा हिन्दी में बोल सकते हैं। आप इन दोनों भाषाओं में बोल सकते हैं। आप क्षेत्रीय भाषाओं मलयालम अथवा तमिल में भी बोल सकते हैं यदि आप जानते हैं। ऐसा करने में कोई हानि नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: श्रीमान्, आज सदन में विरोधी पक्ष की बैंचों पर लोग नहीं हैं। अगर वे यहां पर होते तो अच्छा होता। उनकी बात भी हम सुन लेते, उनकी टीका भी सुन लेते और जो लेने के योग्य होता, वह लेते और उसके ऊपर अमल भी करते। ठीक है, जो भी हुआ है, हुआ है। वे यहां रहते तो अच्छा होता, ऐसा हमको लगता है। जिन साथियों ने यहां पर अपने विचार रखे हैं, वे सारे विचार बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान हैं। उनमें एक भी ऐसा विचार नहीं था, जिसे हम अपना नहीं सकते या जिसके ऊपर हम अमल नहीं कर सकते।

चर्चा बड़े अच्छे ढंग से हुई है। दुख तो यह है कि विरोधी पक्ष के लोग वहां पर नहीं हैं, मगर यहां पर बड़ी संजीदगी से चर्चा हुई और किसी ने किसी के भाषण को रोकने की या तोड़ने का प्रयास नहीं किया। जो चर्चा हुई, बहुत अच्छी हुई। जो नुक्ते यहां पर उठाये गये, बहुत ही अच्छे नुक्ते हैं। मैं संक्षेप में इन सारी चीजों के बारे में इतना ही कहूंगा कि जो भी नुक्ते यहां पर उठाये गये हैं, जो भी विचार यहां पर रखे गये हैं, जो भी सजेशंस यहां पर दिये गये हैं, उनको हम, हमारा मंत्रालय और हमारी यह सरकार पूरी तरह से ध्यान में रखेगी और उसके ऊपर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं यह तब कह रहा हूं, जबकि मैंने पहले यह कहा था कि इनमें से कोई भी मुद्दा नजर नहीं आता, जो अमल करने के काबिल नहीं है। गृह मंत्रालय को सबसे अहम काम करना पड़ता है। वह है केन्द्र सरकार और प्रान्तीय सरकारों में अच्छे संबंध रखने का। हमने संघीय पद्धति को अपनाया है। कुछ काम केन्द्र सरकार को करने पड़ते हैं और कुछ काम प्रान्तीय सरकारों को करने पड़ते हैं। जब तक दोनों में तालमेल नहीं होगा, दोनों साथ में काम नहीं करते हैं, हाथ से हाथ मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर नहीं चलते हैं तब तक लोगों के काम और देश का काम अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। इसीलिए गृह मंत्रालय को अपना सबसे अहम दायित्व निभाना है, सबसे अहम ड्यूटी करनी है, वह केन्द्र राज्यों के संबंध में है। कभी-कभी इस बात को नजरअंदाज किया गया है और कानून व्यवस्था पर हम सबसे ज्यादा जोर देते हैं। जब तक प्रान्तीय सरकारों और केन्द्र की सरकार में समझदारी नहीं होगी, एक-दूसरे के नजरिए को समझकर काम करने की उनके मन की तैयारी नहीं होगी तब तक यह संभव नहीं हो सकता है। जब से यूपीए की सरकार आई है, तब से हमारा यह प्रयास रहा है कि केन्द्र और राज्यों के संबंध अच्छे रहें, समझदारी के रहें। मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रान्त की ओर से भी हमें आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई है और केन्द्र की ओर से भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है, जिसकी वजह से राज्य की सरकारों को भी कोई खास असुविधा हुई हो। यह सभी की मदद से हो रहा है। देश के लोगों की, हमारे इस सदन में बैठे और दूसरे सदन में बैठे साथियों की मदद से, प्रान्त की सरकारों की मदद से हो रहा है।

कामन मिनीमम प्रोग्राम में हमने कहा था कि इंटरस्टेट काउंसिल को हम कारगर बनाएंगे, एक्टिवाइज करेंगे। इस समय इंटरस्टेट काउंसिल का मुद्दा बहुत अहम है। यहां पर संविधान को जानने वाले बहुत से साथी बैठे हैं और वे अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में हमारे संविधान में जो कहा गया है, वह इंटरस्टेट काउंसिल थोड़े अलग प्रकार की है। वह इंटरस्टेट काउंसिल राज्यों में जो झगड़े होते हैं, उनको सुलझाने के लिए बनायी गई है। संविधान बनाने के बाद संविधान बनाने वाले लोगों और सरकार में बैठे लोगों के मन में यह बात आई कि हमारे फैडरल सिस्टम में केन्द्र और राज्य सरकारों में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको एक जगह पर बैठकर, बातचीत करके, नीति और नियम बनाने के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि यह इंटरस्टेट काउंसिल उस प्रकार की नहीं थी। इसीलिए पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया। उसके बाद यह सवाल पैदा हुआ कि सारे देश के लिए अगर नियोजन करना है, प्लानिंग करनी है तो उसके लिए कौन सी फोरम होनी चाहिए, जहां पर बैठकर प्लानिंग की जा सके। हमारे संविधान में तो उसका कोई उल्लेख नहीं है और ऐसा कानून भी नहीं बना है। तब पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने योजना आयोग के कांसेप्ट को स्वीकार किया और एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से योजना आयोग का गठन किया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और योजना आयोग में प्रान्त की सरकारों में काम करने वाले साथी और केन्द्र की सरकार में काम करने वाले साथी बैठकर पूरे देश के लिए जो विचार आता है, उसको ढांचा देने का, उसको आकार देन का, उस नक्शे में रंग भरने का काम करते हैं। सरकारिया कमीशन की तरफ से इस बारे में कुछ उल्लेख हुआ था और इंटरस्टेट काउंसिल को बनाया जाए, एक्टीवेट किया जाए, ऐसी सूचना आई थी। यूपीए सरकार ने उसे समझ लिया और कहा कि इसे करना जरूरी है। इंटरस्टेट काउंसिल का जो कन्सैप्ट था, उसे थोड़ा बढ़ाकर एक ऐसा कन्सैप्ट मान्य किया

गया कि जब इसमें सारे मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री और केन्द्र के कुछ मंत्री बैठते हैं तो पूरे देश के लिए अगर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करना है तो किया जा सकता है। इसलिए इंटरस्टेट काउंसिल बनाने पर विचार हुआ। जैसे हमारे कामन मिनिमम प्रोग्राम में बताया गया है, हमने इंटरस्टेट काउंसिल क्रिएट की है और इंटरस्टेट काउंसिल की एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई गई है। उस स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी चीफ मिनिस्टर्स और केन्द्र के मंत्री हैं। उन्होंने बैठकर गुड गवर्नैंस पर विचार किया और वह बात फिर इंटरस्टेट काउंसिल के सामने आकर बताई जाएगी।

दूसरी बात जो कामन मिनिमम प्रोग्राम में कही गई थी, वह थी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की। पंडित जवाहरलाल जी ने नेशनल डैवलपमैंट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल और नेशनल प्लानिंग काउंसिल भी बनाई थी। उन्होंने ये तीनों ऐडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से बनाई थीं, स्टैट्यूट से नहीं बनाई थीं।

अपराह्न 5.46 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बहुत दिनों से काम ही नहीं कर रही थी। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल पहले बहुत बार मिला करती थी और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया करती थी, लेकिन गए 15-20 सालों से नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के काम में थोड़ी रूकावट पैदा हुई थी। हमने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल भी बनाई है। मैं समझता हूं कि उसकी बैठक जल्दी से जल्दी होगी और उसमें अहम मुद्दों पर विचार किया जाएगा।

इस संबंध में एक और बात यह है कि जब सरकारिया कमीशन का निर्माण किया गया था, सरकारिया कमीशन ने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी थी। उसके अंदर 274 मुद्दे थे और करीब-करीब 178 मुद्दों पर अमल भी किया गया, 66 या 67 मुद्दों पर अमल करने को रह गया है। लेकिन ऐसा माना गया कि यूनियन और स्टेट गवर्नमैंट के रिलेशन्स, जबकि नई टेक्नौलाजी आई है, नए प्रशासन के नियम लोगों के सामने आए हैं, लोगों की मांगें नई हैं, तो बदली हुई परिस्थिति में उनके संबंध में भी थोड़े से अलग होने चाहिए। वे संबंध कैसे होने चाहिए, उस बारे में गहराई में जाकर सोचने की आवश्यकता है। गहराई में जाकर सोचने का काम करने के लिए यूनियन स्टेट कमीशन बनाने की बात कही गई थी। श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसके ऊपर निर्णय लिया है और इंटरस्टेट काउंसिल बनाने के लिए डिसीजन लिया है। वह काउंसिल जल्दी से जल्दी बन जाएगी।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार अच्छी तरह चलानी है तो सिर्फ यूनियन और स्टेट के अच्छे संबंध होने से नहीं काम चलता बल्कि डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाली प्रशासन और उनके नीचे काम करने वाली प्रशासन के काम भी अच्छे होने चाहिए। राजीव गांधी जी के जमाने में कौन्सटीट्यूशन बदलकर डीसैंटलाइजेशन का कन्सैप्ट एक्सैप्ट करके, पंचायती राज की कल्पना अपनाई गई जिसमें पांच साल में हर जगह चुनाव होने ही चाहिए, डिस्ट्रिक्ट, ताल्लुक और पंचायती राज की संस्थाएं चुनकर आनी चाहिए और काम करनी चाहिए, ऐसा बताया गया था। इस बारे में भी अच्छे ढंग से विचार हो रहा है।

हमारे कौन्सटीट्यूशन में डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स आफ स्टेट पालिसी का एक बहुत अहम चैप्टर है। इसकी अहमियत उस चैप्टर से ज्यादा है या कम है, जिसके अंदर फंडामैंटल राइट्स दिए गए हैं, उसकी चर्चा बहुत बार हुई है। फंडामैंटल राइट्स का अपना महत्व है, जिसे किसी प्रकार काम नहीं किया जा सकता। मगर डायरैक्टिव प्रिंसिपल का अपना महत्व है। उसे भी किसी प्रकार से कम नहीं करना चाहिए। जो कुछ हमारे देश की केन्द्र सरकार, प्रांत सरकार, जिला सरकार, ताल्लुका सरकार या गांव की सरकार से हो रहा है, वह किस प्रकार से होना चाहिए, इसका एक नक्शा डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पालिसी के चैप्टर में दिया हुआ है। आज यह चर्चा हो रही है कि हमने संविधान बनाकर लोगों के हाथ में देते समय निश्चय किया था कि हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे व्यक्ति के जीवन का क्या नक्शा होना चाहिए, क्या दिशा होनी चाहिए। यह हुआ है या नहीं, इसे देखने के लिए आजकल चर्चा चल रही है। अब डैयरैक्टिव प्रिंसिपल कितने इम्प्लीमैंट हुए हैं, इस बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। सरकार की ओर से हम यह देखने जा रहे हैं कि केन्द्र की ओर से, प्रांत या जो भी निचले स्तर की संस्थाएं हैं, उनके द्वारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पालिसी को कितना अमल में लाया गया है। यह देखने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। अगर उसमें कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए हम सदन के सामने आकर वह बात रखेंगे।

सैंटर स्टेट के रिलेशन्स के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। सबसे अहम काम होम मिनिस्ट्री का यही है। उन्हें इसे ध्यान में रखकर काम करना है। बाकी की चीजें समझ लें और इस चीज में कुछ गलती हो जाये, तो गृह मंत्रालय का काम ठीक रहा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस दृष्टि से काम करने का हमारा प्रयास रहा है। खुशी की बात है कि सबकी तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, प्रांत सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से, मीडिया की तरफ से इसमें हमें पूरी मदद मिली है। जो कुछ भी हम कर सकते थे, वह हमने किया है। शायद जो

[श्री शिवराज वि. पाटील]

कुछ किया है, वह पूरा नहीं है, इससे ज्यादा करने की जरूरत है मगर जो कुछ भी किया है, वह सरल दिशा में गया है। इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई है लेकिन यह दिशा में सरल गया है। मैं बड़ी नम्रता से इस सदन के अंदर कहना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छी चीज है।

दूसरा मुद्दा सैंटर स्टेट के रिलेशन्स का हमेशा चर्चा में आता है। ला एंड आर्डर और सिक्योरिटी के संबंध में यहां बहुत से सम्मानीय सदस्यों ने अपने वक्तव्य दिये हैं। ये वक्तव्य इससे ज्यादा संबंधित हैं। यह जाहिर बात है कि जब किसी व्यक्ति को तकलीफ होती है या जब कोई ऐसा हादसा होता है, जिसकी वजह से जान-माल का नुकसान होता है, उसकी जब ज्यादा चर्चा होती है तो हमारा सारा लक्ष्य उस ओर केन्द्रित हो जाता है। यह होना भी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वह गलती होगी। अगर हुआ है तो गलती नहीं है। इस बारे में बहुत चर्चा हुई है। मगर इस बारे में सोचते समय हमें यह देखना है कि किसकी कितनी जिम्मेदारी है। प्रांत सरकार की कितनी जिम्मेदारी है और केन्द्र सरकार की कितनी जिम्मेदारी है। क्या दोनों मिलकर इसके लिए जिम्मेदार नहीं कहे जा सकते? यह समझना बहुत जरूरी है।

मैं नम्रता से यहां पर कहना चाहूंगा कि स्टेट सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी ला एंड आर्डर को मेनटेन करने की है। अब केन्द्र की पुलिस है, मगर केन्द्र की जितनी पुलिस है, उससे तीन-चार गुणा सारे स्टेट्स की पुलिस होती हैं। केन्द्र की पुलिस हर गांव, जिले या ताल्लुका में नहीं होती मगर स्टेट की पुलिस हर गांव, ताल्लुका या प्रांत के सारे इलाकों में होती है। प्रांत पुलिस के बुलाने पर केन्द्र पुलिस उनकी मदद करने के लिए वहां जाती है। ला एंड आर्डर का जहां तक प्रश्न है, प्रथमतः प्रांत की सरकार को इस ओर ध्यान देना है और इस बारे में जो काम करना है, उन्हें करना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है या सारी प्रांत की जिम्मेदारी है। यह काम उनका है और हम कुछ नहीं देखेंगे, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। हम कभी भी नहीं कहेंगे तथा इस प्रकार की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। यह प्राथमिक जिम्मेदारी प्रांत की है मगर केन्द्र यह नहीं कह सकता कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और हम ऐसा नहीं कहेंगे। ऐसा हमने नहीं कहा, विगत दिनों में भी नहीं कहा और आने वाले दिनों में भी हम नहीं कहेंगे। यूनियन की जिम्मेदारी, हमारे केन्द्र की जिम्मेदारी क्या है? केन्द्र के ऊपर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, पूरे देश के अंदर सुरक्षा की जिम्मेदारी, टैरिस्ट एक्टिविटिज को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है। इसके अंदर शायद हमारी यूनियन गवर्नमेंट को पहले कदम उठाना जरूरी है और प्रांत की सरकार को इसके अंदर मदद करना जरूरी है। यहां पर दोनों बिल्कुल अलग-अलग हैं, ऐसा नहीं है।

इसलिए जैसा मैंने पहले कहा, प्रांत की सरकार को और केन्द्र की सरकार को अपने-अपने क्षेत्र में काम करते हुए भी एक-दूसरे को मदद करना बहुत जरूरी है। प्रांत की सरकार को कानून और व्यवस्था के बारे में कदम उठाने हैं। केन्द्र की सरकार को हमारी सरहद पर क्या हो रहा है, इसकी वजह से सुरक्षा पर क्या असर हो रहा है, इसे समझकर उसके बारे में कदम उठाना बहुत जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूं। इस बारे में क्या किया जा सकता है, हमने सदन में इस पर चर्चा की है और बड़ी खुशी की बात है कि बहुत अच्छे मुद्दे इस संबंध में उठाये गये हैं। हमने इस बारे में बहुत सोचा है और बहुत चर्चा की है, पार्लियामेंट में भी इस बारे में चर्चा हुई है। अपनी कंसलटेटिव कमेटी में भी इस पर चर्चा हुई है और उसके बाद कुछ दिन पहले ही प्रधान मंत्री जी ने सारे प्रांत के मुख्यमंत्रियों को यहां बुलाकर इस संबंध में चर्चा की है, दिन भर चर्चा की है, सुबह से शाम तक चर्चा की है, करीब-करीब 7-8 घंटे कोई बाहर नहीं गया, एक जगह पर बैठकर उसकी चर्चा हुई है और उसमें से जो निष्कर्ष निकले हैं, वे बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं।

सबसे पहली बात जो वहां निष्कर्ष में आई थी, वह थी कि हमें स्टेट की पुलिस को मजबूत करना बहुत जरूरी है। बहुत दिनों से हम देखते हैं कि हमारा जो खर्च हो रहा है, पैसे का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम विकास की गतिविधियों, जैसे पावर, इरीगेशन, सड़क, स्कूल और हास्पिटल बनाने के लिए हम पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं और वह गलत नहीं है, वह होना बहुत जरूरी है। उसके बगैर ला एंड आर्डर मेनटेन नहीं किया जा सकता, मगर ये करते समय अगर हम यह भूल गए कि हमारी संख्या 30 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ गई है और कानूनों की संख्या, रोज हम यहां पर और स्टेट लेजिस्लेचर में बैठकर बढ़ा रहे हैं। अब लोग इस कानून का उपयोग और दुरूपयोग करके समाज के अंदर जो अच्छी और बुरी हालत पैदा कर रहे हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस की संख्या, हमारे पुलिस थानों की संख्या, उनके पास दिये हुए हथियारों का जो नेचर है, वह बदलना जरूरी है या नहीं, यह देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए यह सोचा गया है कि केन्द्र की ओर से स्टेट की पुलिस को मजबूत बनाने के लिए हम जरूर पैसा, विचार, हथियार, टैक्नालोजी और नया कानून देंगे तथा कुछ और भी चाहिए तो यह भी हम उनको देंगे। मगर प्रांत की सरकार को भी इस काम में पैसे खर्च करना जरूरी है। इस बारे में कदम उठाना जरूरी है और वे वहां पर इस बारे में चर्चा करें।

हमारे केन्द्र सरकार की जो पुलिस है, वह पुलिस खासकर सरहद पर काम करती है। जो हमारे पश्चिमी पड़ोसी हैं, वह सरहद पर हों या पूर्व में हमारे जो पड़ौसी हों, उसकी सरहद

पर जाकर केन्द्र की पुलिस काम करती है और खासकर नैक्सेलाइट एरिया में भी हम उनको उपयोग में ला रहे हैं। उसको भी मजबूत करने के लिए हम यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से पैसा खर्च करेंगे, यह बताया गया है। यहां पर बहुत सारे सदस्यों ने पुलिस के आधुनिकीकरण और पुलिस को ज्यादा मजबूत बनाने की चर्चा की और बहुत अच्छी चर्चा हुई है। मैं समझता हूं कि यह होना बहुत जरूरी है। इस चीज को ध्यान में रखकर केन्द्र की सरकार ने, आज की यहां की सरकार ने और पहले की सरकार ने बहुत पैसा देने का निश्चय किया है, पैसा निकालकर रखा है और वह पैसा दे रही है। मगर मैं यहां अगर यह कहूं तो आप बुरा मत मानिएगा कि उस पैसे का उपयोग होना चाहिए। अगर आधुनिकीकरण के लिए पैसा दिया गया है, और उसका उपयोग नहीं किया गया या दूसरे काम के लिए उसका उपयोग हो गया तो उससे अच्छे नतीजे नहीं निकलते हैं। कहीं-कहीं कुछ राज्यों की सरकारों ने बहुत अच्छा उपयोग किया है। कुछ स्टेट्स की सरकारों ने जैसा उपयोग किया है, उन्हें और अच्छा करने की जरूरत है। कुछ स्टेट्स की सरकारें जो उस पैसे का उपयोग नहीं कर सकीं, हम उनकी तकलीफों और अड़चनों को समझ सकते हैं।

सायं 6.00 बजे

उनसे हम विनती करना चाहते हैं कि मार्डनाइजेशन के लिए हम जो पैसा दे रहे हैं, उसका सही उपयोग किया जाए। मार्डनाइजेशन के बारे में हम केवल आज की स्थिति को ध्यान में रखकर नहीं सोच रहे हैं, बल्कि हम अगले 10 साल, 20 साल या 50 साल को ध्यान में रखकर मार्डनाइजेशन की कल्पना कर रहे हैं। पुलिस बल की ट्रेनिंग कैसी हो, उनका मनोबल बना रहे इसके लिए उनकी आवासिंग कैसी हो, उनकी तनख्वाह कैसी होनी चाहिए, उनका मोराल बना रहे इसके लिए देखना होगा कि उनके परिवार के बारे में कैसी व्यवस्था की जाए। इतना ही नहीं, उनको जो वाहन दिए जाते हैं, वे कैसे हों, उन्हें आर्मर्ड वेहिकल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर हर जगह माइन्स बिछाई जा रही हैं और पुलिस वालों को उड़ाया जा रहा है तो उनके वैहिकल आर्मर्ड हों या कैसे हों, अगर आर्मर्ड वेहिकल दिया जाना चाहिए तो वह कैसा हो-नये हों या पुराने हों, जैसे सेना के पास होते हैं। इन सब चीजों पर हम विचार कर रहे हैं।

हम यह भी विचार कर रहे हैं कि अगर पुलिस बल को तत्काल कहीं पहुंचना है तो सड़क से जाने में बहुत देर हो जाती है और तब तक कई घर जला दिए जाते हैं, तमाम लोगों की जानें चली जाती हैं। ऐसे में पुलिस बल को पहुंचाने के लिए क्या हवाई जहाज जैसी कोई व्यवस्था की जा सकती है या नहीं। इन दिनों में टेलीफोन और कम्युनिकेशन बहुत अहम हो गया है। हमने एक 'पोलनेट' बनाने की कल्पना की है, जिसमें राज्य के हर पुलिस थाने को राज्य की राजधानी से और राज्यों की राजधानियों को देश की राजधानी से जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार का मार्डनाइजेशन करने का हमारा विचार है। अभी मार्डनाइजेशन के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, लेकिन कभी अगर मौका मिला तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि हमारा इन चीजों को देखने का क्या दृष्टिकोण है।

सदन में श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने कानून बदलने की चर्चा की है। आईपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को बदलने की भी चर्चा की गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, वे अर्थपूर्ण हैं और हम इस दिशा में विचार कर रहे हैं। आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस ला में क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं, इसका अध्ययन करने के लिए कमीशन्स नियुक्त किए गए थे जिन्होंने अपनी सिफारिशें दे दी हैं। हो सकता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन के बारे में इसी सत्र में बिल लाया जाए जबकि आईपीसी और दूसरे स्पेशल लाज में बाद में संशोधन किया जा सकता है। इस दिशा में जो भी करने की जरूरत है, हम जरूर करेंगे।

इसी प्रकार के एक विचार का उल्लेख हमारे कामन मिनिमम प्रोग्राम में किया गया है और वह है कम्युनल डिस्टरबेंसेज सप्रेशन एक्ट की कल्पना। आज भी देश में कई जगहों पर कम्युनल डिस्टरबेंसेज होते हैं, जिनमें लोगों के घर जलाए जाते हैं, गांव जलाए जाते हैं और बहुत-से लोगों की जानें चली जाती हैं। हम किसी एक हादसे या किसी एक प्रान्त को ध्यान में रखकर नहीं चल रहे हैं, बल्कि हम पूरे देश को ध्यान में रखकर चल रहे हैं। इस प्रकार का एक कानून बनाने का सुझाव हमारे कामन मिनिमम प्रोग्राम में दिया गया था। हमने उसका एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है। कुछ समाचार पत्रों में भी इस आशय की खबरें प्रकाशित हुई हैं, लेकिन समाचार पत्रों में जो प्रकाशित किया गया वह पूर्णतः सही नहीं है, वह फाइनल रूप नहीं है। हमने एक प्रारूप बनाया है, हम उस पर अपने साथियों के बीच चर्चा करेंगे, कैबिनेट में चर्चा करेंगे, दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद उसे इन्टरनेट पर रखेंगे और लोगों से कहेंगे कि इस संबंध में आपके क्या सुझाव हैं। इसके बाद देश में चार स्थानों पर बड़े-बड़े सेमिनार आयोजित करेंगे, जिनमें इस प्रारूप पर चर्चा की जाएगी। इस प्रकार सबके विचारों और सुझावों के आधार पर उस प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जाएगा, जिसके आधार पर बिल बनाया जाएगा। उसके बाद वह बिल लोक सभा और राज्य सभा में आएगा और इसके बाद भी वह स्टैण्डिंग कमेटी में जाएगा। यह बिल बहुत अहमियत रखता है।

हमारे कुछ कानून ऐसे रहे हैं, जिन पर देश में बहुत चर्चा हुई है, उनमें से हिन्दू कोड बिल एक रहा है। यह कानून शायद

[श्री शिवराज वि. पाटील]

उतनी चर्चा नहीं करवाएगा, लेकिन इसके बारे में पूरे देश को, सभी लोगों को विश्वास में लेकर ही हम कम्युनल डिस्टरबेंसेज सप्रेशन एक्ट बनाने की कोशिश यहां कर रहे हैं। मैं एक और चीज के बारे में यहां बताना चाहता हूं। सदन में अभी किसी माननीय सदस्य की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि पुलिस जवानों का इंश्योरेंस किया जाना चाहिए। हर पुलिसकर्मी को आप इंशोर कीजिए, ताकि उसके साथ कोई हादसा हो जाए तो सरकार तो मदद करे ही, इंशोरेंस की भी मदद हो जाए। यह एक अच्छा सुझाव है। इस पर हमने मुख्य मंत्रियों के अधिवेशन में भी कहा था और यहां भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की इंशोरेंस की सुविधा आज भी है। सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेंडिचर से भी उनको इंशोर करने के लिए हमने मदद की है। उस पर अच्छे ढंग से विचार करके, बड़े पैमाने पर विचार करके, एक योजना बनाकर सारे पुलिस अधिकारियों को इंशोरेंस कवर देने पर हम विचार कर रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर, नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स और नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्रों में हमारी ला एंड आर्डर की स्थिति के बारे में भी यहां चर्चा की गई। पहले भी उसके बारे में काफी चर्चा हुई है। चर्चा होनी भी चाहिए और हम उसका स्वागत करते हैं। जम्मू-कश्मीर की परिस्थिति और नार्थ-ईस्टर्न राज्यों में ला एण्ड आर्डर और सिक्योरिटी की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। हमारी बहन महबूबा जी ने अभी बताया कि कैसे उन्होंने अपने राज्य में प्रयास किया। उन्होंने हीलिंग टच का उल्लेख किया और लोगों को समझाने की कोशिश की। हम उसकी सराहना करते हैं। वहां की सरकार और जनता ने जो कुछ भी किया है, वह सराहनीय है। इसी तरह से दूसरी जगह भी काम करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू-कश्मीर की स्थिति में सुधार हुआ है। हम आशा और प्रार्थना करते हैं कि वहां स्थिति ऐसे ही सुधरती रहे, उसे किसी की नजर न लगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अच्छी स्थिति का उल्लेख करते हैं तो उसके विपरीत कुछ लोग काम करने की कोशिश करते हैं। नार्थ-ईस्ट में भी परिस्थिति में सुधार आया है। इसका श्रेय यहां की सरकार नहीं लेना चाहती। इसका श्रेय हम वहां के लोगों और वहां की सरकारों को देना चाहते हैं। इसका श्रेय हमारे उन भाई-बहनों को जाता है, जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर, अपनी जान गंवा कर देश की और वहां की सुरक्षा की है। इसके लिए हम उन्हें सेल्यूट करते हैं और उनके सामने अपना मस्तक झुकाना चाहते हैं। हम उन्हें याद करना चाहते हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं, जिन्होंने जन्म तो केरल में लिया, लेकिन उत्तरी हिन्दुस्तान के किसी प्रांत में तैनात हुए और वहां के लोगों के लिए अपनी छाती पर गोलियां खाईं और अपनी जान गंवाई। वे यह नहीं समझते कि ये कौन हैं, वे सभी को अपना भाई समझते हैं इसलिए उन्हें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जिन्होंने गलती की है, उन्हें हम जरूर शिक्षा देंगे, टीका देंगे। लेकिन जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उन्हें नहीं भूलना चाहिए। जिस समय हमारा देश उन्हें भूल जाएगा, हमारी ताकत कम हो जाएगी। इसलिए मैं उन भाइयों को नमन करना चाहता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि यह पूरा सदन भी उन्हें एप्रिशिएट करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह किस पद्धति से किया जाए, हीलिंग टच का सवाल है, डायलाग का सवाल है, ये सब इसमें शामिल हैं। कभी-कभी कहा जाता है कि हमने डायलाग शुरू किया, लेकिन फिर बंद कर दिया और फिर शुरू कर दिया-ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन डायलाग से काम सुधरता है ऐसा हमने पंजाब, मिजोरम, नागालैंड में देखा है। डायलाग से काम सुधरता है, थोड़ा-बहुत हमने मणिपुर में भी देखा है। डायलाग से काम सुधरता है यह हमने असम में भी देखा। डायलाग से काम सुधरता है, यह हमने आंध्र प्रदेश में भी कुछ पैमाने पर देखा। यह अलग बात है कि आज की परिस्थिति थोड़ी सी अलग हो गई है। लेकिन डायलाग करने के लिए हम किसी के भी साथ हैं। जो लोग बाहर से आकर यहां आतंक फैला रहे हैं, हम उनके साथ भी डायलाग करना चाहते हैं, तो फिर क्यों नहीं हम अपने यहां के भाई-बहनों को समझाएं। हम उन्हें भी समझा रहे हैं कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं, वह ठीक नहीं है, उस रास्ते पर चल कर कुछ हासिल नहीं होगा। आप डायलाग करेंगे, तो आपके मन में जो इच्छा है, वह शायद सभी हम पूरी कर सकेंगे।

दूसरी हमारी नीति आर्थिक, सामाजिक और राजकीय न्याय देने की है। अगर किसी के पास जमीन है, किसी और ने हड़प ली है, तो उसे वापस देना चाहिए। अगर टेनेंसी एक्ट के तहत किसी के पास लैंड सरप्लस है, तो जिसके पास नहीं है, उसे मिलनी चाहिए। अगर किसी आदमी को घर देना है चाहे वह इंदिरा आवास योजना के तहत हो तो उस गरीब आदमी को घर मिलना चाहिए। अगर कोई ग्राम-पंचायत, ग्राम समिति, ग्राम सभा के चुनाव में हिस्सा लेना चाहता है, लोक सभा या अन्य किसी सभा के चुनाव में हिस्सा लेना चाहता है, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो, उसे मौका मिलना चाहिए। इसी प्रकार से आर्थिक, सामाजिक और राजकीय न्याय देकर किसी के मन में कोई गिला-शिकवा है तो वह बाहर निकाल कर उसे देश की मुख्य धारा में शामिल करने का और उनको यह कहने का कि यह सारा देश तुम्हारा है, तुम यहां आओ और बंदूक से नहीं, विचारों से देश की मुख्यधारा में आ जाओ और जो करना चाहते हो वह कर सको, यह करने की हमारी कोशिश है। कुछ-कुछ जगहों पर हमें बहुत यश मिला है और कुछ जगहों पर हमें बहुत निराशा मिली है। लेकिन निराशा से हम डरने वाले नहीं हैं और इस बात का प्रयास हम जरूर करेंगे।

कोआर्डिनेशन की हर जगह पर चर्चा होती है। कोर्डिनेशन तो सबसे बड़ा लोक सभा और राज्य सभा में होता है। यहां पर हर पार्टी और हर प्रांत के लोग अपने विचार रखते हैं। उन्हीं विचारों के आधार पर हम अपनी नीतियां बनाते हैं। कोआर्डिनेशन की जहां तक बात है तो हमारे पास कमेटियां हैं। होम-सचिव के स्तर पर एक कमेटी बनाई गयी है जिसके अंदर हर प्रांत के होम-सचिव आकर बैठते हैं और चर्चा करते हैं कि अगर यह मसला गलत हो रहा है तो इसे कैसे सुलझाया जाए। उन्हें तीन महीने में कम से कम एक बैठक अवश्य करनी होती है लेकिन अगर वे ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। इस प्रकार से होम-सैक्रेट्री के लेवल पर चर्चा करने के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए उसका निर्माण हमने पहले से किया हुआ है। उसके बाद सिक्योरिटी लेवल पर भी स्पेशल सचिव की एक कमेटी हमने बनाई है जिसके अंदर डीजी और अधिकारी लोग वहां पर बैठते हैं और वे हर महीने मिलते हैं और हर महीने मिलकर चर्चा करते हैं और कमेटी बनाकर काम करते हैं। परसों एक तीसरी कमेटी चीफ-मिनिस्टर्स की बनी है जिसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि उसके अंदर होम-मिनिस्टर और जिस भाग में नक्सलवाद है वहां के मुख्यमंत्री होंगे। इस प्रकार से कोआर्डिनेशन करने का प्रयास हमारा हमेशा के लिए रहेगा। उग्रवाद को अगर हमें कंट्रोल करना है तो सबसे अहम बात इंटैलिजेंस की होती है और उसे डैवलेप करने के लिए हमने यहां पर भी कुछ कदम उठाए हैं और प्रांत की सरकारों को भी कुछ कदम उठाने के लिए हमने कहा है। इसके ऊपर बहुत बोला जा सकता है लेकिन आज इसका वक्त नहीं है।

तीसरी बात जो है वह डिजास्टर-मैनेजमेंट की है जो कुछ माननीय सदस्यों ने कही। हमारी नेता माननीय सोनिया जी ने इस पर खास जोर दिया है और मैं इसका श्रेय हमारे साथी माननीय कपिल सिब्बल जी को भी देना चाहता हूं क्योंकि सबसे पहली कल्पना इस बारे में उनकी तरफ से आई थी। हमने अपने मैनीफैस्टों में उसे रखा है। उसके बाद वह डैवलेप होती चली गयी। उसकी पालिसी, कानून और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होनी चाहिए और उसका कंक्रीट शेप आज उसे मिलने जा रहा है। हमने डिजास्टर मैनेजमेंट बिल बनाया है, वह पास हुआ है और वह ग्रुप आफ मिनिस्टर्स के पास भी गया था। उन्होंने जो दो-चार सुझाव दिये हैं उनको भी इंक्लूड करके बिल हम आपके सामने रखेंगे कि स्टैंडिंग कमेटी में आप उसके ऊपर विचार करें तथा आपके जो सुझाव आयेंगे उनको भी उसके अंदर इंकोपरेट किया जा सकता है। हमारी नेता माननीया सोनिया जी ने कहा कि अगर इस बिल को बनने में साल-दो साल लग गये तो यह अच्छी बात नहीं होगी। आर एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से बनाइये। हम एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी बनाने जा रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी कहा है कि आप भी डिजास्टर मैनेजमेंट ला और डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी आप बनाइये और प्लान वगैरह कीजिए। जिले के लेवल पर भी इसके ऊपर काम होने जा रहा है।

डिजास्टर होने के बाद कैसे मदद करनी है, उसके अन्दर व्यवस्था की जाती है। यहां बहुत से सदस्यों ने चर्चा करते समय पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंधों की बात कही। यहां नेपाल की भी चर्चा हुई। नेपाल में आज जो हो रहा है हम उसे देख रहे हैं। हमारे देश के लोगों और सरकार का यह विचार है कि वहां लोकतंत्र बने रहना चाहिए। लोकतंत्र को उग्रवाद से या दूसरी किसी तरह हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। यही हमारा दृष्टिकोण है और हम उस दृष्टिकोण को बनाए रखने का काम कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के साथ जो संबंध है, प्रेजीडैंट मुर्शरफ साहब यहां आए और बहुत अच्छी चर्चा उनकी प्रधान मंत्री जी के साथ हुई: माहौल बहुत अच्छा बना और लोगों के दिल में ऐसी बात पैदा हो गई कि हम मिलकर काम कर सकते हैं जो बहुत बड़ी बात है। ऐसी उम्मीद करते हैं और हमारी ऐसी दुआ, प्रार्थना होगी कि हम इसी दिशा में काम करते जाएं, जिससे आगे चल कर हमारे संबंध अच्छे हो जाएं।

बांग्लादेश के बार्डर पर जो कुछ हुआ, उसका यहां उल्लेख हुआ। दुख की बात है कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश के बार्डर पर हादसा हुआ। अगर वह नहीं होता तो बहुत अच्छा लगता। ऐसा हादसा पहले भी हुआ था, जो होना नहीं चाहिए था। बांग्लादेश के गृह मंत्री जी ने खास तौर पर मुझसे टेलीफोन पर बात की और बताया कि उन्हें इससे बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने कहा कि 'आई एम सारी एबाऊट ईट'। हमने उनको कहा कि हम इसे बढ़ाना नहीं चाहते हैं मगर सौरी कह कर इस बात को समाप्त करना अच्छी बात नहीं होगी, आप इस मामले की जांच-पड़ताल कीजिए और जो दोषी हैं उनको सजा दीजिए, इसके बाद हम से चर्चा करिए। वहां के हालात सुधरने चाहिए। वे बिगड़ने नहीं चाहिए। हमने उसके ऊपर ध्यान रखा हुआ है। हम उस हालात को कंट्रोल करके मैनेज करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से संबंध न बिगड़ें, ऐसे हादसे न हों और हम लोग भी अपमानित न हों। हम यही दोनों दृष्टिकोण रख कर चलते हैं।

म्यांमा के मुखिया हमारे यहां आए थे। उनकी प्रधान मंत्री जी से बहुत अच्छी चर्चा हुई। उनकी जो भी मदद हो सकती है, वह की जा रही है। श्रीलंका की जितनी मदद हो सकती है, हो रही है। दक्षिण एशिया के देश एक-दूसरे के नजदीक हैं। उनके एक दूसरे के साथ ऐसे संबंध हैं कि अगर कोई एक चीज एक जगह बुरी हो जाए तो उसका असर दूसरी जगह पर पड़ता है। उग्रवाद और आतंकवाद किसी को भी काट सकता है। जहां

होता है, उसका वहां भी असर पड़ता है और जिस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, वहां भी असर पड़ता है, इसे समझने की जरूरत है।

मैं अंत में इतना कहूंगा कि हमारा बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ लोगों का देश है। खुशी की बात यह है कि सौ करोड़ लोगों की खासियत यह है कि टनका विश्वास अपने दम पर है, उनका विश्वास शांति और समझदारी पर है। जिस देश के 99 परसैंट लोग शांति पर विश्वास करने वाले हों, वहां आतंकवाद, उग्रवाद पनप नहीं सकता है। एक परसैंट लोग उग्रवाद में घिरे होंगे तो वे भी अंत में यही समझ लेंगे कि यह गलत रास्ता है।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि प्रान्तों और केन्द्र सरकार के जो सशस्त्र बल हैं, वे इतने तैयार, शक्तिशाली और मजबूत हैं कि ऐसी जो भी गतिविधियां होती हैं उनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये गतिविधियां बहुत भयंकर हैं। लोगों को डराना है, इसी को टैरारिज्म कहते हैं। हथियार से टैरारिज्म हो सकता है, इसी प्रकार की बात करके टैरारिज्म हो सकता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि देश के लोगों, सशस्त्र बलों और हमारे साथी भाइयों में इतनी ताकत है कि कोई गलत काम यहां पनपने नहीं दिया जाएगा। आपकी इजाजत से और ऐसा समझते हुए कि इसमें आपका हमेशा हिस्सा रहने वाला है, मैं यह बात कहने की हिम्मत कर रहा हूं। यह इसलिए नहीं है कि यहां कोई बड़ी बात कहनी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसलिए हमने ऐसा कहा है। आपने होम मिनिस्ट्री की डिमांड्स फार ग्रांटस के बारे में चर्चा करके पूरा समर्थन दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, मैं दो प्रश्न करना चाहता हूं। कृपया मुझे इसकी अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: हमने अभी मिनिस्ट्री आफ साइंस एंड टेक्नोलाजी की डिमांड्स फार ग्रांटस लेना है। अगर आपको समय दिया तो और सदस्यों को भी देना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: लाल सिंह, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: लाल सिंह, आप बैठ जाईए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

अब मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 1 में गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्याओं 52 से 56 और 95 से 99 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.22 बजे

सामान्य बजट 2005-2006—अनुदानों की मांगें

(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब मद संख्या 15, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 82 से 84 तक को चर्चा और मतदान के लिए लेगी।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

केवल एक सदस्य श्री बची सिंह रावत 'बचदा' ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव की सूचना दी है। वह सभा में उपस्थित नहीं हैं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

''कि कार्यसूची के स्तम्भ 1 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्याओं 82 से 84 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।''

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई वर्ष 2005-2006 के बजट (सामान्य) की अनुदानों की मांगें

मांग संख्या और मांग का शीर्षक		दिनांक 17 मार्च, 2005 को सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि		सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय					
82.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	205,70,00,000	12,34,00,000	1298,48,00,000	141,71,00,000
83.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान	255,88,00,000	3,50,00,000	1280,15,00,00	17,47,000,000
84.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	73,10,00,000	-	383,50,00,000	2,00,00,000

अब श्री अरूण कुमार वुन्डावल्ली बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया एक मिनट प्रतीक्षा कीजिए।

[हिन्दी]

आप पांच मिनट से अधिक समय नहीं लेंगे क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलाजी की डिमांड्स फार ग्रांटस को सात बजे खत्म करना है।

[अनुवाद]

अब आप अपना भाषण शुरू करेंगे।

***श्री अरूण कुमार वुन्डावल्ली** (राजामुन्दरी): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी पार्टी की ओर से वर्ष 2005-2006 हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के संबंध में बोलने का अवसर दिया गया है।

*मूलतः तेलगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, भारत युगों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमि रही है। भारत उस समय भी अच्छा खासा विकसित था जब संसार को यह भी पता नहीं था कि सभ्यता क्या होती है। अलबर्ट आइन्स्टीन के शब्दों में, ''हम भारतीयों के अत्यधिक ऋणी है जिन्होंने हमें गणना करनी सिखाई जिसके बिना कोई भी लाभकर वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी''। एक अन्य विशिष्ट जन मार्क ट्वेन ने यह कहा कि ''भारत मानव-जाति का पालना, मानव भाषा का जन्म स्थल, इतिहास की माता पौराणिक कथाओं की मातामही और परंपराओं की प्रमातामही है''। भारत की विगत में इस प्रकार की विशिष्ट स्थिति थी। भारत 5000 वर्ष पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। परन्तु यह विभिन्न बात है कि इतने गौरवशाली विगत के साथ यह राष्ट्र ऐसे राष्ट्रों से पिछड़ रहा है जिन्होंने हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रवेश किया है। हम इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज इसलिये पिछड़ गये है क्योंकि सरकार से कोई पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है।

महोदय, तेलगू पूरब की इटालियन है और मैं एक समृद्ध भाषा में बोल रहा हूं। महोदय, इस देश में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक ऐसा क्षेत्र है जो

[श्री अरूण कुमार वुन्डावल्ली]

न केवल देश की आर्थिक स्वतंत्रता के लिये महत्वपूर्ण है अपितु देश में जनसाधारण हेतु अपेक्षित और अधिक रोजगार पैदा करने में भी मदद करता है। यह सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता करता है। इसके लिये इस मंत्रालय हेतु आबंटन अपेक्षित स्तर तक किया जाना चाहिये। केवल तभी यह संभव हो सकेगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के परिणाम (लाभ) अत्यधिक गरीब लोगों, जो गरीबी रेखा से काफी नीचे है, तक पहुंच रहे हैं।

महोदय, ऐलो वीरा (धीकुंवार), एक जड़ी बूटी जो सामान्यत: देश में हर जगह पाई जाती है, अत्यधिक औषधीय उपयोगिता वाला पौधा है। यह देश में बड़े पैमाने पर पैदा होता है। पूरे संसार में यह अपनी औषधीय उपयोगिता के लिये जाना जाता है। मैक्सिको और ब्राजील बड़े पैमाने पर इस पौधे को लगाते है। अमेरिका के लोग कई बीमारियों के लिये इस पौधे का उपयोग कर रहे है। महोदय, देश में कुल क्षेत्र का 30% अब फ्लोरोसिस, एक रोग जो मुख्य रूप से हमारे बच्चों विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे है को प्रभावित करता है, इसकी चपेट में है। यह रोग हड्डियों के बनने को प्रभावित करता है। फ्लोरोसिस को 'ऐलो वीरा' से प्रभावशाली ढंग से ठीक किया जा सकता है। हम हर जगह उपलब्ध इस पौधे कि मदद से इस भयानक रोग का मुकाबला करने के लिये कदम क्यों नहीं उठाते है। हमें इस उद्देश्य हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है।

उसी प्रकार, महोदय, अब यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि यदि प्रतिदिन 10 ग्राम इमली का उपयोग किया जाये तो इससे फ्लोरोसिस रोगों का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। मैं विभिन्न मंचों से इस बात को बार-बार कह रहा हूं परन्तु इस तथ्य की ओर कोई पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है इमली के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिये कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। एक कारण जो मुझे प्रतीत होता है वह यह है कि यदि इस समस्या का समाधान न्यूनतम व्यय से किया जाये तो निहित स्वार्थी तत्वों को विभिन्न स्तरों पर लाभ नहीं मिल सकता है जो केवल समस्या के समाधान में अधिक व्यय करने का प्रयास करते है।

उसी तरह कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अब साफ्टवेयर के स्वतंत्र और खुले स्रोत उपलब्ध है और इनका हर जगह उपयोग होता है। राज्य सभा में 11 दिसम्बर, 2003 को इसके उपयोग के बारे में भी एक प्रश्न पूछा गया था। इसके बावजूद, की संगठन और विशेषकर सरकारी उपक्रम 20 लाख, 25 लाख अथवा एक करोड़ रुपये की अत्यधिक राशि खर्च करके माइक्रोसाफ्ट जैसे महेंगे साधनों का अभी भी उपयोग कर रहे है। मैं एक बार फिर इस कड़वे सत्य को सरकार के ध्यान में लाता हूं।

महोदय, देश में 45000 औषधीय पौधे उपलब्ध है और वेद जैसे प्राचीन धर्मग्रन्थों में 2532 जड़ी-बूटियों के बारे में उल्लेख किया गया है। सरकार को अवश्य ही इसकी सही उपयोगिता को सामने लाने के लिये अच्छी तरह से अनुसंधान करना चाहिये। सरकार को इन बहुमूल्य जड़ी-बूटियों और पौधों के लिये पेटेंट प्राप्त करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिये।

महोदय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है और इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विश्व में आगे रहे। इससे हेतु, सांकेतिक आबंटन से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। मुझे डर है कि सांकेतिक अनुदानों के साथ हम हमेशा के लिये पिछड़े रहेंगे। देश के भीतर इन क्षेत्रों में पर्याप्त प्रतिभा उपलब्ध है। माइक्रोसाफ्ट में 34% कार्मिक भारतीय है और 36% नासा वैज्ञानिक भारतीय है। आई.बी.एम., जिरोक्स और इंटेल जैसे प्रसिद्ध संगठनों में कई व्यक्ति भारतीय है अमेरिका में 12% वैज्ञानिक भारतीय है। उस देश में 38% डाक्टर भारतीय है। अत: इतने अधिक वैज्ञानिकों, डाक्टरों और प्रौद्योगिकीविदों के होने से यह देश सभी क्षेत्रों में शीर्ष पर हो सकता है।

महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण मंत्रालय की मांगों के संबंध में बोलने के हेतु अवसर प्रदान करने के लिये आपका धन्यवाद करते हुये अपना भाषण समाप्त करता हूं और मेरे तेलगू में भाषण को सुनने और उसे पसंद करने के लिये माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं।

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे चर्चा में भाग लेने हेतु यह अवसर प्रदान करने के लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं सामान्यत: विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सम्पूर्ण प्रस्ताव जिसमें प्रावधान 20 प्रतिशत अथवा उससे ज्यादा बढ़ाये गये है सामान्यत: अच्छे है।

परन्तु, प्रारम्भ में, मैं मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के संबंध में अपना असंतोष व्यक्त करूंगा जिसने इस वर्ष तथा पिछले वर्ष भी बजट चर्चा का बहिष्कार किया था। इससे बजट के प्रति उनकी लापरवाही तथा गैरजिम्मेदारी प्रदर्शित होती है और इसलिये निस्संदेह देश की जनसंख्या के प्रति उपेक्षा दिखाई देती है। मैं महसूस करता हूं कि हमें मुख्य विपक्षी-पार्टी द्वारा अनुदानों की मांगों को बहिष्कार करने के इस दृष्टिकोण की भर्त्सना करनी चाहिये और जिसे उचित नहीं कहा जा सकता है और देश के जनसाधारण द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के पास अत्यधिक वैज्ञानिक प्रतिभा है। हमारे वैज्ञानिक जो सी.एस.आई.आर., डी.एस.टी. और डी.बी.टी. में कार्य कर रहे है वास्तव में अदभुत कार्य कर रहे है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। परपरागत रूप से भी, जैसे-जैसे सभ्यता का विकास हुआ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी कुछ वर्षों के दौरान विकास हुआ-चाहे यह आर्यभट्ट हो अथवा चाहे यह चरकसुश्रुत जो हमारे देश का गौरव है। हमें आज भी इसे आगे अवश्य लाना चाहिये।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते हुये हमें अवश्य ही वैज्ञानिक प्रकृति के मुद्दों का उल्लेख करना चाहिये विशेषकर जैसे पंडित नेहरू ने देश के भविष्य हेतु देखा था। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा परन्तु कई मामलों में वैज्ञानिक प्रकृति, शोध प्रबंध, गैर-शोध प्रबंध, संश्लेषण और इस तरह की तर्कपूर्ण विचारधारा पर हमारे वैज्ञानिक समुदाय द्वारा भी उचित रूप से विचार नहीं जा रहा है।

मैं केवल चार अथवा पांच सुझाव दूंगा। जी हां, हमारे अत्यधिक प्रभावशाली वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संघ (पूल) के होने के बावजूद, मेरा विश्वास है कि सरकार की सम्पूर्ण योजना में न केवल इस वर्ष हेतु अपितु कई वर्षों में कुछ तीन अथवा चार अतिरिक्त मुद्दे ध्यान में रखने चाहिये। यह उस दिशा से संबंधित है जिस पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ना चाहिये। यहां अनुसंधानकर्त्ताओं के बीच आपसी सामंजस्य होना चाहिए और देश को अपने वैज्ञानिकों के लिए उचित मूलभूत ढांचा विकसित करना चाहिए।

यदि हम श्री वी.पी. सिंह या स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के भाषणों को देखें तो हम बार-बार यह भी पायेंगे कि वे सदैव कृषि और ग्रामीण विकास की बात करते हैं तथा ग्रामीण लोगों के विकास और सामाजिक विकास के पहलू पर ध्यान देते रहे हैं। संभवतः इसके लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

मैं यहां केवल दो या तीन मुद्दों का ही उल्लेख करना चाहूंगा। पहला, कुपोषण से संबंधित है। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने कई बार इसका उल्लेख किया है। कुपोषण हमारे देश में अब भी व्याप्त है, विशेषकर समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों में। 'मध्याह्न भोजन की योजना यद्यपि ठीक है, पर यह अपने आप में समाधान नहीं है। इसलिए, हमें यह देखना होगा कि क्या हम एक सस्ते और अधिक पोषण तत्व वाले खाद्य पदार्थ की दिशा में कोई कार्य योजना बना रहे हैं अथवा नहीं, और क्या हमारे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान इस दिशा में आगे बढ़ रहे है कि इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाये।

इसी तरह का प्रश्न हमारी परम्परागत औषधियों को लेकर है। स्पष्टतः यह हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हम परम्परागत औषधियों को आधुनिक ढंग से विकसित करने के लिए विपरीत इंजीनियरिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। यही बात जैव-रसायनों तथा जैव-कीटनाशियों पर भी लागू होती है।

अब इस देश में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पानी का अलवणीकरण है क्योंकि भविष्य में पानी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनने जा रहा है। इसी तरह, भूकंप प्रवण क्षेत्रों के माइक्रोजोनेशन से संबंधित मुददा है। हम आपदा प्रबन्धन की बात करते है। हम भवन निर्माण के क्षेत्र में किस तरह विकास कर सकते हैं। इन सब बातों की सही ढंग से योजना तैयार की जानी चाहिए।

महोदय, मुझे बहुत ही कम समय दिया गया है। मैं सरकार की सराहना करता हूं कि वह इन दिनों स्टेम-सेल रिसर्च, नैनोटेक्नालाजी, अमारफस सिलिकान डेवलपमेंट, फ्यूलसेल, बायो-डीजल आदि से संबंधित कुछ मिशन आधारित कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। कई मामलों में तो उचित समन्वय और बल दिये जाने की आवश्यकता है। कुछ मामलों में तो हम टीआईएफएसी ग्रामीण प्रौद्योगिकी तथा ग्रामीण विकास आदि पर पर्याप्त बल और उसे पर्याप्त महत्व नहीं दे रहे है।

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

डा. सुजान चक्रवर्तीः चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं संक्षेप में केवल चार-पांच बातें कहूंगा ...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): महोदय, यह उनका पहला भाषण है इसलिए उन्हें कृपया थोड़ा ज्यादा समय दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदयः मैं और अधिक समय नहीं दे सकता। मैं पहले ही उन्हें दस मिनट का समय दे चुका हूं।

डा. सुजान चक्रवर्तीः महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मुझे बताया गया था कि मुझे 10 मिनट का समय दिया जा रहा है। चूंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं शीघ्र ही अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास करूंगा।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में आई.सी.एम.आर. और आई.सी.ए.आर. तथा डी.एस.टी. जैसी संस्थाएं है। हमारे यहां अयूष जैसी परंपरागत औषधि भी उपयोग में लायी जाती है। हमें देखना होगा कि इस दिशा में क्या कार्य योजना तैयार की जा सकती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भेषज में वृद्धि दर 12 प्रतिशत से ऊपर बनी रहेगी। एन.आई.पी.ई.आर. की तरह का संगठन रसायन और पेट्रोरसायन में व्यापार करता है। हमें यह देखना होगा

[डा. सुजन चक्रवर्ती]

कि हम सभी तरह के भेषज अनुसंधान के लिए इस संगठन को कैसे विकसित कर सकते है और इन सबको एक साथ कैसे लाया जा सकता है। इसी तरह हमारे देश में जैव विविधता का भी सवाल उठता है और मैं समझता हूं कि जैव प्रौद्योगिकी में विकास को सही दिशा दी जानी चाहिए। हमें आयात विकल्प के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए और मैं समझता हूं हमारे देश कीयही प्राथमिकता होनी चाहिए।

महोदय, परम्परगता रूप से कोलकाता विज्ञान और प्रौद्योगिकी का केन्द्र रहा है, और आजादी के पहले से रहा है। इसका विकास ऐतिहासिक रूप से हुआ है और अपने आप परंपरागत रूप से भी हुआ है। अब मेरा निवेदन है कि सरकार इस बात का पता लगाये कि विज्ञान के इस प्राकृतिक केन्द्र को कैसे विकसित किया जा सकता है और हमें इस पहलू की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए।

हमारे देश की मेधा विदेश भाग रही है। यह प्रतिभा पलायन का मामला है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह प्रतिभा पलायन का मामला नहीं है अपितु यह हमारे देश की मेधा का विदेश में चला जाना है और इस तरह हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक आर्थिक नुकसान पहुंचता है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि यह पैसे के कारण हो रहा है, बेहतर सुविधाओं के कारण हो रहा है या फिर उनकी बाहर जाने की प्रवृत्ति के कारण हो रहा है। देश के इन सभी बातों पर विचार करना होगा। अनुसंधान और विकास कार्य के बजट में यद्यपि इस बार कुछ बढ़ोत्तरी की गई है तथापि हम इस पर अब भी एक प्रतिशत से कम धनराशि खर्च कर रहे है।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

डा. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, केवल एक मिनट रुकिए।

हमें इस पर दो प्रतिशत से अधिक राशि खर्च करनी चाहिए। यूरोपीय अर्थव्यवस्था में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मद में तीन प्रतिशत व्यय का प्रस्ताव किया गया है। हमें यह देखना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमारा व्यय किस तरह बढ़े और हम इस समस्या का समाधान कर इस क्षेत्र में कैसे विकास करे।

कई संगठनों के पास बहुत सी प्रभावी और कुशल अनुसंधान केन्द्र है, लेकिन हमें देखना यह है कि लोगों तक इनका लाभ कैसे पहुंचता है। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं। लेकिन मुझे बहुत कम समय दिया गया है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। हमारे देश में बहुत ही असरदार ढंग से अनुसंधान और विकास कार्य हो रहे हैं। हमें देखना यह है कि लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।

मेरा प्रस्ताव है कि सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय से संबंधित एक चैनेल की शुरूआत करे जिससे देश के किसानों, ग्रामीणों, शहरवासियों तथा युवाओं को दिन प्रतिदिन के अनुसंधानों के बारे में जानकारी हो सके ताकि समाज का विकास प्रभावी ढंग से हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय: डा. चक्रवर्ती आप अपने लिखित सुझाव माननीय मंत्री जी को दे सकते हैं। अब आप अपनी बात समाप्त करे, मैं अगले वक्ता को बुलाने वाला हूं।

डा. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, मेरा अंतिम सुझाव यह है कि हम लोक सभा और राज्य सभा चैनलों का प्रयोग उचित ढंग से इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर सकते है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री तरित बरण तोपदार: महोदय, इस विभाग को विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय करने वाले एक शीर्ष मंत्रालय के रूप में कार्य करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया।

महोदय, हाल ही में भूगर्भीय हलचल के कारण भारत में जो सुनामी आई, उस समय तमाम पशु-पक्षियों को तो जानकारी हो गई थी, लेकिन हमारे यहां साइंड एंड टैक्नोलाजी विभाग उसका पता नहीं लगा पाया, जिससे जान-माल की भारी हानि हुई।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दें ताकि इस प्रकार की दैवी आपदा, भूकंप हो या तूफान, इनके बारे में हमको पहले से पता लग गए। उत्तर प्रदेश में बीरबल साहनी पुरावनस्पतिक विज्ञान संस्थान, लखनऊ के अंदर 1948 में स्थापित हुआ था। जिसमें पौधों के जीवाश्मों के विभिन्न पहलुओं पर व्यावहारिक और आधारभूत अनुसंधान कार्य होता है। वहां की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस स्थिति को सुधारने में कुछ योगदान दें।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नागर विमानन प्रशिक्षण, बंगौली का मौसम विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, एक नागर विमानन विभाग के यातायात कर्मचारियों की प्रशिक्षण केन्द्र नव्हरौली संबंधी आवश्यकताओं को

पूरा करने के लिए वहां पर स्थापित है, जो आपके विभाग से संबंधित है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा इस ओर विशेष ध्यान दें ताकि वहां पर हमारे तमाम वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त कर भविष्य में हमें सुविधा दे सकें।

दूसरी बात, आईएम क्षेत्र बायोटिक पार्क लखनऊ में स्थापित हो चुका है। राज्य सरकार तथा अन्य संगठनों की परियोजनाओं का मूल्यांकन यह विभाग करेगा जिससे हमें पता चलेगा कि हम विकास में कितनी प्रगति पर रहे हैं। इसके साथ वेब इनबिल्ट स्टेटवाइट डिजिटल डाटाबेस एंड जीआईएस आफ कैडस्ट्रल मैप्स परियोजना में भारत सरकार ने 75 परसेंट देने का वायदा किया था और बाकी 25 प्रतिशत धनराशि डेनमार्क सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई थी लेकिन भारत सरकार के पास यह योजना लंबित है। मैं चाहूंगा कि इस तरफ माननीय मंत्री जी जल्दी-से-जल्दी स्वीकृति प्रदान करें।

दूसरा ट्रेनिंग एंड डिमांस्ट्रेशन आफ इंप्रूव्ड लो कास्ट प्रोसेसिंग एंड प्रिजरवेशन आफ हार्टीकल्चर प्रोड्यूस फार सस्टेनेबिल डेवलपमेंट आफ पुअर एंड मार्जिनल फारमर्स आफ लखनऊ रीजन आफ यूपी में 74.33 लाख रुपए की उक्त योजना भारत सरकार के पास लंबित है। मैं चाहूंगा इस पर भी माननीय मंत्री जी जल्दी-से-जल्दी स्वीकृति दें। इसी प्रकार एस्टेब्लिसमेंट इनसिफैलाइटिस रिसर्च यूनिट में 58.83 लाख की उक्त योजना भारत सरकार के पास लंबित है मैं चाहूंगा इसे भी मंत्री महोदय स्वीकृति दें। इसी प्रकार डिमॉस्ट्रेशन आफ पोस्ट हारवेस्ट टेक्नालाजी आफ मेडिसिनल प्लांट्स एण्ड प्रोसेस टु डेवेलप प्रोडक्ट फार हेल्थ केयर टू वीकर सेक्शन के लिए 29.89 लाख रुपए की उक्त योजना भारत सरकार के पास लंबित है, इसे भी आप जल्दी स्वीकृति दें। इसी प्रकार रामपुर, उत्तर प्रदेश में तारामण्डल की स्थापना के लिए 13.44 करोड़ की उक्त योजना भारत सरकार के पास लंबित है, जिसे आप लागू कर दें। मेरे जनपद आनंद भवन में, जो कि ऐतिहासिक आजादी की लड़ाई का केन्द्र बिन्दु रहा है, वहां पर भी तारा मण्डल चल रहा था, लेकिन इस समय वह बंद पड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा कि उसे भी चालू करवाया जाए, ताकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय या अन्य बाहर से आने वाले यात्री उस तारामण्डल को देखकर विज्ञान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें। उसे तुरंत शुरू करवाने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ये तमाम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य में भारत सरकार के द्वारा विचाराधीन हैं, उन पर धन जल्दी से जल्दी स्वीकृत करें, ताकि ये कार्य जल्दी से जल्दी सम्पन्न हो सकें।

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की मजबूती हर युग में विकास की गति को त्वरित करने वाला कारक सिद्ध हुई है। देश में विकसित प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग देश की सकल उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि का बहुत बड़ा कारण बन सकता है और मानव संसाधन की कार्यक्षमता में वृद्धि करने वाला वैज्ञानिक विकास ही भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश के लिए सर्वोपयोगी सिद्ध हो सकता है। विज्ञान ने खासकर इस देश में बहुत विकास किया है, लेकिन आज चुनौती के स्तर पर हो रहे विकास से कदम मिलाने की बात, आज के पेटेन्ट युग में विश्व के अंदर प्रतिस्पर्द्धा में अपने आर्थिक वजूद को बनाए रखने और बढ़ाने की है। इसके लिए अपने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, उनके उत्पादों को अधिक से अधिक सस्ता बनाने की कोशिश इस क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में विकसित देशों के उत्पाद अपना बाजार बनाने की कोशिश में सफल होते दिख रहे हैं। चीन, ताईवान और कोरिया जैसे देशों के मुकाबले में मूल्य प्रतिस्पर्धा में हम टिक सकें। इसका उपाय चीजों को सस्ता कर के किया जा सकता है। इसलिए सरकार को इस क्षेत्र में ज्यादा एलोकेशन करने की आवश्यकता है।

महोदय, इन्फर्मेशन टैक्नौलौजी के अंतर्गत खासतौर से साफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत का विश्व में स्थान है, लेकिन इसके बावजूद इस देश से साफ्टवेयर की शिक्षा प्राप्त लोगों का पलायन बहुत तेजी से कई वर्षों से होता जा रहा है। अब आवश्यकता सिर्फ उन्हें रोकने की ही नहीं है बल्कि उनकी क्षमता का सदुपयोग करने की है। इसके लिए अपने देश में ही इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए और उनकी मेधा का उपयोग कर के, पूरे विश्व की लीडरशिप अपने हाथ में भारत ले सकता है। इसके लिए साइंस टैक्नौलौजी मंत्रालय को इस क्षेत्र में ज्यादा एलोकेशन देने की आवश्यकता है।

महोदय, विज्ञान के विकास की दिशा में, देश में पाए जाने वाले प्रचुर अनुपयोगी साधनों का उपयोग बढ़ाने की दिशा मोड़ना आवश्यक है। साथ ही इस दिशा में हो रहे वैज्ञानिक विकास का उपयोग जमीन तक पहुंचाने की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में, उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए नए-नए उपकरणों को ईजाद करने के लिए ज्यादा एलोकेशन किए जाने की आवश्यकता है। पोस्ट हारवेस्टिंग स्टेट्स में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जो इंस्टीट्यूशन्स हैं, उनकी एलोकेशन बढ़ाने की आवश्यकता है। जैव-विज्ञान के क्षेत्र में असंस्कृत उत्पाद सस्ते हों और सरलता से छोटे-बड़े किसानों को मिल सकें, इसकी व्यवस्था करना भी हमारी प्राथमिकताओं में लाए जाने की आवश्यकता है।

पारम्परिक ऊर्जा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अधिक से अधिक एलोकेशन की आवश्यकता है, ताकि प्रचुर मात्रा

[श्री आलोक कुमार मेहता]

में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा सके। इस हेतु मैं माननीय संसद टैक्नौलौजी मिनिस्टर का ध्यान खाद्य प्रौद्योगिकी की ओर दिलाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में बहुत बड़ी सम्भावनाएं हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में जहां उसका उत्पादन ज्यादा होता है, जहां उसके रॉ-मेटीरियल ज्यादा पाए जाते हैं, जो कृषि प्रधान राज्य हैं, जिनमें बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य आते हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने और उस रिसर्च आउटपुट को नीचे तक पहुंचाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इस हेतु प्रचार-प्रसार करने के लिए भी मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं।

महोदय, प्रसंस्कृत उत्पादों के प्रचार-प्रसार में हमारे देश में बहुत कमी है। हमारे यहां बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, जहां पर प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री और कृषि उत्पादन होता है, लेकिन वहां उसमें वैल्यू एडीशन नहीं हो पाता है। वैल्यू एडीशन करने के लिए रिसर्च को उसी ओर ओरिएंट किया जाना चाहिए और उसके उत्पादों का अच्छा मूल्य संवर्धन हो सके, उसके मूल्य में अपग्रेडेशन हो सके, इसके लिए रिसर्च क्षेत्र को ओरिएंट किया जाना चाहिए।

महोदय, इन्फर्मेशन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्लीज, आप कनक्लूड कीजिए।

श्री आलोक कुमार मेहता: सर, मैं पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं। अब आपको केवल एक मिनट में समाप्त करना है।

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय, हमारे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान रिसर्च की प्रयोगशालाएं हैं। इनमें जैव-विज्ञान के क्षेत्र में 11 प्रयोगशालाएं हैं, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 7, इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में 14, सूचना विज्ञान के क्षेत्र में 2 और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 5 प्रयोगशालाएं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं और उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य में एक भी प्रयोगशाला नहीं है, जबकि वहां पर अत्यधिक सम्भावनाएं हैं। वहां के बहुत सारे लोग विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में सारे देश में काम कर रहे हैं। वहां के बहुत से लोग विदेशों में भी काम कर रहे हैं, लेकिन वहां साइंस टैक्नौलौजी के क्षेत्र में बहुत कम कालेज हैं। मात्र 6-7 कालेज होंगे और वहां से बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी साइंस एवं टैक्नौलौजी की पढ़ाई करने के लिए दक्षिण भारत के राज्यों में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, जहां वे इंजीनियरिंग कालेज और आई.आई.टीज. में पढ़ते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि वहां पर अधिक से अधिक संख्या में इंजीनियरिंग कालेज, आईटीआई की स्थापना हो। खास तौर से हमारे लोक सभा क्षेत्र में एक भी इंजीनियरिंग कालेज और आईटीआई नहीं है, इसलिए समस्तीपुर में इंजीनियरिंग कालेज और आईटीआई की स्थापना हो। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जो टिप्पणी की गई है, मैं व्यर्थ व्यय के संदर्भ में माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस संदर्भ में जांच के आदेश दिए जाएं और सन् 2000-02 के बीच में इस क्षेत्र में जो 17.93 लाख रुपए का व्यर्थ व्यय किया गया था, उसकी जांच कराई जाए और उसके दोषियों को सजा दी जाए।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने जो मुझे बोलने का समय दिया।

सायं 6.51 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग पर बोलने का अवसर दिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग की स्थापना 1985 में राष्ट्रपति की अधिसूचना के द्वारा की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य स्वदेशी प्रौद्योगिकी संवर्धन विकास समुपयोजन और अंतरण से संबंधित कार्य करना होता है। सामाजिक रूप से जागरूक संगठन होने के नाते सीएसआईआर और जनता के लिए आवश्यक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने का मकसद रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, दूसरी ओर जीवन की गुणत्ता सुधारने के लिए विविध प्रौद्योगिकी विकसित करना है।

महोदय, उद्योग और अनुसंधान विकास ने जहां बेरोजगारी को दूर करने का काम किया है, वहीं पर जो पुराने घरेलू उत्पाद और कुटीर उद्योग थे, उन्हें समाप्त करने का काम किया है। आज 57 साल की आजादी के बाद तरक्की के नाम पर हम सोफ्टवेयर और हार्डवेयर में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन हमें आज यहां यह विचार करना होगा कि इन 57 वर्षों में, जो हजारों साल पहले हमारे देश की तकनीक थी, चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी जो जड़ी-बूटियां काम कर रही थीं, क्या वे आज प्रासंगिक नहीं हैं? आज बहुत से वैज्ञानिक संस्थानों और संगठनों द्वारा असार्वजनिक सूचना की कमी के कारण, उनकी पहुंच तक न पहुंचने के कारण संस्थानों के अनुसंधानकर्त्ताओं और स्टाफ तक ही सीमित रहता है। अत: इन मूल्यवान सम्पत्तियों तक सभी संभावित उपयोगकर्त्ताओं की पहुंच सुगम बनाने के लिए एक तंत्र के विकास करने की आवश्यकता है।

महोदय, आज हमने सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चाहे जितनी तरक्की कर ली है, लेकिन आज यह भारत गांवों, किसानों एवं मजदूरों का देश है। आज भी 57 साल की आजादी के बाद तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, जहां के लोगों ने आज तक रेलगाड़ी नहीं देखी है। ऐसी स्थिति में सर्वशिक्षा अभियान, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कार्यक्रम कारगर साबित नहीं होते हैं। आज सूचना का सशक्त माध्यम टीवी, मीडिया और विज्ञान के प्रसार-प्रचार करने से आने वाली पीढ़ी पर कुप्रभाव पड़ रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: राजाराम जी, आप बाकी भाषण सभा पटल पर ले कर दीजिए,

[अनुवाद]

इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आपका लिखित भाषण है आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल: जहां हमने आज विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास के आयाम खड़े किए हैं, वहीं हमारे घरेलू उद्योगों का उत्पादन, आधुनिक तकनीक से बने उत्पादों के कारण स्वत: रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं।

महोदय, मैं कानपुर से चुन कर आता हूं, कानपुर एक औद्योगिक नगरी थी और उसे उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहा जाता था। वहां जो एनटीसी की मिलें थीं, वहां से पूरे देश को सूती कपड़ा आयात होता था, लालइमली जैसी जगह से जो अच्छा ऊन पूरे देश में जाता था, आज वे मिलें पूरी तरह से बंद पड़ी हैं। स्वदेशी विकास करने वाली, भारतीय जनता पार्टी ने यहां विदेशी कम्पनियों को लाकर हमारे स्वदेश के कारखानों को पूरी तरह समाप्त करने का काम किया है। यहां मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि कानपुर जैसी जगह में, जहां की मिलें पूरे देश को कपड़ा और ऊन देती थीं, ऐसी मिलों को उनके संवर्धन के लिए, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, उन्हें मोडीफाइड करके, इसे चलाने के लिए कोई व्यवस्था करने का काम करेंगे ताकि हजारों मजदूर, गरीब लोग भुखमरी से बचाए जा सकें। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन (अडूर): अध्यक्ष महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के संबंध में चर्चा में भाग लेता हूं।

भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी पुराना इतिहास रहा है। खगोलशास्त्र, गणित और चिकित्सा उत्पादों के क्षेत्र में भारत के योगदान को पश्चिमी देशों (संसार) में भी पर्याप्त मान्यता मिली है। तथापि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्तमान स्वरूप न केवल एक राष्ट्र को विकसित करता है अपितु एक राष्ट्र के भाग्य को बनाने में भी सहयोग करता है। आज के विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास और समृद्धि का दूसरा नाम है।

सबसे पहले, मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं जिसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी हेतु निधियों के आबंटन में प्रबल निर्णय लिया है।

इस वर्ष के केन्द्रीय बजट में चार विभागों हेतु आबंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 800 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि है। मैं विशेषरूप से इस बात का उल्लेख करूंगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी हेतु आबंटन में इतनी अधिक वृद्धि वर्ष 1993 में लगभग एक दशक पहले देखी गई थी जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री थे। यह एक सराहनीय प्रयास है और मैं यह आशा करता हूं कि यह सरकार इसे बनाये रखेगी।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। आप अपने भाषण का शेष भाग सभापटल पर रख सकते हैं।

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: इसीलिये मेरा यह सुझाव है कि सरकार को "सभी व्यक्तियों के लिये प्रौद्योगिकी" कार्यक्रम शुरू करना चाहिये ताकि इस देश के गरीब और अपेक्षित वर्गों को लाभ मिल सके।

यह हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम अपने बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करे जैसा कि इसका हमारे मूल कर्त्तव्यों में उल्लेख किया गया है। अत:, सरकार को केरल में एक विज्ञान मनोरंजन (रेक्रिएशन) पार्क बनाना चाहिये। इससे हमारे बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा और नई पीढ़ी को विज्ञान और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय: यह एक बहुत ही अच्छा सुझाव है। सरकार इस प्रकार के पार्क को बनाने हेतु बोलपुर को भी शामिल कर सकती है।

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: महोदय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुये मैं अपने भाषण का शेष भाग सभापटल पर रखता हूं।

[श्री चेंगरा सुरेन्द्रन]

*महोदय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधुनिक समाज का आधार है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी का उपयोग ही हमारी दिन-प्रतिदिन की समस्याओं का एकमात्र हल है। हमारा देश एक विकासशील देश है और यह विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। यह केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी का रास्ता अपनाकर ही किया जा सकता है। अत:, यह हमारे लिये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और हमें इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निधियां आवंटित करने की आवश्यकता है।

महोदय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी केवल बड़े उद्योगपतियों और बहुराष्ट्रीय कारपोरेशनों के लिये ही नहीं है। इसका वास्तविक लाभ तभी है जब इसका उपयोग इस देश की आम जनता, श्रमिकों और किसानों की सुख-सुविधा हेतु हो। हमारी सरकार को आम जनता से लाभ हेतु प्रयोगशालाओं से नई प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिये कार्य करना चाहिये। परन्तु यह हमारे लिये निराशाजनक है कि नई प्रौद्योगिकियां काफी मंहगी है और वह इस देश के किसानों, श्रमिकों और आम जन की पहुंच के बाहर है।

मेरे विचार से नैनो प्रौद्योगिकी इस दिशा में एक हल हो सकता है। नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग (कार्यान्वयन) न केवल प्रौद्योगिकी की लागत कम करेगा अपितु यह प्रयोक्ता अनुकूल भी होगा। मैं सराहना करता हूं कि इस सरकार ने नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की है परन्तु इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य हेतु निधियों में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

वर्तमान में केवल 20 से 30 करोड़ रुपये प्रति वर्ष इस उद्देश्य हेतु खर्च किये जाते हैं। परन्तु सरकार को इस उद्देश्य हेतु आबंटन में वृद्धि करनी चाहिये तथापि नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी भारत और हमारे देशवासियों का भविष्य है। मैं एक अन्य मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि नई प्रौद्योगिकियों के लिए उपयोग और इस देश को एक प्रौद्योगिकी विकसित राष्ट्र के बनाने के लिए काफी बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी। अत: हमें हमारी वर्तमान आवश्यकताओं हेतु ढांचे को उन्नत बनाने की आवश्यकता है। यू.पी.ए. सरकार को इन आवश्यकताओं के प्रति ध्यान देना चाहिये। यह भी नोट किया जाना चाहिए कि अकादमिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में विज्ञान संबंधी निधियां मूलभूत अनुसंधान की बढ़ती हुई लागत के अनुरूप नहीं थी। अत: सरकार को इस पहलू की ओर ध्यान देना चाहिये और अनुसंधान संस्थानों को पर्याप्त निधियां आबंटित की जानी चाहिये। यदि अनुसंधान कार्य में बाधा आती है तो राष्ट्र को नुकसान होता है।

यह हमारी संवैधानिक बाध्यता है कि हम अपने बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करे जैसा कि इसका हमारे मूल कर्त्तव्यों में उल्लेख किया गया है। अत:, मैं यह मांग करता हूं कि केन्द्रीय सरकार को केरल के एक विज्ञान मनोरंजन (रेक्रिएशन) पार्क बनाना चाहिये। इससे हमारे बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा और नई पीढ़ी को विज्ञान और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी और मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।*

अध्यक्ष महोदय: अब, प्रो. रामदास। कृपया अपना भाषण दो मिनट के भीतर समाप्त कीजिये

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): जी हां, महोदय।

अपनी पार्टी की ओर से मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। इन अनुदानों को स्वीकार करते हुये मैं केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कुछ उभर रहे क्षेत्रों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

पहली चिंता प्राकृतिक संसाधनों के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय: आप केवल उन क्षेत्रों के बारे में उल्लेख करे।

प्रो. एम. रामदास: जी हां, महोदय।

प्रथम चिंता यह है कि हम प्राकृतिक खतरों का सामना कर रहे है और इसीलिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी को इस मुद्दे से निपटने के लिये समाधान तलाशनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

प्रो. एम. रामदास: दूसरी बात, संसाधनों की कमी हो रही है और आज छुपे हुए संसाधनों का पता लगाने, नये संसाधनों की खोज करने और संसाधनों की कमी को रोकने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दोहन किया जाना चाहिए।

तीसरी बात, आज हम विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का सामना कर रहे है। डब्ल्यू.टी.ओ. ने बाजार में प्रवेश किया है और अब हम प्रौद्योगिकी और आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। इसीलिये, हमें कम लागत की प्रौद्योगिकियों को ईजाद करके इस बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। जिससे उत्पादन की लागत में कमी आयेगी। साथ ही हमें तुलनात्मक प्रौद्योगिकियों का भी पता लगाना होगा जिससे इस देश में गरीब और जनजाति लोगों के विकास में मदद मिलेगी।

*...*लिखित भाषण का यह भाग सभापटल पर रखा गया।

चौथी बात, विज्ञान संबंधी शिक्षा को विकसित करना होगा। स्कूलों और कालेजों में मेधावी छात्र विज्ञान विषय के रुचि नहीं ले रहे हैं। इससे देश के लिये निराशाजनक भविष्य होगा। इसीलिये, हमें विज्ञान संबंधी शिक्षा को और अधिक आकर्षित बनाना होगा। विश्वविद्यालयों के अनुसंधान कार्यकलापों हेतु केन्द्रों के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिये। हम अनुसंधान कार्यकलापों में शामिल विभिन्न एजेंसियों में नेटवर्क दृष्टिकोण सहित अनुसंधान लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ शुरू करने में सक्षम हो सकेंगे। हमें अनुसंधान और विकास हेतु अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने की पेशकश भी करनी चाहिये।

हमें प्रतिभा-पलायन रोकने में सक्षम होना चाहिए, तथा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं को लालफीताशाही तथा नौकरशाही से मुक्ति दिलानी चाहिए।

अपने भाषण का शेष भाग सभा पटल पर रखते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास हेतु एक उल्लेख है। इसलिए, 1951 से योजनाओं में हमने इसके विकास को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हमारे प्रथम प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू ने गरीबी से ग्रस्त तथा निरक्षरता से ग्रस्त भारत के विकास हेतु विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर काफी बल दिया। इन प्रयासों के कारण ही भारत में आज विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में इतनी बड़ी अवसंरचना का निर्माण इस कारण कर लिया है। अब भारत के पास विश्व की तीसरी सबसे बड़ी वैज्ञानिक जनशक्ति है। भारत, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में एक अग्रणी देश के रूप में उभर रहा है तथा हार्डवेयर प्रौद्योगिकी में इसका स्थान चीन के बाद आता है। हमें विकास की इस परम्परा को बनाए रखना है तथा इसके लिए हमें बड़े संसाधनों की आवश्यकता तथा इसलिए हमारी पार्टी, पी.एम.के. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मांग अनुदानों का समर्थन करती है।

यद्यपि, व्यय करते हुए, मंत्रालय को कुछ उभरते हुए संबंधित क्षेत्रों पर भी ध्यान देना होगा।

(1) आज, प्राकृतिक विपत्तियां, भारत के विकास का लगभग अभिन्न अंग बन चुकी है। ऐसा कोई वर्ष नहीं बीतता जिसने सूखा या बाढ़ न आई हो। 26 दिसम्बर को देश ने सबसे भयंकर विनाश ''सुनामी'' का सामना किया है। हमें यह समझना चाहिए, साथ ही यह दुःखद भी है कि हम अब तक इन प्राकृतिक आपदाओं से बचने तथा इनके प्रभाव को कम करने, इनका पूर्वानुमान करने की क्षमता का विकास नहीं कर पाए हैं। यदि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ऐसा करने में समक्ष हो जाती है, तो इससे हम प्रत्येक वर्ष इस पर होने वाले बजट व्यय कम से कम 20 प्रतिशत की बचत कर पाएंगे।

(2) आज देश के संसाधन तेजी से समाप्त हो रहे हैं: भूमि क्षेत्र संकुचित हो रहे हैं तथा घट रहे हैं, पानी के स्रोत समाप्त हो रहे हैं, वन संसाधनों का कल्पना से भी तेज दोहन किया जा रहा है- यदि यह वर्तमान दर से चलता रहा तो भारत के विकास का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा तथा आने वाली पीढ़ियां इसका खामियाजा भुगतेंगी। हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर इस अपक्षय को रोकना होगा। हमें नये वैकल्पिक संसाधनों को खोजना होगा: अपक्षय की दर को रोकना होगा: इन दोनों के लिए हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई पहल करने की आवश्यकता होगी। सरकार को इस दिशा में पहल कदमी करनी होगी।

(3) आज वैश्वीकरण की तीव्र गति है तथा राष्ट्रों के मध्य तेजी से बढ़ती प्रतिस्पर्धा है। इसके विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर दो प्रभाव पड़ेंगे।

(एक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी को औद्योगिक उत्पादों की लागत में कमी करने में सहायता देनी चाहिए जिससे उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें।

(दो) वैश्विक एकीकृत ज्ञान आधारित क्षेत्र (ग्लोबली इंटीग्रेटिड नालेज बेस्ड एरिया) के एक सदस्य होने के नाते, भारत को हमारे वैज्ञानिक प्रयासों के तुलनात्मक लाभ की स्थिति में होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें अपने संसाधनों को उन प्रौद्योगिकियों पर व्यय नहीं करना चाहिए जिन्हें अन्य देशों ने पहले ही विकसित कर लिया है इसके बजाय उन्हें कम लागत पर आयात कर लेना चाहिए। इसके विपरीत, हमें उन क्षेत्रों पर बल देना चाहिए जहां हम अच्छी स्थिति में है, नई प्रौद्योगिकी तथा विशेषज्ञता उद्भूत करनी चाहिए।

हमें देश की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा स्वदेशी संसाधनों के संरक्षण, परिरक्षण तथा गुणवत्ता में विकास हेतु स्वदेशी प्रौद्योगिकी, नवोन्मेष प्रौद्योगिकी के विकास पर अधिक बल देना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमें उपयोगिता आधारित अनुसंधान पर अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभ उन लोगों तक भी पहुंच सके जो अब तक इससे वंचित थे।

4. आजकल, हम विश्वविद्यालयों में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान को जीविका के रूप में अपनाने हेतु अनिच्छा का रूझान देख रहे हैं। इससे भारत का भविष्य संकट में घिर जाएगा तथा इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास

*...*लिखित भाषण का यह भाग सभापटल पर रखा गया।

[प्रो. एम. रामदास]

एक चिंता एवं प्राथमिकता का क्षेत्र बन जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी छात्रों का संकलनात्मक तथा नवोन्मेष कार्यक्रमों से आमुख कराना चाहिए तथा युवा वैज्ञानिकों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान महत्वपूर्ण है। फिर भी किस प्रकार के अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अथवा आधारभूत को बढ़ावा देना चाहिए, यह बहस का प्रश्न है। नए अनुसंधान के लिए निधियों को स्वीकृति देते समय, अनुप्रयुक्त अनुसंधान को प्राथमिकता दी जा सकती है। पुनरावृत्ति पूर्ण अनुसंधानों को समर्थन नहीं देना चाहिए।

विश्वविद्यालयों को वैज्ञानिक कार्यकलापों के केन्द्रों के रूप में बदला जाना चाहिये जिससे विज्ञान और वैज्ञानिक विकासों की गुणवत्ता में वृद्धि हो। विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता के विशेष केन्द्रों के सृजन और उन्हें मजबूत बनाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

अनुसंधान और विकास प्रयत्नों के गुणावगुणों का अनुमान लगाने तथा इस प्रकार की खोज करने वाली एजेंसियों के दावों की जांच करने हेतु अनुसंधान लेखपरीक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की जाए।

अनुसंधान तथा विकास में कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के मध्य तालमेल स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। देश के लाभ के लिए लोगों को विभिन्न प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु प्रेरित करने के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किए जाएं। अनुसंधान संबंधी कार्यों को नौकरशाही के नियंत्रण से बाहर रखा जाना चाहिए।

सरकार द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अधिक आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन तथा सहायता उपाय किए जाने चाहिए।

(1) अनुसंधान तथा विकास व्यय पर अधिक आयकर राहत देने के बारे में सोचा जाए।

(2) वाणिज्यिक अनुसंधान तथा विकास कंपनियों को दस की बजाय बारह वर्ष की कर छूट।

(3) अनुसंधान और विकास परियोजनाओं हेतु सरकार द्वारा आपूर्त आदानों पर सीमा शुल्क छूट।

(4) अनुसंधान और विकास हेतु मंजूरशुदा संस्थाओं द्वारा क्रय की गई स्वदेशी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क माफ करना।

हमें शैक्षणिक विज्ञान प्रणाली का पुनर्गठन तथा विज्ञान हेतु अवसंरचना का आधुनिकीकरण करना चाहिए। अनुसंधान और विकास हेतु भारतीय उद्योग का योगदान कम/धीमा रहा है इसलिए प्रोत्साहन दिए जाए।

हमें प्रतिभा पलायन को विपरीत दिशा में मोड़ना होगा तथा विज्ञान एवं अनुसंधान तथा विकास को लालफीताशाही कंपनियों से मुक्त कराना होगा। यदि विज्ञान और प्रौद्योगिकी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है तो आठ प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करना संभव होगा।

विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा प्रेरणावर्धक नहीं है। यहां तक कि कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में भी विद्यार्थी को उच्च गुणवत्ता का अनुसंधान देखने को नहीं मिलता जिससे वे विज्ञान की ओर आकर्षित हों। भारत में विज्ञान का भविष्य इस कमजोरी को दूर करने अथवा इसे उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता देने पर निर्भर करेगा।*

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री रामदास आठवले। आपको अपना भाषण दो मिनट में पूरा करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं:

अगर भारत की बढ़ानी होगी, दुनिया में शान,

हमें मजबूत करना होगा, अपना विज्ञान।

मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि विज्ञान दुनिया से हमें सीखने की जरूरत नहीं है। 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध के कार्यकाल में हमारे देश में विज्ञान की शुरूआत हुई और पूरी दुनिया को हमने विज्ञान सिखाने का प्रयत्न किया है। लेकिन उसके बावजूद मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि हमें नई टेक्नोलोजी के मुताबिक काम करना चाहिए।

कपिल सिब्बल जी अच्छे मंत्री हैं, मजबूत मंत्री हैं। हम इतना ही बताना चाहते हैं कि जिस एरिया में बारिश नहीं होती है, ऐसे एरियाज में नई टेक्नोलोजी के माध्यम से बारिश होनी चाहिए। वहां के सूखे और वहां बारिश के बारे में विचार होना चाहिए। एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलोजी में रिसर्च करते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हार्टीकल्चर में नई रिसर्च करते हुए आज हम दुनिया में बहुत आगे पहुंच गये हैं। नई टेक्नोलोजी के माध्यम से हमें अपने देश की प्रगति करनी चाहिए। साइंस और नई टेक्नोलोजी से ही हमारे देश में प्रगति हो सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

सायं 7.00 बजे

***श्री के.सी. सिंह 'बाबा'** (नैनीताल): महोदय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के संबंध में चर्चा में भाग लेने के लिये मुझे अवसर प्रदान करने के लिये आपका धन्यवाद। महोदय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के अत्यधिक महत्वपूर्ण विभागों में से एक विभाग है जिसकी राष्ट्र निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वैज्ञानिक और तकनीकी पद्धति को शुरू करने के अतिरिक्त जिसमें जनसाधारण का कल्याण भी शामिल है विभाग यह भी सुनिश्चित करता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभ जनसाधारण तक पहुंचे और देश में लोग वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करे।

महोदय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अच्छा कार्य कर रहा है और मुझे विश्वास है कि उद्यमी और दूरदृष्टा श्री सिब्बल जी के कुशल नेतृत्व में देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी उस दिशा की ओर उन्मुख होगी जिससे अन्ततः देश में आम जनता को लाभ मिलेगा। इस सभा को स्मरण होगा जब माननीय मंत्री ने सुनामी की तबाही के कारणों और प्रभावों और भूकंप सहित सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में अनेक लोगों के मरने की स्थिति से बचाने के लिये शीघ्र चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में विस्तार से सभा को सूचित किया था। भूकंप विज्ञान मिशन पद्धति परियोजना को देश में भूकंप संबंधी सूचना प्रदान करने का अधिकार है। महोदय, मैं यह सुनिश्चित करने हेतु माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र में अनुसंधान निधियों की कमी के कारण प्रभावित नहीं होना चाहिये।

वर्तमान बजट आबंटन देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु अल्प अवधि और दीर्घ अवधि उद्देश्यों को पूरा करता है। तथापि, महोदय, मेरे पास माननीय मंत्री के विचार हेतु कुछ मुद्दे है। महोदय, मंत्रालय औषध निर्माण-संबंधी अनुसंधान हेतु निधियां प्रदान करता है। इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये और अधिक निधियां प्रदान करने की आवश्यकता है। दि वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जियोलाजी, देहरादून संरचनात्मक भूविज्ञान के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में मूलभूत अनुसंधान कर रहा है। इस संस्थान को और अधिक सहायता दी जानी चाहिए ताकि यह संस्थान विश्व में उत्कृष्ट संस्थान बन सके। एक अन्य मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वह नैनीताल में राज्य वेधशाला के संबंध में है। सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया है और इसे एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास संस्थान बना दिया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि संस्थान को और अधिक परिणामोन्मुख बनाने के लिये विशेष अनुदान दिया जाना चाहिये।

महोदय, मैं विज्ञान प्रसार योजना के अंतर्गत विज्ञान संचार और लोकप्रियता कार्यकलापों को सफलतापूर्वक चलाने का उल्लेख भी करना चाहूंगा। इस योजना हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान की जानी चाहिये ताकि ये निधियां देश में ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सके।

महोदय, अंत में मैं माननीय मंत्री से उत्तरांचल राज्य में बायो-टैक पार्क स्थापित करने और उत्तरांचल राज्य में विज्ञान प्रसार योजना शुरू करने हेतु अनुरोध करना चाहूंगा ताकि इस पहाड़ी राज्य में लोग भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे विकास के साथ अपने आप को संबद्ध हुआ महसूस कर सके।

अध्यक्ष महोदय: अब, माननीय मंत्री। कृपया दस मिनट में अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास कीजिये।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): कई माननीय सदस्यों ने बोला है और मैं उनके प्रति आभारी हूं कि उन्होंने अनुदानों की मांगों का समर्थन किया है।

महोदय, मैं उस गिलोटीन का स्वागत करता हूं जो आपने मुझ पर लगाया है। मैं केवल एक वाक्य बोलूंगा और बैठ जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय: मैंने एक बार में ऐसा नहीं दिया। मैं आपको पांच मिनट दे रहा हूं।

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, सात पहले ही बज चुके है और मैं केवल एक वाक्य बोलूंगा।

महोदय, ऐसे सिद्धांत जिन पर यह सरकार चलती है वे हैं: विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आम जनता की उपेक्षा न हो; यदि इससे ऐसा होगा तब आम जनता हमारी उपेक्षा करेगी। यह वही सिद्धांत है जिस पर यह मंत्रालय चल रहा है।

यह आम जनता कौन है जिसकी हम बात कर रहे है? वे सामान्य व्यक्ति हैं जो इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। यह वह लोग है जिन्हें हम लक्षित करके यह सुनिश्चित करते है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी उनके लिये कार्य करे विशेषकर कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करे।

समय आ गया है जब हमें ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की उत्पादकता में वृद्धि करने, उन्हें और अधिक धन देने। उन्हें और

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री कपिल सिब्बल]

अधिक खर्च करने और विकासशील अर्थव्यवस्था के लाभ लेने के लिये प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने देने की आवश्यकता है। हम केवल तभी ऐसा कर सकते है यदि हम-ट्रांसजिनिक्स, समुचित सिंचाई और अन्य तकनीकों, ड्रिप कृषि आदि के माध्यम से-ऐसे उत्पादों जिनकी वे बुवाई कर रहे है की गुणवत्ता में सुधार करते है। आप जानते है, महोदय कि 40 प्रतिशत बीज जिसे हमारे किसान खरीदते है नकली है। यदि हम उन्हें प्रौद्योगिकी के माध्यम से अच्छे बीज देते है तो उत्पादकता में 40 प्रतिशत तक वृद्धि होगी। अतः, मंत्रालय का ध्यान इस मुद्दे पर केन्द्रित है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुझे यह बात अवश्य कहनी चाहिये कि हमारी नारी-जाति और पुरुषों की काफी बड़ी संख्या तपेदिक, मलेरिया, हेपटाइटिस (यकृत-शोध), एच.आई.वी.-एड्स से पीड़ित है। हमें नये अणुओं की खोज करने की आवश्यकता है और हम केवल तभी यह कर सकते है यदि हम पारम्परिक (प्राचीन) औषधियों की ओर वापिस जाते है। हम पारम्परिक औषधियों में अत्यधिक राशि का निवेश कर रहे है। हमने हाल ही में 'सुडोटर्ब' नाम से एक नये अणु की खोज की है। चालीस वर्षों से विश्व ने तपेदिक हेतु एक नये अणु की खोज के लिये प्रयास किया है और इसकी भारत में खोज हुई और वह भी अभी हाल ही में खोज हुई है।

अतः, हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। मैं आपको यह बताता हूं कि सी.एस.आई.आर. ने वर्ष 1995 में अमेरिका में केवल चार पेटेंट दर्ज किये थे। इस वर्ष दर्ज किये गये और स्वीकार किये गये पेटेंट 200 से ज्यादा है। हम इस प्रकार से आगे बढ़ रहे है। यदि हम किसानों को और अधिक धन देते है और यदि हम अपने लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते है तो हमारे साधारण लोगों के रहन-सहन के स्तर में सुधार होगा।

साथ ही साथ हमें वस्त्र उद्योग की भी मदद अवश्य करनी चाहिये क्योंकि कोटा व्यवस्था शुरू हो गई है। हमें सूचना प्रौद्योगिकी में और अधिक निवेश भी करते रहना चाहिये क्योंकि पहले से ही यह 20 बिलियन डालर का उद्योग है जो आने वाले वर्षों में 50 बिलियन डालर तक हो जायेगा। हमें आटोमोबाईल हेतु प्रौद्योगिकी की नई विधियों में भी निवेश अवश्य करना चाहिये।

मैं केवल एक घटना के बारे में बताऊंगा और तब मैं बैठ जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको रोक नहीं रहा हूं।

श्री कपिल सिब्बल: एक बार मैं मोनाको में था। बैटरियों का उपयोग कर रही नई प्रौद्योगिकी की कारों और नई प्रौद्योगिकी की कारों का विश्व मेला था। भारतीय कारें भी वहां प्रदर्शित की गई थी तथा टोयटा, होंडा और मर्सीडीज जैसी कारों ने इसमें भाग लिया। हमने रेवा नाम की कार की तर्ज पर आर्यन नाम से एक नये माडल की कार बनाई। यह कार आज संसार में प्रौद्योगिकी में सबसे अधिक उन्नत कार है। इसमें वायरलैस टैबलेट है; इसमें स्पर्श-प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है। विश्व में किसी अन्य ने इस प्रौद्योगिकी का विकास नहीं किया है। यह विश्व में सबसे सस्ती इलैक्ट्रिक कार भी है।

इंग्लैंड में संसद सदस्य उस कार को खरीदने के लिये हजार पाउंड की नकद राजसहायता पाते है और उनमें से कई ने इस कार को खरीदा है; जापान में कई व्यक्ति इस कार को खरीद रहे है। मेले में सभी व्यक्तियों ने भारत द्वारा किये गये कार्य को मान्यता दी। भारत में इसे क्यों किया गया? यह इसलिये किया गया क्योंकि हमारी निम्न-लागत वाली अर्थव्यवस्था है और उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधन है। विश्व के लिये संदेश और राष्ट्र के लिये संदेश यह है कि "इस देश को आगे ले जाने के लिये निम्न लागत वाली अर्थव्यवस्था और उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधन के इस अवसर का उपयोग करें।" हम चाहेंगे कि ऐसा करने में विपक्ष भी हमारे साथ हो। लोकतंत्र का अर्थ है संवाद। लोकतंत्र का अर्थ है एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना। लोकतंत्र का एक अर्थ देश की उन्नति में भाग लेना भी है। जो दल इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेता वह लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता। हम इस सभा में यही बताना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि इस देश के उज्जवल भविष्य में सभी भागीदार हो। मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारा देश विश्व शक्ति बनेगा। प्रधानमंत्री महोदय यहां बैठे हैं। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी यहां पर बैठी है। मेरा मानना है कि 21वीं सदी में भारत दुनिया की महाशक्तियों में से एक होगा और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश के माध्यम से होगा।

मैं अनुदान मांगों संबंधी चर्चा में भाग लेने और मुझे अपना समर्थन देने के लिए सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। मुझे बोलने का अवसर देने और चर्चा को न रोकने के लिए भी आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आप के साथ हैं।

अब मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय संबंधी अनुदानों की मांगों मतदान हेतु रखूंगा।

प्रश्न यह है:-

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय संबंधी मांग संख्या 82 से 84 के सामने दिखाये गये

मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राज्य लेखे और पूंजी लेखे संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.07 बजे

सभा की स्वीकृति के लिए बकाया मांगों का प्रस्तुतीकरण

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: *अब मैं मंत्रालयों और विभागों संबंधी बकाया अनुदानों की मांगों को मतदान हेतु रखता हूं।*

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ हंसी सुनकर अच्छा लगा परन्तु इसे ज्यादा ऊंचा मत कीजिए।

प्रश्न यह है:-

''कि कार्य सूची के स्तम्भ 1 मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें:-

(1) कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 4

(2) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 5 और 6

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 7 और 8

(4) नागर विमानन मंत्रालय सें संबंधित मांग संख्या 9

(5) कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10

(6) खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 11

(7) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 12 और 13

(8) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 14 से 16

(9) कंपनी कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 17

(10) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 18 और 19

(11) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 20

(12) रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 21 से 28

(13) उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 29

(14) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 30

(15) विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 31

(16) वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 32 से 34, 36, 37 और 39 से 45

(17) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 46

(18) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 47 से 49

(19) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 50 और 51

(20) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 57 से 59

(21) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 60

(22) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 61

(23) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 62 और 63

(24) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 65

(25) अप्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 66

(26) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 67

(27) महासागर विकास विभाग से संबंधित मांग संख्या 68

(28) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69

(29) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70

(30) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 71

(31) योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 72

(32) विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 73

(33) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 75

(34) राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 76

(35) उप-राष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 78

(36) पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 85 और 86

(37) लघु उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 87

(38) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 88

(39) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 89

(40) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 90

(41) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 91

(42) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 92

(43) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 93

(44) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 94

(45) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 100 से 102

(46) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 103

(47) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 104

(48) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 105''

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई वर्ष 2005-2006 के बजट (सामान्य) के अनुदानों की मांगों की सूची

संख्या और मांग का शीर्षक		दिनांक 17 मार्च, 2005 को सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि		सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगो की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4	5	6
कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय					
4.	कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	157,47,00,000	30,00,000	787,35,00,000	1,51,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग					
5.	परमाणु ऊर्जा	306,16,00,000	283,37,00,000	1530,77,00,000	1455,83,00,000
6.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	111,89,00,000	407,33,00,000	559,43,00,000	2036,63,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय					
7.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	274,80,00,000	27,41,00,000	473,98,00,000	137,06,00,000

1	2	3	4	5	6
8.	उर्वरक विभाग	6227,80,00,000	1983,00,000	10820,31,00,000	99,13,00,000
नागर विमान मंत्रालय					
9.	नागर विमान मंत्रालय	44,76,00,000	60,83,00,000	223,78,00,000	304,17,00,000
कोयला मंत्रालय					
10.	कोयला मंत्रालय	32,01,00,000	4,17,00,000	160,06,00,000	20,83,00,000
खान मंत्रालय					
11.	खान विभाग	66,77,00,000	6,86,00,000	333,84,00,000	34,29,00,000
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय					
12.	वाणिज्य विभाग	377,78,00,000	101,00,00,000	1488,87,00,000	505,00,00,000
13.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	102,38,00,000	1,00,00,000	531,91,00,000	5,00,00,000
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय					
14.	डाक विभाग	1051,83,00,000	20580,00,000	5228,01,00,000	112,39,00,000
15.	दूरसंचार विभाग	1000,00,00,000	33,71,00,000	2956,38,00,000	168,56,00,000
16.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	146,13,00,000	15,17,00,000	730,67,00,000	75,83,00,000
कम्पनी कार्य मंत्रालय					
17.	कम्पनी कार्य मंत्रालय	18,90,00,000	48,00,000	94,47,00,000	2,42,00,000
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय					
18.	उपभोक्ता मामले विभाग	22,00,00,000	1,59,00,000	133,28,00,000	7,97,00,000
19.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	4459,67,00,000	60,01,00,000	22329,56,00,000	300,05,00,000
संस्कृति मंत्रालय					
20.	संस्कृति मंत्रालय	133,91,00,000	10,30,00,000	669,56,00,000	51,50,00,000
रक्षा मंत्रालय					
21.	रक्षा मंत्रालय	1147,66,00,000	88,20,00,000	5738,30,00,000	440,97,00,000
22.	रक्षा पेंशन	2075,29,00,000	...	10376,45,00,000	...
23.	रक्षा सेवा-थल सेना	5347,40,00,000	...	26736,97,00,000	...
24.	रक्षा सेवा-नौसेना	1017,43,00,000		5087,19,00,000	...
25.	रक्षा सेवा-वायु सेना	1531,91,00,000	...	7659,57,00,000	...

1	2	3	4	5	6
26.	रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	1158,24,00,000	...	...	
27.	रक्षा सेवा-अनुसंधान एवं विकास	470,71,00,000	...	2353,55,00,000	
28.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	5726,71,00,000	...	28633,57,00,000
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय					
29.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	173,36,00,000	9,76,00,000	866,81,00,000	48,80,00,000
पर्यावरण और वन मंत्रालय					
30.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	223,71,00,000	1,82,00,000	1153,56,00,000	9,10,00,000
विदेश मंत्रालय					
31.	विदेश मंत्रालय	883,29,00,000	144,87,00,000	2691,26,00,000	208,55,00,000
वित्त मंत्रालय					
32.	आर्थिक कार्य विभाग	550,59,00,000	350,83,00,000	2752,94,00,000	1754,17,00,000
33.	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	186,82,00,000	50,74,00,000	934,07,00,000	253,70,00,000
34.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	470,41,00,000	164,67,00,000	2632,06,00,000	823,36,00,000
36.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	5007,56,00,000	...	25037,77,00,000	...
37.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण		79,16,00,000		395,84,00,000
39.	व्यय विभाग	4,64,00,000	...	23,18,00,000	...
40.	पेंशन	984,53,00,000	...	4922,64,00,000	
41.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	195,08,00,000	1,33,00,000	975,40,00,000	6,67,00,000
42.	राजस्व विभाग	154,04,00,000	84,00,000	5220,15,00,000	4,21,00,000
43.	प्रत्यक्ष कर	194,33,00,000	14,00,00,000	971,65,00,000	70,00,00,000
44.	अप्रत्यक्ष कर	243,11,00,000	31,45,00,000	1215,56,00,000	157,28,00,000
45.	विनिवेश विभाग	1,12,00,000		5,58,00,000	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय					
46.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	31,09,00,000	...	155,46,00,000	...
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय					
47.	स्वास्थ्य विभाग	641,24,00,000	67,73,00,000	3206,20,00,000	338,67,00,000
48.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	67,33,00,000	33,00,000	336,65,00,000	1,67,00,000

1	2	3	4	5	6
49.	परिवार कल्याण विभाग	1294,84,00,000		6474,17,00,000	...
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय					
50.	भारी उद्योग विभाग	51,47,,00,000	93,38,00,000	257,33,00,000	466,92,00,000
51.	सरकारी उद्यम विभाग	5,49,00,000	...	27,44,00,000	...
मानव संसाधन विकास मंत्रालय					
57.	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	4794,84,00,000		7741,69,00,000	...
58.	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग	962,93,00,000	...	4837,56,00,000	1,00,000
59.	महिला और बाल विकास विभाग	1194,36,00,000		2736,75,00,000	
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय					
60.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	221,51,00,000	45,66,00,000	1107,55,00,000	228,31,00,000
श्रम और रोजगार मंत्रालय					
61.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	214,72,00,000	...	1096,31,00,000	...
विधि और न्याय मंत्रालय					
62.	निर्वाचन आयोग	1,98,00,000	...	9,87,00,000	
63.	विधि और न्याय	50,32,00,000	17,00,000	443,66,00,000	85,00,000
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय					
65.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	89,22,00,000	11,68,00,000	446,11,00,000	58,37,00,000
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय					
66.	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	7,08,00,000	50,00,000	24,92,00,000	2,50,00,000
पंचायती राज मंत्रालय					
67.	पंचायती राज मंत्रालय	8,41,00,000		42,03,00,000	...
महासागर विकास विभाग					
68.	महासागर विकास विभाग	71,11,00,000		305,89,00,000	
संसदीय कार्य मंत्रालय					
69.	संसदीय कार्य मंत्रालय	98,00,000		4,92,00,000	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय					
70.	कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	42,34,00,000	3,53,00,000	224,23,00,000	17,63,00,000

1	2	3	4	5	6
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय					
71.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	737,69,00,000	...	2931,31,00,000	...
योजना मंत्रालय					
72.	योजना मंत्रालय	17,52,00,000		89,28,00,000	...
विद्युत मंत्रालय					
73.	विद्युत मंत्रालय	278,42,00,000	442,00,00,000	1392,15,00,000	2209,98,00,000
राष्ट्रपति संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय					
75.	लोकसभा	34,33,00,000		171,67,00,000	
76.	राज्यसभा	15,82,00,000		76,08,00,000	
78.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	38,00,000	...	1,90,00,000	...
नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय					
85.	नौवहन विभाग	111,78,00,000	50,58,00,000	558,93,00,000	366,88,00,000
86.	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	1408,61,00,000	1772,50,00,000	7043,02,00,000	8862,52,00,000
लघु उद्योग मंत्रालय					
87.	लघु उद्योग मंत्रालय	73,68,00,000	3,03,00,000	368,42,00,000	15,17,00,000
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय					
88.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	244,10,00,000	19,68,00,000	1237,50,00,000	98,42,00,000
अंतरिक्ष विभाग					
89.	अंतरिक्ष विभाग	423,29,00,000	101,32,00,000	2116,47,00,000	506,57,00,000
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय					
90.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	337,85,00,000	3,71,00,000	1479,91,00,000	18,52,00,000
इस्पात मंत्रालय					
91.	इस्पात मंत्रालय	12,09,00,000	2,83,00,000	60,44,00,000	14,17,00,000
कपड़ा मंत्रालय					
92.	कपड़ा मंत्रालय	256,99,00,000	78,26,00,000	1284,93,00,000	391,32,00,000
पर्यटन मंत्रालय					
93.	पर्यटन मंत्रालय	56,49,00,000	81,54,00,000	282,46,00,000	407,71,00,000

369

1	2	3	4	5	6
जनजाति कार्य मंत्रालय					
94.	जनजाति कार्य मंत्रालय	16,19,00,000	6,00,00,000	80,94,00,000	30,01,00,000
शहरी विकास मंत्रालय					
100.	शहरी विकास विभाग	167,34,00,000	627,06,00,000	1438,20,00,000	135,27,00,000
101.	लोक निर्माण कार्य	119,71,00,000	39,57,00,000	598,61,00,000	197,86,00,000
102.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	25,25,00,000	6,00,000	126,25,00,000	29,00,000
शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय					
103.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	84,40,00,000	94,00,000	422,02,00,000	4,67,00,000
जल संसाधन मंत्रालय					
104.	जल संसाधन मंत्रालय	139,26,00,000	10,06,00,000	696,31,00,000	50,28,00,000
युवा मामले और खेल मंत्रालय					
105.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	75,56,00,000	1,36,00,000	423,29,00,000	6,78,00,000
	जोड़ राजस्व/पूंजी	66976,67,00,000	11918,23,00,000	250914,69,00,000	55033,91,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: मंत्रालयों/विभागों से संबंद्ध शेष अनुदानों की मांगें पारित हुईं।

सायं 7.12 बजे

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2005-2006 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:-

"कि वित्तीय वर्ष 2005-2006 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि वित्तीय वर्ष 2005-2006 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:-

"कि वित्तीय वर्ष 2005-2006 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खंड-2 दिनांक 27.4.2005 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिशों से पुर:स्थापित।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:-

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:-

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा कल 28 अप्रैल, 2005 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.14 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार 28 अप्रैल, 2005/8 वैशाख, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री हंसराज जी. अहीर	441
2.	श्रीमती अनुराधा चौधरी मोहम्मद शाहिद	442
3.	श्री अधीर चौधरी श्री उदय सिंह	443
4.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड श्रीमती निवेदिता माने	444
5.	श्री रघुराज सिंह शाक्य श्री निखिल कुमार चौधरी	445
6.	श्री सनत कुमार मंडल	446
7.	श्री हरिन पाठक	447
8.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	448
9.	श्री वी.के. ठुम्मर श्री हरिकेवल प्रसाद	449
10.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी श्री किसनभाई वी. पटेल	450
11.	श्री हेमलाल मुर्मू	451
12.	श्री अनन्त नायक श्री जुएल ओराम	452
13.	श्री सुग्रीव सिंह श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	453
14.	श्री सुबोध मोहिते	454
15.	श्री तथागत सत्पथी श्री रवि प्रकाश वर्मा	455
16.	श्री ए.वी. बेल्लारमिन	456
17.	श्री ई. पोन्नुस्वामी	457
18.	श्री इकबाल अहमद सरडगी श्री रायापति सांबासिवा राव	458
19.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया श्री असादूद्दीन ओवेसी	459
20.	श्री जी.वी. हर्ष कुमार	460

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	4766, 4876
2.	आदित्यनाथ, योगी	4807
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	4884, 4887, 4961, 4973
4.	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	4820
5.	अहमद, श्री अतीक	4746
6.	अहीर, श्री हंसराज जी.	4857
7.	आठवले, श्री रामदास	4790
8.	बाबा, श्री के.सी. सिंह	4762
9.	बैठा, श्री कैलाश	4796
10.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	4844, 4903, 4935
11.	बर्मन, श्री हितेन	4807
12.	बर्मन, श्री रनेन	4753, 4852
13.	बखला, श्री जोवाकिम	4913
14.	भडाना, श्री अवतार सिंह	4833
15.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	4779, 4870, 4915
16.	बिसेन, श्री गौरीशंकर चतुर्भुज	4780
17.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	4822, 4969
18.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	4783
19.	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	4756, 4853
20.	बोस, श्री सुब्रत	4801
21.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	4883, 4992, 4966
22.	चन्द्र कुमार, प्रो.	4764
23.	चौरे, श्री बापू हरी	4784, 4902, 4932, 4950
24.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	4877

1	2	3
25.	चिन्ता मोहन, डा.	4824, 4835
26.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	4813
27.	चौधरी, श्रीमती अनुराधा	4858
28.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	4843, 4863, 4913, 4942
29.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	4808, 4891, 4926
30.	चौधरी, श्री अधीर	4860, 4911, 4941, 4952
31.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	4803
32.	देव, श्री बिक्रम केशरी	4765, 4875, 4918, 4943
33.	धनराजू, डा. के.	4768, 4859, 4910, 4940, 4972
34.	ढींढसा, श्री सुखदेव सिंह	4789
35.	डोम, डा. रामचन्द्र	4831, 4896
36.	फैन्थम, श्री फ्रान्सिस	4754
37.	गढ़वी, श्री पी.एस.	4834, 4905
38.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	4862
39.	गमांग, श्री गिरिधर	4753
40.	गांधी, श्रीमती मेनका	4814
41.	गेहलोत, श्री थावर चन्द	4775
42.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	4893, 4928
43.	हसन, श्री मुनव्वर	4774, 4861, 4912
44.	जगन्नाथ, डा. एम.	4805, 4889, 4911, 4923
45.	जय प्रकाश, श्री	4750
46.	जटिया, डा. सत्यनारायण	4812
47.	जयाप्रदा, श्रीमती	4835
48.	झा, श्री रघुनाथ	4782, 4970

1	2	3
49.	जोगी, श्री अजीत	4838, 4900
50.	कामत, श्री गुरूदास	4811, 4899
51.	कनोडीया, श्री महेश	4751
52.	खैरे, श्री चंद्रकांत	4745
53.	खां, श्री सुनील	4816, 4968
54.	खन्ना, श्री अविनाश राय	4807
55.	खारवेनथन, श्री एस.के.	4788, 4806, 4890, 4925, 4945
56.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	4758, 4854, 4908, 4939
57.	कृष्ण, श्री विजय	4786, 4866, 4878
58.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	4804, 4858, 4875
59.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	4824, 4836
60.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	4789
61.	महाजन, श्री वाई.जी.	4922
62.	महतो, श्री बीर सिंह	4760, 4785
63.	महतो, श्री सुनील कुमार	4817
64.	महतो, श्री टेक लाल	4865
65.	मंडल, श्री सनत कुमार	4865
66.	मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	4786, 4866
67.	मेघवाल, श्री कैलाश	4752, 4851, 4909
68.	मेहता, श्री आलोक कुमार	4964
69.	मिश्रा, डा. राजेश	4833
70.	मोदी, श्री सुशील कुमार	4809
71.	मुकीम, मो.	4748, 4864
72.	मोहिते, श्री सुबोध	4967
73.	मुन्शी राम, श्री	4772
74.	मुर्मू, श्री हेमलाल	4871, 4916, 4965

1	2	3
75.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	4830
76.	नायक, श्री ए. वेंटकेश	4963
77.	नम्बाडन, श्री लोनाप्पन	4818
78.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	4778, 4868, 4909, 4933
79.	नायक, श्री अनन्त	4855, 4869, 4921
80.	निखिल कुमार, श्री	4941, 4952
81.	नीतीश कुमार, श्री	4808, 4862, 4966
82.	ओराम, श्री जुएल	4872, 4936
83.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	4850, 4907, 4938, 4954
84.	पलनिसामी, श्री के.सी.	4942
85.	पण्डा, श्री प्रबोध	4777, 4830
86.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	4785, 4821
87.	पासवान, श्री वीरचन्द्र	4840
88.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	4874, 4884, 4911
89.	पाठक, श्री ब्रजेश	4769, 4888, 4924, 4953, 4944
90.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	4845, 4862, 4904, 4966
91.	पाटिल, श्री डी.बी.	4824
92.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	4827, 4766
93.	पिंगले, श्री देविदास	4815
94.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	4879, 4885, 4966, 4971
95.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	4767
96.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	4873
97.	प्रसाद, श्री लालमणि	4770
98.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	4875
99.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	4792
100.	राजेन्द्र कुमार, श्री	4960
101.	राजेन्द्रन, श्री पी.	4771
102.	रामदास, प्रो. एम.	4839, 4898
103.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	4828, 4879, 4885, 4951, 4958
104.	राणा, श्री काशीराम	4785, 4848, 4877
105.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	4856, 4927, 4946, 4956
106.	राव, श्री डी. विट्टल	4797, 4802, 4886, 4922
107.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	4807, 4841, 4942
108.	रावत, श्री कमला प्रसाद	4824
109.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	475, 4881, 4934
110.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	4867
111.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	4772
112.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	4803
113.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	4755
114.	साई प्रताप, श्री ए.	4794
115.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	4849, 4856, 4923, 4956
116.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	4832, 4897
117.	सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	4810
118.	सरोज, श्री तूफानी	4797
119.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	4773
120.	सत्पथी, श्री तथागत	4880, 4919, 4947, 4959
121.	सेनथिल, डा. आर.	4791
122.	सेठ, श्री लक्ष्मण	4800

1	2	3
123.	सेठी, श्री अर्जुन	4962
124.	शाहिद, मोहम्मद	4804, 4858
125.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	4863
126.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	4798, 4882, 4920, 4948, 4957
127.	शिवन्ना, श्री एम.	4825, 4894, 4931
128.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	4772, 4858, 4875
129.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	4799
130.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	4755
131.	सिंह, श्री रामसेवक	4875
132.	सिंह, श्री दुष्यंत	4837, 4862, 4901, 4937, 4942
133.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	4786, 4862, 4866, 4966, 4974
134.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	4841, 4842, 4966
135.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	4829, 4970
136.	सिंह, श्री सुग्रीव	4874, 4884, 4911, 4917
137.	सिंह, श्री विजयेन्द्र पाल	4759
138.	सिप्पीपाराई, श्री रविचन्द्रन	4793
139.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	4751
140.	सुब्बा, श्री एम.के.	4761
141.	सुब्बारायण, श्री के.	4823
142.	सुमन, श्री रामजीलाल	4808, 4836, 4862, 4966
143.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	4787
144.	थामस, श्री पी.सी.	4788, 4879
145.	तुम्मर, श्री वी.के.	4848, 4906
146.	थुपस्तन, श्री छेवांग	4747, 4846
147.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	4869, 4914, 4951, 4958
148.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	4843
149.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	4883, 4966
150.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	4776
151.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	4923, 4937
152.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	4982, 4930, 4949, 4955
153.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	4862, 4966, 4974
154.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	4757, 4873
155.	यादव, श्री बालेश्वर	4749, 4847, 4942
156.	यादव, श्री गिरिधारी	4755, 4817, 4848
157.	यादव, श्री पारसनाथ	4913, 4964
158.	यादव, राम कृपाल	4810, 4819
159.	यादव, श्री सीताराम	4964
160.	यास्खी, श्री मधु गौड	4763
161.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	4826, 4895, 4929

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
कृषि और ग्रामीण उद्योग	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	441, 449, 454
विदेश	:	444, 456
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	442, 443, 445, 446, 447, 451, 453, 455, 457, 460
महासागर विकास	:	
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	459
योजना	:	458
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	450
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	448, 452
लघु उद्योग	:	
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
कृषि और ग्रामीण उद्योग	:	4795, 4867, 4903, 4948, 4970
परमाणु ऊर्जा	:	4862
कोयला	:	4857, 4946
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	4747, 4748, 4750, 4754, 4755, 4756, 4757, 4760, 4774, 4777, 4778, 4781, 4782, 4793, 4794, 4796, 4804, 4806, 4826, 4833, 4837, 4839, 4843, 4850, 4859, 4861, 4864, 4865, 4869, 4871, 4873, 4877, 4880, 4882, 4886, 4887, 4888, 4889, 4894, 4895, 4907, 4912, 4914, 4919, 4932, 4935, 4958, 4964, 4968, 4969, 4973

विदेश	:	4761, 4800, 4808, 4891, 4899, 4917, 4927, 4942, 4954, 4966
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	4745, 4746, 4751, 4753, 4758, 4759, 4763, 4764, 4765, 4766, 4769, 4771, 4772, 4773, 4780, 4783, 4785, 4786, 4787, 4791, 4797, 4801, 4802, 4805, 4807, 4810, 4811, 4812, 4813, 4814, 4818, 4821, 4824, 4825, 4831, 4836, 4845, 4846, 4847, 4851, 4752, 4854, 4855, 4856, 4858, 4860, 4875, 4876, 4878, 4879, 4884, 4885, 4890, 4892, 4893, 4896, 4898, 4904, 4905, 4906, 4909, 4911, 4916, 4921, 4924, 4925, 4926, 4928, 4931, 4933, 4934, 4941, 4944, 4947, 4950, 4952, 4955, 4963
महासागर विकास	:	4788, 4972
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	4770, 4790, 4798, 4803, 4817, 4819, 4820, 4823, 4829, 4840, 4841, 4910, 4939, 4945, 4953, 4960
योजना	:	4874, 4956, 4961, 4962
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	4767, 4768, 4784, 4838, 4923, 4929, 4937, 4940, 4943, 4951, 4965, 4967
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	4749, 4752, 4762, 4775, 4776, 4779, 4789, 4792, 4799, 4809, 4815, 4822, 4827, 4830, 4832, 4834, 4835, 4844, 4848, 4849, 4863, 4866, 4868, 4870, 4872, 4881, 4883, 4897, 4901, 4902, 4915, 4920, 4930, 4936, 4949, 4957, 4959, 4971, 4974
लघु उद्योग	:	4816, 4842, 4853, 4900, 4913
अंतरिक्ष	:	4828, 4908, 4918, 4922, 4938
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	:	

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/9/26/2005 (एन०)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स धनराज एसोसियेट्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।